DEFENCE SERVICES REGULATIONS 2014

सत्यमेव जयते

रक्षा सेवा विनियमावली

DEFENCE SERVICES REGULATIONS

यात्रा विनियम

TRAVEL REGULATIONS

परिशोधित संस्करण 2014

REVISED EDITION 2014

(2014 तक जारी किए गए आदेश सामान्यतः इस विनियमावली में शामिल कर लिए गए हैं)

(Orders issued upto 2014 have generally been incorporated in these regulations)

MDMRF.T. 15
9000—2013

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा
मुद्रित तथा प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, दिल्ली–110054 द्वारा प्रकाशित
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-1100054

DEFENCE SERVICES REGULATIONS 2014

सत्यमेव जयते

रक्षा सेवा विनियमावली

DEFENCE SERVICES REGULATIONS

यात्रा विनियम

TRAVEL REGULATIONS

परिशोधित संस्करण 2014

REVISED EDITION 2014

(2014 तक जारी किए गए आदेश सामान्यतः इस विनियमावली में शामिल कर लिए गए हैं)

(Orders issued upto 2014 have generally been incorporated in these regulations)

रक्षा सेवा विनियमावली

DEFENCE SERVICES REGULATIONS

यात्रा विनियम

TRAVEL REGULATIONS

परिशोधित संस्करण 2014

REVISED EDITION 2014

सत्यमेव जयते

(2014 तक जारी किए गए आदेश सामान्यतः इस विनियमावली में शामिल कर लिए गए हैं)

(Orders issued upto 2014 have generally been incorporated in these regulations)

प्रस्तावना

1. यात्रा विनियमावली, रक्षा सेवा विनियमावली का एक हिस्सा है और रक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन पाने वाले थल सेना, नौ सेना, वायु सेना कार्मिकों एवं सिविलियनों की यात्रा हकदारी से संबंधित सभी नियमों, अनुदेशों और आदेशों का संग्रह है। पिछला संग्रह सन् 1991 में निकाला गया था।

2. चूंकि विनियम विकासशील एवं परिवर्तनात्मक होते हैं अतः इन्हें समकालीन बनाने के लिए पुनरीक्षण की आवश्यकता है। यात्रा विनियमावली संशोधन प्रकोष्ठ का गठन इस संग्रह के सम्पूर्ण संशोधन कार्य के लिए किया गया है, जिसने एक समग्र संस्करण तैयार किया है। इसमें यात्रा हकदारियों से संबंधित अगस्त 2013 तक के सभी सरकारी आदेश शामिल हैं।

3. यह परिशोधित संस्करण सभी भागीदार धारकों द्वारा किए गए विस्तृत और नितांत गहन प्रयासों का परिणाम है जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 1989 से जारी किए गए विभिन्न सरकारी आदेशों को सम्मिलित कर इन विनियमों का अद्यतनीकरण और परिशोधन साकार हुआ है।

4. इस परिसंशोधित यात्रा विनियमों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित उन सभी विभागों/स्कंधों के प्रति मैं अपनी सराहना को अभिलिखित करना चाहता हूं।

18 फरवरी, 2014

(आर.के. माथुर)
रक्षा सचिव
रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

अध्याय

1.	अध्याय एक	सामान्य नियम
2.	अध्याय दो	स्थायी ड्यूटी संचलन
3.	अध्याय तीन	अस्थायी ड्यूटी यात्रा
4.	अध्याय चार	छुट्टी यात्रा रियायत
5.	अध्याय पांच	यात्रा की हकदारियां—साक्षात्कार, स्वास्थ्य परीक्षा, नियुक्ति के लिए चयन के संबंध में और जो सेवा–निवृत्ति, निर्मुक्ति, कार्य–मुक्ति,आरक्षिति में स्थानान्तरण, पदच्युति और मृत्यु के कारण, हुई यात्राओं के लिए
6.	अध्याय छह	स्थायी यात्रा/सवारी–भत्ता
7.	अध्याय सात	सैनिक प्रशुल्क और पशुओं तथा भण्डारों का परिवहन
8.	अध्याय आठ	विदेश के लिए और विदेश से यात्राओं के लिए हकदारियां

विषय–सूची

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	अध्याय एक — सामान्य नियम	
1	कार्मिकों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होते हैं	1
2	परिभाषाएं	1–4
3	शक्तियों का प्रत्यायोजन	4
4	प्राधिकारी, जिन्हें संचलन को प्राधिकार करने का अधिकार प्राप्त है, और उनकी जिम्मेदारियां	4
5	नियमों में विशेष रूप से शामिल न किए गए छोटे–मोटे यात्रा–भत्ता दावों को मंजूर करने की शक्तिया	4
6–8	नियंत्रण अधिकारी—यात्रा–भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर	5
9	नियंत्रण अधिकारियों की ड्यूटी और उनकी शक्तियां	5–6
10	यात्राओं का वर्गीकरण	6
11	रिक्त	6
12–13.	व्यक्तियों के ग्रेड	6
14	पूर्व व्याप्ति सहित पदावनति अथवा पदोन्नति पर यात्रा–भत्ते का परिशोधन	6
15	प्रदान की गयी सवारी का उपयोग न करने पर जुर्माना	6
16	सवारी का पुनःग्रहणाधिकार	6–8
17	यात्रा–भत्ते का अग्रिम और उनका समायोजन	8–12
17–अ.	रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान प्राप्त सेना कार्मिकों और सिविलियनों से यात्रा–भत्ते के अग्रिम पर दण्ड स्वरूप ब्याज प्रभारित करना	12
18	सेना के उन अफसरों जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है के परिवारों की यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की पेशगी	12
19	रिक्त	12
20	अग्रिम का आहरण—जे.सी.ओ. और उनके समकक्षों को अवैतनिक कमीशन प्रदान किए जाने पर यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते के अग्रिम को प्रदान किया जाना	12
21	ऐसे सिविलियन कार्मिक के परिवार को यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की पेशगी जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है	13
22	रिक्त	13
23	यात्रा–भत्ते के दावों को भरना	13–14
24	सवारी	14
25	मांग–पत्र पर सवारी की व्यवस्था	14
26	भारतीय सीमा के अन्दर समुद्र यात्रा	14
27	वारंट या मांग–पत्र पर रेल द्वारा यात्राओं के लिए स्थान का मान	14

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
28	रिक्त	14
29	सड़क यात्रा के लिए सवारी की हकदारी	14
30	रिक्त	14
31	रिक्त	14
32	यात्रियों के लिए पोतारोहण पत्तन	14
33	रिक्त	14
34	रिक्त	14
35	नियमों के अधीन प्राधिकृत के अलावा, एक प्रकार और/या श्रेणी द्वारा सवारी	14–15
36	पत्तन करों की अदायगी	15
37	वारंट या मांग–पत्र पर सीधी बुकिंग	15
38	विभिन्न श्रेणी की यात्राओं के लिए मील–दूरी भत्ते का परिकलन	15
39	मार्ग	15–17
40	मील–दूरी भत्ते को प्रदान करना — लघुत्तम मार्ग के अलावा अन्य मार्गों से	17–18
41	यात्रा शुरू करने और यात्रा समाप्त करने का स्थान	18–19
42	घाट प्रसार, टोल और रेल के किरायों	19
43	रेल/वायुयान में स्थान के आरक्षण के सम्बन्ध में व्यय–भार	19–20
44	अप्रयुक्त रेल/हवाई जहाज के टिकटों के निरसन प्रभारों की वापसी	20
45	सड़क यात्राओं में किलोमीटर का अंश	20–21
46	रिक्त	21
47	वारंट जारी न किए जाने की स्थिति मे स्वीकार्य यात्रा–भत्ता	21
48	यात्रा व्यय आदेश पर सवारी की व्यवस्था	21
49	रिक्त	21
50	रिक्त	21
51	रिक्त	21
52	रिक्त	21
53	रिक्त	21
54	रिक्त	21
55	रिक्त	21
	अध्याय दो — स्थायी ड्यूटी संचलन	
56	स्थायी ड्यूटी की परिभाषा	22
57	रेल द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणियां	22–23

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
58	समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा के लिए हकदारी	24
59	दैनिक भत्ते की स्वीकार्यता	24
60	रिक्त	24
61	सड़क द्वारा यात्रा के लिए मील–भत्ते की दरें	24–25
61–अ.	स्थानान्तरण पर व्यक्तिगत सामान का परिवहन	25–26
62	भारत में हवाई मार्ग से यात्रा के लिए सवारी	26–27
63	चेतावनी आदेश–––सवारी	27
64	कमीशनप्राप्त अफसरों को प्रथम नियुक्ति पर यात्रा–भत्ता	27–28
65	कमीशन के पश्चात प्रशिक्षण ले रहे अफसरों को दैनिक–भत्ता	28
66	नियमित आरक्षिति अफसरों (चिकित्सा और दन्त को छोड़ कर) को, जब सेवा के लिए बुलाया जाता है, की हकदारी	28
67	स्थायी ड्यूटी पर यात्रा (सेना के अफसरों)	28–34
67–अ.	नौसेना अफसरों के मामले में मुख्यालयों	34
68	सेना परिचर्या अफसर	34
69	अवैतनिक कमीशन धारित जे.सी.ओ.	34
70	अफसरसे निम्न रैंक सेना कार्मिकों	34–38
70–अ.	जे.सी.ओ. और समतुल्यों जब पुनःसेवानियोजित, को सवारी	38
70–ब.	हकदारी ––– सिविलियन सिस्टर	39
71	रिजर्व सैनिकों के लिए सवारी	39
72	पी.बी.ओ.आर. के परिवारों को जब प्रथम बार संयुक्त होते हैं, के लिए सवारी	39–40
72–अ.	रियायती क्षेत्रों में सेवारत रहते हुए जो सेना अफसरों/सिविलियनों विवाह करते हैं, के परिवारों के लिए सवारी	40
73	सेना कार्मिकों के परिवारों को जब परिवार के मुखिया से विलग होते हैं, सवारी	40–41
74	पी.बी.ओ.आर. के परिवारों को सवारी जब विवाहित आवास को खाली करने का आदेश दिया जाता है	41
75	गोरखा सैनिकों/नौ सैनिकों/वायु सैनिकों को जब उन्हें परिवार लाने की अनुमति दी जाती है, के परिवारों को सवारी	41–42
76	स्थायी ड्यूटी पर यात्रा : रक्षा प्राक्कलनों से भुगतान पाने वाले सिविलियन	42–44
77	रक्षा सेवाओं में सिविलियन पदों पर नियुक्त सिविलियन सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा–भत्ते की हकदारी,	44
78	ए.एस.सी. (सिविल जी.टी.) की कम्पनियों में सेवायोजित सिविलियन कार्मिकों के लिए यात्रा–भत्ते की हकदारी	44
79	समान को ले जाना जब एक व्यक्ति को निःशुल्क सरकारी वाहन दिया जाता है	44

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
80	सड़क द्वारा यात्रा जहां रेल–व–सड़क सेवाएं मौजूद हों	44
81	पुराने मुख्यालय से उसी स्टेशन के अंतर्गत या अपेक्षाकृत कम दूरी के अंतर्गत स्थानान्तरण के लिए हकदारी	44–45
82	यात्रा–भत्ते की हकदारी जब पति और पत्नी दोनों ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हों	45
83	व्यक्तियों जिनकी सेवाएं अन्य विभागों/सरकारों को उधार दी जाएं	45
84	यात्रा–भत्ता नियम स्वीकार्य हैं व्यक्तियों को जिनकी सेवाएं, एक स्वायत्त औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम या एक सांविधिक निकाय या स्थानीयनिकाय या स्थानीय प्राधिकारी को उधार दी गई है जिसमें किसी भी केन्द्रीय सरकार निधि से पूंजी निवेशित की गई है	45
85	परिवारों के परिवार के मुखिया से अलग संचलन	45–46
85–अ.	सेना कार्मिकों के परिवारों को रियायती क्षेत्र में उनको आवंटित सरकारी आवास के अध्यास के लिए निःशुल्क सवारी प्रदान करना	46
86	कार्यार्थ रहते हुए मुख्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरण	46–47
87	अल्पकालिक छुट्टी के दौरान स्थानान्तरण	47–48
88	ड्यूटी की समयावधि में स्थानान्तरित व्यक्तियों को वापसी पर मूल स्टेशन के प्रतिधारित करने की अनुमति नहीं दी जाती	48–49
89	छुट्टी की समयावधि में अल्पावधि छुट्टी के अलावा पर स्थानान्तरण	49
90	प्राधिकृत अनुदेशीय पाठ्यक्रम के समापन के बाद छुट्टी पर जाते हुए व्यक्तियों को निःशुल्क सवारी	49–50
90–अ.	समिति/आयोग में नियुक्त हुए गैर–सरकारी को यात्रा–भत्ता प्रदान करना (शामिल करते हुए सामासिक स्थानांनतरण अनुदान) एक साल या अधिक समय के लिए	50
	अध्याय तीन — अस्थायी ड्यूटी यात्रा	
91	अस्थायी ड्यूटी की परिभाषा	51
92	रेल द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणी	51
93	रक्षा सेवा अफसरों के लिए रेलवे सैलूनों और विशेष आरक्षित वास का उपयोग जिसमें वातानुकूलित वास भी शामिल हैं	51–52
94	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा	52
95	रिक्त	52
95अ	शताब्दी एक्सप्रैस में यात्रा की हकदारी	52
96	वारन्ट पर रेल द्वारा यात्राओं के लिए शयन के वास की व्यवस्था	52
97	बन्दियों और विक्षिप्तों के लिए रेल का वास	52
98	संक्रामक या सांसर्गिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित कम्पार्टमेंट	53
99	सिगनल/बीजलेख वार्ताहरों के लिए रेल का वास	53

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
99–अ.	रक्षा सुरक्षा कम्पनी और सेना कार्मिकों को रेल का वास, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी कूपे में जब रेल द्वारा ले जाए जा रहे हथियार और गोला–बारूद के परेषण की अनुरक्षकी करते हैं	53–54
100	नौसेना/वायुसेना से संबंधित गुप्त डाक का परिवहन	54
101	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सिविलियन सरकारी कर्मचारियों द्वारा वास्तविक सरकारी भण्डारों को ले जाने के लिए हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	55
102	वास का मापक्रम	55–56
103	बाह्य स्टेशनों पर सवारी किराये पर लेना	56
104	अफसरों द्वारा यात्राओं पर जहां उनको आरक्षित रेलवे वास की हकदारी है, रेल द्वारा आरक्षित वास के बदले में मोटर कारों को भाड़े पर या निजी (गैर–सरकारी) कारों का उपयोग	56–57
105	भर्ती करने वाले दल (भारतीय नौसेना) के उपयोग के लिए किराए पर मोटर कार लेना	57
106	सड़क द्वारा सवारी जहां लघुतम मार्ग रेल द्वारा होता हो	57
107	भारतीय सीमाओं के अंतर्गत समुद्री यात्राओं के लिए वास की श्रेणी	57
108	हवाई जहाज द्वारा यात्रा	57
108–अ.	गैर–हकदार वर्ग के कार्मिकों द्वारा सिविल विमान द्वारा यात्रा	58
109	हवाईमार्ग से हताहतों का निष्क्रमण	58
110	गोरखों के लिए भर्ती अफसर और उसके स्टाफ के लिए हवाई मार्ग से यात्राओं के लिए सवारी	58
111	सड़क द्वारा यात्राओं के लिए सड़क मील–दूरी	58–59
112	यात्राएं जिनके लिए रेल व सड़क टिकटों को जारी किया जाता है	59
113	बाह्य पत्तनों पर यात्राओं के लिए सड़क मील–दूरी	59
114	अस्थायी ड्यूटी पर दैनिक–भत्ता	59–61
114–अ.	दैनिक–भत्ते की दरें	61–65
115	पोतारोहण और पोतावरोहण के पत्तनों पर रोके जाने के दौरान स्वीकार्य दैनिक–भत्ता	65
116	संलग्न अफसरों के रूप में नियुक्त अफसरों को स्वीकार्य दैनिक–भत्ता	65
117	परीक्षार्थियों को रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए कमान तैयारी स्टाफ कालेज पाठ्यकम में जो भाग लेते हैं उन अफसरों के लिए यात्रा और दैनिक–भत्ता	65–66
118	वृत्तिक विषयों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में स्वीकार्य दैनिक–भत्ता	66
119	अस्थायी ड्यूटी यात्राओं पर यात्रा–भत्ते की हकदारी	66–67
119–क.	वायुसेना के अफसरों की अस्थायी ड्यूटी पर अन्य यूनिटों में जाने पर स्वीकार्य दैनिक–भत्ता	67
119–ख.	राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैम्पों (शिविरों) में उपस्थित होने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर में तैनात नियमित सेना अफसरों को दैनिक भत्ता	67

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
120	रिक्त	67
121	परिचाल या प्रशिक्षण कैम्प (शामिल हैं, तोपखाना अभ्यास कैम्पों, सामरिक अभ्यासों सैन्य दल बिना या सैन्य दल के साथ, स्टाफ अभ्यासों, इत्यादि) से आने और जाने की यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता	67
122	ई.एम.ई. तथा ए.ओ.सी. कार्मिकों को, मापकों, औजारों और अभिलेखों इत्यादि के परिवहन के सम्बन्ध में प्रासंगिक खर्चों की व्याप्ति को विशेष–भत्ता	67–68
123	अनुदेशीय पाठ्यक्रम में जब भाग लेते हैं, तो स्वीकार्य दैनिक–भत्ता	68
123–अ.	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग के द्वारा प्रायोजित दोनों योजना और गैर–योजना में सहभागी रक्षा सिविलियनों को दैनिक–भत्ते के स्थान पर विशेष–भत्ता	68
124	अनुदेशीय पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में भाग ले रहे व्यक्तियों को सवारी	68–69
125	विभागीय परीक्षाओं में बैठने वाले सैनिक इंजीनियरी सेवा के सिविलियन कार्मिकों को सवारी	69–70
126	सिविलियन कार्मिकों को यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता — मास्टर जनरल ऑफ आर्डनेन्स सेवाएं/भारतीय नौसेना स्थापनाएं———बाह्य स्टेशन पर ट्रेड परीक्षा	70
127	अनिवार्य विभागीय परीक्षाओं में बैठने के लिए सवारी	70–71
127–अ.	हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन, कार्यालय/घर से परीक्षा केन्द्र तक यात्रा–भत्ता	71–72
128	ए.एम.सी. में सीधे स्थायी नियमित कमीशनों के लिए सिविलियन उम्मीदवारों की प्रयोगात्मक वृत्तिक परीक्षाओं के लिए, परीक्षकों जैसे नियुक्त किए गए विशेषज्ञों को सवारी–भत्ता	72
129	उस व्यक्ति को यात्रा–भत्ता जिसे उसके मुख्यालय स्टेशन पर केन्द्रों/संस्थानों पर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है	72–73
130	रिजर्व सैनिकों के लिए नकद भुगतान /यात्रा आदेश पर सवारी	73
131	सैनिक अदालतों में उपस्थिति के लिए गवाहों को सवारी	73–74
132	सिविल न्यायालयों में हाजिरी या पुलिस प्राधिकारियों के सामने उपस्थित होने के लिए व्यक्तियों द्वारा की गई यात्राओं के लिए यात्रा–भत्ता	74–76
133	विभागीय जांच में उपस्थित हो रहे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता	76–78
133–क.	न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सेवा निवृत्त सिविलियनों को यात्रा–भत्ता	78
134	बाह्य स्थानों पर अनुशासनात्मक मामलों में सरकारी दस्तावेजों के अवलोकन के लिए यात्राओं के लिए सवारी	78–79
134–अ.	सेवा–निवृत्त सिविलियन सरकारी कर्मचारी को दस्तावेजों के अवलोकन के लिए यात्रा–भत्ता	79
134–ब.	सेवा–निवृत्त सरकारी कर्मचारी को कानून की अदालत में विभागीय मामलों के संबंध में उपस्थित रहने के लिए यात्रा–भत्ता / दैनिक–भत्ता	79
135	एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अभिरक्षा के लिए अभियुक्त को सवारी	79
136	अफसरों जिनको सम्मेलनों, कांग्रेसेस या बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, को स्वीकार्य यात्रा–भत्ता	79–80

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
137	परिसंघ और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारियों के परिसंघ के प्रतिनिधियों को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा–भत्ता	80
138	रेजिमेंट के सम्मेलनों में उपस्थिति के बारे में स्वीकार्य यात्रा–भत्ता	80–81
139	सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों के बोर्डों के सैनिक सदस्यों को, जब वे त्रैमासिक बोर्ड की बैठकों में भाग लेते हैं, स्वीकार्य यात्रा–भत्ता	81
140	केन्द्रीयशासी परिषद् और सैनिक स्कूल के स्थानीय प्रशासन बोर्ड के सदस्यों के रूप में यात्राओं के लिए अफसरों को स्वीकार्य यात्रा–भत्ता	81
141	सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्डों और उसकी अधीनस्थ समितियों की बैठकों में भाग लेने को यात्राओं के लिए यात्रा–भत्ता	81
141–अ.	राष्ट्रीय निकायों द्वारा संचालित, राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों, अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे सेनाओं की टीमों/खिलाड़ियों/पदधारियों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिवरों और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की हकदारी होगी सामान्य अस्थायी ड्यूटी पर, नीचे उल्लिखित यात्राओं के संबंध में	81
142	खेलों में भाग ले रहे सैनिक कार्मिकों को यात्राओं के लिए सवारी	81–82
143	प्रशिक्षण संस्थान में भाग ले रहे परिवीक्षाधीनों को यात्रा–भत्ता	82
144	कैदियों और भगोड़ों के लिए स्वीकार्य सवारी	82
145	नेपाल में रहने वाले व्यक्तियों, जो उनकी पेंशन या परिवार को आबंटित को वार्षिक रूप में आहरित करते हैं, को सवारी	82
146	भर्ती दल के लिए सवारी	82–83
147	अण्डमान, निकोबार, लक्षद्वीप समूह के द्वीपसमूहों को आने और जाने वाले भर्ती दलों	83
148	भर्ती अधिकारी के लिपिक, जब भर्ती, सहायक भर्ती या अतिरिक्त सहायक भर्ती अधिकारी(यों) के साथ अस्थायी ड्यूटी पर जाते हैं	83
149	विदेशीगणमान्य व्यक्तियों के साथ स्टाफ के रूप में संलग्न किए गए सेना/सिविलियन अधिकारी को स्वीकार्य यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता	83–84
150	परिस्थितियां और शर्तें जिनके अधीन छुट्टी के दौरान सवारी को प्राधिकृत किया जा सकता है	84–85
150–अ.	अवकाश की रिक्तियों में स्थानापन्न अधिकारियों के लिए सवारी	85–86
150–ब.	जब भारत में छुट्टी पर रहते हुए पाठ्यक्रम या परीक्षाओं में भाग ले रहे व्यक्तियों के लिए सवारी	86
151	सवारी जब ड्यूटी के लिए छुट्टी से वापस बुलाया जाता है	86–88
152	कर्नलों / कर्नल कमाण्डेंटों को उनके यूनिटों में आगमन पर यात्रा–भत्ता	88–89
152–अ.	फील्डमार्शलों को यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता जब उनको औपचारिक सेरिमोनियल समारोहों में भाग लेने को आमंत्रित किया जाता है	89
153	चिकित्सा प्रमाण–पत्र की प्राप्ति हेतु यात्राओं के लिए सवारी	89
154	चिकित्सा सलाह की प्राप्ति हेतु यात्राओं के लिए सवारी	89

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
155	पेंशन के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थिति हेतु बुलाए जाने पर व्यक्तियों को सवारी	89–90
156	एन्टीरेबिक उपचार के लिए यात्राओं पर सवारी	90
157	सेना कार्मिकों, शामिल करते हुए एम.एन.एस. को, जब सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के आदेशों पर अन्य स्टेशन पर परामर्श या उपचार कराने को जाते हैं और जब वहां से वापस लौटते हैं, को सवारी	90
157–अ.	सेना अफसरों, जब निर्धारित चिकित्सा परीक्षण के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते है, को दैनिक–भत्ता	90–91
157–ब.	पनडुब्बी शाखा के नौसेना अफसरों को पनडुब्बी चिकित्सा परीक्षण के संबंध में दैनिक–भत्ता	91
158	परिचरों के लिए सवारी	91
159	सेना कार्मिकों को स्वीकार्य सवारी जब एक सिविल अस्पताल से निकटतम सेना अस्पताल को जाते हैं	91–92
160	व्यक्तियों को सवारी जब इलैक्ट्रो कार्डियोग्राफिक परीक्षण (ई.सी.जी.) के लिए जाते हैं	92
161	गंभीर बीमारी या शोक इत्यादि के मामलों में सैनिक कार्मिकों के संबंधियों को सवारी	92–93
162	सेना कार्मिकों के संबंधियों जो हताहत से जूझते हैं और सेना अस्पताल में उपचार करवा रहे हैं को सवारी	93–94
163	घुम्म में नामांकित गोरखा रंगरूटों को स्थूल लघु (मास मिनिएचर) रेडियोग्राफी के लिए यात्राओं पर सवारी	94
164	बीमारी की छुट्टी प्रदान सैनिकों/नौ–सैनिकों और वायुसैनिकों के साथ जा रहे परिवारों को सवारी	94
165	प्रत्यालर्क (एन्टीरेबिक) उपचार के बाद बीमारी की छुट्टी प्रदान एन.सी.(ई.) के साथ जा रहे परिवार को सवारी	94
166	सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के बीमार परिवारों को सवारी	94–95
166अ	सेना अफसरों के परिवारों को उचित चिकित्सा, परिचर्या/उपचार को प्राप्त करने के लिए एक अस्पताल से दूसरे और वापसी के लिए सवारी	95
167	सेना अफसरों के परिवारों को सवारी, एक अस्पताल से दूसरे और वापसी के लिए, उपयुक्त चिकित्सा परिचर्या/उपचार लेने के लिए	95
168	विशेष उपचार प्राप्ति को, रक्षा फैक्टरियों, आयुध संस्थापनों, आयुध निरीक्षण संगठन के कर्मकारों को सवारी	95
169	स्थायीकरण के समय पर आरोग्यप्रमाण–पत्र प्राप्त करने को यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता	95
170	वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) के भरे जाने के संबंध में चिकित्सा परीक्षण के लिए यात्राओं के लिए यात्रा–भत्ता	95
171	गंभीर बीमारियों के मामलों में सिविलियनों के संबंधियों के लिए सवारी	96
172	अशक्तता पेंशन का आवेदन दे रहे सिविलियनों को सवारी	96
173	रिजर्वसैनिकों — अस्थायी ड्यूटी पर संचलन	96

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
174	फेरी और परिवहन ड्यूटी पर नियोजित वायुयान कर्मीदल (अफसर और वायु सैनिक) को विशेष दैनिक–भत्ता	97
175	कार्य संबंधी यात्राओं के संबंध में सिविलियन / सेना कार्मिकों के लिए, टिकटों, वीसों, पासपोर्टों को लाने के लिए सवारी	97
	अध्याय चार — छुट्टी यात्रा रियायत	
176	आवास का प्रकार और श्रेणी	98–99
176–अ.	लदाख क्षेत्र में तैनात सेना कार्मिकों को केवल सर्दियों के समय में हवाई मार्ग द्वारा एल.टी.सी. की सुविधा	99
176–ब.	सिलचर को शामिल करते हुए, मणिपुर/मिजोरम/असम के कछार व दक्षिण कछार जिलों में तैनात हुए सेना कार्मिकों को एल.टी.सी. पर हवाई मार्ग से यात्रा	99
176–स.	त्रिपुरा के राज्य में सेवारत सेना के लिए हवाई मार्ग से निःशुल्क यात्रा की सुविधा	99
177	सेना के अफसरों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत	99–104
178	सेना परिचर्या सेवा के अफसरों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत	104
179	वार्षिक छुट्टी पर जा रहे अफसरों का सड़क द्वारा परिगमन	104–105
180	सेना अफसरों, सेना विमानन पाइलट/भारतीय नौसेना के नौसैनिक (नौसेना विमानन शाखा)/पन्डुब्बी और वायुयान कर्मीदल के अफसरों/वायुसेना के वायुसैनिक जैसे सेवानियोजित, नियमित उड़ान ड्यूटियों नियोजित	105
181	लघुकृत किराए का प्रमाण–पत्र, सेना अफसरों को, शामिल करते हुए मिडशिपमैन और जे.सी.ओ. और समकक्षों, अवैतनिक रैंक धारित जैसे कमीशन प्राप्त अफसरों — फार्म 'डी'	105–106
182	एम.एन.एस. अफसरों और सिविलियन सिस्टरों के लिए लघुकृत किराए का प्रमाण–पत्र	106
183	अफसर से निम्न रैंक के सेना कार्मिकों को रियायत वाउचर	106
184	छुट्टी यात्रा रियायत, जे.सी.ओ. को (शामिल करते हुए अवैतनिक कमीशन प्राप्त अफसरों/ ओ.आर./एन.सी.ई. और नौसेना तथा वायुसेना में उनके समकक्ष रैंकों)	106–110
184–अ.	एल.टी.सी. का जब्त किया जाना	110
185	सैनिकों/नौसैनिकों/वायुसैनिकों और एन.सी.(ई.) जब चिकित्सा छुट्टी पर जा रहे, को सवारी	110
186	रिक्त	110
187	सैनिकों/नौसैनिकों और वायुसैनिकों जो छुट्टी के दौरान बीमार हो जाते हैं, को सवारी	110
188	भूटान में सेवारत, सेना कार्मिकों के लिए जब भारत को और भारत से छुट्टी पर जा रहे हैं, के लिए छुट्टी यात्रा रियायत	111
189	ए.एस.सी. (सिविल जी टी) की कम्पनियों में नियोजित सिविलियनों को छुट्टी यात्रा रियायत	111
190	सिविलियनों के लिए छुट्टी यात्रा रियायतें	111–122
191	बच्चों को यात्रा रियायतें, उनके संस्था द्वारा अनुमोदित प्रावकाश के समय में	122–125

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	अध्याय पांच — साक्षात्कारों, स्वास्थ्य परीक्षाओं, नियुक्ति के लिए चयन के सम्बन्ध में और सेवा–निवृत्ति, निर्मुक्ति, कार्य–मुक्ति, आरक्षिति में स्थानान्तरण, पदच्युति और मृत्यु के कारण हुई यात्राओं के लिए यात्रा की हकदारी	
192	थल सेना, नौसेना और वायु सेना में स्थायी नियमित कमीशन प्रदान करने के लिए साक्षात्कार, स्वास्थ्य परीक्षा इत्यादि के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा–भत्ता (टी.ए.)	126–128
192–अ.	नौ सेना और वायु सेना में पूर्व जे.सी.ओ. और उनके समकक्षों को उप–महानिदेशक रक्षा सुरक्षा कोर द्वारा जब साक्षात्कार के लिए बुलाया जाताहै, रक्षा सुरक्षा कोर में जे.सी.ओ. के चयन के लिए, यात्रा–भत्ते की हकदारियां होंगी	128
193	रंगरूटों, योद्धियों और अयोद्धियों (नामांकित) को सवारी–भत्ता	128–129
194	जे.सी.ओ. के रैंक में सीधे कमीशन के लिए उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों को यात्रा–भत्ता	129
195	सिगनल कोर के बॉयज को सवारी–भत्ता	129
196	साक्षात्कार/चयन के लिए बुलाए जाने पर आयुद्ध (आर्डनेन्स) फैक्टरी के कार्मिकों को सवारी–भत्ता	129
197	रक्षा उत्पादन/निरीक्षण और अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक/तकनीकी पदों के लिए कार्मिकों को सवारी–भत्ता	129
198	ग्रुप 'सी' पदों के लिए, अनुसूचित जातियों/जन–जातियों/निःशक्त भूतपूर्व सेना कार्मिकों को साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए जब बुलाया जाता है, को यात्रा–भत्ता	129–130
199	सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर यात्रा–भत्ता	130
199–अ.	सिविलियन उम्मीदवारों को दैनिक–भत्ता	130
200	रिक्त	130
200–अ.	सेवा–निवृत्ति/निर्मुक्ति/आरक्षिति में स्थानांनतरण/कार्य–मुक्ति पर सेना कार्मिकों की हकदारी	130–131
200–ब.	सेवा–निवृत्ति पर सेना कार्मिकों के लिए यात्रा–भत्ता जो अंतिम–ड्यूटी स्टेशन पर स्थायी रूप से बसना चाहते हों	131–132
201	केन्द्रीय सरकार के अधीन पुनःनियोज़ित सेना कार्मिकों को यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ते की रियायत	132
202	सेना अफसरों द्वारा यात्रा–भत्ते दावे को प्रस्तुत करना	132
203	उन अधिवासी / व्यक्तियों की हकदारी जो कि सेवा–निवृत्ति के बाद स्थायी रूप से भारत से बाहर निवास करना चाहते हों	132
204	सवारी पद धारणाधिकार — सेवा निवृत्ति पूर्व	132
205	रिक्त	132
206	निर्मुक्ति पद यात्रा–भत्ता — पुनःनियोजित / पुनःनामांकित सेवा से निर्मुक्त होने पर	132–133
207–अ.	सेवा समाप्ति पर सेना परिचर्या सेवा के अफसरों को यात्रा–भत्ता	133
207–ब.	सेवा निवृत्ति पर एमएनएस अधिकारी का यात्रा–भत्ता	133

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
208	सिविलियनों को सेवा–निवृत्ति पर यात्रा–भत्ता	133–134
209	सेवा से पदच्युत या निष्कासन पर सेना अफसरों को सवारी–भत्ता	134
210	सेवा से पदच्युत होने पर अफसर रैंक से निम्न सेना कार्मिकों को सवारी–भत्ता	134
211	कृत्रिम अंगों और साधित्रों की पूर्ति इत्यादि के संबंध में जब पूर्व–सेना कार्मिकों अस्पताल जाते हैं, को सवारी–भत्ता	134–135
212	जहां चिकित्सा बोर्ड के दस्तावेजों को खोजने से न मिलने पर या गुम होने पर निःशक्तता पेंशन दावों को निपटाने के लिए पूर्व सेना कार्मिकों को सवारी–भत्ता	135
213	सतत उपस्थिति–भत्ते के लिए उनकी पात्रता के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए में चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख बुलाए गए भूतपूर्व सैनिकों को सवारी–भत्ता	135
214	निःशक्तताओं के उपचार के लिए जिनको सेवा के कारण हुआ या द्वारा बढ़ा माना गया, सेना अस्पताल में भर्ती, पूर्व सेना कार्मिकों को सवारी–भत्ता	135
215	निःशक्त सैनिक कार्मिकों के परिचरों को सवारी–भत्ता	136
216	एम॰एन॰एस॰ को शामिल करते हुए, सेना अफसरों, जो सेवारत काल में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, के परिवारों को यात्रा–भत्ते की हकदारी	136–137
217	अफसर रैंक से निम्न सेना कार्मिकों, जो सेवाकाल में मृत्यु को प्राप्त होते है, के परिवारों को यात्रा–भत्ते की हकदारी	137–138
217–अ.	भारत और विदेश में सीमा/नियंत्रण रेखा (एल॰ओ॰सी॰)/संक्रिया/ प्रति क्रांतिकारी सी॰आई॰। संक्रियाओं में मारे गए रक्षा सेना कार्मिकों	138
218	सिविलियन सरकारी कर्मचारियों जो सेवाकाल में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, के परिवारों को यात्रा–भत्ते की हकदारी	138–139
218–अ.	रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान पाने वाले एक सिविलियन या सेना कार्मिकों के मृत शरीर को ले जाने के लिए	139–140
218–ब.	गणमान्य व्यक्ति इत्यादि के मृत शरीर के साथ, मृत्क के परिवारों को यात्रा भत्ते की हकदारी	140
219	लापता घोषित/युद्ध बंदी सैनिक कार्मिकों/सिविलियनों के परिवारों को यात्रा–भत्ते की हकदारी	140
220	रिक्त	140
	अध्याय छह –– स्थायी यात्रा/ सवारी–भत्ता	
221	स्थायी यात्रा–भत्ता	141
222	सवारी–भत्ता	141–143
223	सवारी–भत्ता — आदतन यात्रा	143
224	भाड़ा–प्रभार — सरकारी कर्मचारियों चाहे राजपत्रित या अराजपत्रित को सरकारी ड्यूटी पर 8 कि0 मी0 की परिधि के अन्दर	144
225	वाहन–भत्ता — ग्रुप 'बी' एवं 'सी' व्यक्तियों (दोनों औद्योगिक या अनौद्योगिक) जिनकी ड्यूटियां विस्तृत यात्रा को आवश्यक बना देती हैं, 8 कि0मी0 की परिधि के अंतर्गत या एक बाह्य स्टेशन पर	144–146

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
226	रिक्त	146
227	रिक्त	146
228	रिक्त	146
229	रिक्त	146
230	रिक्त	146
230–अ.	अंधे और शारीरिक रूप से विकलांग रक्षा कार्मिकों को परिवहन–भत्ता प्रदान करना	146–147
230–ब.	सेना अफसरों और अफसर रैंक से निम्न कार्मिकों (पी.बी.ओ.आर.) को परिवहन–भत्ता प्रदान करना	147–148
	अध्याय सात — सैनिकप्रशुल्क और पशुओं एवं भण्डारों का परिवहन	
231	वारंट,साख–पत्रों और मांग–पत्रों की अभिरक्षा और उन्हें जारी करना	149
232	अदायगी का तरीका	149
233	रेल वारंट पर व्यक्तियों की यात्रा को बुक करना	149
234	रक्षा सामान और असबाब का परिवहन	149
235	माल और पार्सलों को पुनः बुक करना	150
236	सरकारी घोड़ों और माल ढोने वाले खच्चरों का सड़क द्वारा परिवहन	150
237	साख–पत्र	150
238	असबाब को निःशुल्क ले जाना	150
239	सरकारी भण्डारों का प्रेषण	150
240	हवाईमार्ग द्वारा भण्डारों का प्रेषण	150–151
241	सरकारी, रेजीमेंट के और मेस के भण्डारों	151
242	बैंड उपस्कर का परिवहन	151
243	वायु सेना के रेल–व्यापार परीक्षण बोर्डों द्वारा छपे प्रश्न–पत्रों का परिवहन	151
	अध्याय आठ — विदेशों को और विदेशों से यात्राओं के लिए यात्रा की हकदारियां	
244	अनुमोदित मार्ग	152
245	हवाईमार्ग से यात्रा की श्रेणी	152
246	हवाईमार्ग से यात्राओं के लिए अनुमोदित तरीका	152–153
247	संचलनों के लिए प्राधिकारी	153
248	विदेशों में स्टेशनों के मार्ग में भार में समुद्र / हवाई अड्डों से आते और जाते हुए स्थायी ड्यूटी संचलनों के लिए हकदारियां	153
249	रेल/सड़क–व–समुद्री मार्ग द्वारा यात्राएं	153–154

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
250	हवाईमार्ग द्वारा यात्रा	154–155
250–अ.	रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान पाने वाले रक्षा सेवा कार्मिकों के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा–कर)	155
251	परिवारों/नौकरों/सामान को ले जाने पर ग्रहणाधिकार	155–156
252	परिवार या नौकरों की यात्रा की हकदारी	156–157
253	एक व्यक्ति के तैनाती स्टेशन के अलावा, अन्य स्थान को या स्थान से यात्रा करना	157
254	विदेशों से और विदेश को, संचलनों के लिए प्रासंगिक खर्चे	157–164
255	विदेश जा रहे सेना कार्मिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सवारी	164
256	रेल तथा सड़क द्वारा विदेश यात्रा कर रहे भारतीय नौकरों की सवारी की हकदारियां	164
257	विदेश में मिशनों में सेवारत अफसरों के निजी नौकरों का संप्रत्यावर्तन	164–166
258	तैनाती/प्रतिनियुक्ति/विदेश में पाठ्यक्रम पर सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की दरें	166
259	निजी सामान को ले जाना	166–171
259–अ.	हवाई मार्ग द्वारा, सिविलियनों के लिए सामान का मापक्रम	171–172
260	निजी कार की परिवहन — सेना अफसरों	172–174
261	विदेश से अनुदेशीय पाठ्यक्रम/ड्यूटी से वापसी पर मोटर का परिवहन	174–175
262	तैनाती के अलावा, ड्यूटी पर भारत बाह्य जा रहे अफसरों के परिवार को ले जाना	175–176
263	सामान्य नियम (अस्थाई ड्यूटी यात्राएं)	176–177
264	रेल/समुद्र/हवाई मार्ग द्वारा यात्रा	177–178
265	सड़क मार्ग द्वारा यात्रा	178–182
266	सरकारी अभिलेखों को ले जाना	182
267	विशिष्ट आगंतुकों/प्रतिनिधियों/स्थानान्तरण पर स्टाफ के सदस्यों के आगंता या निर्गामी पर अगवानी/विदाई के लिए सवारी/यात्रा–भत्ता	183
268	दैनिक–भत्ता (नकद भत्ता)	183–185
268–अ.	सेना अधिकारियों/कार्मिकों के विदेश में मिशन/पोस्ट में उनके प्रथम आगमन पर होटल में रहने के लिए नकद–भत्ते की भुगतान	185–186
269	मार्ग में विरामों के दौरान दैनिक–भत्ता	186–190
270	बंदरगाहों पर जहाज से चढ़ाने / उतारने के दौरान, रोक देने पर दैनिक–भत्ते की हकदारी	190
270–अ.	विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों पर तैनात सेना कार्मिकों को जब उनके साथ परिवार होता है, तब भारत में बन्दरगाह/हवाई अड्डे पर प्रवर्तन विरामों के दौरान वास्तविक आवास व्यय की प्रतिपूर्ति	190
271	इंग्लैण्ड में प्रशिक्षणाधीन सेना कार्मिकों को छुट्टी यात्रा रियायत	190

नियम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
271–अ.	विदेशों में राजनयिक मिशनों/पोस्टों पर तैनात सेना कर्मिकों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत	191
272	विदेशों में मिशनों/पोस्टों पर सेवारत रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान पाने वाले सेना कार्मिकों और सिविलियनों के संबंध में गृह छुट्टी यात्रा/आपातकालीन छुट्टी यात्रा	191–195
273	परिवार के सदस्यों को चिकित्सा आधार पर सवारी	196
274	विदेशी राष्ट्रों में, छुट्टी की समयावधि में चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिए गए सेना अफसरों को यात्रा खर्च	196
275	जो विदेशों में विवाह करते हैं उन सेना कार्मिकों के परिवारों को सवारी	196
276	संतान के लिए अवकाश यात्रा व्यय	196–202
277	जब सेना अफसर की मृत्यु विदेशों में सेवारत रहते होती है, तब परिवार के सामान और नौकर को ले जाना	203–204
278	जब सेना कार्मिकों की विदेश में सेवारत रहते मृत्यु होती है, तब परिवार और सामान को ले जाना	204
279	परिवार और सामान को ले जाना, जब विदेशों में सेवारत रहते सिविलियनों की मृत्यु होती है	204

परिशिष्टों

परिशिष्ट I	सक्षम प्राधिकारी	205–207
परिशिष्ट II	नियंत्रण अफसर	208–211
परिशिष्ट III	प्राधिकारी जिन्हें ड्यूटी पर संचलन का आदेश देने की शक्तियां मिली हुई हैं	212–244
परिशिष्ट IV	अफसरों जिनको उनके यात्रा–भत्ते के दावे को नियंत्रण अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत करने की अनुमति है	245–246
परिशिष्ट V	जमानत बंध–पत्र का प्रपत्र	247–248
परिशिष्ट VI	प्राधिकारी जो वायुयान द्वारा यात्रा को संस्वीकृत कर सकते हैं	249
	रिक्त	249
रिशिष्ट VII	परिचरों के संचलनों की संस्तुति और संस्वीकृति के लिए चिकित्सा प्राधिकारी	250
परिशिष्ट VIII	क्षतिपूर्ति बंध–पत्र का प्रपत्र	251–252
परिशिष्ट IX	सवारी–भत्तों	253
परिशिष्ट X	व्यक्तियों जिनको प्राधिकार है रेल और सड़क वारंटो, मांग–पत्रों और सैनिक साख–पत्रों को जारी करने का	254–258
परिशिष्ट XI	प्राधिकारी जो वाहन पर पुनःग्रहणाधिकार को बढ़ाने को संस्वीकृत कर सकते हैं	259

संक्षेप

ए0डी0ई0एम0ई0	सहायक निदेशक, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी
ए0डी0एम0एस0	सहायक निदेशक, चिकित्सा सेवा
ए0डी0आर0वी0एस0	सहायक निदेशक, अश्व और पशु चिकित्सा सेवा
ए0डीएम0एफ0	सहायक निदेशक, सैनिक फार्म
ए0ओ0ए0	प्रभारी वायु अफसर प्रशासन
ए0ओ0सी0इन0सी0	वायु अफसर कमाडिंग–इन–चीफ
ए0ओ0सी0	सेना आर्डनेन्स कोर
ए0एम0ई0	प्राधिकृत विवाहित स्थापना
ए0ई0ई0	सहायक कार्यपालक इंजीनियर
ए0एस0सी0	सेना सेवा कोर
ए0आई0आर0ओ0	ए0 आई0 आर0 ओ0
बी0/आर0	भवन/सड़कें
बी0/एस0	बैरक/सामान
सी0ए0ओ0	मुख्य प्रशासनिक अफसर
सी0ए0एस0सी0	कमांडर, सेना सेवा कोर
सी0ई0एम0ई0	कमांडर, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी
सी0ओ0ओ0	मुख्य आर्डनेंस अफसर
सी0पी0ओ0	चीफ पेटी अफसर
सी0डब्लू0ई0	कमांडर, निर्माण कार्य इंजीनियर
डी0ए0डी0एम0ई0	उप–सहायक निदेशक, यांत्रिक इंजीनियरी
डी0ए0डी0आर0वी0एस0	उप–सहायक निदेशक, अश्व और पशु चिकित्सा
डी0ई0एम0ई0	निदेशक विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी
डी0जे0ए0जी0	उप–जज एडवोकेट जनरल
डी0जी0ए0एफ0एम0एस0	महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
डी0डी0एम0एस0	उप–निदेशक, चिकित्सा सेवा
डी0डी0एम0एफ0	उप–निदेशक, सैनिक फार्म
डी0डी0आर0वी0एस0	उप–निदेशक, अश्व और पशु चिकित्सा सेवा
डी0एस0सी0	रक्षा सुरक्षा कोर
डी0जी0ओ0एस0	महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा
डी0जी0ओ0एफ0	महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी
डी0एम0एस0	निदेशक, चिकित्सा सेवा

डी0आई0लिस्ट	संकट रोगी सूची
ई0/एम0	बिजली/मशीन
ई0एम0ई0	विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर
ई0एस0डी0	इंजीनियरी सामान डिपो
जी0टी0	सामान्य परिवहन
आई0एन0एच0एस0	भारतीय नौसेना अस्पताल जहाज
आई0एन0एस0	भारतीय नौसेना जहाज
जे0सी0ओ0	कनिष्ठ कमीशन अफसर
एल0एच0 एण्ड डी0	भूमि, भाड़ा और निपटान
एल0टी0सी0	छुट्टी यात्रा रियायत
एम0एन0एस0	सैनिक परिचर्या सेवा
एम0ई0एस0	सैनिक इंजीनियरी सेवा
एम0डब्लू0ओ0	मास्टर वारंट अफसर
एम0ओ0	चिकित्सा अफसर
एम0सी0पी0ओ0	मास्टर चीफ पेटी अफसर
एन0सी0सी0	राष्ट्रीय कैडेट कोर
एन0सी0ओ0	गैर–कमीशन अफसर
एन0सी0;ईद्ध	अयोद्धी (नामांकित)
ओ0सी0	कमान अफसर
ओ0आर0	जवान
पी0ओ0एल0	पेट्रोल, तेल और चिकनाई
पी0एम0ओ0	प्रधान चिकित्सा अफसर
पी0एस0ओ0	प्रधान स्टाफ अफसर
आर0ओ0	भर्ती अफसर
आर0वी0सी0	अश्व एवं पशु चिकित्सा सेवा
एस0पी0आर0	चुना हुआ निवास स्थान
एस0आई0 लिस्ट	सख्त बीमार सूची
टी0डी0ई0	तकनीकी विकास स्थापना
डब्लू0ओ0	वारंट अफसर
वी0आई0पी0	अति विशिष्ट व्यक्ति

अध्याय एक

सामान्य नियम

1. कार्मिकों की श्रेणियां, जिन पर ये नियम लागू होते हैं

खण्ड (घ) और नीचे दी गई टिप्पणी में उल्लिखित अपवादों के अधीन नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:

(क) ऐसे सभी कार्मिक जिन्हें भारत की सीमा के अन्दर अथवा विदेश की यात्रा के लिए "रक्षा सेवा प्राक्कलन" से भुगतान किया जाता है।

(ख) जिस समय थलसेना/नौसेना/ वायुसेना रिजर्व का कोई अधिकारी थलसेना/नौसेना/वायुसेना द्वारा गठित कोर्ट मार्शल/जांच अदालत या इसी प्रकर के किसी निकाय द्वारा गवाह के रूप में बुलाया जाए ।

(ग) किसी संविदा के अधीन कार्य कर रहे व्यक्ति, यदि संविदा की शर्तों का उल्लंघन न होता हो।

(घ) (i) जिस समय प्रादेशिक सेना के कार्मिक, "प्रादेशिक सेना अधिनियम के पैरा 33" के अन्तर्गत शामिल किए जाएं और जब थल सेना/ नौसेना/वायुसेना रिजर्व के अधिकारियों को अपने–अपने संबंध अधिनियमों के अधीन थलसेना/नौसेना/वायुसेना की सेवा के लिए बुलाया जाए ।

(ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित को छोड़कर, प्रादेशिक सेना के कार्मिकों और थल सेना रिजर्व के अफसरों का सामान्य संचलन, अधिकारियों का सामान्य रूप से आना कमशः प्रादेशिक सेना के विनियमों और मूल थल सेना रिजर्व अफसरों के विनियमों से नियन्त्रित होगा ।

(iii) प्रादेशिक सेना की यूनिटों के साथ सेवा करने वाले नियमित सेना के सदस्यों की यात्रा–हकदारी प्रादेशिक सेना के विनियमों और थल सेना रिजर्व अफसरों के विनियमों से नियंत्रित होगी जब इन विनियमों से उनका विभेद हो।

टिप्पणी: रक्षा सम्पदा विभाग में कार्य कर रहे कार्मिक, (महानिदेशक, रक्षा सम्पदा के मुख्यालय में कार्य कर रहे कार्मिकों को छोड़कर) अनुपूरक नियमों के अनुसार यात्रा करेंगे।

2. परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से असंगति न हो, इन नियमों में निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

(क) वास्तविक यात्रा खर्च : इस शब्द का अभिप्राय व्यक्ति विशेष, परिवार के घरेलू नौकर (नौकरों) और सामान के परिवहन की लागत से है इसमें चाहे घाटे के प्रभार और टोल (चौकी चुंगी को छोड़कर) और मजदूरों का प्रभार भी शामिल हैं इसमें अल्पाहार, भोजन, आवास व्यवस्था अथवा प्रासंगिक खर्च/हानि तथा किसी अतिरिक्त नौकर जैसे अन्य दूसरे भत्ते शामिल नहीं होंगे।

(ख) वायुसेना अधिकारी: वायु सेना का एक अधिकारी, वायुसेना का ऐसा अधिकारी होता है जो एयर कमाडोर अथवा उससे उपर का पद धारण किए होता है ।

(ग) वायु सैनिक : इस शब्द का अभिप्राय, वायुसेना अधिनियम के अधीन वायुसेना में कार्यरत व्यक्ति (कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अलावा) से है जिसमें मास्टर वारन्ट अफसर और वह व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में अवैतनिक रैंक में रखा जाता है। लेकिन इस शब्द में प्रशिक्षु शामिल नहीं होंगे ।

(घ) प्राधिकृत अनुदेशों के पाठ्यक्रमः प्राधिकृत अनुदेशों के पाठ्यक्रम का तात्पर्य, विनियमों द्वारा प्राधिकृत अथवा सरकार द्वारा विशेष रूप से मंजूर किए गए किसी भी पाठ्यक्रम अथवा शिक्षण कक्षा या पुनश्चर्या पाठ्यकम से है।

(ङ) सैन्य दल : किसी भी सैन्य दल से तात्पर्य उस दल से होता है, जिसमें दो या उससे अधिक सैनिक कार्मिक होते हैं, जिसमें आवश्यक रूप से जूनियर कमीशन अफसर/जवान/वायु सैनिक (मास्टर वारन्ट आफिसर/वारन्ट आफिसर सहित), नौसैनिक (मास्टर ई0 पी0 ओ0 (I) एवं (II) सहित) शामिल होने चाहिए। एक टुकड़ी बनाते समय प्रेषण अधिकारी विशिष्ट रूप से एक कमान अधिकारी की नियुक्ति करेगा जिसका उल्लेख संचलन आदेश में कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: इन विनियमों के अधीन वे सक्षम प्राधिकारी जिन्हें किसी निरीक्षण कार्य के लिए स्टेशन से बाहर रहना पड़ता है, उन्हें सैन्य दल के रूप में नहीं समझा जाएगा, भले ही उनके साथ एक या उससे अधिक सिपाही/वायु सैनिक/नौसैनिक जाते हों।

(च) सिविलियन : इस शब्द का तात्पर्य, रक्षा मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन वर्ग समूह क, ख, और ग (शामिल हैं, बहु कार्यकारी कर्मचारी यथा एम॰टी॰एस॰) के सिविलियन सरकारी कर्मचारी से है जिनमें निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारी अयोधी (अनामांकित) और अनुशासन के प्रयोजन से नामांकित किए गए कार्मिक शामिल हैं, लेकिन जो सैनिक रियायत के लिए हकदार न हों। इसमें अयोधी (नामांकित) और निजी कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

(छ) सक्षम अधिकारी : इस शब्द का तात्पर्य, सरकार अथवा ऐसे किसी भी अधिकारी से है जिसे सरकार द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों। ऐसे सक्षम अधिकारियों की सूची, जो यात्रा विनियमों (केवल उन्हीं मामलों को छोड़कर जहां सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख उसमें दिए गए किसी नियम में विशिष्ट रूप से किया गया हो) के नियमों के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी भी शामिल हैं, को इन विनियमों के परिशिष्ट (I) में दिया गया है ।

(ज) सक्षम वित्तीय प्राधिकारी : इस शब्द का तात्पर्य, ऐसे प्राधिकारी से है जिसकी वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत संबंधित राशि आती हो (देखें, वित्तीय विनियमावली भाग–(I))

(झ) नियंत्रण अधिकारी : नियंत्रण अधिकारियों की सूची परिशिष्ट (II) में दी गयी है ।

(ट) वाहन : जब तक अन्यथा कथित न हो, इस शब्द का तात्पर्य, समुद्री, रेल, सड़क अथवा वायुमार्ग द्वारा सरकारी व्यय पर किये गये वाहन से है ।

(ठ) दैनिक–भत्ता : इस शब्दका तात्पर्य उस भत्ते से है जो मुख्यालय/स्थायी ड्यूटी स्टेशन से बाहर जाकर कार्य करने के लिए दिया जाता है जिससे व्यक्ति द्वारा बाहर जाकर कार्य करने के समय किए गये सामान्य दैनिक प्रभारों को पूरा किया जा सके ।

(ड) प्रेषण अधिकारी : प्रेषण अधिकारी का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो सैन्य दल अथवा किसी भी सिपाही/नौसैनिक/वायुसैनिक को रेल द्वारा भेजने के लिए जिम्मेदार होता है अर्थात् ऐसे स्टेशनों पर जहां पर ऐसा अधिकारी होता है संचलन नियंत्रण अफसर (एम सी ओ) और दूसरे मामलों में सदस्यों की दस से अधिकसंख्या वाली पार्टी के लिए स्टेशन का अफसर कमांडिंग/पोत/स्थापना का कमांडिंग अफसर तथा दस और उससे कम सदस्यों की पार्टी के लिए स्टेशन का अफसर कमांडिंग/पोत/स्थापना का कमांडिंग अफसर तथा दस और उससे कम सदस्यों की पार्टी के लिए यूनिट का अफसर कमांडिंग/पोत/स्थापना का कमान अफसर ।

(ढ) ड्यूटी : इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी भी कार्मिक का "ड्यूटी पर" तभी माना जाएगा जब वह लोक सेवा के हित में हो, न कि किसी के अनुरोध पर या निजी सुविधा के लिए या अपने अवसर के कारण इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट यात्रा कर रहा हो । फिर भी, एरिया अथवा स्वतन्त्र उप–एरिया कमांडर अथवा सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से किसी भी कार्मिक को कारण स्थानान्तरित कर सकता है । अवसर के लिए स्थानांतरित व्यक्ति को ड्यूटी पर यात्रा करने की अनुमति दे सकता है ।

टिप्पणी 1: किसी भी बाह्य स्थान पर जांच अदालत अथवा कोर्ट मार्शल में उपस्थित होने के लिए चाहे अभियुक्त के रूप में हो, सेवा के किसी भी अफसर की यात्रा को अवचार के लिए स्थानान्तरण पर की यात्रा के बराबर नहीं माना जा सकता। जब तक अधिकारी के निवेदन पर जांच, स्टेशन के बाहर नहीं की जाती तो तब तक ऐसी यात्रा "ड्यूटी" शब्द के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत समझी जाएगी और यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता और दैनिक–भत्ता देय उसी के अनुसार विनियमित किया जाएगा। पूर्ति यह है, शर्त यह है कि संचलन की विधिवत मंजूरी कोई ऐसा प्राधिकारी दे जिसे इन विनियमों के परिशिष्ट (I) के अधीन संचलन का आदेश देने की शक्तियां मिल चुकी हों ।

टिप्पणी 2: व्यक्ति के अपने अनुरोध पर किया गया स्थानान्तरण "सार्वजनिक हित" में किया गया स्थानान्तरण समझा जाएगा, यदि सक्षम प्राधिकारी किन्हीं विशेष कारणों से ऐसा निदेश दे जिसे रिकार्ड किया जाना चाहिए।

(त) पोतारोहण अधिकारी : इस शब्द का तात्पर्य पोतारोहण कमान्डेन्ट से है और जहां पर कोई पोतारोहण कमांडेन्ट नहीं है, वहां एरिया, सब–एरिया अथवा ब्रिगेड कमांडर से है, जिनके अधीन पोतारोहण पत्तन होता है, भारतीय नौसेना के लिए प्रत्येक पत्तन में वरिष्ठ नौसेना प्राधिकारी, पोतारोहण प्राधिकारी होता है।

(थ) परिवार :

(i) परिवार से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसा भी प्रकरण हो और दो उत्तरजीवी अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे, जो पूर्णतः सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों, इस बात का विचार किए बिना, चाहे वह सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं या नहीं।

(ii) इसमें शामिल हैं, विवाहित पुत्रियां जिनका तलाक हो चुका है, परित्यक्त या पति से विलग हैं और सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही हैं और पूर्णतः सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हैं।

(iii) माता–पिता और/या सौतेली माता जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहती हैं और पूर्णतः उस पर आश्रित हैं ।

(iv) अविवाहित अवयस्क भाई व साथ ही अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, अपने पति से विलग या विधवा बहनें, जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहती हैं और पूर्णतः उस पर आश्रित हैं,

बशर्ते उनके माता–पिता या तो जीवित नहीं हैं या वे स्वयं पूर्णतः सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हैं।

टिप्पणी 1: आश्रितता की परिभाषा को केन्द्रीय सरकार में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन निर्धारित और उस पर मंहगाई राहत से जोड़ा जाएगा । अन्य रिश्तों के संदर्भ में जो शामिल हैं परिवार में, सम्मिलित हैं विविहित / तलाकशुदा/ परित्यक्त / विलग / विधवा पुत्रियां, अभी मौजूद शर्तें मान्य रहेंगी ।

टिप्पणी 2: माता–पिता और/या सौतेले माता–पिता (सौतेली माता और सौतेले पिता) जो पूर्णतः सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हैं, उन्हें परिवार की परिभाषा में एल टी सी के प्रयोजन से शामिल माना जाएगा, इस बात का विचार किए बिना, चाहे वह सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं या नहीं ।

टिप्पणी 3: केवल दो उत्तरजीवित बच्चों या सौतेले बच्चों तक ही सीमित रियायत को लागू नहीं किया जाएगा, के संदर्भ में (i) उन सैनिक कर्मचारियों पर, जिनके पहले से ही दो से अधिक बच्चे हैं, इस प्रतिबंध के लागू होने के पहले से, यथा 01–10–2006, (ii) उस साल की अवधि में पैदा हुए बच्चे जिस साल यह प्रतिबंध लागू किया गया, (iii) जहां दूसरे बच्चे के पैदा होने के फलस्वरूप, बहु–जन्मता के परिणाम स्वरूप बच्चों की संख्या दो से अधिक होती हो ।

टिप्पणी 4: इन नियमों के प्रावधान हेतु, शब्द "परिवार" में, एक पत्नी से अधिक नहीं, को शामिल किया गया है। लेकिन, यदि एक सरकारी कर्मचारी की दो कानूनन विवाहित पत्नियां हैं और दूसरा विवाह सरकार की विशेष अनुमति से हुआ है, तब दूसरी पत्नी को भी "परिवार" की परिभाषा में शामिल किया जाएगा ।

टिप्पणी 5: उपर दिए नियम के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता में, तलाकशुदा, परित्यक्त, अपने पतियों से विलग या विधवा बहनों के बच्चों को "परिवार" की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है ।

(द) भारतीय सीमाएं : इस शब्द का तात्पर्य, भारत के भू–भाग से है जिसमें संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ध) जूनियर कमीशन अफसर (जेसीओ) और उनके समतुल्य : सेना के जूनियर कमीशन अफसरों के समतुल्य में सेना डाक सेवा के वारन्ट आफिसर, नौसेना के मास्टर चीफ पेट्टी आफिसर/चीफ पेट्टी के आफिसर और वायु सेना के मास्टर वारन्ट आफिसर/वारन्ट आफिसर और जूनियर वारन्ट आफिसर शामिल हैं ।

(न) मुख्य मार्ग : इस शब्द का अभिप्राय उस सबसे सुविधाजनक मार्ग से है, जो सार्वजनिक यात्रा के लिए सामान्य तौर पर चुना जाता है ।

(प) मील–दूरी भत्ता : इस शब्द का अभिप्राय, उस भत्ते से है, जो की गयी यात्रा की दूरी पर निकाला जाए। यह भत्ता, किसी विशेष प्रकार की यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दिया जाता है ।

(फ) अयोधी (नामांकित): इस शब्द का अभिप्राय, शिल्पकार और कारीगर (ट्रेडमैन) इत्यादि की श्रेणी के नामांकित कार्मिकों से है ।

(ब) वेतन : यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की हकदारियों को ग्रेड वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।

टिप्पणी: सेना कार्मिकों और सिविलियनों के मामलों में, जिसने पूर्व–संशोधित वेतनमान को रखने का विकल्प दिया है, तदनुसार 01–01–2006 को पद पर कार्यरत वेतनमान का ग्रेड वेतन, इन नियमों के अंतर्गत, यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की हकदारियों का निर्धारण करेगा । किन्तु, सामासिक स्थानांतरण अनुदान के निर्धारण हेतु, 01–01–2006को लागू आदेशों के अनुसार, इन सेना कार्मिकों और सिविलियनों के लिए, यह शब्द वेतन पूर्व–संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के अतिरिक्त, गतिरोध वेतन वृद्धियों, मंहगाई–भत्ते और गैर–व्यवसायिक भत्ते को भी शामिल करेगा।

(भ) निजी नौकर : इस शब्द का तात्पर्य कार्मिकों, यूनिटों, विभागों और सेवाओं के उन सभी नौकरों से है, जिन्हें राज्य द्वारा वेतन न दिया जाता हो।

(म) नौसैनिक : इस शब्द का तात्पर्य (अधिकारी को छोड़कर) नौसेना अधिनियम के अधीन, नौसेना सेवा में नियुक्त व्यक्ति से है ।

(य) सैनिक : यह शब्द "सैनिक" का अभिप्राय, अफसर रैंक से नीचे (कनिष्ठ) कार्मिकों से है । यह शब्द ब्वायज (लड़कों) को शामिल नहीं करता है।

(र) यात्रा–भत्ता : इन निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के यात्रा–भत्तों को विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा आहरित किया जा सकता है :

(क) किराया ।

(ख) घरेलू सामान के स्थानांतरण की लागत राशि।

(ग) निजी वाहन के स्थानांतरण की लागत राशि।

(घ) सामासिक स्थानांतरण अनुदान।

(च) वाहन–भत्ता ।

(छ) दैनिक–भत्ता ।

(ज) मील–दूरी भत्ता ।

3. शक्तियों का प्रत्यायोजन

(क) सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियां, वैयक्तिक होती हैं और स्टाफ अधिकारी विशिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के लिए अथवा उसकी ओर से, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते । यदि स्थायी पदाधिकारी, वार्षिक छुट्टी अथवा अन्य दूसरी छुट्टियों पर होने के कारण अनुपस्थित हो तो उसकी शक्तियां उसके "स्थानापन्न" अथवा उसके पद पर कार्य करने वाले/कार्यकारी पदधारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, इस्तेमाल की जा सकती हैं।

टिप्पणी: यदि दौरे पर जाते समय सक्षम प्राधिकारी अनुपस्थित रहता है तो वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को अपनी ओर से पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति दे सकता है । लेखा–परीक्षा अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर को स्वीकार करेगा, यह मानकर कि आदेशों का अनुमोदन वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा दिया गया है, शर्त यह है कि हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी "दौरे पर अनुपस्थित" के लिए हस्ताक्षर करे।

(ख) लेकिन, एक सक्षम प्राधिकारी, एक पदासीन चुनिंदा स्टाफ अधिकारी या प्रथम ग्रेड नियुक्ति में स्थानापन्न यथा लेफ्टिनेंट कर्नल एवं उच्च और उनके समकक्ष नौसेना और वायुसेना में, को अपने 'मार्फत' हस्ताक्षर की अनुमति दे सकता है। परन्तु, ऐसे मामलों में, चुनिंदा स्टाफ अधिकारी के नाम को संबंधित लेखा अधिकारी को संचरित करना होगा, जो कनिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर को स्वीकार करेगा, यह निहित मानकर कि आदेशों को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

(ग) लेकिन सक्षम प्राधिकारी, अपने लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के इस्तेमाल में जारी किए गए किसी भी आदेश के लिए व्यक्तिगत रूप से और पूर्णतया जिम्मेदार होगा ।

(घ) जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति प्रदान की गयी उसे छोड़कर नियन्त्रण अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करने का कार्य अपने अधीनस्थ को नहीं देगा। यदि वह इस कार्य के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करता है तो इसकी जिम्मेदारी नियंत्रण अधिकारी की होगी।

टिप्पणी: जिस अधीनस्थ अधिकारी को नियन्त्रण अधिकारी द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, उसके नाम का उल्लेख, अनुमति देने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेशों में, करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि उस अधिकारी की विशिष्ट नियुक्ति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं का उल्लेख किया जाता है, तो यह भी पर्याप्त होगा ।

4. प्राधिकारी, जिन्हें संचलन प्राधिकारी करने का अधिकार प्राप्त है, और उनकी जिम्मेदारियां

(i) ड्यूटी पर संचलन का आदेश देने की शक्तियां जिन अधिकृत प्राधिकारियों को मिली हों उन्हें परिशिष्ट III में दिखाया गया है ।

(ii) सक्षम प्राधिकारी, किसी सम्मेलन में अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए ड्यूटी पर उपस्थित हो जो किसी विशिष्ट नियम या आदेश के अंतर्गत नहीं आता, के लिए किसी व्यक्ति का संचलन प्राधिकृत कर सकता है कि सबसे पहले वह स्वयं इस बात से संतुष्ट हों कि इस प्रकार का संचलन सार्वजनिक हित में है और उन नियमों के उन सिद्धान्तों के विरूद्ध नहीं है जो यात्रा–भत्ता की मंजूरी को नियन्त्रित करते हों । ऐसे किसी भी मामले का ध्यान में लाने का कार्य लेखा–परीक्षा अधिकारियों को देगा जिसमें वे समझे कि शक्ति का समुचित प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया गया है ।

(iii) जो अधिकारी सरकारी व्यय पर सवारी की व्यवस्था अथवा यात्रा वारन्ट जमा–पत्र अथवा रियायती वाउचर या यात्रा–भत्ता जारी करने की मंजूरी देता है, वह इस बात के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उसका कार्य इन नियमों द्वारा प्राधिकृत हो, कोई भी अतिरिक्त व्यय जो सवारी की अनधिकृत व्यवस्था के कारण अथवा यात्रा वारन्ट या जमा–पत्र या रियायती वाउचर या यात्रा–भत्ता के अनियमित रूप से जारी करने के कारण यदि राज्य पर अतिरिक्त खर्च पड़ता है तो उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, जिसे वाहन की मंजूरी से लाभ हुआ, अथवा व्यय को इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी से वसूल किया जाएगा।

(iv) किसी भी परिस्थिति में वाहन को इस शर्त पर प्राधिकृत न किया जाए कि लाभ उठाने वाला व्यक्ति उसके व्यय को वापस कर देगा, यदि लेखा परीक्षा में उस पर आपत्ति उठाई जाएगी।

(v) नियमों के निर्वचन से संबंधित सन्देहास्पद मामलों को आवश्यक रूप से संबंधित रक्षा लेखा नियन्त्रकों और "जहां" आवश्यक हो सेना/नौसेना/वायुसेना मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए।

5. नियमों में विशेष रूप से शामिल न किए गए छोटे–मोटे यात्रा–भत्ता दावों को मंजूर करने की शक्तियां

नियमों में विशेष रूप से शामिल न किए गए छोटे–मोटे यात्रा–भत्ता दावों के निपटान के लिए मूल नियमावली भाग–I का नियम 61 देखिए ।

टिप्पणी: यात्रा विनियमावली के परिशिष्ट (I) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, ऐसे छोटे–मोटे यात्रा–भत्ते दावे जो नियमों में विशेष रूप से शामिल न किए गए हों, के संबंध में सैनिक कार्मिक को ऐसे यात्रा–भत्ता दावों की मंजूरी कर सकता है जिसकी राशि 200 से अधिक न हो ।

6. नियंत्रण अधिकारी — यात्रा–भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर

यात्रा–भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर ऐसे मामलों में जहां, परिशिष्ट III के अधीन संचलन की मंजूरी देने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी द्वारा संचलन को प्राधिकृत किया गया हो और संचलन आदेश की प्रमाणित प्रति, दावे के साथ लगायी गयी है, तो जहां यात्रा कर रहे व्यक्ति के स्थानीय वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिनका ब्यौरा इस विनियामवली के परिशिष्ट II में दिया गया है।

7. ऐसे अधिकारी जिनको नियन्त्रण अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना ही यात्रा–भत्ता दावों को प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, का उल्लेख इस विनियामावली के परिशिष्ट IV में किया गया है ।

8. नियन्त्रण अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित करते समय यात्रा भत्ता बिलों में (आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की एक प्रति द्वारा प्रमाणित) यात्रा आदेश और यात्रा–भत्ता की अपेक्षित पेशगी का प्राधिकार तथा अन्त में दावा शामिल होना चाहिए ।

9. नियन्त्रण अधिकारियों की ड्यूटी और उनकी शक्तियां

किसी भी यात्रा–भत्ता बिल के उपर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व नियन्त्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य होता है कि :

(क) उस यात्रा और पड़ावों की आवश्यकता, बारम्बारता और अवधि की संवीक्षा करें जिसके लिए यात्रा–भत्ता का दावा किया गया है, और यदि वह यह समझे कि यात्रा करना अनावश्यक थी अथवा अनुचित रूप से लम्बी या पड़ाव की अवधि बहुत अशक्य थी तो यात्रा अथवा पड़ाव के लिए दावा किए गए पूर्ण यात्रा–भत्ता को या उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकता है ।

टिप्पणी: नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपर्युक्त के अनुसार यात्रा–भत्ता दावों की जॉच करने के लिए संबंधित व्यक्ति उसके साथ अस्थायी ड्यूटी स्टेशन के कमान–अधिकार अधिकारी का प्रमाण–पत्र उसके साथ संलग्न करेगा, जिसमें इन दावों में शामिल अवधियों के दौरान प्राप्त राज्य के आतिथ्य का ब्यौरा दिया गया हो ।

(ख) अराजपत्रित अधिकारियों, विशेष रूप से आशुलिपिकों, निजी सहायकों और बहुकार्यकरी सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह देखें कि, यात्रा के ब्यौरे उस राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए हों, जिसके अनुदेशों से यात्रा के ब्यौरे उस राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए हों, जिसके अनुदेशों से यात्रा की गयी हो।

(ग) यात्रा–भत्ता बिल में दर्ज किए गए यात्रा–दूरी की ध्यानपूर्वक छानबीन करें।

(घ) स्वयं इस तथ्य से सन्तुष्टि कर लें कि :

(i) नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य रेलवे अथवा स्टीमर द्वारा तय की गयी यात्राओं के भाड़ा का दावा वास्तविक रूप से इस्तेमाल की गयी स्थान की श्रेणी के लिए लागू दर पर ही किया गया हो ।

(ii) जहां कहीं और जब कभी सम्भव हो, बिल में प्रभारित यात्रा अथवा यात्राओं के लिए रियायती वापसी टिकटों को खरीदा गया था।

(iii) जहां इन नियमों के अधीन, व्यक्तिगत सामान भेजने की वास्तविक लागत का दावा किया गया है, वहां ऐसी लागत जिस पर ऐसा सामान भेजा गया था, उचित थी ।

(iv) मासिक सीजन रेल टिकट, रोज के भाड़े अथवा सड़कद्वारा मील दूरी के भाड़े, जो व्यक्ति को अन्यथा स्वीकार्य होगा, की अपेक्षा कम खर्चीला होता है।

(ड़) ऐसे किसी भी सहायक नियमों अथवा आदेशों का पालन करें, जो सक्षम प्राधिकारी उसके मार्गनिर्देशन के लिए बनाए।

(च) संदेहापूर्ण मामालों को उच्च प्राधिकारी के संज्ञान में लाकर, यह निश्चित करना कि किसी विशेष यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता किस मान से आहरित किया जाए ।

(छ) स्वयं इस तथ्य से सन्तुष्टि करें कि सिपाहियों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों, अयोधी (नामांकित) और बालकों के संबंध में नियम 184 (xviii) के अधीन जारी किए जाने, योग्य रेलवे वारन्टों की लागत की प्रतिपूर्ति के दावों का समर्थन दस्तावेजी प्रमाण से किया जाता है, और उन पर टिकट संख्या भी दिखायी जाए।

(ज) स्वयं को इस तथ्य से सन्तुष्ट करें कि ऐसे मामलों में जहां नियम 208 के अधीन प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया गया है दावेदार और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अपने गृह नगर अथवा अन्य दूसरे स्थानों जहां वह बस जाने के इरादे से गया हो, का वास्तविक रूप से यात्रा की गयी हो, अर्थात् किसी सामान, सवारी आदि के परिवहन से सम्बन्धित मूल रेलवे वाउचरों को प्रस्तुत करने के लिए कहें ।

टिप्पणी: नियन्त्रण अधिकारी से जिस आवश्यक जांच की आशा की जाती है यदि वह उस प्रत्याशित जांच में असफल होता है और उसके परिणाम स्वरूप किसी को अधिक भुगतान होता है तो वह इसके लिए निजी रूप से जिम्मेदार माना जाएगा ।

10. यात्राओं का वर्गीकरण

ऐसे सभी संचलन जिसके लिए इन विनियमों के अधीन सरकारी व्यय पर सवारी प्राधिकृत है उन्हें निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) स्थायी, अथवा

(ख) अस्थायी ।

यह वर्गीकरण संचलन का आदेश देने वाले प्राधिकारी के इस अनुमान पर आधारित होगा कि स्थानान्तरित किया गया व्यक्ति उस स्टेशन में जहां उसके स्थानान्तरण का आदेश हुआ है, 180 दिन तक अथवा 180 दिनों से अधिक ड्यूटी करेगा ।

11. रिक्त

12. किसी व्यक्ति का एक पद से दूसरे पद में परिगमन की स्थिति में उसका वह ग्रेड होगा जिसके दोनों पदों में से जो पद उसे हकदार बनाए ।

13. परिवारों का भी वही ग्रेड होगा जो परिवार के मुखिया का होगा ।

14. पूर्व व्याप्ति सहित पदावनति अथवा पदोन्नति पर यात्रा–भत्ते का परिशोधन

ऐसा व्यक्ति जो पूर्व व्याप्ति के साथ पदोन्नत किया गया हो/बढ़ी हुई दर पर वेतन वृद्धि के लिये स्वीकृत किया गया हो। वार्षिक वेतन वशद्धि सहित। या जिसकी पदावनति की गयी हो की यात्रा और उस तारीख के बीच परिशोधित नहीं किया जाना चाहिये जो बढ़ी दर पर वेतन की संस्वीकृति। वार्षिक वेतन वृद्धि/पदावनति के तारीख और इस तारीख के बीच आती हो। जिसकी अधिसूचना दी गयी हो । लेकिन यात्रा–भत्ता तब परिशोधित किया जा सकता है जब अधिसूचना में ड्यूटी का परिवर्तन शामिल हो । यात्रा, भत्ते के उन सभी मामलों में लेखा परीक्षा अधिसूचना निकलने से पहले की गई हो। लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को सरकारी तौर पर ज्ञात तथ्यों से मार्गदर्शन लेना चाहिये । परन्तु यदि पदोन्नति, बढ़ी दर वेतन की मंजूरी ।वार्षिक वेतन वृद्धि सहित।/पदावनति की सूचना के पूर्व यात्रा–भत्ता दावों को प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा उनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है तो लेखा परीक्षा प्राधिकारी अधिसूचना की पूर्व व्याप्ति को मान लेंगे ।

ऐसे व्यक्ति का परिवार स्वयं उस व्यक्ति को अनुमत ग्रेड के अनुसार यात्रा–भत्ते के लिये हकदार होगा चाहे उस व्यक्ति का परिवार निर्धारित अवधि के अंदर स्वयं उस व्यक्ति के साथ यात्रा के लिये जाए अथवा उसके बाद ।

15. प्रदान की गयी सवारी का उपयोग न करने पर जुर्माना

(क) यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत प्रदान की गयी सवारी का इस्तेमाल नहीं करता है और इस कारण राज्य को हानि होती है तो उस राशि को संबंधित व्यक्ति द्वारा वसूल कर लिया जाएगा यदि उस संबंधित व्यक्ति या महिला का उक्त सवारी का उपयोग न करना उस परिस्थिति वश हो जो उसके नियंत्रण से बाहर ना हो ।

(ख) किराया अथवा यात्रा–भत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मामले में किसी ऐसी विशेष यात्रा के संबंध में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सहायता स्वीकार्य नहीं होगी, यात्रा–भत्ता आहरित किया गया हो ।

16. वाहन का धारणाधिकार

(i) (क) सेना कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सेवा–मुक्ति या सरकारी कर्मचारी के सेवा–निवृत्ति पर गृह नगर/एस पी आर भारत में के लिए, निःशुल्क वाहन की हकदारी है, इन नियमों के तहत ऐसे निःशुल्क वाहन पर एक साल के लिए धारणाधिकार को रखा जा सकता है, जिसे इन विनियमों के परिशिष्ट–11 में लिखित प्राधिकारियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है । सिविलियनों के मामलों में भी, धारणाधिकार की अवधि एक साल की होगी। यह सुविधा केन्द्रीय सरकार के तहत पुनःनियुक्त सेना कार्मिकों पर लागू होगी ।

(ख) एक आवधिक अथवा सेवामुक्त सैनिक/ नौसैनिक/ वायु सैनिक अथवा अयोधी (नामांकित) जो क्षय रोग से पीड़ित है, और अपने उपचार के लिये सैनिक अस्पताल अथवा सैनेटोरियम में दाखिल हो तो सैनिक अस्पताल/सैनेटोरियम में अपने उपचार की अवधि के दौरान, अस्पताल से अपने घर तक अन्यथा जैसा स्वीकार्य हो, सेवारत सवारी के लिये ग्रहणाधिकार को बनाए रख सकेगा ।

(ii) (क) इन विनियमों के अधीन भारतीय सीमा के भीतर सवारी के लिये हकदार परिवार, परिवार के मुखिया के पहले अथवा उसके बाद अपनी यात्रा कर सकता है बशर्ते कि यात्रा उस तारीख के छह महीने के अंदर की गयी हो जिस तारीख में परिवार का मुखिया प्रस्थान करे। ऐसे परिवार को उस व्यक्ति के साथ जाने वाला माना जाएगा ।

अपवादः सेवानिवृत्ति होने वाले सेवा कार्मिक अथवा सिविलियनों के संबंध में व्यवस्था के लिये देखिए क्रमशः नियम 204 और 208(2)।

टिप्पणी 1: जिस व्यक्ति का स्थानांतरण "क" स्टेशन से "ख" स्टेशन हो जाता है और बाद में उसे पुनः स्टेशन "ग" के लिए स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो उसका परिवार सीधे मार्ग से स्टेशन "क" से स्टेशन "ग" तक सवारी के लिये हकदार होगा। बशर्ते कि स्वयं उस व्यक्ति द्वारा स्टेशन "क" से शुरू की गयी यात्रा की तारीख इन स्टेशनों के बीच 6 महीने की समयावधि के बीच में होती हो । ठीक यही सिद्धान्त उस व्यक्ति के लिये भी लागू होते है, जो 6 महीने के अंदर दो से अधिक स्टेशनों के बीच स्थानान्तरित कर दिया जाता है । सेवा अधिकारी के मामले में, इस नियम के खंड (क) और (ख) के अधीन उसके परिवार और सामान को ले जाने के लिये स्वीकार्य 6 महीने का पुनर्ग्रहणाधिकार अवधि, उस तारीख से गिनी जाएगी, जिस तारीख को सेवा अधिकारी को स्टेशन "ग" में परिवार को आवास उपलब्ध हो जाता है, सिवाय निजी वाहन के परिवहन के मामले में जब 6 महीने की पुनर्ग्रहणाधिकार अवधि, अधिकारी के स्टेशन "क" स्टेशन से संचलन करने की तारीख से गिनी जाएगी।

टिप्पणी 2: जिस व्यक्ति की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार और सामान के लिये सवारी को ग्रहणाधिकार अवधि उस व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के लिये होगी और विशेष मामलों में इस अवधि को इन विनियमों के परिशिष्ट XI में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पणी 3: यदि सिपाहियों/नौसैनिकों एवं वायु सैनिकों के परिवार को विवाहित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया जाए तो यूनिट/केन्द्र का कमान अधिकारी/फार्मेशन/विभाग का अध्यक्ष भारतीय नौसेना के पोत स्थापना का कमान अधिकारी अपने विवेकानुसार नियम 74 के अधीन विवाहित सरकारी आवास खाली करने की तारीख से उनके अपने घरों/चुने गये निवास स्थान के लिये निःशुल्क सवारी के लिये 6 महीने का पुनर्ग्रहणाधिकार प्रदान कर सकता है ।

(ख) इस नियम के प्रयोजनार्थ परिवार के प्रधान का ग्रेड उसके स्थानान्तरण की तारीख को विद्यमान तथ्यों को ध्यान में रख कर निर्धारित होना चाहिये और जबकि किराया स्वीकृत किया जाता है तो तथ्यों के लिये उसे उस यात्रा की तारीख पर जिसके संबंध में उसने निःशुल्क सवारी का दावा किया है, निर्धारित होना चाहिए ।

टिप्पणीः उपर्युक्त नियम के अधीन परिवार के लिये सवारी–भत्ता इस शर्त के अधीन होता है कि व्यक्ति के स्थानान्तरण की तारीख के पश्चात परिवार में शामिल किसी अन्य सदस्य के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।

(ग) वह व्यक्ति जो अपने परिवार को पहले ही भेज देता है, वह ऐसा अपने स्वयं की जोखिम पर करेगा, और यदि तत्पश्चात् परिवार के मुखिया के संचलन का आदेश परिवर्तित हो जाता है अथवा रद्द कर दिया जाता है तो परिवार की वापसी यात्रा के लिये सवारी अथवा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(घ) इन नियमों के अधीन जो परिवार/परिवार के मुखिया से पहले ही यात्रा करता है उसकी सवारी का दावा लेखा परीक्षा के लिये अन्तिम रूप से तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि परिवार का मुखिया वास्तविक रूप से यात्रा न करे।

(ङ) ऐसे स्टेशनों में सेवारत व्यक्तियों के मामले में, जहां उनके परिवार को निवास की अनुमति दी गई हो परन्तु आवास की कमी के कारण परिवार के मुखिया के साथ या बाद में उसके पास नहीं जा सकता, उन स्टेशनों में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में 6 महीने की समय सीमा, इन स्टेशनों में विवाहिता आवास की उपलब्धता की तारीख से गिनी जाएगी । जब किसी सिपाही नौसैनिक/वायु सैनिक, अयोधी (नामांकित) का नाम नये ड्यूटी स्टेशन की स्थापना में विवाहित के रूप में हो तो और वह क्वार्टर के बदले में मुआवजा लेता हो, तो ग्रहणाधिकार की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख से उसे आवास के लिये अपनी व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान की गयी हो अथवा उस तारीख से जब उसे विवाहित सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया हो, जो भी पहले हो ।

ये उपबंध उपर्युक्त निर्दिष्ट स्टेशनों को ले जाने वाले व्यक्गित सामान पर भी लागू होते हैं । इस उप–खंड के उपबंध, नियम 72 के अधीन परिवार की यात्रा के लिये भी लागू होते हैं ।

(च) उपर्युक्त उप–खंड (ii)(क) में उल्लिखित 6 महीने की समय सीमा और उसके लिये टिप्पणी (i) में उपबंध व्यक्तिगत सामान और सामान के परिवहन के लिये लागू होंगे शर्त यह है कि पहले स्टेशन से अन्तिम स्टेशन तक व्यक्तिगत सामान ले जाने की लागत निम्नानुसार विनियमित होगीः

(1) स्टेशन "ख" से स्टेशन "ग" और स्टेशन "क" से स्टेशन "ग" के लिये ले जाया गया कुल भार अधिकतम प्राधिकृत मान से अधिक नहीं होना चाहिए ; और

(2) स्टेशन "क" से स्टेशन "ख", स्टेशन "ख" से स्टेशन "ग" और स्टेशन "क" से स्टेशन "ग" के लिये परिवहन का कुल खर्च स्टेशन "क" से स्टेशन "ख" के लिये स्वीकृत राशि से अधिक नहीं होना चाहिये और यह भी कि स्टेशन "ख" से स्टेशन "ग" के लिये स्वीकृत राशि स्टेशन "क" से स्टेशन "ख" के लिये स्वीकार्य राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

(छ) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिये स्थानान्तरित का आदेश मिलने पर जो व्यक्ति अपना प्राधिकृत सामान अथवा सामान का कुछ भाग अपने जाने से पहले ही भेज देता है तो ऐसा वह अपने स्वयं की जोखिम पर करता है और सामान्यतः उसके संचलन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में अथवा रद्द किये जाने की स्थिति में वह किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के लिये हकदार नहीं होगा। लेकिन यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि व्यक्ति ने अपना सामान मूल आदेशों के अनुसार अपने संचलन से बहुत पहले नहीं भेजा तो नियम 67 के सुसंगत उपबंधों के अंतर्गत वह संचलन में परिवर्तन किए जाने या रद्द किये जाने के कारण प्राधिकृत मान के भीतर, सामानों की जो मात्रा भेजी जा चुकी है, उसकी माल गाड़ी की दर पर परिवहन की वास्तविक खर्च की वापसी की मंजूरी दे सकता है ।

(ज) विशेष मामलों में, सक्षम प्राधिकारी, उपर्युक्त उप–खंड (ii) (क) और (च) में उल्लिखित समय सीमा को अधिकतम एक वर्ष तक के लिये बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि मामले की स्थिति ऐसी है जो इस प्रकार की रियायत का मंजूर किया जाना उचित ठहराती है ।

(झ) युद्ध क्षेत्र में तैनाती के मामले में

(क) यात्रा विनियमावली के परिशिष्ट (1) में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी, परिवार और सामानों को ले जाने के लिये सवारी ग्रहणाधिकार की निर्धारित समय सीमा 6 महीने को एक वर्ष बढ़ाने के लिये अधिकृत होगा ।

(ख) ग्रहणाधिकार अवधि निवास के लिये चुने गये स्थान पर सरकारी आवास की उपलब्धता की तारीख से गिनी जाएगी ।

(ग) ग्रहणाधिकार अवधि की सीमा शैक्षणिक आधार पर 6 महीने से एक वर्ष के लिये बढ़ा दी जाएगी । लेकिन यह एक शान्ति स्थान से दूसरे अन्य शान्ति स्थान पर तैनाती के मामले में भी लागू होगी।

17. यात्रा–भत्ते की अग्रिम और उनका समायोजन

(i) (अ) यात्रा–भत्ते की पेशगी (केवल तभी जब यह सेना कार्मिकों) अफसरों/जे.सी.ओ./अन्य रैंकों के मामले में 50 ₹ से अधिक होती हो, संबंधित प्रधानरक्षा लेखा नियंत्रक/ पी.ए.ओ. को एक आवेदन देकर किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टेशन छोड़ने से पूर्व आहरित की जा सकती है । लेकिन, यदि समय इस प्रकिया को पूरा करने को नहीं है तब रकम की अग्रिम की स्वीकार्य राशि को , बशर्ते कि वह 50 ₹ से अधिक होती हो, सेना कार्मिकों के संबंध में इसे फील्ड अग्रदाय से आहरित किया जा सकता है । सेना कार्मिकों जो सेवारत हैं यूनिटों और स्थापनाओं में जिनके पास फील्ड अग्रदाय न हो, संबंधित प्रधानरक्षा नियंत्रक/पी.ए.ओ. से यात्रा–भत्ते के अग्रिम को स्थायी अग्रिम से आहरित कर सकते हैं, किसी आपातकानीन या किसी असाधारण परिस्थितियों में जब समय धन राशि प्राप्त करने की इजाजत नहीं देता हो।आपातकालीन और असाधारण परिस्थितियों में सिविलियनों, अपेक्षित पेशगी को, स्थायी पेशगी से आहरित कर सकते हैं।

फील्ड अग्रदाय से भुगतान किये गये पेशगी की राशि के साथ आदाता द्वारा भरी गई रसीद की दो प्रतियां लगी होनी चाहिये और उस पर अच्छी तरह से "मूल प्रति" और "द्वितीय प्रति" अंकित होनी चाहिये । जहां आवश्यक हो मूल प्रति पर एक रुपये के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर होने चाहिये और उसे अदायगी की तारीख को संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (अन्य रैंक) को भेज दिया जाना चाहिए । वेतन लेखा कार्यालय उसे संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक को भेज देगा । निम्नलिखित के संबंध में रसीद पर इस ओर सही ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा :

(1) वह सेना कार्मिक जिसके लिए अग्रिम आहरित किया गया है,

(2) विशेषयात्रा, जिसके लिये पेशगी ली गयी, और

(3) लेखा अधिकारी, जिनके द्वारा पेशगी, समायोजित की जानी है।

(i) (ब) सेना कार्मिकों को छुट्टी–यात्रा रियायत पेशगी की अदायगी :अफसर रैंक से निम्न सेना कार्मिकों की अग्रदाय लेखा/पोस्टल संचयन से छुट्टी–यात्रा रियायत पेशगी की अदायगी निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

(क) कार्मिक द्वारा पेशगी का आवेदन, नियंत्रण अधिकारी द्वारा विधिवत् संस्वीकृत अपेक्षित फार्म (भा0से0फा0ए0–194) में अग्रदाय धारी को दिया जाएगा जो एक सामान्य छानबीन के बाद अदायगी करेगा। अग्रदाय धारी अदायगी और वितरण के प्रमाण के रूप में एक सादी रसीद (तीन प्रतियों, एक कार्यालय प्रति सहित) प्राप्त करेगा, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

(ख) अग्रदाय धारक द्वारा सादी रसीदों की द्वितीय प्रतियों और उसकी टॉप शीट के साथ भुगतान किए मांग–पत्रों को संबंधित पी.ए.ओ. को प्रत्येक माह सीधे भेजा जाएगा।

(i) (ख) (i) स्वयं अपने द्वारा और/या अपने परिवार के सदस्य(यों) द्वारा प्रस्तावित यात्रा के निष्पादन के संदर्भ में, सेना कार्मिक छुट्टी यात्रा रियायत (एल टी सी) के तहत बहिर्गमन यात्रा की प्रस्तावित तारीख से 65 दिन पहले अग्रिम राशि को आहरित कर सकता है । लेकिन, उसे नियंत्रक अधिकारी को अग्रिम राशि के आहरण के दस दिन के भीतर आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, यह बताने के लिए कि उसने वास्तव में राशि का उपयोग टिकटों के खरीदने के लिए किया है।

यदि बाह्य यात्रा अग्रिम के समयावधि के अंतर्गत निष्पादिन नहीं की जाती है तो अग्रिम को वापस किया जाएगा ।

(i) (स) वे सरकारी कर्मचारी जिन्हें मुख्यालय स्टेशन से दूर स्टेशन की ड्यूटी पर बार–बार जाना पड़ता है, मासिक सीजन रेल टिकट और उस पर लगाए गए फोटो की लागत को पूरा करने के लिये पेशगी, आहरित करने के हकदार होंगे । उन सैनिक कार्मिकों के मामले में जिन्हें वारंट पर अपनी यात्रा करनी पड़ती है, उन्हें केवल सैनिक वारंट, मासिक सीजन रेल टिकट की लागत के भुगतान में जारी किया जाएगा।

(ii) नियम 47 के अधीन प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य वारंट के मूल्य के बराबर की राशि को पेशगी नियंत्रण अधिकारियों की इच्छा से संस्वीकृत की जा सकती है । नियम 177 क और ख के अधीन की यात्राओं के मामले में वारंट की लागत की वापसी को अग्रिम के 80 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। नियंत्रण अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट अनुमति से इस शक्तियों को अपने अधीन चुने हुए स्टाफ अफसरों को और भी प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

(iii) निम्नलिखित सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को जो स्थायी कर्मचारी नहीं हैं, को ड्यूटी पर यात्राओं (अस्थायी और स्थायी दोनों) के लिये यात्रा–भत्ता की पेशगी को कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा संस्वीकृत किया जा सकता है:

(क) स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत का आग्रह किये बिना अस्थायी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को बशर्ते कि:

(i) अस्थायी ड्यूटि पर यात्रा के मामले में पेशगी अधिकारी के एक माह के वेतन से अधिक न होती हो; और

(ii) स्थायी ड्यूटी पर यात्रा के मामले में, नये ड्यूटी स्टेशन पर जाने के लिये संबंधित सरकारी कर्मचारी, उसके परिवार और सामान को ले जाने के लिए सवारी प्रभार को पूरा करने तक ही सीमित है।

(ख) अस्थायी अराजपत्रित और समूह "ग" (केवल बहु कार्यकारी कर्मचारी यथा एम.टी.एस.) के सरकारी कर्मचारी: नियंत्रक अधिकारी अलग–अलग मामलों में स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत प्राप्ति की शर्त को हटा सकता है, बशर्ते उन्होंने सेवा का एक साल पूरा किया हो, और नियंत्रण अधिकारी संतुष्ट हो कि अग्रिम राशि प्राप्त के तीन माह के भीतर उनकी कार्य–मुक्ति की संभावना नहीं है।

उपर्युक्त खंड (क) (i) और (ii) के अनुसार दिए अनुबंध, इन मामलों पर भी लागू होंगे ।

टिप्पणी 1: निम्नलिखित परिस्थितियों में अस्थायी सरकारीकर्मचारी के समान आधार पर जैसाकि स्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए है, यात्रा–भत्ते की अग्रिम राशि की संस्वीकृति में, उपर्युक्त प्रावधान पृथकता नहीं करते :

(क) जब संबंधित व्यक्ति किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत पेश करे।

(ख) स्थायी रूप से नियोजित व्यक्ति द्वारा जमानत देने पर नियंत्रण अधिकारी अपने विवेकानुसार जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि पेशगी देने में सरकार को घाटे जैसा कोई जोखिम नहीं है ।

टिप्पणी 2: जब अस्थायी सरकारी कर्मचारी को एक नियुक्ति से सेवामुक्ति का नोटिस दिया जाता है और किसी अन्य स्टेशन पर उसकी दूसरी

नियुक्ति होती है और वह नए स्टेशन की यात्रा के लिये यात्रा–भत्ते का हकदार है, तो वह भी उपर्युक्त उप खंड (क) (ii) के अनुसार पेशगी की राशि आहरित कर सकता है बशर्ते कि वह किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत पेश करे।

(ग) संविदा अधिकारियों और स्थायी पदों पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों के मामले में, पेशगी की राशि, स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत पेश किये बिना ही मंजूर की जा सकती है, लेकिन संविदा के आधार पर लिए गए अधिकारियों के मामले में मंजूर कर्ता प्राधिकारी पेशगी मंजूर करने के पूर्व इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित अधिकारी के संविदा अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही पेशगी की राशि को वसूल किया जा सकता है; समायोजित किया जा सकता है ।

(iv) ऐसा अधिकारी जो भारत में अनुदेश पाठ्यकम के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है और जो अस्थायी ड्यूटी मान के आधार पर यात्रा–भत्ते का हकदार है, उसे पाठ्यकम प्रारम्भ होने के दस दिन पहले ही, नियम123 में निर्धारित मान पर पाठ्यकम की अवधि के लिए यात्रा–भत्ते की पेशगी और दैनिक–भत्ते की राशि दी जाएगी । वापसी यात्रा के लिये यात्रा–भत्ता, पाठ्यकम समाप्त होने के 10 दिन में ही अदा कर दिया जाएगा ।

फिर भी, पाठ्यकम की अवधि के लिये किसी प्रकार की दैनिक–भत्ता पेशगी सैन्य अधिकारियों को आहरित की जाएगी, क्योंकि अनुदेश पाठ्यकम में जाने वाले ऐसे अधिकारियों के लिये स्वीकार्य दैनिक–भत्ता, उस संभागीय नियंत्रक से जिनके लेखा परीक्षा क्षेत्र में स्कूल अवस्थित है, स्कूल के कमांडेंट द्वारा ऐसे समेकित आकस्मिक बिल पर, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अधिकारी शामिल होते हैं, आहरित किया जाता है, और तत्पश्चात् उनका भुगतान किया जाता है।

(v) उपर्युक्त निर्धारित तरीके से आहरित की गयी सभी पेशगी जिनमें परिवार भी शामिल हैं, यात्रा–भत्ते के बिल में समायोजित की जाएगी, जिसे सभी प्रकार से पूर्ण करके यात्रा की समाप्ति पर तुरन्त रक्षा लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाएगा । बिल प्रस्तुत न करने पर रक्षा लेखा नियंत्रक को जिस महीने में यात्रा की गयी उससे अगले मास के संबंधित व्यक्ति के वेतन बिल से पेशगी की राशी को वसूल करने का अधिकार होगा ।

(vi) आहरित की गयी पेशगी की राशि, नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा–भत्ते की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये । यदि ऐसे किसी मामले में व्यक्ति द्वारा आहरित पेशगी की राशि, स्वीकार्य यात्रा–भत्ते की राशि से अधिक पायी जाती है तो समायोजित शेष, तैयार किये जा रहे उसके वेतन बिल/व्यक्तिगत चालू लेखे से एक मुश्त रकम में, या खजाने में राशि करा के वसूल कर लिया जाएगा ।

(vii) आमतौर पर संगामी पेशगी की मंजूरी अनुमत नहीं होती और इसे मंजूर नहीं किया जाना चाहिए । पेशगी की अदायगी करने से पूर्व यह सत्यापित करना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के नाम पहले किसी प्रकार की पेशगी बकाया न हो।

(viii) भारतीय नौसेना में सेना कार्मिक बेस सप्लाई अफसर/पोत या तट स्थापनाओं के कमान अफसर पेशगी की राशि आहरित करेंगे जो इस प्रकार की अदायगियों की सूचना रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) को देंगे और उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेंगे ।

आपाती और असाधारण परिस्थितियों में सिविलियन कर्मचारी अपेक्षित पेशगी की राशि या तो नियम 620 वेतन एवं लेखा विनियमावली ।भा0नौ0। के अधीन या बेस सप्लाई अफसर/नौसेना स्थापनाओं के कमान अफसरों से आहरित कर सकते हैं। ऐसा उस स्थिति में किया जाएगा जब उस व्यक्ति द्वारा जिसे ड्यूटी के लिए स्टेशन से बाहर जाना पड़ रहा है द्वारा एक आवेदन–पत्र देकर बिना पूर्व लेखा परीक्षा के रक्षा लेखा नियंत्रक से पेशगी प्राप्त करने के लिए समय न हो । नकद समनुदेशन द्वारा पेशगी की संस्वीकृति से पहले एक दोहरी जांच यह देखने के लिए की जाएगी कि जिस पेशगी के लिए आवेदन दिया है वह स्वीकार्य है या नहीं, दूसरी जांच संबंधित नौसेना स्थापना के कमांडिंग अफसर द्वारा और पुनः नकद समनुदेश धारक द्वारा की गई है ।

अस्थायी ड्यूटी पर जाते समय नौसेना आयुध निरीक्षण संगठन के सिविलियन तकनीकी कर्मचारियों को उस सीमा तक यात्रा–भत्ते और दैनिक–भत्ते की पेशगी बेस सप्लाई अफसर/भारतीय नौसेना के कमांडिंग अफसर द्वारा अग्रदायों से अदा की जा सकती है ।

(ix)(क) भारतीय वायु सेना में सेवारत व्यक्ति (आफिसर/वायुसैनिक या सिविलियन अधीनस्थ

कर्मचारी) जिन्हें यात्रा–भत्ते की पेशगी की आवश्यकता है, बाहर के स्टेशन पर ड्यूटी जाने से पहले अपने यूनिट कमांडर को एक आवेदन देगा। आवेदन–पत्र में ड्यूटी का प्रकार, यात्रा का ब्यौरा और पेशगी की राशि की गणना कैसे की गई, का पूरा विवरण होना चाहिए । आवेदन–पत्र के साथ अदाता की रसीद (जहां आवश्यक हो स्टैम्प भी लगा हो) दो प्रतियों में संलग्न होनी चाहिए । यूनिट कमांडर स्वयं इस बात से संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि जिस पेशगी के लिए आवेदन दिया गया है यह पेशगी की राशि वास्तविक तौर पर उसी राशि के अन्तर्गत देय है, जैसी कि, यात्रा की जाने वाली है। आवेदन–पत्र यथास्थिति लेखा अधिकारी अथवा अग्रदाय धारी को भेजेगा जो पेशगी राशि की स्वीकार्यता की जांच के पश्चात् लेखा निधि (अग्रदाय) लेखा से उसकी अदायगी करेगा। पेशगी की राशि को यात्रा–भत्ता रजिस्टर में सम्बन्धित व्यक्ति के नाम के सामने मांग के रूप में दर्ज किया जाएगा जिस के द्वारा लेखाधिकारी अथवा अग्रदाय धारी पेशगी की वसूली और समायोजन पर निगरानी रखेंगे ।

(ख) ऐसे कार्मिक को दी गयी पेशगी जिनकी यूनिट में पुनः वापस आने की सम्भावना नहीं है । उदाहरणार्थ जो तैनाती पर जा रहे हों। पेशगी देने वाला अधिकारी जिसकी यूनिट में कार्मिक को भेजा गया है उस यूनिट के कमान अधिकारी को पेशगी राशि भुगतान किए जाने की तारीख, और यात्रा जिसके लिए पेशगी ली गयी है, के ब्यौरे के बारे में अधिसूचित करेगा और यह अनुरोध करेगा कि पेशगी की राशि, यात्रा–भत्ता दावे की राशि से काट ली जानी चाहिए। भुगतान रने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचना की अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी है । नई यूनिट में पेशगी की राशि को घटाकर दावे के रूप से निपटारा किया जाएगा, और दावे के उपर उस यूनिट का नाम जहां पेशगी का भुगतान किया गया था और अदायगी की तारीख अंकित कर दी जाएगी ।

(i) (द) थल सेना के डाक सैनिक कार्मिकों को अग्रदाय लेखे से छुट्टी– यात्रारियायत पेशगी की मंजूरी

सेना के डाक सैनिक कार्मिकों द्वारा फील्ड डाकघरों से छुट्टी–यात्रा रियायत पेशगी के आहरण की प्रकिया अनुवर्ती पैरा में बतायी गयी है :

(क) फील्ड डाकघर (एफ0 पी0 ओ0) से अग्रिम का आहरण, यूनिट के कमान अधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृत मांगपत्र फॉर्म (आई0ए0 एफ0ए0–194) प्रस्ततु करने पर किया जाएगा । फील्ड पोस्टमास्टर चार प्रतियों में साक्षी रसीद प्राप्त करेगा, जिसमें अदाता का नाम, संख्या, रैंक, तारीख और भुगतान की राशि तथा फील्ड पोस्टमास्टर (एफ0पी0एम0) का पदनाम होगा।

(ख) फील्ड पोस्टमास्टर अपने फील्ड डाकघर के खाते में इस पेशगी को अवर्गीकृत भुगतानों के अन्तर्गत दर्ज करेगा ।

(ग) भुगतान हो जाने के पश्चात फील्ड पोस्टमास्टर उसी दिन सादी रसीद की एक प्रति रेलवे स्टेशन रक्षा लेखा नियंत्रक (फै0) पी–8 ए ब्रेबोर्न रोड, कोलकाता को अग्रिम सूचना के रूप में भेजेगा ताकि रक्षा लेखा नियंत्रक ।फैक्ट्रीज। उन्हें मांग रजिस्टर में दर्ज कर सकें और पावती तथा समायोजन दावे की जांच कर सकें ।

(घ) प्रदत्त मांग–पत्र सहित सादी रसीद की तीन प्रतियां भुगतान के प्रमाण में फील्ड डाकघर के दैनिक खाते में विधिवत् दर्ज करके सम्बन्धित केन्द्रीय बेस डाकघर को भेज दी जाएगी ।

(ङ) महीने के अंत में केन्द्रीय बेस डाकघर प्रदत्त मांग–पत्र और सादी रसीद की एक प्रति, टॉप शीट सहित रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज), कोलकाता को अग्रेषित करेगा ताकि वे अगले महीने की 10 तारीख तक उनके पास पहुंच जाए। टॉप शीट में निम्नलिखित सूचनाएं होंगीः

(i) प्रदत्त मांग–पत्र की संख्या और तारीख ,

(ii) उस फील्ड डाकपाल का नाम, जिसने पेशगी का भुगतान किया ,

(iii) अदाता का नाम, रैंक तथा संख्या ,

(iv) पेशगी की राशि ।

(च) इसके साथ–साथ टॉप शीट की तीन प्रति और सादी रसीद की मूल प्रति सेना डाक सेवा के लेखा अनुभाग तथा लेखा निदेशक (डाक) कार्यालय नागपुर को अग्रेषित की जाएगी । "सेना डाक सेवा" का लेखा अनुभाग, एक प्रति पर अपनी अभिस्वीकृति देगा और संबंधित केंद्रीय बेस डाकघर को वापस भेज देगा।

(छ) सेना डाक सेवा का लेखा अनुभाग, संबंधित लेखा–शीर्ष में राशि के लेखा–परीक्षा व संकलन के बाद, लेखा–पत्र की दूसरी प्रति को, प्रधान

लेखा नियंत्रक (फैक्ट्री) कोलकाता को अग्रेषित करेगा, जिससे वे लेखा–पत्र को केन्द्रीय बेस डाक कार्यालयों द्वारा प्राप्त भुगतान वाउचरों से सत्यापित कर पाएं ।

(ज) सम्बन्धित क्षेत्र डाकघर, संस्वीकृति छुट्टी–यात्रा रियायत पेशगी का एक रजिस्टर बनाएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :

(i) आवेदक की संख्या, रैंक तथा नाम ,

(ii) मांग–पत्र ।आई0ए0एफ0ए0–194। की संख्या और तारीख ,

(iii) पेशगी की राशि ,

(iv) गन्तव्य का नाम ,

(v) "ब्लॉक वर्ष" जिसके लिए पेशगी मंजूर की गयी ,

(vi) अन्तिम समायोजन दावा प्रस्तुत करने की तारीख ।

17. (क) रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान पाने वाले सेना कार्मिकों और सिविलियनों को यात्रा–भत्ते की अग्रिम राशि पर दण्ड स्वरूप ब्याज प्रभारित करना

1. अग्रिम राशियों के नियमन के संदर्भ में, यात्रा विनियमों के नियम 17, 18, 21, 177, 180, 184 और 190 में नियंत्रक अधिकारी द्वारा संस्वीकृति जारी की जाएगी/ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, अग्रिम राशि के आहरण के समय, अनुबंध देना होगा कि ब्याज का कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा, यदि संस्वीकृति के साथ संलग्न शर्तों को शामिल करते हुए उन्हें जो संबंधित हैं रकम की वसूली से, नियंत्रक अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।

2. स्थानांतरण, दौरे तथा छुट्टी–यात्रा रियायत के लिए किए गए दावे के संबंध में जब यात्रा के लिए पेशगी आहरित की जाती है तो उन दावा–पत्रों को निम्नलिखित समय के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिएः

(क) स्थानान्तरणः यात्रा समाप्त करने की तारीख से एक वर्ष के अंदर ,

(ख) दौरा : संचलन के विनियम को प्राख्यापित करने वाले भाग II/सामान्य फार्म / थलसेना / नौसेना/ वायुसेना के कार्मिकों को अर्द्ध–सरकारी आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर ,

(ग) छट्टी–यात्रा रियायत : यात्रा पूरी होने के एक माह के भीतर ।

3. लेकिन, संस्वीकृति की शर्तों / प्रस्तुत किए प्रमाण–पत्र के उल्लंघन के संदर्भ में, निम्नलिखित मामलों में ब्याज की दर के 2% उपर ब्याज प्रभारित किया जाएगाः

(क) ऐसे मामलों में जहां पेशगी की राशि का पूर्णतया उपयोग न किया गया हो। परंतु समायोजन बिल यथा समय प्रस्तुत किया गया हो तो वाहन की खरीद (मोटर कार के अलावा) के लिए ली गयी पेशगी के लिए निर्धारित दर पर और पेशगी आहरित किए जाने की तारीख से पेशगी वापसी किए जाने की तारीख तक, उपयोग में न लायी गयी पेशगी पर 2% की दर से ब्याज प्रभारित किया जा सकता है।

(ख) ऐसे मामलों में जहां समायोजन बिल निर्धारित समय के भीतर न प्रस्तुत किया गया हो, तो पेशगी की समग्र राशि ऐसी समय सीमा की समाप्ति पर तुरंत और एक–मुश्त, वसूल कर ली जाएगी । ऐसे मामलों में, पेशगी समग्र राशि पर, उपर्युक्त ।क। में निर्धारित ब्याज की दर से पेशगी आहरित करने की तारीख से पेशगी की राशि की वसूल की तारीख तक ब्याज प्रभारित किया जाएगा । लेकिन प्रतिपूर्ति दावे को केवल पेशगी की वसूली के आधार पर जब्त नहीं किया जाएगा । लेकिन, ऐसे मामलों में जहां समायोजन बिल वास्तविक कठिनाइयों के कारण प्रस्तुत न किया जा सका हो और/या यदि आहरित अग्रिम राशि का सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों से उपयोग न किया गया हो, तो नियंत्रण अधिकारी ऐसी वसूलियों की या प्रभार्य ब्याज में छूट दे सकता है ।

4. अर्थदण्ड की वसूल की गयी राशि को उस व्यय–शीर्ष के अनुकूल मुख्य–शीर्ष की प्राप्ति के नामे केडिट कर दिया जाएगा, जिसके लिए पेशगी डेबिट की गयी थी ।

18. सेना के उन अफसरों जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है के परिवारों की यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की पेशगी

ऐसे अफसरों, जिनकी सेवा के दौरन मृत्यु हो जाती है कि परिवारों को कमशः नियम 216 और 217 के अधीन यात्रा–भत्ते के रूप में मिलने वाली पेशगी, नियम 24 में बतायी गयी शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा सकती है, सिवाय इसके कि पेशगी का आहरण कार्यालय अध्यक्ष के स्थान पर यूनिट, फार्मेशन अथवा स्थापना का कमान अधिकारी करेगा ।

19. रिक्त

20. अवैतनिक कमीशन प्रदान किए जाने पर जूनियर कमीशन अफसरों और उनके समतुल्यों को यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की मंजूरी –– पेशगियों का आहरण

अवैतनिक कमीशन प्रदान किए जाने पर जूनियर कमीशन अफसर और उनके समतुल्य, उसी प्रकार यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता के लिए हकदार हैं जैसा कि नियमित कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए स्वीकार्य हैं ।

चूंकि ऐसे जूनियर कमीशन अफसरों के लेखे, अवैतनिक कमीशन प्रदान किए जाने के पश्चात भी वेतन लेखा अधिकारी के पास ही रहते हैं इसलिए यदि आवश्यक हो, तो वे यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की पेशगी का आहरण अग्रदाय लेखा यूनिट से आहरित करने के हकदार होंगे, जिसके लिए प्राधिकार सम्बन्धित वेतन एवं लेखा अधिकारी से पहले ही मंगाया जाएगा ।

आपात और असाधारण परिस्थितियों में, जब वेतन एवं लेखाधिकारी से मंजूरी लेने का समय न हो तो, भुगतान, एक सादी ।रसीद आवश्यक हो तो विधिवत् स्टाम्प लगी हुई हो। पर क्षेत्र अग्रदाय लेखा से किया जा सकता है जिस पर अदा की गयी पेशगी का ब्यौरा, पूरा ब्यौरा अंकित किया जाए । फील्ड अग्रदाय से की गयी अदायगी की सूचना व्यक्ति के व्यक्तिगत चालू लेखा को तैयार करते हुए तुरंत उस वेतन एवं लेखाधिकारी को भेज दी जानी चाहिए जो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत चालू खाता लेखा रखता हो और उससे प्राप्त की गयी रसीद तथा साथ ही साथ अग्रदाय लेखा के मासिक सार सम्बन्धित वेतन एवं लेखा कार्यालय को भेजी जाएगी ।

21. ऐसे सिविलियन कार्मिक के परिवार को यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की पेशगी जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है

जिस सिविलियन कार्मिक की सेवा के दौरान ही मृत्यु हो जाती है उसके परिवार के यात्रा व्यय की पेशगी निम्नलिखित पर नियम 218 के अधीन मंजूर की जा सकती है :

(क) ऐसे अग्रिम की मंजूरी उस प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है जो सरकारी कर्मचारी के जीवित होने पर उसे यात्रा–भत्ता दावे पर प्रति हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम होता है।

(ख) पेशगी की राशि, यात्रा व्यय की सम्भाव्य राशि की 3/4 भाग तक होनी चाहिए, जो उपरिलिखित नियम के अधीन स्वीकार्य है ।

(ग) पेशगी की राशि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार की ओर से उसके किसी एक सदस्य को ही देय होगी । यह सदस्य मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा/विधुर अथवा परिवार का कोई एक सदस्य "परिवार" शब्द की परिभाषा के अधीन होना चाहिए जो वयस्क और स्वस्थ्य हो । पेशगी किसको दी जाए इस विषय में मंजूर कर्त्ता प्राधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेशगी मंजूर करने के पश्चात् उसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आहरित किया जा सकता है, और परिवार की ओर से प्राधिकृत उसके किसी एक सदस्य को उसका भुगतान किया जा सकता है ।

(घ) इस बात का विचार किए बिना कि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य अलग–अलग बैचों में एक ही स्टेशन अथवा अलग–अलग स्टेशन से यात्रा करता है, केवल एक ही पेशगी स्वीकार की जाएगी ।

(ङ) यदि परिवार एक ही बैच में यात्रा करता है तो यात्रा की समाप्ति के एक माह के भीतर आहरित पेशगी का लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि परिवार एक या एक से अधिक में यात्रा करे तो अंतिम बैच की यात्रा की समाप्ति के एक माह के भीतर उसका विवरण प्रस्तुत करना चाहिए । किसी स्थिति में यात्रा 6 महीने की नियत अवधि के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए और अधिक से अधिक पेशगी का विवरण नियत अवधि की तारीख के समाप्त होने से एक महीने के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए । लेकिन, यदि नियत अवधि के अंदर यात्रा प्रस्तावित/पूरी न की गयी हो, तो पेशगी की राशि को तुरंत वापस कर दिया जाना चाहिए ।

(च) पेशगी की राशि मंजूर करने से पहले ऐसे किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत, जो मृत सरकारी कर्मचारी की बराबर हैसियत अथवा उससे उंचे हैसियत का हो, परिशिष्ट (V) में दिये गये निर्धारित फार्म में ली जानी चाहिए । पेशगी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की निर्धारित फार्म में इस आशय का एक वचन, लिखित रूप में देना होगा कि वह खण्ड (ङ) में निहित उपबंधों का पूरी तरह पालन करेगा/करेगी, ताकि नियत अवधि में यात्रा न करने अथवा निर्धारित अवधि में समायोजन बिल प्रस्तुत न करने के परिणाम स्वरूप, मंजूरकर्त्ता प्राधिकारी अधिक अदायगियों की वसूली कर सकें ।

(छ) पेशगी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उसे वसूल योग्य पेशगी माना जाएगा ।

22. रिक्त

23. यात्रा–भत्ते के दावों को भरना

(i) इन मामलों में यात्रा–भत्ते के दावों में अपेक्षित पूर्ण विवरण दिया जाएगाः

(क) किसी दूसरे स्टेशन को स्थायी रूप से जाने वाले परिवार , और

(ख) किसी व्यक्ति के नियम 67 (घ) की और नियम 70 (घ) की टिप्पणी में यथा परिभाषित व्यक्तिगत सामान तथा प्राधिकृत वाहनों के परिवहन की लागत के दावे के मामले में अपेक्षित पूरा विवरण दिया जाएगा।

उपर्युक्त (ख) के अन्तर्गत स्थायी ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए यात्रा–भत्ता बिल में किए गए प्रत्येक दावे के साथ आमतौर पर किए गए व्यय

की रसीदें और वाउचर लगे होने चाहिए । लेकिन विशिष्ट और असाधरण परिस्थितियों में, यदि नियंत्रण अफसर दावों की प्रामाणिकता के विषय में अन्यथा आश्वस्त हो जाएं तो वे इस शर्त को अपने विवेक से हटा सकते हैं।

(ii) यह प्रावधान, यात्रा विनियमावली के 177–क, 177–ख, 180 और 184 के नियम के अधीन सैनिक कार्मिक और उनके परिवार द्वारा ली गयी छुट्टी–यात्रा रियायत जैसी यात्राओं के मानकों में भी लागू होगा और नियंत्रण अफसर अपने विवेक से ऐसी रेल/सड़क/वायुमार्ग/स्टीमर द्वारा की गयी यात्राओं के नकदी रसीद को प्रस्तुत करने की शर्त को हटा सकता है बशर्ते कि वे इस सम्बन्ध में किए गए दावे की वास्तविकता से संतुष्ट हों और यह समझें कि यात्रा, वास्तव में की गयी है। नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा की टिकटों के पी.एन.आर. संख्या/टिकट संख्याओं का निरपवाद रूप में अधित्याग प्रमाण–पत्र पर उल्लेख किया जाएगा ।नियंत्रण अधिकारी द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग केवल वास्तविक रूप से सुपात्र मामालों के गुणाधार पर ही किया जाएगा और सामान्य तौर पर शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(iii) यदि नियम के अनुसार आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी के आदेश लिए जाएंगे और दावे समर्थन में उनके साथ भेजे जाएंगे।

24. सवारीः सवारी प्रत्यक्ष रूप से वारंट मांग–पत्र जमा–पत्र या नकद अदायगी पर और अप्रत्यक्ष रूप से यात्रा व्यय या यात्रा–भत्ते द्वारा प्रदान की जा सकती है ।

25. मांग–पत्र पर सवारी की व्यवस्था

सरकार समुद्र यात्रा के लिए स्वीकार्य, सभी निःशुल्क यात्रा व्यय की व्यवस्था मांग–पत्र पर करेगी । इसके अपवाद के लिए नियम 70 क (i) (4) और 130 ।क। देखिए।

26. भारतीय सीमा के अंदर समुद्र यात्रा

भारतीय सीमा के अंदर समुद्र यात्रा के लिए सवारी का हकदार व्यक्ति या तो पोताराहण प्राधिकारियों के माध्यम से मांग–पत्र पर यात्रा व्यय प्राप्त करेगा या यात्रा व्यय के बदले जिस स्थान का वह हकदार है उसके लिए सरकार द्वारा देय दरों पर यात्रा–भत्ता लेगा। जो व्यक्ति वापसी सवारी का हकदार हो, उसे वापसी टिकट की लागत मंजूर की जाएगी । यदि कोई व्यक्ति स्थान की उस श्रेणी से जिसका वह हकदार हो, नीचे की श्रेणी में यात्रा करता है, तो उसने जिस श्रेणी में वास्तव में यात्रा की हो, उसी श्रेणी का यात्रा–भत्ता दिया जाएगा ।

रेल यात्रा के लिए सवारी में नदी या समुद्र के किसी भाग को पार करना शामिल है जब इन्हें यात्रा के दौरान पार करना आवश्यक हो और इनका प्रभार रेल के किराये में शामिल हो।

27. वारंट या मांग–पत्र पर रेल द्वारा यात्राओं के लिए स्थान का मान

(i) सरकारी खर्च से मांग–पत्र या वारंट पर यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए जब तक कोई भिन्न मान प्राधिकृत न किया जाएगा तब तक वह उपयुक्त श्रेणी के उसी स्थान का हकदार है, जिस श्रेणी का हकदार, यात्रा करने वाला जनता का कोई सामान्य व्यक्ति हो ।

(ii) रेल द्वारा वारंट पर यात्रा करने वाले सैनिक कार्मिकों को दिया जाने वाला मान सैनिक टैरिफ में दिया गया हो ।

(iii) यदि विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत मान से हटना आवश्यक हो तो ऐसासंचलन का आदेश देने वाले अफसर के प्राधिकार से किया जा सकता है ।

(iv) वारंट पर साधारण ट्रेन से भेजे गए सैन्य दल से पहले जाने वाली, उसके साथ जाने वाली या उसके बाद जाने वाली महिलाएं और बच्चे उसी स्थान के हकदार होंगे जो सैनिक टैरिफ में दी गयी अनुसूची में निर्धारित है ।

28. रिक्त

29. सड़क यात्रा के लिए सवारी की हकदारी

जो व्यक्ति सड़क यात्रा के लिए सवारी के हकदार हों, उन्हें सवारी, अध्याय II या III में दिए गए नियमों के अधीन यात्रा–भत्ते के रूप में या नियम 102 के अनुसार आई0ए0एफ0टी0–1712 पर वारंट देकर प्रदान की जा सकती है।

30. रिक्त

31. रिक्त

32. यात्रियों के लिए पोतारोहण पत्तन

जिस व्यक्ति को समुद्री यात्रा व्यय प्रदान किया गया हो, उसे चाहिए कि वह आमतौर पर अपने स्टेशन से जहां से ऐसा यात्रा व्यय प्रदान किया जा सकता है, निकटतम पत्तन से जहाज में यात्रा करे लेकिन उसे किसी दूसरे पत्तन से भी जहाज से यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह वहां तक सवारी की अतिरिक्त लागत अदा करे ।

33. रिक्त

34. रिक्त

35. नियमों के अधीन प्राधिकृत तरीके आदि/या श्रेणी को छोड़कर अन्य तरीके और या श्रेणी द्वारा सवारी

जब तक इन नियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न हो, यदि कोई व्यक्ति सवारी के उस तरीके आदि/या श्रेणी को छोड़कर जिसका कि वह हकदार हो

सवारी के अन्य किसी तरीके को/या श्रेणी से यात्रा करता है तो सवारी की लागत की प्रतिपूर्ति उसे उसी वास्तविक किराए की, की जाएगी जो उसने अदा किया हो या, फिर उसे वही लागत अदा की जाएगी जो सरकार को वहन करनी पड़ती है । यदि वह व्यक्ति सवारी के प्राधिकृत तरीके और श्रेणी से यात्रा करता है।

36. पत्तन करों की अदायगी

जिन यात्रियों का यात्रा व्यय, सरकार अदा करती है, उनके सम्बन्ध में देय पत्तन सरकार वहन करेगी, बशर्ते कि ये अदायगियां अनिवार्य प्रकार की हों ।

पोत परिवहनएजेन्टों द्वारा मांगा गया विदेशी व्यक्ति कर भी उसी प्रकार अदा किया जाएगा, जिस प्रकार अन्य पत्तन कर अदा किए जाते हैं ।

37. वारंट या मांग–पत्र पर सीधी बुकिंग

(i) आमतौर पर जो व्यक्ति वारंट या मांग–पत्र पर यात्रा कर रहे हों, उन्हें मूल स्टेशन छोड़ने से पहले सम्पूर्ण यात्रा के लिए और आवश्यक हो तो वापसी यात्रा के लिए वारंट या मांग–पत्र दिए जाएंगे । लेकिन यदि यात्रा पहले रेल से, बाद में सड़क से की जानी हो तो वारंट केवल रेल यात्रा के लिए ही जारी किए जाएंगे, क्योंकि गाड़ी से उतरने के स्टेशन पर सैनिक अधिकारियों या प्रतिनिधियों को अनुदेश दिए जाते हैं कि वे आगे की सड़क यात्रा के लिए सवारी की व्यवस्था कर दें । लेकिन यदि गाड़ी से उतरने में स्टेशन पर कोई सैनिक प्रतिनिधि न हो तो जिस अफसर ने संचलन प्राधिकृत किया हो, उसे चाहिए कि वह पूरी यात्रा के लिए वारंट जारी करे और सड़क यात्रा के साधनों के संबंध में उपलब्ध आवश्यक सूचना स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों से प्राप्त कर लें।

(ii) सैन्य दल रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए जो व्यक्ति किसी साधारण रेलगाड़ी से, संकेन्द्रण स्टेशन की ओर जा रहे हों, उनकी यात्रा की व्यवस्था केवल संकेन्द्रण स्टेशन तक ही की जानी चाहिए । आगे की यात्रा के लिए अलग से वारंट जारी किया जाना चाहिए। इस प्रकार सैन्य दल रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सैन्य दल रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए एक वारंट और उस स्टेशन से जिस स्टेशन पर वे सैन्य दल रेलगाड़ी को छोड़ें, गंतव्य की ओर आगे यात्रा करने के लिए एक अलग वारंट जारी किया जाएगा ।

(iii) दार्जिलिंग हिमालयन रेल पर सैनिक यात्रियों के लिए यात्रा करने की व्यवस्था इस प्रकार है :

(क) साधारण रेलगाड़ियों से 16 और 16 से कम व्यक्तियों के दलों के लिए, यात्रा के प्रारम्भ के स्थान से गंतव्य तक सीधा वारंट जारी किया जाएगा ।

(ख) साधारण रेलगाड़ियों से 16 से अधिक व्यक्तियों के दलों के लिए और विशेष रेलगाड़ियों से सभी दलों के लिए वारंट जंक्शन स्टेशन अर्थात् सिलीगुड़ी और किशनगंज तक जारी किए जाएंगे । दार्जिलिंग हिमालयन रेल पर की जाने वाली यात्रा के लिए अलग से वारंट जारी किए जाएंगे । ऐसी पार्टियों की यात्रा की व्यवस्था सीधे वारंटों पर किसी भी प्रकार नहीं की जाएगी ।

38. विभिन्न श्रेणी की यात्राओं के लिए मील–भत्ता निकालना

यात्रा रेल से या सड़क से की गयी है या की जा सकती थी, इसके अनुसार मील–भत्ता अलग–अलग तरीके से निकाला जाता है ।

39. मार्ग

(क) वारन्ट या मांग–पत्र पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए उस समय तक मुख्य मार्ग से यात्रा करना आवश्यक है जब तक चिकित्सा या सैनिक कारणों से उसके स्थान पर कोई अन्य मार्ग वांछनीय न हो ।

टिप्पणी: जो गोरखा सैनिक/नौसैनिक/वायुसैनिक सरकारी खर्च पर छुट्टी जा रहे हों, उन्हें वारन्ट बरास्ता कुनराघाट या गोरखपुर जारी किए जाने चाहिए । यह देख लेना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा स्टेशन नेपाल के उस जिले के अधिक पास है, जहां वह जा रहा है । सम्बन्धित व्यक्ति को वास्तव में जिस मार्ग से जाने की अनुमति दी गयी है, उस मार्ग का वारन्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा ।

(ख)(i) मील–भत्ता निकालने के प्रयोजन से यह माना जाएगा कि दो स्थानों के बीच दो या दो से अधिक यात्रा योग्य मार्गों में से सबसे छोटे या ऐसे सबसे सस्ते मार्ग से यात्रा की गयी है जो साथ ही सबसे छोटा भी है।

टिप्पणी: सड़क निरीक्षण जैसी और इसी प्रकार की अन्य यात्राएं, जो अनिवार्यतः रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से ही की जानी आवश्यक हैं, इस खण्ड के अन्तर्गत आती हैं।

(ii) सबसे छोटा मार्ग वह होगा जिसके द्वारा यात्रा करने वाला जनता द्वारा प्रयुक्त यात्रा के साधारण तरीकों से अपने गन्तव्य तक शीघ्र पहुंच सके । इस विषय में जहां सन्देह हो, वहां सक्षम प्राधिकारी यह निश्चित करेगा कि दो या दो से अधिक मार्गों से सबसे छोटा मार्ग कौन सा है।

(iii) यदि कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग से यात्रा करता है

जो सबसे छोटा नहीं लेकिन जो सबसे छोटे मार्ग की अपेक्षा अधिक सस्ता हो तो उसका मील–भत्ता उसके द्वारा वास्तव में उपयोग किए गए मार्ग के अनुसार ही निकाला जाएगा ।

टिप्पणी 1: असम और शेष भारत के बीच और असम और पश्चिम बंगाल में की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में, अखिल भारतीय मार्ग ही सबसे छोटा मार्ग माना जाएगा। बशर्ते कि:

(i) यात्रा उस मार्ग से वास्तव में की गयी हो, और

(ii) उपलब्ध अखिल भारतीय मार्गों में से अपनाया गया मार्ग सबसे छोटा हो।

टिप्पणी 2: जो व्यक्ति ड्यूटी ।अस्थायी अथवा स्थायी। पर रेल द्वारा यात्रा करते समय बंगलोर (या उसके आसपास के किसी स्थान) और उत्तर के स्थानों के बीच, वास्तव में बरास्ता चेन्नई यात्रा करें जिसके लिए ।बरास्ता। गुन्टकल सिकन्दराबाद सबसे छोटा मार्ग है लेकिन जो पहले मार्ग से कम सुविधाजनक है, उन्हें उस मार्ग से यात्रा–भत्ता दिया जाना चाहिए जिस मार्ग से उन्होंने वास्तव में यात्रा की हो । उस रियायत का लाभ स्थायी ड्यूटी पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के परिवारों, व्यक्तिगत सामान और वाहनों के लिए भी उस समय उठाया जा सकता है, जब उनका परिवहन वास्तव में उपयुक्त मार्ग से किया गया हो।

टिप्पणी 3: रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन तक कार्मिकों के संचलन के लिए मेटापल्लियाम के बदले कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी से चढ़ने / उतरने के लिए निकटतम होगा, इस शर्त पर कि इस प्रयोजन के लिए केवल राज्य सड़क परिवहन / निगम परिवहन का उपयोग किया जाएगा और सेना वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा । इस संबंध में रक्षा सेना कार्मिकों द्वारा किए गए व्यय का दावा, रेलवे वारंट या राज्य सड़क परिवहन/ निगम परिवहन की टिकटों की लागत, जो भी कम हो, के व्यय मार्फत, लिया जाएगा।

टिप्पणी 4: गुन्टकल और मुम्बई के बीच में किसी स्टेशन से जलारपेट से आने के किसी स्टेशन को अथवा जलारपेट से आगे के किसी स्टेशन से गुन्टकल और मुम्बई के बीच में किसी स्टेशन की ड्यूटी (अस्थायी या स्थायी) पर जाने वाले व्यक्तियों को बरास्ता यात्रा करने वाले और उसी मार्ग के यात्रा–भत्ते का दावा करने की अनुमति दी जाए ।

टिप्पणी 5: दिल्ली और गोमो के बीच के किसी स्टेशन से खड़गपुर और भुवनेश्वर के बीच के किसी स्टेशन को अथवा खड़गपुर और भुवनेश्वर के बीच किसी स्टेशन से दिल्ली और गोमो के बीच में किसी स्टेशन को ड्यूटी ।अस्थायी या स्थायी। पर जानेवाले व्यक्तियों को बरास्ता हावड़ा यात्रा करने और उन्होंने वास्तव में रेलमार्ग द्वारा यात्रा की हो तो उसी रेल मार्ग से यात्रा–भत्ते का दावा करने की अनुमति दी जाए ।

टिप्पणी 6: दिल्ली से विशाखापत्तनम अथवा विशाखापत्तनम से दिल्ली––ड्यूटी (अस्थायी या स्थायी) जानेवाले व्यक्तियों को बरास्ता नागपुर और विजयवाड़ा यात्रा करने और उस मार्ग से वास्तव में आ जाने पर यात्रा–भत्ते का दावा करने की अनुमति दी जाए।

टिप्पणी 7: नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच यात्राओं के लिए बरास्ता दिल्ली गेट, दरियागंज और कश्मीरी गेट मार्ग सबसे छोटा मार्ग माना जाए ।

टिप्पणी 8: गौहाटी और दिल्ली और दिल्ली के पास तथा दिल्ली से आगे के स्टेशनों और स्थानों को सरकारी खर्च पर रेल द्वारा यात्रा करते समय जो व्यक्ति बरौनी इलाहाबाद मार्ग से वास्तव में यात्रा करें, जिनका यात्रा करने के लिए बरौनी–लखनउ मार्ग उससे छोटा परन्तु कम सुविधाजनक है, उन्हें उसी मार्ग का यात्रा–भत्ता दिया जाए, वारन्ट जारी किया जाए, जिससे वे वास्तव में यात्रा करें ।

टिप्पणी 9: दिल्ली/नई दिल्ली और मंगलोर के बीच दौरे या स्थानान्तरण पर यात्रा करने के लिए, रेलमार्ग बारस्ता चेन्नई नियमानुसार सबसे छोटा मार्ग है । दिल्ली/नई दिल्ली और मंगलोर के बीच के स्टेशनों से दौरे या स्थानान्तरण पर तदनुसार जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को बरास्ता चेन्नई यात्रा करने और उसी मार्ग से यात्रा–भत्ते का दावा करने की अनुमति दी जाए ।

टिप्पणी 10: कोलकाता और गुडप्पा के बीच दौरे या स्थानान्तरण पर यात्रा करने के लिए रेल मार्ग बरास्ता चेन्नई सबसे छोटा मार्ग माना जाना चाहिए । इसलिए कोलकाता और गुडप्पा के बीच के स्टेशनों के दौरे या स्थानान्तरण पर जाने और आने वाले सरकारी कर्मचारियों को बरास्ता चेन्नई यात्रा करने और उस मार्ग का वास्तव में प्रयोग करने पर उसी मार्ग से यात्रा–भत्ते का दावा करने की अनुमति दी जाए।

टिप्पणी 11: दिल्ली और मरगोआ ।गोआ। के बीच स्थायी स्थानान्तरण पर यात्राओं में व्यक्तिगत सामान और निजी वाहन पूरी तरह सरकारी खर्च पर अपेक्षाकृत लम्बे मार्ग से अजमेर, खण्डवा और सिकन्दराबाद ले जाए जा सकते हैं । अस्थायी और स्थायी ड्यूटी पर यात्रा करते समय सरकारी कर्मचारी सबसे छोटे मार्ग से बरास्ता पूणे ही यात्रा करेगा । उसका परिवार भी, जब निःशुल्क सवारी का हकदार हो, सबसे छोटे मार्ग से यात्रा करेगा ।

टिप्पणी 12: स्थानान्तरण ड्यूटी, यात्रा रियायत पर यात्राओं में, व्यक्ति नीचे लिखे अपेक्षाकृत लम्बे मार्ग से यात्रा कर सकते हैं और उन्हें उन्हीं मार्गों से यात्रा–भत्ता/प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है :

(क) हैदराबाद और तिरूचिरापल्ली त्रिरुवनन्तपुरम/तूतीकोरिन/रामेश्वरम के बीच यात्रा करने के लिए बरास्ता चेन्नई ।

(ख) शिलांग और कोलकाता के बीच यात्रा के लिए बरास्ता बरौनी ।

टिप्पणी 13: अन्य रेलगाड़ियों द्वारा अपनाए जाने वाले वर्तमान मार्ग के अतिरिक्त नई दिल्ली से बोंगाई गांव/सिलचर (असम) तक के लिए तिनसुकिया मेल द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग ही मान्यता प्राप्त मार्ग होगा । तिनसुकिया मेल रेलगाड़ी द्वारा फरक्का बांध की यात्रा के लिए रेलवे के प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाए, यदि उक्त प्रभार, यात्री भाड़ा कर के रूप में वास्तव में लिया गया है।

टिप्पणी 14: अस्थायी ड्यूटी/स्थानान्तरण/छुट्टी यात्रा रियायत पर आब रोड और हावड़ा के बीच यात्रा करने के लिए दिल्ली होकर जाने वाला रेल मार्ग ही सबसे छोटा मार्ग माना जाए।

टिप्पणी 15: अस्थायी ड्यूटी/स्थानान्तरण/छुट्टी–यात्रा रियायत पर यात्रा करने के लिए मुम्बई–रतलाम जिसे सामान्य मान्यता प्राप्त मार्ग के अलावा पुणे होकर दिल्ली और लोनावाला के बीच के रेलमार्ग को सबसे छोटा मार्ग माना जाए ।

टिप्पणी 16: जामनगर और दिल्ली के बीच, और उसके आगे तथा इसी प्रकार, अस्थायी ड्यूटी/स्थानान्तरण/छुट्टी–यात्रा सम्बन्धी यात्राओं के लिए, मेहासाना होकर जाने वाले सामान्य मान्यता प्राप्त मार्ग के अलावा अहमदाबाद होकर जाने वाले रेलमार्ग को सबसे छोटा मार्ग माना जाए ।

टिप्पणी 17: "चिल्का" में कार्यरत सैनिक और सिविलियन कार्मिकों के संचलन के लिए "बालूगांव" सबसे समीपस्थ रेलवे स्टेशन माना जाएगा ।

टिप्पणी 18: रक्षा सेना श्रमिक एवं सिविलियन जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से भुगतान किया जाता है, उनके दिल्ली से राजकोट और राजकोट से दिल्ली स्थानान्तरण होने पर, उन्हें बडोदरा अहमदाबाद इत्यादि से होकर जाने वाले लम्बे मार्ग द्वारा, अपने वाहन की व्यक्तिगत सामानों के परिवहन के लिए अनुमति दी जा सकती है। तथापि दौरे पर गए कार्मिक, एवं स्थानान्तरण होने पर कार्मिक तथा उसके परिवार के लिए दावा, लघु मार्ग अर्थात् मेहसाना से होकर जाने वाले मार्ग के लिए ही होगा ।

टिप्पणी 19: योल और धर्मशाला में अवस्थित सेना की टुकड़ियों के संचलन के प्रयोजन से, पठानकोट समीपस्थ रेलवे स्टेशन होगा । भण्डारों की प्राप्ति/प्रेषण के लिए नगरोटा समीपस्थ रेलवे स्टेशन होगा । ड्यूटी/छुट्टी पर सेना की टुकड़ी के जाने के लिए अथवा वापस आने के लिए अपनी यात्रा, समीपस्थ रेलवे स्टेशन अर्थात् पठानकोट और योल/धर्मशाला के बीच सड़क यात्रा वारन्ट पर सार्वजनिक परिवहन द्वारा तय करेगी ।

टिप्पणी 20: अवाड़ी में तैनात सैनिक कार्मिकों एवं सिविलियन कार्मिकों के अस्थायी/स्थायी ड्यूटी पर और छुट्टी–यात्रा रियायत पर संचलन के लिए चेन्नई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन होगा ।

टिप्पणी 21: फतेहगढ़ में तैनात और अम्बाला क्षेत्र से आगे के सैनिक कार्मिकों को गाड़ी पकड़ने/गाड़ी से उतरने के लिए, शाहजहांपुर समीपस्थ रेलवे स्टेशन होगा । सामान्य मील–दूरी भत्ता अथवा बस का वास्तविक किराया, "जैसा भी हो" फतेहगढ़ से शाहजहांपुर और शाहजहांपुर से फतेहगढ़ के बीच की यात्रा के लिए मान्य होगा।

40. सबसे छोटे मार्गों को छोड़कर अन्य मार्गों से मील–भत्ते की मंजूरी

(अ) सक्षम प्राधिकारी विशेष कारणों से जिसे दर्ज किया जाना चाहिए, सबसे छोटे या सबसे सस्ते मार्ग को छोड़कर किसी अन्य मार्ग से यात्रा करने के लिए मील–भत्ते के परिकलन की अनुमति दे सकता है । बशर्ते कि यात्रा उस मार्ग से वास्तव में की गयी हो ।

टिप्पणी 1: उपरोक्त नियम के उपबन्ध सभी प्रकार की यात्राओं अर्थात् रेल, समुद्र या हवाई जहाज से की जाने वाली यात्राओं पर लागू होंगे। इसमें निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन और इस शर्त पर कि यह लोक सेवा के हित में हो, किसी विशिष्ट प्रकार से संचलन की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी इनमें से सबसे छोटे या सबसे सस्ते प्रकार की जाने वाली यात्रा को छोड़कर अन्य किसी मार्ग से यात्रा प्राधिकृत कर सकता है।

जहां यात्रा सबसे छोटे मार्ग से न की जा सकी हो, क्योंकि उस मार्ग से हकदार श्रेणी में स्थान का आरक्षण नहीं हो सका था, वहां अपेक्षाकृत लम्बे मार्ग से यात्रा करने के लिए यात्रा–भत्ता, स्वीकार्य नहीं होगा ।

फिर भी, जो व्यक्ति अपेक्षाकृत लम्बे मार्ग से वास्तव में यात्रा करता है जिस पर रेल में हकदार श्रेणी में स्थान का आरक्षण हो सकता हो, उसे सक्षम प्राधिकारी उस मार्ग का यात्रा–भत्ता दे सकता है जिससे उसने वास्तव में यात्रा की हो । लेकिन शर्त यह है कि सबसे छोटे मार्ग पर आरक्षण देर से मिलने या न मिलने की तुलना में लम्बे मार्ग से यात्रा करने से वास्तव में सार्वजनिक समय की बचत हुई हो, और सरकार का हित भी सुरक्षित रहा हो।

टिप्पणी 2: जब रेल से जुड़े स्थानों के बीच मोटर कार से यात्रा की गयी हो तो सक्षम प्राधिकारी को ही यह तय करना चाहिए कि ऐसे किसी मामले में पूरी दर पर यात्रा–भत्ता स्वीकार किया जाए या उसे उस सीमा तक स्वीकार किया जाए जिस सीमा तक वह स्वीकार्य होता हो और वह व्यक्ति साधारण रूप से रेल यात्रा करता हो । ऐसे प्रश्नों को तय करने में इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए कि क्या सड़क से यात्रा करने से सार्वजनिक समय की बचत या मार्ग में निरीक्षण कार्य जैसा कोई लोकहित का काम किया गया जो व्यक्ति के रेल से यात्रा करने पर न हो पाता ।

टिप्पणी 3: जो व्यक्ति नियम 57 के अधीन रेलगाड़ी में किसी स्थान की श्रेणी का हकदार हो लेकिन वह श्रेणी रेलगाड़ी में न हो तो इसे विशेष कारण मानकर उसे सड़क से यात्रा का मील–भत्ता दिया जा सकता है । परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी ऐसे अवसरों पर सड़क से यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को (टैक्सी आदि में एक सीट लेकर यात्रा करने को छोड़कर अन्यथा) उतनी ही राशि का मील–भत्ता मंजूर कर सकता है जो उसे स्वीकार्य होता, यदि वह रेल की उस श्रेणी से यात्रा करता, जिसका कि आमतौर पर वह हकदार हो।यदि प्रश्नगत यात्रा की अपेक्षित श्रेणी का किराया विशेष रूप से न प्रकाशित किया गया हो तो उसे रेल समय और किराया सारणी में उपलब्ध उपयुक्त आंकड़ों से परिकलित किया जा सकता है ।

टिप्पणी 4: भर्ती अफसर अपने लिए, अपने सहायकों, अतिरिक्त सहायक भर्ती अफसरों और भर्ती चिकित्सा अफसरों के लिए सक्षम प्राधिकारी है ।

टिप्पणी 5: रक्षामन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार ड्यूटी पर अपने विवेक से सड़क या रेल से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत है ।

टिप्पणी 6: (i) (क) मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतन व भत्ता), अन्डमान और निकोबार कमान अन्डमान और निकोबार ग्रुप के द्वीप समूह में तैनात रक्षा कार्मिकों को वार्षिक छुट्टी या ड्यूटी पर जाते हुए या वापस आते समय, लम्बे रास्ते से जाने की स्वीकृति दे सकता है।

टिप्पणी 6: (i) (ख) अन्डमान और निकोबार ग्रुप के द्वीप समूह में तैनात रक्षा कार्मिकों को वार्षिक छुट्टी या ड्यूटी पर जाते हुए या वापस आते समय, लम्बे रास्ते से जाने के लिए स्वीकृति, कमान्डेंट आरोहण मुख्यालय, कोलकाता और चेन्नई दे सकता है।

टिप्पणी 6: (ii) मुख्यसुरक्षा अधिकारी (वेतन व भत्ता), अन्डमान और निकोबार कमान उपर्युक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस बात को ध्यान में रखेगा कि यात्रा में विलम्ब न होने और पत्तन पर यथासम्भव हद तक मजबूरी से पड़ाव न करने के लिए यह अनुमति देनी आवश्यक है ।

(ब) सक्षमप्राधिकारी/एरिया/सब एरिया/ब्रिगेड/डिवीजन कमान्डर उस क्षेत्र के अन्दर जो उनके प्रशासन में हो और उन स्थानों के बीच जहां सबसे छोटा मार्ग रेल का हो, अस्थायी ड्यूटी पर निजी या किराए की मोटरकार (एक सीट लेकर यात्रा करने को छोड़कर अन्यथा) की गयी यात्रा की दूरी के लिए सड़क से मील–भत्ते का आहरण कर सकते हैं।

41. यात्रा शुरू करने और यात्रा समाप्त करने का स्थान

(i) स्थानान्तरण पर यात्रा, सम्बन्धित व्यक्ति के वास्तविक निवास से प्रारम्भ और निवास पर समाप्त मानी जाती है । अन्य किसी प्रकार की यात्रा (इसमें यात्रा का वह प्रकार शामिल नहीं है, जिसका उल्लेख नीचे दी गयी टिप्पणी में किया गया है) का प्रारम्भ या समाप्ति किसी भी स्टेशन में उस स्टेशन के ड्यूटी स्थलसे मानी जाएगी ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए मुख्यालय में ड्यूटी स्थल से आशय उस स्थान या कार्यालय से है जहां कोई व्यक्ति ड्यूटी पर रहता है, अर्थात् इससे आशय मुख्यालय में नियोजन के स्थान/कार्यालय से है। बाहरी स्टेशनों के मामलों में "ड्यूटी स्थल" से आशय उस स्थान/कार्यालय से होगा जहां व्यक्ति अपनी ड्यूटी करने के लिए जाता हो । जहां बाहरी स्टेशन पर ऐसे स्थल दो या दो से अधिक हों, वहां निम्नलिखित को ड्यूटी स्थल माना जाएगा :

(क) यदि व्यक्ति उस स्टेशन पर रेल, स्टीमर या हवाई जहाज से पहुंचे, तो वहां वह स्थल जो रेल के स्टेशन बन्दरगाह (या जेटी) या हवाई जहाज के बुकिंग कार्यालय से सबसे दूर हो , और

(ख) यदि उस स्टेशन पर सड़क से पहुंचे, वह स्थल उस स्थल से सबसे दूर हो जहां उस स्टेशन से यात्रा आरम्भ हुई हो ।

टिप्पणीः (i) जहां यात्रा उस स्टेशन से आरम्भ हुई हो, समाप्त हुई हो जो व्यक्ति का न तो मुख्यालय हो और न ही उसका ड्यूटी स्थल, तो उसकी यात्रा उसके निवास स्थान से आरम्भ या निवास स्थान पर समाप्त हुई मानी जानी चाहिए ।

(ii) जो व्यक्ति नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में कार्य कर रहे हों या जो व्यक्ति नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में अस्थायी ड्यूटी पर जा रहे हों, उनका सड़क मील–भत्ता, नीचे दिए गए तरीके से विनियमित किया जाएगा :

(क) जिन व्यक्तियों की रेल यात्रा दिल्ली जंक्शन से आरम्भ हो और दिल्ली जंक्शन पर समाप्त हो और जो इस यात्रा के दौरान नई दिल्ली से होकर न गुजरे, इन्हें सड़क मील–भत्ता, "ड्यूटी स्थल" और दिल्ली जंक्शन के बीच स्वीकार्य होगा ।

(ख) उन व्यक्तियों को सड़क मील–भत्ता जो नई दिल्ली से होकर रेल से यात्रा करें, "ड्यूटी स्थल" और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच स्वीकार्य होगा।

उपर्युक्त उपखण्ड (क) और (ख) में दिया गया सिद्धान्त स्थायी ड्यूटी पर संचलन के मामले में भी लागू होगा। लेकिन उस मामले में दूरी व्यक्ति के निवास स्थान से और उसके निवास स्थान तक निर्धारित की जाएगी।

42. घाट––प्रसार, राहदारी और रेल किराया

(i) अपने स्थायी स्टेशन से 8 कि0 मी0 या उससे कम ड्यूटी पर यात्रा करने वाला व्यक्ति उन वास्तविक राशियों को वसूल करने का हकदार होगा जो उसने घाट और अन्य राहदारी प्रभारों और किरायों को अदा करने में खर्च की हो।

(ii) सड़क द्वारा वारन्ट पर और ड्यूटी पर यात्रा करने वाला व्यक्ति उस वास्तविक राशि को वसूल करने का अधिकारी होगा अथवा हकदार होगा जो उसने उस सड़क पर नगर पालिका या अन्य राहदारी लिए जाने के कारण खर्च की हो।

नैनीताल, मसूरी और अलमोड़ा की नगर पालिकाओं, लैन्सडाउन और रानीखेत के छावनी बोर्डों और पौड़ी की अधिसूचित क्षेत्र समितियों द्वारा प्रभारित राहदारी उसी राशि तक सीमित होगी जो प्रत्येक मामले में अदा की गयी हो और इन स्टेशनों के ड्यूटी पर जाने वाले सिविलियनों को नियमों के अधीन आमतौर पर स्वीकार्य यात्रा–भत्ते के अतिरिक्त अदा की जाएगी।

(iii) अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा करने वाले नौसेना कार्मिकों द्वारा अदा की गयी राहदारी, घटाकर आदि की प्रतिपूर्ति, उन्हें सामान्य नियमों के अधीन स्वीकार्य अस्थायी ड्यूटी मानकर अदा किए जाने वाले यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते के अलावा की जानी चाहिए ।

43. रेल/वायुयानों में स्थान के आरक्षण के सम्बन्ध में व्यय–भार

(क) ड्यूटी पर यात्रा करते समय नकद यात्रा–भत्ते के पात्र अफसरों और अन्य व्यक्ति के लिए वायुयानों में स्थान के सभी व्यय जिसमें डाक और तार सारणी के माध्यम से भेजे जाने वाले तारों की लागत भी शामिल हैं, सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाएगा । जो अफसर हवाई जहाज में आरक्षण की व्यवस्था कर रहा हो और उसके सम्बन्ध में व्यय कर रहा हो, वह सम्बन्धित रक्षा लेखा नियन्त्रक को जब और जैसे ही खर्च किया जाए इसकी सूचना देगा, जिससे सम्बन्धित व्यक्ति से प्रभारों की वसूली की जा सकें ।

(ख) रेल की सभी श्रेणियों से सम्बन्धित, रेलवे द्वारा लगाए गए आरक्षण प्रभार को किराए का अंश समझकर कार्मिकों को उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी । ड्यूटी पर यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी आगे की यात्रा के लिए/वापस आने के लिए गाड़ी में स्थान के आरक्षण से सम्बन्धित रेलवे द्वारा प्रभारित तार व्यय की भी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी ।

(ग) रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान पाने वाले सिविलियनों/सेना कार्मिकों को जो स्वंय जाते या प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बुकिंग कार्यालय, पासपोर्ट कार्यालय, दूतावासों से हवाई/रेल/बस/पोत टिकटों, पासपोर्ट, वीसा इत्यादि की वसूली के लिए, उन्हें भारत के भीतर एवं साथ ही विदेश में कार्यालयी यात्राओं

के संबंध में वाहन व्यय की हकदारी प्राप्त होगी। इस सुविधा की अनुमति केवल सार्वजनिक परिवहन के लिए दी जाएगी और नियंत्रक अधिकारी के अधीन नियंत्रित भी होगी ।

44. अप्रयुक्त रेल/हवाई जहाज के टिकटों के निरसन प्रभारों की वापसी

(क) ऐसे किसी मामले में जिसमें लोकहित के कारण सरकारी रेल यात्रा रद्द कर दी जाती है तो रद्द करने तथा आरक्षण प्रभार की प्रतिपूर्ति सम्बद्ध विभाग/कार्यालय द्वारा सीधे की जाएगी।

ऐसी ही परिस्थिति में, सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को भी इन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

टिप्पणी: अप्रयुक्त रेल टिकटों (जिनमें वातानुकूलित श्रेणी के टिकट भी शामिल हैं) पर निरसन प्रभारों की वापसी का दावा सम्बन्धित व्यक्ति को ही रेल विभाग को प्रस्तुत करना चाहिए और उसके साथ विधिवत् नियन्त्रण अफसर का इस आशय का प्रमाण–पत्र लगाना चाहिए कि यात्रा केवल सरकारी कारणों से रद्द की गयी है । जो व्यक्ति यात्रा–भत्ते के प्रयोजनों के लिए खुद अपना नियन्त्रण अफसर हो, उसे चाहिए कि वह प्रमाण–पत्र अपनी सरकारी हैसियत से प्रस्तुत करे । लेकिन रेल विभाग को प्रस्तुत किया गया वापसी का दावा उसी राशि तक सीमित होना चाहिए जिस सीमा तक वह उस स्थिति में होता कि सबसे छोटे मार्ग से वह अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक करता और फिर यात्रा रद्द कर देता। यह सीमा उन असाधारण मामलों में नहीं होगी, जिस मामले में सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनाया गया मार्ग नियन्त्रण अफसर ने या यात्रा–भत्ते के प्रयोजनों के लिए स्वयं अपना नियन्त्रण अफसर होने पर स्वयं सरकारी कर्मचारी ने लोक सेवा के हित में प्रमाणित किया हो।

(ख) हवाई यात्रा के रद्द किए जाने पर सरकार को चाहिए कि वह सम्बन्धित व्यक्ति को उन कटौतियों की प्रतिपूर्ति करे जो हवाई परिवहन कम्पनियों ने अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा से सम्बन्ध में उसके द्वारा खरीदे गए टिकटों पर की हो, बशर्ते कि यात्रा सरकारी कारणों से रद्द की गयी हो या उन परिस्थितियों के कारण रद्द की गयी हो जो अपरिहार्य हों या उसके नियंत्रण से बाहर हों। लेकिन यह प्रतिपूर्ति ऐसे व्यक्तियों तक सीमित होनी चाहिए जो हवाई जहाज से यात्रा के पात्र हों और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी ने हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत किया हो, लेकिन प्रतिपूर्ति की राशि सम्बन्धित हवाई परिवहन कम्पनी द्वारा की गयी निवल कटौती तक ही सीमित होनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी यात्रा एजेन्ट के माध्यम से अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक करवाए उसे "एजेन्सी प्रभारों" की वापसी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा उसने अपनी सुविधा के लिए किया है । नियम 62 (क) के अधीन आने वाले अधिकारियों के ऐसे सभी दावे मंजूरी के लिए अगले वरिष्ठतम अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष के खुद के मामलों में, वह इस आशय का प्रमाण–पत्र अंकित करेगा कि सरकारी यात्रा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण रद्द की गयी थी । जहां हवाई जहाज के टिकट को रद्द करने के प्रभार की राशि हवाई जहाज के टिकट के मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होती, वहां सेना मुख्यालयों के पी एस ओ/उप–पी एस ओ भी यह प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुए स्वयं की दावे की राशि वापस कर सकते हैं कि सरकारी यात्रा को रद्द करना अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण था।

(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित शर्तों के अधीन निरसन प्रभारों की वापसी स्थानान्तरण पर हवाई जहाज से की जाने वाली यात्राओं के अप्रयुक्त टिकटों पर अनुमत हागी, बशर्ते कि व्यक्ति अपने विवेक से हवाई जहाज से यात्रा करने का हकदार हो या उस प्राधिकारी ने उसे प्राधिकृत किया हो जो सरकारी खर्च पर हवाई जहाज से यात्रा करने का आदेश देने के लिए सक्षम हो। ऐसी वापसियां उन्हीं अप्रयुक्त हवाई टिकटों पर की जाएंगी, जिसे व्यक्ति ने अपने लिए और अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए खरीदी हो जो हवाई यात्रा के हकदार हों या जिन्हें सक्षम प्राधिकारी ने स्थानान्तरण पर उसके साथ सरकारी खर्च पर हवाई यात्रा करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया हो।

(घ) उन मामलों में जहां एक सरकारी कर्मचारी ने अग्रिम रूप से, कार्यालयी यात्रा के लिए बस द्वारा सीट आरक्षित करा रखी है, परन्तु बाद में उसे वह रद्द करनी पड़ती है, तब इन विनियमों के नियम 2 में लिखित सक्षम प्राधिकारी और नियंत्रक अधिकारी, लोकहित की तात्कालिक आवश्यकताओं से कार्यालयी यात्राओं के रद्दकरण के मामलों में कमशः राज्य परिवहन निगमों द्वारा मापकमों पर, जैसा लागू किया गया है, अप्रयुक्त बस टिकटों पर, निरसन व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे सकता है ।

45. सड़क यात्राओं में किलोमीटर का अंश

सड़क से की गयी यात्राओं का मील–भत्ता निकालने में, किसी भी यात्रा के बिल के सकल जोड़ से न कि बिल

में दी गयी अनेक मदों से किलोमीटर के अंशों को निकाल देना चाहिए।

टिप्पणीः उपर प्रयुक्त "यात्रा" शब्द से आशय उस यात्रा से है जो व्यक्ति के मुख्यालय छोड़ने की तारीख और उसके मुख्यालय लौटने की तारीख के बीच की गयी हो अर्थात् जहां यात्रा में एक से अधिक स्टेशनों पर जाना शामिल हो वहां उस यात्रा को लगातार माना जाना चाहिए और उसे किलोमीटर के अंशों को हटाने के प्रयोजन के लिए हिस्सों में विभाजित नहीं करना चाहिए ।

46. रिक्त

47. वारन्ट जारी न किए जाने की स्थिति में स्वीकार्य यात्रा–भत्ता

(i) यदि किसी मामले में जिसमें सड़क यात्रा के लिए वारन्ट देकर सवारी की व्यवस्था की जानी चाहिए, वारन्ट जारी नहीं किया जा सकता है तो उपर्युक्त सवारी के लिए स्वयं और सामान के लिए वास्तविक खर्च और सामान्य स्थानों के लिए दिए जाने वाले दैनिक–भत्ते की दर के बराबर भत्ता दिया जाना चाहिए और यह कुल राशि सामान्य नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा–भत्ते तक सीमित होनी चाहिए । उन लोगों के मामले में जिन्हें आमतौर पर वारन्ट पर यात्रा करनी पड़ती है, नियम 61 के अधीन स्वीकार्य मील–भत्ते तक सीमित वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

(ii) जब वारन्ट पर सड़क यात्रा की जानी हो, लेकिन व्यक्ति अपनी खुद की सवारी में यात्रा करे तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से उस व्यक्ति को उसके स्थान पर वारन्ट का मूल्य अदा कर सकता है बशर्ते कि सरकारी परिवहन उपलब्ध न हो और सरकार को अतिरिक्त खर्च न करना पड़े। शर्त यह भी है कि उससे सैनिक नियमों के अधीन यात्रा करने वाले कार्मिकों की सवारी के लिए सैनिक प्राधिकारियों द्वारा किए गए किसी करार की शर्तों का उल्लंघन न होता हो ।

(iii) जब किसी व्यक्ति को ड्यूटी पर रेल द्वारा वारन्ट पर यात्रा करनी हो और वह वारन्ट का उपयोग न करे तो नियन्त्रक अफसर को चाहिए कि वह उसे वारन्ट के मूल्य की प्रतिपूर्ति कर दे, बशर्ते कि उस व्यक्ति ने जिस सवारी से यात्रा की हो, उस पर खर्च किया हो और उसके ऐसा करने से राज्य को अतिरिक्त खर्च वहन न करना पड़ा हो।

(iv) जब रिजर्व सैनिकों और एन0सी0 ओ0/प्रादेशिक सेना के जवानों को प्रशिक्षण या सेवा के लिए बुलाया जाए और वे अपनी यात्राओं के लिए आई0ए0एफ0वाई0–1954 का इस्तेमाल न करे, तो नियंत्रक अफसर उसके बराबर के मूल्य की वापसी कर सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति ने जिस सवारी से यात्रा की हो, उस पर खर्च किया हो और उसके ऐसा करने से राज्य को अतिरिक्त खर्च वहन न करना पड़ा हो ।

48. यात्रा व्यय आदेश पर सवारी की व्यवस्था

(क) प्रशिक्षण या सेवा के लिए बुलाए गए रिजर्व सैनिक के मामले में सवारी की व्यवस्था आई.ए.एफ.वाई.–1954/एन.एफ.–3/एन.एफ.–4(सी) से संलग्न यात्रा व्यय आदेश द्वारा की जाती है।

(ख) जिन रिजर्व सैनिकों का घर भारत के मुख्य भू–भाग में हो और जो अन्डमान और निकोबार द्वीपों में सेवा कर रहे हों, वे भी प्रशिक्षण के लिए उस क्षेत्र से बुलाए जाने पर समुद्री मार्ग व्यय के हकदार होंगे।

(ग) जिन रिजर्व सैनिकों का घर कोकण तट पर हो, और उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाए तो आई.ए.एफ.वाई.–1954/एन.एफ.–3/एन.एफ.–4 (सी) से संलग्न यात्रा व्यय आदेश प्रस्तुत करने पर उनके लिए कोकण तट के पत्तनों से मुम्बई तक सम्बन्धित स्टीमर कम्पनी द्वारा यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। रिजर्व सैनिक को फार्म भेजने से पहले उसे पूरा भरा जाना चाहिए ।

49. रिक्त

50. रिक्त

51. रिक्त

52. रिक्त

53. रिक्त

54. रिक्त

55. रिक्त

अध्याय दो

स्थायी ड्यूटी संचलन

56. स्थायी ड्यूटी की परिभाषा

उस स्थिति को छोड़कर जहां विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख किया गया हो, यदि किसी कर्मचारी को 180 दिन से अधिक अवधि के लिए स्थानांतरित किए जाने का आदेश दिया जाता है और वह आदेश देने वाले प्राधिकारी की अपेक्षाओं के अनुसार उस स्टेशन में ड्यूटी करता है तो ऐसी ड्यूटी पर संचलन को स्थायी ड्यूटी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

परन्तु यदि उपर्युक्त स्टेशन पर ड्यूटी की अवधि 180 दिन से अधिक हो जाती है तो "अस्थायी" स्थानान्तरण के रूप में वर्गीकृत स्थानान्तरण को "स्थायी" स्थानान्तरण के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा । और

परन्तु यह भी कि "स्थायी" स्थानान्तरण के रूप में वर्गीकृत स्थानान्तरण को उसके बाद संशोधित नहीं किया जाएगा, जब कर्मचारी संचलन, स्थानान्तरण का आदेश मिलने पर उस स्टेशन से आरम्भ हो चुका हो, जहां वह सरकारी तौर पर तैनात किया गया हो।

इस नियम में जो कुछ दिया गया है, उसके बावजूद किसी भी व्यक्ति का

संचलन उस स्थिति में स्थायी स्थानान्तरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, यदि उसका संचलन निरीक्षण के दौरे के लिए हुआ हो ।

टिप्पणी : बाह्य स्टेशन पर प्राधिकृत शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए किए जाने वाले "स्थायी" संचलन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब पाठ्यक्रम की अवधि 180 दिन से अधिक हो जाने की संभावना हो ।

बशर्ते कि यदि पाठ्यक्रम अलग–अलग दो स्टेशनों पर आयोजित किया जाता है तो संचलन को अलग–अलग स्टेशन पर बिताई गयी अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा न कि पाठ्यक्रम की कुल अवधि के सन्दर्भ में ।

57. रेल से की जाने वाली यात्रा के सम्बन्ध में वास की श्रेणियां

(क) मील–भत्ते का हिसाब लगाने और वारंट पर की जाने वाली यात्राओं के प्रयोजन के लिए रेल द्वारा वास की श्रेणियों के लिए यात्रा की हकदारियां नीचे दिए अनुसार होंगी :

(i) सेना कार्मिक :

ग्रेड वेतन	यात्रा हकदारियां
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 10,000 और उससे उपर को आहरित करते हैं और जो एच.ए.जी. और उससे उपर वेतनमान में हैं ।	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 7,600/– से ₹ 8,900/– तक, को आहरित करते हैं ।	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 5,400/– से ₹ 6,600/– तक, को आहरित करते हैं ।	वातानुकूलित 2 टियर
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– से ₹ 4,800/– तक, को आहरित करते हैं ।	वातानुकूलित 2 टियर
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– से कम को आहरित करते हैं ।	प्रथम श्रेणी / वातानुकूलित 3 टियर / वातानुकूलित चेयर कार

(ii) शताब्दी / जन शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों से यात्रा करने की हकदारी :

शताब्दी / जन शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा करने की हकदारी निम्नलिखित अनुसार होगी:

	ग्रेड वेतन	यात्रा हकदारियां
(i)	लेफ्टि0 कर्नल और उससे उपर तथा उनके समकक्षों और सिविलियनों जो ग्रेड वेतन ₹ 7,600/– और उससे उपर को आहरित करते हैं ।	कार्यकारी श्रेणी
(ii)	अन्य अफसरों में शामिल करते हुए अन्य एम.एन.एस. अफसरों, मिडशिपमैंन और अवैतनिक कमीशन प्राप्त अफसरों, जे.सी.ओ, एन.सी.ओ. , ओ.आर. और एन.सी. (ई) और उनके समकक्षों और अन्य सभी सिविलियनो जो ग्रेड वेतन ₹ 7,600/– से कम को आहरित करते हैं ।	वातानुकूलित चेयर कार

(ख) सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी से यात्रा करने वाला व्यक्ति, ऐसी रेल गाड़ियों से की गयी सभी यात्राओं के लिए रेल किराए के अतिरिक्त (जिसमें आरक्षण शुल्क शामिल नहीं है) विशेष अनुपूरक प्रभारों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा आरक्षण प्रभारों की अदायगी नीचे खण्ड (ग) के अन्तर्गत की जाएगी ।

(ग) कार्मिकों को किरायों के अतिरिक्त, बैठने के स्थान (दिन की यात्रा के लिए) और सोने के स्थान (रात की यात्रा के लिए) के लिए आरक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति की हकदारी होगी ।

(घ) सभी सेना कार्मिक और सिविलियन जिनकी अदायगी रक्षा सेवा प्राक्कलन से की जाती है और जो दौरे/स्थानान्तरण पर प्रथम श्रेणी/ वातानुकूलित कुर्सी कार द्वारा यात्रा करने के हकदार हैं अपने विवेक पर दौरे/स्थानान्तरण पर द्वितीय वातानुकूलित 2 टियर द्वारा यात्रा कर सकते हैं जबकि दोनों स्थानों को न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से जोड़ने वाली सीधी रेल गाड़ियों में से किसी में प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कुर्सी यान न हो ।

(ङ) सभी सेना कार्मिक तथा "सिविलियन" जो रक्षा सेवा प्राक्कलन से भुगतान पाते हैं, जिनको अस्थायी/स्थायी ड्यूटी पर रेल के वातानुकूलित वास की प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा करने की हकदारी है, अस्थायी/स्थायी ड्यूटी पर कालका एवं शिमला के मध्य, उनके विवेकानुसार से रेल मोटर द्वारा यात्रा कर सकते हैं ।

टिप्पणी : सेना कार्मिकों के परिवारों को विशेष सैन्य दल रेल गाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इसमें राज्य का कोई अतिरिक्त खर्च न हो । परिवारों को उपलब्ध किए जाने वाले स्थान की श्रेणी वही होगी जो सैनिक टैरिफ में निर्धारित की जाएगी ।

(च) उन स्थानों के मामले में , जो रेल द्वारा संयोजित नहीं हैं , उन सभी के लिए जिनको वातानुकूलित दो टियर और उससे उपर रेल से और डीलक्स/ साधारण बस से अन्य के लिए , यात्रा की हकदारी है , को वातानुकूलित बस द्वारा यात्रा की अनुमति है।

(छ) सड़क द्वारा यात्रा के मामलों में , उन स्थानों के मध्य जो रेल द्वारा संयोजित नहीं हैं , किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के साधनो द्वारा यात्रा की अनुमति है , बशर्ते कि कुल किराया हकदार श्रेणी के रेल के किराए से अधिक न होता हो।

(ज) निम्नलिखित प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी :–

(i) 'तत्काल सेवा प्रभारों' को सरकारी प्रयोजनों के लिए अत्यंत आपातिक परिस्थितियों में की गई रेल द्वारा यात्राओं के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया जा सकता है ।

(ii) इन्टेरनेट / ई–टिकिटिंग द्वारा रेल की टिकटों को बुक करने के लिए इन्टेरनेट प्रभारों को, जिनको भारतीय रेल की वेबसाईट द्वारा बुक किया गया है , सरकारी दौरों के लिए रेल द्वारा की गई यात्राओं के लिए ।

(iii) सेवा कर / शिक्षा उपकर का घटक और अन्य समान उगाहियां, दौरे/ स्थानांतरण या एल.टी.सी. पर, हवाई मार्ग /रेल /स्टीमर द्वारा यात्रा पर सरकार द्वारा लगाई जाती हैं ।

(iv) रेलवे स्टेशन / बुकिंग कार्यालय इत्यादि से हवाई मार्ग / रेल टिकट लाने के लिए सार्वजनिक परिवहन द्वारा स्वीकार्य प्रभार प्रतिपूर्ति के योग्य हैं ।

58. समुद्र द्वारा या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा की हकदारी

(क)

ग्रेड वेतन	यात्रा हकदारियां
सेना प्रमुखों/सह सेना प्रमुखों/सेना कमांडरों और समकक्षों / डी.जी.ए.एफ.एम.एस. और अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 5,400 और उससे उपर को आहरित करते हैं ।	उच्चतम श्रेणी
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– से ₹ 4,800/– तक , को आहरित करते हैं ।	यदि वहां दो श्रेणियां हैं, केवल स्टीमर पर तब निचली श्रेणी
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,400/– और ₹ 2,800/–, को आहरित करते हैं ।	यदि वहां दो श्रेणियां हैं , केवल स्टीमर पर तब निचली श्रेणी , यदि वहां तीन श्रेणियां हैं , तब बीच की या द्वितीय श्रेणी , यदि वहां चार श्रेणियां हैं , तब तृतीय श्रेणी
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,400/– से कम को आहरित करते हैं ।	सबसे निचली श्रेणी

टिप्पणी: ग्रेड वेतन ₹ 3,400/– को आहरित करने वाले अधिकारियों को वर्तमान में "यदि वहां दो श्रेणियां हैं , केवल स्टीमर पर , तब निचली श्रेणी" की हकदारी है और उनको इसकी हकदारी आगे भी जारी रहेगी ।

(ख) मुख्य भूमि और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों और लक्षद्वीप समूह के द्वीपों के मध्य, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड द्वारा प्रचालित जहाजों द्वारा यात्रा के लिए वास की हकदारियां

ग्रेड वेतन	यात्रा हकदारियां
सेना प्रमुखों / सह सेना प्रमुखों / सेना कमांडरों और समकक्षों / डी.जी.ए.एफ.एम.एस. और अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 5,400 और उससे उपर को आहरित करते हैं।	डीलक्स श्रेणी
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– से ₹ 4,800/– तक, को आहरित करते हैं ।	प्रथम / 'ए' केबिन श्रेणी
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,400/– और ₹ 2,800/–, को आहरित करते हैं ।	द्वितीय / 'बी' केबिन श्रेणी
अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,400/– से कम को आहरित करते हैं ।	बंक श्रेणी

टिप्पणी: ग्रेड वेतन ₹ 3,400/– को आहरित करने वाले अधिकारियों को वर्तमान में प्रथम/'ए' केबिन श्रेणी' की हकदारी है और उनको इसकी हकदारी रहेगी।

59. दैनिक–भत्ते की स्वीकार्यता

कोई दैनिक–भत्ता स्थायी ड्यूटी संचलनों पर अनुमत्य नहीं है ।

60. रिक्त ।

61. सड़क द्वारा यात्रा के लिए सड़क मील दूरी की दरें

(क) ग्रेड वेतन की श्रेणियों को सार्वजनिक बस / वातानुकूलित टैक्सी / टैक्सी / ऑटो रिक्शा / स्कूटर/मोटर साइकिल /मोपेड, निजी कार द्वारा यात्रा करने के लिए नीचे दर्शाया गया है :

ग्रेड वेतन	यात्रा हकदारियां
(i) सेना प्रमुखों / सह सेना प्रमुखों / सेना कमांडरों और समकक्षों / डी.जी.ए.एफ.एम.एस. और अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 10,000 और उससे उपर को आहरित करते हैं।	किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस शामिल करते हुए वातानुकूलित बस के द्वारा वास्तविक किराया या

ग्रेड वेतन	यात्रा हकदारियां
	वातानुकूलित टैक्सी की निर्धारित दरों पर जब यात्रा वास्तव में वातानुकूलित टैक्सी द्वारा निष्पादित हुई है या आटो रिक्शा की निर्धारित दरों पर, आटो रिक्शा, स्वयं के स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड इत्यादि द्वारा यात्राओं के लिए
(ii) अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 5,400/– से ₹ 9,000/– तक , को आहरित करते हैं ।	जैसा उपर (i) के समान ही , अपवाद के साथ कि वातानुकूलित टैक्सी द्वारा यात्रा को अनुमत्य नहीं माना जाएगा
(iii) अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– से ₹ 4,800/– तक, को आहरित करते हैं ।	जैसा उपर उपर (ii) के समान ही
(iv) अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,400/– और उससे उपर परंतु ₹ 4,200/– से कम को आहरित करते हैं।	किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस के द्वारा वातानुकूलित बस को छोड़कर का वास्तविक किराया या आटो रिक्शा की निर्धारित दरों पर, आटो रिक्शा, स्वयं के स्कूटर , मोटर साइकिल, मोपेड इत्यादि द्वारा यात्राओं के लिए
(v) अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,400/– से कम को आहरित करते हैं ।	वास्तविक किराया केवल साधारण सार्वजनिक बस के द्वारा या आटो रिक्शा की निर्धारित दरों पर, आटो रिक्शा, स्वयं के स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड इत्यादि
टिप्पणीः ग्रेड वेतन ₹ 3,400/– को आहरित करने वाले अधिकारियों को वर्तमान में जैसा उपर (iii) में है, की हकदारी है और उनको इसकी हकदारी आगे भी जारी रहेगी ।	(ख) सड़क द्वारा यात्राओं के लिए, उन स्थानों में जहां कोई विशिष्ट दरों को निर्धारित नहीं किया गया है , संबंधित राज्य के परिवहन निदेशक या पड़ोसी राज्यों के द्वारा निम्नलिखित दरों पर मील–दूरी भत्ते का नियमन किया जाएगा :
(i) अपनी स्वयं की कार / टैक्सी द्वारा निष्पादित यात्राओं के लिए	₹ 16.00 प्रति कि0मी0
(ii) आटो रिक्शा / स्वयं के स्कूटर इत्यादि द्वारा निष्पादित यात्राओं के लिए	₹ 8.00 प्रति कि0मी0

(ग) दौरों और स्थानान्तरण पर बाईसाइकिल पर यात्राओं के लिए मील–दूरी भत्ते की दरें जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा के अनुसार होगी (वर्तमान दर है ₹ 1.20 प्रति किलोमीटर) ।

टिप्पणी 1: इस यात्रा–भत्ते / दैनिक–भत्ते की उपर उल्लिखित दरों को स्वयमेव ही 25% बढ़ा दिया जाएगा जब भी देय मंहगाई–भत्ता 50% से उपर हो जाता है ।

टिप्पणी 2: जब अफसर से निम्न रैंक के कार्मिकों और समकक्षोंको किसी उच्च प्राधिकारी के आदेश से किसी विशेष सवारी से यात्रा करनी पड़े जिसकी लागत उसको स्वीकार्य मील भत्ते से अधिक हो तो वह मील–भत्ते के स्थान पर सवारी में लगी वास्तविक लागत ले सकता है। वास्तविक लागत के बिल के साथ उच्च प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और नियन्त्रण अफसर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि विशेष सवारी का इस्तेमाल अत्यधिक आवश्यकता था । साथ ही उसमें उन परिस्थितियों का भी उल्लेख होना चाहिए जिनके कारण विशेष सवारी से की गयी यात्रा आवश्यक हुई हो ।

61–अ. स्थानान्तरण पर व्यक्तिगत सामान का परिवहन

स्थानान्तरण पर सेना कार्मिकों तथा सिविलियनों के संबंध में व्यक्तिगत सामान को लाने ले जाने के लिए भत्ता निम्नलिखित समरूप दरों पर देय हैं :–

ग्रेड वेतन	रेल / स्टीमर द्वारा	सड़क द्वारा परिवहन के लिए दर प्रति कि0मी0	
		एक्स / वाई श्रेणी शहर'	जेड श्रेणी शहर'
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) सेना प्रमुखों/सह सेना प्रमुखों/सेना कमांडरों और समकक्षों/डी.जी.ए.एफ.एम.एस. और अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 7,600 और उससे उपर को आहरित करते हैं।	6000 कि.ग्राम. माल गाड़ी द्वारा/ चार पहिए वैगेन/ एक डबल कंटेनर	30.00 (₹ 0.005 प्रति कि.ग्राम. प्रति कि.मी.)	18.00 (₹ 0.003 प्रति कि.ग्राम. प्रति कि.मी.)
(ii) अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– से ₹ 6,600/– तक, को आहरित करते हैं।	6000 कि.ग्राम. माल गाड़ी द्वारा/चार पहिए वैगेन/एक सिंगल कंटेनर	30.00 (₹ 0.005 प्रति कि.ग्राम. प्रति कि.मी.।	18.00 ₹ 0.003 प्रति कि.ग्राम. प्रति कि.मी.।
(iii) अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,800/– को आहरित करते हैं ।	3000 कि.ग्राम. माल गाड़ी द्वारा/ चार पहिए वैगेन द्वारा	15.00 ₹ 0.005 प्रति कि.ग्राम. प्रति कि.मी.।	9.00 (₹ 0.0031 प्रति कि.ग्राम. प्रति कि.मी.)
(iv) अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,800/– से कम को आहरित करते हैं।	1500 कि.ग्राम. माल गाड़ी द्वारा/चार पहिए वैगेन द्वारा	7.50 (₹ 0.005 प्रति कि.ग्राम. प्रति कि.मी.)	4.60 (₹ 0.0031 प्रति कि.ग्राम. प्रति कि.मी.)

*मकान किराया–भत्ता की स्वीकार्यता के प्रयोजन के लिए , शहरों के वर्गीकरण के अनुसार ।

टिप्पणी 1: ग्रेड वेतन ₹ 3,400/– को आहरित करने वाले अधिकारियों को वर्तमान में जैसा उपर (ii) में है , की हकदारी है और उनको इसकी हकदारी आगे भी जारी रहेगी ।

टिप्पणी 2: हकदार भार के स्टीमर द्वारा परिवहन के लिए दरें , भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड द्वारा प्रचालित जहाजों के द्वारा ऐसे परिवहन की निर्धारित विद्यमान दरों के बराबर होंगी।

टिप्पणी 3: निजी सामान के परिवहन के लिए जैसा उपर उल्लिचित है को स्वयमेव 25% बढ़ा दिया जाएगा जबभी देय मंहगाई–भत्ता 50% से उपर हो जाता है ।

टिप्पणी 4: सड़क मील–भत्ते की एक्स और वाई श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित उच्चतर दरों को स्थानान्तरण पर एक्स / वाई श्रेणी शहरों से जेड श्रेणी शहरों को और इसके उल्ट को स्वीकार्य माना जाएगा । अन्य सभी स्थानांनतरणों के मामलों में , जेड श्रेणी शहरों के भीतर , जेड श्रेणी शहरों के लिए निर्धारित दरें स्वीकार्य होंगी ।

टिप्पणी 5: परिवहन के बिल में शामिल किया गया सेवा कर और शिक्षा उपकर की, दावे की अनुमत्य सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी । दावे की अनुमत्य सीमा के बाहर सीमा के बाहर देय किसी भी कर की अदायगी की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी ।

उदाहरणार्थ यदि एक परिवहन बिल / दावा ₹ 15,000/– के लिए प्रस्तुत किया गया है परन्तु ₹ 10,000/– की राशि जैसा नियमों के अधीन स्वीकार्य है, तब सेवा कर और शिक्षा उपकर की प्रतिपूर्ति केवल ₹ 10,000/– के लिए की जाएगी जबकि इन करों का प्रभार बिल की राशि ₹ 15,000/– पर लिया गया है।

62. भारत में हवाई जहाज से यात्राओं के लिए सवारी

भारतीय सीमाओं के अंतर्गत हवाई जहाज से यात्राओं के लिए हकदारियां निम्नलिखित अनुसार हैं :

ग्रेड वेतन	यात्रा हकदारियां
(i) सेना प्रमुखों / सह सेना प्रमुखों/सेना कमांडरों और समकक्षों/ डी.जी.ए.एफ.एम.एस. और अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 10,000 और उससे उपर को आहरित करते हैं।	व्यवसायिक / क्लब श्रेणी
(ii) अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 7,600/–, ₹ 8,000–/ , ₹ 8,400/–, ₹ 8,700/– , ₹ 8,900/– और ₹ 9,000/– को आहरित करते हैं ।	किफायती श्रेणी
(iii) अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 5,400/– , ₹ 5,700/–, ₹ 6,100/– और ₹ 6,600/– को आहरित करते हैं ।	किफायती श्रेणी

टिप्पणी 1: अतः अब से , सेना कार्मिकों और सिविलियनों द्वारा कमाए , सरकारी यात्राओं के लिए टिकटों को खरीदने पर , सारे मील–भत्ते के अंकों को संबंधित विभाग द्वारा उनके अधिकारियों द्वारा अन्य सरकारी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। किसी अधिकारी द्वारा निजी यात्रा के प्रयोजनों के लिए इन मील–भत्ते के अंकों के किसी इस्तेमाल पर विभागीय कार्यवाई को आकर्षित करेगा । यह इस बात को आश्वस्त करने के लिए है कि सरकारी यात्राओं से हुए लाभों को, जिनको सरकार द्वारा निधित्व प्राप्त है , उनको सरकार को प्रोद्भूत होना चाहिए।

टिप्पणी 2: त्रिपुरा में सेवारत सभी सेना कार्मिकों और सिविलियनों को अगरतला और कोलकाता के मध्य केवल दौरों/स्थानान्तरण के प्रयोजनों के लिए ही हवाई मार्ग से यात्रा की अनुमति है।

इसी प्रकार, एक चेतावनी आदेश जनरल स्टाफ शाखा/वायुसेवा मुख्यालय/ भारतीय वायु सेना कमान मुख्यालय द्वारा जारी किया गया एक यूनिट को या एक चेतावनी आदेश रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के एकीकृत मुख्यालय द्वारा जारी किया गया, जहाज के आधार पत्तन/गैरीसन के संचलनों के बदलने को अधिसूचित करते हुए, सैनिकों/वायु सैनिकों / नौसैनिकों / एन. सी.(ई.) के परिवारों के लिए, निःशुल्क सवारी के प्रयोजन से तैनाती आदेश का संघटक माना जाएगा । उन मामलों में जहां, चेतावनी आदेश की प्राप्ति के बाद, परिवार उनके गृह/चुने हुए आवास के स्थान इत्यादि को प्रस्थान करता है, लेकिन लेकिन चेतावनी आदेश को संचलन निदेशालय आदेश/संकिया आदेश द्वारा अनुवर्तीत नहीं किया जाता और परिवार का मुखिया प्रस्थान नहीं करता है, तब परिवार का उनके गृह/चुने हुए आवास के स्थान को या से संचलन के लिए वारंट का जारी किया जाना / दावे को सरकार की संस्वीकृति के अधीन विनियमित किया जाएगा।

63. चेतावनी आदेश –– परिवारों के लिए सवारी

जनरल स्टाफ ब्रांच / नौसेना मुख्यालय / वायुसेना मुख्यालय / भारतीय वायु सेना कमान मुख्यालय द्वारा किसी यूनिट/पोत को जारी किया गया चेतावनी आदेश किसी ऐसे अस्थैतिक यूनिट/ फॉमेशन/स्थापना को प्रस्थान करने वाले अफसर के परिवार के लिए निःशुल्क सवारी के विनियमन के प्रयोजन के लिए तैनाती आदेश अवयव माना जाएगा जहां कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायतें मिल रही हों। चेतावनी आदेश मिलने पर उसके बाद संचलन निदेशालय आदेश/सिगनल/तैनाती आदेश, संकिया आदेश जारी कर दिया जाता है और परिवार का मुखिया अपने नए ड्यूटी अफसर स्टेशन को वास्तव में चला जाता है, परन्तु परिवार अपने घर/चुने हुए निवास स्थान को फिलहाल प्रस्थान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में बाद में चेतावनी आदेश के रद्द किए जाने पर भी परिवार को अपने घर/चुने हुए निवास स्थान को जाने और वापस लौटने के लिए निःशुल्क सवारी का हक होगा । यदि चेतावनी आदेश मिलने पर परिवार अपने घर/चुने हुए निवास स्थान को चला जाता है लेकिन चेतावनी आदेश जारी किए जाने के बाद संचलन निदेशालय आदेश सिगनल/तैनाती आदेश/संकिया आदेश जारी नहीं किया जाता और परिवार का मुखिया प्रस्थान नहीं करता, तो अपने घर/चुने हुए निवास स्थान को जाने–आने के लिए परिवार के संचलन को सरकारी स्वीकृति के अधीन विनियमित किया जाएगा ।

इसी प्रकार, एक चेतावनी आदेश जनरल स्टाफ शाखा/वायुसेवा मुख्यालय/ भारतीय वायु सेना कमान मुख्यालय द्वारा जारी किया गया एक यूनिट को या एक चेतावनी आदेश नौसेना मुख्यालय द्वारा जारी किया गया, जहाज के आधार पत्तन/गैरीसन के संचलनों के बदलने को अधिसूचित करते हुए, सैनिकों/वायु सैनिकों/ नौसैनिकों / एन.सी. (ई.) के परिवारों के लिए, निःशुल्क सवारी के प्रयोजन से तैनाती आदेश का संघटक माना जाएगा । उन मामलों में जहां, चेतावनी आदेश की प्राप्ति के बाद, परिवार उनके गृह/चुने हुए आवास के स्थान इत्यादि को प्रस्थान करता है, लेकिन लेकिन चेतावनी आदेश को संचलन निदेशालय आदेश/संकिया आदेशद्वारा अनुवर्तीत नहीं किया जाता और परिवार का मुखिया प्रस्थान नहीं करता है, तब परिवार का उनके गृह/चुने हुए आवास के स्थान को या से संचलन के लिए वारंट का जारी किया जाना / दावे को सरकार की संस्वीकृति के अधीन विनियमित किया जाएगा।

64. प्रथम नियुक्ति पर कमीशन अफसरों को यात्रा भत्ता

(क) सवारी

(i) स्वयं: जहां स्थायी रूप से तैनाती की गयी है घर से स्टेशन तक के लिए जैसा नीचे दिखाया गया है, निःशुल्क सवारी :

(1) रेल से: वारन्ट पर वातानुकूलित दो टियर में।

(2) सड़क से : नियम 61 के अन्तर्गत दी गयी दरों पर एक मील भत्ता । इसमें निवास स्थान से रेलवे स्टेशन/बस अड्डे तक सड़क से की गयी यात्रा शामिल है।

(3) यदि अफसर को स्थायी तैनाती के स्टेशन को प्रस्थान करने से पहले एक या दो अस्थायी ड्यूटी स्टेशनों पर रिपोर्ट करना पड़ता है तो वह घर / कमीशन पूर्व प्रशिक्षण संस्थान से ड्यूटी स्टेशन तक की समस्त यात्रा वारन्ट पर करेगा ।

(ii) परिवार : परिवार के लिए अफसर के घर से स्थायी ड्यूटी स्टेशन तक सीधे मार्ग तक निःशुल्क सवारी यात्रा का प्रकार और उसकी श्रेणी वही होगी जैसी परिवार के मुखिया की होगी। संलग्नता के दौरान परिवारों को सवारी स्वीकार्य नहीं होगी लेकिन उन्हें सवारी उनके घर से अफसर के स्थायी तैनीती स्टेशन तक दी जाएगी ।

(ख) दैनिक–भत्ता : यात्रा की अवधि के लिए दैनिक–भत्ता, नियम 114 और नियम 114–अ के अनुसार।

(ग) सामान : घर से स्टेशन तक जहां स्थायी रूप से तैनाती की गयी हो वारन्ट पर 225 कि0ग्रा0 तक सामान का निःशुल्क परिवहन (इसमें प्रशिक्षण यूनिट/स्थापना/भारतीय नौसेना पोत स्थापना) से ले जाया जाने वाला 55 कि0ग्रा0 भार भी शामिल है । यदि उसका लाभ उठाया गया हो।

टिप्पणी 1: यह आवश्यक नहीं के उपर प्रयुक्त "घर" शब्द से आशय व्यक्ति के पैतृक घर से हो । उस शब्द से आशय सम्बन्धित अफसर के या उसके माता–पिता के स्थायी निवास के किसी भी स्थान से हो सकता है । इसमें वह स्टेशन भी शामिल होगा, जहां व्यापार या सरकारी सेवा के कारण अफसर के माता–पिता प्रायः रहते हों। लेकिन मनोविनोद के प्रयोजनों या इसी प्रकार के अन्य कारणों के लिए अस्थायी निवास के लिए चुने गए स्थान को इस नियम के प्रयोजन के लिए "घर" नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी 2: यह नियम किसी ऐसे यूनिट/फार्मेशन/स्थापना में की जाने वाली तैनाती पर लागू होगा जिसके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायत न मिल रही हो। यदि किसी ऐसे यूनिट/फार्मेशन स्थापना में तैनाती की गयी हो जिसके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायत मिल रही हो तो अफसर केवल 100 किलो सामान ले जाने का हकदार होगा। इस मामले में परिवार को निःशुल्क सवारी की हकदारी नहीं होगी ।

टिप्पणी 3: जब सेवा निवृत्त नियमित अफसरों को पुनर्नियुक्त किया जाए तो नियुक्ति के स्थान तक की जाने वाली यात्रा इस नियम के अनुसार विनियमित की जाएगी।

65. कमीशन प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण लेने वाले अफसरों को दैनिक–भत्ता

इससे पहले कि प्रशिक्षण विद्यालयों में कमीशन प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण ले रहे सेना के नए कमीशन अफसरों को नियमित यूनिटों/पोतों/स्थापनाओं में स्थायी रूप से तैनात किया जाए, उनके यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की हकदारी इस प्रकार विनियमित की जाएगी :–

(क) ऐसे किसी बाहरी स्टेशन पर जहां कमीशनोत्तर प्रशिक्षण के स्थानों से पदोन्नति परीक्षाओं में भाग लेने के लिए जाएं या ऐसी अस्थायी ड्यूटी करने के लिए जाएं, जिसक कमीशनोत्तर प्रशिक्षण से सीधा सम्बन्ध न हो, वे सामान्य दरों पर दैनिक–भत्ता लेने के हकदार होंगे । ऐसे दैनिक–भत्ते की मंजूरी के सीमित प्रयोजन के लिए, जिस स्थान पर अफसर कमीशनोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, उस स्थान को उसका मुख्यालय स्टेशन माना जाएगा । लेकिन इससे अफसर को कमीशनोत्तर प्रशिक्षण के दौरान परिवार दैनिक–भत्ता, विक्षोभ–भत्ता आदि लेने का हक नहीं होगा ।

(ख) संचलन आदेश में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि संचलन प्रशिक्षण के प्रयोजन से या प्रशिक्षण से भिन्न प्रयोजन से किया जा रहा है ।

(ग) अफसर वारन्ट पर यात्रा करेगा।

66. सेवा के लिए बुलाए जाने पर नियमित रिजर्व अफसरों (चिकित्सा और दन्त को छोड़कर) की हकदारी

जब किसी अफसर को सेवा के लिए बुलाया जाए, तो यात्रा–भत्ते का उसका अधिकार इस प्रकार होगा :

(क) (i) जो व्यक्ति पहले ही केन्द्र/ राज्य सरकार की सेवा में है, वह अपने सिविल पद के स्थान से तैनात किए गए स्टेशन तक नियम 67 में निर्धारित स्थायी ड्यूटी मान कर अपने, परिवार और सामान के लिए दैनिक–भत्ते का हकदार होगा ।

(ii) जो अफसर किसी ऐसे सिविल पद से सेना में सेवा के लिए बुलाया जाए जिसमें दक्षता के लिहाज से कार का रखना लाभदायक हो और उसे किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया जाए जिसमें दक्षता के लिहाज से कार का रखना आवश्यक समझा जाए तो वह सेना में बुलाए जाने पर सिविल नियुक्ति के स्थान से तैनात किए या वापस बुलाए गए स्टेशन तक कार के परिवहन की लागत ले सकता है बशर्ते कि नियम 67 में दी गयी अन्य शर्तें पूरी होती हों। लेकिन यह नियम रेजीमेंट के उन अफसरों पर लागू नहीं होगा जो कैप्टन के रैंक के हों और जो स्क्वाड्न, कम्पनी आदि कमान्डर के रूप में और इसी प्रकार के अन्य पदों पर नियुक्त न हों ।

(ख) पैरा (क) में दर्शाये गए व्यक्तियों को छोड़कर नियम 64 में बताए गये सूचनायें लागू होंगी ।

67. स्थायी ड्यूटी पर यात्रा (सेना के अफसर)

स्थायी ड्यूटी पर यात्रा के लिए, सेना का अफसर निम्नलिखित का हकदार होगा :

(क) सवारी :

वास और मील–दूरी भत्ते की हकदारियां जैसा नियम 57 (क), 58, 61 और 62 में निर्धारित हैं , स्थानान्तरण पर यात्राओं के मामले में भी लागू होंगी, निम्नलिखित अनुबंध के साथ :

(i) स्वयं के लिए : नीचे लिखे रूप में सीधे मार्ग से पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक निःशुल्क सवारी :

(1) रेल से : वारन्ट पर जब तक सक्षम प्राधिकारी नकद अदायगी पर यात्रा करने के लिए अन्यथा प्राधिकृत न करे । यदि नकद अदायगी पर यात्रा प्राधिकृत की जाती है तो जिस श्रेणी में उसने यात्रा की है, उसका किराया या हकदार श्रेणी का किराया जो भी कम हो, लेने का वह हकदार होगा । रेल से यात्रा करते समय यदि कोई अफसर अपनी मर्जी से वारन्ट का उपयोग नहीं करता है तो उसे केवल वारन्ट की लागत की प्रतिपूर्ति का ही हक होगा । रेल को छोड़कर किसी अन्य साधन से की गयी यात्राओं के लिए व्यक्ति वास्तविक खर्च/मील भत्ते/वारन्ट की लागत में से भी सबसे कम हो, उसका हकदार होगा । लेकिन ऐसे यूनिट/ फार्मेशन से आने जाने के लिए की गयी यात्रा में, जिसके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायतें मिल रही हों, केवल वारन्ट के लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(2) सड़क से : नियम 61 में दी गयी दर पर एक मील भत्ता। फिर भी यदि यात्रा उस यूनिट/फार्मेशन को आने–जाने के लिए की जाए जिसके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायतें मिल रही हों, तो यह यात्रा या तो सरकारी परिवहन से या वारन्ट पर की जाएगी, बशर्ते कि संविदा प्रणाली विद्यमान हो ।

(3) हवाई जहाज से : जैसा नियम 62 में दिया गया है ।

टिप्पणी 1: त्रिपुरा मे सेवारत सभी सेना कार्मिकों को उनकी सामान्य हकदारी का विचार किए बिना, केवल दौरे / स्थानान्तरण के प्रयोजनों के लिए, अगरतला और कोलकाता के मध्य हवाई मार्ग द्वारा यात्रा की अनुमति है।

(4) समुद्री मार्ग से : सभी अधिकारियों को नियम 58 पर दिए उनकी हकदारियों के अनुसार समुद्री यात्रा के निष्पादन की हकदारी है ।

(5) यदि एक अफसर को अपना परिवार लाने के लिए नए स्टेशन पर सरकारी आवास की अनुपलब्धता के कारण व्यक्ति को अपने परिवार / घर के सामान को पीछे छोड़ना पड़ता है तो उसे हकदारी की श्रेणी अर्थात् जिस श्रेणी का वह उस समय हकदार था, जब उसने पहले की यात्रा की थी, पुराने ड्यूटी स्टेशन तक आने और जाने के सम्बन्ध में की गयी दोनों यात्राओं का अतिरिक्त किराया/ मुक्त वारन्ट स्वीकार्य होगा । सेना कार्मिक जो यथार्थ कारणों के कारण उनके दूसरे फेरे पर उनके साथ परिवार के सदस्यों को नहीं ले जा सके हैं उनको एक अतिरिक्त किराया / निःशुल्क वारंट से हकदार श्रेणी द्वारा आने और जाने के लिए की भी हकदारी है।

(ii) परिवार : पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक या उन अफसरों के मामले में जो ऐसे यूनिट/फार्मेशन को जा रहे हो या वहां से आ रहे हो जिसके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायत मिल रही हो, उसके निवास के चुने हुए स्थान/घर/स्टेशन तक जहां सरकारी आवास दिया जाए, निःशुल्क सवारी, भले ही निवास स्थान/घर/स्टेशन ऐसे यूनिट/फार्मेशन के स्थान पर स्थित तो जिसके कार्मिकों को फील्ड रियायत मिल रही हो ।

(1) रेल से : वारन्ट पर जैसा कि परिवार के मुखिया के लिए है । लेकिन यदि यात्रा नकद अदायगी करके की जाती है तो जिस श्रेणी में यात्रा की हो उसके या प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए हकदार श्रेणी के किराए की और प्रत्येक बच्चे, पांच साल से उपर परन्तु बारह साल से कम के लिए आधे किराए की, जो भी कम हो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी । रेल के अलावा अन्य किसी वाहन द्वारा की गयी यात्रा के लिए, प्रत्येक सदस्य के लिए वास्तविक खर्च / मील भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो हकदार श्रेणी के रेल किराए तक सीमित होगी ।

(2) सड़क से : यदि अफसर के साथ दो सदस्य जा रहे हों तो नियम 61 मे निर्धारित दर पर एक मील भत्ता और यदि दो से अधिक सदस्य जा रहे हो तो एक और मील–भत्ता ।

(3) हवाई जहाज से : वही जो परिवार के मुखिया के लिए है ।

(4) समुद्र से : जैसा परिवार के मुखिया के मामले में हैं ।

(ख) दैनिक–भत्ता :कोई दैनिक– भत्ता स्वंय और प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए, यात्रा में/ मार्ग में प्रवर्तन विरामों इत्यादि पर बिताए गए समय के लिए स्वीकार्य नहीं है ।

(ग) सामासिक स्थानान्तरण अनुदान :

यह निम्नलिखित 'सामासिक स्थानांनतरण अनुदान' स्थानान्तरण के मामले में जहां स्टेशन का बदला जाना अंतर्निहित है जो एक दूसरे से 20 कि0मी0 से ज्यादा की दूरी पर स्थित हैं , की स्वीकार्यता होगी :

सेना कार्मिकों	सामासिक स्थानान्तरण अनुदान	
	विवाहित	अविवाहित
सभी अफसरों	वेतनमान में एक माह का वेतन, ग्रेड वेतन , एम.एस.पी. और एन.पी.ए. जहां लागू है	वेतनमान में एक माह का वेतन, ग्रेड वेतन, एम.एस.पी. और एन.पी.ए. जहां लागू है,
अफसर से निम्न रैंक के कार्मिकों (पी.बी.ओ.आर.)	वेतनमान में एक माह का वेतन, ग्रेड वेतन , एम.एस.पी. और एन.पी.ए. जहां लागू है	वेतनमान में एक माह का वेतन, ग्रेड वेतन, एम.एस.पी. और एन.पी.ए. जहां लागू है,

टिप्पणी 1: सभी विधुर सेना कार्मिकों जिनके कोई आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है, जब स्थायी ड्यूटी पर संचलित होते हैं सारे घर के सामान स्थापना के साथ,उनको पूर्ण सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की हकदारी होगी।

टिप्पणी 2: उन स्टेशनों पर स्थानान्तरण के मामलों में, जो पुराने स्टेशन से 20 कि0मी0 से कम की दूरी पर हैं और उसी शहर में स्थानान्तरण पर , एक तिहाई सामासिक स्थानांतरण अनुदान की स्वीकार्यता होगी , बशर्ते कि घर का बदला जाना अंतर्निहित है ।

टिप्पणी 3: सामासिक स्थानान्तरण अनुदान को अग्रिम रूप में आहरित किया जा सकता है ।

(iii) यदि पति और पत्नी दोनों सेवा में हैं , केवल एक सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की अनुमति है, यदि पति और पत्नी का स्थानान्तरण एक दसरे से 6 माह के भीतर होता है उसी स्थान से उसी स्थान पर । लेकिन , उन मामलों में जहां स्थानान्तरण 6 माह के भीतर होता है, परन्तु विवाहित के स्थानान्तरण के साठ दिनों के बाद होता है, सामासिक स्थानान्तरण अनुदान का 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी, विवाहित को जो बाद में स्थानान्तरित हुआ है । कोई सामासिक स्थानान्तरण अनुदान विवाहिति को जो बाद में स्थानान्तरित हुआ है , स्वीकार्य नहीं होगा, उस मामले में जहां दोनों स्थानान्तरणों का आदेश साठ दिन के भीतर दिया गया है । पूर्ण सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की दोनों पति और पत्नी को स्वीकार्यता होगी, उस मामले में जहां स्थानान्तरण 6 माह के समय के बाद या उससे अधिक में हुए हैं। उस मामले में जहां स्थानान्तरण स्वयं के निवेदन पर या स्थानान्तरण सार्वजनिक हित के अलावा हुआ है, कोई सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की स्वीकार्यता नहीं होगी ।

(घ) निजी सामान का परिवहन

(i) निजी सामान की रेल द्वारा ढुलाई के लिए हकदारी होगी, जैसा नियम 61–अ में दिया गया है।

(ii) सेना के जो अफसर हवाई जहाज से सामान ले जाएं वे केवल वास्तविक खर्च ही ले सकते हैं । खर्च की यह राशि उस राशि तक ही सीमित होगी जो उन्हें वारन्ट पर मालगाड़ी, सड़क या स्टीमर से अधिकतम अनुमत्य मात्रा के लिए स्वीकार्य होती , जैसा भी मामला हो, जैसा नियम 61–अ में दिया गया है।

(iii) यदि सामान वारन्ट पर रेल से "तीव्र परिवहन सेवा" द्वारा भेजा गया है और सरकार ने उस पर कोई अतिरिक्त प्रभार लिया है तो उनकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते कि यात्रा भत्ता दावे पर इस आशय का प्रमाण पत्र पृष्ठांकित किया जाए कि सामान वास्तव में तीव्र परिवहन सेवा से ले जाया गया है और वह निर्धारित अवधि के अन्दर अपने गन्तव्य पर पहुंच गया है ।

(iv) सड़क द्वारा, सामान के परिवहन के लिए, नियम 61 (अ) में प्रावधान लागू होगें ।

(v) यदि कोई अफसर रेल को छोड़कर किसी अन्य सस्ते मार्ग से हकदार मान से अधिक सामान भेजें, तो वह उसकी वास्तविक लागत ले सकता है जो उस राशि तक सीमित होगी जो सामान्य स्वीकृत मार्ग से हकदार मात्रा ले जाने के लिए स्वीकार्य होगी ।

(vi) अधिकतम हकदार मात्रा के अधीन कोई अफसर अपने पुराने ड्यूटी स्टेशन को छोड़कर किसी अन्य स्थान से (उदाहरणार्थ — मार्ग में खरीदे गए स्थान से या उस स्थान से जहां कि वे पिछले स्थानान्तरण पर छोड़ दिए गए थे) अपने नए स्टेशन तक या अपने पुराने ड्यूटी स्टेशन से अपने नए ड्यूटी स्टेशन को छोड़कर किसी अन्य स्थान तक सामान ले जाने की वास्तविक लागत ले सकता है, बशर्ते कि सारे सामान के परिवहन की कुल लागत उस लागत से अधिक न हों

जो उसे उस स्थिति में स्वीकार्य होती यदि उसका सारा सामान सीधे पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक ले जाया जाता ।

(vii) जब यात्रा उस यूनिट/फार्मेशन से आने जाने के लिए की गयी हो जिसके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायत मिल रही हो तो सामान ले जाने की हकदारी इस प्रकार होगी:

(i) अधिकारियों को वारंट पर उनके साथ 100 कि0ग्रा0 का परिवहन कर सकते हैं ।

(ii) सेना के जिस अफसर का परिवार हो, उसका शेष सामान उसके परिवार द्वारा अपने घर/ चुने हुए निवास स्थान को ले जाया जा सकता है या उसे डिपो भेजा जा सकता है जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(क) जो सामान अफसर अपने साथ ले जाएगा और जो डिपो को भेजा जाएगा, उसकी कुल मात्रा उस अधिकतम मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसका कि वह हकदार हो

(ख) ऐसे सामान में फर्नीचर शामिल नहीं होगा ।

(ग) जी.ओ.सी.एरिया/सब एरिया और ब्रिगेड कमान्डर प्रमाणित करे कि पुराने ड्यूटी स्टेशन पर स्थानीय भवनों में सामान रखने की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी।

(iii) जिस अफसर के परिवार न हो, वह अपने सामान के हकदार मान का एक तिहाई अपने पुराने ड्यूटी स्टेशन से अपने घर/चुने हुए निवास की ओर शेष सामान को ।अपने नए ड्यूटी स्टेशन को ले जाए जाने वाले सामान से कम करके। वारन्ट पर अपने डिपो को उपर 39–ख (ii) (ख) और (ग) में दी गई शर्तों पर ले जा सकता है ।

(iv) किसी शान्ति यूनिट/ फार्मेशन/स्थापना में वापस तैनाती की स्थिति में अफसर के नए ड्यूटी स्टेशन पर सामान को ले जाने के लिए (i) (ii) और (iii) में उल्लिखित हकदारी स्वीकार्य होगी ।

टिप्पणी 1: "सामान" शब्द की परिभाषा नहीं दी जा सकती । नियन्त्रक अफसर को स्वयं निश्चित करना चाहिए कि सामान को लाने ले जाने के लिए प्रतिपूर्ति का जो दावा किया गया है, वह उचित है । उन अवसरों पर जब किसी अफसर को अपने किसी वाहन को सरकारी खर्च पर ले जाने की अनुमति न दी जाए, तो उसके मोटर वाहन को "सामान" शब्द में सम्मिलित माना जाना चाहिए ।

टिप्पणी 2: सैनिक कार्मिकों के परिवार, जब परिवार के मुखिया से अलग संचलन करते हों, तो वह गृह नगर/चुने गए निवास के लिए बचे हुए सामान को ले जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अनुमत्य होंगे बशर्ते कि व्यक्ति द्वारा अपने साथ ले जायी गयी सामान की मात्रा अधिकतम हकदारी से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(viii) सेना अफसर मुख्य भूमि और अण्डमान और निकोबार द्वीप में बीच समुद्री यात्रा के सम्बन्ध में उपर्युक्त मान के अलावा, सामान की मात्रा के निम्नलिखित मान के लिए भी हकदार हैं:

कार्मिकों का रैंक/ग्रेड	जब परिवार साथ हो	जब परिवार साथ न हो
अफसर	6000 कि0 ग्रा0 या 940 घन फीट	2000 कि0 ग्रा0 या 314 घन फीट

(ङ) वाहन का परिवहन

(i)

	ग्रेड वेतन	उपकम
(i)	सेना प्रमुखों / सह सेना प्रमुखों / सेना कमांडरों और समकक्षों / डी.जी.ए.एफ.एम.एस. और अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200 और उससे उपर को आहरित करते हैं।	एक मोटर कार इत्यादि या एक मोटर साइकिल / स्कूटर या एक घोड़ा
(ii)	अफसरों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– से कम को आहरित करते हैं ।	एक मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड या एक बाईसाइकिल

टिप्पणी: ग्रेड वेतन ₹ 3,400/– को आहरित करने वाले अधिकारियों को वर्तमान में, मौजूदा प्राधिकार के अनुसार रेल द्वारा वातानुकूलित 2 श्रेणी की हकदारी है और उनको इसकी हकदारी रहेगी।

(ii) स्थायी ड्यूटी पर संचलन करते समय कोई अधिकारी (अफसर) परिवहक के जोखिम पर अपनी कार ले जाने की वास्तविक लागत ले सकता है, बशर्ते कि कार को रेल द्वारा या स्टीमर द्वारा या किसी अन्य यान द्वारा वास्तव में ले जाया गया हो।

टिप्पणी 1: शोफर या क्लीनर को ले जाने की लागी की स्वीकार्य होगी बशर्ते कि अफसर इस आशय का प्रमाण पत्र दे कि घरेलू नौकर के अलावा शोफर या क्लीनर की वास्तव में काम में लगाया गया था और उस पर खर्च हुआ था। यह आवश्यक नहीं है कि शोफर या क्लीनर उसी गाड़ी/स्टीमर/लदे हुए ट्क/या अन्य जलयान में यात्रा करें जिसमें कार ले जायी जा रही हो । उसके द्वारा वास्तव में की गयी यात्रा के लिए सवारी के प्रभार इस प्रकार स्वीकार्य होंगे:

(क) रेल से यात्रा करने पर–– उस स्टेशन से और उस स्टेशन तक और जिससे कार को ले जाया जाना है, सबसे छोटे मार्ग से वास्तविक दूसरी श्रेणी का किराया ।

(ख) स्टीमर/अन्य जलयान से यात्रा करने पर–– उस स्टेशन के लिए जिसके लिए स्टीमर/अन्य जलयान द्वारा कार के परिवहन की लागत मांगी गयी हो, सबसे नीचे की श्रेणी का वास्तविक किराया ।

(ग) बस या अन्य सार्वजनिक वाहन से यात्रा करने पर–– अदा किया गया वास्तविक किराया, जो रेल की दूसरी श्रेणी तक सीमित होगा।

टिप्पणी 2: चूंकि टैरिफ में निजी कारों के रेल वारन्ट पर बुक करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे वाहनों को प्राधिकृत की गयी सीमा तक नकद अदायगी पर ही ले जाया जाएगा।

टिप्पणी 3: कार का परिवहन सवारी गाड़ी या मालगाड़ी से किया जा सकता है मालगाड़ी से भेजे जाने पर प्रस्थान के स्टेशन के माल गोदाम तक और आगमन के स्टेशन के मालगोदाम से कार के परिवहन और पैकिंग की लागत भी दी जा सकती है बशर्ते कि मांगी गई कुल लागत सवारी गाड़ी के भाड़े से अधिक न हो।

टिप्पणी 4: जब एक अफसर रेल से जुड़े दो स्थानों के बीच अपनी कार का परिवहन सड़क मार्ग से स्वयं उसको चलाते हुए करता है तो वह सवारी रेलगाड़ी द्वारा परिवहन पर होने वाले व्यय की सीमा तक परिवहन निदेशक द्वारा रवानगी वाले स्थान पर टैक्सी के लिए अनुमोदित दरों पर भत्ता ले सकता है । यदि फिर भी कार केवल सड़क से जुड़े स्टेशनों के बीच चलायी जाती है (उन्हें छोड़कर जहां सड़क यात्रा रेल अथवा स्टीमर यात्रा के अनुक्रम में है) तो वह परिवहन निदेशक द्वारा यात्रा शुरू करने वाले स्थान पर टैक्सी के लिए अनुमोदित दरों पर भत्ता ले सकता है ।

टिप्पणी 5: जहां पर वाहन को इसके चालान खर्च के अन्तर्गत भेजा जाता है, परन्तु सेना अधिकारी उसमें यात्रा नहीं करता है, वहां पर उसके / उसकी के लिए रेल/वायुयान द्वारा अलग से किसी किराए अथवा अलग से किसी सड़क मील भत्ता के लिए वह / वही हकदार नहीं होगा । लेकिन, जब अधिकारी स्वयं की कार में यात्रा करता है, वह / वही को किसी अलग रेल / हवाई द्वारा किराए की हकदारी नहीं होगी।उसके परिवार के सदस्यों के लिए उपयुक्त मील–भत्ता स्वीकार्य होगा । और यह उस स्थिति में होगा यदि वे इस चालान खर्च के अधीन परिवहन किए जाने वाले वाहन की अपेक्षा किसी अन्य वाहन से यात्रा करते हैं।

टिप्पणी 6: यदि कोई अफसर अपने किसी सामान को अपनी कार में भेजता है तो वह इस सामान को ले जाने या भेजने के लिए किसी भी राशि का हकदार नहीं होगा क्योंकि सामान को ले जाने या भेजने में कुछ भी व्यय नहीं हुआ।

टिप्पणी 7: रेल से जुड़े स्थानों के बीच यदि कार का परिवहन ट्क पर लादकर किया जाता है तो अफसर को, रवानगी स्थान के परिवहन निदेशक द्वारा टैक्सी के अनुमोदित दरों की सीमा तक, परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा सवारी रेल गाड़ी के भाड़े का खर्च, जो भी कम होगा स्वीकार्य होगा । यदि फिर भी कार को उन स्टेशनों के बीच चलाया जाता है जो रेल द्वारा नहीं जुड़े हैं तो वह रवानगी स्थान में परिवहन निदेशक द्वारा टैक्सी के अनुमोदित दरों तक सीमित, वास्तविक व्यय ले सकता है ।

टिप्पणी 8: जिस स्टेशन से अफसर का स्थानान्तरण किया गया है उसकी अपेक्षा यदि किसी अन्य स्टेशन पर अफसर के पास अपनी कार है तो वह उस स्टेशन से अपने स्थानान्तरण के स्टेशन तक कार के परिवहन की लागत ले सकता है, बशर्ते उपर बताई गई सारी शर्तें पूरी होती हों यह लागत पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्युटी स्टेशन तक कार से जाने की लागत तक सीमित होगी, बशर्ते कि कार 6 मास की निर्धारित अवधि के अन्दर ले जायी गयी हो । यदि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की स्थानान्तरण के समय अफसर के पास कार न हो लेकिन वह नए ड्यूटी स्टेशन पर ले जाने के लिए किसी अन्य स्थान से कार खरीद ले तो उसे सरकार की मंजूरी से उपर्युक्त खर्चे दिए जा सकते हैं ।

(iii) कार के परिवहन की पेशगी ली जा सकती है बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए ।

(iv) जिन परिस्थितियों में कोई अफसर उपर्युक्त खण्ड (ii) के अधीन मोटर कार ले जाने का हकदार हों, वहां यदि सरकारी खर्च पर मोटर कार न ले जाई जाए तो उन परिस्थितियों में मोटर साईकिल/स्कूटर के परिवहन की लागत दी जा सकती है ।

टिप्पणी 1: जब एक अफसर रेल से जुड़े स्टेशनों के बीच अपनी मोटर साइकिल/स्कूटर का परिवहन स्वयं चलाकर करता है तो रवानगी स्थान में परिवहन निदेशक द्वारा ऑटोरिक्शा के लिए अनुमोदित दर पर, सवारी गाड़ी द्वारा परिवहन किए जाने पर उसमें आने वाले खर्च की सीमा तक उस भत्ते को ले सकता है । यदि फिर भी मोटर साईकिल/स्कूटर स्टेशनों के बीच के स्थान पर चलाकर ले जाया जाता है जो रेल से जुड़े नहीं हैं तो वह रवानगी स्थान में परिवहन निदेशक द्वारा अनुमोदित दरों पर भत्ता ले सकता है ।

टिप्पणी 2: रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच यदि मोटर साइकिल/स्कूटर का परिवहन ट्क पर लादकर किया जाता है तो अफसर रवानगी स्थान पर परिवहन निदेशक द्वारा टैक्सी के लिए अनुमोदित दरों अथवा सवारी रेलगाड़ी द्वारा भाड़ा प्रभार जो भी कम होगा, उसके लिए वास्तविक व्यय पाने का हकदार होगा । यदि फिर भी मोटर साइकिल/स्कूटर रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच चलाकर ले जाया जाता है तो वह रवानगी स्थान के परिवहन निदेशक द्वारा टैक्सी के लिए अनुमोदित दरों पर एक सीमा में वास्तविक व्यय धनराशि ले सकता है।

टिप्पणी 3: यदि कोई अफसर और/या उसके परिवार का कोई सदस्य मोटर साइकिल/ स्कूटर द्वारा यात्रा करता है तो उपर्युक्त खण्ड (ii) की टिप्पणी के उपबन्ध उस पर लागू होंगे । फिर भी वाहन के शोफर/क्लीनर के आने वाले पर आने वाला खर्च, स्वीकार्य नहीं होगा।

(v) जब किसी अफसर को स्टेशन पर जिसमें फील्ड सेवा रियायतें स्वीकार्य न हो अथवा तट स्थापना से फील्ड सेवा या संकिया क्षेत्र या पोत नियुक्ति पर स्थानान्तरित कर दिया जाए तो वाहन के परिवहन की हकदारी निम्नलिखित प्रकार से होगी :

(क) जिस स्टेशन से जहां फील्ड सेवा रियायतें स्वीकार्य नहीं हैं अथवा परिवार के चुने हुए आवास स्थान से पोत नियुक्ति होती है तब नीचे दी हुई शर्तों का पालन करना होगा :—

(1) अफसर उसके परिवार को सरकारी व्यय पर चुने हुए आवास के स्थान को भेज सकता है, परिवार के लिए सरकारी आवास की अनुपलब्धता के कारण, उस स्टेशन से जहां से अफसर को एक यूनिट/विरचना/स्थापना या जहाज के आधार पत्तन पर (नौसेना अफसरों के मामले में) में नियुक्त किया जाता है, जिनके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायत की प्राप्ति होती है।

(2) अफसर यह वचन दे कि इस प्रकार भेजी हुई कार, पोत के बेस ।शिप के बेस पोर्ट। चुने हुए निवास स्थान पर आने के 12 महीनों की अवधि के भीतर किसी भी प्रकार बेची नहीं जाएगी और यदि वह कार बेची जाती है तो वह सरकार से ली गयी उसकी परिवहन लागत सरकार को वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार बेची नहीं गयी है, सक्षम प्राधिकारी को चाहिए कि वह उपर नियत की गयी अवधि के अन्त में अफसर से इस आशय का प्रमाण–पत्र ले लें कि वह अब भी उसी कार (रजि0 नं0 .....) का मालिक है।

(3) अन्तिम वह स्टेशन से चुने गए निवास स्थान तक रेल/स्टीमर से दूरी 325 कि0 मी0 से अधिक हो।

(ख) तट नियुक्ति स्टेशन से पोत के बेस पतन तक। नौसेना के अफसरों के मामले में। नीचे लिखी शर्तों पर :

(1) अफसर यह वचन दे कि इस प्रकार भेजी गयी कार पोत के बेस पतन पर आने के 12 महीनों की अवधि के अन्दर किसी भी प्रकार भेजी गयी कार पोत के बेस पतन पर आने के 12 महीनों की अवधि के अन्दर किसी भी प्रकार बेची नहीं जाएगी और यदि कार बेची जाती है तो वह सरकार से ली गयी उसकी परिवहन लागत सरकार को वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार बेची नहीं गयी है, सक्षम प्राधिकारी को चाहिए कि उपर नियत की गयी अवधि के अन्त में अफसर से इस आशय का प्रमाण–पत्र ले लें कि वह

अब भी उसी कार (रजि0 नं0 .....
.....) का मालिक है ।

(2) अन्तिम तट स्टेशन से पोत के बेस पतन तक रेल/स्टीमर से दूरी 325 कि0मी0 से अधिक हो ।

(ग) एक पोत नियुक्ति से दूसरी पोत नियुक्ति में स्थानान्तरण पर जिसमें बेस पतन बदलता हो, अफसर पुराने बेस पतन से नए बेस पतन तक उपरी मोटर कार को सरकारी खर्च पर ले जा सकता है बशर्ते कि उपर (क) (1) और (ख) (2) में दी गयी शर्तें पूरी होती हों ।

(घ) चुने हुए निवास स्थान या पोत के बेस पतन से (केवल नौसेना अफसरों के मामले में) नए स्टेशन तक अथवा नए तट स्टेशन की नियुक्ति पर जब फील्ड सेवा रियायतें स्वीकार्य न हों ।

(ङ) अविवाहित अफसरों के मामले में उसके पुराने ड्यूटी स्टेशन से उसके घर या चुने हुए निवास स्थान तक और वहां से उन यूनिट/फार्मेशनों से लौटने पर जिनके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायतें स्वीकार्य हो, नए ड्यूटी स्टेशन तक वाहन का परिवहन उन शर्तों में नियमित होगा जो इस नियम में निर्धारित किए गए हैं, बशर्ते कि स्टेशन पर मौजूद स्टेशन कमान्डर वरिष्ठ नौसेना अफसर नौसेना अफसर के मामले में यह प्रमाणित करे कि पुराने ड्यूटी स्टेशन पर गैरेज की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

(च) एक विवाहित अफसर निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने पुराने ड्यूटी स्टेशन जहां से वह फील्ड सेवा या संकिया क्षेत्र या पोत नियुक्ति में तैनात किया जाता है वहां से नए ड्यूटी स्टेशन (यूनिट/ फार्मेशन, जिसमें कार्मिकों की फील्ड सेवा/तट रियायतें नहीं मिल रही हो) तक सरकारी खर्च पर मोटरकार का परिवहन कर सकता है बशर्ते कि इस नियम में निर्धारित अपेक्षित शर्तें पूरी होती हों और यह प्रमाणित करें कि वह फील्ड सेवा या संकिया क्षेत्र या पोत नियुक्ति में अपनी सेवा के दौरान भी प्रश्न गत कार का वास्तविक रूप से मालिक था :

(1) जब मोटर कार चुने हुए निवास स्थान या उस स्थान तक भेजी जाए जहां पोत का बेस हो (नौसेना अफसरों के मामले में), या

(2) नौसेना अफसरों के मामले में, जब इस नियम में दी गई शर्तें पूरी न होती हों और अफसर, कार को अपने खर्च पर अपने चुने हुए निवास स्थान या पोत के बेस तक (नौसेना अफसरों के मामले में) भेजे।

67. अ. नौसेना अफसरों के मामले में मुख्यालय

नौसेना के जिन अफसरों को एक से दूसरे पोत में और पोत से तट स्थापनाओं या इससे उल्टे कम से स्थानान्तरित किया जाए, उनके मामले में पोत का बेस पतन जैसा कि नौसेना विन्यास कार्यकम में दिखाया गया है, मुख्यालय स्टेशन माना जाएगा ।

68. सेना परिचर्या अफसर

(क) नियमित सैनिक परिचर्या सेवा में प्रथम स्थायी नियुक्ति पर निवास स्थान से तैनाती के उस स्टेशन तक वारन्ट पर वह रेल की वातानुकूलित 2श्रेणी से निःशुल्क सवारी/ सवारी गाड़ी से 300 कि0ग्रा0 तक सामान के परिवहन की वास्तविक लागत की स्वीकार्य होगी ।

(ख) स्थायी ड्यूटी यात्रा पर नियमित एम.एन.एस. अधिकारियों को सभी भत्तों की हकदारी होगी जो नियमित सेना अधिकारियों को नियम 67 के अनुसार स्वीकार्य होते हैं। निजी सामान की हकदारी ग्रेड वेतन के अनुसार होगी ।

69. अवैतनिक कमीशनधारी जूनियर कमीशन अफसर

(क) नियम 67 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित कैप्टन या लैफटीनेन्ट के अवैतनिक रैंक धारी जूनियर कमीशन अफसरों, फ्लाइंग अफसर और फ्लाइट लैफटीनेन्ट के अवैतनिक रैंकधारी मास्टर वारन्ट अफसरों और विशेष ड्यूटी सूची अवैतनिक कमीशनधारी, मास्टर चीफ पेटी अफसरों पर लागू होंगे।

(ख) नियम 67 के उपबन्ध जे.सी.ओ./एम.डब्लू.ओ/ए. डी.सी. पर भी लागू होंगे ।

70. अफसर से निम्न रैंक के सेना कार्मिक

स्थायी ड्यूटी पर यात्रा के लिए पी.बी.ओ.आर. की हकदारी इस प्रकार होगी :

(क) सवारीः वास और मील–दूरी भत्ता जैसा नियम 57 (क), 58, 61 और 62 के अनुसार निर्धारित

है, स्थानान्तरण पर यात्राओं के संबंध में निम्नलिखित अनुबंधों के साथ स्वीकार्य होगा :

(i) स्वंय के लिए : पुराने से नए ड्यूटी स्टेशन तक सवारी की सुविधा इस प्रकार होगी :

(1) रेल से : जिस श्रेणी का हकदार हो उसी श्रेणी में वारन्ट पर।

(2) हवाई जहाज से : जब प्राधिकृत हो, हवाई जहाज का वास्तविक किराया स्वीकार्य होगा। यदि हवाई यात्रा के लिए प्राधिकृत न हो तो वास्तव में खर्च किए गए किराए की वारन्ट की लागत तक सीमित रेल मार्ग से यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(3) सड़क से : सेना कार्मिकों के मामले में, जे.सी.ओ. और समकक्षों, जब सैन्य दल के साथ न जा रहे हों — तो सरकारी गाड़ी उपलब्ध हो तो निःशुल्क परिवहन या सड़क वारन्ट यदि संविदा पद्धति लागू हो ।

एन.सी.ओ., ओ.आर., एन.सी.ई. और उनके समकक्षों और बॉयज से अपेक्षा की जाती है कि वे सामान्यतः मार्च करें। फिर भी उन्हें निःशुल्क सवारी दी जा सकती है ।

(क) यूनिट के अफसर कमांडिंग/ कमान अफसर स्थापना या स्थानीय विभाग या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जब अकेले या ऐसे दलों में यात्रा कर रहे हों जिनकी संख्या बीस से अधिक न हो या कोई चिकित्सा अफसर जब यह प्रमाणित करे कि वे मार्च करने में असमर्थ हैं।

(ख) स्टेशन के अफसर कमांडिंग/ स्टेशन पर उपस्थित वरिष्ठ नौसेना अफसर द्वारा जब वे 20 से अधिक दलों में यात्रा कर रहे हों, उन्हें दूर की सीमा के किसी प्रतिबन्ध के बिना निःशुल्क सरकारी वाहन प्रदान किया जाएगा ।

टिप्पणी 1: जब तक सरकारी गाड़ी उपलब्ध न हो तब तक सवारी की सुविधा वारन्ट पर ही दी जाएगी । यदि सरकारी गाड़ी उपलब्ध हो तो अनिवार्यतः उसी का उपयोग किया जाएगा।

टिप्पणी 2: जिन सड़कों पर सेना के कार्मिकों की सवारी के लिए संविदा न हो वहां नियम 61 के अनुसार मील भत्ते तक सीमित वास्तविक खर्च की स्वीकार्य किए जाएंगे।

(4) समुद्र से: नियम 58 के अनुसार हकदारी होगी।

(5) यदि व्यक्ति को नए ड्यटी स्टेशन पर सरकारी आवास की अनुपलब्धता के कारण उसके परिवार/घर के सामान को पूर्व ड्यूटी स्टेशन पर छोड़ना पड़ता है तो पूर्व स्टेशन तक जाने एवं वापसी, दोनों यात्राओं के लिए एक अतिरिक्त किराया/निःशुल्क वारन्ट हकदार श्रेणी के द्वारा जैसे कि जो श्रेणी प्रारंभिक संचलन के समय अधिकृत था, स्वीकार्य होगा । सेना कार्मिकों को जो यथार्थ कारणों के कारण उनके दूसरे फेरे पर अपने साथ परिवार के सदस्यों को नहीं ले जा सके हैं उनको एक अतिरिक्त किराया/ निःशुल्क वारंट से आने और जाने के लिए, हकदार श्रेणी द्वारा की भी हकदारी है।

(ii) परिवार : पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक सवारी, बशर्ते कि पी.बी.ओ.आर.का नाम पुराने और नए दोनों स्टेशनों पर प्राधिकृत विवाहित स्थापना में दर्ज हों और वह सरकार द्वारा आबंटित आवास में रह रहा हो या दोनों स्टेशनों पर क्वार्टर के स्थान पर मुआवजा ले रहा हो । ऐसे यूनिटों को प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों के मामले में, जहां के कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायतें मिल रही हों, परिवार को सवारी चुने हुए निवास स्थान/घर ।भले ही घर फील्ड सेवा रियायती क्षेत्र में स्थित हो। स्टेशनों के लिए स्वीकार्य होगी, जहां सरकारी आवास आबंटित किया जाता हो — बशर्ते कि व्यक्ति पुराने ड्यूटी स्टेशन पर प्राधिकृत विवाहित स्थापना पर हो ।

(1) रेल, जहाज और हवाई जहाज से: जैसा कि परिवार के मुखिया के मामले में है।

टिप्पणी 1: यदि सरकारी गाड़ी उपलब्ध हो, तो स खण्ड के उपबन्ध के अधीन सरकारी खर्च पर यात्रा करने वाले जूनियर कमीशन अफसरों, अन्य रैंकों और अयोद्धी ।नामांकित। और नौसेना और वायुसेना के उन समतुल्य रैंक धारियों के नियुक्त परिवारों द्वारा यूनिट लाइनों और निकटतम रेल स्टेशन के बीच सरकारी गाड़ी का प्रयोग किया जा सकता है।

टिप्पणी 2: जो परिवार अपने मुखिया के साथ पहले से सरकारी आवास में रह रहा हो, लेकिन जब ऐसे स्टेशन को जहां परिवार के आवास की सुविधा न हो या ऐसे स्टेशन को जहां परिवार के लिए आवास उपलब्ध न हो, स्थानान्तरण के अवसर पर परिवार को सरकारी खर्च पर घर भेजा जाए तो उसी स्टेशन पर बाद में सेवा की व्यवस्था के अन्तर्गत पारिवारिक आवास उपलब्ध होने पर परिवार अपने घर के मुखिया के पास जाने कि लिए निःशुल्क सवारी का हकदार होगा ।

(2) सड़क से : यदि उपलब्ध हो तो सरकारी गाड़ी में या सड़क वारन्ट पर निःशुल्क सवारी बशर्ते कि संविदा पद्धति लागू हो । जब ये दोनों ही उपलब्ध न हों तो, नियम 61 के अधीन उपयुक्त सड़क मील–दूरी भत्ते की दर स्वीकार्य होगी।

लेकिन, कोई सड़क मील–दूरी भत्ता घर और रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड/ हवाई अड्डे के मध्य, पुराने और नए ड्यूटी पर स्वीकार्य नहीं होगा ।

टिप्पणी 1: कोई व्यक्ति जो अपनी तैनाती के समय प्राधिकृत विवाहित स्थापना पर था और परिवार के साथ रह रहा था, नए ड्यूटी स्टेशन पर प्राधिकृत विवाहित स्थापना पर नहीं है, उसे पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक परिवार और सामान ले जाने के लिए निःशुल्क सवारी की सुविधा दी जाए बशर्ते कि उसके परिवार को वहां रहने की अनुमति दी गयी हो । वह व्यक्ति या तो इस सुविधा का उपयोग कर सकता है अथवा स्वविवेक के अनुसार नियम 73 के अन्तर्गत दी गयी सुविधा का उपयोग कर सकता है।

टिप्पणी 2: जब व्यक्ति किसी ऐसे यूनिट/फार्मेशन का संचलन करें जिसके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायतें मिल रही हो तो परिवार का 3 वर्ष से उपर का प्रत्येक सदस्य समय–समय पर सरकार द्वारा यथा निर्धारित (वर्तमान दर है ₹ 1.20 प्रति किलोमीटर) मील–भत्ते का हकदार होगा, बशर्ते कि सड़क से की गयी यात्रा की दूरी निकटतम स्टेशन से 24 कि0मी0 से अधिक हो। यह खण्ड उस स्थिति में लागू होगा यदि परिवार पुराने ड्यूटी स्टेशन पर पारिवारिक आवास अपने पास न रखें।

परिवार के मुखिया के पास जाने के लिए उपर दी गई रेल और सड़क की परिवार की हकदारी उस समय भी स्वीकार्य होगी जब परिवार के मुखिया को फिर किसी यूनिट/ फार्मेशन/स्थापना में तैनात किया जाए और वहां उसे प्राधिकृत विवाहित स्थापना में रखा जाए।

(ख) यात्रा पर खर्चे : कोई दैनिक–भत्ता, स्वयं और प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए यात्रा में / मार्ग में प्रवतर्न विरामों इत्यादि पर बिताए गए समय के लिए स्वीकार्य नहीं है ।

(ग) सामासिक स्थानान्तरण अनुदान

(i) अफसर से निम्न रैंक के सेना कार्मिकों जब, चाहे अकेले या सैन्य दल के अंग के रूप में एक शान्ति स्टेशन से दूसरे शान्ति स्टेशन, एक शान्ति स्टेशन से किसी रियायती क्षेत्र या किसी रियायती क्षेत्र से किसी शान्ति स्टेशन को, 20 कि0मी0 से ज्यादा की दूरी पर स्थित को स्थायी ड्यूटी पर संचलन करते हैं, तो सामासिक स्थानान्तरण अनुदान को प्रदानकिए जाने की हकदारी नीचे दिए अनुसार होगी :

सामासिक स्थानांनतरण अनुदान

विवाहित	अविवाहित
वेतनमान में एक माह का वेतन, ग्रेड वेतन, एम.एस.पी., ग्रुप एक्स वेतन, वर्गीकरण भत्ता, यदि कोई है	–– वेतनमान में एक माह का वेतन, ग्रेड वेतन, एम.एस.पी., ग्रुप एक्स वेतन, वर्गीकरण भत्ता, यदि कोई है

सभी विधुर सेना कार्मिकों जिनके कोई आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है, जब स्थायी ड्यूटी पर संचलित होते हैं सारे घर के सामान–स्थापना के साथ, उनको पूर्ण सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की हकदारी होगी।

(ii) उन स्टेशनों पर स्थानान्तरण के मामलों में, जो पुराने स्टेशन से 20 कि0मी0 से कम की दूरी पर हैं और उसी शहर में स्थानान्तरण पर, यह सी.टी.जी. को मूल वेतन के एक तिहाई तक सीमित किया जाएगा, बशर्ते कि घर का बदला जाना अंतर्निहित है ।

(iii) यदि पति और पत्नी दोनों सेवा में हैं, सामासिक स्थानान्तरण अनुदान का 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी, विवाहित को जो बाद में स्थानान्तरित हुआ है । कोई सामासिक स्थानान्तरण अनुदान विवाहित को जो बाद में स्थानान्तरित हुआ है, स्वीकार्य नहीं होगा, उस मामले में जहां दोनों स्थानान्तरणों का आदेश साठ दिन के भीतर दिया गया है। पूर्ण सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की दोनों पति और पत्नी को स्वीकार्यता होगी, उस मामले में जहां स्थानान्तरण 6 माह के समय के बाद या उससे अधिक में हुए हैं । उस मामले में जहां स्थानान्तरण स्वंय के निवेदन पर या स्थानान्तरण सार्वजनिक हित के अलावा हुआ है, कोई सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की स्वीकार्यता नहीं होगी, ।

टिप्पणी 1: सामासिक स्थानान्तरण अनुदान उस समय स्वीकार्य होगा जब परिवार अपने मुखिया की तैनाती के कारण पुराने ड्यूटी स्टेशन से सीधे नए ड्यूटी स्टेशन तक, पुराने ड्यूटी

स्टेशन से चुने हुए निवास स्थान/घर या चुने हुए निवास स्थान से नए ड्यूटी स्टेशन जैसी भी मामला हो, वास्तव में यात्रा करें।

टिप्पणी 2: सामासिक स्थानान्तरण अनुदान अग्रिम लिया जा सकता है ।

(घ) सामान

(i) रेल द्वारा निजि सामान की ढुलाई की हकदारी नियम 61–अ के अनुसार होगी।

टिप्पणी 1: जब सेना के कार्मिक किसी ऐसे यूनिट/फार्मेशन से और तक यात्रा करें जिसके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायतें स्वीकार्य हों, तो यदि वे जूनियर कमीशन अफसर और नौसेना और वायुसेना में समतुल्य हों, तो अपने साथ 50 कि0ग्रा0 और यदि वे गैर कमीशन अफसर और समतुल्य और अन्य श्रेणी अयोद्धि और गैर कमीशन और समतुल्य और अन्य श्रेणी अयोद्धी और गैर कमीशन अफसर और समतुल्य ग्रेड के हैं तो अपने साथ 25कि0ग्रा0 वारन्ट पर ले जा सकते हैं। सामान की हकदारी का शेष परिवार अपने साथ वारन्ट पर चुने हुए निवास स्थान से या चुने हुए निवास स्थान तक ले जा सकते हैं। जिनके परिवार न हों/जो विवाहित हों लेकिन तैनाती के समय प्राधिकृत विवाहित स्थापनाके रूप में दर्ज नहीं हों उन पर नियम 67 (घ) के खण्ड (vi) के उपबन्ध लागू होंगे।

टिप्पणी 2: जब पी.बी.ओ.आर.का परिवार, जब परिवार के मुखिया से अलग यात्रा करता है तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना परिवार का बकाया सामान गृह–नगर/एस.पी. आर. ले जाया जाएगा बशर्ते कि व्यक्ति द्वारा अपने साथ ले जाए गए सामान की मात्रा परिवार द्वारा ले जाए गए सामान की मात्रा और डिपों ले जाए गए सामान की मात्रा का कुल जोड़ अधिकतम से ज्यादा न हो ।

(ii) कोई पैकिंग–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, यह सी.टी.जी. में शामिल कर दिया गया है।

(iii) सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की पी.बी. ओ.आर. को प्राधिकारिकता, जब उन्हें स्टेशन पर वास की कमी के कारण विवाहित वास को खाली करने को कहा जाता है

जे.सी.ओ. , एन.सी.ओ. , ओ.आर. और उनके समकक्षों जो नौसेना और वायुसेना में हैं, प्राधिकृत विवाहित स्थापना के अंतर्गत रह रहे थे और जिनको परिवार और असबाब का संचलन करना पड़ता है , एस.पी.आर. / गश्ह–नगर को प्रशासनिक आधारों पर जैसे वास की कमी इत्यादि, उनको सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की हकदारी होगी । उन ऐसे मामलों में सामासिक स्थानान्तरण अनुदान के भुगतान को प्राधिकृत किया जाएगा डी.ओ. भाग–।। आदेश 'वास प्रावकाश आदेश' के आधार पर जिसको अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों को भी शामिल करना चाहिए:

(कक) व्यक्ति को सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की हकदारी है।

(कख) यह नया एकक पुराने ड्यूटी स्टेशन से 20 कि0मी0 से परे स्थित है ।

(कग) यह व्यक्ति प्राधिकृत वास स्थापना पर या और इस मौजूदा ड्यूटी स्टेशन पर परिवार के साथ रह रहा था परन्तु प्रशासकीय कारणों से / विवाहित वास की कमी के कारण विवाहित वास के प्रावकाश पर अपने परिवार को ले जाना पड़ता है, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है ।

(कघ) यह व्यक्ति को वारंट जारी किया गया था, धारक संख्या.....
दिनांक.....के लिए
.....

(क(i)) उसकी यात्रा से .....तक
.....को .....

(क(ii)) उसका परिवार / असबाब यात्रा से ..
.....तक
.....को .....

यह रियायत केवल एक बार ही किसी खास स्टेशन पर तैनाती के दौरान प्राप्य की जा सकती है।

(iv) सेवा कार्मिक मुख्य भूमि के और अण्डमान निकोबार द्वीप के बीच समुद्री यात्रा के संबंध में उपर्युक्त मान के अलावा सामान की निम्नलिखित मात्रा के हकदार हैं :

कार्मिकों का रैंक / ग्रेड	हकदारी
(क) जे.सी.ओ. और उनके समकक्षों नौसेना और वायुसेना में	1000 कि0ग्रा0 या 157 क्यूबिक फीट
(ख) एन.सी.ओ. और उनके समकक्षों नौसेना और वायुसेना में	600 कि0ग्रा0 या 94 क्यूबिक फीट

(ङ) सरकारी खर्च पर निजी वाहन का परिवहन

(i) सेना कार्मिकों के एक यूनिट/फार्मेशन/स्थापना पोत से दूसरी स्थायी ड्यूटी पर संचलन करने पर निजी वाहन के परिवहन के लिए लागू होने वाले मान निम्नलिखित होंगे :

	ग्रेड वेतन	मान
(i)	सेना कार्मिकों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– और उससक उपर को आहरित करते हैं	एक मोटर कार, इत्यादि या एक मोटर साइकिल/ स्कूटर या एक घोड़ा
(ii)	सेना कार्मिकों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– से कम को आहरित करते हैं	एक मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड या एक बाईसाइकिल

टिप्पणी 1: सेना कार्मिकों जो ग्रेड वेतन ₹ 3,400/– को आहरित करते हैं, को वर्तमान में जैसा उपर (i) में है, की हकदारी है और उनको इसकी हकदारी आगे भी जारी रहेगी ।

टिप्पणी 2: अपनी निजी कार के परिवहन के लिए सेनाअफसरों पर लागू हाने वाली शर्त जैसा कि नियम 67 (घ) में दिया गया है, सेना कार्मिकों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– और उससे उपर को आहरित करते हैं को भी, जब वे अपनी मोटर कार का परिवहन करते हैं लागू होगी ।

(ii) जब कोई व्यक्ति ऐसी यूनिट/फार्मेशन में तैनात किया जाए जिसके कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायत प्राप्त कर रहे हों, स्वीकार्य हो तब उपर दिए गए के अनुसार उसको परिवहन की हकदारी चुने हुए निवास स्थान/घर के लिए ही अनुमत्य होगी । घर/चुने हुए निवास स्थान से शान्ति स्टेशन के लिए भी सवारी स्वीकार्य होगी।

टिप्पणी 1: जब गाड़ी समुद्र से भेजी जाए तो उसके परिवहन की वास्तविक लागत में भाड़ा अन्य प्रासंगिक प्रभार जैसे कि पतन/नदी प्रभार लदान और उतरान प्रभार शामिल होंगे ।

टिप्पणी 2: यदि नियम 16 के अनुसार पुनर्ग्रहणाधिकार अवधि के अन्दर कोई मोटर साइकिल या साइकिल पुराने ड्यूटी स्टेशन को छोड़कर किसी अन्य स्थान से भेजी जाती है तो पहले स्टेशन से उसके परिवहन की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए बशर्ते कि इस प्रकार ली जाने वाली राशि पुराने ड्यूटी स्टेशन तक उसके परिवहन की वास्तविक लागत की राशि से अधिक न हो ।

(iii) उक्त व्यक्ति को मोटर साइकिल/स्कूटर के परिवहन की लागत अनुमत्य की जा सकती है जो उक्त खण्ड (1) के अधीन इसके मुफ्त परिवहन का पात्र हो।

(क) जब कोई व्यक्ति रेल से जुड़े स्टेशनों के बीच अपनी मोटर साइकिल/ स्कूटर को सड़क से चला कर ले जाता है तो वह प्रारम्भिक स्थान पर यातायात निदेशक द्वारा अनुमोदित आटोरिक्शा की दरों पर भत्ता ले सकता है जो सवारी गाड़ी द्वारा परिवहन पर व्यय तक सीमित होगा किन्तु यदि मोटर साइकिल/ स्कूटर को रेल से न जुड़े स्टेशनों के बीच ले जाया जाता है तो प्रारम्भिक स्थान पर यातायात निदेशक द्वारा अनुमोदित आटो रिक्शा की दरों पर भत्ता ले सकता है ।

टिप्पणी: जब परिवहन चलाकर भेजा जाता है परन्तु सेना कार्मिक उसमें यात्रा नहीं करता है तब उसको / उसकी लिए वह / वही अलग से रेल/ वायुयान भाड़ा या अलग से मील–दूरी भत्ता लेने का हकदार नहीं होगा । लेकिन, जब यह पी.बी.ओ.आर. अपनी स्वंय की कार/ स्कूटर/मोपेड इत्यादि से यात्रा करता है, उसको / उसकी को किसी अलग रेल के किराए की हकदारी नहीं होगी ।उसके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त मील–दूरी भत्ता स्वीकार्य होगा । यदि वे अपनी शक्ति द्वारा परिवहन किए गए वाहन द्वारा यात्रा न करके किसी अन्य साधन से यात्रा करते हैं।

(ख) रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच में ट्रक पर लादकर मोटर साइकिल/स्कूटर के परिवहन के मामलों में व्यक्ति को प्रस्थान करने वाले स्थान (बिन्दू) से निदेशक परिवहन द्वारा ऑटोरिक्शा की अनुमोदित दरों की सीमा तक गणना की गई राशि परिवहन पर वास्तविक व्यय अथवा यात्री रेलगाड़ी द्वारा भाड़ा प्रभार जो भी कम हो देय होंगे । तथापि मोटर साइकिल/ स्कूटर को रेल से न जुड़े स्थानों के बीच ले जाया जाता है तो वा प्रस्थान बिन्दु पर निदेशक परिवहन द्वारा ऑटोरिक्शा के लिए अनुमोदित दरों पर गणना की गई धनराशि तक की सीमा तक वास्तविक व्यय प्राप्त कर सकता है ।

(ग) नौकरों को ले जाना : नौसेना और वायुसेना में जे.सी.ओ. और उनके समकक्षों जब स्थायी ड्यूटी पर संचलित होते हैं, को एक नौकर को निःशुल्क ले जाने की हकदारी होगी।

70–अ. पुनर्नियोजन पर जूनियर कमीशन अफसरों या समतुल्यों को सवारी

जिन सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन अफसरों और उनके समकक्ष अफसरों को पुनः नियोजित किया जाता है उन्हें उनके घरों से उस स्टेशन तक जहां उन्हें तैनात किया जाता है खुद के लिए और उनके परिवार के लिए सवारी स्वीकार्य होगी ।

70–ब. हकदारी : सिविलियन सिस्टर

(क) जो महिला किसी सेना अस्पताल में सिविलियन सिस्टर के रूप में नियुक्त की जाती है, वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए सवारी की हकदार होगी :

(i) प्रथम नियुक्ति पर अपने निवास स्थान से।

(ii) सन्तोषजनक/असन्तोषजनक कारणों से नियुक्ति छोड़ने पर उसके निवास स्थान तक।

(ख) एक सेना अस्पताल से दूसरे सेना अस्पताल में स्थानान्तरण पर कोई भी सिविलियन सिस्टर 600 कि0ग्रा0 तक की सामान की हकदार होगी, यदि उसका परिवार हो और यदि परिवार न हो तो वह 125 कि0ग्रा0 के सामान की हकदार होगी।

(ग) जो महिलाएं उन प्रसूति, चिकित्सा और विशेषाधिकार छुट्टी की रिक्तियों में नियुक्त की जाएं जिन्हें स्थानीय रूप से न भरा जा सके, उन्हें केवल अपने लिए उपर दिए गए (i) के अनुसार और कार्य स्थान तक और किसी अन्य स्टेशन तक सवारी बशर्ते कि नियुक्ति की समाप्ति पर कोई अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े।

71. रिजर्व वालों के लिए सवारी

(क) जब किसी दैनिक रिजर्व वाले, बेड़ा रिजर्व वाले वायु सैनिक रिजर्व वाले को सेवा के लिए बुलाया जाए तो वह निवास स्थान घर से निःशुल्क सवारी के लिए इस प्रकार हकदार होगा :

(1)	रेल से यात्रा	द्वितीय श्रेणी का वारन्ट ।
(2)	समुद्र से यात्रा	नियम 58 के अनुसार मांग पर ।
(3)	सड़क से यात्रा	यदि उपलब्ध हो तो सरकारी गाड़ी । यदि संविदा पद्धति विद्यमान हो तो वारन्ट या वास्तविक खर्च जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा प्रति किलोमीटर की निर्धारित दरों (वर्तमान दर ₹ 1.20/–) तक सीमित होगा ।
(4)	रेल से जुड़े हुए स्थानों के बीच सड़क से यात्रा के लिए	वास्तविक खर्च जो द्वितीय श्रेणी के रेल के किराये तक सीमित होगा ।
(5)	नेपाल में यात्रा के लिए	जैसा, समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

टिप्पणी: यह सड़क मील–दूरी भत्ते की दरें जैसा टी. आर. के नियम 61 में यथा निर्धारित, जैसा समय–समय पर संशोधित है , को भी लागू किया जाएगा , सड़क मील–दूरी भत्ते के भुगतान के लिए जो स्वीकार्य है , उस मामले में , जहां यात्राओं की प्रासंगिकता सड़क द्वारा यात्राओं के लिए पैदल और बाईसाइकिल पर उन स्थानों के मध्य जो रेल द्वारा संयोजित नहीं हैं , के लिए की जाती हैं ।

(ख) नेपाल में रहने वाले जिस गोरखा सैनिक को सेवा के लिए बुलाया जाए, उसे रिजर्व केन्द्र में आने पर द्वितीय श्रेणी के रेल के किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

72. पी.बी.ओ.आर. के परिवारों के लिए सवारी जब वे प्रथम बार उनके पास आएं

(क) पी.बी.ओ.आर.के वे परिवार जो शादी के बाद पहली बार परिवार के मुखिया के पास रहने के लिए उसके ड्यूटी स्टेशन पर आ रहे हों, निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे ।

उपर की हकदारी इस शर्त पर होगी कि व्यक्ति संबंधित यूनिट/ फार्मेशन/तट स्थापना की प्राधिकृत विवाहित स्थापना के अन्तगर्त हो और या तो वह सरकार द्वारा आबंटित क्वार्टर में रह रहा हो या विवाहितों के लिए आवास के स्थान पर पूरा मुआवजा ले रहा हो । सवारी परिवार के मुखिया के घर/विवाह के चुने हुए निवास स्थान से अनुमत्य होगी बशर्ते कि यह लागत परिवार के मुखिया के घर से सवारी की लागत से अधिक न हो ।

टिप्पणी: यदि विवाह विदेश के किसी स्टेशन पर हुआ हो तो अवरोहण पत्तन विवाह का स्थान माना जाएगा।

(ख) यदि परिवार सड़क से संचलन करता है उन स्थानों के मध्य जो रेल द्वारा संयोजित नहीं हैं तो परिवार के तीन वर्ष से उपर की आयु के प्रत्येक सदस्य के लिए मील–दूरी भत्ता जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित (वर्तमान दर ₹1.20/– प्रति किलोमीटर) के अनुसार होगा बशर्ते कि कुल सड़क यात्रा निकटतम रेलवे स्टेशन (एन.आर.एस.) से 24 कि0मी0 से अधिक हो।

टिप्पणी: यह सड़क मील–दूरी भत्ते की दरें जैसा टी. आर. के नियम 61 में यथा निर्धारित, जैसा समय–समय पर संशोधित है , को भी लागू किया जाएगा, सड़क मील–दूरी भत्ते के भुगतान के लिए जो स्वीकार्य है , उस मामले में जहां

यात्राओं की प्रासंगिकता , सड़क द्वारा पैदल और बाईसाइकिल पर उन स्थानों के मध्य जो रेल द्वारा संयोजित नहीं हैं , के लिए की जाती है ।

72–अ. सेना के अफसर/सिविलियन जो रियायती क्षेत्र में सेवा करते हुए विवाह करे, उनके परिवारों के लिए सवारी

(क) सेना अधिकारी के मामले में जो किसी संकिया या फील्ड क्षेत्र में सेवा करते हुए विवाह करता है जहां परिवारों के रहने की अनुमति नहीं है तो इस अफसर के फिर शान्ति स्टेशन पर तैनात किए जाने पर उसकी नव–विवाहित पत्नी को नियम 85 के अधीन सवारी स्वीकार्य होगी जो संकिया या फील्ड सेवा क्षेत्र में उसके तैनाती के नए शांति ड्यूटी स्टेशन तक सवारी की लागत तक सीमित होगी ।

(ख) सेना जो अफसर रियायती क्षेत्र में सेवा करते हुए विवाह करता है उसे उसके रियायती क्षेत्र से वापिस आने पर नव–विवाहित पत्नी के निवास स्थान से नए शान्ति ड्यूटी स्टेशन तक परिवार के लिए अनुमत्य सामान के निःशुल्क परिवहन की अनुमति दी जा सकती है ।

टिप्पणीः उपर दिए गए उपबंध आवशयक परिवर्तन सहित संकिया या फील्ड सेवा क्षेत्र में सेवा करने वाले सिविलियन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

73. परिवार के मुखिया से नियुक्त किए जाने वाले सेना के कार्मिकों के परिवारों की सवारी

(क) पी.बी.ओ.आर. के मामले मेंजो प्राधिकृत विवाहित स्थापना पर हो और सरकार द्वारा आबंटित आवास में अपने परिवार के साथ रह रहा हो जिस स्टेशन पर वह सेवा कर रहा हो उस स्टेशन पर परिवार आवास के न मिलने या न होने पर उसके स्थान पर मुआवजा ले रहा हो, उसका परिवार उसके घर या चुने हुए निवास स्थान तक निःशुल्क सवारी का हकदार होगा यदि परिवार के मुखिया को किसी ऐसे शान्ति स्टेशन पर तैनात किया जाए जहां परिवार के लिए आवास प्रदान न किया जा सके या जहां परिवारों के निवास की अनुमति न हो बशर्ते कि सवारी की लागत उसके घर तक सवारी की लागत से अधिक न हो। यदि उसके नए ड्यूटी स्टेशन पर परिवार के लिए आवास उपलब्ध हो जाए तो उस स्टेशन पर अपने मुखिया के पास जाने के लिए उसका परिवार उसी प्रकार की वापसी सवारी का हकदार होगा अन्यथा परिवार के मुखिया के किसी ऐसे स्टेशन पर वापिस आने पर जहां परिवार के लिए आवास प्रदान किया जा सकता है या परिवारों के निवास की अनुमति है, परिवार अपने मुखिया के पास आने के लिए वापसी सवारी का हकदार होगा ।

टिप्पणीः परिवारों को शेष असबाब के परिवहन की अनुमति होगी , जब परिवार के मुखिया से अलग संचलन करते हैं बिना सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के, इस शर्त पर कि कुल असबाब की मात्रा व्यक्ति द्वारा अपने साथ परिवहन की गई मात्रा और डिपो पर परिवहन की गई मात्रा अधिकतम हकदारी से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ख) जब कोई व्यक्ति स्थायी ड्यूटी पर संचलन करता है तो उसके परिवार को उसके घर/चुने हुए निवास स्थान से जहां उसका परिवार उसके पुराने ड्यूटी स्टेशन से अपने खर्च पर मूलतः गया था उसके नए ड्यूटी स्टेशन तक निःशुल्क सवारी स्वीकार्य होगी बशर्ते कि जब उसका परिवार घर/चुने हुए निवास स्थान को गया था, जब वह प्राधिकृत स्थापना में उसका नाम विवाहित के रूप में (सी.आई.एल.क्यू.) दर्ज किया गया हो तब वह सरकार द्वारा आबंटित आवास में रहा हो या पुराने ड्यूटी स्टेशन पर विवाहितों के लिए आवास के एवज में मुआवजा ले रहा हो। यह छूट केवल उसी परिवार को स्वीकार्य होगी जिसने परिवार के मुखिया के नए ड्यूटी स्टेशन के संचलन के अधिक से अधिक एक वर्ष पहले अपने घर/चुने हुए निवास स्थान को संचलन किया हो । इसका लाभ नियम 16 में निर्धारित ग्रहणाधिकार अवधि के अंतर्गत उठाया जाना चाहिए ।

(ग) खण्ड (क) में दी गई छूट के विकल्प के रूप में परिवार रेजीमेंट केन्द्र या डिपों के साथ भी रह सकता है बशर्ते कि आवास उपलब्ध हो और उसके क्वार्टरों की किसी अन्य प्रयोजन के लिए जरूरत न हो। ऐसा परिवार बाद में निःशुल्क सवारी का हकदार होगा जब वह परिवार के मुखिया के किसी ऐसे स्टेशन पर तैनात किए जाने पर उसके पास जाए जहां परिवार आवास प्रदान किया जा सकता हो ।

(घ) उपर के खण्ड (क) से (ग) तक के अधीन यात्रा करने वाले किसी परिवार के सदस्य वहां बस का वास्तविक किराया पाने का हकदार होंगे जहां सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है और सड़क संविदा प्रणाली का उल्लंघन नहीं होता है । फिर भी जहां कोई सार्वजनिक प्रणाली मौजूद नहीं है वहां परिवार के तीन वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक सदस्य को जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित (वर्तमान दर ₹ 1.20/– प्रति किलोमीटर) के अनुसार की हकदारी होगी। यह रियायत केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्वीकार्य है जहां स्थानों का रेल द्वारा

जुड़ा न होने के कारण सड़क द्वारा यात्रा करनी होती है ।

टिप्पणी: यह सड़क मील–दूरी भत्ते की दरें जैसा टी.आर. के नियम 61 में यथा निर्धारित, जैसा समय–समय पर संशोधित है, को भी लागू किया जाएगा, सड़क मील–दूरी भत्ते के भुगतान के लिए जो स्वीकार्य है, उस मामले में जहां यात्राओं की प्रासंगिकता, सड़क द्वारा पैदल और बाईसाइकिल पर उन स्थानों के मध्य जो रेल द्वारा संयोजित नहीं हैं , के लिए की जाती है ।

74. पी.बी.ओ.आर. को उस स्थिति में सवारी, जब उन्हें विवाहितों के आवास खाली करने के लिए कहा जाए :

पी.बी.ओ.आर. जो प्राधिकृत विवाहित स्थापना पर हों, उनके परिवारों की उनके घर या चुने हुए निवास स्थान तक निःशुल्क सवारी मंजूर की जाएगी बशर्ते कि उस समय राज्य को कोई अतिरिक्त खर्च न करना पड़े जब उन्हें यूनिट या स्टेशन के विवाहितों के लिए आवास के कम परिणाम स्वरूप उसे खाली करने का आदेश दिया जाए जिससे स्टेशन या यूनिट के विवाहित कार्मिकों के बीच उपलब्ध आवास का सामान वितरण सुनिश्चित किया जा सके शर्त यह है कि परिवार कम से कम एक वर्ष तक यूनिट के साथ या स्टेशन पर रह रहे हों और यूनिट/स्टेशन का (कमान अफसर, पोत/स्थापना) अफसर कमांडिंग यह प्रमाणित करे कि आवास का खाली किया जाना आवश्यक था । निःशुल्क सवारी उन व्यक्तियों के परिवारों की भी स्वीकार्य होगी जो प्राधिकृत स्थापना में विवाहित के रूप में दर्ज हो और जिन्हें सरकारी आवास प्रदान न किया गया हो और इसलिए जो अपनी निजी व्यवस्था करके रह रहे हों और विवाहितों के लिए आवास के स्थान पर मुआवजा ले रहे हों । शर्त यह होगी कि यूनिट/स्टेशन का अफसर कमांडिंग (कमान अफसर, पोत/स्थापना) यह प्रमाण–पत्र दे कि संबंधित व्यक्ति को अपनी यूनिट लाइन के बाहर रहने की अनुमति नहीं दी गई थी और व्यक्ति का नाम स्थापना से विवाहित के रूप में काट दिए जाने के फलस्वरूप उसके परिवार की वह प्राइवेट आवास खाली करना पड़ा था जिसमें वह रह रहा था । यह रियायत उन परिवारों पर भी लागू होगी जो गैर–परिवार स्टेशनों पर प्राधिकृत स्थापना पर विवाहित के रूप में हों और जिन्हें इसी प्रकार विस्थापित होने पर मौजूदा विवाहितों के लिए आवास में रहने की अनुमति दी गई हो। इस प्रकार विस्थापित परिवारों की उस समय भी निःशुल्क आवास प्रदान किया जाए जब उसी स्टेशन पर या किसी अन्य विवाहित वास में उसी स्टेशन पर या ड्यूटी के अन्य किसी स्टेशन पर परिवार के मुखिया को सरकार द्वारा विवाहितों के लिए आवास आबंटित/पुनः आबंटित किए जाने पर वे उसके साथ रहने के लिए आएं। यात्रा के जिस भाग में सड़क से यात्रा करनी पड़े, जब उसके लिए सरकारी गाड़ी को प्रदान किया जाना न हो तो किफायती हो और न ही व्यवहार्य हो तो नियम 73 (घ) में निर्धारित शर्तों और दरों पर सड़क भत्ता स्वीकार किया जाए ।

अपवाद :असाधारण परिस्थितियों में यूनिट का अफसर कमांडिंग एक वर्ष की अवधि को 6 मास कर सकता है जिसे दर्ज किया जाना चाहिए । ऐसे मामले में नीचे लिखे रूप में प्रमाण–पत्र दिया जाएगा :––

"प्रमाणित किया जाता है कि सरकार द्वारा बनाया गया और किराये पर लिया गया आवास सामान वितरण सुनिश्चित करने के लिए यूनिट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है।"

टिप्पणी 1: जो परिवार इस नियम के अधीन अपने घरों के लिए निःशुल्क सवारी का लाभ उठाते हैं, वे आवास खाली किए जाने के एक वर्ष की समाप्ति से पहले परिवार के मुखिया के पास फिर आने के लिए निःशुल्क सवारी के हकदार नहीं होंगे। परिवार के मुख्या के पास फिर आने के बाद जब तक इन परिवारों के आने की तारीख से एक वर्ष न गुजर जाए तब तक इन परिवारों को दूसरी बार विवाहितों के लिए आवास खाली करने के आदेश दिए जाने पर भी फिर अपने घर जाने के लिए निःशुल्क सवारी का हक नहीं होगा ।

टिप्पणी 2: परिवार के मुखिया से अलग जब परिवार यात्रा करता है तब सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना परिवार बकाया सामान ले जाएगा बशर्ते कि व्यक्ति द्वारा अपने साथ ले जाए गए सामान की मात्रा, परिवार द्वारा ले जाए गए सामान की मात्रा और डिपो तक ले जाए गए सामान की मात्रा का कुल जोड़ अधिक तक हकदारी से ज्यादा न हो।

टिप्पणी 3: पी.बी.ओ.आर.को आबंटित विवाहित आवास की जब प्रशासनिक आधार पर उसे खाली करने को कहा जाए तो निम्नलिखित शर्तों पर परिवार के साथ चुने गए निवास स्थान/गृह नगर को निजी वाहन (मोटर साइकिल/ स्कूटर/ साइकिल) का परिवहन सरकारी खर्चे पर देय होगा :

(क) मोटर साइकिल/स्कूटर/साइकिल के परिवहन की सुविधा एक स्थान पर एक सेवा काल में केवल एक बार उपयोग कर लेने से सीमित कर दी जाएगी।

(ख) सरकारी कर्मचारी को मोटर साइकिल/ स्कूटर/साइकिल की अपने नियत निवास स्थान/गृह नगर को भेजने का विकल्प या तो परिवार तथा सामान के साथ अथवा अपनी तैनाती के समय देना पड़ेगा ।

75. गोरखा सैनिकों/नौ सैनिकों/वायु सैनिकों के परिवारों को सवारी जब उन्हें अपने परिवारों को लाने की अनुमति दी जाए

(i) जब किसी गोरखा सैनिकों/नौ सैनिकों/वायु सैनिकोंको अपनी अफसर कमांडिंग द्वारा अपने यूनिट/स्थापना में अपना परिवार लाने की

अनुमति दी जाए तो उसे रेल से सवारी केवल एक ही बार स्वीकार्य होगी । यह उन परिवारों पर लागू नहीं होगा जो नेपाल के बाहर रह रहे हों ।

(ii) गोरखा सैनिकों के जिन परिवारों को देहरादून में सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा जाए या जिन्हें उस स्टेशन पर सरकारी आवास न दिया जा सके, उन्हें रेजीमेंटल सेन्टर से नेपाल/भारत में उनके घरों तक निःशुल्क सवारी का हक होगा बशर्ते कि इन परिवारों का सरकारी खर्च पर यूनिट में आकर रहने की मूल रूप से सरकारी तौर पर अनुमति दी गई हो । इसके अतिरिक्त इन परिवारों की भविष्य में किसी तारीख को नेपाल से भारत तक सवारी उपर दिए गए खंड (I) द्वारा नियंत्रित होगी । जब सड़क से यात्रा करने के लिए सवारी प्रदान न की जाए तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मौजूदा दर पर सड़क–भत्ता स्वीकार्य होगा जो अधिकतम तीन व्यक्तियों तक सीमित होगा ।

परिवार के सैनिक अनुरक्षकों को निःशुल्क वापसी सवारी सड़क और रेल द्वारा की भी स्वीकार्यता होगी जब इस प्रयोजन के लिए छुट्टी का ब्यौरा उपलब्ध न हो ।

76. स्थायी ड्यूटी पर यात्रा : रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान पाने वाले सिविलियनों

स्थायी ड्यूटी पर यात्रा के लिए सिविलियन कार्मिक निम्नलिखित का हकदार होगा :

(क) सवारी

(i) स्वयं के लिए :पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक सीधे मार्ग से निःशुल्क सवारी जो इस प्रकार दी जाएगी :

(1) रेल से : नकद अदायगी पर/हकदारी की सेवी का एक किराया नियम 57 देखिये या वास्तव में जिस श्रेणी में यात्रा की गई हो उसका किराया । इनमें स` जो भी कम हो वही किराया दिया जाए । रेल को छोड़कर अन्य किसी साधन से की गई यात्रा के लिए वास्तविक खर्च/मील भत्ते/रेल किराये में से जो भी सबसे कम हो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी । लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे यूनिट/फार्मेशन तक संचलन करता है, जिसके कार्मिक की फील्ड सेवा रियायत मिल रही हो तो उसका संचलन वारन्ट पर होगा ।

(2) सड़क से : (क) नियम 61 में निर्धारित दरों पर एक मील–भत्ता यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र को संचलन कर रहा हो। जहां फील्ड सेवा रियायतें स्वीकार्य हो तो वह यह यात्रा उपलब्ध होने पर सरकारी गाड़ी से अन्यथा यदि संविदा पद्धति विद्यमान हो तो सड़क वारंट पर करेगा । यदि न हो तो सरकारी गाड़ी उपलब्ध हो और न ही संविदा पद्धति विद्यमान हो तो उसे वास्तविक किराया अदा किया जाएगा जो नियम 61 में स्वीकार्य सड़क– भत्ते तक सीमित होगा ।

(ख) सिविलियन बस भाड़े के अलावा शायिका (रात्रि कालीन यात्रा के लिए) प्रभार की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे जहां राज्यपरिवहन बसों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो । यह इस शर्त के अधीन है कि कुल व्यय रेल से जुड़े स्थानों के लिए हकदार श्रेणी के रेल भाड़े से अधिक नहीं होगा ।

(3) समुद्र–द्वारा : नियम 58 के अनुसार ।

(4) हवाई जहाज से : नियम 62 के अनुसार।

(5) यदि एक कर्मचारी तैनाती के नए स्थान पर सरकारी आवासीय स्थान की अनुपलब्धता के कारण अपना परिवार पीछे छोड़ता है तो सामान्य स्थानान्तरण भत्ता हकदारी के अलावा जावक और आवक दोनों यात्राओं के लिए वह अधिकृत श्रेणी के अतिरिक्त किराए का हकदार होगा । कर्मचारियों जो उनके दूसरे फेरे पर अपने साथ परिवार के सदस्यों को नहीं ले जा सके हैं यथार्थ कारणों के कारण , को एक अतिरिक्त किराए आने और जाने के लिए, हकदार श्रेणी द्वारा की भी हकदारी दी जाएगी ।

(ii) परिवार

(1) रेल से : जैसा कि परिवार के मुखिया के लिए है प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए एक किराया और प्रत्येक बच्चे 5 से 12 साल की उम्र के मध्य के लिए आधा किराया जबकि यह किराया वास्तव में दिया गया हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे यूनिट/फार्मेशन से या यूनिट/ फार्मेशन तक संचलन करता है जिसको कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायत मिल रही हो तो परिवार चुने हुए निवास स्थान/घर तक/से सवारी का हकदार होगा ।भले ही चुना हुआ निवास स्थान/घर फील्ड सेवा रियायती क्षेत्र में स्थित हो।

(2) सड़क से : जैसा कि नियम 67 (अ) में निर्धारित है ।

(3) हवाई जहाज से : जैसा कि परिवार के मुखिया के लिए है ।

(ख) दैनिक–भत्ताः स्थायी ड्यूटियों पर दैनिक–भत्ते की स्वीकार्यता नहीं है ।

(ग) सामासिक स्थानान्तरण अनुदान

(i) सामासिक स्थानान्तरण अनुदान, वेतन के बराबर, वेतनमान में प्लस ग्रेड वेतन प्लस एन.पी.ए. यदि कोई है, उन स्थानान्तरणों के मामले में जहां स्टेशन का बदला जाना अंतर्निहित है , जो एक दूसरे से 20 कि0मी0 या उससे अधिक की दूरी पर स्थित हैं । उन स्टेशनों पर स्थानान्तरणों के मामलों में, जो पुराने स्टेशन से 20 कि0मी0 से कम की दूरी पर हैं और उसी शहर में स्थानान्तरणों पर, यह सामासिक स्थानान्तरण अनुदान को सामासिक स्थानान्तरण अनुदान के एक–तिहाई तक सीमित किया जाएगा, बशर्ते कि घर का बदला जाना वास्तविक तौर पर अंतर्निहित है।

(ii) यदि पति और पत्नी दोनों सेवा में हैं, केवल एक सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की अनुमति है, यदि पति–पत्नी का स्थानान्तरण एक दूसरे से 6 माह के भीतर होता है, उसी स्थान से उसी स्थान पर । लेकिन, उन मामलों में जहां स्थानान्तरण 6 माह के भीतर होता है, परन्तु विवाहित के स्थानान्तरण के 60 दिनों के बाद होता है, सामासिक स्थानान्तरण अनुदान का 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी, विवाहित को जो बाद में स्थानान्तरित हुआ है । कोई सामासिक स्थानान्तरण अनुदान विवाहित को जो बाद में स्थानान्तरित हुआ है, स्वीकार्य नहीं होगा, उस मामले में जहां दोनों स्थानान्तरणों का आदेश साठ दिन के भीतर दिया गया है । पूर्ण सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की दोनों पति और पत्नी को स्वीकार्यता होगी, उस मामले में जहां स्थानान्तरण 6 माह के समय के बाद या उससे अधिक में हुए हैं । कोई सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की स्वीकार्यता नहीं होगी, उस मामले में जहां स्थानान्तरण स्वयं के निवेदन पर या स्थानान्तरण सार्वजनिक हित के अलावा हुआ है ।

(घ) निजी सामान का परिवहन

(i) निजि सामान के परिवहन के लिए हकदारियां नियम 61–अ के अनुसार होंगी।

(ii) यदि सामान रेल की "तीव्र परिवहन सेवा" द्वारा भेजा जाता है तो उस पर रेल विभाग द्वारा लगाए गए अतिरिक्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते कि यात्रा– भत्ते के दावे के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाये कि सामान वास्तव में तीव्र परिवहन सेवा से भेजा गया था और वह निर्धारित अवधि में गन्तव्य पर पहुंच गया था।

(iii) सिविलियनों के परिवारों को, जब परिवार के मुखिया से अलग संचलन करते हैं, बकाया सामान को गृह–नगर/एस.पी.आर. ले जाने की अनुमति होगी, बिना सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के, इस शर्त पर कि, व्यक्ति द्वारा अपने साथ ले जाए गए सामान की मात्रा, परिवार द्वारा ले जाए गए सामान की मात्रा और डिपो तक ले जाए गए सामान की मात्रा, अधिकतम हकदारी से अधिक न हो ।

(iv) हवाई जहाज से सामान ले जाने के लिए नियम 67 (क) के उपबंध लागू होंगे ।

(v) जब कोई अफसर रेल से भिन्न किसी अपेक्षाकृत सस्ते मार्ग से हकदारी की मात्रा से अधिक सामान ले जाता है तो वह उसकी वास्तविक लागत ले जा सकता है, जो सामान्य स्वीकृत मार्ग से सामान की मात्रा के हकदारी के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित होगी ।

(vi) हकदार अधिकतम मान के अधीन, एक अफसर अपने नए ड्यूटी स्टेशन तक (उदाहरणार्थ, उस स्थान से जहां इनको मार्ग में खरीदा गया था या पिछले स्थानान्तरण के अवसर पर छोड़ दिया गया था) या उसके पुराने ड्यूटी स्टेशन से उस स्थान तक जो नए ड्यूटी स्टेशन के अलावा है, सामान के परिवहन की वास्तविक लागत को आहरित कर सकता है, बशर्ते कि आहरित कुल राशि शामिल करते हुए इस निजी सामान के परिवहन को, कि हकदार सामान के मान के परिवहन की लागत, उपयुक्त सीधे मार्ग द्वारा पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक, से अधिक न हो ।

(ङ) सार्वजनिक व्यय पर निजी सामान का परिवहन

ग्रेड वेतन	मान
अधिकारियों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– और उससे उपर को आहरित करते है। और जो एच,ए.जी. प्लस और उससे उपर के वेतनमान में हैं	एक मोटर कार इत्यादि या एक मोटर साइकिल / स्कूटर या एक घोड़ा ।
अधिकारियों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– और उससे कम को आहरित करते हैं	एक मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड या एक एक बाईसाइकिल।

टिप्पणीः नियम 67 (क) तथा नियम 70 (घ) में दी गई शर्तें आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी ।

77. रक्षा सेवाओं में सिविलियन पदों पर नियुक्त सिविलियन सरकारी कर्मचारियों की यात्रा–भत्ते की हकदारी

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम स्वरूप जिसमें सरकारी कर्मचारी और अन्य व्यक्ति दोनों ही भाग ले सकते हैं या साक्षात्कार के बाद चयन के परिणामस्वरूप रक्षा सेवाओं में सिविलियन पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा यदि वे सरकार के अधीन (इसमें राज्य सरकार भी शामिल हैं) पहले से ही मूल पद/स्थायीवत् पद धारण किए हुए हैं।

टिप्पणीः कार्यग्रहण अवधि के साथ कार्यग्रहण अवधि वेतन और साथ ही स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता शामिल करते हुए , स्वंय और परिवार के लिए यात्रा का किराया, निजी सामान के परिवहन और निजी वाहन के परिवहन की लागत, इस नियम के अधीन स्वीकार्य है, रक्षा सिविलियनों को जो स्थायी पद को धारण करते हैं , स्थायी हैसियत से।

78. सेना सेवा कोर की कम्पनियों (सिविल जी0 टी0) में नियुक्त सिविलियन कार्मिकों की यात्रा भत्ते की हकदारी

सेना सेवा कोर की कम्पनियों (सिविल जी0टी0 में नियुक्त सिविलियन मैकेनिक, सहायक मैकेनिक, ड्राइवर और क्लीनर) नियुक्ति के स्थान से सेवा के प्रथम स्थान पर निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे । रेल से यात्रा के लिए वे हकदार श्रेणी से यात्रा के हकदार होंगे ।

79. सामान का परिवहन जब किसी व्यक्ति की निःशुल्क गाड़ी प्रदान की जाए

यदि किसी व्यक्ति को स्थानान्तरण पर सड़क से निःशुल्क गाड़ी प्रदान की जाती है और यदि कोई सामान उस गाड़ी में ले जाया जाता है जो सामान की उस छूट से अधिक हो जो सामान्य साधन से की गई यात्रा में अनुमत्य होगी तो इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई अधिकतम मात्रा से उस अतिरिक्त सामान के लिए तदनुरूप कटौती की जाएगी । यदि निःशुल्क गाड़ी से वास्तव में ले जाया गया वनज इन विनियमों के अधीन अनुमत्य अधिकतम मात्रा से अधिक हो तो व्यक्ति से वजन की छूट घटाकर शेष की ले जाने के लिए उस दर से वसूली की जानी चाहिए। जिसकी उसे उस दशा में प्रतिपूर्ति की जाती है यदि वह उतना ही सामान (अधिक मात्रा) परिवहन की सामान्य विधि से ले जाता है ।

80. सड़क से यात्रा जहां रेल तथा सड़क की मिली–जुली सेवाएं मौजूद हों

जहां कहीं रेल तथासड़क की मिली–जुली सेवाएं मौजूद हों और उन पर या तो रेल विभाग का या अन्य प्राधिकारियों का नियंत्रण हो जो रेल विभाग द्वारा जारी किए गए टिकटों को मान्यता प्रदान करते हों, वहां स्थायी ड्यूटी पर सड़क से यात्रा कारने वाले व्यक्ति रेल तथा सड़क के मिले–जुले टिकटों पर ही अपनी यात्रा करेंगे ।

81. उसी स्टेशन के अन्दर या पुराने मुख्यालय से अपेक्षाकृत थोड़ी दूरी के अन्दर स्थानान्तरण के लिए हकदारी

(क) उसी स्टेशन के अन्दर संचलन के लिए :

(i) यदि स्थानान्तरण होने पर निवास न बदले तो कोई यात्रा भत्ता ।शामिल करते हुए सामासिक स्थानान्तरण अनुदान। स्वीकार्य नहीं होगा ,

(ii) यदि निवास परिवर्तन हो तो निम्नलिखित प्रतिपूर्ति की जाएगी :

(1) स्वयं और परिवार के लिएः सवारी की वास्तविक लागत जो नियम 67 या 70 या 76 में से, जो भी लागू होता हो, तक सीमित होगी।

(2) सामान : परिवहन की वास्तविक लागत जो नियम 67 या 70 या 76 में से, जो भी लागू होता हो, तक सीमित होगी।

(3) सामासिक स्थानान्तरण अनुदानः वेतनमान में वेतन का एक–तिहाई की दर से प्लस ग्रेड वेतन और एन.पी.ए. ।

टिप्पणी 1: इस नियम के प्रयोजन के लिए, उसी स्टेशन से आशय उस क्षेत्र में होगा जो नगर पालिका या नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता हो, इसमें ऐसी उपनगरीय नगर पालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र या छावनियां शामिल हैं जो उक्त नगरपालिका आदि के निकटस्थ हों जहां सरकारी कर्मचारी अपने स्थानान्तरण से ठीक पहले तैनात था ।

टिप्पणी 2: उपर की व्यवस्था उस व्यक्ति पर भी लागू होगी जिसे निम्नलिखित कारणों से अपना आवास बदलना पड़ा हो :

(क) उसी यूनिट/फार्मेशन/स्थापना में एक नियुक्ति से दूसरी नियुक्ति में स्थानान्तरण।

(ख) उसी स्टेशन में एक स्थल से दूसरे स्थल पर आवास कैम्प का परिवर्तन अर्थात् किसी भी यूनिट/ फार्मेशन उसी स्टेशन में अस्थायी परिसर से स्थायी भवनों में संचलन ।

(ख) दो स्टेशनों के बीच संचलन के लिए यदि नए और पूराने ड्यूटी स्टेशनों के कार्यालयों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक न हो:

(i) यदि आवास में परिवर्तन न किया गया हो तो कोई यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) यदि आवास में परिवर्तन हो तो शामिल करते हुए सामासिक स्थानान्तरण अनुदान को, एक–तिहाई दर पर की स्वीकार्यता होगी पूरा यात्रा भत्ता स्वीकार्य होगा ।

82. यात्रा–भत्ते की हकदारी जब पति और पत्नी दोनों ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हों

(क) यदि पति और पत्नी दोनों सेवा में हैं, तथा पति–पत्नी का स्थानान्तरण उसी स्थान से उसी स्थान पर 6 माह के भीतर होता है, लेकिन विवाहित के स्थानान्तरण के 60 दिनों के बाद, सामासिक स्थानान्तरण अनुदान का 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी, विवाहित को जो बाद में स्थानान्तरित हुआ है । कोई सामासिक स्थानान्तरण अनुदान विवाहित को जो बाद में स्थानान्तरित हुआ है, स्वीकार्य नहीं होगा, उस मामले में जहां दोनों स्थानान्तरणों का आदेश साठ दिन के भीतर दिया गया है । पूर्ण सामासिक स्थानान्तरण अनुदान की दोनों पति और पत्नी को स्वीकार्यता होगी, उस मामले में जहां स्थानान्तरण 6 माह के समय के बाद या उससे अधिक में हुए हैं । उस मामले में जहां स्थानान्तरण स्वयं के निवेदन पर या स्थानान्तरण सार्वजनिक हित के अलावा हुआ है :

(i) उन मामलों में जब जनहित में पति तथा पत्नी दोनों का अलग–अलग कारों की आवश्यकता होती है तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की स्थानान्तरण पर सरकारी कर्मचारियों के जोड़े पति–पत्नी दोनों को निजी कारों के परिवहन खर्चों की प्रतिपूर्ति विद्यमान शर्तों के अधीन की जाएगी।

(il) उपरोक्त प्रावधान रक्षा सेवा प्राक्कलनों के रक्षा सेवा कार्मिक तथा सिविलियन वेतन भोगियों पर लागू होगा।

(ख) उन मामलों में जबकि पति और पत्नी दोनों एक ही स्टेशन से भिन्न स्टेशनों पर तैनात किए जाते हैं तब पति और पत्नी दोनों को स्वतंत्र रूप से पूरे सामासिक स्थानान्तरण अनुदान और यात्रा–भत्ते के लिए हकदार होंगे । तथापि, बच्चों के लिए, यदि कोई हों, यात्रा भत्ता, पति को या पत्नी को, जिसके साथ वे नए ड्यूटी स्टेशन पर रहें, स्वीकार्य होगा। व्यक्तिगत सामान की हकदारी के प्रयोजन के लिए पति और पत्नी दोनों साथ ही सामान्य नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान की पूरी मात्रा के पात्र होंगे । दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत सामान के परिवहन के प्रयोजन के लिए दोनों (पति और पत्नी), को एक परिवार के रूप में समझा जाएगा।

83. व्यक्ति जिनकी सेवाएं अन्य विभागों/सरकारों को उधार दी जाएं

(क) जिन व्यक्तियों की रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है और यदि उनकी सेवाएं अन्य किसी विभाग/सरकार को उधार दी जाती हैं तो वे व्यक्ति आय यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए उसी प्रकार उधार देने वाले या उधार लेने वाले विभाग/सरकार पर लागू यात्रा नियमों से नियंत्रित होंगे जिस प्रकार वे उधार दी गई या ली गई सेवा की अवधि में उधार देने या उधार लेने वाले विभाग/सरकार की दरों से वेतन लेंगे बशर्ते कि उधार की शर्तों वाले सरकारी पत्र में विशेष रूप से अन्यथा व्यवस्था न हो । इसमें जो खर्च आएगा उसे सभी मामलों में उधार लेने वाला विभाग/उधार लेने वाली सरकार वहन करेगी । यह नियम उन मामलों में भी लागू होगा जिन मामलों में व्यक्ति रक्षा मंत्रालय के अधीन अपने स्थायी पद पर पुनः कार्य ग्रहण करने से पहले छुट्टी ले।

(ख) यदि सेना का कोई अफसर किसी राज्यपाल के वैयक्तिक स्टाफ पर हो तो अपनी उस नियुक्ति के दौरान वह ड्यूटी पर यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ते के लिए उस राज्य सरकार के नियमों से नियंत्रित होगा जिसके अधीन वह नियुक्त हो ।

84. उन व्यक्तियों को स्वीकार्य यात्रा भत्ते के नियमित की सेवाएं किसी ऐसे स्वायत्त औद्योगिक या वाणिज्यिक उपकम या सांविधिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण को उधार दी जाएं जिसमें किसी केन्द्रीय सरकार निधि से पूंजी लगाई गई हो

जिन व्यक्तियों की रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है और जिनकी सेवाएं किसी ऐसे स्वायत्त औद्योगिक या वाणिज्यिक उपकम या सांविधिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण की उधार दी गई हों जिसमें किसी केन्द्रीय सरकार निधि से पूंजी लगाई गई हो उन पर उन निकायों के कार्यों के लिए तथा उन निकायों में कार्य ग्रहण करने के लिए और उन निकायों से सरकारी सेवा में प्रत्यावर्तन के लिए की गई यात्राओं के संबंध में यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए उन्हीं संगठनों के नियम लागू होंगे।

85. परिवार के मुखिया से अलग संचलन करने वाले परिवार

जिस व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य व्यक्ति के स्थानान्तरण हो जाने के परिणाम स्वरूप इन विनियमों के अधीन सरकारी खर्च पर यात्रा करने को हकदार हो,

और नियम 16 के अधीन उसके साथ न जाकर उससे पहले या बाद में (i) पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक, (ii) पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन से भिन्न किसी स्टेशन तक या (iii) पुराने ड्यूटी स्टेशन से भिन्न किसी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक, यात्रा करे, वह निम्नलिखित का हकदार होगा :—

(क) सवारी

(i) वारंट या नकद अदायगी के मामले में हकदार श्रेणी का किराया या अदा किया गया वास्तविक किराया, इनमें से वही किराया अदा किया जाएगा जो दोनों में कम हो ।

(ii) जो अफसर नियम 62 के अधीन अपने विवेक से हवाई जहाज से यात्रा करने के हकदार हैं, उनके परिवार भी सरकारी खर्च पर हवाई जहाज से यात्रा करने के हकदार होंगे, भले ही अफसर के अपने लिए यात्रा का कोई भी तरीका अपनाया हो ।

(ख) सामान : सक्षम प्राधिकारी के बिना परिवार के मुखिया द्वारा ले जाए गए निजी सामान की मात्रा घटाकर अधिकतम हकदार मान तक सामान का परिवहन ।

टिप्पणी: उपर दी गई सभी परिस्थितियों में सरकार की देयता परिवार के मुखिया के पुराने और नए ड्यूटी स्टेशन के बीच की दूरी तक सीमित होगी ।

85—अ. रियायती क्षेत्र में सेना कार्मिकों (सर्विस पर्सोनल) से संबंधित सरकारी आवास का कब्जा लेने के लिए उनके परिवार के सदस्यों की निःशुल्क सवारी मंजूर करना

(क) सेना कार्मिकों को परिवारों के सदस्य अपने चुने गए निवास स्थान/ घर/पुराने शांति क्षेत्र के ड्यूटी स्थानों से जैसी भी स्थिति हो, जहां वे वास्तविक रूप में निवास कर रहे हैं परिवार के मुखिया के साथ उस स्थान पर जाने के लिए, जहां विवाहित व्यक्तियों को सरकारी आवास जो कि किराये या अधियाचित आवास से अलग है, आबंटित किया जाता है ओर बाहर तैनात किए जाने पर ड्यूटी के नए स्थान तक के लिए मांगे जाने पर निःशुल्क सवारी के हकदार हैं । इसी प्रकार की सवारी चुने गए निवास स्थान, घर, जैसी भी स्थिति हो, के लिए सामान की सीमित प्रमात्रा के लिए अनुमेय होगी यह रियायत एक बार ही मिलेगी और यह तभी तक उपलब्ध होगी जब तक वह स्थान पारिवारिक स्टेशन के रूप में वर्गीकृत रहता है ।

(ख) तैनाती के समय किसी परिवार के प्रकिया मुखिया की निजी मोटर कार/मोटर साइकिल/पैदल साइकिल का उसके पुराने शान्ति क्षेत्र ड्यूटी स्टेशन/घर/परिवार के चुने हुए, निवास स्थान रियायती क्षेत्र से विवाहित व्यक्तियों के लिए आबंटित सरकारी निवास स्थान तक परिवहन सवारी खर्च पर किया जा सकता है बशर्ते कि नियम 67 (घ) और 70 (घ) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तें, जैसी भी लागू होती हैं, पूरी होती हों।

86. मुख्यालय से दूर ड्यूटी के दौरान स्थानान्तरण

(क) जब कोई व्यक्ति मुख्यालय से दूर अस्थायी ड्यूटी पर हो और वहीं से उसका स्थानान्तरण कर दिया जाए, तो वह इस प्रकार यात्रा–भत्ते का हकदार होगा :

(i) अस्थायी मुख्यालय स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक अस्थायी ड्यूटी मान पर , और

(ii) पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक सीधे मार्ग से यात्रा–भत्ते के स्थायी और अस्थायी ड्यूटी मानों के बीच का अंतर ।

टिप्पणी: जो प्राधिकारी अस्थायी ड्यूटी पर संचलन की मंजूरी देने के लिए सक्षम हो, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति की नए ड्यूटी स्टेशन के लिए प्रस्थान करने से पहले पुराने ड्यूटी स्टेशन पर पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति दे, बशर्ते इस प्रकार की प्रकिया जनहित में हो। जब ऐसी अनुमति प्रदान कर दी जाए तो यात्रा भत्ते के दावे के साथ आदेश की प्रति अनिवार्यता संलग्न की जाए। इन मामलों में यात्रा भत्ता इस प्रकार होगा :

(क) पुराने ड्यूटी स्टेशन तक यात्रा के लिए अस्थायी मान पर यात्रा–भत्ता, और

(ख) पुराने से नए ड्यूटी स्टेशन पर तक स्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा–भत्ता।

(ख) जिस व्यक्ति का यूनिट/पोत उसके यूनिट से दूर ड्यूटी पर रहते समय किसी अन्य स्टेशन को संचलन कर जाता है तो वह नीचे लिखे रूप से यात्रा भत्ते का हकदार होगा :

(i) अस्थायी मुख्यालय के यूनिट के लिए नए स्थल तक अस्थायी ड्यूटी मान कर स्वयं के लिए यात्रा–भत्ता ।

(ii) यदि उसका परिवार हो तो पुराने ड्यूटी से स्थायी ड्यूटी मानों पर परिवार को यात्रा–भत्ता ।

टिप्पणी: व्यक्ति का असबाब पुराने ड्यूटी स्टेशन पर एकक / जहाज के साथ जाएगा।

(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरण होने पर यदि किसी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी

के आदेश से मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर पुराने पद का कार्यभार छोड़ने और नए पद का कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है, तो वह निम्नलिखित का हकदार होगाः

(i) कार्यभार सौंपने के स्थान से कार्यभार ग्रहण करने के स्थान तक अस्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा भत्ता, और

(ii) पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक सीधे मार्ग से यात्रा भत्ते के स्थायी और अस्थायी भत्तों का अंतर ।

पुराने ड्यूटी स्टेशन से कार्यभार सौंपने के स्थान तक या कार्यभार ग्रहण करने के स्थान से नए ड्यूटी स्टेशन तक यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता अस्थायी ड्यूटी मान कर दिया जाएगा ।

यात्रा की समाप्ति पर यात्रा भत्ता (क) (ii) और (ग) (ii) के अनुसार स्वीकार्य होगा बशर्ते कि अस्थायी मुख्यालय से चार माह से अधिक की कोई छुट्टी ली जाए।

टिप्पणीः इस नियम के खण्ड (क) और (ग) के अधीन आने वाले नियम 67 के खंड (ग) (v) और नियम 76 के खण्ड (घ) (iv) के उपबंध भी लागू होंगे।

87. अल्पकालिक छुट्टी के दौरान स्थानान्तरण

(i) यदि किसी व्यक्ति को यात्रा–भत्ता स्वीकार्य हो तो और वह एक नियुक्ति का कार्यभार छोड़ने के बाद और दूसरी नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिक से अधिक चार मास या छुट्टी पर जाए भले ही छुट्टी किसी भी प्रकार की हो तो वह व्यक्ति सवारी का हकदार होगा जो उसे उस स्थिति में स्वीकार्य होगी, यदि वह ड्यूटी पर होगा, भले ही स्थानान्तरण का आदेश उसे छुट्टी शुरू होने से पहले या बाद में प्राप्त हो ।

जो व्यक्ति किसी ऐसे स्टेशन से जहां वह अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टी बिता रहा हो, हकदार श्रेणी से नीचे की श्रेणी में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा करता है, उसका यात्रा भत्ता निम्न प्रकार से विनियमित होगा :––

(1) स्वयं के लिए : पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक उस श्रेणी का एक किराया जिस श्रेणी से स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप वास्तव में यात्रा की गई थी, तथा

(2) परिवार के लिए : उपर (i) (1) के अनुसार प्रत्येक सदस्य के लिए पूरा या आधा किराया, जैसी भी स्थिति हो ।

टिप्पणीः जो व्यक्ति नए ड्यूटी स्टेशन पर जाने के लिए अंशतः हकदार श्रेणी से और अंशतः उससे नीचे की श्रेणी में यात्रा करता है, उसके मामले मे उपर खण्ड (i) (1) उल्लिखित पूरा किराया अंशतः उसकी हकदार श्रेणी और अंशतः उसके द्वारा प्रयुक्त उससे नीचे की श्रेणी के हिसाब से निकाला जाना चाहिए जो उस स्टेशन से, जहां वह अपनी छुट्टी बिता रहा हो, नए स्टेशन तक इन श्रेणियों में की गई यात्रा की दूरी के अनुपात में होना चाहिए, भले ही व्यक्ति द्वारा वास्तब में अदा की गई कुल राशि उस राशि से अधिक हो जो उसे पुरानी ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक उपयुक्त श्रेणी से सीधे यात्रा करने में स्वीकार्य होगी ।

(ii) स्थायी स्थानान्तरण पर सेना का जो अफसर वरास्ता अपने छुट्टी के स्टेशन से अपने नए ड्यूटी स्टेशन को प्रस्थान करता है और जो छुट्टी यात्रा रियायतों का लाभ उठाता है या फार्म "घ" का उपयोग करता है, वह अफसर, "क" पुराने ड्यूटी स्टेशन के लिए हो, "ख" नए ड्यूटी स्टेशन के लिए और "ग" छुट्टी के स्टेशन के लिए, केवल नीचे लिखे अनुसार यात्रा भत्ते का हकदार होगा :

(I). जब अफसर छुट्टी यात्रा रियायतों का लाभ उठाएं :

(क) नीचे (ii) में जो दिया गया है, उसे छोड़कर सभी मामलों में:

स्वंय के लिए : "क" और "ख" के बीच सीधे मार्ग से यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता । साथ ही "क" और "ग" और "ग" और "ख" स्टेशनों के बीच सामान्य छुट्टी यात्रा रियायतें।

परिवार के लिए : केवल छुट्टी यात्रा रियायतें । लेकिन जब एक ओर की यात्रा के लिए अर्थात् पुराने ड्यूटी स्टेशन से छुट्टी के स्टेशन तक या छुट्टी के स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ नहीं उठाया जाता, तब यात्रा भत्ते की उस हकदारी नियम 85 के अनुसार होगी जिसमें से एक ओर की यात्रा की छुट्टी यात्रा की रियायत की लागत घटा दी जाएगी जिसका कि लाभ पहले ही उठा लिया गया हो । जब दोनों ओर की यात्राओं अर्थात् पुराने ड्यूटी स्टेशन से छुट्टी के स्टेशन और छुट्टी के स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ न उठाया गया हो तो यात्रा भत्ते की उसकी हकदारी नियम 85 के अनुसार होगी।

(ख) जब "ग" की दूरी "क" की अपेक्षा "ख" से अधिक हो :

स्वंय के लिए : पूरा छुट्टी यात्रा रियायत स्वीकार्य प्लस वास्तविक अतिरिक्त किराया, "ख ग" और "क ग" के बीच के अन्तर के बराबर दूरी के लिए उसके द्वारा अदा किया गया वास्तविक अतिरिक्त किराया जो सीधे मार्ग से "क" से "ख" तक के किराए तक सीमित होगी ।

परिवार के लिए : उपर के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत।

(II). जब अफसर केवल फार्म 'घ' का लाभ उठाएं :

स्वयं के लिए : (क) यदि बरास्ते छुट्टी के स्टेशन से पूरी यात्रा के लिए फार्म "घ" का उपयोग किया जाता है, रेलवे वारंट की लागत तथा जैसा कि "क" से "ख" तक सीधे यात्रा के लिए है फार्म "घ" की पूरी लागत घटाकर 'क' से 'ख' तक यात्रा के लिए दैनिक भत्ता।

(ख) (1) जब स्टेशन "क" और स्टेशन "ग" के बीच फार्म "घ" का उपयोग किया जाए : यदि "ख" और "ग" के बीच की दूरी "क" और "ख" के बीच की दूरी से अधिक हो या बराबर हो तो फार्म "घ" की लागत के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि "ख" और "ग" के बीच की दूरी "क" और "ख" के बीच की दूरी से कम हो और "क" और "ग" के बीच की दूरी, "क" और "ख" के बीच की दूरी से कम हो तो "क ख" और "ख ग" के बीच की दूरी के अंतर के लिए फार्म "घ" की लागत को घटा दिया जाएगा ।

(ख) (2) जब "ग" स्टेशन और "ख" स्टेशन के बीच फार्म "घ" का उपयोग किया जाए : यदि "क" और "ग" के बीच की दूरी "क" और "ख" के बीच की दूरी से अधिक या बराबर हो तो फार्म "घ" के आधार पर कोई कटौती नहीं कीजाएगी । यदि "क" और "ग" के बीच की दूरी "क" और "ख" के बीच की दूरी से कम हो तो "क" "ख" और "क ग" के बीच की दूरी के अंतर के लिए फार्म "घ" की लागत घटा दी जाएगी।

परिवार के लिए : परिवार के सदस्य फार्म "घ" का उपयोग करते हैं उनके मामले में "ख" (1) और (2) के अनुसार कटौतियां की जाएंगी । जब दोनों ओर की अर्थात् बरास्ते, "ग", "क" से "ख" तक की यात्रा के लिए वे फार्म "घ" का लाभ नहीं उठाते हैं तो नियम 85 के अधीन सामान्य हकदारी ।

टिप्पणी: यदि सम्पूर्ण यात्रा के लिए फार्म "घ" का उपयोग किया जाता है तो या यात्रा–भत्ता नियम 181 के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(iii) छुट्टी होने के कारण जब कोई अफसर अपने स्थायी ड्यूटी स्टेशन पर न हो और उस समय उसका स्थानान्तरण किसी ऐसे यूनिट/विरचना में कर दिया जाए जिसके कार्मिक फील्ड सेवा रियायत के हकदार हों तथा ऐसे यूनिटों/फार्मेशनों में भी छुट्टी पर होने के दौरान उसका स्थानान्तरण किसी ऐसे यूनिट/फार्मेशन में कर दिया जाए जिसके कार्मिक फील्ड सेवा रियायत के हकदार न हों, तब वह अफसर निम्नलिखित का हकदार होगा:

स्वयं के लिए : छुट्टी के स्टेशन/घर तक यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत और छुट्टी के स्टेशन/घर से नए ड्यूटी स्टेशन तक यात्रा के लिए वारंट और साथ ही पुराने ड्यूटी स्टेशन तक की सीधी यात्रा के लिए यात्रा की अवधि का दैनिक–भत्ता ।

परिवार: अफसर की ऐसी यूनिटों/फार्मेशनों में तैनाती पर जिसके कार्मिक फील्ड सेवा रियायतों के हकदार हों, उसके छुट्टी के स्टेशन/घर तक छुट्टी यात्रा रियायत और उसके और उसके छुट्टी के स्टेशन/घर से चुने हुए निवास स्थान तक निःशुल्क सवारी/इसी प्रकार यदि कोई अफसर ऐसे एककों/फार्मेशनों में सेवा कर रहा हो जिसके कार्मिक फील्ड सेवा रियायत के हकदार हों और उसके छुट्टी पर होने के दौरान उसका स्थानान्तरण कर दिया जाए और परिवार छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेकर उसके पास रहने के लिए आ जाए तो उसके परिवार को उसके छुट्टी के स्टेशन/घर से उसके नए ड्यूटी स्टेशन तक निःशुल्क सवारी दी जाएगी ।

(iv) पी.बी.ओ.आर. को पुराने ड्यूटी स्थान से छुट्टी के स्थान तक स्वयं के लिए रियायत वाउचर की लागत की प्रतिपूर्ति के हकदार है और उसके बाद स्थायी स्थानान्तरण पर ड्यूटी के लिए नए पुराने ड्यूटी स्थान से नए ड्यूटी स्थान तक अपना सामान्य यात्रा भत्ता की हकदारी तक सीमित होगी । यह इस शर्त पर होगा कि उन कार्मिकों ने उस वर्ष की सामान्य छुट्टी यात्रा रियायत की हकदारी का लाभ पहले ही उठा लिया है ।

88. छुट्टी के दौरान स्थानान्तरित ऐसे व्यक्ति जिन्हें वापसी पर मूल स्टेशन पर पुनः कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाती

छुट्टी के दौरान जिस व्यक्ति को स्थानान्तरित कर दिया जाता है, उसे वापसी दर अपने मूल स्टेशन पर किसी भी स्थिति में उस समय तक पुनः कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जाएगा, जब तक कि इसे लोक सेवा के हित में मानकर आदेश न दिया जाए ।

टिप्पणी : जो अफसर नए ड्यूटी स्टेशन पर प्रस्थान करने से पहले छुट्टी के स्थान से मूल यूनिट/फार्मेशन में केवल उचित रूप से कार्यभार सौंपने, किट लेने और बकाया का निपटारा करने के लिए ही बुलाए जाएंगे, वे इस प्रकार की गई यात्राओं में लिए किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे । लेकिन सेना के छुट्टी नियमों के अधीन छुट्टी की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो सेना के किसी भी अफसर को जिसका छुट्टी के दौरान स्थानान्तरण हुआ हो, पुराने ड्यूटी स्टेशन पर कार्य ग्रहण करने की अनुमति दे सकता है यदि ऐसा करना जनहित में हो ।

यदि पुराने ड्यूटी स्टेशन पर पुनः कार्य ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए तो उसके आदेश की प्रति अनिवार्यतः यात्रा भत्ते के दावे के साथ लगाई जाए ऐसे मामलों में यात्रा भत्ता इस प्रकार विनियमित किया जाएगा :—

(क) पुराने ड्यूटी स्टेशन को की गई वापसी यात्रा के लिए यात्रा रियायतें इस प्रकार विनियमित की जाएंगी मानों अफसर का स्थानान्तरण हुआ ही न हो।

(ख) पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक यात्रा भत्ते का पूरा स्थायी ड्यूटी मान अदा किया जाएगा ।

इस नियम के उपबंध उन अफसरों पर लागू नहीं होंगे जो चार महीने से अधिक की छुट्टी पर जा रहे हों चाहे उनकी छुट्टी कैसी भी क्यों न हो ।

89. अल्पकालिक छुट्टी से भिन्न किसी छुट्टी के दौरान स्थानान्तरण

जो व्यक्ति भारतीय सीमाओं में अपनी नियुक्ति पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने के लिए सरकारी खर्च पर सवारी का हकदार न हो यदि वह भारत में या भारत के बाहर से छुट्टी से (नियम 87 में उल्लिखित छुट्टी से भिन्न छुट्टी) लौटे और उसे किसी ऐसे स्टेशन पर तैनात कर दिया जाए जो उसके छुट्टी पर जाने के स्टेशन से भिन्न हो तो नियम 6 में उल्लिखित नियंत्रण अफसर इन विनियमों के उपबंधों के अधीन पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक प्राधिकृत मान के अन्दर पुराने ड्यूटी स्टेशन पर छोड़े गए उसके निजी सामान और मोटर कारों, मोटर साइकिलों और साइकिलों के परिवहन की वारंट या मांक पर प्राधिकृत कर सकता है जिन कामलों में कोई व्यक्ति अपने स्थानान्तरण के कारण अपेक्षाकृत अधिक यात्रा करता है और इसलिए जरूरी है कि उसे स्वयं के लिए अपने परिवार और निजी सामान के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, उन मामलों में नियम 6 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी उतने यात्रा भत्ते की मंजूरी दे सकता है जितना भत्ता उस अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक के लिए अस्थायी ड्यूटी मान पर व्यक्ति को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते और उसके परिवार के यात्रा भत्ते तक सीमित होगा । ऐसे मामलों में अधिकतम अतिरिक्त खर्च पत्तन (या भारत में छुट्टी के स्टेशन) (क) नए स्टेशन और (ख) पुराने स्टेशन तक व्यक्ति को अस्थायी ड्यूटी मान पर दिए जाने वाले यात्रा भत्ते और उसके परिवार के यात्रा भत्ते के अन्तर तक सीमित होगा ।

टिप्पणी 1: इस नियम में "अतिरिक्त खर्च" से आशय उस खर्च से अतिरिक्त किसी खर्च से है जो इस स्थिति में किया जाता यदि व्यक्ति की छुट्टी की समाप्ति पर अपने मूल स्टेशन पर लौटने के लिए कहा जाता ।

टिप्पणी 2: इस नियम के अधीन यात्रा भत्ते के दावे गन्तव्य स्थान के नियंत्रक अफसर द्वारा मंजूर किए जाएंगे ।

टिप्पणी 3: वारंटों का इस्तेमाल करने के बजाए सिविलियनों की पुराने और नए स्टेशनों के बीच के लिए निजी सामान और मोटर कार, मोटर साइकिल या साइकिल को परिवहन के समुचित साधन से भेजने के लिए विहितमान तक वास्तविक व्यय हुई राशि मिलेगी ।

90. प्राधिकृत शिक्षण योजना की समाप्ति पर छुट्टी पर जाने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क सवारी

जिन अफसरों के तीन मास से कम अवधि के कोर्स को पूरा करने के बाद छुट्टी अवधि नियमों के अधीन छुट्टी पर जाने की अनुमति दी जाए, उनको स्वीकार्य यात्रा भत्ता इस प्रकार नियमित किया जाएगा :—

(क) जिस स्टेशन पर कोर्स चलाया गया हो उस स्टेशन से छुट्टी के स्टेशन : तक वास्तविक खर्च जो एक ओर की छुट्टी यात्रा रियायत तक सीमित होंगे यदि उस समय स्वीकार्य हो ।

(ख) छुट्टी के स्टेशन से स्थायी स्टेशन (पुराने या नए) तक वास्तविक खर्च जो निम्नलिखित के कुल योग तक सीमित होंगे :

(i) छुट्टी के स्टेशन से उस स्टेशन तक जहां कोर्स चलाया गया हो, उसी प्रकार यात्रा रियायत जिस प्रकार छुट्टी पर रियायत एक ओर की यात्रा के लिए दी जाती है, बशर्ते कि रियायत उस समय स्वीकार्य हो।

(ii) जिस स्टेशन पर कोर्स चलाया गया हो उस स्टेशन से स्थायी स्टेशन (नए या पुराने) तक उपयुक्त श्रेणी का किराया । जिन मामलों में कोई कोर्स के पूरा होने पर किसी अफसर को उस स्टेशन के जहां कोर्स चलाया गया हो, अपने स्थायी मुख्यालय तक अपनी पुस्तकों, किट, साइकिल और नौकर के परिवहन में व्यय करना पड़े, उन मामलों में अफसर को वास्तविक खर्च अब दिया जाएगा जो उस प्रासंगिक खर्च तक सीमित होगा जो इन

स्टेशनों के बीच की गई अस्थायी ड्यूटी यात्रा के लिए स्वीकार्य हो । इसके लिए इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि जो राशि मांगी गई है वह पुस्तकों, किट, साइकिल और नौर के परिवहन पर वास्तव में किए गए खर्च से अधिक नहीं है और इन खर्चों के लिए अलग से दावा नहीं किया गया है/नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणीः यदि पाठ योजना/छुट्टी के दौरान अफसर को स्थानान्तरण किया गया हो तो वह उपर दिए गए के अतिरिक्त पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक के यात्रा भत्ते के स्थायी और अस्थायी ड्यूटी मानों के बीच के भत्ता का पात्र होगा ।

90–अ.एक वर्ष अथवा उससे अधिक के लिए समितियों/आयोगों में नियुक्त और सरकारी व्यक्तियों की यात्रा–भत्ता (एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान तथा पैकिंग–भत्ता सहित) की स्वीकृति

एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए समितियों/आयोगों में गैर–सरकारी व्यक्तियों की दीर्घकालिक नियुक्तियों के मामले में पद ग्रहण करने के लिए तथा नियोजन पूर्ण होने के पश्चात् गृह–नगर लौटने के लिए निम्नलिखित यात्रा–भत्ता अनुमत्य होगाः

(क) स्वयं के लिए तथा पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों सहित परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हकदार श्रेणी का किराया,

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को यथा अनुमत्य सामान (कार सहित) के परिवहन की लागत तथा आवश्यक प्रासंगिक प्रभार , और

(ग) जिस पद पर गैर–सरकारी व्यक्ति नियुक्त हुआ है उस पद के वेतनमान के न्यूनतम अथवा नियत वेतनमान प्लस ग्रेड वेतनपर एकमुश्त सामासिक स्थानान्तरण अनुदान तथा पैकिंग–भत्ता ।

अल्प अवधि की नियुक्ति (अर्थात् जो एक वर्ष से कम हो) के मामले में अधिकारी एवं पति/पत्नी के लिए केवल हकदार श्रेणी का किराया दिया जाएगा । उपर्युक्त रियायत कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् गृह, नगर लौटने के लिए दोनों मामलों में दिया जाएगा ।

अध्याय तीन

अस्थायी ड्यूटी यात्रा

91. अस्थायी ड्यूटी की परिभाषा

जहां स्पष्ट रूप से अन्यथा कथित होए उसे छोड़कर, ड्यूटी पर किसी भी उस संचलन को अस्थायी ड्यूटी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिसके लिए आदेश देने वाला अधिकारी यह आशा करेगा कि जिस स्टेशन को संचलन करने का आदेश व्यक्ति को दिया गया हो, वहां वह 180 दिन या 180 दिन से कम अवधिक तक ड्यूटी देगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि और जब उक्त स्टेशन पर ड्यूटी की अवधि 180 दिन से अधिक हो जाएगी, तो "अस्थायी" के रूप में वर्गीकृत स्थानान्तरण को "स्थायी" के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।

किसी भी बाह्य स्टेशन पर चलाए जाने वाले प्राधिकृत अनुदेश पाठ्यक्रमों को "अस्थायी" ड्यूटी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा बशर्ते कि पाठ्यकम की अवधि आरम्भ में 180 दिन से अधिक न हो ।

निरीक्षण दौरे के लिए किया गया व्यक्ति का संचलन "अस्थायी" ही रहेगा भले ही दौरे की अवधि कितनी ही क्यों न हो ।

टिप्पणी 1: जो अफसर सैनिक इंजीनियरी कॉलेज, किरकी में पाठ्यकम में भाग लेने के लिए नियुक्त किए जाएं और जो नियम 123 के अधीन बहिर्यात्रा और वापसी यात्रा के लिए अस्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा–भत्ते के साथ–साथ पाठ्यकम की अवधि के लिए प्रतिकर भत्ते लेना पसंद करें, उन्हें छोड़कर, सैनिक इंजीनियरी सेवा के मामले में बहिर्यात्रा और वापसी यात्रा के लिए यात्रा–भत्ते के प्रयोजन के लिए संचलन को अस्थायी ड्यूटी माना जाएगा भले ही संबंधित पाठ्यकम की अवधि कितनी ही क्यों न हो ।

टिप्पणी 2: इस नियम के प्रावधानों के बावजूद भी सेना मुख्यालय जी ओ सी–इन–सी कमान/नौसेना अध्यक्ष/फ्लैग अफसर कमान्डिंग–फ्लीट्स/एरिया सम्बन्धित ए ओ सी–इन–सी कमान्ड के निर्णय से अनुशासनात्मक मामलों की जॉच और कार्रवाई के उद्देश्य से दूसरे यूनिटों या स्थापनाओं/शिपों में अटैचमेंट पर जाने वाले अफसरों और निचले रैंक के कार्मिक पी बी ओ आर के मूवों को अस्थाई वर्ग में नहीं रखा जाएगा भले हीं अटेचमेंट की अवधि 180 दिन से अधिक हो और इसे केवल अस्थाई ड्यूटी ही मानी जाएगी तथा चूँकि इस यूनिट/शिप/स्थापना में उनकी अटेचमेंट किसी विशिष्ट ड्यूटी के निष्पादन के लिए नहीं है इसलिए अटेचमेंट वाली यूनिट/शिप/स्थापना में उनके हॉल्ट की अवधि के लिए उन्हें कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा बशर्ते की अफसर को इस अटेचमेंट के दौरान किसी विशिष्ट ड्यूटि के लिए तैनात न किया गया हो।

टिप्पणी 3: ऐसे मामलों में, जहां अस्थायी ड्यूटी स्टेशन पर 180 दिनों से अधिक रूकना हो, वहां उचित कार्रवाई यह होगी कि आवश्यक स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिए जाए।

रेल यात्रा

92. रेल द्वारा यात्रा की श्रेणी

(क) जहां विशेष रूप से अन्यथा व्यवस्था की गई हो, उसे छोड़कर अस्थायी ड्यूटी पर रेल द्वारा की गई यात्राओं के लिए यात्रा की श्रेणी वही होगी जो स्थायी ड्यूटी होती है ।

(ख) फील्ड खजांचियों के साथ अनुरक्षण ड्यूटी पर जाने वाले कार्मिक वारंट पर उसी श्रेणी में यात्रा करेंगे जिस श्रेणी के हकदार फील्ड खजांची हों।

93. रक्षा सेवा अफसरों द्वारा सैलूनों और विशेष आरक्षित श्रेणी का उपयोग जिसमें वातानुकूलित श्रेणी भी शामिल हैं

जब सर्वथा आवश्यक और वांछनीय हो, केवल नीचे लिखे अफसर सैलूनों का उपयोग करने के हकदार होंगे:

(क) थल सेनाध्यक्ष

(ख) नौसेना अध्यक्ष

(ग) वायुसेना अध्यक्ष

(घ) उपथल सेनाध्यक्ष

(i) सैलून का उपयोग न करने पर उपर्युक्त अफसर दो या चार शायिकाओं वाले प्रथम श्रेणी के कम्पार्टमेंट की मांग कर सकते हैं । लेकिन विशेष मामलों में जब उपर्युक्त फसर आवश्यक समझें, तब वे चार शायिकाओं वाले वातानुकूलित कम्पार्टमेंट की मांग भी कर सकते हैं।

(ii) जब अपेक्षित हो सेना के कमांडर केवल अपनी–अपनी कमानों के अन्दर सैलूनों का उपयोग सफरी कार्यालयों के रूप में और पड़ावों पर रात्रि आवास के लिए कर सकते हैं । कुछ विशिष्ट मामलों में, जब सेना का कमांडर यह समझे कि सैलून दिल्ली लाने में किफायत होगी तो वह थल सेनाध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेकर अपना सैलून दिल्ली ला सकता है । यदि सेना के कमांडर सैलून की उपयोग नहीं करते, तो वे दो या चार शायिकाओं वाले प्रथम श्रेणी के कम्पार्टमेंट या दो शायिकाओं वाले वातानुकूलित कम्पार्टमेंट की मांग कर सकते हैं । विशेष मामलों में जहां सर्वथा आवश्यक हो, सैलून के स्थान पर चार शायिकाओं वाले वातानुकूलित कम्पार्टमेंट की भी मांग की जा सकती है।

(iii) सेना मुख्यालय स्थित पी एस ओ, डी जी ए एफ एम एस, कोर कमान्डर और चीफ आफ स्टाफ कमेटी के महानिदेशक एवं एयर कंडीशन कूपे या दो वर्थ वाले एसी 2 कम्पार्टमेन्ट लेने के हकदार हैं। जहां एयर कंडीशन कूपे या दो बर्थ वाला एसी 2 कम्पार्टमेंट उपलब्ध नहीं होता है तो चार बर्थ वाले एसी कम्पार्टमेन्ट की मांग की जा सकती है।

टिप्पणी 1: रिजर्व एकोमोडेशन में की गई यात्रा से सम्बन्धित टी ए के हर बिल में एकोमोडेशन का रिजर्व करवाल वाल अधिकारी को अवश्य स्पष्ट करना होगा कि उसके साथ कितने लोगों ने सफर किया है और प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने आवश्यक प्रथम श्रेणी/एसी II के टिकट खरीदे थे अन्यथा निल प्रमाण पत्र देना होगा। यात्रा शुरु होने से पहले उन्हें, उनके साथ आरक्षित डब्बे में सफर करने वाले व्यक्तियों के लिए खरीदे गए प्रथम श्रेणी/एसी.2 टिकटों के नम्बर और दूसरे विवरण भी यात्रा शुरु होने वाल स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा मांग प्रपत्र को भरवाने होंगे। यह रेलवे द्वारा वसूले गए प्रथम श्रेणी/एसी.2 के भाड़े को रक्षा और रेल विभाग के बीच समायोजित करने के लिए जरुरी होता है।

टिप्पणी 2: सेनाध्यक्षों की पात्र व्यक्तियों के रूप में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं अर्थात् केवल अध्यक्षों के लिए आरक्षित रेलवे सैलूनों में बिना टिकट लिए, जव वे उस बेलफेयर संगठन जिसके वे सदस्य हैं, या दौरा करने के टूर पर उनके साथ होती हैं ।

सेनाध्यक्षों समेत आरक्षित सैनून में यात्रा कर रहे सदस्यों (अटैन्डेन्ट के अलावा) की संख्या छः से अधिक नहीं होगी।

94. रेल से यात्रा अस्थाई ड्यूटी पर रेल से यात्रा की पात्रता नियम 57(ए)(i) के अनुसार विनियमित होगी । अस्पताल में दाखिले के लिए यात्रा की प्राधिकृत श्रेणी वही होगी जो सरकारी दौरों के लिए होती है ।

95. रिक्त

95क. शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने की पात्रता

शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने की पात्रता निम्नलिखित है :

(i) ले0 कर्नल और उपर के और उनके समकक्ष तथा सिविलियन जो ₹ 7600 और उपर ग्रेड पे ले रहे हों।	एक्सीक्यूटिव श्रेणी
(ii) एम एन एस अफसर सहित अन्य अफसर, मिडशिपमेन और ऑनरेरी कमीशन प्राप्त अफसर, जे.सी.ओ, एन.सी.ओ, ओ.आर. और उनके समकक्ष तथा ₹ 7600 से नीचे ग्रेड पे ले रहे सभी अन्य सिविलियन	एसी चेयर कार

96. वारन्ट पर रेल से यात्रा के लिए लेटने के स्थान की व्यवस्था

जब मेडिकल अफसर किसी भी श्रेणी के बीमार व्यक्ति के लिए इस प्रकार के एकोमोडेशन को रोगी के हित मे जरूरी प्रमाणित करते हैं। साधारणतः लेटने लायक एकोमोडेशन उस श्रेणी में उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें व्यक्ति यात्रा करने के पात्र हैं।

97. बन्दियों और विक्षिप्तों के लिए रेल में स्थान

(i) विक्षिप्तों को उनके अनुरक्षकों के साथ स्थान प्रथम श्रेणी के आरक्षित कम्पार्टमेंट में दिया जाएगा । अहानिकर और शांत मनोरोगी उसी श्रेणी में यात्रा करेंगे जिस श्रेणी के वे आमतौर पर हकदार हो जब जिस मनोरोग विज्ञानी के अधीन वे इलाज में हो, वह इस आश या प्रमाण–पत्र दे कि व्यक्ति उस श्रेणी में यात्रा करने के योग्य है ।

(ii) सैनिक बन्दियों को (इनमें युद्धबन्दी भी शामिल हैं) उनके अनुरक्षकों के साथ उस श्रेणी के आरक्षित कम्पार्टमेंट में स्थान दिया जाएगा जिस श्रेणी के आमतौर पर बन्दी हकदार हों । संभव होने पर, उस डिब्बे में भी स्थान दिया जाएगा जो रक्षा सेवाओं के लिए आरक्षित हो ।

98. संकामक या सांसर्गिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित कम्पार्टमेंट

(i) रेल से यात्रा कर रहे जो कार्मिक निम्नलिखित संकामक या सांसर्गिक रोगों से पीड़ित हों और जो अन्यथा निःशुल्क सवारी के पात्र हों, वे नीचे खंड (ii) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर रेल गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के आरक्षित द्विशायिका वाले डिब्बे में या फिर चार शायिकाओं वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने के हकदार होंगे यदि उन गाड़ियों में द्विशायिका वाले डिब्बे न हों, भले ही वे किसी भी श्रेणी के हकदार हों :

सेरेब्रो–स्पायनल मैनिनजाइटस प्लेग

चिकन पॉक्स	स्कारलेट बुखार
कालरा	स्मॉल पॉक्स
डिप्थिरिया	टायफाइड बुखार
लेपरेसी	टायफसर बुखार
मिसल्स	व्हूपिंग कुफ
मम्प्स	टी.बी.

(ii) नीचे लिखे प्राधिकारी उपर खंड (i) में उल्लिखित प्रकार की सवारी को प्राधिकृत कर सकते हैं :

1 सैन्य कार्मिक	एम जी मेडिकल कमान्ड
2 भारतीय नौसेना कार्मिक	सम्बन्धित स्थापना या शिप के प्रधान मेडिकल अफसर
3 वायुसेना कार्मिक	(क) कमान्ड के अन्तर्गत यूनिटों के कार्मिकों के मामले मे कमान्ड के पी एम ओ (ख) सीधे तौर पर सेना मुख्यालय के अन्तर्गत यूनिटों के मामले मे डी.जी.एम.एस. (वायु)

99. सिग्नल या सायफर कूरियरों के लिए रेल एकोमोडेशन

(i) सिगनल कुरियर जो गुप्त/अति गुप्त डाक ले जा रहे हैं वह प्रथम श्रेणी कूपे/कम्पार्टमेंट में यात्रा करेंगे।

(ii)&(iii) सरकारी मेल/किप्टोग्राफिक दस्तावेज/गुप्त श्रेणी/अतिगुप्त श्रेणीयों के यंत्र ले जाने वाले को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर किसी भी ट्रेन में दो बर्थ वाली एसी प्रथम श्रेणी कूपे में यात्रा करने की अनुमति होगी बशर्ते उस ट्रेन विशेष में प्रथम श्रेणी कूपे उपलब्ध नहीं हो। दो बर्थ वाले प्रथम श्रेणी एसी कूपे उपलब्ध न होने पर सायफर कूरियर को चार बर्थ वाल एसी प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेंट में जगह दी जाएगी । बाकी कि बची दो बर्थ बोनाफाईड सर्विस पर्सोनल का दी जाएगी और उनका विवरण कूरियर की उपस्थिति में चेक किया जायेगा। यदि बर्थ को भरने के लिए कहीं बोनाफाइड सर्विस पर्सनल उपलब्ध नहीं होता तो पूरे चार बर्थ वाला एसी प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेंट, सायफर/सिग्नल कूरियरों के लिए आरक्षित किया जाएगा ।

किसी ट्रेन विशेष में एसी प्रथम/प्रथम श्रेणी कोच न होने पर सरकारी डाक/ किप्टोग्राफिक दस्तावेज/गुप्त श्रेणी के यंत्रों को ले जाने वाले सायफर/सिग्नल कूरियर को एसी 2 टियर स्लीपर कम्पार्टमेंट में चार बर्थ इनक्लोजर में जगह दी जाएगी। बाकी बची दो बर्थ का इस्तेमाल उपर बताए अनुसार किया जायेगा ।

यात्रा वारंट पर की जाएगी और नकद टीए देय नहीं होगा।

सड़क द्वारा यात्रा करने पर कूरियर रेलवे प्रथम श्रेणी के बराबर की एसी बस द्वारा सफर कर सकता है ।

99क. ट्रेन में ले जाए जाने वाले शस्त्रों और गोला–बारुदों के कन्साइनमेंटों का एस्कॉर्ट कर डी एस सी और सैन्य कार्मिकों के लिए एसी प्रथम श्रेणी कूपे में रेल एकोमोडेशन

(क) सैन्य कार्मिक और डी एस सी कार्मिक जो ट्रेनों में ले जाए जा रहे शस्त्रों और गोला–बारुद के

कन्साइन्मेंट को एस्कॉर्ट कर रहे हों, चाहे किसी भी रैंक के हो, ट्रेन में दो बर्थ एसी प्रथम श्रेणी कूपे में सफर कर सकते हैं। बशर्ते कि उस ट्रेन विशेष में प्रथम श्रेणी कूपे उपलब्ध न हो। एसी प्रथम श्रेणी कूपे कम्पार्टमेंट में दो बर्थ उपलब्ध न होने पर शस्त्र और गोला–बारुद ले जा रहे एस्कार्टस को चार बर्थ वाले एसी प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान दिया जाएगा बाकि बची दो बर्थ बोनाफाइड सैन्य कार्मिकों को दी जाएगी और उनके विवरण एस्कार्टस की मौजूदगी में जॉचे जाएंगे। यदि बर्थ को भरने के लिए कोई बोनाफाइड सैन्य कार्मिक उपलब्ध नहीं होते तो चार बर्थ वाला एसी प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेंट शस्त्र और गोला–बारुद ले जा रहे एस्कार्टस के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(ख) किसी विशेष गाड़ी में एसी प्रथम श्रेणी कोच न होने की स्थिति में हथियार और गोला–बारुद ले जा रहे एस्कार्टस को एसी–2 टीयर स्लीपर कम्पार्टमेंट के चार बर्थ वाले इनक्लोजर में जगह दी जाएगी। बाकी दो बर्थ का उपर पैरा (क) में दिए अनुसार इस्तेमाल किया जाएगा।

100. नौसेना/वायुसेना से संबंधित गुप्त डाक का परिवहन

(क) नौसेना/वायुसेना से संबंधिक गुप्त डाक के परिवहन के लिए –– जहां उपलब्ध हो सेना कूरियर सेवा का पूरा–पूरा लाभ उठाया जाए । लेकिन यदि सेना की इस प्रकार की कूरियर सेवा किसी विशिष्ट मार्ग पर उपलब्ध न हो या किसी विशिष्ट कारण से उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता हो तो नौसेना/वायुसेना के जिन अफसरों के पदनाम नीचे दिए गए हैं उनमें से कोई भी अफसर अपने विवेक से भारतीय नौसेना/वायुसेना के किसी भी अफसर को मूल स्थापना से गन्तव्य स्थान तक गुप्त डाक रेलगाड़ी से ले जाने के लिए तैनात कर सकता है :

नौसेना अफसर	वायुसेना का अफसर
(i) नौ सेना अध्यक्ष	(i) वायुसेना अध्यक्ष
(ii) फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ	(ii) ओ सी–इन–सी कमान्डस
(iii) फ्लैग अफसर कमांडिंग फ्लीटस एरिया	(iii) विंग्स या स्टेशनों के कमान्डर
(iv) नौसेना अफसर–इनचार्स	(iv) (iii) में उल्लिखित स्थानों से इतर स्थित यूनिटों के कमान्डर
(v) कमांडिंग अफसर या नौ सेना पोत इंडिया	

(ख) ऊपर खंड (क) में दिए गए किसी अफसर को किसी गुप्त डाक के संबंध में यह इत्मीनान हो कि या तो उसकी यात्रा के कारण या उसके अत्यधिक गुप्त स्वरूप के कारण द्विशायिका डिब्बे का आरक्षण अत्यधिक जरूरी है तो उस अफसर को तद्नुसार आवश्यक आरक्षण कराने का प्राधिकार होगा। ऊपर खंड (क) में नामित अफसरों में से प्रत्येक में इस प्रकार निहित की गई शक्ति वैयक्तिक है और यह शक्ति किसी भी अन्य अफसर को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी।

(ग,घ) सरकारी मेल/किप्टोग्राफिक दस्तावेज/ गुप्त श्रेणी/ अति गुप्त श्रेणी के यंत्रों को ले जाने वाले वायुसेना/ नौ सेना के अफसर/कूरियरों को राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस के अलावा अन्य ट्रेनों में दो बर्थ वाले एसी प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेंट में सफर करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते उस ट्रेन विशेष में प्रथम श्रेणी कूपे उपलब्ध न हो। दो बर्थ वाले प्रथम श्रेणी कूपे कम्पार्टमेंट की अनुपलब्धता के मामले में सायफर कूरियरों को चार बर्थ वाले प्रथम श्रेणी कूपे कम्पार्टमेंट में जगह दी जाएगी। बाद वाली स्थिति में कम्पार्टमेंट में खाली दो बर्थ बोनाफाइड सैन्य कार्मिकों को दी जाएगी। यदि बर्थ भरने के लिए बोनाफायड कार्मिक उपलब्ध नहीं होते तो बर्थ भरने के लिए पूरा चार बर्थ वाला एसी प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेंट वायुसेना/नौ सेना कूरियरों के लिए आरक्षित किया जाएगा।

किसी विशेष ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी/ प्रथम श्रेणी कोच न होने पर सरकारी मेल/किप्टोग्राफिक दस्तावेज/गुप्त/अतिगुप्त श्रेणी के यंत्रों को ले जाने वाले वायुसेना/ नौ सेना कूरियरों को द्वितीय एसी टू टियर कम्पार्टमेंट में चार बर्थ इनक्लोजर में स्थान दिया जाएगा। बाकी की बची दो बर्थ उपर बताए अनुसार इस्तेमाल की जाएगी।

सड़क से यात्राओं के मामले में कूरियर रेलवे के प्रथम श्रेणी के बराबर क्लास द्वारा यात्रा कर सकता है।

(ङ) कूरियर ड्यूटी पर लगाए गए अफसर या कूरियरों को उस प्रयोजन के लिए पहले से विशिष्ट रुप से आरक्षित एकोमोडेशन में सफर करना चाहिए। यात्राएं वारंट पर की जाएंगी और इसके लिए कोई नगद टीए नहीं दिया जाएगा।

101. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सिविलियन सरकारी कर्मचारियों द्वारा वास्तविक सरकारी सामान ले जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति

जब कभी नियंत्रण अफसर, परीक्षण अथवा अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के रक्षा सिविलियन सरकारी कर्मचारी को अस्थाई ड्यूटी पर जाने या लौटने पर वास्तविक सरकारी सामान के रूप में ले जाने के लिए प्राधिकृत करता है तथा यदि ऐसे सरकारी सामान की सीमा रेलवे द्वारा स्वीकार्य सामान्य निःशुल्क पात्रता की सीमा से बढ़ जाती है तो सरकारी कर्मचारी द्वारा सामान ले जाने के लिए रेलवे को दिए गए अतिरिक्त भाड़े की प्रतिपूर्ति संबंधित सरकारी कर्मचारी को कर दी जाएगी । व्यय के प्रमाण में ऐसे दावे संबंधित व्यक्ति द्वारा यात्रा भत्ते के दावे के साथ रेलवे की नकद रसीद प्रस्तुत करने पर स्वीकार किए जाएंगे ।

सड़क यात्रा

102. सड़क का मार्ग

(i) सड़क द्वारा यात्रा के लिए एकोमोडेशन का स्केल नियम 61 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ii) जब यात्रा–भत्ता स्वीकार्य न हो और सरकारी गाड़ी उपलब्ध न हो ता सड़क से वारंट पर यात्रा करने वाले सभी रैंकों के लिए यात्रा के प्राधिकृत श्रेणी का मान इस प्रकार होगाः

(क) जब किसी ऐसी कम्पनी की, जिसकी सरकार के साथ संविदा हो, मोटरकारों, मोटरबसों, यात्री लारियों या लम्बी गाड़ियों में यात्रा कर रहे हों :—

(1) नियम 93 के रेल द्वारा विशेष आरक्षित एकोमोडेशन में सफर करने के पात्र अफसरों के लिए किन्तु उनके साथ जाने वाले स्टाफ अफसर के लिए नहीं और सभी जनरल, फ्लैग या एयर अफसर जो उपरोक्त में शामिल नहीं के लिए	पूरी मोटरकार जिसमें चार सीटों से अधिक न हो।
(2) ₹ 5400 और अधिक ग्रेड पे लेने वाले सभी अन्य कार्मिक	मोटर कार मे एक सीट।
(3) ₹ 5400 से नीचे ग्रेड पे लेने वाले सभी अन्य कार्मिक	मोटर बस या पैसेंजर लॉरी या खुली लम्बी गाड़ी में एक सीट यदि कान्ट्रेक्टर इस प्रकार के वाहन उपलब्ध नहीं कराता तो इसके बदले मोटरकार में एक सीट मिलेगी।

(ख) जब मोटर गाड़ियों को छोड़कर किसी ऐसी कम्पनी की गाड़ी में यात्रा कर रहे हों जिसकी सरकार के साथ संविदा हो :—

(1) उपर (क) (1) में दिए अफसरों के लिए	एक आरक्षित वाहन या इसके समकक्ष
(2) अन्य सभी कार्मिक जो सवारी या वाहन के पात्र हैं।	एक सीट या उसके समकक्ष।

(iii) जब सरकारी संविदा लागू हो, तो जब तक सरकारी गाड़ी उपलब्ध न हो, तब तक संविदाकार कम्पनी द्वारा प्रदान किए गए परिवहन के साधन का ही उपयोग किया जाए। जिस कम्पनी के पास मोटरगाड़ी के अलावा अन्य सवारी हो, तो व्यक्ति निम्न प्रकार से यात्रा करेगाः

₹ 5400 और अधिक ग्रेड पे लेने वाले कार्मिक	मोटर कार द्वारा
₹ 4200 और अधिक किन्तु ₹ 5400 से नीचे ग्रेड पे लेने वाले कार्मिक	मोटर बस, पैसेंजर लॉरी या बड़ी लम्बी गाड़ी
₹ 5400 से कम ग्रेड पे लेने वाले कार्मिक	कम्पनी द्वारा भेजे गए सबसे सस्ते साधन द्वारा

(iv) विशेष मामालों में प्रेषण अफसर किसी भी व्यक्ति को उपर निर्धारित साधन से भिन्न अन्य किसी साधन से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है । आवश्यक समझे जानें पर चिकित्सा प्राधिकारी (संबंधित अस्पताल का कमान अफसर) रोगियों और अशक्तों के लिए उपर दी गई सवारी से भिन्न और अपेक्षाकृत उच्चतर स्थान का मान प्राधिकृत कर सकता है । सभी मामलों में कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(v) यदि संभव हो, तो कम्पनी को पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे वह साधारण या डाक गाड़ियों में सीटों का आबंटन कर सके, लेकिन जब सीटें इस प्रकार आबंटित न की जा सकें और प्रेषण अफसर ने सीटों के लिए वारंट पृष्ठांकित कर दिया हो या फिर जहां प्रेषण अफसर न हो, वहां उसे कम्पनी के एजेन्ट ने पृष्ठांकित कर दिया हो, तब पूरी गाड़ी ही प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन प्रदान की जाने वाली गाड़ी का प्रकार मितव्ययिता, पार्टी के आकार और उन परिस्थितियों को उचित रूप से ध्यान में रखकर निश्चित किया जाना चाहिए जिन परिस्थितियों में संचलन का आदेश दिया गया हो।

(vi) रेल की लाइन से दूर स्टेशनों के मार्ग और

जिन लोगों को मार्च करने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए उपलब्ध परिवहन के साधन समय–समय पर सेना आदेशों/नौसेना आदेशों/वायुसेना आदेशों में प्रकाशित किए जाते हैं।

103. बाह्य स्टेशनों पर सवारी किराए पर लेना

(i) ₹ 10000 और अधिक ग्रेड पे लेने वाले अफसर एसी टैक्सी के मायलेज भत्ते की पात्र होते हैं, यदि यात्रा वास्तव में आउट स्टेशनों पर एसी टैक्सी द्वारा की गई है। आउट स्टेशन पर टीडी के समय इस श्रेणी के पात्र अफसरों को उपलब्ध कराने के लिए एसी टैक्सी, एसटीडी या सीडी सीडी द्वारा भाड़े पर ली जा सकती है।

जिन स्टेशनों पर उपर्युक्त सरकारी गाड़ी उपलब्ध न हो, जहां दौरे की अवधि में थलसेना अध्यक्ष/नौसेना अध्यक्ष/वायुसेना अध्यक्ष और उसकी पार्टी के लिए किराए पर गाड़ी लेना संभव न हां, उन स्टेशनों पर किसी स्थानीय संभ्रान्त व्यक्ति की गाड़ी का लाभ उठाया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित पी0ओ0एल0 (पेट्रोल, तेल और चिकनाई) "यथा अपेक्षित" आधार पर जारी किया जाना चाहिए। जैसी भी स्थिति हो, उसके अनुसार थलसेना अध्यक्ष के साथ जाने वाले थलसेना अध्यक्ष के सैनिक सहायक/स्टाफ अफसर/ए0डी0सी0 से, नौसेना अध्यक्ष के साथ जाने वाले नौसेना अध्यक्ष के सचिव/फ्लैग लैफटीनेंट/स्टाफ अफसर या वायुसेना अध्यक्ष के साथ जाने वाले स्टाफ अफसर/ए0डी0सी0 से प्राप्ति निर्गम वाउचर पर इस आश या प्रमाण–पत्र अनिवार्यतः ले लिया जाए कि पइ0ओ0एल0 (पेट्रोल, तेल और चिकनाई) थलसेना अध्यक्ष/नौसेना अध्यक्ष/वायुसेना अध्यक्ष के दौरे के लिए लिया गया है और उसका उपभोग किया गया है ।

(ii) यदि कोई अफसर (इसमें प्रथम ग्रेड का सिविलियन अफसर भी शामिल हैं) ड्यूटी पर हो और उसकी ड्यूटी में किसी बाह्य स्टेशन पर थोड़ी दूरी के अन्दर बहुत अधिक यात्रा करना शामिल हो तो यदि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझतें तो उस अफसर को सरकारी गाड़ी उपलब्ध न होने पर सरकारी खर्च पर उसकी ड्यूटी के अनुरूप किराए की गाड़ी प्रदान कर सकता है। यह किराए की गाड़ी स्टेशन परिवहन अफसर/नौसेना स्थापना कमान अफसर के माध्यम से प्रदान की जाएगी और अफसर अपने आप गाड़ी किराए पर लेने कि लिए प्राधिकृत नहीं होगा ।

टिप्पणीः ब्रिगेड, सद एरिया, स्वतं सब एरिया या एरिया कमांडर अपने अधीन सेवा करने वाले सेना के कार्मिकों (सेना और सिविलियन) के संबंध में और फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन'चीफ नौसेना कमान/फ्लैग अफसर कमांडिंग फ्लीट/एरिया अपने अधीन सेवा करने वाले नौसेना कार्मिकों के संबंध में और वायु अफसर कमांडिंग–इन–चीफ, मुख्यालय कमान/अफसर कमांडिंग, एयर कमांडर के रैंक वाले वायु सेना स्टेशन अपने अधीन सेवा करने वाले वायु सेना कार्मिकों (सेना और सिविलियन) के संबंध में उपर खंड (ii) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

104. अफसरों द्वारा उन यात्राओं में जिनमें वे रेल में आरक्षित स्थान के हकदार हों, रेल की आरक्षित श्रेणी के बजाय मोटरकारें या प्राइवेट कारों का उपयोग

(i) जो अफसर रेल द्वारा आरक्षित श्रेणी के हकदार हों, वे ड्यूटी पर यात्रा के लिए ऐसी आरक्षित श्रेणी के बजाय मोटरकारों को किराए पर लेने के लिए प्राधिकृत हैं, बशर्ते कि मोटरकार के किराए पर लेने की लागत तथा अफसर के सामान के परिवहन की लागत उस राशि से अधिक न हो जो यात्रा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रेल की आरक्षित श्रेणी के कारण सरकार को देनी पड़ती।

(ii) जो अफसर कार किराए पर नहीं लेते बल्कि ऐसी यात्राओं के लिए अपनी ही कार का इस्तेमाल करते हैं, वे विशिष्ट इलाके में लागू दरों पर मील–भत्ते के हकदार होंगे । इसके साथ ही उपर (i) में स्वीकार्य अधिकतम की शर्त पर वे सामान के परिवहन की लागत के भी हकदार होंगे। जो अफसर इस प्रकार अपनी ही कारों में यात्रा करते हैं, वे उन बाह्य स्टेशनों पर निरीक्षण ड्यूटी स्टेशनों पर वास्तव में की गई यात्राओं की दूरी के लिए भी साधारण नियमों के अनुसार मील–भत्ता लेने के हकदार होंगे जहां वे मोटर भाड़े के एवज में पड़ाव करें।

(iii) सुविधाजनक हो तो प्राधिकृत मान के अन्दर सामान रेल से वारंट पर भेजा जाना चाहिए। यात्रा भत्ते के दावे में वारंट पर ले जाए गये सामान के भार का उल्लेख होना चाहिए । दावों का समायोजन करने में रेल वारंटों की लागत सरकारी टैरिफ दरों पर निकाली जानी चाहिए।

(iv) जब कोई अफसर अपने लिए या अपने सामान के लिए सरकारी मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करें, तो उसमें प्रदान किए गए स्थान के लिए वह निर्धारित दरों पर भाड़े की अदायगी करेगा और बाद में वह इस नियम के अधीन स्वीकार्य यात्रा–भत्ते के अंग के रूप में उसके लिए दावा प्रस्तुत करेगा।

(v) जिस अफसर के लिए कोई सैलून या निरीक्षण डिब्बा किसी गाड़ी में लगाया गया हो वह अफसर रेल से जुड़े हुए उन स्टेशनों के बीच जिन के बीच सैलून या निरीक्षण डिब्बा ले जाया जाता है, यदि किसी अन्य वाहन से प्रस्थान कर जाता है और अफसर के बिना ही वह सैलून और निरीक्षण डिब्बा ले जाया जाता है चाहे उसमें उसका सामान हो या न हो तो खाली सैलून या डिब्बे के ले जाए जाने ही लागत कार–भाड़े या मील–भत्ते तक स्वीकार्य अधिकतम राशि से काट ली जाएगी।

टिप्पणी: कोई भी ऐसा सामान्य अफसर जो रेलवे सैलून का इस्तेमाल करने का हकदार हो, अपने विवेक से सेवा की अनिवार्यता के कारण सड़क या हवाई जहाज से एक ओर की यात्रा कर सकता है । ऐसी परिस्थिति में उसे इन विनियमों के अधीन अपेक्षित सैलून के खाली ले जाए जाने की लागत अदा नहीं करनी पड़ेगी।

105. भर्ती करने वाली पार्टी (भारतीय नौसेना) के प्रयोग के लिए मोटर कार किराए पर लेना

जब आवश्यक हो, भर्ती अफसर संबंधित क्षेत्र के सेवा कोर के कमांडर के माध्यम से भर्ती पार्टी। भारतीय नौसेना के प्रयोग के लिए सरकारी खर्च पर दो मोटर कारें किराए पर ले सकता है । इन कारों में की गई यात्राओं के लिए पार्टी के सदस्यों को कोई मील–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।

106. सड़क परिवहन जहां सबसे छोटा मार्ग रेल से हो

निम्नलिखित संचलनों के मामलें में और यदि व्यक्ति चाहें तो प्रेषरण अफसर अपने विवेक से उन व्यक्तियों को इस शर्त पर सरकारी वाहनों में सड़क से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है कि इन यात्राओं के कारण सरकार द्वारा दी जाने वाले लागत उस राशि से अधिक नहीं होगी जो सरकार को इस स्थिति में देनी पड़ती यदि प्रश्नगत यात्राएं सीधे मार्ग से रेल द्वारा की जातीं।

(क) जब भर्ती पार्टियां निःशुल्क सवारी की हकदार हों तो उन्हें उन स्टेशनों से और उन स्टेशनों तक, जिनसे उन्हें भर्ती ड्यूटी पर भेजा जाए , और

(ख) रिजर्व वाले :

(i) जब प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाए या वहां से लौट रहे हों ।

(ii) बीमारी या अन्य उपर्युक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण स्वास्थ्य परीक्षा के लिए जब रिजर्व केन्द्र को प्रस्थान करने के लिए बुलाया जाए।

(iii) जब उसके खुद के अनुरोध पर सकिय सूची में पुनः स्थानांतरित किया जाए बशर्ते कि जिस यूनिट में वह हो, उसे फील्ड सेवा के आदेश दिए गए हों। जो गोरखा रिजर्व वाला प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ध्वज को पुनः स्थानांतरण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करे वह भर्ती केन्द्र तक सवारी के बजाए अपनी यूनिट तक सवारी का हकदार होगा। इसमें यदि कोई अतिरिक्त खर्च होगा, तो उसे रिजर्व वाला वहन करेगा।

टिप्पणी: उपर खंड (i),(ii) और (iii) में उल्लिखित सवारी रिजर्व–वालें के भारत में निवास या नियोजन के सामान्य स्थान से और सामान्य निवास और नियोजन के स्थान तक स्वीकार्य होगी और गोरखा रिजर्व वाले के संबंध में यह सवारी नेपाल में उसके निवास स्थान से और निवास स्थान तक स्वीकार्य होगी ।

(iv) जब सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के आदेश से प्रशिक्षण की अवधि के दौरान स्थानान्तरित किया जाए और बहिर्यात्रा और वापसी यात्रा के लिए:

(1) विशेषज्ञ के परामर्श के लिए और/या निरंतर चिकित्सीय उपचार के लिए सेना के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक,

(2) किसी स्टेशन से जहां सेना का कोई अस्पताल न हो, सेना के किसी निकटतक अस्पताल तक जहां उपचार की अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हों ।

टिप्पणी: मद (ii) के प्रयोजन के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी होगा।

107. भारतीय सीमाओं के अन्दर समुद्री यात्राओं के लिए यात्रा की श्रेणी

भारतीय सीमाओं के अन्दर समुद्री यात्राओं के लिए स्थान की श्रेणियां वहीं होंगी जो नियम 58 में निर्धारित की गई हैं ।

108. हवाई जहाज से यात्रा

1. हवाई यात्रा की पात्रता वही होगी जो नियम 62 में स्थाई ड्यूटी के लिए दी गई है।

2. अस्पताल में दाखिले के लिए यात्रा की प्राधिकृत श्रेणी, सरकारी दौरों के लिए प्राधिकृत के समान ही होगा।

3. लड़ाकू एयरक्रफ्ट के फेरी पायलट के रूप में नियुक्त भारतीय वायुसेना के अफसरों को बेस मरम्मत डिपो तक जाने और वापस आने के लिए। जब वे मरम्मत डिपो पर एयरकाफ्ट डिलीवर करते हैं तो वापसी यात्रा के लिए और जब वे एयरकाफ्ट की डिलीवरी लेने जाते हैं तो वहां की यात्रा। इन यात्रायों को सम्बन्धित कमानों के एओसी इन सी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

4. बड़ी हवाई दुर्घटनाओं की जांच करने वाली अदालतों के उपस्थित होने के लिए तैनात सदस्यों की यात्राओं का अनुमोदन वायुसेना मुख्यालय में संबंधित पीएसओ करेगा।

टिप्पणी: त्रिपुरा में तैनात सभी सैन्य कार्मिकों को केवल टूर या ट्रांसफर प्रयोजन के लिए अगरतला और कोलकाता के बीच हवाई यात्रा की अनुमति है।

108.अ. अपात्र श्रेणी के कार्मिकों द्वारा सिविल एयरक्रॉफ्ट द्वारा यात्रा करना

भारतीय नौसेना के अपात्र कार्मिक निम्नलिखित परिस्थितियों में सिविल एयरकाफ्ट द्वारा यात्रा करने के पात्र होंगे:–

(क) बड़ी उड़ान दुर्घटनाओं की जॉच की बोर्ड ऑफ इनक्वायरी में भाग लेने के लिए दुर्घटनास्थल पर नियुक्त सदस्य और

(ख) लड़ाकू एअरकाफ्ट के फेरी पायलट के रुप में नियुक्त कर्मी दल को केवल आपातिक स्थिति में एयरकाफ्ट की डीलीवरी लेने के लिए वहॉ तक की यात्रा के लिए

उपर्युक्त यात्राओं को सम्बन्धित कमानों के एफ ओ सी इन सी द्वारा नौसेना मुख्यालय स्थित पी एस ओ द्वारा जैसी भी स्थिति हो, विशेष रुप से अनुमोदित किया जाएगा।

109. रोगियों को हवाई जहाज से ले जाना

(क) जब अस्पताल के कमान अफसर/प्रभारी चिकित्सा अफसर द्वारा आवश्यक समझा जाए, तो किसी अफसर, कैडेट, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक या अयोद्धी (नामांकित) के भारतीय सीमाओं में किसी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए सिविल हवाई जहाज का प्रयोग प्राधिकृत किया जा सकता है जिससे उसके जीवन की परिरक्षा के लिए उसका आवश्यक चिकित्सा उपचार किया जा सके बशर्ते कि निःशुल्क सवारी अन्यथा स्वीकार्य हो और सेना को कोई वायुयान उपलब्ध न हो या सिविल विमान सेना के वायुयान से अधिक किफायती हो।

टिप्पणी: यदि ओसी अस्पताल/अस्पताल के एम ओ इनचार्ज यह प्रमाणित करते हैं कि मरीज के लिए हवाई यात्रा बिल्कुल जरुरी थी और रेल/सड़क मार्ग जैसे अन्य मार्गों से यात्रा करना मरीज की जिंदगी के लिए खतरनाक होता/मरीज की हालत गम्भीर रुप से बिगड़ने का खतरा होता तो निम्नलिखित रुप से किसी भी राज्य में तैनात सैन्य कार्मिक के परिवार को इन राज्यों से सरकारी खर्च पर कलकत्ता इलाज के लिए ले जाने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा स्वीकार्य होगी:

(i) मणिपुर।

(ii) नागालैंड।

(iii) मिजोरम।

(iv) मेघालय।

(ख) जिन रक्षा सिविलियनों को फील्ड सेवा रियायतें मिल रही हों और जो रक्षा सिविलियन सैनिक स्त्रोतों से निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या के हकदार हों, वे भी उपर (क) में निर्धारित शर्तों के रूप में और शर्तों के अधीन हवाई जहाज द्वारा निःशुल्क ले जाए जाने के हकदार होंगे ।

(ग) सीओ, यूनिट या सैन्य अस्पताल हवाई मार्ग द्वारा हताहतों को ले जाने पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए उनके अग्रदाय लेखा से नगद निकालने के लिए अधिकृत हैं।

110. गोरखाओं के भर्ती अफसर और उसके स्टाफ के लिए हवाई जहाजों से यात्रा

नेपाल में भर्ती और कल्याण ड्यूटी पर तैनात गोरखों के भर्ती अफसर और उसके स्टाफ के हवाई जहाज से संचलन को निम्नलिखित अफसर प्राधिकृत करेंगें :

जब नेपाल में हवाई मार्ग द्वारा यात्रा करना अनुमोदित सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने से सस्ता हो।	संयुक्त निदेशक (भर्ती) एकीकृत मुख्यालय
जब हवाई मार्ग द्वारा यात्रा करना अनुमोदित सड़क मार्ग द्वारा यात्रा से सस्ती न हो, परन्तु लोकहित में जरुरी मानी गई हो	एजी एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना)

111. सड़क से यात्रा के लिए मील–भत्ता

(क) सड़क से यात्राओं के लिए मील–भत्ता नियम 61 में दी गई दरों पर स्वीकार्य होगा ।

(ख) जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अस्थायी ड्यूटी पर उनमें से किसी एक की गाड़ी में यात्रा करें तो गाड़ी का मालिक इस प्रकार यात्रा–भत्ता लेगा मानो उसने अकेले ही यात्रा की हो और दूसरा व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति नियम 114 के अधीन स्वीकार्य केवल दैनिक भत्ता ही लेगा/लेंगे।

(ग) जब दो या दो से अधिक व्यक्ति यात्रा करने में किसी गाड़ी के भाड़े को बराबर–बराबर अदा करें तो प्रत्येक व्यक्ति अदा किए गए भाड़े के वास्तविक भाग को ही लेगा जो नियम 61 के अधीन स्वीकार्य मील–भत्ते के आधे तक सीमित होगा ।

(घ) जब ऐसे स्थानों के बीच सड़क यात्रा की जाए जो रेल से जुड़े हों तो मील–भत्ता रेल की उसी श्रेणी के किराए तक सीमित होगा जिसका कि वह व्यक्ति हकदार हो। जो अफसर नियम 94 के अधीन प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने का हकदार हो, उस अफसर का मील–भत्ता प्रथम श्रेणी के रेल किराए तक सीमित होगा।

टिप्पणी: इस सीमा से छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम 40 के नीचे दी गई टिप्पणी 2 के अंतर्गत दी जा सकती है।

(ङ) मील–भत्ता मुख्यालय के ड्यूटी स्थल से रेल के स्टेशन/बस अड्डे/हवाई अड्डे/ पोतावरोहण मुख्यालय तक और बाह्य स्टेशन के ड्यूटी स्थल तक स्वीकार्य होगा। लेकिन बाह्य स्टेशन पर की गई स्थानीय यात्रा के लिए कोई मील–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

112. यात्राएं जिनमें रेल तथा सड़क के मिले–जुले टिकट जारी किए जाते हों

जहां कहीं रेल तथा सड़क की मिली–जुली सेवाएं मौजूद हों और ये सेवाएं या रेल विभाग द्वारा या अन्य ऐसे प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित हों जो रेल विभाग द्वारा जारी किए गए टिकटों को मान्यता देते हों और जहां अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए टिकटों को रेल विभाग द्वारा मान्यता दी जाती हो वहां ड्यटी पर सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्ति अपनी यात्राएं रेल तथा सड़क के मिले–जुले टिकटों पर करेंगे ।

113. बाह्य पत्तनों पर की गई यात्राओं के लिए मील–भत्ता

जब नौसेना अध्यक्ष और उसके स्टाफ अफसर अनुदेश और प्रशिक्षण के लिए भारतीय नौ–बेड़े के साथ समुद्र पर हों, तब वे बाह्य पत्तनों पर की गई यात्राओं के लिए मील–भत्ता नियम 61 में निर्धारित दरों पर लेंगे।

जब अन्य अफसरों को जिन्हें बाह्य पत्तनों पर किसी भी प्रकार की ड्यूटी के लिए तैनात किया जाए भारतीय नौसेना के पोतों पर स्थान दिया गया हो, तब उन्हें सड़क यात्राओं के लिए मील–भत्ता नियम 61 में निर्धारित दरों पर मंजूर किया जाएगा।

114. अस्थायी ड्यूटी पर दैनिक–भत्ता

(i) जो व्यक्ति अस्थायी ड्यूटी पर दैनिक भत्ते का हकदार हो, वह मुख्यालय से पूरी अनुपस्थिति के लिए दैनक भत्ता लेगा, जो मुख्यालय से प्रस्थान करने पर शुरू होगी और मुख्यालय में आगमन पर समाप्त होगी। इस दैनिक भत्ते में किए गए खर्च और बाह्य स्टेशन पर पड़ाव में किए गए खर्च दोनों की शामिल होंगे।

(ii) दैनिक–भत्ता अर्ध–रात्रि से अर्ध–रात्रि तक गिनी गई अनुपस्थिति के प्रत्येक पूरे कलैण्डर दिन के लिए पूरी दरों पर मुख्यालय से पूरी अनुपस्थिति के लिए मंजूर किया जाना चाहिए। यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 24 घन्टे से कम हो तो दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य होगाः––

छः घंटे से कम की अनुपस्थिति के लिए	कुछ नहीं
छःघंटे से कम किन्तु 12 घंटे से कम की अनुपस्थिति के लिए	सामान्य दरों का 70%
12 घंटे से अधिक की अनुपस्थिति के लिए	पूरा डीए

यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि दो कलैण्डर दिनों में पड़े तो वह दो दिन मानी जाएगी और प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता उपर दिए गए अनुसर निकाला जाएगा । इसी प्रकार मुख्यालय से प्रस्थान और मुख्यालय में आगमन के दिनों के लिए भी दैनिक भत्ता उसी के अनुसार विनियमित किया जाएगा । किसी भी ऐसे ऐ दिन के पड़ाव के बारे में एक ही दैनिक भत्ता स्वीकार्य है जिस दिन के लिए कोई व्यक्ति इन विनियमों के एक या एक से अधिक उपबंधों के अधीन ऐसे भत्ते के लिए हकदार है ।

(iii) यात्राओं में लगाए समय के लिए डीए की केवल सामान्य दर स्वीकार्य होगी। यदि मुख्यालय से कुल अनुपस्थिति अंशतः यत्राओं या सामान्य इलाकों में और अंशतः महंगे इलाकों में गुजारी गई हो। डीए या तो पहले यात्राओं यात्राओं में गुजारे गए समय के लिए और उसके बाद महंगे इलाके में गुजारे गए समय के लिए या इसके विपरीत जो भी टूरींग अफसर के लिए लाभदायक होगा, स्वीकार्य होगा।

(iv) जिस दिन जिन दिनों कोई व्यक्ति अस्थायी ड्यूटी पर हो और उसे आवास और भेजन निःशुल्क प्रदान किया जाए, उस दिन (उन दिनों) के लिए वह व्यक्ति केवल 1/4 दैनिक भत्ता लेगा। यदि उसे भोजन आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो वह उस दिन ।उन दिनों। के लिए 1/2 दैनिक भत्ता लेगा। यदि उसे केवल आवास ही निःशुल्क प्रदान किया जाए तो उस दिन (उन दिनों) के लिए वह केवल 3/4 दैनिक–भत्ता लेगा।

जो व्यक्ति अस्थायी ड्यूटी के दौरान सर्किट हाउस/निरीक्षण बंगलों/रेस्ट हाउसों आदि में ठहरता है और वहां ठहरने के लिए उसे कोई प्रभार अदा नहीं करने पड़ते लेकिन पानी, बिजली, फर्नीचर, सफाई आदि सेवाओं के लिए उसे अनिवार्य प्रभार अदा करने पड़ते हैं, तो उसके संबंध में यह नहीं माना जाएगा कि वह स्थान उसे निःशुल्क मिला था और इसलिए उसके दैनिक भत्ते से कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

लेकिन उन व्यक्तियों को कोई दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा जिन्हें फील्ड सेवा रियायती क्षेत्रों में सरकारी खर्च पर आवास और भोजन प्रदान किया जाएगा ।

किसी ऐसे इलाके में जहां उपर उल्लिखित प्रकार का नियमित स्थान उपलब्ध न हो, यदि किसी तम्बू या अन्य किसी प्रकार की अस्थायी संरचना में निःशुल्क काम चलाउ स्थान प्रदान किया जाता है तो उसे "निःशुल्क आवास" नहीं माना जाएगा और इस प्रकार के काम चलाउ आवास की व्यवस्था से व्यक्तियों के दैनिक भत्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(v) (क) किसी भी उस दिन के लिए दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा जिस दिन व्यक्ति अपने मुख्यालय के "ड्यूटी स्थल" से 8 किलोमीटर

अर्ध–व्यास के परे किसी स्थल अर्थात् नियोजन के स्थान/कार्यालय पर न पहुंचे और वहां से मुख्यालय के ड्यूटी पर तैनात किया जाए और उसे अपने निवास स्थान से सीधे वहां प्रस्थान करने के लिए कहा जाए तो उसे दैनिक भत्ता दिया जाएगा बशर्ते कि उसके निवास–स्थान से उसके सामान्य ड्यूटी स्थल तक की दूरी को घटाकर अस्थायी ड्यूटी स्थल तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा की गई यात्रा की कुल दूरी 8 किलोमीटर से अधिक हो।

टिप्पणी: "8 किलो मीटर की दूरी" से अभिप्राय सबसे छोटे व्यवहार्य मार्ग द्वारा 8 किलो मीटर की उस दूरी से है जिससे व्यक्ति अपने गन्तव्य स्थान पर यात्रा के किसी सामान्य– साधन से पहुंच सके।

(v) (ख) कार्मिक सेवा के मामलों में पथ अधिकारी के नीचे के स्तर के लिए अस्थायी कार्यस्थल पर ठहरने के लिए मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार से देय होगा :

यदि निःशुल्क बोर्डिंग सहित देने पर	डीए का 25%
निःशुल्क बोर्ड के साथ	डीए का 50%
न दिये जाने पर	और राशन का पैसा

(v) (ग) भारतीय नौसेना के जहाजों पर अस्थाई सेवा पर रखे हुए नाविकों के महंगाई भत्ते निम्न प्रकार देय होंगे :—

(i) यदि निःशुल्क बोर्ड और लॉजिंग दिया हो	डीए का 25%
(ii) जब निःशुल्क बोर्ड नहीं दिया गया हो	डीए का 50% और राशन का पैसा

(vi) यदि अस्थायी ड्यूटी का स्थान सामान्य ड्यूटी के स्थान से 8 कि0 मी0 से अधिक न हो तो स्थानीय यात्रा के लिए यात्रा भत्ता स्वीकार्य होगा भले ही व्यक्ति ने यात्रा अपने निवास से की हो अथवा सामान्य ड्यूटी के स्थान से ।

स्थानीय यात्राओं के लिए दैनिक भत्ते, इस नियम के खंड (ii) में दी गई दरों के आधे होंगे।

टिप्पणी 1: एक नगर–क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय स्थित हैं, की यात्राएं स्थानीय यात्राएं मानी जाएंगी।

टिप्पणी 2: "स्थानीय यात्रा" से आशय उस यात्रा से है जो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर या उस नगर के अंदर की जाए जिसमें ड्यूटी स्थल हो, इसमें वे यात्राएं शामिल होंगी जो उप–नगरीय या अन्य नगर पालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों या छावनी या नगर अथवा शहर की नगर पालिका/निगम से संलग्न सीमाओं के अंदर की जाएं जिसमें ड्यूटी स्थल हो ।

उदाहरण : चूंकि नगर पालिका फरीदाबाद दिल्ली नगर पालिका के निकट स्थल है इसलिए नगर पालिका फरीदाबाद और दिल्ली नगर पालिका के बीच की गई यात्राओं को स्थानीय यात्राएं माना जाएगा ।

टिप्पणी 3: जो व्यक्ति दिल्ली, शिमला, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता में और उसके आसपास ऐसी परिस्थितियों में यात्रा करें जो उन्हें दैनिक भत्ते का हकदार बनाएं, वे व्यक्ति दैनिक भत्ते की सामान्य दरों के हकदार होंगे ।

टिप्पणी 4: "स्थानीय यात्राए" (अर्थात् उप–नगरीय समूह/नगर पालिका अथवा निकटस्थ नगर पालिका आदि की सीमाओं के अंदर 8 किलो मीटर से अधिक दूर ती की जाने वाल यात्राएं, जिसमें सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय स्थित है), साधारणतया उसी प्रकार पूरी की जानी चाहिए जैसे सेवा कार्मिक सिविलियन अपनी ड्यूटी के स्थान पर जाने के लिए करते हैं अर्थात् बस, स्थानीय रेल गाड़ियों अथवा अपने निजी वाहन द्वारा । जहां टैक्सी, स्कूटर आदि द्वारा सवारी के विशेष साधनों द्वारा यात्रा आवश्यक समझी जाए, वहां उच्च अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए और ऐसे मामालों में उसी स्थान पर यदि एक से अधिक सेवा कार्मिक/सिविलियनों को ड्यूटी पर लगाया जाता है तो जहां तक संभव हो उन्हे टैक्सी अथवा स्कूटर या अन्य वाहन के भाड़े को आपस में बांट कर साथ–साथ यात्रा संपन्न करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो ऐसी यात्रा करने के लिए सबको एक सामान्य स्थान पर एकत्र होना आवश्यक हो तो स्थानीय यात्राओं के लिए बस/रेल किराए अथवा मील–भत्ते को वास्तविक दूर तक की गई यात्रा अथवा सामान्य ड्यूटी स्थल अथवा अस्थायी ड्यूटी स्थल के बीच की दूरी अथवा जो भी कम हो के हिसाब से विनियमित किया जाएगा।

जिन मामलों में जहां सेवा कार्मिक/सिविलियन को एक स्थायी ड्यूटी स्थल पर 180 दिनों से अधिक दिन तक ड्यूटी करना अपेक्षित हो उनमें दैनिक भत्ता देय नहीं होगा । ऐसे मामालों में अस्थायी ड्यूटी स्थल को संबंधित कर्मचारी का अस्थायी मुख्यालय माना जाएगा। उपर्युक्त शर्त उन मामलों में भी लागू होगी जहां कोई एक कार्य दो से अधिक पारियों में पूरा होता है और अस्थायी ड्यूटी स्थल पर ड्यूटी की कुल अवधि 180 दिनों से अधिक है । फिर भी अस्थायी ड्यूटी पर व्यतीत किए गए सभी दिनों के लिए मील–भत्ता देय होगा।

टिप्पणी 5: दैनिक–भत्ता उस व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जिसे उसके मुख्यालय स्टेशन पर स्थित केन्द्रों/संस्थाओं पर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया हो, भले ही उसके सामान्य ड्यूटी स्थल और उन केन्द्रों/संस्थाओं के बीच की दूरी कितनी

ही क्यों न हो जहां उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया हो, क्योंकि ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं को उसके प्रशिक्षण के दौरान उसका अस्थायी मुख्यालय माना जाएगा । किसी भी व्यक्ति को उस दिन का भी दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा जिस दिन उसे प्रशिक्षण संस्थाओ द्वारा उसी स्टेशन के किसी अन्य स्थान पर अध्ययन/प्रशिक्षण आदि के लिए तैनात किया गया हो और वह व्यक्ति अपने निवास–स्थान से सीधे उस स्थान पर जाए या जब उसे किसी अन्य दिन अपने प्रशिक्षण के संबंध में उचित आदेशों पर मुख्यालय स्टेशन में ही दो या अधिक स्थानों पर उपस्थित रहना पड़े।

(vii) हालांकि दैनिक भत्ता अस्थायी ड्यूटी के दौरान पड़ेने वाली छुट्टियों के लिए स्वीकार्य है तो भी यदि व्यक्ति प्रतिबंधित और आकस्मिक छुट्टियों का लाभ उठाता है तो उसे दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा लेकिन यदि वह नियमों के अधीन अनुमत्य आधे दिन की छुट्टी लेता है तो उसे आधा दैनिक भत्ता स्वीकार्य होगा।

(viii) टूर या अस्थाई स्थानांतरण या अटेंचमेंट के दौरान सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय से बाहर के स्थानों पर लगातार ठहरने के पहले 180 दिन के लिए पूरा डीए स्वीकार्य होगा। इससे अधिक अवधि के लिए कोई डीए स्वीकार्य नहीं होगा और इस प्रकार के मामलों में उचित यही रहेगा कि उनके जरूरी स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएं।

(ix) जब तक अफसर वास्तविक रूप से, न कि औपचारिक रूप से कैम्प में मौजूद न रहे तब तब उसक चाहे रविवार हो या छुट्टी का दिन हो, किसी भी दिन के लिए दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(x) सक्षम प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को दौरे, अस्थायी ड्यूटी, प्रशिक्षण और स्थानांतरण आदि यात्राओं पर मार्ग में मजबूरन होने वाले ऐसे पड़ावों की अवधि के लिए दैनिक भत्ते की मंजूरी निम्न प्रकार करेंगे जो बाढ़, वर्षा, भारी हिमपात, भूमि स्खलन आदि से मार्ग अवरूद्ध होने के कारण संचार व्यवस्था भंग होने अथवा जलपोतों के देर से चलने अथवा हवाई उड़ान की प्रतीक्षा के कारण जरूरी हों :

(क) दौरे, अस्थायी ड्यूटी और प्रशिक्षण के सिलसिले में की गई यात्राओं के मामले में मार्ग में मजबूरन रूकने की अवधि की दैनिक भत्ते की मंजूरी के लिए मुख्यालय से अनुपस्थिति की पूरी अवधि में शामिल किया जाएगा तथापि, मजबूरन रूकने की अवधि सहित यात्रा की पूरी अधिक के लिए दैनिक भत्ता नियम 114ए की तालिका "ख" में दी गई सामान्य दरों पर देय होगा।

(ख) मजबूरन रूकने के लिए दैनिक भत्ते की मंजूरी उपर्युक्त खंड (viii) के उपबंध के अधीन दी जाएगी ।

(xi) जब निःशुल्क राशन के लिए पात्र सेवा सेवा अफसर अस्थायी ड्यूटी पर जाते हैं तो उनके दैनिक भत्ते में से राशन की लागत कम कर दी जाएगी ।

(xii) जिन सैन्य कार्मिकों को फील्ड क्षेत्रों में निःशुल्क बोर्डिंग और लॉजिंग दी जाती है और जो कम्पनसेटरी फील्ड एरिया भत्ता या कम्पनसेटरी मोडिफाई फील्ड एरिया भत्ते के पात्र नहीं होते पीस एरिया से फील्ड एरिया में जाने पर 25 प्रतिशत डीए स्वीकार्य होता है।

टिप्पणी: सरकारी वाहन का कोई सिविलियन ड्राइवर जो अपने प्रभार में सरकारी वाहन द्वारा "स्थानीय यात्रा" करता है, अथवा दौरे पर जाता है, इस नियम के अंतर्गत यात्रा भत्ता ले सकता है, भले ही उस यात्रा के कारण उसे कार्यालय से कम से कम एक रात्रि के लिए अनुपस्थित न रहना पड़ा हो । उपर्युक्त यात्रा के लिए ड्राइवरों द्वारा यात्रा भत्ता इस शर्त के अधीन लिया जाएगा कि जिस अवधि का दैनिक भत्ता लिया जाएगा, उस अवधि के लिए समयोपरि भत्ता देय नहीं होगा। फिर भी विविलियन ड्राइवर अपनी इच्छानुसार, जिस दिन ऐसी यात्राएं की गई हों, के लिए समयोपरि भत्ता नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य समयोपरि भत्ता अथवा दैनिक भत्ता ले सकता है । ऐसे ड्राइवरों के मामले में, जिनके कार्य के नियत साप्ताहिक घंटे होते हैं और जो अथवा उसी दिन दौरे से प्रधान कार्यालय वापस आने के लिए अपने प्रभार के वाहन में "स्थानीय यात्रा" करते हैं 8 घंटें से अधिक की अवधि को, जिसके लिए दैनिक भत्ता लिया गया है, समयोपरि भत्ते की स्वीकृती के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए बशर्ते कि वे अपने विकल्प के अनुसार किसी दिन के लिए दैनिक भत्ता न लेकर उन पर लागू होने वाले समयोपरि भत्ता नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य समयोपरि भत्ता ले सकते हैं ।

114क. दैनिक–भत्ते की दरे :

एम एन एस अफसरों, मिडशिप में और ऑनरी कमीशनधारी जेसीओ और उनके समकक्षों और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक और सिविलियनों सहित सैन्य अफसरों के लिए डीए निम्नानुसार है:

ग्रेड पे	दैनिक भत्ता
सेनाध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सैन्य कमांडर और समकक्ष/डीजीए एफ एम एस और अधिकारी जो ₹ 10000 और अधिक ग्रेड पे ले रहे हैं।	प्रतिपूर्ति: (क) होटल एकोमोडेशन/गेस्ट हाऊस ₹ 5000 प्रति दिन तक

ग्रेड पे	दैनिक भत्ता
	(ख) शहर के अन्दर यात्रा के लिए 50 किमी तक एसी टैक्सी भाड़ा
	(ग) खाने के बिल ₹ 500 से अधिक नहीं
₹ 7600 से 9000 ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी	प्रतिपूर्तिः (क) ₹ 3000 प्रति दिन तक का होटल ऐकोमोडेशन (ख) शहर के अन्दर यात्रा के लिए 50 किमी तक नॉन एसी टैक्सी भाड़ा (ग) खाने के बिल ₹ 300 से अधिक नहीं
₹ 5400 से 6600 ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी	प्रतिपूर्तिः (क) ₹ 1500 प्रति दिन तक का होटल ऐकोमोडेशन (ख) शहर के अन्दर यात्रा के लिए 150 किमी तथा प्रतिदिन टैक्सी भाड़ा (ग) खाने के बिल ₹ 200 से अधिक नहीं
₹ 4200 से 4800 ग्रेड पे लेने वाले कार्मिक	प्रतिपूर्तिः (क) ₹ 1500 तक प्रति दिन होटल ऐकोमोडेशन (ख) शहर के अन्दर यात्रा के लिए 100 रुपया टैक्सी भाड़ा (ग) खाने के बिल ₹ 150 प्रतिदिन से अधिक नहीं
₹ 4200 से नीचे की ग्रेड पे लेने वाले कार्मिक	प्रतिपूर्तिः (क) ₹ 300 तक प्रति दिन होटल ऐकोमोडेशन (ख) शहर के अन्दर यात्रा के लिए 500 रुपया टैक्सी भाड़ा (ग) खाने के बिल ₹ 100 प्रतिदिन से अधिक नहीं

टिप्पणी 1: 3400 ₹ ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी वर्तमान में उपर (iv) के अनुसार डीए के पात्र होते हैं और उन्हीं शर्तों पर इसमें पात्र बने रहेंगे।

टिप्पणी 2: सरकारी शिप, नावों आदि पर ठहरने/यात्रा के लिए/दूरस्थ इलाकों में पैदल/खच्चरों से एफ एस आई, सर्वे ऑफ इण्डिया, जी एस आई आर संगठन में वैज्ञानिक/डाटा एकत्रीकरण परियोजनाओं के लिए डीए खाने के बिल के लिए दिए जाने की समकक्ष दर दिया जाएगा। फिर भी इस मामले में भुगतान इस पर हुए वास्तविक खर्च को ध्यान मे रखे बिना विभाग प्रमुख/ नियंत्रणकर्ता अफसर के अनुमोदन से मंजूर किया जाएगा। पैदल यात्रा के लिए 5₹ प्रति किमी पैदल यात्रा भत्ता अतिरिक्त रुप से दिया जाएगा।

टिप्पणी 3: पैदल यात्रा के लिए दर सहित मील दूरी भत्ता, होटल एकोमोडशन भाड़ा, टैक्सी भाड़ा, खाने का बिल जब अपने आप 25% की बढोतरी हो जाएगी रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर पर देय डीए 50% तक पहुँच जाता है।

टिप्पणी 4: अधिकारी यदि उपलब्ध हों तो अधिमान्यतः सर्किट हाउस, मैसों, सरकारी गेस्ट हाउसों, निरीक्षण बंगलों मे रह सकते हैं।

टूर पर डीए की दर सैन्य कार्मिकों और सिविलियनों द्वारा इच्छित दावों को रखते हुए ऊपर सारणी (**A**) में दिए छठे वेतन आयोग की परिशोधित दरों के प्रावधानों/परिशोधित दरों के जारी होने से पहले प्रचलित पुरानी दरों के अनुसार तय की जा सकती है।

यह विकल्प विशिष्ट टूर के लिए पूरे पैकेज के रुप में उपलब्ध होगा न कि किसी एक भाग के लिए। दूसरे शब्दों में सैन्य कार्मिक और सिविलियन चुनाव कर सकते हैं कि उन्हें डीए छठे वेतन आयोग के आदेशों के अनुसार दिया जाए या नीचे पैरा (बी) और (सी) में दी गई पुरानी दरों से दिया जाए।

(ख) जब सैन्य कार्मिक और सिविलियन सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के गेस्ट हाउस में ठहरते हैं/ अपनी स्वयं की व्यवस्था करते हैं तोः–

निम्नलिखित पे बैंड में परिशोधित वेतन	कॉलम (3), (4) और (5) में बताए इलाकों के अलावा अन्य इलाके	बी-1 श्रेणी की सिटी और महंगे इलाके	ए-1 श्रेणी की सिटी और विशेष रूप से महंगे इलाके	ए-1 श्रेणी के शहर
(1) ₹	(2) ₹	(3) ₹	(4) ₹	(5) ₹
30500 ₹ और अधिक	135	170	210	260
1500 ₹ और अधिक किन्तु 30,500 ₹ से कम	120	150	185	230
12500 ₹ और अधिक किन्तु 15000 ₹ से कम	105	130	160	200
8000 ₹ और अधिक किन्तु 12500 ₹ से कम	90	110	135	170
8000 ₹ से कम	55	70	85	105

(ग) जब सैन्य कार्मिक और सिविलियन होटल/अन्य स्थापनाओं में ठहरते हैं जो सूचीबद्ध टैरिफ और या लॉजिंग सुविधा देते हैं।

पे बैन्ड में परिशोधित वेतन	कॉलम(3), (4) और (5) में बताए इलाकों केअलावा अन्य इलाके	बी-1 श्रेणी की सिटी और महंगे इलाके	ए-1 श्रेणी की सिटी और विशेष रूप से महंगे इलाके	ए-1 श्रेणी के शहर
(1)	(2) ₹	(3) ₹	(4) ₹	(5) ₹
30500 ₹ और अधिक	335	425	525	650
1500 ₹ और अधिक किन्तु 30,500 ₹ से कम	225	330	405	505
12500 ₹ और अधिक किन्तु 15000 ₹ से कम	200	250	305	380
8000 ₹ और अधिक किन्तु 12500 ₹ से कम	130	160	195	245
8000 ₹ से कम	65	85	100	125

जब भी क्लेम को उपर (ग) में बताई दरों के अनुसरण में भेजा जाता है तो इसके साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र लगाया जाना चाहिए और होटल/ स्थापना आदि में ठहरने संबंधी बाउचर डीए क्लेम/ दावे के साथ लगाए जाने चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ———— ——— तिथि ———— से ———- तिथि ———— तक ———— में

में ठहरा (होटल/स्थापना आदि का नाम) (स्थान का नाम) जिसमें बोर्ड/लॉजिंग की सुविधा अनुसूचित दरों पर मिलती है और/या यह फुल पब्लिक टैरिफ वसूला जाता है।''

टिप्पणी: होटल आदि में ठहरने के लिए दैनिक भत्ता सारणी (बी) में दर्शाए अनुसार सम्बन्धित इलाके के लिए निर्धारित दर 10 प्रतिशत घटाकर स्वीकार्य होगा। कार्मिक द्वारा प्रत्येक कैलेंडर दिवस पर खर्च किए लाजिंग चार्ज (नाश्ते/खाने को छोड़कर) इस शर्त पर दिए जाएंगे कि इस तरह प्रतिदिन के लिए परिकलित कुल डीए उपर (ग) में उस इलाके के लिए बताई दरों से अधिक नहीं होगा।

जब एक ही कमरे में एक से अधिक सरकारी कर्मचारी ठहरते हैं तो लॉजिंग भाड़े के बराबर–बराबर हिस्से उसका लॉजिंग चार्ज माना जाएगा और उसके लिए डीए उपर बताए तरीके से परिकलित किया जाएगा।

रेलवे रिटायरिंग कक्षों के ठहरने के लिए डीए उपर बताए प्रावधानों के अनुसार ही विनियमित होगा।

टिप्पणी 1(क): यदि कार्मिक सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के गेस्ट हाउस में ठहरता है और उपर सारणी (बी) के अन्तर्गत सम्बन्धित इलाके में उसे दिए जाने वाले डीए से 25 प्रतिशत अधिक लॉजिंग चार्ज देता है तो उसे डीए निम्नलिखित रुप से स्वीकार्य होगा–

(i) संबंधित इलाके के लिए सारणी (ख) में बताए डीए की निर्धारित दर को 25 प्रतिशत घटाया जाएगा और कार्मिक द्वारा प्रत्येक कैलेंडर दिवस के लिए सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के गेस्ट हाउस अथॉरिटी को दिए लॉजिंग चार्जों (नाश्ते/खाने को छोड़कर) को उसमें जोड़ा जाएगा।

(ii) संबंधित कार्मिक को उपर (i) में परिकलित राशि के बराबर का डीए स्वीकार्य होगा।

परन्तु उपर सारणी (ख) के अनुसार संबंधित इलाका के लिए वह कार्मिक जिस होटल का पात्र है, उससे अधिक होने पर इसे उसी दर तक सीमित कर दिया जाएगा।

टिप्पणी 2: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डीए की दरें अंडमान और निकोबार में तैनात स्टाफ को एक द्वीप से दूसरे तक टूर पर यात्राओं के लिए स्वीकार्य होगी और टूर तैनाती वाले द्वीप के अन्दर की "स्थानीय यात्राओं" और सड़क/समुद्र आदि द्वारा टूर पर यात्राओं पर बिताए समय के लिए डीए साधारण दरों पर स्वीकार्य होगा।

टिप्पणी 3: इस नियम को सारणी (ख) और (ग) के कॉलम 4 में उल्लिखित डीए की उच्च दर मणिपुर के उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हुए हैं। यह नियंत्रणकर्ता अधिकारी निर्णय लेगा की क्या विशेष पहाड़ी क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ता है या नहीं।

नगर/शहरों का वर्गीकरण दैनिक भत्ता की अधिकतम दर के उद्देश्य से

'ए–1' श्रेणी शहर

बृहत मुम्बई (श०इ०)	चेन्नई (श०इ०)
कोलकाता (श०इ०)	दिल्ली (श०इ०)
बंगालुरु (श०इ०)	हैदराबाद (श०इ०)

'ए' श्रेणी शहर

अहमदाबाद (श०इ०)	कानपुर (श०इ०)
लखनउ (श०इ०)	पुने (श०इ०)
जयपुर (श०इ०)	नागपुर (श०इ०)
सूरत (श०इ०)	

विशेषतः मंहगे इलाके:

दार्जलिंग जिला (अपवाद सिलीगुढ़ी उप–मण्डल);

दार्जलिंग शहर:

एन०ई०एफ०ए० इलाके, भीतरी रेखा के परे

नागा पहाड़ियां, तुइनसांगे इलाका, भीतरी रेखा के परे

हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित मंहगे/दूरस्थ इलाके:

लाहुल और स्पिति जिला, किन्नौर जिला; भारमौर उप–मण्डल और चम्बा जिला का पंगी उप–मण्डल;

पन्डरामी के परगना;

बाह्य सिरज और कुल्लु जिला के मालाना पंचायत इलाके;

मण्डी जिला का जोगिन्दर नगर तहसील की छुहहर घाटी;

सोलन जिला का मंगल पंचायत इलाका;

रोहरू तहसील का डोदराकवार इलाका;

चही–बिस के परगने, नाउबिस, बाराबिस, पंडराहबिस और अथाराहबिस;

साराहान और मुनिश की ग्राम पंचायत;

शिमला जिला का रामपुर तहसील के दारकली और काशपेट और

कांगड़ा जिला का पालमपुर उप–मण्डल के छोटा भनगल और बारा भानगल इलाके।

मणिपुर में निम्नलिखित पहाड़ी इलाके, जो राष्ट्रीय राजमार्ग में नहीं आते: उन्खुरुल, चूरचन्दपुर, तामेंनलौंग, जिरिबाम, माउ मारम और तेनगानामपल

'बी–1' श्रेणी शहर

असानसोल (श०इ०)	लुधियाना (श०इ०)
इलाहाबाद (श०इ०)	मदुराई (श०इ०)
अमृतसर (श०इ०)	मेरठ (श०इ०)
आगरा (श०इ०)	नासिक (श०इ०)
भोपाल (श०इ०)	पटना (श०इ०)
कोयमबतूर (श०इ०)	राजकोट (श०इ०)
धनबाद (श०इ०)	वडोदरा (श०इ०)
इन्दौर (श०इ०)	
जमशेदपुर (श०इ०)	

कोची (श.इ.)

वाराणसी (श.इ.)

विशाखापट्टनम (श.इ.)

विजयवाड़ा (श.इ.)

मंहगी बस्तियां:

शिमला:

लक्षद्वीप मिनिकाय और अमनदीवी द्वीप समूहों का सम्पूर्ण प्रदेश:

पूरा जम्मू और कश्मीर:

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह;

हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित इलाके;

मण्डी जिला का छछीइत तहसील का झनझेहली इलाका;

शिमला जिला का छोपाल तहसील;

सिरमौर जिला का ट्रांस–गिरी भू–भाग;

चम्बा तहसील का चुराह तहसील, कुन्नूरू पंचायत, बीलेज परगना, और

चम्बा जिला का सैलोनी तहसील;

कुल्लु जिला का मनाली उझी इलाका, पारवती और लाघ घाटी और बंजार ब्लाक।

115. पोतारोहण और पोतावरोहण के पत्तनों पर रोके जाने के दौरान स्वीकार्य दैनिक भत्ता :

सामान्य नियमों के अधीन दैनिक भत्ता उन दिनों के लिए स्वीकार्य होगा जिन दिनों के लिए निम्नलिखित के मामले में यात्रा–भत्ता किसी भी रूप में न लिया गया हो:

(क) निम्नलिखित स्थानों पर लोक–हित में अनिवार्यत: रोके गए व्यक्ति :

(i) भारत में पोतारोहण या पोतावरोहण का पत्तन। जितने दिन व्यक्ति रोका जाएगा, उतने दिनक का प्रमाण–पत्र संबंधित पोतारोहण प्राधिकारी देगा।

(ii) पत्तन को प्रस्थान करने के मार्ग में आया कोई स्थान ।

(ख) समुद्र में दुर्घटना के कारण खो गए किट आदि प्रतिस्थापन के प्रयोजन के लिए पोतावरोहण पत्तन पर रोके गए अफसर और परिचर्या अफसर। भत्ता जनरल अफसर कमांडिंग या पत्तन के पोतारोहण कमांडेंट के विवेक पर अधिकतम 7 दिनों की ऐसी अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा जो सर्वथा आवश्यक हो ।

टिप्पणी: उपर्युक्त नियम के अधीन दैनिक भत्ता उस व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होगा :

(i) जो किसी दूसरे समुद्री मार्ग की प्रतीक्षा करते समय अपने परिवहन के लिए तैनात जहाज पर आरोहण न करे जब तक कि देरी ऐसे कारणों से न हुई हो
जो उसके नियंत्रण के बाहर हों।

(ii) पोतारोहण के दिन के लिए।

(iii) जो अपने परिवार में बीमारी के कारण भारत में रोक लिया गया हो।

(iv) छुट्टी से लौटने के बाद तट स्थापना में रिपोर्ट करने के बाद उसी स्थापना में उस स्थिति में ठहरने की अवधि के लिए यदि जिस पोत में व्यक्ति को ले जाया जाना है, वह पोत अपने पत्तन से अस्थायी समय के लिए दूर कहीं और गया हो, जहां उस समय उसका होना निश्चित हो।

116. संलग्न अफसरों के रूप में नियुक्त अफसरों को स्वीकार्य दैनिक–भत्ता

जो अफसर रक्षा सेवा विनियमावली के अधीन थलसेना, वायुसेना कमान और एरिया

मुख्यालयों में या फार्मेशन या सब–एरिया के स्टाफ पर संलग्न अफसरों के रूप में नियुक्त किए जाएं और जो अस्थायी ड्यूटी मान पर संचलन करें वे पृथक् 20 दिनों के लिए पूरी दर पर और 42 दिनों तक 20 दिन के बाद के प्रत्येक दिनक के लिए आधी दर पर दैनिक भत्ते के पात्र होंगे । उपर्युक्त 42 दिन की कुल अवधि के बाद सभी अधिकारी निम्नलिखित शर्तों पर प्राधिकृत कार्य पर दैनिक भत्ता) दर पर मंजूर कर सकता है :

(क) सार्वजनिक सेवा के हित में दीर्घकालीन पड़ाव आवश्यक है।

(ख) सम्बद्ध अधिकारी या अतिरिक्त व्यय करने के लिए 1/2 दिन के बाद भी ऐसा पड़ाव जारी रहे।

(ग) कि कुल मिलाकर 90 दिन के बाद कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

117. रक्षा सेवा स्टाफ कालेज प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए कमान तैयारी स्टाफ कालेज कोर्स में भाग लेने के लिए अधिकारियों को देश यात्रा एवं दैनिक–भत्ता

विद्यार्थी अफसरों और अनुदेशकों दोनों जो अपने स्थाई स्टेशन के अलावा दूसरे स्टेशन पर कमान प्रीपरेटरी स्टाफ कॉलेज कोर्स में भाग ले रहें हो को टीए और डीए स्वीकार्य होगा। टीए/डीए का भुगतान डिफेंस सर्विस एस्टिमेट के संबंधित लेखा शीर्ष से निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) जहाँ निःशुल्क बोर्ड और लॉजिंग नहीं दिया जाता	(i) पहले 180 दिन पूरा डीए। (ii) 180 दिनों से अधिक शून्य।

(ख) जहॉ अनुदेशन या प्रशिक्षण के पाठ्यकम स्थल पर निःशुल्क बोर्ड और नॉजिंग दोनों में से कोई एक सुविधा दी गई हो।	डीए की राशि को समानुपातिक रुप से घटा दिया जाएगा।

118. व्यवसायिक विषयों में परीक्षा में बैठने के संबंध में स्वीकार्य दैनिक–भत्ता

(i) व्यवसायिक विषयों में परीक्षाओं के संबंध में, जिनमें स्टाफ कालेज की प्रवेश परीक्षाएं भी शामिल हैं, ड्यूटी पर (या उस ड्यूटी के दौरान आने वाली किसी छुट्टी के दिन) किए गए पड़ावों के लिए दैनिक भत्ता स्वीकार्य होगा भले ही व्यक्ति ने उन परीक्षाओं में बोर्ड के सदस्य, अधीक्षक अफसर, परीक्षक या परीक्षार्थी के रूप में भाग लिया हो । किन्तु दैनिक भत्ता निम्नलिखित को स्वीकार्य नहीं होगा :––

(क) उस व्यक्ति को जो स्टेशन पर जहां परीक्षा ली गई हो, छुट्टी पर हो, और

(ख) उस व्यक्ति को जो किसी ऐसे विषय में जिसमें वह एक बार फेल हो चुका हो, फिर बैठने के लिए किसी परीक्षा में शामिल हो, बशर्ते कि उसे कमान के बाहर किसी ऐसे स्टेशन पर परीक्षा में बैठन के आदेश न दिए गए हों जहां वह तैनात हो ।

(ii) ऐच्छिक भाषाई परीक्षाओं के लिए दैनिक–भत्ता केवल बोर्ड के सदस्यों, अधीक्षक अफसरों या परीक्षकों को ही स्वीकार्य होगा ।

टिप्पणीः स्टाफ कालेज की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाला कोई भी अफसर उपर्युक्त (i) (क) की शर्तों के अधीन प्रत्येक उस अवसर पर दैनिक भत्ते का पात्र होगा जिस अवसर पर उसे नियम 124 के अधीन निःशुल्क सवारी स्वीकार्य हो ।

119. अस्थायी ड्यूटी यात्राओं पर यात्रा–भत्ते की हकदारी

(क) सेना के अफसर

जब सेना के अफसर जिनमें सैनिक परिचर्या के अफसर/मिडशिपमैन/जूनियर कमीशन अफसर और कमीशन अफसरों के रूप में अवैतनिक रैंक धारण करने वाले उनके समतुल्य अस्थायी ड्यूटी पर संचलन करेंगे तब वे निम्नलिखित के हकदार होंगे ।

(i) वाहनः स्थाई ड्यूटी पर यात्राओं की तरह।

टिप्पणीः रेल से जुड़े स्थानों के बीच अपनी ही सवारी से की गई यात्राओं के लिए, नियम 40 के नीचे की टिप्पणी 2 देखें।

(ii) दैनिक–भत्ताः नियम 114 और 114 क में बताए अनुसार।

(iii) सामान :

(1) जब यूनिट या फार्मेशन से और तक की यात्रा वारंट पर की जाती है जिसके लिए कार्मिक को फील्ड सर्विस रियायत मिलती है।	65 कि0ग्रा0 अन्यथा रेलवे फी एलाउंस।

(2) एक शांति स्टेशन से दूसरे के लिए 180 दिन से कम की अवधि के अनुदेशन पाठ्यकम के लिए नियुक्त सर्विस अफसरों को सरकारी खर्चे पर 20 कि0 ग्रा0 लगेज ले जाने की पात्रता होगी इसके लिए 40 कि0 ग्रा0 से अतिरिक्त का बैगेज रेलवे फी एलाउंस के रुप मे मान्य होगा।

(ख) अफसर के रैंक से नीचे के सेना के कार्मिक

अस्थायी ड्यूटी पर यात्राओं के लिए यात्रा की हकदारी निम्नलिखित रूप में होगी :

(i) सवारी : स्थायी ड्यूटी पर यात्राओं के सामान।

(ii) सामान : 40 किलोग्राम या रेल में सामान की छूट।

(iii) रास्ते के खर्चः नियम 114 ए के अनुसार।

(iv) निजी सवारी का परिवहनः जब किसी सक्षम प्राधिकारी को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि किसी दूसरे स्टेशन को अस्थायी ड्यूटी पर संचलन करने वाले द्वितीय या तृतीय ग्रेड के किसी व्यक्ति के पास अपने कार्य के दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिए मोटर साइकिल या साइकिल का होना लोक सेवा के हित में है तो वह प्रत्येक मामले में विशेष आदेश देकर उसकी मोटर साइकिल या साइकिल को उसके अस्थायी ड्यूटी स्टेशन पर यथास्थिति रेल, सड़क या जहाज से जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार भेजने की अनुमति दे सकता है ।

टिप्पणी 1: बिग्रेड, सब एरिया, स्वतंत्र सब एरिया या एरिया कमांडर भी सेना के कार्मिकों (सेना और सिविलियन) के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो इस नियम में सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की गई हैं।

टिप्पणी 2: जिन मामलों में सरकारी खर्च पर साइकिल का परिवहन इस नियम के अधीन स्वीकार्य हो, उन मामलों में उसके स्थान पर भाड़ा लिया जा सकता है लकिन यह भाड़ा बहिर्यात्रा और वापसी यात्रा पर साइकिल के परिवहन की लागत से अधिक नहीं होगा और रसीदों पर आधारित होगा और उन रसीदों पर अस्थायी ड्यूटी स्टेशन पर संबंधित व्यक्ति का कमान अफसर प्रतिहस्ताक्षर करेगा ।

(ग) सिविलियन अस्थायी ड्यूटी पर यात्राओं के लिए यात्रा की हकदारी इस प्रकार होगी :

(i) परिवहनः जैसा स्थाई ड्यूटी पर है।

(ii) दैनिक भत्ताः नियम 114 और 114ए के अनुसार जो भी लागू है।

(iii) सामानः

₹ 5400/– और अधिक ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी।	सैन्य अफसरों के अनुसार
₹ 5400/– स कम ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी।	रेलवे द्वारा प्रदत्त छूट

(iv) निजी वाहन से परिवहन : ₹ 2400 से ₹ 4800 तक ग्रेड पे लेने वाले सिविलियनों की उपर नियम (बी)(iv) में बताये अनुसार पात्रता होगी।

119–क. वायुसेना के अफसरों की अस्थायी ड्यूटी पर अन्य यूनिटों में जाने पर स्वीकार्य दैनिक भत्ता

भारतीय वायुसेना के अफसरों के अस्थायी संचलन (प्रशासनिक सुविधा के लिए सम्बद्धीकरण पर जाना अभिकथित) पर बाहर ड्यूटी करने यथा लेखांकन, बीज लेखन, वायु संपर्क दल, संकेत कार्यों, वायु यातायात नियंत्रण, चिकित्सा और समुद्री संकिया कक्षा आदि पर जाने पर वे नियम 114 के साथ पठित नियम 119 के अधीन दैनिक भत्ते के हकदार होंगे बशर्ते कि जिस यूनिट से अफसर संबद्ध है वह उसकी यूनिट के कंपनी संख्या बल से कम नहीं है ।

टिप्पणीः कंपनी संख्या बल का अर्थ है — वायुसेना के मामले में एक फ्लाइट और नौसेना के मामले में एक टुकड़ी जो 100 व्यक्तियों से कम की नहीं हो।

119–ख. राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैम्पों (शिविरों) में उपस्थित होने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर में तैनात नियमित सेना अफसरों को दैनिक भत्ता

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैम्पों (शिविरों) में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर में तैनात नियमित सेना अफसर नियम 114क में निर्धारित दरों के 1/4 की दर से दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

120. रिक्त

121. युक्ति चालन या प्रशिक्षण कैम्प ।इनमें तोपखाना अभ्यास कैम्प, सैन्यदल सहित या बिना सैन्यदल के सामरिक अभ्यास, स्टाफ अभ्यास आदि शामिल हैं। को जाने या वहां से लौटने के लिए की गई यात्राओं के लिए दैनिक भत्ता

(क) जो व्यक्ति प्रशिक्षण कैम्पों, अभ्यासों, प्रदर्शनों और स्थानीय पाठ्यकमों में भाग लेने के लिए दोनों ओर से संचलन करते हैं, वे व्यक्ति रेल वारंट पर यात्रा करेंगे । प्रशिक्षण अनुदान की व्यवस्था करने वाला अफसर और/या ब्रिगेड कमांडर या उससे उच्च कोई कमांडर या वर्ग "क" स्थापना का कमांडेंट यात्रा में किए गए वास्तविक खर्च की मंजूरी दे सकता है लेकिन यह वास्तविक खर्च सामान्य नियमों के अनुसार दैनिक भत्ते की दरों तक सीमित होगा ।

जिस व्यक्ति के लिए रेल वारंट पर यात्रा करना जरूरी हो, यदि वह व्यक्ति रेल वारंट पर यात्रा न कर ऐसे किसी अन्य साधन से यात्रा करता है जिसमें उसे खर्च करना पड़े तो उसे वारंट की लागत की वापसी के लिए मंजूरी दी जा सकती है।

(ख) लेकिन निम्नलिखित व्यक्ति सामान्य नियमों के अनुसार अस्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता ले सकते हैं :

(i) थलसेना मुख्यालय पर स्टाफ अभ्यास में भग लेने वाले अफसर ।

(ii) प्रशिक्षण मामलों में सहायता करने के लिए तैनात सिविलियन जिनमें सभी सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे ।

(iii) नीचे लिखे अफसरों को छोड़कर अन्य सभी अफसर, जो तोपखाना अभ्यास कैम्पों में भाग लें :

(1) वे जो यूनिटों के साथ या यूनिटों की टुकड़ियों के साथ भाग लें, और

(2) वे जो अनुदेशों के प्रयोजन से दर्शकों की भांति भाग लें।

(iv) थलसेना मुख्यालय या कमांड, एरिया, सब–एरिया या ब्रिगेड मुख्यालय के अफसर या वे अफसर जो सकिय फार्मेशन मुख्यालय की नफरी पर हों और पदीय हैसियत से उदाहरण के लिए निरीक्षण पर या दर्शकों के रूप में युक्ति चालन में भाग लेने के लिए तैनात किए गए हों ।

(ग) उपर खंड (क) में उल्लिखित और खंड (ख) (iii) के अपवाद व्यक्तियों को छोड़कर कैम्प की अवधि का दैनिक मेस भत्ता सेना के अफसरों की वेतन तथा भत्ता नियमावली के संगत नियमों से विनियमित होगा ।

122. ई0 एम0 ई0 तथा ए0 ओ0 सी0 कार्मिकों को — मापकों, औजारों, रिकार्डों आदि के परिवहन के सम्बन्ध में प्रासंगिक खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाने वाले विशेष भत्ता

(क) एक ई एम ई अफसर निरीक्षण ड्यूटी पर अपने स्थायी स्टेशन से अनुपस्थित होता है तो ;जिसमें अभ्यास कैंपों की उपस्थिति शामिल है उन्हें गाजों, औजारों, रिकार्डों आदि के लिए होने वाले प्रासंगिक व्यय को कवर करने के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर विशेष भत्ता मिलेगा।

(ख) जेसीओ, ओ आर, एन एस सी (ई), सिविलियन सुपरवाइजर, तकनीकी सहायक, फोरमैन तथा उपर्युक्त खण्ड (क) के संदर्भानुसार ई एम ई अफसर की ओर से निरीक्षण ड्यूटी पर तैनाती के दौरान ई एम ई के चार्ज हैंड तथा जे सी

ओ, ओ आर, एन सी (ई), सुपर वाइजर टेक्नीकल ग्रेड I/II/III, सहायक, फोरमैन तथा ए ओ सी के चार्जहैंड को मोबाइल एम्यूनिशन रिपेयर सेक्शन में तैनाती के दौरान सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर विशेष भत्ता मिलेगा।

टिप्पणी: उपर्युक्त उपबंध विशाखापत्तनम और कोची के कमान परिवहन वर्कशाप भूतपूर्व ई0 एम0 ई0 के तदनुरूप नौसेना कार्मिकों (सेना और सिविलियन दोनों) पर भी लागू होंगे।

123. अनुदेश पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए स्वीकार्य दैनिक भत्ता

(i) अपने स्टेशन से अलग स्थान पर विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षक के रूप में प्राधिकृत अनुदेश पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजा गया अथवा अनुमति प्राप्त व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार से दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा बशर्ते यात्रा नियम 91 के अधीन स्थायी के रूप में वर्गीकृत न की गई हो:

(क) जहॉ मुफ्त भोजन और आवास उपलब्ध न हो	(i) पहले 180 दिनों के पूरा डीए। (ii) 180 दिनों के बाद कुछ नहीं।
(ख) जहॉ शिक्षण मुफ्त भोजन और आवास अथवा कोर्स या प्रशिक्षण के स्थान पर दोनों सुविधाओं में से कोई प्रदान की जाती हो।	दैनिक भत्ते की मात्रा यथानुपात घटा दी जाएगी।

(ii) कोर्स या आयोजन यदि दो अलग स्टेशनों में किया जाता है तो कोर्स की अवधि चाहे जो भी हो प्रत्येक स्टेशन पर अलग–अलग 180 दिनों तक का पूरा दैनिक भत्ता स्वीकार्य होगा।

यदि प्रत्येक स्टेशन पर कोर्स की अवधि 180 दिनों से अधिक हो जाती है तो कार्मिक को दौरे (टूर) के समान यात्रा भत्ता प्राप्त करने के विकल्प इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।

(iii) सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों में जो आवासीय हों और जहॉ प्रशिक्षण संस्थानों में बोर्ड और लॉजिंग अनिवार्य है और वहॉ ऐसे प्रशिक्षण या कोर्स पर भेजे गए सरकारी कर्मचारियों को दैनिक भत्ते के स्थान पर कोर्स की अवधि चाहे जो भी हो विशेष भत्ता निर्धारित दरों पर नीचे दिए अनुसार देय होगा:

(क) स्टेशन से बाहर के प्रतिभागी	बोर्डिंग तथा लॉजिंग (भोजन तथा आवास) पर वास्तविक खर्च और पूरे डी ए का 1/4
(ख) स्थानीय प्रतिभागी	केवल बोर्डिंग तथा लॉजिंग (भोजन तथा आवास) पर वास्तविक खर्च

123–अ. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा विभिन्न संस्थानों में प्रयोजित प्रशिक्षण का कार्यक्रम (दोनों योजित एवं आयोजित) में भाग लेने वाले रक्षा सिविलियनों को दैनिक भत्ते के स्थान पर विशेष भत्ता

समय–समय पर डी ओ पी टी द्वारा घोषित दरों के अनुसार विविध प्रशिक्षण संस्थानों में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग; डी ओ पी टी तथा प्रशासनिक सुधार, गृह मंत्रालय के प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा प्रायोजित योजना से इतर योजना में शामिल दोनों प्रकार के विविध आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे प्रबंधन विकास कार्यक्रम, कार्यकारी विकास कार्यक्रम, सरकार में प्रबंधन इत्यादि में हिस्सा लेने वाले स्टेशन से बाहर के रक्षा सिविलियन प्रतिभागियों को डी ए के बदले विशेष भत्ता दिया जाएगा।

टिप्पणी 1: उपर्युक्त विशेष भत्ता केवल ऐसे स्टेशन से बाहर के प्रतिभागियों को देय होगा जो संस्थानों द्वारा मुहैया कराई गई भोजन तथा आवास सुविधाओं का अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। जिन्हें संस्थान से बाहर ठहरने की अनुमति है। केवल सामान्य नियमों के तहत स्वीकार्य डी ए ही दिया जाएगा।

टिप्पणी2: इन कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किए गए स्थानीय प्रतिभागी जो कि संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई भोजन तथा आवास सुविधाओं का स्वयं लाभ उठाते हैं, वे ऐसे स्थानीय प्रतिभागियों को प्रतिदिन देय अधिकतम प्रतिपूर्ति की सीमा के अधीन भोजन व आवास पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

124. पाठ योजना और परीक्षाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सवारी–भत्ता

(i) जिन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से किसी में भाग लेने का आदेश या अनुमति दी गई हो, उन व्यक्तियों को ही सवारी भत्ता स्वीकार्य होगा, भले ही वे पास हों या फेल :

(क) प्राधिकृत अनुदेश पाठ योजना।

(ख) व्यवसायिक विषयों की कोई परीक्षा।

(ग) किसी भारतीय या विदेशी भाषा की कोई भाषा परीक्षा जिसमें विदेशी भाषाओं की द्विभाषिता परीक्षा भी शामिल है।

(घ) भाषा पुनःयोग्यता परीक्षा।

(ii) उपर (i) में प्राधिकृत सवारी उस समय तक एक ही पाठ योजना या परीक्षा के लिए केवल एक ही बार स्वीकार्य होगी, जब तक कि संबंधित व्यक्ति बीमारी या आपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अपना नाम वापस लेने के लिए बाध्य न हो जाए या उसे कमान से बाहर के किसी ऐसे स्टेशन पर परीक्षा में बैठने के लिए आदेश न दिया जाए (कमान से बाहर से आशय सेना की कमान से है) और केवल सेना के अफसरों के लिए ही लागू होती है, जहां वह तैनात हो या किसी सेना के अफसर या वायु सेना के अफसर को उसी पाठ योजना में दूसरी बार भाग लेने के लिए तैनात न किया जाए जिसमें वह चार वर्ष पहले योग्यता प्राप्त कर चुका हो या उसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पाठ योजना में भाग लेने के लिए आदेश न दिया जाए जिससे वह किसी पूर्व पाठ योजना में प्राप्त प्रमाण–पत्र का नवीकरण करा सके या बाद में आल आर्म्स ऐट कालेज आफ काम्बेट, महू में वरिष्ठ अफसरों की पाठ योजना में भाग लेने के लिए आदेश न दिया जाए । शर्त यह है कि उस पाठ योजना के लिए यूनिटों की जो रिक्तियां आबंटित की गई हैं उनकी संख्या निर्धारित से अधिक न हो। जो अफसर दूसरी बार या उसके बाद भी स्टाफ कालेज प्रवेश परीक्षा में बैठता है, उसे हर बार सवारी स्वीकार्य होगी जब भी वह उस परीक्षा का पात्र होगा, भले ही उसकी दाखिला हुआ हो या न हुआ हो।

टिप्पणी 1: यदि उम्मीदवार के पहली बार परीक्षा में बैठने के अवसर पर यात्रा की आवश्यकता न पड़े जैसे कि पाठ योजना या परीक्षा, उम्मीदवार के ही स्टेशन पर हो और उम्मीदवार उस परीक्षा में फेल हो जाए तो उसी पाठ योजना या परीक्षा में भाग लेने के लिए निःशुल्क सवारी उपर खंड (ii) में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कार अन्य किसी बाद के अवसर के लिए स्वीकार्य नहीं होगी ।

टिप्पणी 2: जिन व्यक्तियों की शिक्षा के प्रथम वर्ग या विशेष प्रमाण–पत्र में एक या एक से अधिक विषयों को लेकर परीक्षा में बैठनक की अनुमति दी गई हो, उनके मामले में प्रत्येक विषय या एक साथ लिए गए विषयों को एक परीक्षा माना जाएगा ।

(iii) जो व्यक्ति योग्यता प्रदायी पाठ योजना से भिन्न पाठ योजना को पूरा कर चुके हों, यदि उन्हें फिर से पुनश्चर्या पाठ योजना के रूप में उस परियोजना में भाग लेने के लिए तैनात किया जाए या अनुमति दी जाए तो उन व्यक्तियों को प्रत्येक ऐसे अवसर पर दोनों ओर से सवारी दी जाएगी बशर्ते कि पुनश्चर्या पाठ योजना विनियमों द्वारा प्राधिकृत हो ।

(iv) जब पाठ योजना की अवधि 90 दिन से ज्यादा हो, तब उस व्यक्ति का परिवार नियम 91 में दी गई शर्तों के आधार पर सवारी भत्ता के हकदार होंगे।

(v) जिस व्यक्ति की सक्षम प्राधिकारी ऐच्छिक पाठ योजना में भाग लेने या व्यवसायिक विषयों और भाषाओं की परीक्षा में बैठने के लिए तैनात करे या अनुमति दे, वह व्यक्ति उपर दिए गए (i) और (ii) के अनुसार सवारी का हकदार होगा ।

टिप्पणी: ऐच्छिक भाषा परीक्षाओं के मामले में, परीक्षक मण्डल सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(vi) यदि भाषाई पाठ योजनाओं में तैनात किए जाने वाले सेना के अफसरों को अफसरों के चयन के लिए की जाने वाली भाषा योग्यता परीक्षाओं में बैठने के लिए नई दिल्ली बुलाया जाए तो वे स्थायी ड्यूटी के लिए निर्धारित के अनुसार सामान्य दरों पर यात्रा–भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

125. विभागीय परीक्षाओं में बैठने वाले सैनिक इंजीनियरी सेवा के सिविलियन कार्मिकों को सवारी

नीचे दी गई विभागीय परीक्षाओं में बैठने वाले सैनिक इंजीनियरी सेवा के निम्नलिखित कर्मचारी प्रत्येक परीक्षा में केवल प्रथम बार बैठने के लिए निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे बशर्ते कि उन्हें उसके लिए यात्रा करनी पड़े:

(क) अभियंता संवर्ग (इंजीनियर कैडर)

(i) कार्यपालक अभियंता या सहायक कार्यपालक अभियंता	ए ई ई/अधीक्षक बी/आर या ई/एम ग्रेड़ 1 के रूप में स्थायीकरण के लिए परीक्षाएं।
(ii) अधीक्षक बी/आरयाई/एम ग्रेड 1	ए ग्रेड 1 पर पदोन्नति के लिए परीक्षाएं।
(iii) अधीक्षक बी/आर या ई/एम ग्रेड 2	

(ख) बैरेक/स्टोर कैड़रः

(i) पर्यवेक्षक बी/आर ग्रेड 1 या 2	स्थायी स्थापना या ग्रेड 1 के लिए पदोन्नति के लिए नियुक्ति की परीक्षाएं।

(ii) स्टोरकीपर ग्रेड 1 या 2	पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए स्टोर कीपरों की परीक्षा।
(iii) (1) स्टोरमेन। (2) पैकर्स ग्रेड 1 तथा (3) सब ओवरसियर	पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए स्टोर कीपरों की परीक्षा।
(ग) ड्राइंग कैडर	
(i) ड्रॉफ्टमैन ग्रेड i या ii	स्थायी स्थापना या ग्रेड 1 में पदोन्नति के लिए नियुक्ति के लिए परीक्षाएं।
(ii) ड्रॉफ्टमैन ग्रेड iii	ग्रेड ii में द पदोन्नति के लिए परीक्षाएं।
(घ) लिपिक ग्रेडः	
(i) लिपिक अवर श्रेणी प्रवर श्रेणी	स्थायी स्थापना में नियुक्ति, अवर श्रेणी लिपिक से प्रवर श्रेणी लिपिक में पदोन्नति अथवा टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए परीक्षाएं। आशुलिपिक के ग्रेड में पदोन्नति/ स्थायीकरण के लिए परीक्षाएं।
(ii) स्टेनोग्राफर (आशुलिपिक)/ लिपिक–प्रवर श्रेणी या अवर श्रेणी	

टिप्पणीः उपर्युक्त परीक्षाओं के संबंध में बाह्य स्टेशनों पर पड़ावों के लिए दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।

126. सिविलियन कार्मिकों को यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता –– मास्टर जनरल ऑफ आर्डनेंस सेवाएं/भारतीय नौसेना स्थापनाएं –– बाह्य स्टेशन पर ट्रेड परीक्षा

यदि कमान अफसर/स्थापना का प्रधान

यह प्रमाणित करे कि उसकी स्थापना से किसी विशिष्ट ट्रेड, परीक्षा के लिए सुविधाएं नहीं हैं तो मास्टर जनरल ऑफ आर्डनेस सेवाओं/भारतीय नौसेना स्थापनाओं में नियुक्त सिविलियन औद्योगिक और अनौद्योगिक कार्मिक जिन्हें इस प्रकार की ट्रेड परीक्षा में बैठने के लिए किसी बाह्य स्टेशन की यात्रा करनी पड़ती है, यात्रा–भत्ते के हकदार होंगे। यह यात्रा–भत्ता उसी ट्रेड परीक्षा के लिए उस श्रेणी के एक रेल किराए तक सीमित होगा जिसके लिए उनका ग्रेड उन्हें हकदरा बनाता हो और प्रत्येक ओर से केवल एक बार ही दिया जाएगा ।

दैनिक भत्ता बाह्य स्टेशन पर किए गए विरामों के लिए सामान्य नियमों के अनुसार ही स्वीकार्य होगा ।

उपर जिस यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते का उल्लेख किया गया है, वह केवल नीचे लिखे मामलों में ही लागू होगा :

(क) पुनःवर्गीकरण के लिए, जिनमें औद्योगिक वर्गों के अन्दर सामान्य कम से एक निम्नतर पद से किसी दूसरे उच्चतर पद पर पदोन्नति शामिल हैं, परीक्षाएं।

(ख) मास्टर जनरल ऑफ आर्डनेंस सेवाओं के मामले में औद्योगिक पदों से लीडिंग हैंडों/पर्यवेक्षक (तकनीकी) पदों पर और नौसेना स्थापनाओं में फोरमैन निरीक्षक, लीडिंग मैंन, सहायक लीडिंग मैन और चार्ज या फिटरों के पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षाएं।

उन स्थानों के बीच यात्रा के मामले में जहां रेल न जाती हो, मील दूरी भत्ता नियम 61 के अनुसार स्वीकार्य होगा।

एक ही वर्ग की परीक्षा में दूसरी बार और उससे बाद के अवसरों पर बैठने के लिए यह या जो परीक्षाएं उपर दिए गए (क) से (घ) तक के वर्गों में नहीं आतीं, उन परीक्षाओं में बैठन के लिए रियायत स्वीकार्य नहीं होगी।

127. अनिवार्य विभागीय परीक्षाओं में बैठन के लिए सवारी

सक्षम प्राधिकारी उस स्थान से आने जाने की यात्रा के लिए अस्थायी ड्यूटी के समान सवारी को मंजूरी को प्राधिकृत कर सकता है जहां व्यक्ति अपनी बरकरारी/ पदोन्नति के संबंध में 124 और 125 नियमों में उल्लिखित से भिन्न। किसी अनिवार्य विभागीय परीक्षा में बैठे ।

बाह्य स्टेशनों पर विरामों के लिए कोई दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

टिप्पणी 1:यदि कोई व्यक्ति 124, 125 और 126 नियमों और इस नियम के अधीन वास्तव में परीक्षा–स्थान तक यात्रा करता है लेकिन परीक्षा के अन्त समय पर रद्द कर दिए जाने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता अर्थात् रद्द किए जाने के संबंध में सूचना यात्रा आरंभ करने से पहले व्यक्ति के पास नहीं पहुंचती तो निम्नलिखित प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों में उल्लिखित शर्तों के अधीन तथ्यों का उचित सत्यापन करने के बाद संबंधित व्यक्तियों को यात्रा–भत्ता की मंजूरी दे सकते हैं :

(क) रक्षा मंत्रालय

(ख) जी ओ सी–इन–सी कमांड/ वी सी ओ ए एस/ डी सी ओ एस/ए जी/क्यू एम जी/ ए एम जी ओ/ एम एस/ ई इन सी/ डी जी एन सी सी/ डी पी आर (रक्षा) /डी जी औ एफ/ डी जी ओ एल

(ग) (i)	चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स, नौसेना मुख्यालय	नौसेना मुख्यालय तथा पोतों/स्थापनाओं उनके नियंत्रण अधीन काम करने वाल नौसेना कार्मिकों के लिए
(ii)	फ्लैग अधिकारी कमांडिंग–इन–चीफ नौसेना कमान	उनके अधीन काम करने वाल नौसेना कार्मिकों के लिए।
(iii)	फ्लैग अधिकारी कमांडिंग फ्लीट्स/एरिया	
(घ) (i)	ए ओ ए	वायुसेना मुख्यालय तथा सीधे उनके नियंत्रणाधीन यूनिटों में काम करने वाल कार्मिकों के लिए।
(ii)	ए ओ सी इन–सी कमान	इनके अधीन काम करने वाले वायुसेना कार्मिकों के लिए

टिप्पणी 2: यदि कोई अफसर अपने अनुरोध पर और अपनी सुविधा के लिए अपने स्टेशन के निकटतम केन्द्र से भिन्न किसी अन्य केन्द्र पर परीक्षा में बैठता है तो उसका यात्रा–भत्ता उस राशि तक सीमित होगा जो उसे उस स्थिति में स्वीकार्य होती जब वह अपने वर्तमान ड्यूटी स्टेशन के निकटतम केन्द्र पर उसे परीक्षा में बैठता ।

127–अ. हिन्दी शिक्षण योजना के तहत कार्यालय/निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र तक जाने के लिए यात्रा भत्ता

(i) यात्रा विनिमय के नियम 2 और नियम 124 के अधीन हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी जैसी अनिवार्य विभागीय परीक्षाओं में बैठने वाले सिविलियन कार्मिक, जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन मिलता है, अपने कार्यालय से परीक्षा केन्द्र तक का यात्रा भत्ता पाने के हकदार हैं।

(ii) इन परीक्षाओं में बैठने सरकारी कर्मचारियों को परीक्षा के दिन या दिनों के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और यदि उन्हें परीक्षा केन्द्र तक जाने और वहां से वापस आने के लिए कोई यात्रा करनी है तो इस यात्रा में लगे समुचित समय को भी ड्यूटी का समय माना जाएगा ।

(iii) परीक्षा में बैठने के लिए इन सरकारी कर्मचारियों को मंजूर किए गए यात्रा भत्ते को निम्न प्रकार विनियमित किया जाएगा :

(क) हिन्दी, हिन्दी टाइपराइटिंग/हिन्दी स्टेनोग्राफी की परीक्षा देने के लिए यदि किसी सरकारी कर्मचारी को पहले कभी यात्रा विनियम के नियम 124 के तहत यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए जिसमें उसने 25% से कम अंक प्राप्त न किए हो, यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाए।

(ख) यदि किसी कर्मचारी को यात्रा विनियम के नियम 124 के तहत परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना एक बार यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया है, तो वह दूसरी बार उस परीक्षा में बैठने के लिए जिसमें वह उत्तीर्ण हो जाता है, यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

(iv) परीक्षा के दिनों में यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला अफसर वास्तव में कार्यालय में उपस्थित न हुआ हो और अपने निवास स्थान से सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचा हो तो ऐसे मामलों में, उपर्युक्त पैरा (iii) में दी गई शर्तें पूरा करने पर संबंधित कर्मचारियों को निम्न प्रकार से यात्रा भत्ता दिया जाएगा :–

(क) ऐसे मामलों में जिनमें प्रशिक्षण पाने वाला अफसर अपने घर से सीधे ही परीक्षा केन्द्र पर जाता है तो वह यात्रा विनियम के नियम 124 के तहत यात्रा भत्ते का केवल तभी हकदार होगा जब उसके निवास स्थान से उसका कार्यालय 8 किलामीटर से अधिक दूर हो । जहां यह शर्त पूरी न होती हो वहां प्रशिक्षण पाने वाला अफसर सार्वजनिक वाहन द्वारा लिए गए वास्तविक सवारी भत्ते का ही हकदार होगा :

(i) निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र के बीच की दूरी तथा वापसी के लिए	जो भी कम हो बशर्ते आने के मार्ग की एक तरफ की दूरी 1.6 किमी0 से कम न हो।
या	
(ii) कार्यालय से परीक्षा केंद्र की दूरी तथा वापसी के लिए	

(ख) ऐसे मामलों में जिनमें प्रशिक्षण पाने वाला अफसर निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र को जाता है किन्तु लौटकर कार्यालय में आता है या कार्यालय से परीक्षा केन्द्र को जाता है और वहां से निवास स्थान को चला जाता है।

(i) यदि कार्यालय और परीक्षा केन्द्र के बीच की दूरी एक मील/1.6 कि0मी0 से अधिक है किन्तु 5 मील/8 कि0मी0 से कम है तो वे जाने और वापस आने

की दोनों यात्राओं के लिए वास्तविक सवारी खर्च के हकदार होंगे।

(ii) यदि कार्यालय और परीक्षा केन्द्र के बीच की दूरी 5 मील/8 कि0मी0 से अधिक है तो प्रशिक्षणार्थी यात्रा विनियम के नियम 124 के तहत यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

(v) छुट्टी के दौरान हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी स्टेनोग्राफी की परीक्षा में बैठने वाले कर्मचारियों के मामले में यात्रा भत्ता निम्न प्रकार से नियमित किया जाएगा :

(i) उन मामालों में जिनमें सरकारी कर्मचारी का कार्यालय और निवास स्थान परीक्षा केन्द्र से 5 मील/8 कि0मी0 की दूरी पर है तो उन्हें यात्रा विनियम के नियम 124 के तहत यात्रा भत्ते की अनुमति दी जा सकती है।

(ii) अन्य मामलों में सरकारी कर्मचारी को उसके निवास स्थान और परीक्षा केन्द्र के बीच सार्वजनिक वाहन द्वारा लिए गए वास्तविक सवारी खर्चे की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि परीक्षा केन्द्र और कार्यालय/निवास स्थान के बीचय की दूसी एक मील/1.6 कि0मी0 से अधिक हो ।

(vi) उपर्युक्त पैरा (iv) (क) और (क) (i) तथा पैरा (ii) के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी को मंजूर किए जाने वाले वास्तविक सवारी भत्ते की हकदारी उनके अपने ग्रेड अनुमेय दैनिक भत्ते की राशि तक सीमित की जानी चाहिए।

(vii) हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अफसर/ प्रशिक्षणार्थी उस स्थान पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तय की गई दर पर तांगे या किसी अन्य सबसे सस्ते वाहन से सवारी खर्चे के हकदार होंगे । ऐसा वहीं होगा जहां बस/ट्रेन जैसे सार्वजनिक सवारियां न चलती हों, उन मामलों में दो अफसर प्रशिक्षणार्थी मिलकर एक रिक्शा कर सकते हैं या यार प्रशिक्षणार्थी एक तांगा कर सकते हैं और उस स्थान पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई दर पर आनुपाति खर्चों का दावा कर सकते हैं ।

(viii) सभी मामलों में यात्रा भत्ते/वास्तविक सवारी भत्ते की मंजूरी उपर्युक्त पैरा (iii) में दी गई शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन होगी ।

128. ऐसे विशेषज्ञों को यात्रा–भत्ता जिन्हें सेना चिकित्सा कोर में सीधे स्थायी नियमित कमीशनों के लिए ली जाने वाली सिविलियन उम्मीदवारों का प्रयोगात्मक व्यवसायिक परीक्षाओं में परीक्षक नियुक्त किया गया हो

जो सिविलियन उम्मीदवार सेना चिकित्सा कोर में सीधे स्थायी नियमित कमीशन प्रदान किए जाने के लिए संघ लोक सेवा आयेग द्वारा चलाई गई प्रतियोगिता परीक्षाएं पास कर लेते हैं, उनकी प्रयोगात्मक व्यवसायिक परीक्षाओं में महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा द्वारा परीक्षक के रूप में नियुक्त सिविलियन विशेषज्ञ और मेडीकल कालेजों के प्रोफेसर, निम्नलिखित यात्रा रियायतों के हकदार होंगे :––

(i) प्रत्येक ओर से केवल एक व्यक्ति का रेल किराया जो रेल में उपलब्ध सर्वोच्च श्रेणी के लिए सामान्य निवास–स्थान से परीक्षा–स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन तक दिया जाएगा। यात्रा सबसे छोटे मार्ग से की जाएगी।

(ii) प्रथम ग्रेड के अफसर को मिलने वाला दैनिक भत्ता जो यात्रा तथा बाह्य स्टेशन पर पड़ाव दोनों के लिए दिया जाएगा।

(iii) महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पूर्व अनुमति लेकर परीक्षक हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं । यह अनुमति लोक सेवा के हित में विशेष मामलों में ही दी जानी चाहिए । यदि महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पूर्व अनुमति लिए बिना ही कोई परीक्षक हवाई जहाज से यात्रा करता हे तो वह केवल रेल किराए का ही हकदार होगा।

(iv) मील–भत्ता जो प्रथम ग्रेड के अफसर को स्वीकार्य हो मील दूरी भत्ता परीक्षक के निवास स्थान और रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे के बीच और रेलवे स्टेशन/ हवाई अड्डे और बाह्य स्टेशन पर परीक्षा–स्थान के बीच की दूरी के लिए दिया जाएगा।

129. अपने ही मुख्यालय स्टेशन पर स्थित केन्द्रों/संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति को यात्रा भत्ता

मुख्यालय स्टेशन पर प्रशिक्षण/पाठ्यकम अनुदेश के संबंध में भेजे गए व्यक्तियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की ग्राह्यता निम्न रूप में विनियमित की जाएगी :––

1. (क) व्यक्ति के अपने मुख्यालय स्टेशन पर स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को दैनिक भत्ता अथवा सड़क मील दूरी भत्ता देय नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रशिक्षण की अवधि के दौरान संस्थानों/केन्द्रों को उसका अस्थायी मुख्यालय माना जाएगा । सरकारी कर्मचारी को उसक दिन का यात्रा भत्ता भी नहीं मिलेगा जिस दिन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अध्ययन/प्रशिक्षण इत्यादि के लिए उसे उसी स्टेशन में अन्य स्थान पर भेज दिया जाता है तथा जहां वह अपने निवास स्थान से सीधे उस स्थान को जाता है ।

(ख) मुख्यालय स्टेशन के निकटस्थ क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए तथा जहां व्यक्ति 8 कि0मी0 से अधिक यात्रा करता है वहां मुख्यालय से अनुपस्थिति अवधि के लिए व्यक्ति को उचित दर पर सड़क मील दूरी भत्ता और 50 प्रतिशत दैनिक भत्ता देय होगा।

(ग) मुख्यालय स्टेशन के बाहर अथवा निकटस्थ क्षेत्रों में स्थित स्थान पर प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय से पूर्ण अनुपस्थिति अवधि के लिए जाने तथा वापसी यात्रा के लिए व्यक्ति को सड़क मील दूरी भत्ता केवल एक बार तथा सामान्य दैनिक भत्ता देया होगा।

टिप्पणी : अस्थायी ड्यूटी/अनुदेश पाठ्क्रम के उद्देश्य से कस्बे अथवा नगर पालिका सीमाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र जहां सरकारी कर्मचारी का सामान्य ड्यूटी केन्द्र स्थित है, व्यक्ति के मुख्यालय स्टेशन के रूप में माना जाएगा। मुख्यालय स्टेशन से बाहर किन्तु शहरी क्षेत्र की सीमा के अंदर जहां सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय स्थित है, की गयी यात्रा को मुख्यालय स्टेशन के निकटस्थ क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

2. तथापि जब किसी दिन उचित आदेश मिलने पर प्रशिक्षण पाने वाले कर्मचारी को अपने प्रशिक्षण के संबंध में मुख्यालय में स्थित दो या दो से अधिक स्थानों पर जाना पड़ता है तब प्रशिक्षण के एक स्थान से दूसरे स्थान (स्थानों) के बीच उन्हे सार्वजनिक सवारी से किए गए वास्तविक खर्च की अदायगी की जाएगी। वे रिक्शे, तांगे या अन्य किसी सस्ती सवारी पर किए गए खर्च के हकदार होंगे जो उन्हे वहां के स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई दरों पर दिया जाएगा, जहां बस/ट्राम/रेल आदि सार्वजनिक वाहनों की सुविधा न हो। जहां संभव हो वहां दो सरकारी कर्मचारी एक रिक्शा या चार सरकारी कर्मचारी एक तांगा किराए पर ले सकते हैं और वे आनुपातिक रूप से किराए का दावा कर सकते हैं।

130. रिजर्व वालों के लिए नकद अदायगी/यात्रा व्यय आदेश पर सवारी

(क) जिन रिजर्व वालों के घर कोंकण तट पर हों उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने पर कोंकण तट के पत्तनों से मुम्बई तक की यात्रा के लिए भ0 से0 फा0वाई0/1954/एन0 एफ03/एन0 एफ04;सी0द्ध से संलग्न यात्रा–व्यय आदेश द्वारा सवारी दी जाएगी। संबंधित स्टीमर कम्पनी भ0 से0 फा0 आई0/1954/एन0 एफ03/एन0 एफ04;सी0 संलग्न यात्रा–व्यय आदेश प्रस्तुत किए जाने पर यात्रा की व्यवस्था करेगी । इसके पहले कि फार्म रिजर्व वाले को भेजा जाए, उसे पूरी तरह भर देना चाहिए।

कोंकण तट पर प्रशिक्षण लेने के बाद जो रिजर्व वाले अपने घरों को लौट रहे हों, उन्हें संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र का कमान अफसर नकद अदायगी करेगा। अदायगी की राशि मुम्बई से कोंकण तट के उस पत्तन तक यात्रा–व्यय की लागत के बराबर होगी जहां वे जा रहे हों यात्रा का प्रबंध वे स्वयं करेंगे ।

(ख) जब नेपाल में रहने वाले गोरखा रिजर्व वाले अपने रिजर्व प्रशिक्षण केन्द्र पर आयेंगे, तब रिजर्व केन्द्र पद आने पर उन्हें रेल किरायों की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। जब वे रिजर्व केन्द्र, कुनराघाट से वापस लौटें, तब गोरखा रिजर्व केन्द्र उनके अलग–अलग स्टेशनों के लिए स्टेशन मास्टर कुनराघाट को नकद अदायगी कर रेल के टिकट खरीदेगा और स्टेशन मास्टर से इस बात का प्रमाण–पत्र लेगा कि लेन–देन सभी प्रकार से पूरा हो गया है । अपने–अपने स्टेशनों को वास्तव में लौट गए सभी रिजर्व वालों के सामान्य चिठ्ठे के साथ–साथ यह प्रमाण–पत्र और आकस्मिक व्यय बिल (भ0से0फा0ए0–115) गोरखा रिजर्व केन्द्र के कमान अफसर द्वारा पूर्वलेखा परीक्षा और आकस्मिक व्यय बिल में दिखाई गई राशियों की नकद वापसी के लिए लेखा नियंत्रक (फैक्ट्री) के पास भेज दिया जाएगा। अगर ऐसे कोई टिकट हों जिनका इस्तेमाल न किया जा सका हो तो उन्हें कुनराघाट के स्टेशन मास्टर को लौटा दिया जाएगा और गोरखा रिजर्व केन्द्र का कमान अफसर उस समय लागू भारतीय रेल कोचिंग–यातायात के अनुसार उनकी लागत की मांग करेगा ।

131. सैनिक अदालतों में हाजिर होने वाले गवाहों को सवारी

(i) अगर किसी सिविलियन को जो सरकारी सेवा में हो, गवाह की हैसियत से सैनिक अदालत में समन किया जाए तो वह सवारी का हकदार होगा और उसे सिविल नियमों या इन विनियमों के अधीन इस बात को ध्यान में रखकर यात्रा–भत्ता दिया जाएगा कि वह किसी सिविल विभाग में काम कर रहा है या रक्षा सेवाओं में। शर्त यह है कि जिन तथ्यों के बारे में उसे गवाही देनी है, वे उसकी जानकारी में उसकी सरकारी ड्यूटी के पालन के दौरान आए हों।

(ii) जिन कैडेटों को किसी सैनिक जांच अदालत में हाजिर होने के लिए समन किया जाए, उसके लिए रेल में स्थान की व्यवस्था रेल वारंटों पर प्रथम श्रेणी/एसी II में की जाएगी। शर्त यह है कि जिन तथ्यों के बारे में उन्हें गवाही देनी है, वे उनकी जानकारी में उस समय आए हों जब वे कैडेटों के रूप में भर्ती होने के बाद सरकारी

ड्यूटी कर रहे हों। उन्हें पड़ावों और यात्रा की अवधि के लिए दैनिक भत्ता भी सामान्य नियमों के अनुसार उन्हीं दरों पर स्वीकार्य होगा जिनका ग्रेड पे ₹ 4,200 से ₹ 4,800 तक होगा।

टिप्पणी: यदि कोई व्यक्ति छुट्टी पर हो और उसे गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो वह उपर दिए गए खण्डों के अधीन उस स्थान से और उस स्थान तक सवारी का हकदार होगा जहां से उसी प्रकार समन किया जाए जैसे कि वह ड्यूटी पर हो।

(iii) (क) यदि किसी सिविलियन गवाह को, जो सरकारी सेवा में हो, किसी कोर्ट मार्शल/जांच अदालत या मण्डल/संक्षिप्त साक्ष्य के सामने हाजिर होने के लिए बुलाया जाए तो वह उन दरों पर यात्रा और निर्वाह–भत्ता लेने का हकदार होगा जो स्थानीय सरकारों, उच्च न्यायालयों या प्रशासनों ने अपने क्षेत्राधिकर के अधीन स्थित न्यायालयों के सामने हाजिर होने वाले गैर–सरकारी गवाहों के लिए तय की हों। जब गवाह को किसी मजिस्ट्रेट के माध्यम से बुलाया जाए तो भत्ते की दरों की जानकारी उसी मजिस्ट्रेट से ली जाएगी और उसी के माध यम से अदायगी की जाएगी। दूसरे मामलों में, भत्ते की दरों की जानकारी उस मजिस्ट्रेट से ली जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में गवाह उस समय रह रहा हो, जब उसे गवाही देने के लिए बुलाया जाए। उसे अदायगी समन करने वाले प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी: यदि किसी गवाह को जो सरकारी सेवा में न हो, विभागीय जांच के संबंध में मजिस्ट्रेट के माध्यम से न बुलाकर सीधे बुलाया जाए तो यात्रा–भत्ते और निर्वाह–भत्ते की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए पीठासीन अफसर को यह निर्णय करने की शक्ति होगी कि गवाह को जीवन में उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाए।

(ख) यदि किसी गवाह को किसी मजिस्ट्रेट के माध्यम से बुलाया जाए तो उसे मजिस्ट्रेट के माध्यम से, नही तो सीधे उसके यात्रा खर्चों को पूरा करने के लिए काफी धन की पेशगी देना और जिस स्टेशन पर उसे समन किया गया है, उसके छोड़े जाने से पहले वापसी सवारी के लिए खर्च और निर्वाह–भत्ते की अदायगी का प्रबंध करना, समन करने वाले प्राधिकारी की ड्यूटी होगी।

132. सिविल न्यायालयों या पुलिस प्राधिकारियों के सामने उपस्थित होने के लिए की गई यात्राओं के लिए व्यक्तियों को यात्रा–भत्ता

(i) जिस आपराधिक मामलें में राज्य के हित सन्निहित हों, उसके संबंध में किसी सिविल न्यायालय में हाजिर होने के लिए यदि किसी व्यक्ति को गवाह या अभियुक्त के रूप में बुलाया गया हो या समन किया गया हो तो वह व्यक्ति निःशुल्क सवारी का हकदार होगा, किन्तु शर्त यह होगी कि जिन तथ्यों के बारे में उसे गवाही देनी है, वे तथ्य उसकी जानकारी में सरकारी ड्यूटी करने के दौरान आए हों। जब ऐसे कोई सवारी गवाह को दी गई हो तो वह न्यायालय से यात्रा निर्वाह– भत्ते के लिए कोई अदायगी नहीं लेगा। उस स्थिति में गवाह के यात्रा और निर्वाह– भत्ते के लिए न्यायालय में जो भी शुल्क जिमा कराया गया हो, उसे सरकार के नाम जमा करा दिया जाना चाहिए । जिस न्यायालय में वह गवाही देता है, यदि वह न्यायालय उसके मुख्यालय से 8 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर स्थित है और इसलिए उसे यात्रा के लिए कोई यात्रा–भत्ता स्वीकार्य नहीं है तो वह वास्तविक यात्रा खर्च की उस अदायगी को स्वीकार कर सकता है जो न्यायालय उसे दे बशर्ते कि उसक स्थायी यात्रा–भत्ता न मिल रहा हो ।

(ii) उपर खंड (i) में दिया गया नियम उन गवाहों पर भी लागू होगा जिन्हें किसी ऐसे सिविल वार में गवाही देने के लिए समन किया गया हो जिसमें सरकार भी एक पार्टी हो।

टिप्पणी 1: यदि कोई व्यक्ति सेवा निवृत्ति या सेवा विमुक्ति से पहले ही छुट्टी से भिन्न किसी अन्य छुट्टी पर हो और उस समय उसे गवाही देने के लिए समन किया जाए तो वह उस नियम के अधीन उस स्थान से और उस स्थान तक सवारी का हकदार होगा जहां से उसे ऐसे समन किया गया हो जैसे कि वह ड्यूटी पर हो । सेवा निवशत्ति/सेवा विमुक्ति से पहले की छुट्टी पर होने वाले व्यक्तियों या यात्रा–भत्ता, नियम 131 के अधीन विनियमित किया जाएगा।

टिप्पणी 2: जब कोई गवाह अपनी वैयक्तिक हैसियत से किसी सिविल न्यायालय में हाजिर हो तो वह केवल उन्हीं यात्रा और निर्वाह–भत्तों का हकदार होगा जो न्यायालय के नियमों के अनुसार स्वीकार्य हों । यदि न्यायालय उसे यात्रा–भत्तों के अलावा कोई राशि निर्वाह–भत्ते या मुआवजे के रूप में अदा करता है तो उसे चाहिए कि वह अनुपस्थिति के उस दिन या दिनों के लिए अपना पूरा वेतन लेने से पहले उस राशि को सरकार में जमा करा दे ।

(iii) जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ऐसे सिविल वादों में जिनमें सरकार पार्टी न हो, सरकारी दस्तावेज पेश करने या ऐसे तथ्यों के बारे में गवाही देने के लिए न्यायालय द्वारा समन जारी किया जाए जिनकी जानकारी उन्हें अपनी सरकारी ड्यूटी के अनुपालन के दौरान हुई हो, उन सरकारी कर्मचारियों को ऐसे वादों में न्यायालय में हाजिर होने के लिए की गई यात्राओं में लिए उसी प्रकार यात्रा–भत्ता लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जिस प्रकार दौरे पर यात्रा के संबंध में दी

जाती है। पहले तो यात्रा–भत्ते की राशि की अदायगी केन्द्रीय सरकार निधि से कर दी जानी चाहिए और फिर से उस लेखा शीर्ष में डाल देना चाहिए जिसमें उनके वेतन और भत्ते नामे डाले जाने हैं । संबंधित सरकारी कर्मचारी को न्यायालय से काई यात्रा खर्च नहीं लेना चाहिए । पश्चिम बंगाल के न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों के मामले में इस प्रकार अदा की गई राशि की पूरी और पश्चिम बंगाल के न्यायालयों के मामले में जितनी न्यायालयों की दरों के अनुसार स्वीकार्य हो उतनी प्रतिपूर्ति संबंधित न्यायालय से करा लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना नियंत्रण अफसर का काम होगी कि जो राशि प्राप्य है, उसे न्यायालय से वसूल कर लिया जाए और सरकारी लेखा नियम 1990 के तहत लेखे में दर्ज कर दिया जाए।

(ख) जिन व्यक्तियों के विषय में सन्देह हो कि वे स्वयं किसी मामले में फंसे हैं और जिन्हें उचित आदेश मिलने पर (अर्थात् यूनिट कमान करने वाले अपने अफसरों / कार्यालय के प्रधानों जिसमें वे सेवा करते हों / जहाजों और स्थापनाओं के कमान अफसरों के आदेशों पर) पुलिस प्राधिकारियों के सामने जिनमें विशेष पुलिस स्थापना भी शामिल हैं, हाजिर होने के लिए प्रस्थान करना पड़े उन व्यक्तियों को उसी प्रकार सवारी का हक होगा जिस प्रकार अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा के लिए स्वीकार्य हो ।

(ग) (i) यदि कोई सिविलियन सरकारी कर्मचारी अपने निलंबन के दौरान किसी एसे मामले में जिसमें उसके फंसे होने का संदेह हो, पुलिस / विशेष स्थापना जांच में हाजिर होने के लिए यात्रा करे तो ऐसी यात्राओं के लिए उसे उसी रूप में यात्रा भत्ते की मंजूरी दी जानी चाहिए जिस रूप में अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा के लिए दी जाती है। किन्तु शर्त यह है कि ऐसी यात्राएं यूनिट / जहाज और स्थापनाओं के कमान अफसरों या जिस कार्यालय में वह निलंबन के पहले कार्य कर रहा हो, उसके प्रधानों के निदेश या अनुमोदन से की जाए।

(ii) यदि कोई सिविलियन सरकारी कर्मचारी निलंबन के दौरान अभियुक्त के रूप में किसी न्यायालय में हाजिर होने के लिए यात्रा करता है और बाद में न्यायालय द्वारा दोषयुक्त ठहराया जाता है और यदि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या वह अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या उसे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त नहीं हो जाने दिया जात और उसे सेवा में बहाल कर लिया जाता है तो रक्षा मंत्रालय उसे उसी दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति करेगा जो उसे उस ग्रेड पर आधारित अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा के लिए स्वीकार्य होता जिसमें वह निलंबन के पूर्व होता। किन्तु शर्त यह है कि उसने इस कार्यवाही का प्रतिवाद करने के दौरान जो विधिक खर्च किए हैं, उनकी पूर्ण या आंशिक प्रतिपूर्ति उसे संविधान के अनुच्छेद 32(3) (घ) के अधीन दी जाए। यदि कोई सिविलियन सरकारी कर्मचारी रेल / स्टीमर से उस श्रेणी से, जिसका कि वह निलंबन से पहले हकदार था, नीचे की श्रेणी में यात्रा करता है तो यात्रा भत्ते की उसकी अन्य हकदारी के अतिरिक्त उसे उस श्रेणी का किराया जिसमें उसने वास्तव में यात्रा की हो, उसी प्रकार अदा किया जाना चाहिए जिस प्रकार उसे अस्थायी ड्यूटी पर मिलता।

(घ) (i) यदि किसी सिविलियन सरकारी कर्मचारी की सरकारी ड्यूटी या पद से संबंधित मामलों के बारे में सरकार कार्यवाही करती है और वह सिविलियन सरकारी कर्मचारी उसके संबंध में यात्रा करता है तो उसकी सरकारी ड्यूटी या सरकारी पद से संबंधित या उससे उठने वाले मामलों में राज्य द्वारा उसके खिलाफ की गई सिविल या आपराधिक कार्यवाही में उसके द्वारा अपनी प्रतिरक्षा के लिए की गई यात्राओं के लिए कर्मचारी को काई यात्रा–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिल यदि कार्यवाही में निर्णय व्यक्ति के पक्ष में होता है तो ऐसे मामलों में यात्रा–भत्ता की मंजूरी उपर पैरा (ग) (ii) में दिए गए आधार पर दी जाएगी।

(ii) यदि सरकार किसी सिविलियन सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करती है और चाहती है कि वह अपने सरकारी आचरण को दोषरहित सिद्ध करे तो इस प्रकार की गई यात्राओं के लिए यात्रा–भत्ते की मंजूरी उपर पैरा (ग) (ii) में दिए गए के अनुसार दी जाएगी।

(iii) यदि कोई प्राइवेट पार्टी किसी सिविलियन सरकारी कर्मचारी की सरकारी ड्यूटी या पद से संबंधिकत मामलों के बारे में उसके खिलाफ कार्यवाही करती है तो इस संबंध में की गई यात्राओं के लिए :

(क) यदि सरकारी कार्यवाही के संचालन का प्रबंध करती है तो सरकारी कर्मचारी की प्रतिरक्षा लोक हित में होने के कारण उसे यात्रा–भत्ता उसी रूप में अदा किया जाए जिस रूप में अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा के लिए किया जाता है।

(ख) यदि सिविलियन सरकारी कर्मचारी खुद अपनी प्रतिरक्षा का संचालन करता है तो उसे यात्रा–भत्ता उसी रूप में स्वीकार्य होगा जिस रूप में उपर पैरा (ग)(ii) में निर्धारित किया गया है, परन्तु इसके साथ शर्त यह है कि न्यायालय यह निर्णय न दे कि यात्रा खर्च वादी अदा करेगा।

(iv) निम्नलिखित मामलों में कोई यात्रा–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा :––

(क) उन मामलों के संबंध में कार्यवाही जो

सिविलियन सरकारी कर्मचारियों के सरकारी ड्यूटी या पद से संबंधित न हों।

(ख) अपनी सरकारी ड्यूटी या पद से उत्पन्न या संबंधित अपने आचरण को निर्दोष सिद्ध करने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी से सिविलियन सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई कार्यवाही यद्यपि सरकार द्वारा ऐसा करने को न कहा गया हो।

(ङ) (i) जिन आपराधिक मामलों में राज्य एक पार्टी हो, उन मामलों में ऐसे तथ्यों के बारे में जिनके संबंध में उसे सरकारी जानकारी हो, साक्ष्य देने वाले कर्मचारी को समन भेजने वाले न्यायालय द्वारा जारी किए गए उपस्थिति प्रमाण–पत्र पेश करने पर, उस सरकार द्वारा यात्रा–भत्ता अदा किया जाएगा,जिसके अधीन वह कार्य कर रहा हो।

(ii) जिन आपराधिक मामलों में सरकार पार्टी न हो, उन मामलों में ऐसे तथ्यों के बारे में जिनके संबंध में उसे सरकारी जानकारी हो, साक्ष्य देने वाले सरकारी कर्मचारी को, समन भेजने वाले न्यायालय के द्वारा उन नियमों के अधीन यात्रा–भत्ता दिया जाएगा, जिनके अधीन वह सरकारी कर्मचारी दौरे पर यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता लेता हो और उसे स्वीकार्य रकम का निर्धारण न्यायालय कर सके इसलिए सरकारी कर्मचारी को न्यायालय में एक प्रमाण–पत्र ले जाना चाहिए, जिसमें नियंत्रण अफसर के विधिवत् हस्ताक्षर हों और जिसमें दौरे पर यात्रा के लिए उसको स्वीकार्य यात्रा–भत्ते और दैनिक–भत्ते की दरें दिखाई गई हो। यदि सरकारी कर्मचारी स्वयं अपना नियंत्रण अफसर हो तो प्रमाण–पत्र पर उसे उसी रूप में हस्ताक्षर करने चाहिए।

(iii) जब किसी वाणिज्यिक विभाग में कार्य करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को या जब किसी अन्य अफसर को तकनीकी या विशेषज्ञ गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाए तो संबंधित सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि का वेतन और यात्रा–भत्ता और उसको देय अन्य भत्ते, पहले उस सरकारी कर्मचारी द्वारा वहन किए जाएंगे, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा हो और बाद में जिस न्यायालय में उस अधिकारी को साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया हो।

133. विभागीय जांच में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के लिए यात्रा–भत्ता

(क) जिस सिविलियन सरकारी कर्मचारी को अपने मुख्यालय से भिन्न किसी स्टेशन पर लागू रक्षा सेवा में सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के अधीन अपने विरूद्ध की गई किसी विभागीय जांच (पुलिस द्वारा की जाने वाली से भिन्न) में उपस्थित होने के लिए यात्रा करनी पड़े तो उसे उसी प्रकार यात्रा–भत्ता दिया जाए जैसे कि अस्थायी ड्यूटी के लिए मुख्यालय से उस स्थान तक की यात्रा और वापसी के लिए दिया जाता है जहां जांच की गई है। लेकिन उसी स्थिति में कोई यात्रा–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, यदि उसी व्यक्ति के अनुरोध पर जांच किसी बाह्य स्टेशन में की गई हो।

(ख) उपर खंड (क) के उपबन्ध तब भी लागू होंगे जब सिविलियन सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर हो या निलंबित हो, परन्तु शर्त यह है कि उसे यात्रा–भत्ता या तो मुख्यालय से या छुट्टी के समय निवास के स्थान से या निलम्बन के दौरान उसे जहां रहने की अनुमति दी गई थी उस स्थान से, जो भी कम हो, जांच के स्थान तक स्वीकार्य होगा और यह भत्ता उसे ग्रेड के अनुसार विनियमित किया जाएगा, जिसमें वह छुट्टी पर जाने या निलम्बित होने से पूर्व था। इसी प्रकार या यात्रा–भत्ता वापसी की यात्रा के दौरान भी स्वीकार्य होगा । दैनिक–भत्ते/मील दूरी भत्ते की दर का परिकलन उस व्यक्ति द्वारा निलंबित होने से पूर्व लिए गए वेतन के आधार पर किया जाएगा।

(ग) उपर खंड (क) और (ख) के उपबन्ध उन सिविलियन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिनके विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अधीन मौखिक जांच की जाए और जिन्हें जांच करने वाले अफसर के सम्मुख उपस्थित होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े।

लेकिन जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं उनको उस स्थिति में कोई यात्रा–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, यदि जांच उसके अपने अनुरोध पर मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर की जाती है।

(घ) (1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी हो या नहीं, जिसे सरकार द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरूद्ध जांच की जा रही है, विभागीय जांच में बुलाया जाता है, नीचे दिए अनुसार यात्रा और अन्य खर्चों का भुगतान किया जाएगाः

(i) गवाह (सैनिक और सिविलियन) जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से अदायगी की जाती है और जिन्हें विभागीय जांच में साक्ष्य देने के

लिए बुलाया जाता है, उसी प्रकार सवारी के हकदार होंगे जिस प्रकार उन्हे अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा के लिए सवारी स्वीकार्य हो।

टिप्पणी 1: जहां गवाह को उन तथ्यों के संबंध में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाए, जो उसकी जानकारी में सरकारी ड्यूटी करते समय आए हों वहां उस के द्वारा जांच के स्थान तक जाने और वहां से लौटने की यात्रा में बिताया जाने वाला न्यूनतम समय और वह दिन जिस दिन उसे जांच करने वाले प्राधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना है, सेवा अवधि के रूप में माना जाएगा । परन्तु यदि गवाह छुट्टी पर है तो बिताया गया सारा समय छुट्टी के रूप में समझा जाएगा और उसे सेवा पर वापस बुलाया गया नहीं समझा जाएगा लेकिन इससे उसके यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की हकदारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी 2: विभागीय जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा यदि किसी गवाह को उन तथ्यों के संबंध में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाए जो उसकी जानकारी में उस समय आए हों, जब वह सरकारी सेवा में न हो, तो वह गवाह भी इस पैराग्राफ के अधीन सवारी का हकदार होगा।

(ii) यदि गवाह किसी अन्य विभाग या मंत्रालय में कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी है, तो विभागीय जांच करने वाले प्राधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने के संबंध में वह उस विभाग या मंत्रालय से अस्थाई ड्यूटी की तरह यात्रा–भत्ता लेने का हकदार होगा, जहां वह कार्य कर रहा है।

(iii) यदि गवाह राज्य सरकार का कर्मचारी है तो विभागीय जांच करने वाले अफसर के सम्मुख उपस्थित होने के संबंध में वह उस राज्य सरकार से यात्रा–भत्ता प्राप्त करने का उसी प्रकार हकदार होगा, जिस प्रकार का यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता, अस्थायी ड्यूटी के दौरान की गई यात्रा के संबंध में इस बारे में उस पर लागू नियमों के अधीन उसे स्वीकार्य हो और इस प्रकार अदा की गई रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अदा की जाएगी, जो इसे केन्द्रीय सरकार के नामे डालेगी।

(iv) नियम 131 के उपबन्ध उस व्यक्ति पर जो सरकारी कर्मचारी रहा हो और जिसे उन तथ्यों के संबंध में साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया हो, जिनका ज्ञान उसे सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के कम हुआ हो या उस व्यक्ति पर लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी न हो परन्तु जिसे विभागीय जांच प्राधिकारी के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया हो।

(2) जांच करने वाले बोर्ड के अफसर अपने सम्मुख उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित फार्म में एक प्रमाण–पत्र देंगे :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... नाम, पदनाम, कार्यालय आदि)

तारीख ..... को ..... में (स्थान) श्री..... नाम,

पदनाम, कार्यालय आदि। के विरूद्ध विभागीय जांच में मेरे सामने उपस्थित हुए और तारीख ..... को ..... बजे (समय) उन्हें गवाही के काम से मुक्त कर दिया गया।

यात्रा और अन्य खर्चों के संबंध में उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(हस्ताक्षर)

स्थान और तारीख अनुशासनिक प्राधिकारी/जांच बोर्ड/जांच अफसर

प्रतिलिपि, मंत्रालय/ ..... विभाग/सचिव

..... सरकार (राज्य सरकार का नाम)

..... विभाग को सूचना के लिए प्रेषित।

(3) लेकिन, जहां तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामांकित ऐसे व्यक्ति का संबंध है, जो आरोपों के समर्थन में मामले को सामने प्रस्तुत करने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामांकित व्यक्ति या जिस सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध जांच की जा रही हो उसके मामले को प्रस्तुत करने में उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति का संबंध है, जिसकी कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के उप–नियम (8) में व्यवस्था की गई है, विभागीय जांच करने वाले प्राधिकारी उस व्यक्ति को निम्नलिखित फार्म में एक प्रमाण–पत्र देगा। इस पैरे के अधीन सरकारी कर्मचारी को अदा किये गए यात्रा–भत्ता का समस्त व्यय उस लेख शीर्ष में प्रभारित किया जाएगा, जिसमें इस प्रकार के सरकारी कर्मचारी का वेतन नामा डाला जाता है।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तारीख .... को .... (स्थान)

श्री .....
.....(नाम, पदनाम, कार्यालय आदि) ने श्री .....
(नाम, पदनाम, कार्यालय आदि) के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही में, आरोपों के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने/उक्त श्री ..... (नाम) को उनके मामले को प्रस्तुत करने में उनकी सहायता के लिए भाग लिया।

यात्रा और अन्य खर्चों के संबंध में उसे कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

(हस्ताक्षर)

स्थान और तारीख
अनुशासनिक प्राधिकारी/जांच बोर्ड/जांच अफसर

प्रतिलिपि सूचना के लिए प्रेषित :–

.....।

(यहां उस व्यक्ति के विभाग/कार्यालय का नाम और पूरा पता दिया जाए, जिसको यह प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है।)

(च) रक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन पाने वाले उन सेवा निवृत्त सिविलियनों को जिनके लिए अपने विरूद्ध गठित विभागीय जांच में उपस्थित होना अपेक्षित है, उन्हें ऐसी जांच के संबंध में गी गई यात्रा में दौरे पर जाने के समान यात्रा–भत्ता, उनके अनुसार गृह नगर (जैसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रियायती यात्रा–भत्ता घोषित है) से जांच स्थल तक तथा वापसी यात्रा के लिए निम्नतम दूरी वाले रास्ते से दिया जा सकता है । यदि संबंधित व्यक्ति ने सेवा निवृत्ति के बाद अपने गृह नगर से अलग किसी स्थान पर अपना निवास स्थान बना लिया है तो उसे उसके निवास स्थान से जांच स्थल तक और वापसी यात्रा का यात्रा–भत्ता दिया जा सकता है।

टिप्पणी 1: निवास स्थान से तात्पर्य उस स्थान से है, जिसके लिए सेवा निवृत्ति के बाद यात्रा–भत्ता दावा प्रस्तुत किया गया था या उस स्थान से है जिस स्थान (बैंक/कोषागार से पेशन ले रहा है) तथापि, यदि सेवा निवृत्त/सरकारी कर्मचारी समन प्राप्त होने के समय अपने गृह नगर या निवास स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर है तो यात्रा–भत्ता गृह नगर/निवास स्थान से जांच स्थल के बीच दोनों में से जिसकी दूरी न्यूनतम हो, तक सीमित कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी 2 : यात्रा–भत्ता सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा निवृत्ति से तुरंत पूर्व संभाले गए पद के वेतन के अनुसार नियमित किया जाएगा।

टिप्पणी 3 :ऐसी यात्रा के संबंध में कोई अग्रिम यात्रा–भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

133–अ. न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सेवा निवृत्त सिविलियनों को यात्रा–भत्ता

उन सेवा निवृत्त सिविलियनों को जिनके विरूद्ध सेवा निवृत्ति के बाद सरकार द्वारा न्यायिक कार्रवाई की जाती है और उन्हें ऐसे मामलों के लिए न्यायालय में बाहरी स्टेशनों के उपस्थित होना पड़ता है, उस यात्रा के लिए सबसे छोटे मार्ग से (पड़ाव के लिए किसी दैनिक–भत्ते के बिना) दौरे पर स्वीकार्य यात्रा–भत्ता दिया जा सकता है जो उन्हे अपने गृह नगर/निवास स्थान से न्यायिक कार्रवाई के स्थान तक करनी पड़ती है बशर्ते कि वे न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिए गए हों।

टिप्पणी 1: निवास स्थान से अभिप्राय उस स्थान से है, जिसके लिए सेवा निवृत्ति के बाद यात्रा–भत्ते का दावा प्रस्तुत किया गया था अथवा वह स्थान (बैंक/खजाना) जिसे पेंशन ली जा रही है।

टिप्पणी 2: यात्रा–भत्ता सेवा निवृत्त सिविलियनों द्वारा सेवा निवृत्ति से तुरंत पूर्व संभाले गए पद के वेतन के अनुसार नियमित किया जाएगा ।

टिप्पणी 3: ऐसी यात्रा के संबंध में कोई पेशगी यात्रा–भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए ।

134. अनुशासनिक मामलों में बाह्य स्थानों पर सरकारी रिकार्ड के अवलोकन के लिए की गई यात्राओं के लिए सवारी

ड्यूटी पर तैनात या छुट्टी बिता रहे या निलंबित सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को, उनके विरूद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में बचाव से संबंधित अभ्यावेदन के लिए सरकारी रिकार्ड का अवलोकन करने के सिलसिले में बाह्य स्थानों की यात्रा करने के लिए सवारी की अनुमति दी जा सकती है । सवारी की अनुमति सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय या किसी अन्य स्थान से जहां सरकारी कर्मचारी छुट्टी बिता रहा हो या जहां निलंबित अफसर को उसके अनुरोध पर रहने की अनुमति दी गई हो, दी जाएगी, परन्तु किसी अन्य स्थान से दूसरी उस दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि उस स्थिति में स्वीकार्य होती यदि यात्रा सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय से की गई होती बशर्ते कि :

(क) जांच अफसर यह प्रमाणित करे कि जिस सरकारी रिकार्ड को देखाजाना है वह बचाव बयान करने के लिए संगत और आवश्यक है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाणित करे कि मूल रिकार्ड सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय के स्थान को नहीं भेजे जायेंगे या अधिकांश दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार करना और भेजना संभव नहीं होगा; और

(ग) कार्यालय अध्यक्ष, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी कर्मचारी कार्य करता है, यह प्रमाणित

करें कि यात्रा उसके अनुमोदन से की गई है।

134–अ. अनुशासनिक कार्यवाही के खिलाफ अपने बचाव की तैयारी में दस्तावेजों के अवलोकन के लिए सेवा निवृत्त सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को यात्रा–भत्ता

सेवा निवृत्त सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को उनके खिलाफ चलाई गई अनुशासनिक कार्यवाही के विरूद्ध अपने बचाव की तैयारी में दस्तावेजों के अवलोकन के लिए बाह्य स्टेशन की यात्रा करने के लिए दौरे पर जाने के समान, पड़ाव के लिए दैनिक– भत्ते सहित। अधिकतम केवल तीन दिन तक प्रतिबंधित। यात्रा–भत्ता दिया जाए । ऐसे मामलों में यात्रा–भत्ता दावे एक बार आने–जाने के किराए तक सीमित होंगे, ऐसी स्थिति में उसे उस श्रेणी का किराया दिया जाएगा जिसके लिए वह सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व हकदार था (उसके निवास स्थान/घोषित निवास स्थान जहां तक का सेवा निवृत्ति यात्रा–भत्ता लिया गया था) जिस स्थान से वास्तव में यात्रा आरंभ की गई थी और जहां दस्तावेज रखे गए हैं, उनके बीच के लघुतम मार्ग का किराया उनमें से जो भी कम हो और दैनिक–भत्ता उपर बताए गए अनुसार देय होगा । यात्रा–भत्तों की मंजूरी इस शर्त पर भी की जाएगी कि जांच अफसर यह प्रमाणित करे कि देखा जाने वाला सरकारी रिकार्ड, बचाव का विवरण तैयार करने से संबंधित है और उसके लिए अनिवार्य है।

134–ब. विभागीय मामलों में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता

यदि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसके सेवाकाल में उसकी जानकारी में आए विभागीय मामलों में तथ्यों के अनुसार न्यायालय में सबूत पेश करने के लिए अथवा सरकारी की तरफ से शिकायत कर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा बुलाया जाता है तो उसे वही यात्रा–भत्ता दिया जाएगा जो उसे दौरे पर (पड़ावों के लिए दैनिक–भत्ते सहित) जाने के लिए की गई यात्राओं के लिए दिया जाता है।

ऐसे मामलों में यात्रा–भत्ता उनके द्वारा सेवा निवृत्ति के समय धारण किए गए पद के लिए निर्धारित हकदार श्रेणी से, यात्राओं के समय लागू आदेशों के अंतर्गत निवास स्थान/ घोषित निवास स्थान जहां तक सेवा निवृत्ति यात्रा–भत्ता दिया गया था और उस स्थान जहां से कार्यवाही की गई है, के बीच लघुतम मार्ग के किराए उनमें से जो भी कम हो, तक सीमित किया जाएगा। यात्रा–भत्ते की स्वीकृति, समन करने वाले न्यायालय द्वारा यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएगी कि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी को न्यायालय से यात्रा–भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता उस विभाग से लिया जाएगा जिसकी तरफ से या जिसके आग्रह पर वह सुनवाई में सम्मिलित होता है। ऐसी यात्राओं के लिए यात्रा–भत्ता अग्रिम रूप से नहीं दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली समय–समय पर यथासंशोधित यात्रा–भत्ता/दैनिक यात्रा विनियम संबंधी अन्य सभी शर्तें सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।

135. अभिरक्षा के अभियुक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सवारी

इस अभियुक्त को सवारी स्वीकार्य होगी जिस पर विचारण जनरल, समरी जनरल या जिला कोर्ट मार्शल या कोर्ट मार्शल द्वारा उस छोटे से स्टेशन पर किया गया हो, जहां उस समय तक उसे अभिरक्षा में रखने के लिए कोई उपयुक्त यूनिट/स्थापना न हो जब तक कि नजदीक के उस स्टेशन पर उसे ले जाने के लिए कोर्ट मार्शल की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती जहां ऐसा उपयुक्त यूनिट/स्थापना विद्यमान हो । यदि आवश्यक हो तो ऐसे उपयुक्त को पहले स्टेशन पर वापस आने के लिए भी सवारी स्वीकार्य होगी ।

136. जिन अफसरों को सम्मेलनों, कांग्रेस या बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है उनको स्वीकार्य यात्रा–भत्ता

(क) (i) यदि किसी व्यक्ति को उसी के अनुरोध पर भारत में आयोजित सम्मेलनों, कांग्रेस या बैठकों में उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है जिससे सरकार का कोई हित होता हो तो उसक आने–जाने की यात्रा के लिए उस श्रेणी की सवारी की अनुमति दी जाएगी, जिसका वह हकदार हो।

(ii) लेकिन अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा उस समय स्वीकार्य होगी जब किसी अफसर को किसी सम्मेलन, कांग्रेस या बैठक में उपस्थित होने के लिए सरकारी तौर पर भेजा जाए।

टिप्पणीः सम्मेलन, कांग्रेस या बैठकों के संबंध में जिनमें विभागीय सम्मेलन भी शामिल हैं, व्यक्तियों के संचलन की मंजूरी, जिसे मूल विनियमों या सरकार के अलग–पत्रों में प्राधिकृत नहीं किया गया है, इन विनियमों के नियम 4(ii) के अधीन दी जाएगी। सम्मेलनों, कांग्रेस या बैठकों के संबंध में संचलन जिसे मूल विनियमों में या सरकार के अलग पत्रों में प्राधिकृत किया गया हो, इन विनियमों के परिशिष्ट III में उल्लिखित सक्षम अफसरों द्वारा मंजूर किए जाएंगे।

(ख) ऐसे व्यक्ति, उपखंड क (i) के अन्तर्गत सवारी के हकदार होंगे जो संबंधित संगठनों के द्वारा आमंत्रित किए गए हों, उसके सदस्य हों, सरकारी प्रतिनिधि हों या जिनको सम्मेलन में लेख पढ़ने को कहा गया हो, जब इन्हें इण्डियन साइन्स कांग्रेस एसोसीएशन, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया, इन्सटीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरी, इण्डियन एकेडमी ऑफ

साइन्सेज, बंगलोर जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं और इसी प्रकार के अन्य निकायों द्वारा उनकी बैठकों में उपस्थित होने की अनुमति दी गई हो जिनका भारत में आयेजन किया गया हो। इस प्रकार की बैठकों में उपस्थित होने वाले सरकारी प्रतिनिधियों पर उपर्युक्त खण्ड क (ii) लागू होगा।

137. दि इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन और आल इंडिया डिफेंस इमप्लाइज फेडरेशन के प्रतिनिधियों को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा–भत्ता

जब दि इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन और आल इंडिया डिफेंस इमप्लाइज फेडरेशन तथा उन मान्यता प्राप्त कर्मचारी संस्थाओं और मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधि इनमें से किसी भी संघ से संबंधित न हों, मंत्रालय या उनके अधीनस्थ संगठनों के अनुरोध पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ अपने सदस्यों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए बैठकों में भाग लें तो वे नीचे दिए अनुसार यात्रा–भत्ते के हकदार होंगे:––

(i) गैर–सरकारी प्रतिनिधि को आने जाने का उस दर्जे का रेल किराया, जो प्रथम दर्जे एसी ।। से अधिक का नहीं होगा, दिया जाएगा, जिसमें वास्तव में यात्रा की गई हो।

(ii) सरकारी कर्मचारियों को आने जाने का उस दर्जे का रेल का किराया दिया जाएगा, जिसका वह सरकारी सेवा में अपने पद के आधार पर हकदार हो। या उसे उस दर्जे का किराया दिया जाएगा, जिसमें वास्तव में उसने यात्रा की हो, यदि वह दर्जा अपेक्षाकृत छोटा हो।

(iii) संघ के उन सदस्यों को, केवल निर्धारित दरों के तहत किराए पर ली गई सवारी की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाएगा, जो उस स्थान पर रहने के दौरान बैठक में भाग लेते हैं जहां बैठक का आयोजन किया जाए।

टिप्पणी 1: उपर मद (i) और (ii) में उल्लिखित रेल का किराया डाक/तीव्रगामी रेलों के लिए भी अदा किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति ने उसमें वास्तव में यात्रा की हो।

टिप्पणी 2: उपर मद (ii) और (iii) में उल्लिखित भत्तों को सरकारी प्रतिनिधियों को अदायगी प्राधिकृत की जाएगी परन्तु शर्त यह है कि वह विभागाध्यक्ष जिसके अधीन संबंधित सरकारी कार्य कर रहा है, यह निर्णय करे कि ऐसा करना सरकारी हितों में है ।

टिप्पणी 3: नियम के अनुसार हवाई जहाज से यात्रा अनुमत्य नहीं है । लेकिन उक्त संघों मान्यता प्राप्त यूनियनों, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संस्थाओं आदि के प्रधानों, उप–प्रधानों और महा–सचिवों को हवाई–जहाज द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। किन्तु शर्त यह है कि वे यह प्रमाणित करे कि वे उस समय भी हवाई–जहाज से यात्रा करते हैं जब वे सरकारी ड्यूटी पर नहीं होते हैं। जहां तक दूसरे लोगों का संबंध है, उनके मामलों पर योग्यता के आधार पर जांच की जाएगी और रक्षा मंत्रालय द्वारा तभी अनुमति दी जाएगी, जब हवाई यात्रा आवश्यक और अनिवार्य हो। यदि बैठक की सूचना ठीक समय पर न मिले या उस बैठक की तारीख के संबंध में संबंधित वयक्तियों को अन्य कार्यों को पूरा करना हो या उन्हें अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य करने हों तो इन परिस्थितियों में हवाई यात्रा आवश्यक होगी।

टिप्पणी 4: गैर–सरकारी सदस्यों को आने–जाने की यात्रा के किराये का भुगतान उस तारीख को किया जाएगा जब वे उस स्थान से प्रस्थान कर रहे हों जहां बैठक का आयोजन किया गया था। वह भुगतान बैठक का आयोजन करने वाले प्रशासन प्राधिकारियों के अग्रदाय से यदि हो, किया जाएगा और इस अग्रदाय की पूर्ति उपयुक्त क्षेत्रीय नियंत्रक रक्षा लेखा को यात्रा–भत्ते का दावा प्रस्तुत करके की जा सकती है, जिस पर सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होंगे और बैठक का आयोजन करने वाले प्रशासन प्राधिकारियों के प्रतिहस्ताक्षर होंगे। दावे के साथ उस पत्र की प्राप्ति भी लगायी जानी चाहिए, जो प्रशासन प्राधिकारियों द्वारा उस सदस्य के नाम, तारीख विशेष को बैठक में उपस्थित होने के संबंध में जारी किया गया हो। गैर–सरकारी सदस्यों को बिल पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों को भी दर्ज करना होगा :

(क) में वापसी की यात्रा डाक/तीव्रगामी रेल/सामान्य रेल द्वारा उस स्थान और रेल के उस दर्जे में करने का वचन देता हूं जिसके लिए भुगतान किया गया है।

(ख) इस प्रकार का कोई भत्ता किसी अन्य स्त्रोत से न तो मैंने प्राप्त किया है और न ही भविष्य में प्राप्त करूंगा।

टिप्पणी 5: जहां तक सामान्य नियमों के अधीन स्वीकार्य हो यात्रा–भत्ते का अग्रिम भुगतान भी सरकारी कर्मचारी को किया जा सकता है।

138. रेजिमेंट सम्मेलनों में उपस्थित होने के बारे में स्वीकार्य सवारी

अस्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा–भत्ता निम्नलिखित अफसरों को स्वीकार्य होगा :

(क) पैदल–सेना इन्फैन्ट्री बटालियन का कोई अफसर,

जो अपने ग्रुप के रेजीमेंट केन्द्र के मुख्यालय में रेजीमेंट सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हो। यात्रा–भत्ता और दैनिक–भत्ता दो वर्ष में प्रति यूनिट एक ही अफसर को दिया जाएगा।

(ख) गोरखा यूनिट के कमान अफसर, जो कुनराघाट में वार्षिक रेजीमेंट सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हों।

139. सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड के सैनिक सदस्यों को स्वीकार्य यात्रा–भत्ता, जब वे बोर्ड की त्रैमासिक बैठकों में भाग लेने जा रहे हों

जिला सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड के सैनिक सदस्य उस समय सामान्य नियमों के अधीन यात्रा और दैनिक–भत्ते लेंगे जब वे बोर्ड की त्रैमासिक बैठकों में भाग लेने जा रहे हों।

140. केन्द्रीय शासी परिषद् और सैनिक स्कूल के स्थानीय प्रशासन बोर्ड के सदस्यों के रूप में अफसरों को स्वीकार्य यात्रा–भत्ता

जो अफसर केन्द्रीय शासी परिषद् और किंग जार्ज स्कूल के स्थानीय प्रशासन बोर्ड के सदस्य हो वे उस मान और दर के अनुसार यात्रा–भत्ता लेने के हकदार होंगे जो उन पर अस्थायी ड्यूटी पर भी करने के समय लागू होते हों।

141. सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड और उसकी अधीनस्थ समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए की गई यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता

(i) सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड और उसकी अधीनस्थ समितियों द्वारा आयोजित समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारतीय सीमाओं के अन्दर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा करने वाले सदस्य सामान्य अस्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते के हकदार होंगे। इससे संबंधित भत्ते के सभी दावों पर बैठक का आयोजन करने वाले अफसर द्वारा प्रति–हस्ताक्षर अवश्य किए जाने चाहिए।

(ii) सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड के सैनिक कर्मचारी, नीचे सूची में दी गई अपनी ड्यूटी को करने के लिए भारत के अन्दर अस्थायी ड्यूटी पर संचलन कर सकते हैं:

(क) सैनिक चैम्पियनशिप के प्रारंभिक और अन्तिम दौर में भाग लेने के लिए।

(ख) ऐसी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जिस में सैनिक कार्मिक भाग ले रहे हों।

(ग) सैनिक चैम्पियनशिप के प्रारंभिक और अंतिम दौर का संचालन करने के लिए व्यवस्था करने के निमित्त विभिन्न स्थापनाओं/यूनिटों की संपर्क यात्राएं।

(घ) सिविल टूर्नामेंटों/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली सैनिक टीमों/खिलाड़ियों की व्यवस्था के संबंध में विभिन्न सिविल प्राधिकारियों/खेल संगठनों की संपर्क यात्राएं।

(ङ) भारत के अंदर कोई अन्य संचलन जो सेना में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हों।

(च) राष्ट्रीय क्रीड़ा निकायों की बैठकों में भाग लेना जहां सैनिक टीम/खिलाड़ी भागले रहे हों।

इस प्रकार के संचलनों की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी रक्षा मंत्रालय होगा । हवाई यात्राओं के लिए रक्षा मंत्रालय के सचिव की मंजूरी लेनी होगी।

टिप्पणी: उक्त नियम उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जो अखिल भारतीय स्तर की मान्यता प्राप्त सिविलियन क्रीड़ा संस्था में सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हों।

141–अ. राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता (चैम्पियनशिप), राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद आयोजनों द्वारा संचालित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय टूर्नामेंटों में भाग लेने पर "सैनिक टीमें/खिलाड़ी/अधिकारी" निम्नलिखित यात्राओं के संबंध में सामान्य अस्थायी ड्यूटी मान की दर पर यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते के हकदार होंगे:

(क) अखिल भारतीय फेडरेशनों द्वारा संचालित राष्ट्रीय एवं अन्य अनिवार्य चैम्पियनशिप के स्थल तक।

(ख) देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के स्थल तक।

(ग) राष्ट्रीय कोचिंग/अंतिम चयन शिविरों में स्थल तक।

(घ) विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संबंध में आंतरिक यात्रा।

ऐसे संचलनों के आदेश करने के लिए सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सक्षम अधिकारी होंगे। "जाने एवं वापस आने" की दोनों यात्राएं व्यक्ति अपनी हकदारी के अनुसार वारंट/वायुयान के द्वारा करेगा।

142. खेलों में भाग लेने वाले सैनिक कार्मिकों को यात्रा के लिए सवारी

सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित सैनिक चैम्पियनशिप के प्रारंभिक और अंतिम दौर में भाग लेने वाले सैनिक कार्मिक आते–जाते समय वारंट पर यात्रा करेंगे।

हवाई जहाज और/या वातानुकूलित प्रथम दर्जे/शायिका द्वारा यात्रा करना भी स्वीकार्य नहीं होगा।

एसी–II/एसी–III/प्रथम श्रेणी/एसी–कुर्सी यान स्लीपर क्लास द्वारा हकदारी के अनुसार यात्रा कर सकते हैं। किन्तु हवाई जहाज और/या एसी–I द्वारा यात्रा मान्य नहीं होगा।

टिप्पणी :इस प्रयोजन के लिए यूनिट/फार्मेशन कीड़ा चैम्पियनशिप को सैनिक के प्रारंभिक दौर के रूप में माना जाएगा।

143. प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लेने वाले परिवीक्षाधीनों को यात्रा–भत्ता

विभिन्न सेवाओं के परिवीक्षाधीनों को प्रशिक्षण संस्थान में दाखिल होने के लिए और प्रशिक्षण के दौरान यात्राओं के लिए यात्रा–भत्ता निम्नलिखित नियमों के अधीन विनियमित किया जाएगा :––

(i) जिन मामलों में, जिनमें परिवीक्षाधीन सरकारी सेवा में पहली नियुक्ति पर ही प्रशिक्षण संस्थान में सीधे दाखिल हों, उनमें संस्थान तक की जाने वाली यात्रा के लिए कोई यात्रा–भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए।

(ii) उन परिवीक्षाधीनों को अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा के समान यात्रा–भत्ता दिया जाए, जो पहले ही सरकारी सेवा में हों या जिन्होंने पहले अपने–अपने विभागों या आबंटित राज्यों में कार्य संभाला हो या/और बाद में प्रशिक्षण संस्थान में दाखिल हो गए हों या जहां उन्होंने एक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे प्रशिक्षण संस्थान के लिए संचलन किया हो । लेकिन प्रशिक्षण संस्थान में रहने की अवधि के लिए किसी भी स्थिति में उन्हें दैनिक–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) प्रशिक्षण के भाग के रूप में प्रशिक्षण संस्थान से बाह्य स्थानों पर अस्थायी ड्यूटी के लिए की गई यात्रा सामान्य नियमों के अधीन स्वीकार्य, यात्रा–भत्ता दिया जा सकता है।

144. कैदियों और भगोड़ों को स्वीकार्य सवारी

(i) पकड़े जाने के बाद यूनिट/स्थापना/जहाज या अन्य किसी स्थान पर जांच के लिए वापस लाए गए भगोड़ों और गैर–हाजिर व्यक्तियों को और दण्ड दासता, कारावास या नजरबन्दी के लिए दण्डित नौसैनिकों/हवाई सैनिकों को सैनिक जेल या नजरबन्द बैरकों तक यात्रा के लिए और आवश्यक अनुरक्षकों के लिए भी सवारी स्वीकार्य होगी । असबाब रेल में सामान की छूट तक सीमित होगा। वास्तव में किए गए खर्चे के आधार पर सड़क–भत्ता, मार्गरक्षी पार्टी या सशस्त्र रक्षी के रूप में कार्य कर रहे सैनिकों/ नौसैनिकों/हवाई सैनिकों को और वापस लौटे भगोड़ों को दिया जाएगा और बिल को प्रस्तुत करके इसके लिए दावा किया जा सकता है। इस बिल के साथ सिविल प्राधिकारियों (जिनमें पुलिस अफसर भी शामिल हैं) का एक प्रमाण–पत्र लगाना आवश्यक है जिसमें उनके द्वारा तय की गई मील दूरी और सबसे सस्ती और उपयुक्त सवारी की स्थानीय दर सूची का उल्लेख किया गया हो।

(ii) जब भूतपूर्व सैनिक कैदियों को एक सिविल जेल से दूसरी सिविल जेल में स्थानान्तरित किया जाए तो कैदी और उसके मार्ग–रक्षी दोनों की सवारी की लागत रक्षा सेवा प्राक्कलन से वहन की जाएगी ।

(iii) राज्य सरकार द्वारा भगोड़ो को रेजीमेंट केन्द्र/यूनिट/फार्मेशन/स्थापना में ले जाने के संबंध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति रक्षा सेवा प्राक्कलन से की जाएगी। इस संबंध में सभी को इस आशय के एक लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र के साथ कि "नामे डाले गए प्रभारों की लेखा परीक्षा की गई है और उन्हें नियमों के अधीन स्वीकार किया गया है"। इस लेखे को संबंधित लेखा अधिकारी द्वारा उस रक्षा लेखा नियंत्रक के नामे डाला जाएगा, जिसके यहां से भगोड़े को अदायगी की जाती हो।

टिप्पणी: उक्त नियम के उपबन्ध रिजर्व वाले भगोड़ों पर भी लागू होंगे।

145. नेपाल में निवास करने वाले उन व्यक्तियों को सवारी जो अपने पेंशन या परिवार को आबंटित राशि वार्षिक रूप से लेते हों

नेपाल में निवास करने वाले जिन लोगों को अपनी पेंशन या परिवार को आबंटित राशि को प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी पड़ती हो उनको पेंशन भुगतान करने वाले निकटतम केन्द्रों तक आने और वापस जाने के लिए सड़क मिल दूरी भत्ता प्रतिदिन के लिए निर्धारित दर निकटतम पेंसन अदायगी केंद्र तक अदा किया जायेगा। यह रियायत पेंशनर के उत्तराधिकारी को भी स्वीकार्य होगी जब वह उस पेंशनर की आजीवन पेंशन का बकाया प्राप्त करने के लिए आ रहा हो, जिसकी मृत्यु नेपाल में हुई हो। यह रियायत पेंशनर गोरखा के उस प्रतिनिधि को भी मिलेगी जो किसी पेंशनर की ओर से पेंशन लेता हो। लेकिन ऐसे मामलों में जहां एक व्यक्ति एक ही समय पेंशन प्राप्त करने वाले एक से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो वहां पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रतिनिधि प्रत्येक यात्रा के लिए केवल एक सड़क–भत्ता ही प्राप्त करे। भले ही वह जिन पेंशनरों की पेंशन लेने आता हो उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो।

यह रियायत वर्ष में केवल एक बार ही स्वीकार्य होगी और यह रियायत तभी दी जाएगी जब आने–जाने में दो दिन से अधिक लगते हों।

146. भर्ती दल के लिए सवारी

(i) भर्ती दल उस स्टेशन से आने–जाने के लिए रेल सड़क और जहाज द्वारा यात्रा का हकदार होगा जहां से उन्हें भर्ती ड्यूटी पर भेजा जाए।

(ii) आर्डनेंस फैक्ट्यों में शिल्पियों को नियुक्त करने के लिए बाह्य स्टेशनों पर भेजा गया भर्ती दल भर्ती स्टेशन तक आने जाने के लिए रेल और सड़क द्वारा सवारी का हकदार होगा। रेल और सड़क वारंट दोनों यात्राओं के लिए जारी किए जाएंगे।

(iii) यूनिट/स्थापना से की जाने वाली यात्रा को छोड़कर अतिरिक्त भर्ती दल सामान्य अपना और रंगरूटों का रेल और सड़क भाड़ा स्वयं अदा करेंगे। रेल और सड़क वारंट केवल भर्ती अधिकारी के विवेक पर ही जारी किए जाएंगे। इस प्रकार खर्च की गई धनराशि यूनिट/स्थापना द्वारा भर्ती अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर वसूल की जाएगी।

(iv) रेजीमेंट की भर्ती करने वाले उस समय सवारी के हकदार होंगे जब वे भर्ती ड्यूटी पर होंगे जिसमें वह अवधि भी शामिल होगी, जो उनके यूनिट के स्टेशन आने–जाने में बिताई जाएगी। अपने यूनिटों से की जाने वाली यात्रा को छोड़कर वे सामान्यतः अपना और रंगरूटों का यात्रा व्यय स्वयं वहन करेंगे। रेल और सड़क वारन्टों का इस्तेमाल केवल भर्ती अधिकारियों के विवेक पर ही किया जाएगा।

(v) वेतन–भोगी भर्ती करने वाले, भर्ती ड्यूटी के समय रंगरूटों को भर्ती करने के स्थान से निकटतम भर्ती कार्यालय तक और वापसी के लिए रेल, सड़क और समुद्री यात्रा के पात्र होंगे। सामान्यतः वे अपना और रंगरूटों का यात्रा व्यय स्वयं वहन करेंगे क्योंकि रेल और सड़क वारंट केवल भर्ती अफसरों के विवेक पर जारी किए जाते हैं। लेकिन उन्हें ड्यूटी पर यात्रा करते समय सिविलियन चतुर्थ ग्रेड की देय यात्रा–भत्ते और दैनिक–भत्ते के अनुसार यात्रा–भत्ता और दैनिक–भत्ता दिया जाएगा। इन भत्तों के संबंध में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वे रंगरूटों को लाते हैं या नहीं।

(vi) भर्ती ड्यूटी के दौरान छुट्टी पर चल रहे सैनिक/नौसैनिक रंगरूटों को भर्ती करने के स्थान से निकटतम भर्ती कार्यालय या स्वास्थ्य परीक्षा केन्द्र और यदि आवश्यक हो तो अपने घर वापस जाने के लिए रेल, सड़क और समुद्री यात्रा के पात्र होंगे।

(vii) भर्ती ड्यूटी पर नियाजित रिजर्व वाले पेंशन प्राप्त और सेवा मुक्त सैनिक रंगरूटों को प्राप्त करने के स्थान से निकटतम भर्ती कार्यालय या स्वास्थ्य परीक्षा केन्द्र और यदि आवश्यक हो तो अपने घर वापस जाने के लिए रेल, सड़क और समुद्री यात्रा के पात्र होंगे।

147. अण्डमान, निकोबार, लक्षद्वीप मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह से और द्वीपसमूह तक यात्रा करने वाला भर्ती दल

भर्ती संगठन के जिन कार्मिकों को अण्डमान, निकोबार, लक्षद्वीप मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में भर्ती ड्यूटी पर भेजा जाए वे निम्नलिखित रियायतों के हकदार होंगे:

(क)	डेक के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों में यात्रा करने के हकदार कार्मिक	आहार मुक्त यात्रा(डाइटेड पैसेज)
(ख)	डेक श्रेणी में यात्रा करने के हकदार कार्मिक	शिपिंग कम्पनी द्वारा आहार रहित वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति

इसके अतिरिक्त कोई दैनिक–भत्ता/मेस–भत्ता/राशन–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

148. भर्ती, सहायक भर्ती या अतिरिक्त सहायक भर्ती अफसर (अफसरों) के साथ अस्थायी ड्यूटी पर जाने वाले भर्ती कार्यालय के लिपिक

भर्ती, सहायक भर्ती या अतिरिक्त सहायक भर्ती अफसर जब आवश्यक समझें अपने साथ अस्थायी ड्यूटी पर जाने वाले भर्ती कार्यालय के लिपिक को रेल और समुद्र द्वारा जुड़े स्टेशनों के बीच सरकारी मोटर बस या लारी द्वारा यात्रा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। इस प्रकार के मामलों में मोटर बस या लारी द्वारा सवारी की वास्तविक लागत दोनों स्टेशनों के बीच वारंट की लागत को ध्यान में रखे बिना स्वीकार्य होगी ।

भर्ती ड्यूटी पर नियोजित योद्धी, लिपिक/लेखक अनुभाग के नौसैनिक/हवाई सैनिक लिपिक सामान प्रभाग और चिकित्सा सहायक जब जहां सड़क से यात्रा का रहे हों किराये की मोटर बसें न चलती हों, तो वे अपने और असबाब के परिवहन के लिए सवारी पर किए गए तुरंत देय खर्च लेने के हकदार होंगे ।

149. विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ सम्पर्क कर्मचारियों के रूप में सम्बद्ध सैनिक/ सिविलियन अफसरों को स्वीकार्य यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता

(i) सम्पर्क, सुरक्षा ड्यूटी आदि के लिए विदेशी उच्च अधिकारियों, शिष्ट मण्डलों से सम्बद्ध व्यक्ति सामान्य नियमों के अधीन यात्रा–भत्ते के हकदार हैं। यह यात्रा–भत्ता उन्हे उनके ड्यूटी स्टेशन से उस स्थान की यात्रा के लिए दिया जाएगा, जहां उन्हें उच्च अधिकारियों शिष्ट मण्डल के पास कार्य करने के लिए जाने और

संपर्क सुरक्षा ड्यूटी आदि के पूरा होने पर वहां से उन्हे वापस ड्यूटी स्थान पर जाने को कहा जाए।

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति सम्पर्क सुरक्षा ड्यूटी आदि के लिए विदेशी उच्च अधिकारी/शिष्ट मंडल के साथ जाएगा तो जितनी अवधि के लिए वह उसके साथ रहेगा उतनी अवधि के लिए उस पर यात्रा और दैनिक–भत्ते की निम्नलिखित शर्त लागू होंगी :––

(क) रेल द्वारा यात्रा के संबंध में : जहां तक संभव होगा, व्यक्ति उसी श्रेणी से यात्रा करेगा जिसका वह सामान्य नियमों के अधीन हकदार हो। लेकिन जहां साथ जाने वाले व्यक्ति के लिए अपनी हकदार श्रेणी से उपर की श्रेणी में यात्रा करना, उदाहरण के लिए उच्च अधिकारियों/शिष्ट मंडल के सदस्यों के साथ वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करना अत्यधिक आवश्यक समझा जाए तो उसे ऐसी यात्रा की अनुमति रक्षा मंत्रालय की पूर्व मंजूरी से दी जा सकती है।

(ख) सड़क या हवाई जहाज द्वारा यात्रा के संबंध में : जहां कहीं आवश्यक हो व्यक्ति उच्च अधिकारियों/शिष्ट मंडल के सदस्यों के साथ सड़क या हवाई मार्ग द्वारा यात्रा कर सकता है ।

(ग) साथ जाने वाले व्यक्ति को रेल, सड़क या हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए दैनिक–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन रास्ते में भोजन पर किया गया व्यय और अन्य आवश्यक आकस्मिक व्यय, जैसे कि कुली प्रभार, सरकारी निधि से उसी प्रकार अदा किए जाएंगे जैसे कि उच्च अधिकारियों/शिष्ट मंडल के सदस्यों को अदा किए जाएंगे।

(घ) बाह्य स्टेशनों पर दैनिक–भत्ता : जहां कहीं संभव हो, बाह्य स्टेशनों पर प्रत्येक व्यक्ति को भोजन और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए, इनके लिए वह सामान्य नियमों के अधीन स्वीकार्य दैनिक भत्ता ले सकता है। लेकिन जहां यह अत्यन्त आवश्यक समझा जाए कि वह उसी होटल में ठहरे जहां उच्च अधिकारी/शिष्ट मंडल के सदस्य ठहरे हों तो उस होटल में उसके लिए पद के उपयुक्त आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार के मामलों में वह व्यक्ति नियम 114 सारणी के साथ पठित नियम 114(क) के खंड (iv) के अनुसार दैनिक–भत्ते का हकदार होगा।

150. वे परिस्थितियां और शर्तें जिनके अधीन छुट्टी के दौरान सवारी (कन्वेयंस) अधिकृत की जायें

(i) छुट्टी के दौरान या छुट्टी जाते समय या छुट्टी से वापस आते समय की गई यात्रा के लिए सामान्यतः यात्रा–भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

(ii) कोई व्यक्ति, जो छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी समेत) पर रहते हुए अस्थायी ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है, अपनी छुट्टी बिताने के स्थान तक आने के लिए और अपनी छुट्टी बिताये जाने के स्थान तक वापसी यात्रा के लिए, बशर्ते कि उसने वास्तव में वापसी यात्रा की हो, उसकी की गई विशेष ड्यूटी के लिए स्वीकार्य यात्रा– भत्ता ले सकता है अगर ऐसी ड्यूटी के लिए उस स्थान से यात्रा करनी पड़ी हो जहां वह अपनी छुट्टी बिता रहा है ।

किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो अस्थायी ड्यूटी के शुरू होने से पूर्व या अस्थायी ड्यूटी के दौरान या अस्थायी ड्यूटी पूरी किए जाने पर अस्थायी ड्यूटी के साथ आकस्मिक छुट्टी को जोड़ देता है, आकस्मिक छुट्टी के दिनों के लिए मुख्यालय से उस बाह्य स्टेशन (आउट स्टेशन) तक जहां उसने सरकारी ड्यूटी की हो या इसके विपरीत एक अस्थायी ड्यूटी स्टेशन से दूसरे ड्यूटी स्थान तक सबसे छोटे मार्ग से यात्रा–भत्ता दिया जा सकता है जबकि कोई दैनिक–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में नियंत्रण अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

टिप्पणीः इस नियम में, "स्थान", जहां वह ड्यूटी करता है शब्दावली में उस व्यक्ति का मुख्यालय स्टेशन भी शामिल है बशर्ते कि अस्थाई ड्यूटी उसकी नियुक्ति या उसकी यूनिट/ विरचना/स्थापना से संबंधित न हो।

(iii) निम्नलिखित प्राधिकारी अधोलिखित परिस्थितियों में सवारी लेने के लिए, विशेष कारणों से, जो उल्लिखित किए जाने चाहिए, किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकते हैं:

(1) जब छुट्टी पर जाते समय या छुट्टी से वापस आते समय अस्थायी ड्यूटी के लिए तैनात किया जाए; या

(2) जब उस स्थान पर अस्थायी ड्यूटी के लिए तैनात किया जाए जहां वह अपनी छुट्टी बिता रहा है।

सेना	(क)	डी जी ओ एल एण्ड एस एम	सेना मुख्यालय के पी एस ओ तथा जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ, कमान।
	(ख)	सेना मुख्यालय के शाखा अध्यक्ष/डीजी ओएलएण्डएसएम	इनके नियंत्रणाधीन रखे गए व्यक्ति
	(ग)	जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, कमान	
नौ सेना	(घ)	नौसेनाध्यक्ष	नौसेना मुख्यालय के पी एस ओ, फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ, कमान, फ्लैग अफसर कमांडिंग, फ्लीट/एरिया।
	(च)	नौसेना मुख्यालय के शाखा अध्यक्ष	इनके नियंत्रणाधीन रखे गए व्यक्ति।
	(छ)	फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, कमान/फ्लैग अफसर कमांडिंग/फ्लीटएरिया	
वायु सेना	(ज)	वायुसेनाध्यक्ष	इनके नियंत्रणाधीन रखे गए व्यक्ति
	(झ)	वायुसेना मुख्यालय के ए ओ ए	
	(ट)	एयर अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, कमान	
	(ठ)	डी जी ए एफ एम एस	इनके नियंत्रणाधीन रखे गए व्यक्ति।
	(ड)	डी जी ओ एफ	
	(ढ)	डी जी एन सी सी	
	(त)	डी जी क्यू ए	
	(थ)	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	

(iv) उपर खंड (iii) के अधीन सवारी लेने के लिए केवल तभी प्राधिकृत किया जाएगा जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :–

(क) उस से कम विशेष दर उस व्यक्ति द्वारा ड्यूटी करनी लोकहित में आवश्यक या समायोचित है, और

(ख) अगर उस संबंधित व्यक्ति से कार्य नहीं करवाना था तो उस कामको करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को तैनात करना आवश्यक होगा।

टिप्पणीः इस नियम के अधीन स्वीकार्य सवारी (कनवेयंस) को उस व्यक्ति के पद के वेतन और ग्रेड के अनुसार विनियमित किया जाएगा जिस पर वह व्यक्ति तब तक होता यदि वह छुट्टी पर न जाता।

किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अपनी अस्वीकृत छुट्टी की अवधि के साथ ही सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति पर भी कार्य कर रहा हो, सरकारी ड्यूटी पर यात्रा करनी पड़े तो उसको सवारी (कनवेयंस) उसकी पुनर्नियुक्ति के वेतन और पेंशन को ध्यान में रखकर विनियमित की जाएगी, बशर्ते कि किन्तु यह उस परंतुक के अधीन होगा कि यदि ऐसा वेतन और पेंशन पुनर्नियुक्ति के पद के वेतन से अधिक बढ़ जाता है, अगर यह वेतन की निश्चित दर पर है या पुनर्नियोजित पद के अधिकतम वेतन है यदि यह वेतन के समय वेतनमान पर है, तो ऐसी बढ़ोतरी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इन प्रयोजनों के लिए हिसाब में शामिल की जाने वाली पेंशन की राशि वह होगी, जो मूल रूप से स्वीकृति की गयी थी अर्थात् सूचना यदि कोई हो, से पूर्व और इसमें मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, बराबर के पेंशन संबंधी राशि भी शामिल होगी।

(v) उपर्युक्त खंड (iii) के अधीन केवल उस व्यक्ति को ही दी जाएगी जो अस्थायी ड्यूटी पर उकल यात्रा करने के लिए ही हकदार होगी और यह सवारी उसके उस स्थायी स्टेशन, जहां से वह ड्यूटी गया था और जहां उसे ड्यूटी के लिए जाना है, के बीच के लिए ही स्वीकार्य होगी।

(vi) उपर खंड (iii) और (v) के अधीन के उपबंध तब भी लागू होंगे जब कोई व्यक्ति किसी बाह्य स्टेशन (आउट स्टेशन) पर अस्थायी ड्यूटी पूरी करने के बाद उस स्टेशन से आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी पर जाता है और ऐसी छुट्टी खत्म होने के बाद मुख्यालय वापस आता है।

यदि ऐसे मामलों में आकस्मिक छुट्टी ली जाती है तो अस्थायी ड्यूटी प्रमात्रा (स्केल) पर बाह्य और वापसी दोनों यात्राओं के लिए यात्रा–भत्ता मंजूर करने पर उससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(vii) जब कोई व्यक्ति अस्थाई ड्यूटी पर से किसी बाह्य स्टेशन से छुट्टी पर जाता है और ऐसी छुट्टी खत्म होने पर बाह्य स्टेशन में ही अस्थाई ड्यूटी का कार्य भार ग्रहण करता है तो इस प्रकार की गई अस्थाई ड्यूटी के लिए उसके यात्रा–भत्ता और दैनिक–भत्ता सामान्य नियमों के अधीन विनियमित होगा बशर्ते कि उपर खंड (iv) में निहित शर्तें पूरी होती हों। छुट्टी की इस अवधि के लिए कोई दैनिक–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(viii) यदि किसी व्यक्ति को छुट्टी पर रहते हुए किसी न्यायालय जांच या कोर्ट मार्शल या किसी दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रमाण देने या किसी भी प्रकार की कोई ड्यूटी जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति आवश्यक हो, जिनके लिए उपर्युक्त खंड (iii) और (iv) के अधीन यात्रा–भत्ते, दैनिक–भत्ते के दावे पेश किए गए हैं, उनमें सवारी (कनवेयंस) मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा खंड (iv) (ख) में उल्लिखित शर्तों का प्रमाणीकरण करना आवश्यक नहीं है।

150–अ. अवकाश रिक्ति में स्थानापन्न अधिकारियों के लिए सवारी (कनवेयंस)

(i) जब कोई कमीशन प्राप्त अधिकारी किसी विशुद्ध विशेषाधिकार/वार्षिक अवकाश रिक्ति में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे अस्थाई ड्यूटी प्रमात्रा (स्केल) पर यात्रा–भत्ता स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि छुट्टी पर जाने वाले

अधिकारी के काम उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपेक्षित नहीं छोड़े जा सकते हों या थल सेना और वायु सेना के अधिकारियों के मामले में उसे उस स्थान पर सेवा कर रहे किसी दूसरे अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है या नौसेना के मामले में उसे नौसेना के जहाज/स्थापना में काम कर रहे किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है और बशर्ते यह भी कि पी एस ओ या थल सेनाअधिकारियों के मामले में थल सेना मुख्यालय/जी ओ सी–इन–सी कमान के शाखा के अध्यक्ष, वायु सेना अधिकारियों के मामले में जैसे भी लागू हों, वायु सेना मुख्यालय/एयर अफसर कमान–इन–चीफ कमान में पी एस ओ, या नौसेना के अधिकारियों के मामले में संबंधित नौसैनिक मुख्यालय/ प्रशासनिक अधिकारी के पी एस ओ या शाखा अध्यक्ष, महानिदेशालय, आयुद्ध निर्माणी मुख्यालय और आयुद्ध आदि फैक्टरियों में काम करने वाले कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में महानिदेशक आयुद्ध निर्माणी और राष्ट्रीय कैडेट कोर यूनिटों के सीजियर डिविजन में पूर्ण–कालिक आधार पर नियोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों के बारे में महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर उस बात से संतुष्ट हो कि काम की अनिवार्यताओं के कारण अधिकारी अन्यथा अपनी यथोचित छुट्टी नहीं ले सकेगा।

(ii) जब कोई कमीशन प्राप्त अधिकरी 180 दिन या इससे कम अवधि तक की संयुक्त अवकाश रिक्त में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो यात्रा–भत्ता अस्थाई ड्यूटी मान (स्केल) पर स्वीकार्य होगा।

(iii) उपर्युक्त खण्ड (i) और (ii) में वर्णित मामलों में, दैनिक–भत्ता, जैसे कि सामान्य अस्थायी ड्यूटी के लिए स्वीकार्य है, उसी प्रकार स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते कि बाह्य स्थान (आउट स्टेशन) में ड्यूटी की प्रत्याशित अवधि 180 दिन से अधिक न हो। ऐसी स्थानापन्न व्यवस्था उपर्युक्त खण्ड (i) में वर्णित प्राधिकारियों के वैयक्तिक आदेशों के अधीन तब की जाएगी जब वे इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि ऐसी व्यवस्था करना अनिवार्य है।

अपवादः सेना चिकित्सा कोर के अधिकरी, जो चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ के 5 दिन से अधिकारी आकस्मिक छुट्टी पर जाने के कारण उस रिक्ति पर कार्य करने के लिए एक स्थान/स्टेशन से दूसरे स्थान पर प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, वे अस्थायी ड्यूटी पर जाने के अनुसार ही सामान्य यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता के हकदार होंगे बशर्ते कि उस स्थान/स्टेशन पर उस विशेषज्ञ विशेष का कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ न हो। ये व्यवस्थाएं उन स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भी की जाएंगी जो अस्थाई ड्यूटी संचलन स्वीकृत करने के लिए अधिकार प्राप्त है।

150–ब. भारत में छुट्टी पर रहते हुए पाठ्यकम का अध्ययन करने या परीक्षा देने वाले व्यक्ति

(i) छुट्टी पर रहते हुए किसी व्यक्ति को अनुदेशों के किसी प्राधिकृत पाठ्यकम में भाग लेने या परीक्षा देने का आदेश दिए जाने या अनुमति दिए जाने पर निम्नलिखित सीमा तक सवारी स्वीकार्य होगी :–

(क) यदि कोई व्यक्ति विशेषाधिकार, अर्जित या वार्षिक छुट्टी पर है, जो किसी अन्य छुट्टी के साथ न जोड़ी गई हो, तो उसे उस सीमा तक सवारी स्वीकार्य होगी बशर्ते कि वह ड्यूटी पर रहा होता।

(ख) जब अन्य छुट्टी ली जाती है तो उसके निवास स्थान से उस स्थान तक जहां वह पाठ्यकम में भाग लेने या परीक्षा देने के लिए जाता है और उसके बाद वहां से उसके निवास स्थान या उसके अपने स्टेशन तक के लिए सवारी स्वीकार्य होगी किन्तु शर्त यह होगी कि उस पर होने वाला खर्च उस राशि से अधिक नहीं होना चाहिए जो तब हुआ होता अगर वह छुट्टी पर न होता।

(ii) उस व्यक्ति को सवारी स्वीकार्य नहीं होगी जो अपनी सुविधा के लिए, उस स्थान को नहीं जाता है जहां जाने के लिए उसे मूल रूप से आदेश दिया गया हो किन्तु उसे संबंधित पाठ्यकम या परीक्षा में उस स्टेशन पर भाग लेने के लिए अनुमति दी गई है जहां वह छुट्टी के दौरान रह रहा है।

151. ड्यूटी के लिए छुट्टी से वापस बुलाए जाने पर सवारी

(i) आकस्मिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी पर चल रहे कमीशन अफसर (जिनमें सेना परिचर्या सेवा के अफसर भी शामिल हैं) और सिविलियन जिन्हें सक्रिय सेवा या अपनी ही नियुक्ति में कोर/यूनिट/फार्मेशन/स्थापना में ड्यूटी करने के लिए छुट्टी मंजूर करने वाले उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा छुट्टी समाप्त होने से पूर्व वापस बुलाया जाता है, यात्रा–भत्ते के हकदार होंगे। यह यात्रा–भत्ता अस्थायी ड्यूटी के मान पर छुट्टी बिताने के स्थान से जहां वापसी बुलाने का आदेश उसे मिला हो स्टेशन तक वापसी यात्रा के लिए दिया जाएगा, किन्तु शर्त यह है कि जिस आपात काल के कारण उसकी वापसी की आवश्यकता हुई हो उसका पता उसके छुट्टी जाने के समय न रहा हो । ड्यूटी की समाप्ति पर जिन कमीशन अफसरों को (जिनमें सैनिक परिचर्या सेवा के अफसर भी शामिल हैं) शेष छुट्टियां बिताने की अनुमति दी जाएगी । उन अफसरों के लिए, जिन्हे ड्यूटी पूरी करने पर बकाया छुट्टी का उपयोग करने की अनुमति दे दी गयी है उपने ड्यूटी स्टेशन से छुट्टी के स्टेशन तक उसी मान में यात्रा करने के लिए, यात्रा–भत्ता निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकार्य होगा :

(क) कमानों में सेवारत अफसरों के मामले में छुट्टी से वापस बुलाए जाने के आदेश सेना कमाण्डरों/ए0 ओ0 एस0/सी–इन–सी/प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा

जारी किए जाएंगे। सेवा मुख्यालयों में सेवारत अफसरों के मामले में यह आदेश क्यू0 एम0 जी0/ए0 ओ0 ए0/सी0 ओ0 पी0 द्वारा मामले के अनुसार जारी किए जाएंगे। वह शक्ति किसी अन्य अफसर को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी।

(ख) प्रारंभिक स्वीकृत छुट्टी 30 दिन अथवा उसके अधिक होनी चाहिए और वापस बुलाए जाने से पहले अफसर ने आधे से कम छुट्टी बिता ली हो।

(ग) जब किसी अफसर को राष्ट्रीय आपातकाल अथवा आंतरिक व्यवस्था को छोड़कार अन्य कारणों से छुट्टी से वापस बुलाया जाता है, दी जाती है तो उसे अस्थायी ड्यूटी पूरी करने के बाद उसी स्थान पर वापस जाना चाहिए जहां से उसे बुलाया गया हो बशर्ते कि उसे अपनी वार्षिक छुट्टी का शेष भाग बिताने की अनुमति दे दी गई हो।

तथापि, जिन कमीशन अफसरों को (जिनमें सेना परिचर्या सेवा के अफसर भी शामिल हैं) ड्यूटी की समाप्ति पर शेष छुट्टियां बिताने की अनुमति दी जाती है, उनकी ड्यूटी स्टेशन की अन्तिम वापसी यात्रा से संबंधित छुट्टी रियायत की हकदारी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणीः जिन सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति से संबंधित ड्यूटी पर आधी छुट्टी समाप्त होने से पहले ही वापस बुला लिया जाता है वे अन्तिम वापसी यात्रा के लिए नियम 199 में दी गई शर्तों के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे, बशर्ते कि वे ड्यूटी पूरी होने के तत्काल बाद शेष छुट्टी बिताएं। यदि सेवा की अनिवार्य आवश्यकता के कारण ड्यूटी पूरी होने के तत्काल बाद शेष छुट्टी स्वीकार नहीं की जाती और छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी छुट्टी अस्वीकृत किए जाने को लिखित रूप में रिकार्ड करता है और उस का विशिष्ट कारण देता है तो बाद में छुट्टी दिए जाने पर स्थायी ड्यूटी स्टेशन तक अन्तिम वापसी यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत स्वीकार्य होगी। स्थायी ड्यूटी स्टेशन तक अन्तिम वापसी यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत उन व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं दी जाएगी, जो अपने व्यक्तिगत कारणों से उस ड्यूटी को पूरा करने के तत्काल बाद छुट्टी नहीं बिताते जिस ड्यूटी पर उन्हे छुट्टी से वापस बुलाया गया था।

(ii) उपर्युक्त खंड (i) के अधीन दी गई रियायत केवल उसी समय स्वीकार्य होगी, जब आधी से अधिक अवधि की छुट्टियां काट दी गई हों। नियम 177 में दी गई शर्तों के अधीन वे अफसर ही अन्तिम वापसी यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे जिन्हे सक्रिय सेवा से या अपनी ही नियुक्ति में कोर/यूनिट/फार्मेशन/स्थापना में या अपनी नियुक्ति से संबंधित ड्यूटी करने के लिए छुट्टी समाप्त होने से पूर्व वापस बुलाया जाता है, परन्तु शर्त यह है कि वे ड्यूटी पूरी होने के तत्काल बाद शेष छुट्टी बिताएं । जिन मामलों में सेवा की अनिवार्य आवश्यकता के कारण ड्यूटी पूरी करने पर तत्काल शेष छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाती उनमें छुट्टी अस्वीकृत किए जाने के कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हों और उसके विशिष्ट कारण दिए गए हों, उन मामलों में बाद में छुट्टी दिए जाने पर स्थायी ड्यूटी स्टेशन तक अन्तिम वापसी यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत स्वीकार्य होगी। स्थायी ड्यूटी स्टेशन तक अन्तिम वापसी यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत उन व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं दी जाएगी जो व्यक्तिगत कारणों से उस ड्यूटी को पूरा किए जाने के तत्काल बाद छुट्टी नहीं बिताते जिस ड्यूटी पर उन्हें छुट्टी से वापस बुलाया गया था। छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार बनने के लिए यह आवश्यक है कि वापस बुलाए जाने के बाद उन अधिकारियों को उसी स्टेशन पर शेष छुट्टी बितानी चाहिए जहां आगे की यात्रा के लिए वे छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा चुके थे। लेकिन भारतीय नौसेना के जहाज/स्थापना के अफसर कमांडिंग कमान अफसर को यह विशेषाधिकार होगा कि वे अन्य स्टेशन पर छुट्टी बिताने का प्राधिकार भी दे सकता है कि इससे कोई अतिरिक्त सरकारी व्यय न हो।

(iii) (क) छुट्टी पर चल रहे किसी सैनिक, नौ सैनिक, वायु सैनिक (जिसमें कमीशन अफसर के रूप में अवैतनिक रैंक में कार्य कर रहे जूनियर कमीशन अफसर और उनके समकक्ष अफसर भी शामिल हैं) या अयोद्धी (नामांकित) को जिसे छुट्टियों का आधी अवधि पूरी होने से पहले ही सेवा पर वापस बुला लिया जाता है, नियम 184 में निर्धारित सीमा तक घर जाने और वहां से वापस आने के लिए पुनः निःशुल्क सवारी दी जाएगी। इस नियम के अधीन दी जाने वाली सवारी वार्षिक छुट्टी के लिए प्राधिकृत सवारी के अतिरिक्त होगी।

(ख) यदि छुट्टी पर चल रहे किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक (जिसमें कमीशन अफसर के रूप में अवैतनिक रैंक में कार्य कर रहे जूनियर कमीशन अफसर और उनके समकक्ष अफसर भी शामिल हों) या अयोद्धी (नामांकित) को, जिसे ऐसी छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी से भिन्न) दी गई हो जिसमें उसे अपने ही खर्च पर यात्रा करनी पड़े छुट्टी की आधी अवधि समाप्त होने से पहले ही उसके यूनिट/जलयान/ स्थापना में कार्यभार संभालने के लिए वापस बुलाया जाए तो उसके द्वारा रेल यात्रा के लिए अदा की गई वास्तविक रकम उसे वापस कर दी जाएगी।

(ग) उप खण्ड (क) और (ख) ब्वाईस (लड़को) पर लागू नहीं होंगे।

(iv) जनहित में लम्बे अवकाश से ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से वापस बुलाने में जहां सेवा कार्मिकों से संबंधित यात्राएं अनिवार्य हो जाती हैं, वहां इस नियम के अंतर्गत लंबे अवकाश को छुट्टी की तरह मानते हुए यात्रा–भत्ता उसी प्रकार देय होगा जैसे छुट्टी से वापस बुलाने पर तथा ऐसे मामलों में इस नियम में अनुबद्ध सभी शर्तें लागू होंगी।

टिप्पणी: अवकाश शब्द से आशय उस अवकाश से है, जब प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थान जैसे सेना अकादमी/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आदि ग्रीष्म/शरद अवकाश के लिए बंद हो जाते हैं तथा ऐसे संस्थानों के रक्षा कार्मिक जनहित में ड्यूटी पर अवकाश से वापस बुलाए जाते हैं।

152. अपनी यूनिटों का दौरा करने के लिए कर्नलों/कर्नल कमांडेंटों को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता

(i) नियुक्त किए गए रेजीमेंटों के कर्नल/कोरों के कर्नल कमांडेंट भारत की सीमाओं के भीतर हवाई, रेल, सड़क तथा समुद्री मार्ग से यात्रा करने के लिए अस्थाई ड्यूटी पैमाने के नियमों के अनुसार भाड़े के हकदार होंगे।

(ii) रेजीमेंटों के कर्नल/कोरों के कर्नल कमांडेंट प्रत्येक वित वर्ष के दौरान निम्नानुसार यूनिटों का दौरा करने के लिए हकदार होंगे:–

(क) किसी आर्म्ड रेजीमेंट के कर्नल– रेजीमेंट का एक दौरा।

(ख) किसी इन्फैंट्री के कर्नल–

(i) किसी इन्फैंट्री के कर्नल, अपनी रेजीमेंट में बटालियनों की संख्या 12 या इससे कम होने पर एक वित वर्ष के दौरान छः दौरों के लिए बटालियनों की संख्या 12 से अधिक होने पर 50 प्रतिशत बटालियनों का दौरा करने के लिए प्राधिकृत होंगे। हालांकि, एक वित वर्ष में इन दौरों की संख्या 8 से अधिक नहीं होगी, किन्तु किसी वर्ष विशेष में किसी यूनिट को किए जाने वाले दौरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(ii) ऊपर पैरा (ख) (i) में दिए प्राधिकृत मुलाकातों के अतिरिक्त, एक पैदल सेना रेजीमेंट के कर्नल को अपनी रेजीमेंट के रेजीमेंट केन्द्र वित्त–वर्ष में एक बार मुलाकात प्राधिकृत है।

(ग) तोपखाना, सेना वायुरक्षा, सेना विमानन, इंजीनियर, सेना चिकित्सा सेवा कोर, सिग्नल कोर, सेना सेवा कोर, सेना आर्डनेंस कोर, इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक इंजीनियरी, सैन्य पुलिस कोर, पायनियर कोर, आसूचना कोर, रिमांउट और पशुचिकित्सा कोर के कर्नल कमांडेंट : – छः बार

(घ) सेना दंत चिकित्सा सेवा कोर के कर्नल कमांडेंटः– दो दौरे।

(च) सेना शिक्षा कोर के कर्नल कमांडेंटः– सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केन्द्र, पंचमढ़ी का एक दौरा।

(छ) सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर के कर्नल कमांडेंटः– ए पी टी सी, पुणे का एक दौरा।

(ज) सैन्य फार्म के कर्नल कमांडेंट :– चार दौरे।

(झ) सेना डाक सेवा के कर्नल कमांडेंटः– एक दौरा।

(ट) रक्षा सुरक्षा कोर के कर्नल कमांडेंटः– एक दौरा।

(ठ) जज एडवोकेट जनरल के कर्नल कमांडेंटः– एक दौरा।

(ड) एस एल (आर ओ) के कर्नल कमांडेंट :– एक दौरा।

टिप्पणी 1: उर्पयुक्त खंड (i) तथा (ii) में उल्लिखित शब्द यात्रा का तात्पर्य एक स्टेशन (अर्थात् अफसर के निवास स्थान) से गंतव्य विशेष (अर्थात् वह स्टेशन जहॉ कोर या रेजीमेंट की यूनिट स्थित हो) तक जाने तथा वहॉ से पुनः आरंभिक स्टेशन तक वापस आने तक की एकल वापसी यात्रा से है। कर्नल या कर्नल कमांडेंट यदि यात्रा के दौरान मार्ग में छः अलग–अलग स्टेशनों पर स्थित छः यूनिटों का दौरा करते हैं तो ऊपर उल्लिखित सीमाओं को लागू करते हुए इन्हें छः यात्राओं के समतुल्य माना जाना चाहिए। हालांकि किसी एक ही दौरे के दौरान जब उसी स्टेशन पर स्थित दो या उससे अधिक कोर अथवा रेजीमेंटों का दौरा कर लिया जाता है, किंतु उस स्टेशन की अलग–अलग यूनिटों के दौरों से सम्बन्धित हॉल्ट की बजाय नीचे उल्लिखित खंड (iii) के अर्न्तगत केवल एक यूनिट पर हॉल्ट के लिए ही डीए का दावा किया जाता है, तो ऐसी यात्रा को केवल एक ही यात्रा के समतुल्य माना जाएगा।

टिप्पणी 2: ए एस सी तथा ई एम ई के कर्नल कमांडेंट भी भारत में अपने निवास स्थान से वरिष्ठ ए एम सी अफसर सम्मेलन तथा डी ई एम ई

एवं वहाँ से वापस अपने निवास स्थान तक आने के लिए वाहन, यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते के हकदार होंगे। इस ड्यूटी के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ते दैनिक भत्ते को खंड (ii) के अनुरुप ही उनके दौरों की प्राधिकृत संख्या के साथ समायोजित किया जाएगा।

(iii) ऐसी यूनिटों के हाल्टों की अवधि के लिए सामान्य नियमों के अधीन दैनिक भत्ता स्वीकार्य होगा। आवश्यक होने पर, यात्रा भत्ते के अग्रिम को वहाँ के जनरल–अफसर कमांडिंग–इन–चीफ से प्राप्त किया जाएगा जहाँ संबंधित अफसर रह रहा हो।

(iv) रेलवे सैलून तथा विशेष आरक्षित आवास के इस्तेमाल की सुविधा नहीं दी जाएगी।

(v) रेजीमेंट के किसी मानद रैंक के कर्नल को वर्ष में एक बार बटालियन/ रेजीमेंट/कोर का दौरा करने तथा जब कभी भी रेजीमेंट/कोरों की री–यूनियनों का आयोजन हो, तो उनमें सम्मिलित होने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। यात्रा/अन्य खर्चों को या तो व्यक्ति द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा या उसे रेजिमेंट/कोरों के विवेक पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(vi) भारतीय वायुसेना की संक्रिया स्क्वाड्रनों और प्रशिक्षण संस्थानों (स्थल ड्यूटी) जैसे एएफए, एएफएसी, एएफटीसी और आईएएम के कोमोडोर कमांडेंट के रुप में नियुक्ति के लिए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन या इससे उपर रैंक के अफसर ही पात्र होते हैं। इनके लिए सेना के कर्नल कमांडेंट के समान ही टीए/डीए स्वीकार्य होगा। कोमोडोर कमांडेंट के रुप में नियुक्त सर्विंग अफसरों द्वारा किए जाने वाल स्क्वाड्रनों के दौरे यथासंभव अन्य ड्यूटियों के साथ संयुक्त रुप से किए जाएंगे।

(vii) नौसेना के कैप्टन कमांडेंट भी उतना ही यात्रा भत्ता तथा डीए पाने के हकदार होंगे, जितना सेना के कर्नल कमांडेंटों के लिए स्वीकार्य होता है।

152–अ. फील्ड मार्शलों को औपचारिक समारोहों में सम्मिलित होने के लिए यात्रा–भत्ता/ दैनिक–भत्ता

निम्नलिखित अवसरों पर औपचारिक समारोहों में सम्मिलित होने के लिए अपने निवास स्थान से दिल्ली तक आने और फिर वापस जाने के लिए फील्ड मार्शल उसी अस्थायी ड्यूटी मान के अनुसार यात्रा–भत्ते/ दैनिक–भत्ते के हकदार होंगे जो इन नियमों के अंतर्गत सेनाध्यक्षों को देय होते हैं :––

(क) गणतंत्र दिवस परेड तथा समापन समारोह।

(ख) राष्ट्पति भवन में अलंकरण समारोह।

टिप्पणी: भुगतान के लिए इन भत्तों के दावे रक्षा लेखा नियंत्रण (अफसर) पुणे को प्रस्तुत किए जाएंगे और फील्ड मार्शल स्वयं अपने नियंत्रण अफसर के रूप में कार्य करेंगे।

153. चिकित्सा प्रमाण–पत्र लाने के लिए की जाने वाली यात्रा के लिए सवारी

यदि किसी व्यक्ति को छुट्टी को आवेदन–पत्र के साथ लगाने के लिए या चिकित्सा प्रमाण–पत्र में सिफारिश की गई छुट्टी की आवश्यकता पर आगे विचार करने के लिए या मूल छुट्टी दिए जाने के संबंध में चिकित्सा प्रमाण–पत्र लाने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की यात्रा करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसे वारंट पर निःशुल्क सवारी दी जाएगी, लेकिन उस सिविलियन के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा, जो उस श्रेणी का रेल का किराया लेता है जिसका कि वह अपने ग्रेड के अनुसार हकदार है और जो नियम 61 में दी गई दरों पर सड़क–मील दूरी–भत्ता होता है । यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार यात्रा करता है तो उसे दूसरी ओर उसके बाद की यात्रा के लिए भी उसी प्रकार सवारी दी जाएगी परन्तु शर्त यह है कि वह व्यक्ति संबंधित चिकित्सा अफसर या चिकित्सा बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि उससे इस यात्रा को रोकने को कहा गया था या उस प्राधिकारी के आदेश से यात्रा की गई थी। यदि छुट्टी चाहने वाले को इस प्रकार की अनुमति बिना जोखिम के मिल सकती है तो नियंत्रण अफसर की पूर्व अनुमति के बिना यह यात्रा नहीं की जानी चाहिए।

इस प्रकार के मामलों में पड़ाव की अवधि के लिए कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

154. चिकित्सा सलाह लेने के लिए की जाने वाली यात्रा के लिए सवारी

यदि किसी व्यक्ति को चिकित्सा सलाह लेने के लिए, उस स्थान को छोड़ने को कहा जाता है, जहां वह तैनात किया गया है, और जहां कोई सरकारी चिकित्सा अफसर नहीं है और वह किसी दूसरे स्टेशन की यात्रा करता है तो वह उस चिकित्सा अफसर से जिससे परामर्श किया गया था, इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके यात्रा–भत्ता ले सकता है कि उसके मत से यह यात्रा अत्यन्त आवश्यक थी। यदि चिकित्सा सलाह चाहने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की अनुमति बिना जोखिम के मिल सकती है तो नियंत्रण अफसर की पूर्व अनुमति के दिना यह यात्रा नहीं की जानी चाहिए।

इस प्रकार के मामलों में पड़ाव की अवधि के लिए कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

155. पेंशन के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए चिकित्सा बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को सवारी

(i) कोई भी व्यक्ति (चाहे वह सेवारत हो या सेवामुक्त कर दिया गया हो) जिसे अपने पेंशन के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए चिकित्सा बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए अपने घर से दूसरे स्टेशन की यात्रा का आदेश दिया जाता है, उस स्टेशन की यात्रा तक जाने और वहां से आने के लिए निःशुल्क सवारी का हकदार

होगा। यदि चिकित्सा बोर्ड केमत से ऐसे व्यक्ति की परीक्षा विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए तो विशेषज्ञ के स्टेशन और वहां से वापसी के लिए या वहां से सीधे उस व्यक्ति के घर जाने के लिए भी, जैसा भी आवश्यक हो, निःशुल्क सवारी दी जाएगी।

(ii) यात्रा अवधि के लिए अफसर/सेवा कार्मिक अस्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा–भत्ता का हकदार होगा। सेवा मुक्त सैनिक, नौ–सैनिक, वायु–सैनिक और अयोद्धियों (नामांकित) को रेल यात्रा के लिए वारंट और सड़क यात्रा के लिए 6 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भत्ता दिया जाएगा। नियम 98 में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर क्षय या कुष्ठ रोग से पीड़ित पेंशनरों को जब पुनःसर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया जाए तो वे आरक्षित प्रथम श्रेणी द्वि–शायिका डिब्बे, ऐसी गाड़ियों में द्वि–शायिका डिब्बा न हो, प्रथम श्रेणी के चार– शायिका वाले डिब्बे में यात्रा करने के हकदार होंगे। भले ही वे किसी भी श्रेणी में यात्रा करने के हकदार हों।

(iii) जिस स्थान पर चिकित्सा बोर्ड बैठेगा उस स्थान पर ठहरने का कोई दैनिक– भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) अफसरों के यात्रा–भत्ते के दावों को मंजूर करने और अन्य व्यक्तियों को वारंट जारी करने के लिए प्राधिकारी अस्पताल का अफसर कमांडिंग या केन्द्रीय चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष होगा। अपनी व्यवस्था करके जो पेंशनर पुनःनिर्धारण/पुनःसर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख उपस्थित हों उन्हें अस्पताल के अफसर कमांडिंग या चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा वापसी की यात्रा के लिए रेल वारंट भी जारी किए जा सकते हैं।

(v) इस नियम के अधीन निःशुल्क सवारी दिए जाने के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान उसका "घर" माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान में अस्थायी रूप से रहता हो तो उसे निःशुल्क यात्रा सामान्य निवास स्थान से चिकित्सा बोर्ड के बैठने के स्थान के निकटतम स्टेशन तक दी जाएगी जो सवारी में आए खर्च तक ही सीमित होगी।

156. एन्टीरेबिक उपचार के लिए की जाने वाली यात्राओं के लिए सवारी

(i) सभी व्यक्ति, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के आदेशों के अधीन उपचार के संबंध में आने–जाने के लिए सवारी के हकदार होंगे। यह सवारी उस स्टेशन से, जहां यह उपचार उपलब्ध नहीं है, उस निकटतम स्टेशन तक के लिए दी जाएगी जहां एन्टीरेबिक उपचार उपलब्ध है। यह रियायत उन व्यक्तियों को भी दी जाएगी, जो छुट्टी पर हों। पड़ाव की अवधि के लिए कोई दैनिक–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) सैनिक/नौ–सैनिक/वायु–सैनिक के परिवार का कोई सदस्य सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के आदेशों से एन्टीरेबिक उपचार के संबंध में आने–जाने के लिए सवारी का हकदार होगा। यह सवारी उस स्टेशन से, जहां यह उपचार उपलब्ध नहीं है, उस निकटतम तक दी जाएगी जहां उपचार उपलब्ध हो।

टिप्पणीः उक्त सुविधा सैनिक अस्पतालों की सिविलियन उपचारिकाओं (सिस्टरों) को भी स्वीकार्य होगा।

157. सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के आदेशों पर परामर्श या उपचार कराने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने और वहां से लौटने के लिए सैनिक कार्मिकों को सवारी

अस्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा–भत्ता निम्नलिखित मामलों में केवल यात्रा अवधि के लिए स्वीकार्य होगा ।

(क) सेना के सभी कार्मिक जब सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के आदेशों से दूसरे अस्पताल में परामर्श या उपचार के लिए दूसरे स्टेशन जा रहे हों या किसी स्टेशन से जहां सैनिक अस्पताल न हो, सैनिक अस्पताल में स्थानान्तरित किए जा रहे हों। इस प्रकार रियायत उस समय भी दी जाएगी, जब कोई व्यक्ति दन्त उपचार के लिए ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सा सेवा विनियम के अधीन नियोजित सेना दन्त कोर के या सिविलियन दन्त चिकित्सा के पास जाता है, जिनके अधीन वह इस उपचार का हकदार हो।

(ख) सेना के सभी कार्मिक जब दूसरे स्टेशन पर स्थित निकटतम सरकारी सिविल अस्पताल में जाने और वापस आने के लिए यात्रा करें ।

(ग) सेना परिचर्या सेवा के कार्मिकों समेत, सेना के सभी कार्मिक जो पागल घोषित किए जाएं और आने–जाने के लिए पागल खाने की यात्रा करें।

(घ) जब कमीशन अफसर जिनमें सेना परिचर्या सेवा के अफसर भी शामिल हैं निर्धारित चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होने के लिए और वापस आने के लिए यात्रा करें।

(ङ) सेना वायज/नौ–सेना वायज/प्रशिक्षु जो उस स्टेशन के सेना अस्पताल में उपचार कराएं जिसमें वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों और जिन्हें प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के आदेशों से विशेषज्ञ के उपचार के लिए स्थानान्तरित किया जाए परन्तु शर्त यह है कि यह बीमारी/चोट उस व्यक्ति की अपनी असावधानी या कदाचार से न हुई हो ।

157–अ. सेना अफसरों को निर्धारित डाक्टरी जांच के

लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने पर दैनिक–भत्ता

वायुसेना की सभी शाखाओं के अफसरों व भारतीय नौसेना के नौसैनिक विमान शाखा के अफसरों तथा सेना विमानन यूनिटों में पायलट के रूप में नियुक्त सेना अफसरों को विमानन चिकित्सा संस्थान, बैंगलूर तथा वायुसेना केन्द्रीय चिकित्सा स्थापना, नई दिल्ली में चिकित्सा बोर्ड के समक्ष निर्धारित डाक्टरी जांच के लिए उपस्थित होने पर वहां रूकने की अवधि के लिए दैनिक–भत्ता देय होगा । चिकित्सा जाचों के लिए वहां भर्ती होने की अवधि के लिए कोई दैनिक–भत्ता देय नहीं होगा ।

सेना विमानन यूनिटों में बतौर पायलट नियुक्त सेना के अफसरों को भी निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण के उद्देश्य से चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए हाल्ट की अवधि के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

157–ब. पनडुब्बी डाक्टरी जांच के संबंध में पनडुब्बी शाखा के नौसेना अफसरों को दैनिक–भत्ता

भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा के अफसरों को निर्धारित पनडुब्बी चिकित्सा जांच के लिए मुम्बई/कोचीन/विशाखापट्टनम में चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाह्य स्टेशन में जाने पर पड़ाव की अवधि के लिए दैनिक–भत्ता देय होगा । चिकित्सा जाचों के लिए वहां भर्ती हाने की अवधि के लिए कोई दैनिक–भत्ता देय नहीं होगा ।

158. परिचरों को सवारी :

(i) परिचरों को उस समय सवारी स्वीकार्य होगी जब वे किसी बीमार अशक्त या मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ जा रहे हो, जो इन विनियमों के अधीन सवारी के हकदार हों । बशर्ते कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवाओं को आवश्यक ठहराया गया हो जो चिकित्सा प्राधिकारी परिचरों के संचलन की सिफारिश कर सकते हैं और मंजूरी दे सकते हैं। उनके बारे में संबद्ध ब्यौरा और सूचना परिशिष्ट VII में दी गई है । आवश्यक परिचरों की संख्या और श्रेणी संचलन की सिफारिश करने वालेप्राधिकारी द्वारा बताई जाएगी ।

उस परिचर को भी सवारी स्वीकार्य होगी जो रक्षा संस्थान के जिनमें आर्डनेंस और वस्त्र फैक्ट्यां भी शामिल हैं किसी कर्मकार के साथ जा रहा हो । जैसा कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में परिभाषित हैं। जिसके ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना के कारण गंभीर चोटें लगी हों और जिसको प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेष उपचार के लिए बाहर के स्टेशन के सैनिक और/या सिविल अस्पताल में जाने का आदेश दिया गया हो बशर्ते कि उक्त चिकित्सा अधिकारी यह सिफारिश करें कि रोगी के साथ एक परिचर का जाना नितान्त आवश्यक है ।

(ii) सरकारी सेवारत किसी परिचर को, जिसे उक्त खंड के अधीन सरकारी खर्च पर सवारी प्राधिकृत की गई हो, ड्यूटी पर यात्रा करता हुआ माना जाएगा । यदि वह सरकारी सेवा में न हो तो नियंत्रण अधिकारी के विवेक पर उसे वास्तविक खर्चे की अनुमति दी जाएगी ।

टिप्पणी: यदि गंभीर दुर्घटनाग्रस्त कर्मकारों के साथ जाने वाले परिचर सरकारी कर्मचारी न हो तो नियंत्रण अधिकारी के विवेक पर उसे वापसी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च अदा किया जाएगा।

(iii) विभिन्न कारखानों, कार्यशालाओं (जो कारखाना अधिनियम के अर्थोनिरूपण के अन्तर्गत आते हों) में नियुक्त किसी कर्मकार और आर्डनेंस संस्थापन के किसी औद्योगिक या गैर–औद्योगिक कर्मचारी जिसे ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण गहरी चोट आई हो और जिसे उपचार के लिए स्थानीय सीमाओं के अन्दर सैनिक/सिविल अस्पताल में ले जाने के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुदेश दिया गया हो, के साथ आने वाले परिचर को निम्नलिखित रियायतें स्वीकार्य होंगी । बशर्ते कि उक्त चिकित्सा अफसर यह सिफारिश करें कि रोगी के साथ एक परिचर का जाना आवश्यक है :—

(क) परिचर को ड्यूटी यात्रा करता हुआ समझा जाएगा।

(ख) परिचर उसकी एम्बुलेंस में निःशुल्क यात्रा करेगा।

(ग) परिचर को वापसी यात्रा के लिए वास्तविक व्यय के भुगतान की अनुमति दी जाएगी।

(घ) यदि घायल कर्मकारों के साथ परिचर के रूप में जाने वाला व्यक्ति सरकारी कर्मचारी न हो तो उसे उसी एम्बुलेंस में निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

159. सिविल अस्पताल से निकटतम दैनिक अस्पताल जाते समय सेना के कार्मिकों को स्वीकार्य सवारी

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा विनियम 1983 के पैराग्राफ 293 (क) के उपबन्ध के अधीन सिविल अस्पताल में भर्ती सेना कार्मिक को उस समय निःशुल्क सवारी स्वीकार्य होगी जब उसे सिविल अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए । जब अस्पताल में उपयुक्त आवास उपलब्ध हो या उसे किसी अन्य स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाए जब रोगी की स्थिति ऐसी हो कि उसका स्थानान्तरण किया

जा सके ।

160. इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफिक परीक्षा के लिए जाने वाले व्यक्तियों को सवारी

विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए दूसरे स्टेशन की यात्रा के लिए सेना के कार्मिक को सवारी स्वीकार्य होगी, यदि वह इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफिक परीक्षा के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के आदेश से दूसरे स्टेशन के निकटतम सरकारी सिविल अस्पताल में जाने और वापस आने के लिए यात्रा करें।

161. गंभीर बीमारी या शोक आदि के मामले में सैनिक कार्मिकों के संबंधियों को सवारी

नीचे खंड (क) या (ख) के अधीन निःशुल्क सवारी संबंधित व्यक्ति इनमें जो भी चाहें, उसे चुन सकते हैं, उतने व्यक्तियों को दी जाएगी जिनकी संख्या नीचे दी गई है । सिविल अस्पताल या सैनिक अस्पताल में, गंभीर रूप से बीमार अफसर/परिचर्या अफसर, कैडेट, किंग जार्ज स्कूल का बॉय ।केवल सेना के सेवारत या भूतपूर्व जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंक या इन्हीं के समकक्ष नौसेना और वायुसेना के रैंक के अफसर का पुत्र। सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक, अयोद्धी (नामांकित), नामांकित प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षु या बॉय को मिलने वाले या इसी प्रकार के किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि में भारत की सीमाओं के अंदर भाग लेने के लिए आने वालों में से एक उनका संबंधी होना चाहिए बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति की बीमारी या मृत्यु उसके अपने कदाचार के कारण न हुई हो :

(क) रेल/सड़क द्वारा : आगंतुक सवारी की उसी

(क)	घातक बीमारी से ग्रस्त सूची में रखे गए व्यक्ति	दो व्यक्ति
(ख)	अंतिम संस्कारः	
	(i) विवाहित सैन्य कार्मिक (कैडेटों, प्रशिक्षणार्थियों आदि सहित)	तीन व्यक्ति
	(ii) अविवाहित सैन्य कार्मिक (कैडेट, प्रशिक्षणार्थियों आदि सहित)	दो व्यक्ति

श्रेणी के हकदार होंगे, जिस श्रेणी का हकदार रोगी या मृतक हो । यदि किंग जार्जस स्कूल के बायज को मिलने वाले संबंधी सेना में हों तो वे अपने ग्रेड के उपयुक्त श्रेणी में वारंट पर यात्रा करेंगे । यदि वे अब सेना में न हों तो वे अपनी सेवा मुक्ति आदि के समय उनको जो श्रेणी स्वीकार्य थी उस श्रेणी में, वे नकद यात्रा–भत्ता लेकर सिविलियन आंगतुक दूसरे श्रेणी के डिब्बे में नकद यात्रा–भत्ता लेकर यात्रा करेंगे ।

(ख) हवाई जहाज द्वारा :

(1) गंभीर रूप से बीमार की सूची में रखे गए व्यक्तिः

एक संबंधी को दूसरा व्यक्ति, जिसके संबंध में यह जरूरी नहीं है कि यह संबंधी हो, उपर्युक्त खंड ।क ।के अधीन रेल/सड़क द्वारा यात्रा कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को भी निम्नलिखित शर्तों पर संबंधी के साथ हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती हैः

(i) यदि संबंधी महिला हो।

(ii) यदि संबंधी पुरूष हो लेकिन उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो या यदि वह अशक्त हो, विकलांग हो या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के पास जाने के समय बीमार हो।

टिप्पणीः उपर्युक्त खंड (ii) में दी गई शर्तों में दी गई शर्तों का पालन किया जाता है या नहीं, इसका निर्णय करने वाला प्राधिकारी सैनिक अस्पताल के मामले में कमांडिंग अफसर/अस्पताल का प्रभारी अफसर और सिविल अस्पताल के मामले में गंभीर बीमारी के संबंध में अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकारी होगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

टिप्पणी 2: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तैनात सैन्य कार्मिकों के जो परिजन जानलेवा/गंभीर बीमारी से ग्रस्त सूची में रखे गए हो, उन्हें इलाज के लिए सरकारी खर्चे पर महाद्वीप में स्थित किसी सैन्य अस्पताल तक हवाई मार्ग द्वारा ले जाया जाएगा। इस यात्रा की स्वीकृती केवल तभी दी जाएगी जब अस्पताल के अफसर कमांडिंग/प्रभारी चिकित्सा अफसर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान कर दे कि रोगी के लिए हवाई मार्ग से अस्पताल तक जाना नितांत आवश्यक है तथा यह भी कि पोत जैसे अन्य साधनों से यात्रा करने से मरीज की जान को खतरा हो सकता है या उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है।

(2) अंत्येष्टि :

मृतक के दो या तीन संबंधियों को अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए हवाई जहाज/रेल/सड़क मार्ग द्वारा यात्रा की अनुमति दी जाएगी । ऐसे मामलों में, जहां केवल एक संबंधी यात्रा करे, वहां दूसरा व्यक्ति उपर्युक्त खंड ।क ।के अधीन रेल/सड़क मार्ग द्वारा यात्रा कर सकता है या उसे हवाई जहाज द्वारा उपर्युक्त खंड (ख) (1) के उपखंडों (i) और (ii) में दी गई शर्तों को पूरा करने पर संबंधी के साथ यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है ।

(3) वापसी यात्रा :

उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित सभी मामलों में वापसी यात्रा केवल रेल/सड़क मार्ग द्वारा ही की जाएगी और उसी व्यक्ति

द्वारा की जाएगी, जिसे जाने के लिए निःशुल्क सवारी दी गई हो।

अस्पताल जाने ओर वहां से आने के लिए सवारी की लागत सैनिक अस्पताल के मामले में कमांडिंग अफसर/प्रभारी अफसर द्वारा और सिविल अस्पताल के मामले में गंभीर बीमारी या मृत्यु के संबंध में अधिसूचना जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अस्पताल में मुलाकातियों के आने के बाद सामान्यतः अदा की जाएगी । लेकिन, यदि सिपाहियों/नौसैनिकों/वायुसैनिकों, अयोद्धी ।नामांकित। प्रशिक्षुओं या बायज के संबंधियों की अस्पताल तक आने की सवारी की लागत 10 रूपये अथवा सेना अफसरों के संबंध में 50 रूपये से अधिक हो तो गंभीर बीमारी का प्रमाण–पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी प्रत्येक आगंतुक के लिए समुचित श्रेणी का एक तरफा का किराया तार मनीआर्डर द्वारा भी भेजेगा। अस्पताल से भिन्न स्थान पर हुई मृत्यु के मामले में स्टेशन के कमान अफसर द्वारा आवश्यक भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणीः जैसे उपर बताया गया है निःशुल्क सवारी उस सैनिक/ नौसैनिक/ वायुसैनिक, अयोद्धी (नामांकित) प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षु या वॉय को मिलने आने वाले केवल एक संबंधी को स्वीकार्य होगी, जिसके बारे में यह सूचना दी गई हो कि वह आत्महत्या के प्रयास के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गया है या आत्महत्या के कारण हुई उसकी मृत्यु के बाद जो संबंधी उसकी शव–यात्रा में भाग लेने जा रहा हो उसे भी निःशुल्क सवारी स्वीकार्य होगी। लेकिन ऐसे मामलों में जब संबंधी पुरूष हो परन्तु उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो या यदि वह नाबालिग हो या जाने के समय अशक्त या विकलांग हो तो इस नियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी सवारी स्वीकार्य होगी, जो यह जरूरी नहीं है कि उसका संबंधी ही हो।

162. युद्ध में हताहत और सैनिक अस्पताल में उपचार करवा रहे सेवा–कार्मिकों के संबंधियों को सवारी

युद्ध में घायल होने या रियायती क्षेत्रों में हताहत होने वाले किसी भी रैंक के रक्षा कार्मिक यदि अस्पताल में तीन माह से भी अधिक समय से अपना इलाज करा रहें हो तो बीमारी से जान को खतरा सूची में न रखे जाने पर भी उनके रिश्तेदारों को निम्नलिखत सुविधायें प्रदान की जायेगी।

(क) रोगी से मिलने के लिए उसके दो संबंधियों को प्रत्येक छह माह में एक बार सरकारी खर्चे पर सवारी । यदि दो संबंधी रोगी मी माता और पत्नी हों तो उनके पहली बार मिलने के समय एक परिचारक भी सरकारी खर्चे पर साथ जा सकता है।

(ख) यदि युद्ध में हताहत कार्मिक की अस्पताल में चिकित्सा छह माह की अवधि से अधिक समय चलती है तो इस प्रकार इस सुविधा के अंतर्गत संबंधियों के अगली मुलाकातों के लिए अर्हक हो जाने पर दूसरी (या भविष्य में होने वाली) मुलाकातों के दौरान, दो में से एक मुलाकाती सबसे निकट का संबंधी अर्थात् पत्नी, बच्चे, माता–पिता, सगे भाई या बहन होने चाहिए।

(ग) जो रोगी यात्रा कर सकने की स्थिति में हों किन्तु जिनको अस्पतालों में आगे और उपचार की आवश्यकता हो और जिन्हें अपने घर चले जाने की अनुमति मिल गई हो तो उनके संबंधियों को उस छमाही के दौरान अस्पतालों तक जाने के लिए निःशुल्क सवारी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) मुलाकात करने वाले संबंधी यदि महिलाएं हों तो महिला संबंधियों के साथ जाने के लिए एक अतिरिक्त व्यक्ति को सरकारी खर्चे पर सवारी दी जाएगी जिसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई संबंधी ही हो।

(ङ) मुलाकाती संबंधियों/ परिचारकों को संबंधित स्टेशन के कमान अफसर की व्यवस्थाओं के अंतर्गत रियर एरिया में स्थित नौसेना/ वायुसेना/सैनिक अस्पतालों या जनरल अस्पतालों के समीप तम्बुओं में अतिरिक्त सरकारी खर्चे के बिना चार दिन की अवधि के लिए निःशुल्क आवास सुविधा दी जाएगी । तम्बू में रहने की आवास सुविधा तभी दी जाएगी जबकि कोई अन्य उचित आवास खाली न हो ।

(च) भोजन की व्यवस्था उस यूनिट/स्थापना का कमान अफसर करेगा जहां रोगी के रिश्तेदार रह रहे हों। उनके लिए राशन सामान्य रूप में थलसेना/नौसेना/वायु सेना अनुदेशों में उल्लिखित स्केल से यूनिट से लिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए ऐसे संबंधियों का संबद्धीकरण स्टेशन/ फार्मेशन/स्थापना आदेशों में प्रकाशित किया जाता है। रोगी के संबंधियों से राशन का मूल्य समय–समय पर संशोधित राशन भत्ते की चालू उच्चतर दर के सममूल्य भाव पर वसूल किया जाएगा और सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

टिप्पणीः दोनों ओर की यात्राओं के लिए सवारी की लागत का भुगतान अस्पतालों में संबंधियों/ परिचारक के पहुंचने के बाद किया जाएगा। संबंधी/परिचारक रेल की उसी श्रेणी के हकदार होंगे, जिसका वह रोगी हकदार है, जिससे वे मिलने गए हों या वे उस श्रेणी का किराया ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने वास्तव में यात्रा की हो, इनमें से उन्हें वही किराया दिया जाएगा जो अपेक्षाकृत कम हो ।

163. घूम में नामांकित गोरखा रंगरूटों को मास मिनिएचर रेडियोग्राफी कराने के लिए की जाने वाली यात्रा के लिए सवारी

घूम में नामांकित गोरखा रंगरूट सेना अस्पताल कुनराघाट में मास मिनिएचर रेडियोग्राफी कराने जाने के लिए घूम से कुनराघाट तक सैनिक/नौसैनिक/वायुसैनिक के समान निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे । जिन रंगरूटों को कुनराघाट में मास मिनिएचर के बाद नहीं लिया जाता वे, कुनराघाट से घूम तक और बाद में घूम से नेपाल में अपने घर तक नियम 193 (ङ) के अधीन सिपाही/नौसैनिक/वायुसैनिक के समान निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे बशर्ते कि उन्होंने वास्तव में अपने घर से घूम तक यात्रा की हो।

164. जिन सैनिकों/नौ–सैनिकों और वायु सैनिकों को बीमारी की छुट्टी मंजूर की गई हो उनके साथ जाने वाले उनके परिवारों को सवारी

(i) यदि प्राधिकृत स्थापना पर विवाहित के रूप में दर्ज कोई सैनिक/नौ–सैनिक/वायु सैनिक उस राज्य से बाहर किसी अन्य स्टेशन में कार्य कर रहा हो, जहां वह भर्ती किया गया हो तो उसका परिवार उस समय सवारी का हकदार होगा, जब परिवार उस सैनिक/नौ–सैनिक/वायु सैनिक के साथ घर जा रहा हो, जिसे चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर छुट्टी दी गई हो। शर्त यह है कि परिवार उस स्टेशन पर सरकारी खर्च में लाया गया हो, जिस स्टेशन पर सैनिक/नौ–सैनिक/वायु सैनिक सेवा कर रहा हो।

(ii) इस नियम के अधीन परिवार केवल रेल से ही यात्रा कर सकेंगे। यह यात्रा इस शर्त पर स्वीकार्य होगी कि आगे तब तक सवारी नहीं दी जाएगी जब तक जिस यूनिट से वह सैनिक/नौ–सैनिक/वायु सैनिक सम्बद्ध है उस राज्य में लौट कर न आ जाए, जहां वह भर्ती किया गया हो और जब तक उसका परिवार पुनः उस यूनिट में अपने खर्च से न आ जाए।

(iii) पूर्ववर्ती खण्ड में उल्लिखित जिस सैनिक/नौ–सैनिक/वायु सैनिक को एन्टीरेबिक उपचार के बाद चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर अपने घर जाने की छुट्टी दी गई हो । उसका परिवार नियम 156 में निर्धारित समय तक सवारी का हकदार होगा ।

165. एन्टीरेबिक उपचार के बाद सेना के जिन अयोद्धी कार्मिकों को बीमारी की छुट्टी दी गई उनके साथ जाने वाले परिवार को सवारी

एन्टीरेबिक उपचार के बाद सेना के जिन अयोद्धी कार्मिकों को चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर घर जाने की छुट्टी दी गई हो, उनके परिवार रेल और जहाज से अपने घर जाने के हकदार होंगे।

166. सैनिकों, नौ–सैनिकों और वायु सैनिकों के बीमार परिवारों को सवारी

(क) प्राधिकृत स्थापना में विवाहित के रूप में दर्ज सैनिकों, नौ–सैनिकों और वायु सैनिकों, जिनमें मास्टर वारंट अफसर भी शामिल हैं, के जो परिवार, परिवार के मुखिया के साथ ऐसे स्टेशन में निवास करते हों जहां कोई सेना अस्पताल न हो और निजका अस्पताल में भर्ती होना या जिनकी विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा की जानी आवश्यक हो । वे प्राधिकृत चिकित्सा अफसर के आदेशों से उस के निकटतम सेना अस्पताल को जाने और वहां से वापस आने के लिए रेल/सड़क/स्टीमर द्वारा निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे । उनके साथ जाने वाले आवश्यक परिचरों को सवारी नियम 158 के अनुसार दी जाएगी।

(i) जहां सरकारी वाहन उपलब्ध हों, वहां बीमार परिवार उसका लाभ उठाएं।

(ii) जहां वाहन संबिदा लागू हो ओर सड़क वारंट का इस्तेमाल किया जा सकता हो,वहां इस प्रकार के वारंट बीमार परिवार के नाम से जारी किए जाएंगे।

उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित सुविधाओं के न होने पर बीमार परिवार सेना अस्पताल पहुंचने के लिए की गई सड़क यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे जो कि अधिकतम 6 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। स्टीमार द्वारा यात्रा मांग करने पर की जा सकेगी। यदि किसी वारंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उसका मूल्य वापस किया जा सकता है।

टिप्पणीः उपर (क) में उल्लिखित सुविधा सेनाके अयोद्धी (नामांकित) कार्मिकों को भी दी जाएगी।

(ख) आपाती मामलों में सेना के एक अस्पताल से सेना के दूसरे अस्पताल में स्थानान्तरित किए गए और वहां से वापस लाए गए रोगियों को भी निःशुल्क सवारी दी जाएगी।

(ग) यदि सेना के जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंक/सेना के अयोद्धी कार्मिक और उन्हीं के समकक्ष नौ–सेना और वायु सेना के अफसरों के परिवारों को जो वैवाहिक रोल पर नहीं हैं, सेना अस्पताल में भर्ती किया जाता है और जीवन रक्षा उपाय के रूप में उन्हें ऐसे निकटतम सेना अस्पताल में स्थानान्तरित किया जाता है, जहां आवश्यक उपचार उपलब्ध हों तो उस संचलन के लिए निःशुल्क सवारी दी जाएगी। आपाती मामलों में उस समय बीमारी परिचरों को भी सवारी दी जा सकती है, जब उनका एक सेना अस्पताल से दूसरे सेना अस्पताल में स्थानान्तरण किया जाए । परिचरों को

सवारी परिशिष्ट VII के साथ पठित नियम 158 के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

166.अ. यथोचित चिकित्सा परिचर्या/उपचार लेने के लिए क अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक आने जाने के उद्देश्य से सैन्य अफसरों के परिवारों को वाहन सुविधा

जब सैन्य अफसरों के परिवार अपने परिवार के मुखिया के साथ ऐसे स्टेशन पर रह रहे हों जहाँ कोई सैन्य अस्पताल न हो तो अस्पताल में भर्ती होने या विशेषज्ञों द्वारा जॉच करवाने की आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति के ड्यूटी स्टेशन से नजदीकी सैन्य अस्पताल तक आने जाने के लिए वे रेल/सड़क/हवाई/ स्टीमर मार्ग से यात्रा हेतु वाहन–सुविधा के हकदार होंगे।

167. क्षय/कुष्ठ रोग से पीड़ित अफसर रैंक से नीचे के रैंक के सैनिक कार्मिक के संबंधी को सवारी

(क) जब अस्पताल का अफसर कमांडिंग या सैनेटोरियम का प्रभारी चिकित्सा अफसर या आवश्यक समझे कि क्षय/कुष्ठ रोग से पीड़ित सैनिक/ नौ–सैनिक/वायु सैनिक या सेना के अयोद्धी कार्मिक (नामांकित) को उनके संबंधियों द्वारा मिलने आना चाहिए, तो रोगी से मिलने के लिए जिस स्टेशन में रोगी अस्पताल/सैनेटोरियम में भर्ती है रेल द्वारा उस स्टेशन तक आने और वहां से वापस जाने के लिए सवारी की लागत स्वीकार्य होगी:

(i) उन सैनिको/नौ–सैनिकों/ वायु सैनिकों और सेना के अयोद्धी कार्मिकों के संबंध में प्रथम एक वर्ष के लिए प्रत्येक छः माह में केवल एक संबंधी को सवारी की लागत स्वीकार्य होगी, जिनका सैनिक कार्मिक के रूप में सैनिक अस्पताल/सैनेटोरियम में उपचार किया जा रहा हो।

(ii) सेना अस्पताल/सैनेटोरियम में उपचार करा रहे सेवा मुक्त सैनिक/नौ–सैनिक/वायु सैनिक और सेना के अयोद्धी कार्मिक (नामांकित) के संबंध में उपचार के प्रत्येक वर्ष के दौरान एक बार केवल एक संबंधी को सवारी की लागत स्वीकार्य होगी ।

(ख) जिन स्थानों में रेल की सुविधा न हो, उन स्थानों की यात्रा के संबंध में उपर्युक्त खंड (क) (i) और (ii) में उल्लिखित संबंधियों को सड़क द्वारा सवारी की वास्तविक लागत भी स्वीकार्य होगी परन्तु यह लागत उस रोगी पर लागू समुचित दर पर मील दूरी भत्ते तक सीमित होगी, जिससे मुलाकात की जाए।

(ग) आने–जाने की यात्रा के लिए सवारी लागत संबंधियों को अस्पताल/सैनेटोरियम में पहुंचाने के बाद अदा की गाएगी । संबंधी इस श्रेणी का हकदार होगा, जिसका हकदार वह रोगी है, जिसे वह मिलने आया हो या जिसमें उसने यात्रा की हो । इनमें से वही स्वीकार्य होगा जो भी अपेक्षाकृत कम हो ।

(घ) यदि किसी मामले में रोगी को उसके संबंधी से मिलने के लिए छुट्टी दी जाती है तो उसे वापसी यात्रा के लिए वारंट दिया जाएगा, जो संबंधी द्वारा की जाने वाल तदनुरूप यात्रा के स्थान पर होगा ।

168. विशेषज्ञ से उपचार करवाने के संबंध में रक्षा फैक्टरियों, आर्डनेंस संस्थापनों, आर्डनेंस निरीक्षण के कर्मकारों को सवारी

आर्डनेंस फैक्टरियों, आर्डनेंस संस्थापनाओं और निरीक्षण संगठन के औद्योगिक और गैर–औद्योगिक कर्मचारी, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार कर्मकार हों, उस समय सवारी के हकदार होंगे जब संबंधित प्रभारी चिकित्सा अफसर ने उसे सेना विशेषज्ञ चिकित्सा अफसर से परामर्श करने या उपचार करवाने के लिए दूसरे स्टेशन को जाने का अनुदेश दिया हो । पड़ावों के लिए कोई दैनिक–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।

169. स्वस्थता प्रमाण–पत्र स्थायीकरण के समय आरोग्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के संबंध में की गई यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता

यदि किसी अस्थायी सिविलियिन सरकारी कर्मचारी को चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित, स्थायीकरण के समय आरोग्य प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के संबंध में अपने मुख्यालय से भिन्न अन्य स्थान समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है तो वह यात्रा–भत्ते का हकदार होगा। यह यात्रा–भत्ता अस्थायी ड्यूटी के रूप में उस निकटतम स्थान तक आने–जाने के लिए मिलेगा, जहां समुचित चिकित्सा प्राधिकारी हो परन्तु शर्त यह होगी कि इस प्रकार के मामले में चिकित्सा जांच की फीस सरकार द्वारा अदा गी गई हो। इस प्रकार के मामलों में यहां पड़ाव करने की अवधि के लिए कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।

170. वार्षिक गोपनीय पंजिका भरे जाने के संबंध में चिकित्सा जांच के लिए की जाने वाली यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता

जिस सिविलियन सरकारी कर्मचारी पर "रक्षा सेवा में सिविलियन (फील्ड सेवा दायित्व) नियमावली, 1957" लागू होती हो, वह उस स्थिति में यात्रा–भत्ते का हकदार होगा जब वार्षिक गोपनीय पंजिका भरे जाने के संबंध में ड्यूटी के स्थान पर चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण उसे चिकित्सा जांच के लिए किसी बाह्य स्टेशन पर समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना पड़े । यह यात्रा–भत्ता उस निकटतम स्टेशन तक आने–जाने के लिए दिया जाएगा, जहां कोई समुचित चिकित्सा प्राधिकारी स्थित हो ।

बाह्य स्टेशन पर पड़ाव की अवधि के लिए कोई यात्रा–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

टिप्पणी: उपर्युक्त नियम के उपबन्ध महानिदेशालय आर्डनेंस फैक्ट्री संगठन पर लागू नहीं होंगे।

171. गंभीर बीमारी के मामले में सिविलियन के संबंधी के लिए सवारी

जब नियुक्त किया गया चिकित्सा अफसर यह आवश्यक समझे कि किसी सिविलियन (जिसमें अफसर शामिल नहीं है) की उसके किसी संबंधी से मुलाकात करायी जाए, जो फील्ड सेवा करते समय बीमारी के कारण या चोट लगने के कारण शांति स्टेशन में अशक्त के रूप में भेजा गया हो और गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में पड़ा हो तो केवल ऐसे संबंधी को सवारी दी जाए। यह रियायत (जिस स्टेशन के अस्पताल में वह व्यक्ति है, उस स्टेशन तक आने–जाने की यात्रा की अधिकतम हकदारी के अधीन) सवारी की वास्तविक लागत तक सीमित होगी और संबंधी को उसके आने–जाने की यात्रा के लिए संबंधी को अस्पताल में पहुंचने के बाद अदा की जाएगी।

172. अशक्तता पेंशन के लिए आवेदन करने वाले सिविलियन को सवारी

जब किसी सिविलियिन को उसके उच्च अफसर ने लोकहित में अशक्तता पेंशन के लिए आवेदन करने का आदेश दिया हो और जब उसी स्टेशन में बोर्ड की बैठक न हो सकी हो, तो इस संबंध में रेल भाड़ा/मील दूरी भत्ते तक सीमित वास्तविक व्यय स्वीकार्य होगा। आवश्यक होने पर इस प्रकार का भत्ता वापसी यात्रा के लिए भी स्वीकार्य होगा। पड़ावों के लिए कोइ भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

टिप्पणी: अशक्तता पेंशन के लिए स्वेच्छा या आवेदन करने वाले व्यक्ति को विशेष मामलों में उपर दिए अनुसार यात्रा–व्यय संक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकता है ।

173. रिजर्व वाले –– अस्थायी ड्यूटी पर संचलन

(i) रिजर्व वाले सैनिक/नौ सैनिक/वायु सैनिक (जिसमें रिजर्व वाले शिल्पी भी शामिल हैं) नीचे दी गई स्थितियों में वारंट/मांग–पत्र पर सवारी के हकदार होंगे :––

(क) प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने और वहां से वापस जाने के लिए।

(ख) जब बीमारी या किसी अन्य उचित कारण से अनुपस्थित रहने के कारण चिकित्सा जांच के लिए रिजर्व केन्द्र में जाने के लिए बुलाया जाए और उसे वहां से वापस जाने के लिए यात्रा करनी पड़े।

(ग) जब उसे अपनी प्रार्थना पर सकिय सूची में पुनःस्थानान्तरित कर दिया गया हो, किन्तु शर्त यह है कि जिस यूनिट से वह संबद्ध हो उसे उस समय फील्ड सेवा में जाने के आदेश दिए गए हों। रिजर्व वाला जो गोरखा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपनी रेजीमेंट में स्वेच्छा से पुनःस्थानान्तरण मांगे, वह सवारी का हकदार होगा। यह सवारी उसके भर्ती केन्द्र के बजाए उसके यूनिट तक दी जाएगी यदि इसमें कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो रिजर्व वाला उसे स्वयं वहन करेगा। यह रिजर्व वाले शिल्पी पर लागू नहीं होगा।

(घ) प्रशिक्षण के दौरान अशक्त हो जाने की स्थिति में उपर्युक्त मामलों में रेल और जहाज द्वारा यात्रा स्वीकार्य होगी। जिन स्थानों में रेल की सुविधा नहीं है उनमें सड़क द्वारा यात्रा के लिए 6 पैसे प्रति किलोमीटर ।नेपाल में सड़क मार्ग की यात्रा के लिए प्रतिदिन एक रूपया या उसका कोई भाग/भत्ता स्वीकार्य होगा। जब सबसे छोटा रास्ता रेल या जहाज से हो, लेकिन जब कोई रिजर्व वाला सड़क से यात्रा करना चाहे तो प्रेषण अफसर उसे अपने विवेक से सार्वजनिक वाहन से सड़क द्वारा यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए शर्त यह होगी कि इस प्रकार की यात्रा की सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत उस धन राशि से अधिक न हो जो उसे इस स्थिति में स्वीकार्य होती यदि वह यह यात्रा रेल या समुद्र के मुख्य मार्ग से करता ।

(ङ) जब प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सक्षम चिकित्सा प्राधिकरी के आदेशों के अधीन स्थानान्तरण किया गया हो और उसके लिए बहिर्यात्रा और वापसी यात्रा करनी पड़े।

(1) विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए और/या चिकित्सा उपचार को जारी रखने के लिए एक सेना अस्पताल से दूसरे सेना अस्पताल को।

(2) जिस स्टेशन में कोई सेना का अस्पताल न हो वहां से उस निकटतम सेना अस्पताल में जाने के लिए जहां उपचार की अपेक्षित सुविधाएं हों।

टिप्पणी: उपर्युक्त मद (2) के प्रयोजन के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी प्राधिकृत चिकित्सा अफसर होगा ।

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) के अधीन सवारी रिजर्व वाले के सामान्य निवास स्थान या भारत में नियोजन के स्थान से आने–जाने के लिए स्वीकार्य होगी। गोरखों के मामले में यह सवारी नेपाल में उनके निवास स्थान से आने–जाने के लिए स्वीकार्य होगी।

(iii) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान खतरनाक बीमारी या गर्मी के मामले के रिजर्व वाले के संबंधियों को नियम 161 के अनुसार सवारी को अनुमति दी जाएगी। संबंधी रेल की उसी श्रेणी में यात्रा करेगा, जिसमें यात्रा करने का रिजर्व वाला हकदार है।

(iv) रिजर्व वाले भगोड़े नियम 144 के अनुसार सवारी सुविधाओं के हकदार होंगे।

174. फेरी और परिवहन ड्यूटी पर नियोजित वायुयान कर्मीदल (अफसर और वायु सैनिक) को विशेष दैनिक–भत्ता

(i) वायुयान कर्मीदल (अफसर और वायुसैनिक) के उस अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए जो उन्होंने वायुसेना/नौसेना में फेरी और परिवहन ड्यूटी के दौरान बाह्य स्टेशन पर मेस और आवास पर किया हो, विशेष दैनिक–भत्ता नीचे दिए गए खंड (ii) के अनुसार स्वीकार्य होगा। लेकिन यह सामान्य दैनिक–भत्ते के स्थान पर स्वीकार्य होगा । बशर्ते कि यह प्रमाणित किया जाए कि सेवा के कारणों से उनके लिए सेना व्यवस्था के अधीन मेस और/या आवास का लाभ उठाना संभव नहीं था ।

(ii) 10 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच किए गए भोजन के लिए कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। यात्रा आमतौर पर पांच बजे से शुरू मानी जाएगी ।

(iii) विशेष दैनिक भत्ता लिए जाने पर अन्य किसी भी तरह का दैनिक अथवा राशन भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रकार अफसरों के पास यह विकल्प होगा कि वे अस्थाई ड्यूटी के लिए सामान्य दरों पर स्वीकार्य दैनिक भत्ते अथवा इस विशेष दैनिक भत्ते में से किसी एक का चयन कर सकें।

टिप्पणी: प्रत्येक भोजन के लिए जो अधिकतम राशि मांगी जाए वह उपर्युक्त सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन यदि किसी मामले में खर्च की गई रकम अधिकतम राशि से कम हो तो प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय की ही की जाएगी ।

(iv) यात्रा दावे पर विशेष दैनिक–भत्ते का दावा नीचे दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा जिसके समर्थन में वायुयान के कैप्टन द्वारा व्यक्ति को जारी किया गया प्रमाण–पत्र लगा होना चाहिए :––

यूनिट स्थापना जिसका दौरा किया गया	मूल यूनिट पोत/ स्थापना से अनुपस्थित रहने की अवधि..... से ..... तक (दिनांक व समय भरा जाए)	व्यय की गई वास्तविक राशि का ब्यौरा नाश्ता ₹	दोपहर का भोजन ₹	चाय ₹	रात्रि का भोजन ₹	आवास ₹	दावे की कुल राशि ₹

मूल यूनिट/जहाज/स्थापना .....
..... नं0 .....
रैंक/नौसैनिक .....
नाम .....
द्वारा खर्च किए गए मेस/आवास प्रभार
. . . . . .
.....
.....

प्रमाणित किया जाता है कि बाह्य स्टेशन में सेना व्यवस्था के अधीन मेस और/या आवास का प्रबन्ध संभव नहीं था और समतुल्य कर्मी ने, जिसका नाम उपर दिया गया है, किए गए वास्तविक व्यय का ही दावा किया है।

प्रति–हस्ताक्षर
कमांडिंग अफसर

तारीख .....
वायुसेना/नौसेना .....
..... यूनिट/जहाज/ स्थापना .....
..... कैप्टन .....

(v) वायुयान कार्मिकों द्वारा बाह्य स्टेशनों में मेस आवास के लिए जो प्रभार नकद दिए जाएंगे, उन्हें दावा प्रस्तुत करके लिया जाएगा।

(vi) उपर्युक्त उपबन्ध उन वायुसैनिकों/नौसैनिकों पर भी लागू होंगे जिन्हे विशिष्ट व्यक्ति वायुयान फेरी और परिवहन ड्यूटी पर नियोजित वायुयान में (दूर के ऐसे स्थानों पर) से कई ड्यूटी के लिए तैनात किया गया हो जहां सामान्य सेवा की सुविधाएं विद्यमान न हों । विशेष सैनिक–भत्ते के दावे के साथ वायुयान के कैप्टन का इस आशय का प्रमाण–पत्र ।उपर खंड (iv) के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त लगा होना चाहिए कि वायुसैनिकों/नौसैनिकों को विशिष्ट व्यक्ति वायुयान/फेरी और परिवहन ड्यूटी पर नियोजित वायुयान ऐसे स्थानों में सेवा ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। जहां सामान्य सेवा की सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं।

(vii) उपर्युक्त उपबन्ध अंशांकित उड़ान के वायुयान कार्मिकों और भू–कार्मिकों पर भी लागू होंगे, जिन्हें वायुसेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

175. सरकारी यात्राओं के संबंध में टिकट, वीजा, पासपोर्ट लेने के लिए सिविलियन/सैन्य कार्मिकों को वाहन सुविधा

रक्षा सेवा आकलनों से भुगतान पाने वाले सिविलियन/सैन्य कार्मिकों को रेलवे स्टेशन बुकिंग कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों/अम्बेसियों आदि से हवाई/रेल/बस/पोत टिकट, पासपोर्ट, वीजा आदि लेने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्त किए जाने अथवा उनके स्वयं वहाँ जाने पर उनके भारत के भीतर व विदेशों में सरकारी यात्राओं से संबंधित यात्रा व्यय की हकदारी स्वीकार्य होगी। यह सुविधा केवल सार्वजनिक परिवहन से की गई यात्रा के लिए ही मान्य होगी, जो कि नियंत्रण अधिकारी के नियंत्राणाधीन ही देय होगी।

अध्याय चार

छुट्टी यात्रा रियायत

176. वास की श्रेणी और प्रकार

सरकारी दौरों / स्थानान्तरण के प्रयोजन के लिए यात्रा की हकदारियां या छुट्टी यात्रा रियायतें (एल.टी.सी.) एक समान ही होगी परन्तु कोई दैनिक–भत्ता एल.टी.सी. पर यात्रा के लिए स्वीकार्य नहीं होगा ।

सेवा कार्मिकों, सिविलियनों तथा उनके परिवार–जनों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का इस्तेमाल करते समय यातायात के विभिन्न साधनों से यात्रा करने के लिए हकदारी निम्न प्रकार होगी :––

(क) हवाई मार्ग द्वारा यात्रा : हवाई मार्ग द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणी नियम 62 के अनुसार होगी ।

टिप्पणी: गैर–हकदार सेना कार्मिक द्वारा वायुयान द्वारा की गई यात्रा के संबंध में प्रतिपूर्ति उस राशि तक सीमित होगी, जो उस स्थिति में स्वीकार्य होती यदि यात्रा भूतल मार्ग द्वारा उपयुक्त प्रकार और श्रेणी द्वारा लघुत्तम मार्ग द्वारा निष्पादित की गई होती या हवाई मार्ग का वास्तविक किराया, जो भी कम है ।

(ख) रेल मार्ग द्वारा यात्रा : रेल द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणी नियम 57 के अनुसार होगी ।

टिप्पणी 1: राजधानी / शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों द्वारा हकदारियों को लागू किया जाएगा, उन मामलों में जहां यात्रा वास्तव में इन रेलगाड़ियों द्वारा की गई है और हकदारियों को कल्पित आधार पर निर्धारित करने के लिए नहीं। यात्रा के दोनों सिरों पर जैसा कि , यात्रा के आरंभ के स्थान और गन्तव्य को सीधे राजधानी/ शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों द्वारा संयोजित होना चाहिए ।

टिप्पणी 2: सेना कार्मिकों और उनके परिवार शताब्दी और राजधानी एक्सप्रैस द्वारा वारंटों / फार्म–डी / सी.वी. पर भी यात्रा कर सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रैस द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणी नियम 95–अ के अनुसार होगी।

(ग) समुद्र मार्ग या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा : समुद्री मार्ग या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणी नियम 58 के अनुसार होगी ।

(घ) मुख्य भूमि और अंडमान एवं निकोबार समूह के द्वीप समूहों और लक्षद्वीप समूह के द्वीप समूहों के मध्य, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड द्वारा प्रचालित जहाजों द्वारा यात्राओं के लिए वास की हकदारियां नियम 58 के अनुसार होंगी।

(ङ) सड़क मार्गद्वारा यात्रा : सड़क मार्ग द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणी नियम 61 के अनुसार होगी , इन निम्नलिखित शर्तों पर:

(i) वातानुकूलित टैक्सी, टैक्सी या ऑटोरिक्शा द्वारा यात्रा के सभी मामलों में किराए की रसीद की प्रस्तुति आवश्यक होगी ।

(ii) वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति को हकदार श्रेणी के रेल के किराए तक सीमित किया जाएगा जो वारंट के स्थान पर लिया गया, को संस्वीकृत किया जा सकता है, यदि एल.टी.सी. यात्राएं, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी निगम, जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा चलाया जा रहा हो द्वारा प्रचालित वाहनों में निष्पादित की जाती हैं। उन यात्राओं के लिए जो गैर–सरकारी कार (स्वामित्व में , उधार पर लिए या किराए पर) या एक बस, वैन या अन्य वाहनों, जो गैर–सरकारी प्रचालकों के स्वामित्व में या भाड़े पर प्रचालित , द्वारा की जाती हैं , एल.टी.सी. को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

(iii) एल.टी.सी. यात्रा पर , शारीरिक विकलांगता के कारण, स्वंय की कार / किराए पर टैक्सी का प्रयोग : नियंत्रण अधिकारियों जैसा यात्रा विनियमों के परिशिष्ट II में उल्लिखित है , एल.टी.सी. की यात्रा के लिए, सेना कार्मिकों की अपंगता के कारण या आश्रित परिवार के सदस्य को स्वयं की कार / किराए पर टैक्सी के प्रयोग की 19 जुलाई 2010 से प्रभावी, निम्नलिखित कागज–पत्रों / शर्तों को प्राप्त करने के बाद, ऐसी रियायतों के दुरूपयोग से बचने के लिए, अनुमति देने का प्राधिकार है :

(क) सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाण–पत्र।

(ख) सेना कर्मचारी द्वारा वचन बद्धता कि यात्रा प्राधिकृत प्रकार से साध्य नहीं और वह/वही स्वयं की कार/किराए पर टैक्सी द्वारा यात्रा करेंगे, और

(ग) ऐसे दावे को लघुत्तम मार्ग द्वारा रेल/ हवाई मार्ग द्वारा हकदार श्रेणी में यात्रा के किराए तक सीमित किया जाएगा ।

(च) सेना कार्मिक के मुख्यालय से दूर रहने वाले विवाहित / आश्रित बच्चे :

जबकि यह आवश्यक नहीं है कि विवाहित और बच्चे सरकारी कर्मचारी के साथ रहें जिससे कि वे एल.टी.सी. के लिए पात्र हों, उनके मामलों में रियायत को लेकिन सीमित किया जाएगा, वास्तविक तय की गई दूरी और सेना कार्मिक के मुख्यालय / तैनाती स्थान और गृह–नगर/ आगमन के स्थान के मध्य की दूरी, जो भी कम हो, अन्य स्थितियों की शर्तों पर जैसा इन यात्रा विनियमों में यथा निर्धारित है ।

176–अ. लद्दाख क्षेत्र में तैनात सेना कार्मिकों को केवल सर्दियों के मौसम में वायुयान द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत लेने की सुविधा

लद्दाख क्षेत्र में सेवारत सेना कार्मिक सर्दियों के मौसम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन वायुयान द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे :

(i) वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा केवल 15 नवम्बर से 15 मार्च तक की अवधि के लिए स्वीकार्य होगी।

(ii) वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा लेह और श्रीनगर/जम्मू/चण्डीगढ़ तक दोनों जाने और वापस आने की यात्रा तक सीमित होगी । यह सुविधा लेकिन लेह और इन तीन स्थानों में से एक के मध्य के लिए स्वीकार्य होगी । आने–जाने के लिए , श्रीनगर/जम्मू/चण्डीगढ़ और गृह नगर या किसी अन्य स्थान के मध्य आगमन की यात्राओं को संबंधित सरकारी कर्मचारी की हकदारी प्रकार / श्रेणी में निष्पादित किया जाएगा ।

(iii) हवाई मार्ग से, दिल्ली/चण्डीगढ़/जम्मू से लद्दाख और वापसी की, सेना कार्मिकों और लद्दाख में अधिवासी हुए लद्दाख स्काउटों के परिवारों और लद्दाख क्षेत्र से बाहर तैनात किए गए , या उनको जिनके परिवार लद्दाख में रह रहे हैं , उनके परिवारों से मिलने के लिए , 15 नवम्बर से 15 मार्च तक यात्रा की यह सुविधा की स्वीकार्यता होगी ।

176–ब. मणिपुर / मिजोरम / असम के जिलों कषार और दक्षिण कषार व सिलचर को शामिल करते हुए , में जो सेना कार्मिक स्थानान्तरित हैं, को एल.टी.सी. पर हवाई मार्ग द्वारा यात्रा

सेना कार्मिक जो मणिपुर / मिजोरम / असम के जिलों कषार और दक्षिण कषार व सिलचर को शामिल करते हुए , में स्थानान्तरित हैं, इम्फाल / आइजोल / सिलचर और कोलकाता के मध्य , जब एल.टी.सी. पर आते/जाते हैं तो हवाई मार्ग द्वारा यात्राएं निष्पादित करें।

यह प्रावधान 30 जुलाई 1999 से प्रभावी होगा जाएगा।

176–स. त्रिपुरा के राज्य में सेवारत सैनिक कार्मिकों के लिए निःशुल्क वायु–मार्ग से यात्रा की सुविधा

त्रिपुरा के राज्य में सेवारत सेना कार्मिकों को वर्ष में एक बार अगरतला और कोलकाता के मध्य और वापसी के लिए , जब वे वार्षिक छुट्टी पर जाते हैं, निःशुल्क वायु मार्ग से यात्रा की सुविधा की अनुमति है ।

177. सेना के अफसरों को छुट्टी यात्रा रियायत

(अ)(i)(क) एक सेना अधिकारी, किसी भी प्राधिकृत छुट्टी पर जाता है, शामिल करते हुए फर्लो छुट्टी , प्रसूति छुट्टी (महिला अधिकारी के लिए), वार्षिक / आकस्मिक छुट्टी के साथ, उसकी अवधि का विचार किए बिना , भारतीय सीमाओं के अंतर्गत , हकदार प्रकार/ श्रेणी द्वारा सीधे / मुख्य मार्ग द्वारा , निकटतम रेलवे स्टेशन / हवाई अड्डे से उसके गृह–नगर / चुने हुए रिहाइश के स्थान तक , आने और जाने के लिए, उसके सेवा काल के द्वितीय साल में एक बार , पहली बार के लिए, और उसके बाद साल में एक बार और प्रत्येक एकांतर साल , भारत में किसी भी स्थान के लिए , गृह–नगर/एस.पी. आर. के बदले में, निःशुल्क सवारी के पात्र हैं । इस रियायत का यदि लाभ नहीं उठाया जाता है , उस साल में जि साल में यह नियत है , यह साधारणतया व्यपगत हो जाती है , परन्तु देखें नीचे खंड (ii) और नियम 177 ई।

(ख) एक बार, अधिकारी के अतिरिक्त , उसके परिवार को जैसा नियम 2 में परिभाषा दी गई है , को भी गृह–नगर/ एस.पी.आर. और वापसी की यात्रा के लिए , निःशुल्क सवारी की हकदारी है।

टिप्पणीः एक अतिरिक्त रेलवे वारंट की, सशस्त्र सेना के अफसरों को, युद्धक्षेत्र / उच्च तुंगता / प्रति–क्रांतिकारी हमला / प्रति–आतंकवादी संकियात्मक क्षेत्रों में सेवारत को, यात्रा पर आने और जाने के लिए उनके ड्यूटी स्टेशन से और गृह–नगर / चुने हुए आवास के स्थान (एस.पी. आर) तक, साल में दो बार , एक निःशुल्क रेलवे वारंट के स्थान पर, की स्वीकार्यता है ।

(ग) (i) रेल से केवल असबाब को ही निःशुल्क ले जाने की अनुमति होगी ।

(ii) अफसर वारंट/फार्म "डी" पर शामिल करते हुए राजधानी / शताबदी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से यात्रा करेंगे ।

टिप्पणीः भारतीय रेलवे की वेबसाईट के द्वारा , इन्टरनेट/ ई–टिकिटिंग के द्वारा बुक की गई रेल की टिकटों को बुक करने के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति, केवल ड्यूटी/एल.टी.सी. के लिए रेलवे द्वारा की गई यात्राओं के लिए स्वीकार्य है।

(घ) सेना के जिन अफसरों को नए ड्यूटी स्टेशन पर विवाहित आवास नहीं दिया गया है और जिन्हें पुराने ड्यूटी स्टेशन पर अपने परिवारों को रखने की अनुमति दी गई है, वे अफसर हर वर्ष अपने मूल निवास–स्थान (गृह–नगर) की अपेक्षा अपने पुराने ड्यूटी स्टेशन की वारंट पर यात्रा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, पत्नी को एल.टी.सी. की निःशुल्क यात्रा की हकदारी, नीचे खण्ड "ख" में दी गई , उस वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगी ।

(ङ) यदि मुख्य मार्ग पूर्णतः या अंशतः समुद्र द्वारा हो तो यूनिट के अफसर कमांडिंग (भारतीय नौसेना के अफसरों के मामले में भारतीय नौसेना के जहाज और स्थापना का कमांडिंग अफसर) की मांग पर बन्दरगाह का पोतारोहण भारतीय सीमा के अन्दर वापसी समुद्र यात्रा की व्यवस्था करेगा। नियम 47 के अनुसार वारंट या नगद भुगतान पर सड़क यात्राओं का निष्पादन किया जाएगा।

टिप्पणीः भारत के जलयान सेवा से जुड़े स्थानों के मामले में, सेना कार्मिक द्वारा जलयान से की गई यात्रा की हकदारी का नियमन नियम 176 (ग) और (घ) के अनुसार किया जाएगा ।

(च) स्थापना का कमांडिंग अफसर (भारतीय नौसेना के अफसरों के मामलें में भारतीय नौसेना के जहाज के स्थापना का कमांडिंग अफसर) अपने विवेकाधिकार से किसी अफसर को उसके घर के निकटतम रेलवे स्टेशन से भिन्न किसी स्थान के लिए वारंट के इस्तेमाल करने का प्राधिकार दे सकता है बशर्ते कि इसके कारण राज्य को अधिक खर्च न करना पड़े तथा यह कि वारंट को जारी करने के अधिकृत मान में भी वृद्धि न हो ।

टिप्पणीः उन नौसेना अफसरों को विशेष रूप से वारंट पर निःशुल्क सवारी स्वीकार्य होगी जिन्हें उस समय तट स्थापना में रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई, जिस जहाज पर उन्हें जाना है, वह जहाज पत्तन से या उस पत्तन से अस्थायी रूप से दूर है, जहां उसे उस समय होना चाहिए था। (देखें नियम 115 के नीचे दी गई टिप्पणी) यह सवारी उस पत्तन से दी जाएगी जहां छुट्टी की समाप्ति पर उस अफसर ने रिपोर्ट की हो और उस पत्तन तक दी जाएगी जहां उसे बाद में जहाज पर कार्य–ग्रहण का आदेश दिया जाए ।

(ii) यदि किसी अफसर को सेवा की अनिवार्यता के कारण उस वर्ष में जिस वर्ष वह प्राप्य होती हैउस वर्ष में निःशुल्क सवारी का लाभ नहीं लेने दिया जो है जिसमें उसको यह रियायत मिलनी चाहिए तो वह अगले वर्ष में इस रियायत का लाभ उठा सकता है। आगे निःशुल्क सवारी के संबंध में उसकी पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए यह माना जाएगा कि उसने इस रियायत का लाभ पिछले वर्षमें उठा लिया था, जिसमें यह मूलतः देय थी ।

(iii) कोई भी अफसर, जिसे चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर छुट्टी दी गई हो, भारत में किसी भी उस स्थान की निःशुल्क यात्रा का हकदार होगा हकदार प्रकार / श्रेणी में जिस स्थान की सिफारिश चिकित्सा बोर्ड ने की हो । इस प्रकार के निःशुल्क सवारी के इस्तेमाल से अन्यथा स्वीकार्य यात्रा रियायत के लिए अफसर की हकदारी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) वे गोरखा अफसर, जिनके घर नेपाल में है, पूर्ववर्ती खण्डों की व्यवस्थाओं के अधीन अपने ड्यूटी स्टेशन से उस देश में अपने घरों तक निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे।

(v) जहां वर्ष के अन्त में प्राधिकृत छुट्टी शामिल करते हुए फर्लो छुट्टी, प्रसूति छुट्टी (महिला अधिकारी के लिए) वार्षिक/आकस्मिक छुट्टी के साथ, छुट्टी की अवधि का ध्यान किए बिना दी जाए वहां अधिकारी, जिस वर्ष छुट्टी हो, उससे अगले वर्ष में यात्रा शुरू कर सकता है । यह इस शर्त के अध्याधीन होगा कि एल.टी.सी. (जाने और वापस आने दोनों के लिए) का लाभ छुट्टी की अवधि के दौरान ही उठाया गया हो । जिस वर्ष से छुट्टी संबंधित है, उससे अगले कैलेण्डर वर्ष की एल.टी.सी. की हकदारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(vi) जलयान पर कार्य कर रहे भारतीय नौसेना के अफसर, जिन्हें उस समय पड़ाव पत्तन से छुट्टी दी जाती है, जब उनका जहाज बेस पत्तन से दूर हो, नीचे दिए अनुसार सवारी के हकदार होंगे :

(क) पड़ाव पत्तन से जहाज से बेस पत्तन तक।

या

(ख) पड़ाव पत्तन से अपने निवास–स्थान तक । ऐसे अफसर जिनको पड़ाव पत्तन से छुट्टी दी जाती है और जो बेस पत्तन को जाना चाहते हैं, उसी वर्ष में नीचे खण्ड "ख" के अधीन पत्नी के लिए एल.टी.सी. के हकदार नहीं होंगे।

(vii) जहां पति और पत्नी दोनों सेना कार्मिक हैं और एक साथ रह रहे है या अलग रह रहे हैं , वे उनके विकल्प से , अलग गृह–नगर की घोषणा करने को चुन सकते हैं और वह दोनों रियायत का दावा अलग–अलग कर सकते हैं सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत, क्रमशः उनके परिवरों के सदस्यों के विषय में , इस शर्त पर कि यदि पति या पत्नी, इस सुविधा का लाभ उठाते हैं, दूसरे के परिवार के सदस्य जैसे , वह / वही को हकदारी नहीं होगी , स्वयं के लिए स्वतंत्र रूप से रियायत का दावा करने के लिए । समरूप ही बच्चे भी पात्र होंगे , हितलाभ के लिए, परिवार के सदस्यों के जैसे , केवल एक ही अभिभावक के ।

(viii) सेना कार्मिकों के बच्चे जो छात्रावासों में रह रहे हैं, को एल.टी.सी. पर, 01–09–2008 से प्रभावी, उनके परिवारों से मिलने की अनुमति है।

177–ब (vi) (क) सेना अफसरों को एकांतर कैलेण्डर वर्ष में एक बार ऐसे स्थान को जाने और वहां से वापस लौटने के लिए

गृह–नगर एल.टी.सी. (नियम 177 (क) के स्थान पर) निःशुल्क सवारी दी जाएगी, जहां वे कोई प्राधिकृत छुट्टी, शामिल करते हुए फर्लो छुट्टी, प्रसूति छुट्टी (महिला अधिकारी के लिए) वार्षिक/ आकस्मिक छुट्टी के साथ, इसकी अवधि पर ध्यान दिए बिना, बिताना चाहें। इसी प्रकार की रियायत उसी स्टेशन की यात्रा करने के लिए उनकी पत्नियों तथा आश्रित बच्चों को भी दी जाएगी। अफसर, उसकी पत्नी और बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार अलग–अलग या साथ–साथ यात्रा कर सकते हैं। एक की यात्रा के संबंध में एल.टी.सी.के दावे से दूसरे द्वारा की गई यात्रा का कोई संबंध नहीं होगा (पत्नी) और बच्चे। इस यात्रा की हकदार होगी, भले ही अफसर छुट्टी यात्रा करें या न करें अथवा वह / वही (किसी प्राधिकृत छुट्टी, शामिल करते हुए फर्लो छुट्टी, प्रसूति छुट्टी (महिला अधिकारी के लिए) वार्षिक आकस्मिक छुट्टी के साथ, इसकी अवधि का ध्यान दिए बिना, सरकारी तौर पर मना की गई हो या नहीं) लेकिन पत्नी और बच्चों की वापसी यात्रा, यात्रा शुरू करने या बहिर्यात्रा की तारीख से छः महीने के अन्दर अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। रियायत उस वर्ष के हिसाब में ली जाएगी जिसमें बहिर्यात्रा आरंभ की गई हो । छः महीने की इस शर्त में निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा छूट दी जा सकती है :

(क) सेना मुख्यालयों पर शाखाओं के प्रमुख	सेना मुख्यालयों में सेवारत सेना कार्मिकों के विषय में
(ख) जी.ओ.सी.–इन–सी/ एफ.ओ.सी.–इन–सी/	उनकी कमानों में सेवारत सेना कार्मिकों के विषय में

टिप्पणीः कमीशन सेवा के पहले वर्ष में इस खण्ड के एल. टी.सी. की मंजूरी इस शर्त पर दी जाएगी कि अफसर उसी वर्ष में कैडेट/मिडशिपमैन/फ्लाइट कैडेट के रूप में पहले ही एल.टी.सी. का लाभ न ले चुका हो ।

(ख) वर्ष के अन्त में अफसर को छुट्टी दिए जाने के कारण यदि अफसर, उसकी पत्नी और आश्रित बच्चे अगले कैलेण्डर वर्ष में साथ–साथ यात्रा करते हैं, तो पत्नी और बच्चों को मिलने वाली एल.टी.सी. उस वर्ष के अनुसार विनियमित की जाएगी, जिस वर्ष के लिए अफसर की एल. टी.सी. गिनी जाएगी।

इस मामले में उपखंड (क) (v) के उपबंध भी लागू होंगे ।

(ग) जहां परिवार के मुखिया से उनके परिवार इसलिए अलग रहते हों कि परिवार का मुखिया किसी गैर परिवार स्टेशन पर सेवा कर रहा है या जहां उसे परिवार–आवास नहीं मिल सका है, वहां अफसर की पत्नी और आश्रित बच्चों को अपने निवास के स्टेशन के अफसर के छुट्टी स्टेशन तक एल.टी.सी. स्वीकार्य होगी । दूरी की सीमा का विचार किए बिना वास्तविक किराए का भुगतान किया जाएगा ।

(घ) जब सेना अधिकारियों तथा उसका परिवार किसी कारण से कार्यस्थल से दूर रहते हैं तो उन्हें निवास–स्थान से गन्तव्य स्थान/मूल निवास स्थान तथा निवास को वापसी के लिए एल.टी.सी. इस शर्त के अध्याधीन दिया जाए कि दावा कार्यस्थल एवं मूल निवास–स्थान अथवा घोषित गन्तव्य स्थान, जैसा भी मामला हो के मध्य निकटतम सीधे मार्ग द्वारा सेवा कार्मिकों में हकदार प्रकार/ श्रेणी तक सीमित है । ऐसे मामलों में सेना अधिकारियों को सेवा स्थल से दूर रहने के कारण प्रस्तुत करने चाहिए तथा निवास स्थान के सन्दर्भ वाले दावों को स्वीकार करने से पूर्व नियंत्रक प्राधिकारी उनकी वास्तविकता से सन्तुष्ट होना चाहिए।

(ङ) सेना का जो अफसर संकिया क्षेत्र में सेवा करने के समय विवाह करता है, उसकी पत्नी को एल.टी.सी., उसके निवास स्थान से (इसको चुने हुए निवास के समान ही माना जाएगा) उस छुट्टी स्टेशन तक दी जाएगी, जहां अफसर छुट्टी पर गया हो । यह रियायत उसी सीमा तक दी जाएगी जिस सीमा तक फील्ड क्षेत्र में ड्यूटी स्टेशन के रेल–पर्यन्त/हवाई अड्डे से अफसर के छुट्टी स्टेशन तक स्वीकार्य होगी । यदि अफसर एल.टी.सी. का लाभ नहीं उठाता तो एल.टी.सी. के लिए परिवार के निवास स्थान को आधार माना जाएगा और यह रियायत उस स्टेशन तक दी जाएगी, जहां तक पत्नी यात्रा करे । परन्तु यह रियायत उसी सीमा तक मिलेगी जो फील्ड क्षेत्र में ड्यूटी स्टेशन के निकटतम रेलवे स्टेशन/ हवाई अड्डे से छुट्टी स्टेशन तक स्वीकार्य होगी ।

(च) सेना के अफसरों की पत्नियों को अफसर के मुख्यालय तक वापसी यात्रा के लिए एल.टी. सी. स्वीकार्य होगी बशर्ते कि उस वर्ष के लिए छुट्टी यात्रा के संबंध में पत्नी की हकदारी निम्नलिखित मामलों में पूर्व निश्चित हो :

(1) नव–विवाहिता पत्नी को, जो अफसर के मूल निवास स्थान से आ रही हो, यह रियायत इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि अफसर का विवाह आकस्मिक या वार्षिक छुट्टी के दौरान हुआ।

(2) ऐसी पत्नी को, जो अफसर के मूल निवास स्थान पर रह रही हो और जिसने बहिर्यात्रा के संबंध में एल. टी.सी. का लाभ नहीं उठाया हो।

(छ) अफसर जब वारंट पर रेल द्वारा यात्रा कर रहे हों, परन्तु उनकी पत्नियों और आश्रित बच्चों को आने–जाने के लिए वारंट की लागत तक , बिना दूरी की सीमा के, रेल के वास्तविक भाड़े की अदायगी की जाएगी ।

(ज) उस साल में , जिसमें एल.टी.सी. 177–ब देय होता है , सेना कार्मिक का परिवार यदि अलग रह रहा है , नियम 177–ब के अंतर्गत, सेना कार्मिक से मिलने उसके ड्यूटी स्टेशन आ सकता है । लेकिन , उस साल के लिए नियम 177–ब के अंतर्गत सेना कार्मिक की हकदारी व्यपगत हो जाएगी।

(ii) उन मामलों में जहां अफसर, उनकी पत्नियां तथा आश्रित बच्चे रेल से अलावा प्रकार में सवारी अर्थात् स्टीमर, बस आदि द्वारा छुट्टी स्टेशन, की यात्रा करते हैं, उन स्थानों के लिए जो रेल द्वारा संयोजित हैं , धन का लौटाया जाना, वारंट की लागत तक सीमित वास्तविक व्यय , रेल की हकदार श्रेणी में स्वीकार्य होगा ।

टिप्पणी 1: अनुबंधित बस, वैन या अन्य वाहन में की गई यात्रा के लिए एल.टी.सी. की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी यदि ऐसे वाहन निजी प्रचालकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। तथापि, वारंट के बदले में हकदार श्रेणी के वारंट के मूल्य तक किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, यदि यात्रा उस अनुबंधित बस, वैन या अन्य वाहनों मे की गई हो जो सार्वजनिक क्षेत्र में पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम तथा अन्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही परिवहन सेवाओं के वाहनों में की गई हो।

टिप्पणी 2: स्वामित्व का विचार किए बिना निजी कार द्वारा की गई छुट्टी यात्रा रियायत की यात्राओं के लिए (चालान की लागत स्वयं सेवा कार्मिकों द्वारा वहन की जाएगी) प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी ।

(iii) जब कोई अफसर इस खण्ड में प्राधिकृत छुट्टी स्टेशन को जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है और यदि रेलवे नियमों के अधीन दिए गए समय से अधिक समय के लिए रास्ते में रूकना (ब्रेक जर्नी) चाहता है तो उसे ऐसा करने दिया जाएगा और रास्तें के रूकने के स्थानों की संख्या के अनुसार उसे एक से अधिक वारंट जारी किए जाएंगे लेकिन अन्तिम गन्तव्य के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। वारंट जारी करने वाला प्राधिकारी प्रत्येक वारंट के शीर्ष पर लाल स्याही में निम्नलिखित पृष्ठांकन करके अलग–अलग जारी किए गए वारंटों को संलग्न करेगा :

"———————— से ———————— तक के दिनांक ———————— के वारंट सं0 ———————— के साथ संलग्न किया गया ।"

(iv) नियम 179 के अनुसार दी गई सड़क सवारी इस नियम के अन्तर्गत स्वीकार्य निःशुल्क रेल सवारी के अतिरिक्त होगी ।

(v) इस नियम के अधीन छुट्टी स्टेशन के लिए रियायत का लाभ वर्ष में केवल एक बार इस्तेमाल करने वाले के विकल्प पर उस समय उठाया जा सकता है जब वह या तो वार्षिक छुट्टी पर जा रहा हो या बीमारी की छुट्टी पर।

(vi) इस नियम के अधीन छुट्टी स्टेशन के लिए यह रियायत उन अफसरों को स्वीकार्य नहीं होंगी, जिनके मामलों में उनके छुट्टी पर जाने के समय यह मालूम हो कि वे छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे ।

(vii) इस नियम के अधीन छुट्टी स्टेशन के लिए (टी.आर. 177–ब) यह रियायत उस वर्ष के लिए स्वीकार्य नहीं होगी, जिसमें अपने मूल निवास स्थान/एस.पी.आर. (टी.आर. 177–अ) के लिए स्वीकार्य रियायत का लाभ उठाया गया हो ।

(viii) सेना कार्मिकों के बच्चे जो छात्रावासों में रह रहे हैं , को एल.टी.सी. पर, 01–09–2008 से प्रभावी , उनके परिवारों से मिलने की अनुमति है ।

टिप्पणी 1: सेना कार्मिकों को सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान 60 दिनों तक , एल.टी.सी. को लेने के समय दस दिनों की वार्षिक छुट्टी के नकद भुगतान की अनुमति है। छुट्टी का नकद भुगतान एल.टी.सी. लेने के समय को सेवा–निवृत्ति के समय अधिकतम वार्षिक छुट्टी की मात्रा के नकदीकरण से कम नहीं किया जाएगा । जहां दोनों पति और पत्नी सरकार में सेवारत हैं, यह वर्तमान में एल.टी.सी. को प्राप्त करने की हकदारी में कोई बदलाव नहीं होगा और एल.टी.सी. लेने के समय दस दिन के बराबर छुट्टी के नकदीकरण को , प्रत्येक को 01–09–2008 से प्रभावी , सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक की शर्त पर, दोनों को प्राप्य होना जारी रहेगाा ।

टिप्पणी 2: एक सरकारी कर्मचारी को एल.टी.सी. लेने के समय स्वयं के लिए या जब उसका परिवार प्राप्य करता है, को उपर दी छुट्टी के नकद भुगतान की अनुमति दी जा सकती है , बशर्ते कि अन्य शर्तों का पालन होता हो ।

टिप्पणी 3: एल.टी.सी. को लेने के समय , उपर दी छुट्टी के नकद भुगतान को बाह्य यात्रा की प्रस्तावित तारीख के 60 दिन पहले लेने की अनुमति होगी ।

टिप्पणी 4: पुनः सेवानियोजित पेंशनर को, पुनः सेवानियोजन की अवधि के दौरान 60 दिन की सीमा तक , एल.टी.सी. के साथ अर्जित छुट्टी के नकद भुगतान की हकदारी होगी (शामिल करते हुए उन दिनों की संख्या को जिसके लिए नकदीकरण की अनुमति दी गई थी, छुट्टी यात्रा रियायत के साथ जब सेवारत थे) बशर्ते उसको एल.टी.सी. की हकदारी है।

177–स. यदि कोई अफसर ऐसे यूनिट/फार्मेशन में कार्य कर रहा हो, जिसके कार्मिक फील्ड सेवा रियायत ले रहे हों, तो उसे यह विकल्प होगा कि वह या तो उपरोक्त खंड "अ" और खंड "ब" के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाए ।

या

(क) उस वर्ष जिसमें खंड "अ"/ 'ब'के अधीन एल. टी.सी. के बदले में वर्ष एक बार में ली गई वार्षिक छुट्टी के लिए जहां अपने परिवार के साथ उस स्थान पर छुट्टी बिताने के लिए जहां उनके परिवार को सरकारी आवास (जिसमें किराए का निजी आवास भी शामिल है) दिया गया हो और वापस अपने ड्यूटी स्टेशन के लिए हकदार प्रकार / श्रेणीपर निःशुल्क सवारी दी जाएगी, भले ही दूरी कितनी भी हो। लेकिन खंड 'अ'/"ब" के अधीन अफसर की पत्नी तथा आश्रित बच्चों की हकदारी उस वर्ष के लिए व्यापगत हो जाएगी।

टिप्पणी: कमान अफसर, फिर भी, किसी अफसर को अपने घर से भिन्न किसी स्टेशन को जाने के लिए वारंट का लाभ उठाने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि अफसर का परिवार वहां रह रहा हो और उसकी इस प्रकार की यात्रा से राज्य को अतिरिक्त खर्च न करना पड़े ।

(ख) नियम 47 के अधीन वारंट या सरकारी टैरिफ दर पर यात्रा की लागत प्राप्त करने के लिए अफसर के विकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) एक अतिरिक्त निःशुल्क रेलवे वारंट (शामिल करते हुए समुद्र मार्ग को) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सेवारत सशस्त्र सेना के सभी रैंकों को उनके ड्यूटी स्टेशन से आने–जाने और गृह–नगर / चुने हुए आवास के स्थान । (एस.पी.आर.) के लिए हकदार श्रेणी में प्रदान किया जाएगा । यह रियायत मौजूदा गृह–नगर/ एस.पी.आर. / भारत में कहीं भी एल.टी.सी. की सुविधा के अतिरिक्त होगी , जैसा वर्तमान में उनको प्रत्येक साल प्राप्य है।

टिप्पणी: उपर्युक्त नियम के अधीन सेना अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत पर की गई यात्राओं के मामले में नियंत्रण अधिकारी स्व–विवेक से रेल/सड़क/ वायुयान/स्टीमर द्वारा की गई यात्रा की नकदी रसीद को प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दे सकते हैं जबकि वे इसके संबंधित दावों की प्रामाणिकता और की गई यात्रा की वास्तविकता के संबंध में सन्तुष्ट हों । नियंत्रक अधिकारी यह आश्वस्त करेंगे कि यात्रा की टिकटों के पी. एन.आर. सं0 / टिकट नम्बरों का सदैव अधि ात्याज्य प्रमाण–पत्र में उल्लेख हो ।इन शक्तियों का प्रयोग नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वस्तुतः सुपात्र मामलों की नितान्त गुणता के आधार पर किया जाएगा, सामान्य तौर पर नहीं ।

177–ङ सेना के अफसरों को अध्ययन छुट्टी की अवधि में छुट्टी यात्रा रियायत स्वीकार करना : सेना के अफसरों को अध्ययन छुट्टी की अवधि में एल. टी.सी.स्वीकार्य होगी । ऐसे मामलों में इस विषय के दावों का नियमन निम्नलिखित रूप में किया जाना चाहिए :––

(क) स्वयं के लिए : सेना के अफसर अध्ययन छुट्टी के स्थान से भारत में किसी भी स्थान/मूल निवास स्थान/एस.पी.आर.तक एल.टी.सी. का इस्तेमाल इस शर्त के अध्याधीन कर सकते हैं कि प्रतिपूर्ति उनके मुख्यालय के स्थान (अर्थात् ड्यूटी का पिछला स्टेशन) से मूल निवास स्थान/एस.पी.आर. तक भारत में किसी भी स्थान के बीच यात्रा के स्वीकार्य किराए की राशि या वास्तविक व्यय में से जो भी कम हो, उस तक सीमित कर दी जाएगी ।

(ख) परिवार के सदस्यों के लिए :

(i) जब परिवार के सदस्य सेना अधिकारी के साथ उसके अध्ययन छुट्टी के स्थान पर रह रह हों तो प्रतिपूर्ति उपर (क) में दर्शाए अनुसार की जाएगी ।

(ii) जब परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी के साथ उसके अध्ययन छुट्टी के स्थान पर न रह रहे हों तो एल.टी.सी. की अनुमति, निवास स्थान से मूल निवास स्थान/एस. पी.आर./गन्तव्य स्थान तक और वहां से वापस निवास स्थान तक आने के लिए इस शर्त के अध्याधीन की जा सकती है कि इस विषय के दावा–पत्र को ड्यूटी स्टेशन (अर्थात् अफसर की ड्यूटी का पिछला स्टेशन) और मूल निवास स्थान/एस.पी.आर. या पूर्व घोषित गन्तव्य स्थान, जैसा भी मामला हो, के बीच सबसे छोटे सीधे मार्ग द्वारा हकदार प्रकार / श्रेणी के निःशुल्क सवारी के प्रभार्य तक सीमित कर दिया जाएगा ।

(iii) परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्रा की प्रतिपूर्ति पैरा (ख) (i) तथा (ii) में दर्शाई गई परिस्थितियों में स्वीकार्य होगी बशर्ते कि अफसर के परिवार के सदस्य उसी स्टेशन पर गए हों जहां वह अफसर हो ।

177–ङ. छुट्टी यात्रा रियायत की जब्ती

(i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि, अनुशासनिक कार्यवाही को प्रारंभ किया जाए , सेना अधिकारी के खिलाफ , एल.टी.सी. के कपटपूर्ण दावे की तरजीह के आरोप पर , तो ऐसे उस अधिकारी को एल.टी.सी. की अनुमति नहीं दी जाएगी , जब तक कि ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही का निपटारा नहीं हो जाता है ।

(ii) यदि अधिकारी पूर्णतः एल.टी.सी. के दुरुपयोग के आरोप से मुक्त हो जाता है , तो अधिकारी को आगामी सालों में (एल.टी.सी) को प्राप्य की अनुमति होगी परन्तु उसके अधिवर्षिता/कार्य–मुक्ति की सामान्य तारीख से पहले।

(iii) लेकिन, यदि अधिकारी को पूर्णतः माफी नहीं दी जाती है , एल.टी.सी. के कपटपूर्ण दावे के आरोप से , तब उसकों अगले दो एल. टी.सी. के सेटों की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो एल.टी.सी. पहले से ही रोकी गई है के अतिरिक्त । यदि दुरूपयोग की प्रकृति गंभीर है तो सक्षम प्राधिकारी एल.टी.सी. को दो से अधिक सेटों के लिए नामंजूर कर सकता है।

178. सेना परिचर्या सेवा के अफसरों को छुट्टी यात्रा रियायत

सेना परिचर्या सेवा के अफसर उसी एल.टी.सी. के हकदार होंगे, जो नियम 177 के अधीन सेना अफसरों को स्वीकार्य हैं । उसमें केवल यह परिवर्तन होगा कि वे प्रपत्र "घ" की अपेक्षा प्रपत्र "छ" का इस्तेमाल करेंगे और उनको 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, की अपेक्षा इन विनियमों के नियम 176 के अनुसार हकदार श्रेणी के किराए के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

179. वार्षिक छुट्टी पर जाने वाले अफसरों को सड़क द्वारा सवारी

(i) सेना परिचर्या सेवा के सभी कमीशन अफसरों, भारतीय नौसेना के मिडशिपमैनों, उनकी पत्नियों तथा आश्रित बच्चों को नीचे उल्लिखित किसी स्टेशन से उस स्टेशन तक जाने के लिए सड़क परिवहन भत्ता दिया जाएगा जिसे वे कैलेण्डर वर्ष में एक बार कोई भी प्राधिकृत छुट्टी , शामिल है फर्लो छुट्टी , प्रसूति छुट्टी (महिला अधिकारी के लिए) के साथ वार्षिक छुट्टी/आकस्मिक छुट्टी पर जाने के लिए चुनेः—

दक्षिणी कमान	पूर्वी कमान	पश्चिमी कमान	मध्य कमान	उत्तरी कमान
1	2	3	4	5
अन्नामलाई, अलगीबाग, कूनूर, कोर्तलम,	अन्धुरा, भोवाली, जलापहाड़, कैलाना,	बकलोह, चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, डगशई,	अल्मोड़ा, चकराता, जोशीमठ, लैंडसडौन, लंडौर, मसूरी,	बरामूला, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, जम्मू–कश्मीर में उधमपुर
करवार, कोडैकनाल, कोटाकिरी और उस स्टेशन से24 कि0मी0 के घेरे में स्थित एस्टेट, महाबलेश्वर, मन्नार, पीरमदें, पंचगनी, थेरकोड, मरकारा और उसस्टेशन से 32 कि0मी0 के घेरे में स्थित ऐस्टेट माउण्ट आबू, उटकमण्ड, वेलिंगटन	कलिम्पौंग, लेंबोंग, रांची शहर, शिलांग	कसौली, कुल्लु रोड हेड, मनाली, सबायु	नैनीताल, नौगोंम, रानीखेत, पंचमढ़ी रेल हेड, पिपरिया,	

(ii) उपर खंड (i) में दी गई सड़क सवारी उस अफसर को भी दी जाएगी जो उस खंड में उल्लिखित स्टेशन से भिन्न स्टेशन को जा रहा हो, बशर्ते कि उसकी लागत उस मान्य स्टेशन के संबंध में स्वीकार्य लागत से अधिक न हो जो दौरा किए गए स्टेशन के निकटतम हो ।

(iii) यदि उपर बताए गए स्टेशनों की यात्रा रेल और सड़क द्वारा करनी पड़ती है तो छुट्टी स्टेशन के रूप में चुने गए स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से आने–जाने के लिए सड़क यात्रा के लिए निःशुल्क सवारी दी जाएगी ।

(iv) जहां कहीं भी संभव और किफायती होगा, सरकार द्वारा सवारी के लिए परिवहन उपलब्ध

किया जाएगा और यदि सरकारी परिवहन द्वारा उपलब्ध न हो तो वारंट/आई.ए.एफ.जेड–2150 द्वारा जहां व्यवस्था हो। अन्य मामलों में नियम 102 में दी गई परिभाषा के अनुसार उपयुक्त सवारी पर किया गया वास्तविक व्यय वापस किया जाएगा जो सड़क मील–दूरी तक सीमित होगा ।

(v) यदि अफसर, उनकी पत्नियां तथा आश्रित बच्चे वार्षिक छुट्टी पर जाने के समय इस नियम और नियम 177 में उल्लिखित रियायत का लाभ उठाते हैं, तो वारंट सरकारी परिवहन से अन्यथा तरीके से की गई सड़क यात्रा के लिए उनके दावे का नियमन निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) यदि छुट्टी स्टेशन तक रेलवे बाह्य एजेंसी या कोई अन्य सड़क परिवहन एजेन्सी गाड़ियां चलाती हैं जिसके द्वारा जारी किए गए टिकटों को रेलवे मान्यता देती है या सड़क परिवहन एजेंसी रेलवे द्वारा जारी किए गए टिकटों को मान्यता देती है या गाड़ियां ऐसी सड़क कम्पनी चलाती है जिसका सेना कार्मिकों को लाने ले–जाने के लिए सरकार के साथ नियमित ठेका है, तो रेलवे हैड से मान्य छुट्टी स्टेशन तक सड़क यात्रा की हकदारी रेल या सड़क परिवहन एजेंसी या ऐसी सड़क कम्पनी द्वारा जिसका सरकार के साथ नियमित ठेका है, आने–जाने की यात्रा के लिए, लिए गए भाड़े तक ही सीमित होगी ।

(ख) उपर खंड (क) के अन्तर्गत न आने वाले अन्य स्टेशनों के मामले में वास्तविक व्यय ही स्वीकार्य होगा जो रेलवे स्टेशन से मान्य छुट्टी स्टेशन तक नियम 61 के अधीन मील–भत्ते तक ही सीमित होगा ।

टिप्पणी: स्वामित्व का विचार किए बिना निजी कारों द्वारा की गई छुट्टी यात्रा रियायत की यात्राओं के लिए (चालन की लागत स्वयं सेवा कार्मिकों द्वारा वहन की जाएगी) प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी ।

(ग) जम्मू से जम्मू और कश्मीर के विभिन्न स्टेशनों को वार्षिक छुट्टी पर जाने वाले अफसर, उनकी पत्नियां तथा आश्रित बच्चे, जो सरकारी परिवहन का इस्तेमाल नहीं करते, वास्तविक व्यय का दावा करने के हकदार होंगे । व्यय का यह दावा रेल तथा सड़क टिकटों के उपलब्ध न होने की अवधि के दौरान नियम 61 के अधीन मील भत्ते तक सीमित होगा और अफसरों द्वारा स्वयं इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि यात्रा के समय सरकारी परिवहन का इस्तेमाल नहीं किया गया है ।

180. सेना विमानन पायलटों के रूप में नियोजित सेना के अफसर/भारतीय नौसेना (नौ–विमानन शाखा)/पनडुब्बी के अफसर/नौ–चालक तथा नियमित उड़ान ड्यूटी पर नियोजित वायु सेना के वायुयान कर्मीदल अफसर/वायु सैनिक

(क) सेना विमानन पायलटों के रूप में नियोजित सेना के वे अफसर जो सेना विमानन की उड़ान/स्क्वेड्रनों की तैनाती नफरी पर हों और जिन्हें नियमित उड़ान ड्यूटी पर लगाया गया हो, और भारतीय नौसेना के अफसर/नौ–चालकों (नौ–विमानन शाखा/पनडुब्बी/आई.एम.एस.एफ./चैरियटिअर) वायु सेना की प्राधिकृत स्थापना में रिक्त पदों पर नियमित उड़ान ड्यूटी करने वाले वायुयान कर्मीदल अफसर/वायु सैनिकों को वारंट पर निःशुल्क रेल यात्रा की अनुमति दी जाएगी । यह वारंट उन्हें उस समय दिया जाएगा जब वे छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी सहित) पर जा रहे हों वारंट की सुविधा उन्हें वर्ष में एक बार समुचित श्रेणी में कुल 1600 कि0मी0 दूरी तक आने–जाने अर्थात् दोनों ओर की यात्रा के लिए मिलेगी । यह रियायत एल.टी.सी. के अतिरिक्त होगी जिसके सेना कार्मिक नियम 177 और 184 के अधीन, जैसा भी मामला हो, हकदार हैं ।

(ख) इस नियम के अन्तर्गत रियायत प्राप्त करते समय जूनियर कमीशन अफसर/ अन्य रैंक तथा नौसेना और वायुसेना के समकक्ष पद के अफसरों को, इसकी दूरी पर विचार किए बिना, इस शर्त पर रियायत वाउचर जारी किया जाएगा कि रियायत वाउचर के मूल्य की प्रतिपूर्ति एक तरफ की यात्रा के लिए 800 कि0मी0 तक प्रतिबन्धित हो। व्यक्तियों को रियायत वाउचरों के बदले में रेल टिकट खरीदने के लिए पेशगी इस शर्त पर मंजूर की जा सकती है कि यह पेशगी टिकट के मूल्य की सरकारी देयता के 80% से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 1: उपर्युक्त नियम के उपबन्ध सेना के उन सभी अफसरों पर भी लागू होंगे जिनकी तैनाती सेना विमानन सेवा में की गई हो और जो सेना–विमानन में प्राधिकृत रिक्तियों के अंतर्गत जहां नियमित उड़ान का संबंध है, नियमित उड़ान ड्यूटी करते हों, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे किस यूनिट से तैनात किए गए हैं ।

181. मिडशिपमैन तथा जूनियर कमीशन अफसरों सहित सेना के अफसरों तथा उसके समकक्ष अफसरों, जो कमीशन अफसरों के रूप में अवैतनिक पद धारण किए हों, को घटे भाड़े का प्रमाण–पत्र — फार्म "डी"

(क) मिडशिपमैन तथा जूनियर कमीशन अफसरों सहित सेना के अफसरों और उनके समकक्ष

अफसरों, जो कमीशन अफसरों के रूप में अवैतनिक पद धारण किए हों, को छुट्टी पर अपने खर्च पर यात्रा करते समय फार्म "डी" प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की श्रेणी का 60 प्रतिशत किराया अदा करके हकदार श्रेणी या निम्न श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है, जबकि कोई आरक्षण फीस नहीं लगाई जाएगी, अन्य सभी प्रभार जैसे वातानुकूलित 2–टीअर अधिभार, सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए पूरक प्रभार, द्वितीय श्रेणी के लिए शयनयान प्रभार आदि जो रेलवे द्वारा लोक टैरिफ दर पर लगाए जाते हैं, अधिकारी द्वारा पूरी मात्रा में अदा किए जाएंगे ।

जब सेना अधिकारियों छुट्टी पर यात्रा करते हैं , बिना फार्म 'डी' के प्रयोग के , फार्मों के अनुपलब्धता के कारण , तो असाधारण परिस्थितियों में , नियंत्रक अधिकारियों से फार्म के अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति पर , रियायती घटक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ख) भारत में किसी स्टेशन की यात्रा करने के लिए अफसर, उसका/उसकी पत्नी/पति और आश्रित बच्चों को एक कैलेंडर वर्ष में एक मार्ग यात्रा प्रपत्रों के कुल 6 प्रपत्रों तक सीमित कर दिया जाएगा, भले ही परिवार का मुखिया साथ यात्रा करें या न करें । इन छः प्रपत्रों में दो एक तरफा यात्रा के प्रपत्र अफसर, उसका / उसकी पत्नी/पति और आश्रित बच्चों के अतिरिक्त अफसर के माता–पिता, बहनों, अव्यस्क भाईयों को भी दिया जाएगा, संयुक्त आने / जाने की यात्रा के लिए , जो अफसर के साथ रह रहे हों और अफसर पर पूर्णतः आश्रित हों ।

टिप्पणीः लेकिन नियम 177 के अधीन उठाए गए छुट्टी यात्रा रियायत के लाभ के साथ जारी किया गया प्रपत्र "डी" उपर उल्लिखित छः एक–मार्ग यात्रा प्रपत्र –– "डी" से अतिरिक्त होगा।

182. सेना परिचर्या सेवा के अफसरों और सिविलियन सिस्टरों के लिए घटे भाड़े का प्रमाण–पत्र –– फार्म "जी"

(क) सेना परिचर्या सेवा के अफसरों तथा सिविलियन सिस्टरों को छुट्टी पर अपने खर्च पर यात्रा करते समय फार्म "जी" प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की श्रेणी का आरक्षण प्रभार सहित 50 प्रतिशत किराया अदा करके हकदार श्रेणी या निम्न श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है। अन्य सभी प्रभार जैसे वातानुकूलित शयनयान का अधिभार, सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए पूरक प्रभार, शयनयान प्रभार, आदि जो रेलवे द्वारा लोक टैरिफ दर पर लगाए जाते हैं, दैनिक यात्री द्वारा पूरी मात्रा में अदा किए जाएंगे ।

(ख) इन मामलों में नियम 181 (ख) के उपबन्ध भी लागू होंगे ।

183. अफसर के रैंक से निम्न रैंक के सेना कार्मिकों को रियायत वाउचर

(क) अफसर के रैंक से निम्न रैंक के सेना कार्मिकों को अपने तैनाती के स्टेशन से छुट्टी पर अपने खर्चे पर आने–जाने के लिए यात्रा करते समय आई. ए.एफ.टी. 1720–क प्रस्तुत करने पर वास्तव में यात्रा करने की श्रेणी का आधा किराया अदा करके हकदार श्रेणी या निम्न श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) उपर खंड (क) में उल्लिखित सेना कार्मिक के परिवार को परिवार के मुखिया के तैनाती के स्टेशन से अपने खर्च पर आने–जाने के लिए यात्रा करते समय आई. ए.एफ.टी. 1720–क प्रस्तुत करने पर वास्तव में यात्रा करने की श्रेणी का आधा किराया अदा करके हकदार श्रेणी या निम्न श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति होगी ।

(ग) जब पी.बी.ओ.आर. छुट्टी पर यात्रा करते हैं बिना रियायती वाउचरों के प्रयोग के, फार्म आइ.ए.एफ.टी. 1720–ए की अनुपलब्धता के कारण , उनको असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रक अधिकारियों से अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति पर रियायती घटकों की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

184. जूनियर कमीशन अफसरों (शामिल करते हुए अवैतनिक कमीशन अफसरों/अन्य रैंक/अयोद्धी कार्मिक नामांकित तथा नौसेना और वायुसेना में उनके समकक्ष रैंकों) को छुट्टी यात्रा रियायत

(i) यदि सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक और सेना के एन.सी. (ई.) वार्षिक/ आकस्मिक छुट्टी, इसकी अवधि पर विचार किए बिना, घर जा रहे हों, तो उन्हें अपने घर/एस.पी. आर. या अन्य छुट्टी स्टेशन से मुख्य मार्ग द्वारा आने–जाने के लिए वर्ष में एक बार वारंट पर निःशुल्क सवारी दी जाएगी बशर्ते कि इसके कारण राज्य को अधिक खर्च न करना पड़े । यदि मुख्य मार्ग पूर्णतः या अंशतः समुद्र से हो और रेल संचार की सुविधा भी हो, तो सीधे मार्ग से रेल द्वारा सवारी स्वीकार्य होगी लेकिन जिनका घर कोंकण समुद्र तट पर किसी पत्तन के निकट हो, उन्हें मुम्बई और उनके घर के निकटतम पत्तन के बीच रेल के बदले समुद्र द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है ।

टिप्पणी 1: नियम 177 के खंड (क) (vi) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित पोत पर सेवा करने वाले भारतीय नौसेना के उन नौचालकों पर भी लागू होंगे, जिन्हें उस समय ठहरने (पड़ाव) के पत्तन से छुट्टी दी जाती है, जब उनका जहाज बेस पत्तन से दूर हो ।

टिप्पणी 2: एक अतिरिक्त रेलवे वारंट की, सशस्त्र सेना के सभी कार्मिकों को, युद्धक्षेत्र/उच्च तुंगता/प्रति–क्रांतिकारी हमला/प्रति– आतंकवादी संकियात्मक क्षेत्रों में सेवारत, को यात्रा पर आने और जाने के लिए उनके ड्यूटी स्टेशन से और गृह–नगर/चुने हुए आवास के स्थान (एस.पी.आर) तक, साल में दो बार , एक निःशुल्क रेलवे वारंट के स्थान पर, की स्वीकार्यता है ।

टिप्पणी 3: इन्टेरनेट / ई–टिकिटिंग द्वारा रेल की टिकटों को बुक करने के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति भारतीय रेलवे की वेबसाईट द्वारा बुक किए , एल.टी.सी. के लिए केवल रेलवे द्वारा यात्राओं के लिए , स्वीकार्य है ।

(ii) जब पी.बी.ओ.आर. वार्षिक छुट्टी पर अपने घर जा रहा हो और उसका परिवार उसके गृह–नगर की यात्रा पर उसके साथ जाता है, तो उनके स्वंय के विवेकानुसार बाह्य और वापसी यात्रा के लिए परिवार रेलवे वारंट / नकद टी.ए. की उनको हकदारी है।

(iii) प्रत्येक व्यक्ति को एकान्तर वर्ष में एक बार यह विकल्प होगा कि वह चाहे तो अपने परिवार के साथ या अकेले अपने घर / एस.पी.आर. की बजाए अपने घर / एस.पी. आर. से भिन्न किसी छुट्टी स्टेशन की परिवार वारंट / नकद टी.ए. पर अपने विवेकानुसार यात्रा कर सकता है । यह रियायत उस वर्ष के लिए उपर खंड (i) के अधीन निःशुल्क वारंट की रियायत के अतिरिक्त नहीं दी जाएगी । यदि व्यक्ति का परिवार उसके छुट्टी स्टेशन पर न रह रहा हो, अपारिवारिक स्टेशन होने से या विवाहित आवास के उपलब्ध न होने के कारण तो चयनित निवास स्थान (एस0 पी0 आर0) मूल निवास स्थान से व्यक्ति के चयनित छुट्टी स्टेशन तक मुफ्त परिवहन की सुविधा अनुमत्य होगी ।

टिप्पणी 1: व्यक्तियों को जब उन्हें छुट्टी यात्रा रियायत को प्राप्य करने की उपर खंड (ii) और (iii) के अधीन अनुमति दी जाती है , को 31–03–2006 से प्रभावी, जब एल.टी.सी. पर यात्रा करते हैं तो परिवार रेलवे वारंट जारी किए जाने की हकदारी हो सकती है ।

टिप्पणी 2: जब किसी व्यक्ति को उपर खंड (ii) और (iii) के अधीन एल.टी.सी. लेने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें रियायत वाउचर के बदले में रेल का टिकट खरीदने के लिए इस शर्त पर अग्रिम धनराशि मंजूर की जा सकती है कि इस प्रकार दिया गया अग्रिम धन टिकट के मूल्य के लिए व्यक्ति की देयता के भाग के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(iv) नेपाल के अधिवासी गोरखा कार्मिकों और भूटान के राष्ट्रिकों को छुट्टी पर घर जाते समय सवारी दी जा सकती है । जहां आवश्यक हो, यह सवारी उन्हें उस स्टेशन से, जहां उनका मुख्यालय स्थित हो, उसके रेजीमेंटल सेंटर/डिपो से होकर दी जाएगी, ताकि वे अपने परिवारों को अपने घर या मुख्यालय तक अपने साथ लेकर जा सकें ।

(v) गोरखा कार्मिकों को, जो संकिया क्षेत्र में कार्य कर रहे हों और नेपाल में अपने घर छुट्टी पर जा रहे हों, बरास्ता उनके रेजीमेंटल सेंटर/डिपो सवारी दी जा सकती है, ताकि वे वहां से अपनी भारी किट/सिविलियन वस्त्र ले सकें ।

(vi) ऐसे मामलों में जहां कैलेण्डर वर्ष के अन्त में वार्षिक छुट्टी दी जाती है, व्यक्ति उस वर्ष से अगले कैलेण्डर वर्ष में यात्रा कर सकता है, जिससे छुट्टी संबंधित हो। शर्त यह है कि इस एल.टी.सी. (आने–जाने की यात्रा का लाभ छुट्टी की अवधि में ही उठाया गया हो) का उस वर्ष से अगले कैलेंडर वर्ष की एल.टी.सी. की हकदारी, जिससे छुट्टी संबंधित हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(vii) ऐसे व्यक्तियों को जिनका घर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में है, वार्षिक छुट्टी / आकस्मिक छुट्टी पर अपने घर जाते समय उनके ड्यूटी स्टेशन से पोतावरोहण पत्तन तक और वापसी में रेल/सड़क से निःशुल्क सवारी दी जाएगी और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पोतावरोहण पत्तन से पोतावरोहण पत्तन तक तथा पोतावरोहण पत्तन से पोतावरोहण पत्तन तक निःशुल्क समुद्र यात्रा की अनुमति दी जाएगी । इन द्वीप समूहों की अन्तर्भूभागीय यात्रा पर वे ही उपबन्ध लागू होंगे जो भारत की मुख्य भूमि की यात्रा पर लागू होते हों ।

टिप्पणी: समुद्र द्वारा यात्रा : भारत के जलयान सेवा से जुड़े स्थानों के मामले में, सेना कार्मिक द्वारा जलयान से की गई यात्रा की हकदारी का नियमन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार सेना कार्मिक के स्थानान्तरण पर जलयान द्वारा की गई यात्रा के लिए किया जाता है ।

(viii) छुट्टी पर जाने वाले व्यक्ति को रेलवे नियमों द्वारा की गई यात्रा भंग की अवधि से अधिक अवधि के लिए एक से अधिक रेल वारंट जारी नहीं किए जाएंगे। तथापि, यदि कोई व्यक्ति रास्ते में कभी भी यात्रा भंग करना चाहता है, तो वह अपने खर्च पर यात्रा कर सकता है और छुट्टी से लौटने पर उसी प्रकार जारी करने योग्य रेल वारंट की लागत का दावा कर सकता है, जैसे कि सीधी यात्रा के मामले में किया जाता है ।

(ix) वार्षिक/संचित–वार्षिक छुट्टी पर गए व्यक्ति जो नियत तारीख पर वापसी यात्रा न कर सकें, नियत तारीख को यात्रा तो करें परन्तु जिन्हें दैवी प्रकोपों के कारण संचार

भंग होने से रास्ते में रूक जाना पड़े और जिन्हें संबंधित कमान अफसर द्वारा निकटतम सेना यूनिट में रिपोर्ट करने की आज्ञा दी जाए, जिस स्टेशन पर वे रिपोर्ट करेंगे, उस स्टेशन और स्थायी ड्यूटी स्टेशन के बीच उसी व्यवस्था के अनुसार यात्रा करेंगे, जिस व्यवस्था के अनुसार उनके द्वारा सामान्य मार्ग से नियत तारीख को यात्रा की गई होती ।

(x) सरकारी खर्च पर छुट्टी जाने और वापस आने के समय व्यक्ति को संभव होने पर समस्त यात्रा के लिए निःशुल्क सरकारी गाड़ी दी जाएगी या यदि कोई सरकारी संविदा हो, तो किराए की गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी । यात्रा के लिए सड़क वारंट ही जारी किए जाएंगे अन्यथा ₹ 1.20 प्रति कि0मी0 का सड़क भत्ता दिया जाएगा। नेपाल में यात्रा के लिए सड़क भत्ते का प्रतिदिन या दिन के किसी भाग के लिए ₹ 20 की दर से हिसाब लगाया जाएगा । सिलीगुड़ी और सिक्किम के आन्तरिक स्थानों के बीच की यात्रा के लिए उन्हें ₹ 1.20 प्रति कि0मी0 की दर से मील–भत्ता या सिक्किम राज्य मोटर वाहन विभाग द्वारा निर्धारित बस का वास्तविक भाड़ा दिया जाएगा ।

जहां पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो तथा जिसमें सड़क अनुबन्ध प्रणाली का अतिकमण निहित न हो वहां जूनियर कमीशन अफसरों/ गैर–कमीशन अफसरों/अन्य रैंक के अफसरों, अयोद्धी नामित तथा नौसेना और वायु सेना में इनके समकक्षों रैंक वाले अफसरों के परिवारों को वास्तविक बस किराए का भुगतान स्वीकार्य होगा । तथापि, जहां पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध न हो, वहां 3 वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति की हकदारी ₹ 1.20 प्रति कि0मी0 होगी ।

यह रियायत रेल–सेवा से न जुड़े हुए स्थानों के लिए की गई सड़क यात्राओं के मामले में स्वीकार्य होगी ।

टिप्पणी 1: सड़क मील–दूरी भत्ते की दरें , नियम 61 में यथा निर्धारित , यथा संशोधित समय–समय पर , भी लागू होंगी , स्वीकार्य सड़क मील–दूरी भत्ते के भुगतान के लिए , आकस्मिक व्ययों के मामले में सड़क द्वारा यात्राओं के लिए , पैदल और बाईसाइकिल पर स्थानों के मध्य, जो रेल द्वारा संयोजित नहीं हैं ।

टिप्पणी 2: पी.बी.ओ.आर. को रेल–सेवा से न जुड़े हुए स्थानों के लिए अथवा जहां सड़क–एवं–रेल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, की गई सड़क यात्रा की हकदारी निम्न प्रकार होगी:

(i) सेना कार्मिकों जो ग्रेड वेतन ₹ 4,200–/ से ₹ 4,800/– तक, को आहरित करते हैं	किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस द्वारा वास्तविक किराया, शामिल है वातानुकूलित बस या अवातानुकूलित टैक्सी के निर्धारित दरों पर जब यात्रा वास्तव में अवातानुकूलित टैक्सी से निष्पादित हुई है या ऑटो–रिक्शा के लिए निर्धारित दरों पर
(ii) सेना कार्मिकों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,400–/ और उससे उपर परन्तु ₹ 4,200–/ से कम को आहरित करते हैं	किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस द्वारा वास्तविक किराया , वातानुकूलित बस को छोड़कर या ऑटो–रिक्शा के लिए निर्धारित दरों पर , ऑटो–रिक्शा द्वारा की गई यात्राओं के लिए
(iii) सेना कार्मिकों जो ग्रेड वेतन ₹ 2,400–/	साधारण सार्वजनिक बस द्वारा वास्तविक किराया से कम को आहरित करते हैं या ऑटो–रिक्शा के लिए निर्धारित दरों पर , ऑटो–रिक्शा द्वारा की गई यात्राओं के लिए

(xi) पी.बी.ओ.आर और उसका परिवार अपनी सुविधानुसार अलग–अलग या साथ–साथ यात्रा कर सकता है । एक व्यक्ति की एल. टी.सी. के दावे का संबंध दूसरे व्यक्ति के दावे से नहीं होगा, लेकिन परिवार की वापसी यात्रा उसकी बहिर्यात्रा शुरू करने की तारीख से छः महीने के अन्दर अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। नियम 177–ब (xi) (क) के अनुसार छः महीने की इस शर्त में विशेष परिस्थितियों में प्राधिकारी अपने विवेक से छूट दे सकते हैं।

(xii) व्यक्ति का परिवार सड़क यात्रा के लिए मील–भत्ते का भी हकदार होगा। यह भत्ता रेलवे स्टेशन से घर आने–जाने के लिए उन स्थानों के बीच दिया जाएगा जो स्थान रेल सेवा से जुड़े हुए न हों । इस संबंध में व्यक्ति की हकदारी उपर खंड (x) में दिए अनुसार ही होगी ।

(xiii) द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वालों को एक सीट दिन की यात्रा के लिए। शयनिका (रात्रि यात्रा के लिए) के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी बशर्ते कि खर्च वास्तव में किया गया हो ।

(xiv) उपर खंड (i), (iv) तथा (viii) में उल्लिखित रियायतों का एक बॉय भी हकदार होगा ।

टिप्पणी: उपर्युक्त नियम के अधीन सेना कार्मिकों व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई छुट्टी यात्रा रियायत की यात्राओं के मामलों में नियंत्रण अधिकारी स्वविवेक से रेल/सड़क/वायुयान/स्टीमर द्वारा की गई यात्रा की नकदी रसीद प्रस्तुत करने से तब छूट दे सकते हैं, जबकि वे इससे संबंधित दावों की वास्तविकता और की गई यात्रा की सदाशयता के संबंध में संतुष्ट हों। नियंत्रक अधिकारी यह आश्वस्त करेगा कि यात्रा की टिकटों के पी.एन.आर. सं0 / टिकट नम्बरों का अधित्याग प्रमाण–पत्र में सदैव उल्लेख होगा। इन शक्तियों का प्रयोग नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सुपात्र मामलों की नितांत गुणता के आधार पर किया जाएगा, सामान्य तौर पर नहीं ।

(xv) जब सेना कार्मिकों और उनके परिवार किसी भी कारण से, ड्यूटी के स्थान से दूर रहते हैं, एल.टी.सी. रिहायश के स्थान से गन्तव्य स्थान तक / गृह–नगर और वापस रिहायश के स्थान तक , की अनुमति दी जा सकती है , इस शर्त पर कि दावे को लघुत्तम–सीधे मार्ग द्वारा ड्यूटी स्टेशन और गृह–नगर/एस.पी.आर. या घोषित परिदर्शन के स्थान के मध्य, जैसा भी प्रकरण हो , सेना कार्मिक से प्रभार्य, हकदार श्रेणी से रेल के किराए तक, सीमित किया जाता है । ऐसे मामलों में, सेना कार्मिकों को ड्यूटी के स्थल के अलावा रिहायश के स्थान पर रहने के लिए कारणों को प्रस्तुत करना होगा और नियंत्रक अधिकारी को इन कारणों की यथार्थ वास्तविकता के संबंध में , रिहायश के स्थान के संबंध में, दावे को स्वीकृत करने से पहले, स्वंय को भी संतुष्ट करना होगा ।

(xvi) चार्टरित बस , वैन या अन्य वाहनों द्वारा निष्पादित , एल.टी.सी. यात्राओं की प्रतिपूर्ति को स्वीकार्य नही किया जाएगा , जहां तक कि ऐसे वाहनों का निजी प्रचालकों के द्वारा स्वामित्व है । लेकिन , वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति हकदार श्रेणी के वारंटों की लागत तक सीमित , वारंट के बदलें में , को संस्वीकृति दी जा सकती है , यदि एल.टी.सी. यात्राएं , बसों , वैनों और भाड़े पर लिए गए अन्य वाहनों द्वारा, जहां इन वाहनों को प्रचालित किया जाता है , सार्वजनिक क्षेत्रक में पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम और सरकारी या स्थानीय निकाय द्वारा चलाई जा रहीं परिवहन सेवाओं द्वारा निष्पादित की गई थीं ।

नेपाल के अधिवासी गोरखा कार्मिकों को जब एल.टी.सी. / छुट्टी पर जाते हैं , सवारी प्रदान की जाती है , इस शर्त पर कि एल.टी.सी. निजी कार (स्वामित्व में या उधार पर या किराए पर) या एक बस , एक वैन या अन्य वाहन , स्वामित्व में या गैर–सरकारी प्रचालकों द्वारा भाड़े पर प्रचालित द्वारा की गई यात्राओं के लिए स्वीकार्य नहीं होगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए , सीमित सार्वजनिक परिवहन बसों की उपलब्धता के कारण नेपाल के अधिवासी गोरखा पी.बी.ओ.आर. को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आर.एम.ए. के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है , एस.टी.ए. दरों के अनुसार नेपाल के अधिवासी गोरखा पी.बी.ओ.आर. को जब एल.टी.सी. पर नेपाल की यात्रा करते हैं, उस यात्रा के लिए जहां कोई सार्वजनिक सड़क परिवहन उपलब्ध नहीं है ।

टिप्पणी 1 :निजी कारों द्वारा निष्पादित एल.टी.सी. यात्राओं की प्रतिपूर्ति , स्वामित्व का विचार किए बिना, (यह नोदन लागत को सेना कार्मिकों के द्वारा स्वयं ही वहन करते हुए) को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 2 : आर.एम.ए. की एस.टी.ए. दरों के अनुसार स्वीकार्यता है नेपाल के अधिवासी गोरखा पी.बी.ओ.आर. को जब एल.टी.सी. / छुट्टी पर नेपाल की यात्रा करते हैं , उस यात्रा के लिए जहां कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है , 29 अप्रैल 2011 से प्रभावी ।

(xvii) एक अतिरिक्त निःशुल्क रेलवे वारंट, प्रदान किया जाएगा (शामिल है समुद्री मार्ग से) , हकदार श्रेणी में , अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सेवारत सशस्त्र सेना के सभी रैंकों को , उनके ड्यूटी स्टेशन और गृह–नगर / रिहायश के चुने हुए स्थान (एस.पी.आर) से आने और जाने की यात्रा के लिए। यह रियायत , मौजूदा एल.टी.सी. की सुविधा , जैसा कि वर्तमान में प्रत्येक साल उनको उपलब्ध है , गृह–नगर / एस.पी.आर. , भारत में कहीं भी , के अतिरिक्त होगी ।

(xviii) सेना कार्मिकों के बच्चे जो छात्रावासों में रह रहे हैं , एल.टी.सी. पर उनके परिवारों से मिलने के लिए, अनुमति है ।

(xix) सेना कार्मिकों को मणिपुर / मिजोरम / त्रिपुरा / असम के जिलों कछार और दक्षिण कछार , शामिल करते हुए सिलचर को , में सेवारत / तैनात हैं , हवाई मार्ग द्वारा इम्फाल/ आइजोल / सिलचर और कोलकाता के मध्य , एल.टी.सी. से आने / जाने के लिए, यात्राएं निष्पादित करने की अनुमति है।

(xx) केवल भारतीय विमान सेवा से यात्रा का प्रतिबंध उन गैर–हकदार कार्मिकों पर जो हवाई मार्ग से यात्रा करते हैं और एल.टी.सी. दावे की प्रतिपूर्ति, रेल द्वारा हकदार श्रेणी द्वारा करते हैं , लागू नहीं होगी ।

टिप्पणी 1: सेना कार्मिकों को सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान 60 दिनों तक , एल.टी.सी. को लेने के समय दस दिनों की वार्षिक छुट्टी के नकद भुगतान की अनुमति है। छुट्टी का नकद भुगतान एल.टी.सी. लेने के समय को सेवा–निवृत्ति

के समय अधिकतम वार्षिक छुट्टी की मात्रा के नकदीकरण से कम नहीं किया जाएगा । जहां दोनों पति और पत्नी सरकार में सेवारत हैं, यह वर्तमान में एल.टी.सी. को प्राप्त करने की हकदारी में कोई बदलाव नहीं होगा और एल.टी.सी. लेने के समय दस दिन के बराबर छुट्टी के नकदीकरण को , प्रत्येक को 01–09–2008 से प्रभावी , सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक की शर्त पर , दोनों को प्राप्य होना जारी रहेगा ।

टिप्पणी 2: एक सरकारी कर्मचारी को एल.टी.सी. लेने के समय स्वयं के लिए या जब उसका परिवार प्राप्य करता है, को उपर दी छुट्टी के नकद भुगतान की अनुमति दी जा सकती है , बशर्ते कि अन्य शर्तों का पालन होता हो ।

टिप्पणी 3: एल.टी.सी. को लेने के समय , उपर दी छुट्टी के नकद भुगतान को बाह्य यात्रा की प्रस्तावित तारीख के 60 दिन पहले लेने की अनुमति होगी ।

टिप्पणी 4: पुनःसेवानियोजित पेंशनर को , पुनःसेवानियोजन की अवधि के दौरान 60 दिन की सीमा तक , एल.टी.सी. के साथ अर्जित छुट्टी के नकद भुगतान की हकदारी होगी (शामिल करते हुए उन दिनों की संख्या को जिसके लिए नकदीकरण की अनुमति दी गई थी, छुट्टी यात्रा रियायत के साथ जब सेवारत थे) बशर्ते उसको एल.टी.सी. की हकदारी है ।

184–अ. एल.टी.सी. का जब्त किया जाना

(i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि , जे.सी.ओ. (शामिल हैं , मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों)/ ओ. आर. / एन.सी.ई. और उनके समकक्ष रैंकों के नौसेना और वायुसेना में, के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही को प्रारंभ किया जाए, एल.टी.सी. के कपटपूर्ण दावे की तरजीह के आरोप पर , उसको जब तक कि ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही का निपटारा नहीं हो जाता है , तब तक एल.टी.सी. को प्राप्य की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ii) यदि , जे.सी.ओ. (शामिल हैं , मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों) / ओ.आर. / एन.सी. ई. और उनके समकक्ष रैकों के , नौसेना और वायुसेना में , एल.टी.सी. के दुरूपयोग के आरोप से पूर्णतः मुक्त हो जाता है , उसको रोकी गई उपलब्ध एल.टी.सी. को , आगामी वर्षों में एक अतिरिक्त एल.टी.सी. जैसे परन्तु उसके अधिवर्षिता / कार्य–मुक्ति की सामान्य तारीख से पहले , प्राप्य की अनुमति होगी ।

(iii) यदि लेकिन, जे.सी.ओ. (शामिल हैं, मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों)/ ओ.आर./ एन.सी.ई. और उनके समकक्ष रैकों के , नौसेना और वायुसेना में , को पूर्णतः माफी नहीं दी जाती है , तब एल.टी.सी. के कपटपूर्ण दावे के आरोप से , उसको अगले दो एल.टी. सी. के सेटों , जो एल.टी.सी. पहले से ही रोकी गई है के अतिरिक्त , की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि दुरूपयोग की प्रकृति गंभीर है तो , सक्षम प्राधिकारी एल.टी.सी. को दो से अधिक सेटों के लिए नामंजूर कर सकता है।

185. चिकित्सा छुट्टी पर जाने वाले सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों और अयोद्धी (नामित) कार्मिकों को सवारी

एक व्यक्ति को, सेना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अफसर प्रभारी या एक सेना या सिविल अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर छुट्टी प्रदान की गई है, मुफ्त वापसी सवारी उसके घर से आने और जाने की हकदारी है। सड़क द्वारा सवारी नियम 184 के अनुसार स्वीकार्य होगा।

एक गोरखा सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक नेपाल में उसके घर जा रहा है और यह प्रमाणित किया जाता है कि वह मार्च करने में असमर्थ है , को नेपाल प्रदेश के अंतर्गत यात्रा के प्रत्येक दिन के लिए, निर्धारित दरों पर, सड़क–भत्ते की हकदारी है । इस भत्ते के दावे के लिए, यूनिट/जहाज/ स्थापना के कमांडिंग अफसर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए, नेपाल सीमा से व्यक्ति के घर तक , मुख्य मार्ग द्वारा यात्रा के दिनों की संख्या को सूचित करते हुए , जैसा उसके शीट रोल में दर्ज किया गया हो ।

इस नियम के उपबन्ध सेना ब्वॉय/नौसेना ब्वॉय और प्रशिक्षुओं पर भी लागू होंगे।

186. रिक्त

187. छुट्टी के दौरान बीमार पड़ने वाले सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों को सवारी

यदि कोई सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक छुट्टी के दौरान बीमार पड़ता है और उपचार के लिए किसी सेना अस्पताल या सिविल चिकित्सा अधिकारी के पास जाने के लिए कोई सवारी भाड़े पर लेता है तो उसे भाड़े पर ली गई सवारी की वास्तविक लागत वापस की जाएगी बशर्ते कि जांच करने वाला चिकित्सा अधिकारी उसे प्रमाण–पत्र दे कि :

(i) संबंधित व्यक्ति पैदल चलने में असमर्थ था;

(ii) संबंधित व्यक्ति के वाहन का इस्तेमाल किया गया, वह उपयुक्त था;

(iii) किया गया खर्च ठीक और उचित था ।

सिविल या सेना चिकित्सा अफसर द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बिल और प्रमाण–पत्र संबंधित व्यक्ति को अस्पताल छोड़ने से पूर्व सौंपे जाने चाहिए। अपने यूनिट/जहाज या स्थापना में लौटने पर व्यक्ति इन दस्तावेजों को अपने कमांडिंग अफसर को प्रस्तुत करेगा, जो आकस्मिक बिल पर भुगतान के लिए उन्हे संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक को भेजेगा ।

188. भारत से और भारत को छुट्टी पर प्रस्थान करने पर भूटान में सेवा करने वाले सेना कार्मिकों को छुट्टी यात्रा रियायत

(क) जब भूटान में सेवा करने वाले सेना कार्मिक , जब छुट्टी पर भारत को और वहां से प्रस्थान कर रहे हों, तो वे उसी प्रकार एल.टी.सी.के हकदार होंगे जैसे भारत में सेवारत उनके जैसे कार्मिक इस नियम के अधीन हकदार हैं ।

(ख) भूटान से हाशीमारा, बोंगईगांव या रंगिया तक, नियम 179 और नियम 184 (x) के अधीन जैसा भी मामला हो, सड़क परिवहन को विनियमित किया जाएगा ।

189. सेना सेवा कोर (सिविल जी.टी.) की कंपनियों में नियोजित सिविलियनों को छुट्टी यात्रा रियायत

सेना सेवा कोर (सिविल जी.टी.) की कंपनियों में नियोजित सिविलियन कार्मिक (पलटन पर्यवेक्षक, लिपिक, मैकेनिक, सहायक मैकेनिक तथा ड्राइवर) छः महीने की अनुमोदित सेवा करने के बाद छुट्टी पर प्रस्थान करते समय वारंट पर प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के दौरान एक बार जब छुट्टी पर जाते हैं , उनके घर से आने–जाने के लिए, जब नियमित छुट्टी पर जाते हैं, निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे ।

190. सिविलियनों के लिए छुट्टी यात्रा रियायतें

1. लागू होने की सीमा :

(क) छुट्टी यात्रा रियायतें सभी संवर्गों के सिविलियन सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होंगी जिसमें शामिल हैं :––

(i) प्रतिनियुक्ति कर्मचारी ।

(ii) जो कर्मचारी ठेके के आधार पर नियुक्त हुए हों बशर्ते कि ठेके की अवधि एक वर्ष से अधिक हो ।

(iii) जो कर्मचारी अपनी सेवा– निवृत्ति के बाद एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर पुनः नियोजित किए गए हों।

(iv) औद्योगिक और प्रभारित कर्मचारी जो नियमित छुट्टी के हकदार हों।

टिप्पणी 1: यह रियायत ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी। जिसने उस तारीख को एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी न की हो जिस तारीख को उसने या उसके परिवार ने, जैसा भी मामला हो, यात्रा की हो । एल.टी. सी. की स्वीकार्यता के संबंध में यात्रा की तारीख को, लगातार एक वर्ष की सेवा की शर्त, स्थायी सरकारी कर्मचारियों और परिवीक्षाधीन एवं स्थानापन्न कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी ।

टिप्पणी 2: उपर्युक्त खंड (i), (ii) तथा (iv) में वर्णित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में एल.टी.सी. केन्द्र सरकार के अधीन एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के बाद स्वीकार्य होगी बशर्ते कि उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि एल.टी.सी. पर अपने मूल निवास स्थान को जाने के मामले में संबंधित कर्मचारी की, केन्द्र सरकार के अधीन कम–से–कम दो वर्ष की अवधि के लिए, सेवा करने की संभावना है, और कम से कम चार साल , भारत में कहीं भी एल.टी.सी. के मामले में, इसकी गणना केन्द्र सरकार के अधीन उसके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी।

टिप्पणी 3: ठेके के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के मामलें में, जहां प्रारंभिक ठेका एक वर्ष के लिए हो किन्तु बाद में इसकी अवधि बढ़ा दी जाए, एल.टी.सी. के प्रयोजन के लिए ठेके की कुल अवधि को हिसाब में लिया जाएगा ।

टिप्पणी 4: सेवा निवृत्ति के ठीक बाद बिना किसी अन्तराल के पुनःनियोजित व्यक्तियों के मामले में, पुनःनियोजित सेवा की अवधि को एल.टी.सी. के प्रयोजन के लिए पिछली सेवा के बिना लगातार सेवा माना जाएगा और यह रियायत पुनः नियोजित अधिकारी के लिए इस प्रकार स्वीकार्य होगी मानो वह सेवा निवृत्त न हुआ हो बल्कि वह सेवारत अधिकारी के रूप में लगातार सेवा करता रहा हो ।

उदाहरणः यदि किसी अधिकारी ने अपनी सेवा निवृत्ति से पहले, चार वर्षों के ब्लाक के संबंध में, भारत में किसी स्थान का भ्रमण करने की रियायत का इस्तेमाल कर लिया हो और उसे बिना किसी अन्तराल के पुनः नियोजित कर लिया गया हो, तो वह चार वर्षों के ब्लाक विशेष की समाप्ति तक इस रियायत का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

(ख) यह रियायत उन व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य नहीं है :

(i) जो सरकार के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं ,

(ii) जो नैमित्तिक तथा दैनिक वेतन दर पर नियोजन में नहीं हैं,

(iii) जिन्हें विशेष आकस्मिकता निधि से वेतन दिया जाता है ,

(iv) जो विदेश स्थित भारतीय मिशन में स्थानीय भर्ती में हों ,

(v) जो छुट्टी के दौरान अथवा अन्यथा उपलब्ध किसी अन्य प्रकार की यात्रा रियायत के पात्र हों ।

2. कार्यक्षेत्र : एल.टी.सी. के कार्यक्षेत्र में सरकारी कर्मचारी स्वयं तथा उसका परिवार आएंगे ।

3. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) भारत में कोई स्थान : भारत में कोई स्थान के अन्तर्गत भारत साम्राज्य के अन्दर कोई स्थान आएगा, चाहे वह भारत के मुख्य भू–भाग पर हो या समुद्र के बीच हो ।

(ख) नियंत्रण अधिकारी : नियंत्रण अधिकारी से अभिप्राय इन विनियमों के परिशिष्ट II में वर्णित किसी अधिकारी से है।

(ग) अनुशासनात्मक प्राधिकारी : अनुशासनात्मक प्राधिकारी से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो किसी प्रकार का छोटा या बड़ा दण्ड देने में सक्षम हो ।

(घ) परिवार : परिवार शब्द का अर्थ होगा जैसा इन विनियमों के नियम 2 में परिभाषा दी गई है । जहां पति–पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं कमशः अपने परिवारों के लिए वे एल.टी.सी. का दावा कर सकते हैं, अर्थात् जबकि पति अपने अभिभावक / सौतेले मां–बाप / अव्यस्क भाईयों / बहनों के लिए, पत्नी उसके माता–पिता / सौतेले मां–बाप / अव्यस्क भाईयों और बहनों के लिए दावा प्राप्य कर सकती है । बच्चे , परिवार के सदस्य जैसे किसी भी एक अभिभावकों में से , एक विशेष ब्लाक में रियायत का दावा कर सकते हैं । पति और पत्नी जो एल.टी.सी. को प्राप्य करता है , विवाहित के परिवार के सदस्य जैसे, स्वतंत्र रूप से अपने लिए दावा नहीं कर सकता है, संक्षेप में, उनको दो स्वतंत्र सरकारी कर्मचारी जैसा माना जाएगा ।

(ङ) मूल निवास स्थान :मूल निवास स्थान का अर्थ है अपना स्थायी घर या गांव, जैसा कि संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका या अन्य सरकारी अभिलेख में प्रविष्ट किया गया हो या इस प्रकार का कोई अन्य स्थान, जिसे विधिवत् कारण बताते हुए (जैसे कि अचल सम्पत्ति का स्वामित्व, निकटतम संबंधी अर्थात् माता–पिता, भाई आदि का स्थायी निवास) निवास स्थान के रूप में घोषित किया हो, जहां वह सामान्यतः निवास करता हो, लेकिन सरकारी सेवा के कारण वह उस स्थान में नहीं रह पा रहा है ।

(च) वेतन : वेतन से अभिप्राय उस वेतन से है जैसा इन विनियमों के नियम 2–ख में परिभाषित किया गया है ।

(छ) लघुत्तम सीधा मार्ग : लघुत्तम सीधा मार्ग का अर्थ वही होगा जैसा इन विनियमों के नियम 39 (ख) (ii) में परिभाषित किया गया है।

4. सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार द्वारा अलग–अलग यात्रा : सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्य अलग–अलग या साथ–साथ जैसी भी उनको सुविधा हो, यात्रा कर सकते हैं और एक व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा के प्रतिपूर्ति के दावे को दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा के दावे पर निर्भर करना आवश्यक नहीं है । सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य (सरकारी कर्मचारी के साथ वास्तव में यात्रा करने वालों को छोड़कर) विभिन्न ग्रुपों में साथ–साथ या अलग–अलग जैसा भी उनको सुविधा हो यात्रा कर सकते हैं। जहां वे अलग–अलग ग्रुपों में अलग–अलग समय पर यात्रा करते हैं, वहां इस प्रकार के प्रत्येक ग्रुप के व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रत्येक ग्रुप में से अंतिम की बहिर्यात्रा, शुरू करने की तारीख से छः महीने पूरे होने से पूर्व की जाए और प्रत्येक ग्रुप की वापसी यात्रा उस ग्रुप द्वारा की गई बहिर्यात्रा के आरंभ के दिन से छः मास के अंदर अवश्य पूरी कर ली जाए । इस शर्त में विभागाध्यक्ष/रक्षा मंत्रालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, विशेष मामलों में ढील दी जा सकती है ।

5. मूल निवास स्थान की घोषणा :

(i) सरकारी कर्मचारी को सेवा में प्रविष्टि की तारीख से छः मास की अवधि समाप्त होने से पूर्व अपने मूल निवास स्थान के संबंध में घोषणा करनी होती है।

(ii) अपने मूल निवास स्थान के संबंध में एक बार की गई घोषणा आमतौर पर अंतिम समझी जाएगी लेकिन अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष या यदि सरकारी कर्मचारी स्वंय विभागाध्यक्ष है तो रक्षा मंत्रालय इस प्रकार की घोषणा में परिवर्तन की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी की सेवा में इस प्रकार का परिवर्तन एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा । प्रति–नियुक्त व्यक्तियों के मामले में, इस प्रकार के परिवर्तन उन विभागों के अध्यक्षों की अनुमति से किए जाएंगे जिसमें सरकारी कर्मचारी स्थायी रूप से नियुक्त हो ।

(iii) निर्धारित समय–सीमा के बाद मूल निवास स्थान के संबंध में की गई घोषणा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अपने "मूल निवास स्थान" की घोषणा को बदलने के लिए प्राप्त एक अवसर के रूप में स्वीकार की जा सकती है और अपने मूल निवास स्थान के संबंध में

यह घोषणा अंतिम समझी जाएगी, ऐसे मामलों में अपने मूल निवास स्थान में आगे किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) जहां सरकारी कर्मचारी की अपने मूल निवास स्थान से संबंधित कोई प्रविष्टि उसकी सेवा–पुस्तिका या किसी अन्य सरकारी रिकार्ड में पहले से ही विद्यमान है तो उसे एल.टी.सी. के प्रयोजन के लिए नई घोषणा करने की तक तब जरूरत नहीं है जब तक कि उसके द्वारा अपने मूल निवास के संबंध ा में कोई परिवर्तन वांछित न हो ।

(v) अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में यह घोषणा सेवा–पुस्तिका या सरकारी कर्मचारी की सेवा के अन्य समुचित अभिलेख में रखी जाएगी । राजपत्रित अधिकारियों के मामले में नियंत्रण अधिकारी इस घोषणा को आवश्यक जांच–पड़ताल के बाद संबंधित लेखा परीक्षा अधिकारी को जो यात्रा–भत्ते के संबंध में स्वयं अपना नियंत्रण अधिकारी हो, अपने मूल निवास स्थान के संबंध में आरंभिक या अन्य परवर्ती घोषणा अपने आसन्न प्रशासनिक अधिकारी को स्वीकृति के लिए भेजनी चाहिए । नियंत्रण अधिकारी अपनी सुविधा के लिए अपने नियंत्रण के अधीन आने वाले कर्मचारियों के अपने मूल निवास स्थानों के संबंध में रजिस्टर रख सकता है।

(vi) जहां पति–पत्नी केन्द्र सरकार की सेवा में हो, वे अलग गृह–नगर की स्वतंत्र रूप से घोषणा कर सकते हैं ।

6. एल.टी.सी. के अंतर्गत भ्रमण करने के लिए भारत के किसी स्थान की घोषणा : जब सरकारी कर्मचारी या ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा भारत में किसी स्थान पर भ्रमण करने के लिए रियायत का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव हो, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रमण के अभीष्ट स्थान की घोषण अपने नियंत्रण अफसर को अग्रिम रूप में की जाएगी । भ्रमण के घोषित स्थान में परिवर्तन यात्रा आरंभ करने से पहले अपने नियंत्रण अफसर की अनुमति लेकर किया जा सकता है, किन्तु अपवाद स्वरूप उन परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें यह सही माना जाए कि सरकारी कर्मचारी के वश से परे की परिस्थितियों के कारण स्थान परिवर्तन की प्रार्थना, यात्रा आरंभ करने से पूर्व नहीं की जा सकती थी, यात्रा आरंभ करने के बाद इसमें परिवर्तन किया जा सकता है । प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा, जैसा भी मामला हो, इसमें छूट दी जा सकती है ।

7. छुट्टी यात्रा रियायत के प्रकार की घोषणा :

(क) मूल निवास स्थान के लिए:एल.टी.सी. दो कैलेंडर वर्षों की अवधि में एक बार जैसे 2010–2011, 2012–2013 और इसी प्रकार अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए स्वीकार्य होगी, चाहे सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय और उसके घर के बीच की दूरी कितनी ही हो ।

(ख) भारत में कहीं भी जाने के लिए : छुट्टी यात्रा रियायत चार कैलेंडर वर्षों में एक बार अर्थात् 2006–2009, 2010–2013 और इसी प्रकार भारत में कहीं भी जाने के लिए स्वीकार्य होगी चाहे सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय से उस स्थान की दूरी, जहां वह जाना चाहता है, कितनी भी हो ।

बशर्ते कि ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसको अपने घर जाने की एल.टी.सी. स्वीकार्य है, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई भारत में कहीं भी जाने की एल.टी.सी. के बदले में होगी । इसका समायोजन उसे अपने घर जाने की छुट्टी या रियायत से यात्रा आरंभ होने के समय किया जाएगा।

(ग) केवल स्वयं के लिए प्रत्येक वर्ष अपने गृह–नगर के लिए :ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसका परिवार उससे दूर उसके मूल निवास स्थान में रहता है, सारी रियायतों के बदले में , इस योजना के अंतर्गत उसे देय , शामिल करते हुए , एल.टी.सी. को भारत में किसी भी स्थान के भ्रमण को , चार सालों के ब्लाक में एक बार , जो उसे और उसके परिवार के सदस्यों को अन्यथा भी स्वीकार्य होता , केवल स्वयं के लिए प्रत्येक वर्ष गृह–नगर जाने के लिए एल.टी.सी. प्राप्य का चयन करता है ।

(घ) केवल एक ओर की यात्रा के लिए रियायत :छुट्टी यात्रा रियायत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए स्वतंत्र रूप से जाने और वापस लौटने के समय विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में स्वीकार्य हैं । उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रकार के मामले दिए जा रहे हैं :

। केवल बहिर्यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति का हकदार आश्रित पुत्र/पुत्री जिनको अपने घर जाने पर रोजगार मिल रहा हो या जिनका विवाह होने वाला हो या जो

अध्ययन के लिए वहीं रहना चाहते हों।

॥ केवल वापसी यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति के हकदार :

(i) नवविवाहित पत्नी जो अपने नगर से मुख्यालय स्टेशन आ रही हो या अपने नगर में रहने वाली पत्नी जिसने बहिर्यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ न उठाया हो।

(ii) ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी का पति जो स्वयं छुट्टी यात्रा रियायत पर आकर अपने नगर में विवाह करते हैं ।

(iii) ऐसा आश्रित पुत्र/पुत्री, जो अपने नगर में अध्ययन कर रहा/रही हो या अपने दादा– दादी के साथ रह रहा/रही हो, वह अपने माता–पिता के साथ वापस आ रहा/रही हो या अकेले आ रहे हों ।

(iv) कोई बच्चा, जो तीन/बारह (तीन साल से कम के बच्चे के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है और बच्चा जो तीन से बारह साल की उम्र के बीच है , को आधे टिकट की आवश्यकता है) साल की उम्र से कम था जब जाने की यात्रा करता है परन्तु तीन/ बारह साल की उम्र को पूरा कर लेता है केवल वापसी की यात्रा पर ।

(v) अपने गृह–नगर में ठहरने के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा वैध तथा उसके रूप से गोद ली गई संतान ।

(ङ) नई भर्तियां : केन्द्रीय सरकार में नई भर्तियों को उनके परिवारों के साथ, चार सालों के ब्लाक में तीन मौकों पर उनके घर की और भारत में किसी भी स्थान की यात्रा चतुर्थ मौके पर, यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। यह सुविधा सरकारी अधिकारियों को भी उपलब्ध होगी केवल प्रथम दो बार के लिए चार सालों के ब्लाक में , जो प्रथम बार सरकार में शामिल होने के बाद से लागू होगा । यह चार सालों का ब्लाक सरकार में प्रारंभिक कार्यग्रहण की प्रारंभिक तारीख के संदर्भ में लागू होगा , जबकि सरकारी कर्मचारी सरकार के अंतर्गत तत्पश्चात् नौकरी बदल लेता है । यह मौजूदा ब्लाक उसी प्रकार रहेंगे परन्तु नई भर्ती की हकदारियां अलग होंगी , नौकरी के प्रथम आठ सालों में ।

(च) जो उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनके लिए विशेष रियायतें, इत्यादि : सरकारी कर्मचारी जो उत्तर–पूर्वी इलाके को भेजे जाते हैं , लक्षद्वीप , सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में और जो अपने परिवार को पुराने ड्यूटी स्टेशन या दूसरे चुने हुए रिहायश के स्थान पर छोड़ते हैं और जिन्होंने स्थानान्तरण यात्रा–भत्ते को परिवार के लिए प्राप्य नहीं किया है , उनके पास निम्नलिखित विकल्प हैं :

(i) दो वर्षों में एक बार गृह–नगर के एल. टी.सी. को प्राप्य कर सकते हैं , या

(ii) अपने लिए वर्ष में एक बार मुख्यालय से गृह–नगर या वह स्थान जहां उसका परिवार रहता है एल.टी.सी. को प्राप्य कर सकता है और इसके अतिरिक्त परिवार (विवाहित और दो आश्रित बच्चों तक सीमित) सरकारी कर्मचारी से मिलने के लिए उसके तैनाती स्टेशन पर , साल में एक बार , जहां वे रहते हैं , एल.टी.सी. को प्राप्य कर सकते हैं ।

(iii) इसके अतिरिक्त, वे एल.टी.सी. को प्राप्य कर सकते हैं, दो अतिरिक्त मौकों पर, उनके पूरे कार्यकाल में आपात स्थितियों में । इस 'आपात स्थिति यात्रा रियायत' के अंतर्गत, सरकारी कर्मचारी और/या उसका परिवार (विवाहित और दो आश्रित बच्चे) यात्रा कर सकते हैं या तो गृह–नगर या तैनाती के स्थान को, आपात स्थिति में, सामान्य एल.टी.सी के नियमों के अंतर्गत , जैसी उसकी हकदारी है ।

8. किसी ब्लाक विशेष के लिए एल.टी.सी. की गणना करना : एल.टी.सी.का लाभ उठाने वाला सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्य दो या चार वर्षों के ब्लाक के दौरान, जैसा भी मामला हो, अलग–अलग समय पर अलग–अलग ग्रुपों में यात्रा कर सकते हैं । इस प्रकार इस्तेमाल की गई रियायत को दो या चार वर्षों के उस ब्लाक के लिए गिना जाएगा जिसमें बहिर्यात्रा प्रारंभ की गई हो, चाहे वापसी यात्रा दो या चार वर्षों के ब्लाक की अवधि की समाप्ति के बाद की गई हो। यह बात नीचे पैरा 9 में दी गई शर्तों के अनुसार अग्रनीत एल.टी.सी. का लाभ उठाने पर लागू होगी ।

9. एल.टी.सी. को अग्रनीत करना : ऐसा सरकारी कर्मचारी जो दो या चार वर्षों के ब्लाक की अवधि के भीतर एल.टी.सी. का लाभ न उठा पाया हो, वह दो या चार वर्षों के अगले ब्लाक पहले वर्ष में उसका इस्तेमाल कर सकता है । यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने नगर के लिए एल.टी.सी. प्राप्त करने का हकदार है तो वह चार वर्षों के ब्लाक के लिए भारत में कहीं भी जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत को तभी अग्रनीत कर सकता है यदि उसने दो वर्षों के दूसरे ब्लाक के संबंध में अपने नगर में जाने की एल.टी.सी.को चार वर्षों के ब्लाक के भीतर अग्रनीत किया है।

10. भारत में कहीं भी जाने की एल.टी.सी. के अधीन वह स्थान जहां पर सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्य जा सकते हैं : कोई सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य चार वर्षों के ब्लाक की अवधि के भीतर अपनी पसंद के भिन्न–भिन्न स्थान पर जा सकते हैं । सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए उसी स्थान पर जाना आवश्यक नहीं होगा जहां पर सरकारी कर्मचारी स्वयं उसी ब्लाक की अवधि में पहले किसी समय पर गया हो।

11. हकदारी :

(i) सरकारी कर्मचारी , एल.टी.सी. पर अपने नगर जाने और वहां से वापस आने की यात्राओं के संबंध में पूरी प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे, चाहे उस नगर की दूरी कितनी भी हो। प्रत्येक मामले में यात्रा "घर" जाने तथा वापस आने की होनी चाहिए और दावा घर जाने और वापस आने दोनों यात्राओं के लिए होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा कर्मचारी के मुख्यालय स्टेशन से ही प्रारंभ हो या वहां पर समाप्त हो । किन्तु , यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए स्वीकार्य उस राशि तक सीमित होगी जो उस दशा में स्वीकार्य होती यदि यात्रा सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय स्टेशन से ही प्रारंभ हो या वहां पर समाप्त हो। किन्तु स्वीकार्य सहायता, यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए स्वीकार्य होती यदि यात्रा सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय स्टेशन और उसके अपने नगर के बीच की गई होती।

(ii) सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी सरकारी हकदारी से नीचे अथवा उससे उपर के दर्जे में यात्रा करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, किन्तु सरकारी सहायता उसकी हकदारी के दर्जे के लिए वास्तविक किराए अथवा वास्तव में प्रयोग किए गए निचले दर्जे की सीमा तक सीमित होगी ।

12. रेल द्वारा यात्रा : रेल द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणी नियम 57 के अनुसार होंगी।

टिप्पणी 1: एक व्यक्ति और या उसका परिवार राजधानी/ शताब्दी एक्सप्रैस से यात्रा कर सकता है । शताब्दी एक्सप्रैस से यात्रा के लिए वास की श्रेणी नियम 95 (अ) के अनुसार होगी।

टिप्पणी 2: सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा रेलवे से प्राप्त किन्हीं रियायती वापसी यात्रा टिकटों (अर्थात् सीजनल रियायत, विद्यार्थी रियायत, आदि) एल.टी.सी. के साथ,का लाभ प्राप्त करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । ऐसी रियायत टिकटों का इस्तेमाल करते समय अपनी हकदारी से उपर या नीचे के दर्जे में यात्रा करना अनुमत्य होगा । ऐसे मामले में स्वीकार्य सहायता, उच्चतर श्रेणी द्वारा यात्रा के मामले में उस व्यक्ति की हकदार श्रेणी के रियायती किराए तक सीमित कर दी जाएगी।

टिप्पणी 3: सीट (दिन की यात्रा के लिए) और शायिका (रात की यात्रा के लिए) के लिए वास्तव में किए गए आरक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति भाड़े के अतिरिक्त की जाएगी ।

टिप्पणी 4: जब कोई सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य रेल सेवा से जुड़े दो स्थानों के बीच हवाई जहाज (गैर-हकदार व्यक्तियों) या सड़क या स्टीमर से यात्रा करता है तो सरकारी सहायता केवल उतनी ही मिलेगी जितनी उस स्थिति में स्वीकार्य होती, यदि वह यात्रा रेल द्वारा प्राधिकृत श्रेणी में की गई होती। गैर–हकदार व्यक्तियों को किसी भी हवाई सेवा से यात्रा की अनुमति है।

टिप्पणी 5: जब कोई सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य रेल की दो अलग–अलग श्रेणियों में, अर्थात् अंशतः उस श्रेणी में जिसका वह हकदार है और अंशतः निम्न श्रेणी में अपेक्षाकृत लंबे मार्ग से (जो सस्ता नहीं है) यात्रा करता है तो उसके छोटे और सस्ते मार्ग के तदनुरूप भाग के लिए हकदार श्रेणी की दर और इस मार्ग से शेष दूरी के लिए निम्न श्रेणी की दर स्वीकार्य होगी।

13. सड़क मार्ग से यात्रा :

(i) रेल सेवा से न जुड़े स्थानों के बीच की यात्राओं पर हुए खर्च के लिए सरकारी कर्मचारी को सरकारी सहायता जैसा स्थायी ड्यूटी संचलनों पर हकदारी है , जैसा नियम 61 में दिया गया है , स्वीकार्य होगी।

टिप्पणी 1: निजी कार (स्वयं की, उधार ली गई या किराए पर ली हुई) या भाड़े पर ली गई बस, वैन या अन्य वाहन निजी प्रचालकों द्वारा स्वामित्व या प्रचालित, द्वारा यात्रा करने पर छुट्टी यात्रा रियायत लेने की अनुमति नहीं होगी । तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रक में पर्यटन विकास निगम , राज्य परिवहन निगमों और परिवहन सेवाए केन्द्रीय या अन्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही , द्वारा यात्राएं संचलित के लिए , एल.टी.सी. की स्वीकार्यता होगी । ऐसे मामलों में , सरकारी कर्मचारी को प्रतिपूर्ति की हकदारी होगी :

(क) चार्टर वाहनों पर वास्तविक भाड़े के किरायों की

या

(ख) उस लागत की प्रतिपूर्ति , यदि यात्रा घोषित आगमन के स्थान को , हकदार श्रेणी में , रेल द्वारा लघुत्तम सीधे मार्ग से निष्पादित की गई होती , जो भी कम हो ।

टिप्पणी 2: निःशक्त सरकारी कर्मचारी या निःशक्त आश्रित परिवार का सदस्य स्वयं की कार या भाड़े पर गैर–सरकारी टैक्सी से यात्रा निष्पादित कर सकता है। दावे को, हकदार श्रेणी द्वारा निष्पादित यात्रा के वास्तविक व्यय तक सीमित किया जाएगा।

(ii) यात्रा के उस भाग के लिए, जिस पर मान्यता प्राप्त सरकारी परिवहन उपलब्ध न हो, नियम 61 के अंतर्गत निर्धारित दर पर मील–भत्ते के लिए सरकारी सहायता दी जानी चाहिए।

प्रत्येक मामले में सरकारी सहायता की धनराशि की गणना, जैसा उपर दिए , सड़क–मील के वास्तविक किराए के आधार पर , जैसा भी मामला हो , एकल किराए पर सरकारी कर्मचारी के स्वंय के लिए और प्रत्येक हकदार परिवार के सदस्य के लिए , जिनके लिए पूरा किराया देय होता है और उनके आधी दरों पर 3 और 12 साल क
मध्य के उम्र के बच्चों के लिए जिनके लिए आधी दरों पर देय होता है।

(iii) रेल सेवा से न जुड़े उन स्थानों के संबंध में, सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसे स्थानों की यात्रा स्टीमर/वायुयान द्वारा की जा सकती है जहां सवारी का दूसरा साधन या तो उपलब्ध न हो या वह अपेक्षाकृत महंगा हो। इस प्रकार के मामलों में सरकार लागत के उसी अनुपात का भुगतान करती है जैसा कि रेल यात्रा के मामले में करती है।

(iv) जहां सरकारी कर्मचारी रेल या वायुयान सेवा से न जुड़े स्थानों की यात्रा करता है, वहां सरकारी कर्मचारी को मान्यता प्राप्त सरकारी परिवहन पर वास्तव में खर्च होने वाले भाड़े या उपर (iii)(ख) में उल्लिखित मील–भत्ते की, जो भी अपेक्षाकृत अधिक हो, प्रतिपूर्ति की जाती है। लेकिन यह निर्णय उन मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें पठानकोट और श्रीनगर के बीच की यात्रा शामिल है और इसी प्रकार के अन्य स्थानों के बीच यात्राएं, जहां रेल से जुड़ी सड़क सेवा विद्यमान हैं और सरकारी परिवहन को रेलवे ने मान्यता प्रदान की हो। इस प्रकार के मामलों में की गई यात्रा रेल द्वारा की गई यात्रा समझी जाएगी, लेकिन उतने ही बस भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो परिवहन प्रणाली को देय है।

(v) उपर पैरा 13 (i) तक (ii) में निहित किसी बात के बावजूद भारत में कहीं भी जाने के लिए जब कोई सरकारी कर्मचारी सड़क मार्ग की यात्रा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन विकास निगमों, राज्य परिवहन निगमों तथा अन्य सरकारी या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित बस, वैन या किसी अन्य वाहन में एक सीट लेकर यात्रा करता है तो प्रतिपूर्ति या तो खर्च किए गए वास्तविक किराए की होगी या घोषित स्थान की यात्रा करने पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि की प्रतिपूर्ति उसी दशा में की जाएगी यदि यात्रा रेल द्वारा हकदारी के दर्जे में अथवा सबसे छोटे सीधे रास्ते में से जो भी कम हो, के लिए होगी।

14. वायुयान द्वारा यात्रा : हवाई मार्ग द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणी नियम 62 के अनुसार होगी।

टिप्पणी 1: गैर–हकदार सरकारी कर्मचारी रेल सेवा से संयोजित नहीं स्थानों के बीच वायुयान से यात्रा उसी दशा में कर सकता है, जहां पर यात्रा का कोई वैकल्पिक साधन या तो उपलब्ध नहीं है या महंगा है।

टिप्पणी 2: गैर–हकदार सरकारी कर्मचारी जो लद्दाख में सेवारत है , को एल.टी.सी. की सुविधा की हकदारी होगी , शीत ऋतु के दौरान हवाई मार्ग से , निम्नलिखित शर्तों के साथ :

(i) इस हवाई मार्ग से यात्रा की केवल 15 नवम्बर से 15 मार्च की अवधि के लिए स्वीकार्यता होगी।

(ii) यह हवाई मार्ग द्वारा यात्राओं की सुविधा को लेह और श्रीनगर / जम्मू / चण्डीगढ़ के मध्य यात्रा के लिए , दोनों आने और जाने की यात्रा के लिए सीमित किया जाएगा। यह सुविधा लेकिन लेह और इन तीन स्थानों में से एक के मध्य के लिए स्वीकार्य होगी । यह यात्राएं श्रीनगर / जम्मू / चण्डीगढ़ और गृह-नगर या किसी भी अन्य स्थान के मध्य आगमन को , संबंधित सरकारी कर्मचारी की सामान्य हकदारियों के द्वारा नियमित किया जाएगा।

15. समुद्री मार्ग से यात्रा : समुद्री मार्ग द्वारा यात्रा के लिए वास की श्रेणी नियम 58 के अनुसार होगी।

16. किसी प्रकार के परिवहन से न जुड़े स्थानों की यात्रा : किसी प्रकार के परिवहन से न जुड़े स्थानों के बीच यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी पशु-परिवहन जैसे खच्चर, हाथी, ऊंट आदि का

प्रयोग कर सकता है । ऐसे मामलों में मील-भत्ता उसी दर पर स्वीकार्य है जिस दर पर स्थानान्तरण की यात्रा के लिए होता है ।

17. प्रासंगिक प्रभार स्वीकार्य नहीं है: एल.टी.सी. के अंतर्गत की गई यात्राओं के लिए प्रासंगिक खर्च, स्थानीय यात्राओं पर किया गया व्यय तथा दैनिक-भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

18. रियायत लघुत्तम मार्ग पर आधारित है : रेल भाड़े की लागत के लिए सरकारी अंशदान केवल सबसे छोटे मार्ग तक सीमित होगा, जिसकी गणना सीधे टिकट के आधार पर की जाती है । सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य मूल निवास स्थान आते–जाते समय किसी भी मार्ग द्वारा यात्रा कर सकते हैं या मार्ग में कहीं भी पड़ाव कर सकते हैं लेकिन सरकारी सहायता, उपर बताए गए अनुसार भाड़े के लिए उनके अंशदान के बराबर होगी। "सबसे छोटे मार्ग" शब्द का वही अर्थ है जो ड्यूटी पर यात्रा के लिए मान्य है ।

19. भारतीय मील दूरी की यात्रा : यदि सम्पूर्ण छुट्टी या उसके एक हिस्से के लिए एक सरकारी कर्मचारी को रेल का किराया अनुमानित या भारत मील-भत्ते के आधार पर (उदाहरण के लिए, जैसा कालका-शिमला खंड पर।) या बढ़े हुए दरों पर (उदाहरण के लिए, जैसा सिलीगुड़ी-दार्जलिंग खंड पर।) अदा करना पड़ता है,तो संबंधित सरकारी कर्मचारी यात्रा रियायत का हकदार होगा, भले ही उसके मुख्यालय और घर के बीच की वास्तविक छुट्टी दूरी कितनी ही क्यों न हो । इस प्रकार के मामले में, प्रत्येक यात्रा के संबंध में निम्नलिखित के बीच जो अंतर हो, उस राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी :

(i) उस व्यक्ति के मुख्यालय के निकटतम रेलवे स्टेशन से नगर तक रेल भाड़े की वास्तविक लागत (जिसमें यात्री कर भी शामिल हैं) ; और

(ii) बहिर और वापसी यात्रा के लिए उसके मुख्यालय के निकटतम रेलवे स्टेशन में सामान्य दरों पर रेल भाड़े की लागत (जिसमें यात्री कर भी शामिल हैं)।

(iii) भारित मील-दूरी (उदाहरण के लिए कालका-शिमला 287 मील के लिए) एल.टी.सी. योग्यता के उद्देश्य के लिए अपनायी जाती है यदि यात्रा रेल या रोड से की हो।

20. स्थानांतरण/अस्थायी ड्यूटी के साथ छुट्टी यात्रा रियायत :

(i) जब कोई अधिकारी छुट्टी पर अपने मूल निवास स्थान जा रहा हो और वहां से स्थानांतरण पर नए मुख्यालय को जाता है तो उसे उसकी न्यूनतम हकदारी के अनुसार यात्रा विनियम 87 के अंतर्गत स्थानांतरण भत्ता दिया जाए। इसके अतिरिक्त उसे नियमानुसार एल.टी.सी. उसके पुराने मुख्यालय से अपने मूल निवास स्थान तक तथा अपने मूल निवास स्थान से नए मुख्यालय तक जाता है, तक दी जाए । उदाहरणार्थ, यदि "क" पुराना मुख्यालय "ख" मूल निवास स्थान (होम टाउन) और "ग" नया मुख्यालय हो तो सरकारी कर्मचारी को छुट्टी यात्रा रियायत की हकदारी ("क" "ख" की दूरी — "ख" "ग" की दूरी) (वह दूरी जिसके लिए स्थानांतरण-भत्ता स्वीकार्य है) स्वीकार्य होगी । यदि उपर दिए गए अनुसार स्वीकार्य एल.टी.सी. नगण्य है तो सरकारी कर्मचारी को यह छूट है कि वह इसका लाभ न उठाए। अन्य शर्तों को पूरा करने पर, उसे ब्लाक–अवधि में किसी अन्य प्रकार अवसर पर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है । स्थानांतरण यात्रा-भत्ते के लिए दावे को वरीयता देते समय सरकारी कर्मचारी को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में एक विकल्प देना होगा । यदि एल. टी.सी. का लाभ नहीं उठाया जाता है तो सरकारी कर्मचारी द्वारा एल.टी.सी. की ली गई पेशगी, यदि कोई हो तो, को उसके स्थानांतरण यात्रा-भत्ते की हकदारी में समायोजिक कर लिया जाना चाहिए।

(ii) जब कोई अफसर किसी अस्थायी ड्यूटी स्टेशन से नियमित छुट्टी पर समुचित पूर्व अनुमति लेकर अपने मूल निवास स्थान को प्रस्थान करता है और अपने मूल निवास स्थान से सीधे मुख्यालय को वापस आता है तो उसे मुख्यालय से दौरा स्टेशन तक, जहां से सरकारी कर्मचारी अपने मूल स्थान के लिए प्रस्थान किया था, अस्थायी ड्यूटी के अनुसार यात्रा-भत्ता दिया जाए और दौरा स्टेशन से अपने नगर तथा अपने मूल निवास स्थान से वापस मुख्यालय तक की यात्रा के लिए, यात्रा करने के लिए दौरा स्टेशन को आरंभिक यात्रा स्थान मानते हुए, एल.टी.सी. दी जाए।

(iii) जब कोई अफसर समुचित अनुमति लेकर अपने मूल निवास स्थान से दौरा स्टेशन को प्रस्थान करता है, तथा वहां से मुख्यालय को लौटता है तो उसे मुख्यालय से अपने मूल निवास स्थान तक के लिए नियमानुसार स्वीकार्य एल.टी.सी. और अपने मूल निवास स्थान से दौरा स्टेशन तथा वापस मुख्यालय तक की यात्रा के लिए अस्थायी ड्यूटी के अनुसार यात्रा-भत्ता दिया जाए ।

21. रियायत भारत के अंतर्गत यात्राओं तक सीमितः

(i) यह रियायत केवल भारत में की जाने वाली यात्राओं के लिए दी जाती है और रेल सेवा से जुड़े/अंशतः रेल सेवा से जुड़े तथा अंशतः सड़क/स्टीमर सेवा से जुड़े और रेल सेवा से न जुड़े स्थानों के बीच यात्रा करने के लिए स्वीकार्य होती है ।

(ii) वह सरकारी कर्मचारी जो नियंत्रण अधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन यह घोषण करता है कि उसका मूल निवास स्थान भारत से बाह्य है, वह अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए एल.टी.सी. का हकदार है । ऐसे मामले में सरकारी सहायता (i) भारत में अपने मूल निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन (सबसे छोटे मार्ग द्वारा) तक और वहां से वापसी या (ii) भारत में निकटतम पोतारोहण पत्तन के लिए रेलवे स्टेशन की यात्रा के भाड़े के अपने अंशदान के लिए ही मिलेगी। इस प्रयोजन के लिए "निकटतम या पत्तन का अर्थ भारत में उस पत्तन से है जो सरकारी कर्मचारी अपने मूल निवास स्थान के निकट हो।"

22. छुट्टी का प्रकार :

(i) एल.टी.सी. चिकित्सा छुट्टी, औसत वेतन छुट्टी, अर्जित छुट्टी, औसत अर्ध–वेतन छुट्टी या असामान्य छुट्टी, प्रसूति छुट्टी, औसत अर्ध–वेतन छुट्टी या असामान्य छुट्टी, प्रसूति छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष आकस्मिक छुट्टी सहित नियमित छुट्टी के दौरान की गई यात्रा के लिए स्वीकार्य है । लेकिन यह रियायत उस व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होगी जो पहले छुट्टी पर जाता है और बाद में ड्यूटी पर लौटे बिना अपने पद से त्याग-पत्र दे देता है । छुट्टी की यह शर्त सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं पर लागू नहीं होगी ।

(ii) अस्वीकृत छुट्टी तथा आवधित छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार को यह रियायत मुख्यालय से केवल अपने मूल निवास स्थान तक की बहिर्यात्रा के संबंध मेंस्वीकार्य होती है बशर्ते कि दो कैलेंडर वर्षों के ब्लाक विशेष में उसने इस रियायत का लाभ पहले न उठाया हो । लेकिन ऐसे मामलों में दोनों सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य द्वारा यात्रा, छुट्टी के दौरान ही आरंभ की जानी चाहिए।

23. अध्ययन छुट्टी पर एल.टी.सी. : अध्ययन छुट्टी की अवधि में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी एल.टी.सी. स्वीकार्य होगी, ऐसे मामले में दावे को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा :

(क) स्वयं के लिए : सरकारी कर्मचारी अध्ययन छुट्टी के स्थान से भारत में किसी स्थान/अपने मूल निवास स्थान तक जाने के लिए एल.टी.सी. का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि किराए की प्रतिपूर्ति उसके मुख्यालय स्टेशन से भारत में किसी स्थान पर अपने मूल निवास स्थान के बीच या वास्तविक खर्च, इसमें जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए ।

(ख) परिवार के सदस्यों के लिएः

(i) जब परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी के साथ उसके अध्ययन छुट्टी के स्थान पर रह रहे हों, प्रतिपूर्ति उपर (क) में बताए गए अनुसार की जाएगी ।

(ii) जब परिवार के सदस्य अध्ययन छुट्टी के स्थान पर न रह रहे हों, तो प्रतिपूर्ति एल.टी.सी. योजना की सामान्य शर्तों के अनुसार की जाएगी ।

24. सरकारी कर्मचारी के उपक्रमों में विदेश सेवा में होने पर : विदेश सेवा पर केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों या सांविधानिक निकायों में सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारी एल.टी.सी. के हकदार होते हैं बशर्ते कि इसकी स्वीकार्यता के उपबंधों को उन आदेशों में सम्मिलित कर दिया गया हो, जिनके अधीन कर्मचारी को संबंधित उपक्रम में रखा गया हो। इस प्रकार के सभी मामलों में रियायत की लागत संबंधित उपक्रम द्वारा वहन की जाती है । इसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाता । इन व्यक्तियों के मामले में ब्लाक अवधि नहीं होती है जो उनके सरकारी सेवा में रहते हुए होती है ।

25. राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति-नियुक्त होने परः केन्द्रीय सरकार में प्रति-नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रियायत के हकदार होते हैं :

(क) गृह-नगर के लिए : संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा एल.टी.सी. का लाभ उठाते समय समुचित प्रशासनिक प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी पद को संभालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उस सरकारी कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य करने की संभावना है । बाद के दो वर्ष की अवधि के दौरान भी इस रियायत को इन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाएगा ।

(ख) भारत में किसी भी स्थान परः वह रियायत का उपयोग कर सकता है , यदि उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि सरकारी कर्मचारी की केन्द्रीय सरकार में कार्य ग्रहण की तारीख से संगणना करने पर, चार सालों के समय तक, केन्द्रीय सरकार में कार्यरत रहने की संभावना है ।

26. संविदा अफसर : संविदा के आधार पर नियुक्त अफसर, यदि संविदा की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर इस रियायत के हकदार होते हैं । यदि प्रारंभिक संविदा एक वर्ष के लिए होती है, लेकिन बाद में बढ़ा दी जाती है तो इस प्रयोजन के लिए संविदा की कुल अवधि की गणना की जाती है । संविदा अफसरों को यह रियायत उपर्युक्त पैरा 25 में दी शर्तों के अध्याधीन स्वीकार्य होती है ।

27. पुनःनियोजित अफसर : पुनःनियोजित अफसर उपयुक्त पैरा 26 में दी गई शर्तों के अध्यधीन और एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर इस रियायत के हकदार होते हैं, लेकिन सेवा-निवृत्ति के तत्काल बाद पुनःनियोजित होने के मामले में पुनःनियोजित सेवा की अवधि की एल.टी.सी. के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती सेवा के साथ लगातार सेवा के रूप में माना जाए और पुनःनियोजित होने की अवधि के लिए यह रियायत दी जाए । बशर्ते कि पुनःनियोजित अफसर को उस स्थिति में यह रियायत स्वीकार्य होती, यदि वह सेवा-निवृत्त न हुआ होता। उदाहरणार्थ , यदि एक अधिकारी ने भारत में किसी भी स्थान के आगमन की रियायत को प्राप्य किया है , चार सालों के ब्लाक के संबंध ा में उसके सेवा-निवृत्ति से पहले और वह पुनःनियुक्त होता है बिना व्यवधान के , उस विशेष चार सालों के ब्लाक की समाप्ति तक वह इस रियायत को प्राप्य नहीं कर सकता है ।

28. दावा प्रस्तुत करने का तरीका : यात्रा-भत्ता बिल प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करने पर भाड़े की नगद प्रतिपूर्ति की जाती है, इसके साथ या सामान्य प्रमाण-पत्र भी होता है कि उन्होंने वास्तव में यह यात्रा की है । तथा उन्होंने उससे निम्न श्रेणी में यात्रा नहीं की है जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है ।

29. निर्धारित प्रमाण-पत्र : एल.टी.सी. के दावे की अदायगी को पारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस एल.टी.सी. को स्वीकार करने की विभिन्न शर्तों को पूरा किया जाए । यात्रा रियायत के इस बिल के साथ दो प्रमाण-पत्र एक संबंधित सरकारी कर्मचारी तथा दूसरा नियंत्रण अफसर से इस नियम के अनुबंध । और ॥ के अनुसार –– लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को भेजने के लिए संलग्न किए जाने चाहिए ।

30. अनिवार्य साक्ष्य : सरकारी कर्मचारी को यात्रा आरंभ करने से पहले नियंत्रण अफसर को सूचित कर देना चाहिए । उन्हे वास्तव में की गई यात्रा का साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहिए, उदाहरणार्थ, रेल टिकट की क्रम संख्या, आदि । रेल टिकट की क्रम संख्या प्रस्तुत करने, सरकारी कर्मचारी और/या उसके परिवार द्वारा एल.टी.सी. योजना के अधीन की गई यात्रा को आरंभ करने से पहले नियंत्रण अफसर को पूर्व सूचना आदि के बारे में छोटी-मोटी ढील नियंत्रण अफसर के इस बात से संतुष्ट होने पर दी जा सकती हे कि दावा पत्र वास्तविक है और इस रियायत के अधीन की गई यात्रा वास्तव में की गई है । नियंत्रण अफसर द्वारा की गई ऐसी ढील से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है यदि यह ढील वस्तुतः सुपात्र मामलों की नितांत गुणता के आधार पर दी गई हो न कि सामान्य तौर पर ।

31. सहायता का रिकार्ड रखना : इन आदेशों के अधीन दी गई सभी सहायता का उपयुक्त रूप से रिकार्ड रखा जाएगा । राजपत्रित अफसरों के मामले में यह रिकार्ड संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा रखा जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में यह रिकार्ड सेवा-पुस्तिका पर या अन्य समुचित सेवा अभिलेख में प्रविष्टियों के रूप में रखा जाएगा । इसमें अपने घर के लिए की गई यात्रा की तारीख पर तारीखों को दर्शाया जाना चाहिए । सेवा रिकार्ड को रखने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी इस तथ्य को सुनिश्चित करेगा कि जब-जब सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर जाता है, उसने छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया है कि नहीं, उसके सेवा रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए।

32. दावे का अपवर्तन : एल.टी.सी. के अधीन यात्रा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा यदि कोई पेशगी नहीं ली गई थी, वापसी यात्रा पूरी होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यदि अग्रिम का आहरण किया जा चुका है और वापसी यात्रा के समापन के एक महीने के समय के अंतर्गत ऐसा न किए जाने पर दावे का अपवर्तन कर लिया जाएगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

33. पेशगी की मंजूरी और उसका समायोजनः सरकारी कर्मचारी एल.टी.सी. का लाभ उठा सके इसलिए उन्हें निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर पेशगी स्वीकार की जाती है :

(क) प्रत्येक मामले में पेशगी की रकम उस अनुमानित धन राशि 90% की होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति अपने घर जाने/दर्शनीय स्थान पर जाने पर जाने और वापस आने की यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए सरकार द्वारा की जानी है।

(ख) जहां सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य अलग-अलग अर्थात् अलग-अलग समय पर एल.टी.सी. लेते हैं वहां स्वीकार्य सीमा तक अलग-अलग पेशगी देने और दावे के समायोजन की अनुमति देने के विषय में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन, जब सरकारी कर्मचारी ने अपने परिवार के लिए समेकित पेशगी ली हो, वहां एक ही बिल में समायोजित दावा तैयार करना चाहिए ।

(ग) यदि पेशगी बहिर्यात्रा करते समय सरकारी कर्मचारी और/या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बहिर्यात्रा और वापसी यात्रा दोनों के लिए ली जा सकती है, बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि तीन महीने या 90 दिन से अधिक न हो । जहां छुट्टी की अवधि या प्रत्याशित अनुपस्थिति की अवधि इससे अधिक होती है, वहां केवल बहिर्यात्रा के लिए पेशगी ली जा सकती है । यदि पेशगी बहिर्यात्रा और वापसी यात्रा दोनों के लिए ली जाती है और बाद में यह स्पष्ट हो जाता है कि अफसर या उसके परिवार की मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि निर्धारित अवधि से अधिक होने वाली है तो पेशगी का आधा भाग सरकार को तत्काल वापस कर देना चाहिए ।

(घ) अस्थायी सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के संबंध में यह पेशगी, उनके द्वारा स्थायी सरकारी कर्मचारी की प्रतिभूति पेश करने पर मंजूर की जाएगी।

(ङ) जो अधिकारी यात्रा-भत्ते के प्रयोजन के लिए स्वयं अपने नियंत्रण अफसर हैं, वे अपने लिए स्वयं पेशगी मंजूर कर सकते हैं। अन्य कर्मचारियों के मामले में संबंधित नियंत्रण अफसर की मंजूरी आवश्यक होगी।

(च) यदि पेशगी लिए जाने के 30 दिन के भीतर बहिर्यात्रा नहीं की जाती है, तो इस पेशगी को तुरंत वापस कर देना चाहिए । किन्तु ऐसे मामले जिनमें बहिर्यात्रा की प्रस्तावित तिथि से 60 दिन पहले आरक्षण हो सकते हों, और इसी के अनुसार पेशगी मंजूर की गई हो, तो सरकारी कर्मचारी को पेशगी लेने के 10 दिन के भीतर टिकट प्रस्तुत करने चाहिए, चाहे यात्रा किसी भी तारीख से प्रारंभ करनी हो।

(छ) पेशगी के समायोजन में यात्रा-भत्ते का दावा वापसी यात्रा से एक महीना पूरा होने के अंदर तैयार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पेशगी की मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा तुरंत पेशगी की एकमुश्त वसूली सुनिश्चित कर लेनी चाहिए । पेशगी की राशि की वसूली किश्तों में करने के लिए किसी प्रार्थना पर विचार नहीं करना चाहिए । ऐसी वसूली एक बार हो जाए तो यह समझना चाहिए कि पेशगी ली ही नहीं गई थी और तीन महीने के भीतर दावा तैयार करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसे न करने पर इन नियमों में दी गई शर्तों के अनुसार इसका अपवर्तन कर लिया जाएगा ।

(ज) छुट्टी यात्रा के लिए ली गई पेशगी का हिसाब यात्राएं पूरी करने के बाद उसी प्रकार दिया जाएगा जैसा कि दौरे पर यात्रा-भत्ते की पेशगी के लिए जाने पर दिया जाता है।

(झ) इस पेशगी के समायोजन पर उसी प्रकार निगरानी रखी जाएगी जैसे कि अन्य पेशगियों के मामले पर रखी जाती है ।

(ट) जिन मामलों में छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पेशगी नहीं ली गई हो, इन मामलों में वापसी यात्रा पूरी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर छुट्टी यात्रा रियायत का दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए। तदनुसार यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर दावा तैयार नहीं किया जाता है तो छुट्टी यात्रा रियायत के दावे की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी कर्मचारी के अधिकार का अपवर्तन हो जाएगा और यह समझा जाएगा कि इसे त्याग दिया गया है ।

(ठ) यदि दावा निर्धारित समय के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अग्रिम यदि आहरित किया गया है , तो जी.पी.एफ. की ब्याज दर के 2 प्रतिशत उपर दंड स्वरूप ब्याज के साथ वसूली की जाएगी , अग्रिम के आहरण की तारीख से और इसकी वसूली एक-मुश्त की जाएगी ।

34. एल.टी.सी. का जाली दावाः

(क) एल.टी.सी. के लिए जाली दावा तैयार करने के आरोप में किसी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को एल.टी.सी. का लाभ उठाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का निपटारा न हो जाए ।

(ख) यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप कर्मचारी को कोई छोटा या बड़ा दंड दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के चलने के दौरान रोके गए एल.टी.सी. के अवसर के अतिरिक्त अगले दो अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए नियंत्रण अफसर एल.टी.सी. के दो से अधिक अवसरों के लिए भी स्वीकृति देने में मना कर सकते हैं।

(ग) यदि सरकारी कर्मचारी एल.टी.सी. के जाली दावों के आरोप से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो पहले रोके गए रियायत का लाभ उठाने के उसके अवसर का भविष्य के ब्लाक वर्षों में अतिरिक्त अवसर के रूप में लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी किन्तु इसका लाभ उसके सेवा निवृत्त होने की सामान्य तारीख से पहले ही उठा लिया जाना चाहिए।

35. स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए नियम 6 के खंड (क) और (ख) में यथा निर्दिष्ट अपने मूल निवास स्थान की एल.टी.सी. और भारत में किसी भी स्थान के लिए एल.टी.सी., एल.टी.सी.के दो अलग-अलग अवसर होंगे ।

36. व्याख्या : यदि नए नियमों में किसी प्रावधान के विषय में कोई संदेह हो तो इस बारे में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को लिखा जाएगा जो इस मामले में निर्णय देगा ।

37. ढील देने की शक्ति : इन नियमों में जैसा अन्यथा प्रावधान किया गया है, उसके अतिरिक्त जहां रक्षा मंत्रालय इस बात से संतुष्ट है कि इन नियमों के प्रचलन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह मंत्रालय, लिखित में कारण का उल्लेख करके आदेश द्वारा उस नियम में उस सीमा तक और ऐसी शर्तों एवं अपवादों के अध्याधीन जिन्हें वह उचित और समान रूप में उस मामले में कार्रवाई के लिए आवश्यक समझते हों, अपेक्षाओं से छुटकारा या ढील दे सकते हैं । परन्तु शर्त यह है कि ऐसा कोई आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सहमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा ।

38. एल.टी.सी. के साथ वार्षिक छुट्टी का नकदीकरणः सेनाकार्मिकों को ,60 दिन की सीमातक, एल.टी.सी. को प्राप्य करने के समय पर , उनके सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान , दस दिन की वार्षिक छुट्टी के नकद भुगतान की अनुमति है। एल.टी.सी. को प्राप्य करने के समय पर छुट्टी जिसका नकद भुगतान किया गया है , उसको सेवा-निवृत्ति पर नकद भुगतान दिए जाने की अधिकतम वार्षिक छुट्टी की मात्रा में से नहीं काटा जाएगा। जहां दोनों पति और पत्नी , सरकारी सेवा में हैं , यह वर्तमान एल.टी.सी. के प्राप्य के लिए हकदारी अपरिवर्तनीय रहेगी और दस दिन के बराबर छुट्टी का नकदीकरण, एल.टी.सी. को प्राप्य करने के समय, प्रत्येक को, अधिकतम 60 दिन की शर्त पर, कार्यकाल के समय में, दोनों को उपलब्ध होना जारी रहेगा ।

अनुबंध ।

[नियम 190 का पैरा 29 देखें]

एल.टी.सी. के हकदार सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. मैंने वर्ष ———————— के ब्लाक के लिए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के संबंध में एल.टी.सी.का अन्य कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है ।

2. मैंने, अपने/अपनी पत्नी के/अपने साथ बच्चों द्वारा की गई एल.टी.सी. के लिए पहले ही यात्रा-भत्ता आहरित कर लिया है । यह दावा मेरी पत्नी/मेरे द्वारा ———————— बच्चों के साथ की गई यात्रा का है जिनमें से किसी ने भी पहले मेरे या मेरी पत्नी के साथ यात्रा नहीं की है ।

3. मेरा पति/मेरी पत्नी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं है ।

मेरा पति/मेरी पत्नी सरकारी सेवा में नियोजित है और संबंधित ब्लाक के लिए उसने अलग से अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए इस रियायत का लाभ नहीं उठाया है ।

4. यह यात्रा मेरे/मेरी पत्नी द्वारा अपने बच्चों के साथ घोषित किए गए अपने नगर/भारत में किसी स्थान अर्थात् ———————— तक की गई है ।

5. परिवार के जिन सदस्यों के संबंध में यात्रा की धनराशि का दावा किया गया है, यात्रा/यात्राओं के समय वे मुझ पर पूर्णतः आश्रित थे और वास्तव में मेरे साथ निवास करता/ करते थे ।

6. यह यात्रा/यात्राएं उसी श्रेणी द्वारा मेरे प्रमाणित मूल निवास स्थान भारत में किसी स्थान से आने-जाने के लिए वास्तव में की गई है, जिनके संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया गया है ।

7. प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में जिस भाड़े का दावा किया गया है, वह लघुत्तम मार्ग के लिए है ।

8. प्रमाणित किया जाता है कि यह यात्रा/यात्राएं हकदार प्रकार/श्रेणी द्वारा की गई थीं ।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

अनुबंध II

[नियम 190 का पैरा 29 देखें]

नियंत्रण अफसर द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

(i) यह यात्रा/यात्राएं वास्तव में निष्पादित की गई थीं सरकारी कर्मचारी के गृह-नगर तक जैसा कि उसकी सेवा-पुस्तिका में दर्ज है/भारत में किसी स्थान अर्थात् ———— के लिए की गई है/हैं ।

(ii) कैलेंडर वर्षों के चालू ब्लाक में इस रियायत का लाभ एक बार से अधिक नहीं उठाया गया है ।

(iii) श्री ———— द्वारा यह यात्रा/यात्राएं नियमित/ आकस्मिक छुट्टी के दौरान की गई है/हैं ।

(iv) श्री ———— ने बहिर्यात्रा आरंभ करने की तारीख को एक वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है ।

(v) नियम 190 के पैरा 24 के अधीन श्री ———— की सेवा-पुस्तिका में यथापेक्षित आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।

यह दावा न तो इससे पहले तैयार ही किया गया है और न ही इसका भुगतान किया गया है ।

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर

191. बच्चों को उनके शिक्षण संस्थानों की अनुमोदित छुट्टी के दौरान, यात्रा रियायतें

(i) सिविलियन सरकारी कर्मचारियों, जिनमें नियमित स्थापना पर काम करने वाले औद्योगिक और कार्य-प्रभारित कर्मचारी तथा केन्द्र में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल हैं के उन बच्चों को जो अपने माता–पिता से दूर किसी अन्य स्टेशन में पढ़ रहे हों, अनुमोदित छुट्टियों के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में एक बार विद्यमान शर्तों के अध्याधीन द्वितीय श्रेणी का विद्यार्थी रियायत दर/साधारण बस स्टीमर द्वारा निम्नतम श्रेणी ।बंक/शायिका। का पूरा किराया स्वीकार्य होता है । यह किराया उन्हें अपने माता–पिता से मिलने के लिए सरकारी कर्मचारी की तैनाती के स्टेशन और वहां से वापसी के लिए दिया जाता है ।

इस प्रकार के मामलों में यह प्रतिपूर्ति निम्नलिखित तरीके और शर्तों के अनुसार की जाती है :—

(ii) पात्रता :यह रियायात केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को स्वीकार्य होगी :

(क) सरकारी कर्मचारी की वैध संतान को, जिनमें सौतेली और दत्तक संतान भी शामिल है (जहां गोद लेना स्वीय विधि के अनुसार मान्यता प्राप्त हो), जो पूर्णतः सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों ।

(ख) भारत में तैनात सरकारी कर्मचारियों को भारत में अध्ययन करने वाली उनकी संतान के लिए ।

(ग) उन संतानों के लिए जो अपने अध्ययन के संबंध में सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के निवास स्थान से दूर निवास कर रही हों। यदि संतान उस स्थान पर निवास कर रही हो, जहां उसका परिवार निवास कर रहा हो तो वे इस रियायत के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह स्थान सरकारी कर्मचारी के तैनाती के स्थान से दूर ही क्यों न हो ।

(iii) हकदारी की आवृत्ति : यह रियायत अनुमोदित छुट्टियों के दौरान अपने माता–पिता से मिलने जाने और वहां से वापस आने के लिए शैक्षणिक संस्थान से सरकारी कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार ली जा सकती है । बहिर्यात्रा जिस वर्ष में शुरू की जाती है और वापसी यात्रा उससे अगले वर्ष में पूरी की जाती है तो इस रियायत की गणना उसी वर्ष में की जाएगी जिसमें बहिर्यात्रा शुरू की गई हो । ऐसे मामलों में जहां छुट्टियों के बाद संतान शैक्षणिक संस्थान में नहीं लौटती वहां यह रियायत स्वीकार्य नहीं होगी । इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित छुट्टियों का अर्थ उन छुट्टियों से होता है जो उस मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा घोषित की गई हो जहां संतान पढ़ रही हो ।

(iv) हकदारी : जिस स्थान पर बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, वहां के निकटतम रेलवे स्टेशन से उस स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन तक, जहां कि सरकारी कर्मचारी तैनात है, की लघुत्तममार्ग द्वारा तथा वापसी के लिए विद्यार्थी रियायती दर

पर रेल किराए की प्रतिपूर्ति द्वितीय श्रेणी के किराए तक सीमित की जाएगी। यह रियायत सड़क /समुद्री मार्ग द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए अनुमत्य होगी। जहाज/स्टीमर द्वारा निम्नतम श्रेणी अर्थात् शायिका (बंक) श्रेणी की तथा सड़क यात्रा के लिए साधारण बस की हकदारी होगी । "सबसे छोटे मार्ग" शब्द का वही अर्थ होगा जो ड्यूटी पर यात्रा के लिए मान्य होता है।

टिप्पणी 1: जब सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी दोनों की केन्द्रीय सरकार की सेवा में हों, तो उनमें से केवल एक व्यक्ति ही उस रियायत के दावे का पात्र होगा ।

टिप्पणी 2: इस नियम के अधीन बच्चे द्वारा बाह्य यात्रा के लिए दावे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और स्वीकृत छुट्टी के दौरान उसी बच्चे के लिए स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता का दावा प्रस्तुत करने पर सरकारी कर्मचारी के पास विकल्प होगा , इस नियम के अधीन , बाह्य यात्रा के संबंध में या तो यात्रा-भत्ते का दावा करे या स्थानान्तरण यात्रा-भत्ते का ही दावा करे। यदि सरकारी कर्मचारी इस नियम के अधीन दावे के लिए अपना विकल्प देता है तो उसे इस नियम के अनुबंध । में दिए अनुसार एक प्रमाण-पत्र पेश करना होगा।

(v) दावे का प्रपत्र : प्रत्येक दावे को इस नियम के अनुबंध-I में दिए गए प्रपत्र में तैयार करना चाहिए और उसके समर्थन में अनुबंध-II के प्रपत्र में शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण-पत्र उन सभी बच्चों के मामले में अलग-अलग लगा होना चाहिए जिनके संबंध में इस रियायत का दावा किया गया हो । प्रत्येक दावे को वापसी यात्रा पूरी किए जाने की तारीख से तीन महीने के अंदर तैयार किया जाना चाहिए अन्यथा इसे जब्त कर लिया जाएगा ।

(vi) नियंत्रण अफसर : यात्रा-भत्ते के नियंत्रण अफसर इस योजना के प्रयोजन के लिए भी नियंत्रण अफसर के रूप में कार्य करेंगे । प्रत्येक दावे की स्वीकार्यता को सत्यापित करने के लिए उन्हें उसकी सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए और संलग्न शिक्षा-भत्ते से संबंधित अभिलेख क ी
उस सीमा तक संवीक्षा करनी चाहिए जहां तक उनका दावे से संबंध हो । अनुबंध-IV में दिया प्रमाण-पत्र नियंत्रण अफसर द्वारा दिया जाना चाहिए ।

(vii) रिकार्ड का रख–रखाव : कार्यालय अध्यक्ष द्वारा रियायत का रिकार्ड अनुबंध–III में दिए गए प्रपत्र के रजिस्टर में उन सरकारी कर्मचारियों के बारे में रखा जाएगा, जिनकी संतान ने नियम "क" के अधीन इस रियायत का लाभ उठाया हो। प्रत्येक वर्ष के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा ।

इस नियम के उपबंध निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे :

(i) जो पूर्णकालिक सरकारी नियोजन में न हों;

(ii) जिनका भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है ;

(iii) विदेश स्थित मिशनों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी ।

अनुबंध ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तैनाती के स्थान से दूर के शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने वाले बच्चों के यात्रा रियायत के दावे के लिए आवेदन–पत्र

(सरकारी कर्मचारियों द्वारा भरा जाए)

सरकारी कर्मचारी का नाम : . . . . . .

इस कार्यालय का नाम व पता जहां वह नियोजित है : . . . . . .

निवास का पूरा पता : . . . . . .

दावे का ब्यौरा : . . . . . .

(i) बच्चे/बच्चों का/के नाम : . . . . . .

(ii) उस शैक्षणिक संस्थान का नाम व पता, जहां बच्चा/बच्चे पढ़ रहा/ रहे हों : . . . . . .

(iii) कक्षा, जिसमें बच्चा/बच्चे अध्ययन कर रहा/रहे हों : . . . . . .

(iv) छुट्टी की अवधि जिसमें बच्चे/बच्चों ने माता–पिता से मिलने के लिए यात्रा की हो और वह कैलेंडर वर्ष, जिसमें दावे का समायोजन किया जाना है : . . . . . .

(v) बच्चे/बच्चों की यात्रा का ब्यौरा . . . . . :

प्रस्थान		आगमन		रेल द्वारा यात्रा करने की श्रेणी	अदा किया गया भाड़ा	टिकट नंबर
स्टेशन	तारीख	स्टेशन	तारीख			

क. बहिर्यात्रा

ख. वापसी यात्रा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त मद (iv) में उल्लिखित कैलेंडर वर्ष में उपर लिखे नाम वाले बच्चे/बच्चों के बारे में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरा पति केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं है ।

या

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरा पति केन्द्रीय सरकार की सेवा में है, लेकिन उसने इस संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जिस बच्चे/बच्चों के बारे में इस रियायत का लाभ उठाया गया है , वह/वे पूर्णतः मुझ पर आश्रित था/थे और वह/वे उस स्थान में अध्ययन नहीं करता है/करतें हैं, जहां मेरा परिवार निवास करता है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विद्यार्थी की बहिर्यात्रा की दावे की राशि न तो स्थानांतरण यात्रा-भत्ते बिल में जोड़ी गई है न ही वह राशि भविष्य में जोड़ी जाएगी ।

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

अनुबंध II

[शैक्षणिक संस्थान द्वारा भरा जाए]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी ..... (जन्म की तारीख .....)
पुत्र/पुत्री श्री .....इस विद्यालय / महाविद्यालय की .....कक्षा में अध्ययन कर रहा/रही है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह विद्यालय / महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह विद्यालय / महाविद्यालय .....से .....तक छुट्टियों के कारण बंद था ।

प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

अनुबंध III

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संतान को दिए जाने वाले रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति का रिकार्ड, जो सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय से दूर स्थित शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन कर रहे हों

सरकारी कर्मचारी का नाम : . . . . . .

पदनाम : . . . . . .

जिस बच्चे के लिए रियायत का लाभ उठाया गया है, उसका नाम	स्थान का नाम, जहां वह अध्ययन कर रहा है	छुट्टी की अवधि जिसमें रियायत का लाभ उठाया गया हो	प्रतिपूर्ति की धनराशि	अभ्युक्तियां

अनुबंध IV

प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित, सरकारी कर्मचारी के बारे में विहित रजिस्टर में, यथापेक्षित आवश्यक प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर दिया गया है ।

स्थान :

तारीख :

नियंत्रण अफसर के हस्ताक्षर

अध्याय पांच

साक्षात्कारों, स्वास्थ्य–परीक्षाओं, नियुक्ति के लिए चयन के संबंध में और सेवा-निवृत्ति, निर्मुक्ति, सेवा-मुक्ति, आरक्षिति में स्थानान्तरण, पदच्युति और मृत्यु के कारण हुई यात्राओं के लिए यात्रा की हकदारी

192. थल सेना, नौसेना और वायुसेना में स्थायी नियमित कमीशन प्रदान करने के लिए साक्षात्कार, स्वास्थ्य परीक्षा आदि के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा–भत्ता.

(1) सिविलियन उम्मीदवारों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना में कमीशन प्रदान करने के लिए:

(i) सेना कार्मिकों से भिन्न सिविलियन उम्मीदवार, जिन्होंने थल सेना/नौसेना/वायुसेना में कमीशन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो और जिन्हें सेना चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया हो, वे अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए नियमों के अनुसार केवल एक बार यात्रा–भत्ते और दैनिक–भत्ते के हकदार होंगे ।

(ii) वह उम्मीदवार भी यात्रा–भत्ते और दैनिक–भत्ते का हकदार होगा, जिसे कमीशन देने के लिए चुन लिया गया हो और जिसे इसी प्रकार के किसी कमीशन के लिए पहले हुई स्वास्थ्य परीक्षा में फिट घोषित करने की तारीख से छः महीने की अवधि के बाद स्वास्थ्य परीक्षा के लिए पुनः बुलाया गया हो।

(iii) ऐसे उम्मीदवार किसी परिवर्ती अवसर पर इन भत्तों के हकदार नहीं होंगे, जिन्होंने इसी प्रकार के कमीशन के लिए दुबारा आवेदन–पत्र दिया हो ।

(iv) वायुसेना की फ्लाइंग ड्यूटी ब्रांच के लिए अस्वीकृत किसी उम्मीदवार को बाद में यदि ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए साक्षात्कार आदि के लिए बुलाया जाता है तो वह यात्रा-भत्ते का हकदार होगा और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए अस्वीकृत उम्मीदवार उस समय यात्रा-भत्ते का हकदार होगा जब वह बाद में फ्लाइंग ब्रांच के लिए साक्षात्कार में बैठ रहा हो । यात्रा-भत्ता और दैनिक-भत्ता उन उम्मीदवारों को भी स्वीकार्य होगा, जो फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए एक बार अस्वीकृत किए गए हों और फ्लाइंग (नेवीगेटर) ब्रांच में कमीशन के लिए स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में पुनः बुलाए गए हों, परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के उम्मीदवार की पिछली स्वास्थ्य परीक्षा, उस फ्लाइंग (नेवीगेटर) कोर्स के शुरू होने की तारीख से छः माह या उससे अधिक की अवधि पूर्व हुई हो, जिसके लिए उन्हें चुना गया हो ।

टिप्पणी: थल सेना या भारतीय नौसेना में किसी कमीशन के लिए अस्वीकृत या अधिशेष घोषित उम्मीदवार उस समय यात्रा-भत्ते के हकदार होंगे, जब उन्हें वायुसेना में कमीशन के लिए बुलाया जाए।

(v) उपर्युक्त खण्डों के अधीन लगाए गए प्रतिबंध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें सेना चयन बोर्ड द्वारा आस्थगित किया गया हो या अस्थायी रूप से अयोग्य पाया गया हो ।

(2) सेना में उम्मीदवारों को अस्थायी नियमित कमीशन (विशेष सूची) प्रदान करने के लिए:

सेवारत कमीशन प्राप्त अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और गैर–कमीशन अफसरों को जब सेना चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए और/या सेना में स्थायी नियमित कमीशन (विशेष सूची) के लिए स्वास्थ्य परीक्षाओं हेतु बुलाया जाता है, उनको हकदार प्रकार/श्रेणी में निःशुल्क सवारी की अनुमति है।

यह रियायत उन उम्मीदवारों को भी स्वीकार्य होगी जिनको उस समय ब्रिगेड/एरिया कमांडर के समक्ष उपस्थित होना होता है, जब उनके आवेदन को भेजने के संबंध में उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है ।

टिप्पणी 1: नए स्टेशन पर कार्यग्रहण करने के बाद जूनियर कमीशन अफसर/गैर कमीशन अफसर को जब नए स्टेशन में कार्य-भार संभालने के बाद स्थायी नियमित कमीशन (विशेष सूची) दिए जाने के लिए किसी अन्य स्टेशन पर तैनात किया जाता है तो ड्यूटी स्टेशन या चुने हुए निवास-स्थान, जैसा भी मालूम हो, पर जाने के लिए परिवार और असबाब के संबंध में वारंट पर निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे जो उनके संचलन के समय धारित उनके रैंक के मान के अनुसार लागू होगा ।

टिप्पणी 2: विशेष ड्यूटी सूची पर पदोन्नति पर कोई नौसैनिक वारंट पर, पुराने ड्यूटी स्टेशन से प्रशिक्षण स्थापना तक और प्रशिक्षण कोर्स के पूरा होने पर स्थाई ड्यूटी स्टेशन तक

75 किलोग्राम तक असबाब ले जा सकता है, जिसमें 40 किलोग्राम वह असबाब भी शामिल है, जिसे रेलवे नियमों के अधीन निःशुल्क ले जाया जा सकता है। परन्तु शर्त यह है कि इस टिप्पणी के उप–पैराग्राफ के अधीन दिए गए अतिरिक्त असबाब की मात्रा, नियम 70 के अधीन प्राधिकृत असबाब की कुल यात्रा से अधिक न हो।

परिवार और असबाब के लिए वारंट द्वारा निःशुल्क सवारी पुराने ड्यूटी स्टेशन से घर/निवास के चुने गए स्थान तक और वहां से उनके नए स्थायी ड्यूटी स्टेशन तक स्वीकार्य होगी ।

(3) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला, अफसर प्रशिक्षण स्कूल, चेन्नई/गया, भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून, नौसेना अकादमी कोची में दाखिल होने वाले उम्मीदवारः

(अ) (i) सिविलियन : साक्षात्कार और/या स्वास्थ्य जांच के लिए बुलाए गए सिविलियन उम्मीदवार, भारत में यात्रा करने के लिए निम्नलिखित यात्रा–भत्तों के हकदार होंगेः–

(क) एक द्वितीय श्रेणी एक तरफा किराया, रेल द्वारा निष्पादित यात्रा के लिए या सड़क मील–भत्ता, व्यक्ति द्वारा आहरित पदक्रम वेतन जो ₹ 2,400/– से ₹ 2,800/– तक, के समतुल्य मूल्य पर, नियम 61 में निर्धारित किए दर पर की हकदारी होगी, जहां सड़क द्वारा निष्पादित यात्रा सामान्य रिहायश के स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक और/ या स्वास्थ्य परीक्षा और वापसी के लिए, सरकारी वाहन नहीं दिया गया है । जहां आवश्यक या उचित समझा जाए वहां, तो उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाने वाला प्राधिकारी, उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी की यात्रा के लिए रेलवे वारंट जारी कर सकता है। इस प्रकार के रेल वारंट सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए जारी किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त कोई नकद यात्रा–भत्ता अदा नहीं किया जाएगा ।

(ख) एक एकतरफा किराया, आवास की श्रेणी का, व्यक्ति द्वारा आहरित पदक्रम वेतन जो ₹ 2,400/– से ₹ 2,800/– तक, के समतुल्य मूल्य पर, खाने की लागत को निकाल कर, स्टीमर द्वारा निष्पादित यात्राओं के लिए, का हकदार होगा । उन मामलों में जहां इस प्रकार की आवास श्रेणी स्टीमर में उपलब्ध नहीं है, वहां उसके बाद की उच्चतर श्रेणी अनुमत्य होगी ।

(ग) यदि स्टीमर में प्राधिकृत श्रेणी से अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी में यात्रा की जाती है तो जिस श्रेणी में यात्रा की गई हो उस श्रेणी का भाड़ा स्वीकार्य होगा ।

(घ) यदि रेल या स्टीमर से यात्रा किसी ऐसे स्थान से शुरू या समाप्त की गई हो जो साक्षात्कार या डाक्टरी परीक्षा के लिए जाने वाले स्थान से सामान्य स्थान की अपेक्षा कहीं पास पड़ता हो तो यात्रा–भत्ता केवल ऐसे निकटतम स्थान से आने–जाने के लिए स्वीकार्य होगा ।

(ङ) यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता उसी प्रकार स्वीकार्य होगा जैसा कि सवारी सस्ते व्यवहार्य मार्ग से यात्रा करने पर दिया जाता है, भले ही यात्रा किसी भी तरीके से क्यों न की गई हो ।

टिप्पणीः सेना चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं, असिविलियन उम्मीदवारों को दैवी प्रकोपों के फलस्वरूप रेल सेवा की अनिश्चितता/ सरकारी बसों की अनुपलब्धता के कारण सबसे छोटे मार्ग से भिन्न मार्ग द्वारा यात्रा की हो, वास्तव में इस्तेमाल किए गए अपेक्षाकृत लम्बे मार्ग द्वारा रेल/बस भाड़ा दिया जा सकता है, बशर्ते कि उन परिस्थितियों में केवल वही सबसे छोटा व्यवहार्य मार्ग रहा हो, इस प्रकार के मामलों में संबंधित सेना चयन बोर्ड के अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा कि क्या उपर उल्लिखित किसी कारण से लम्बे मार्ग द्वारा यात्रा करना आवश्यक था ।

(च) सभी सेना चयन बोर्ड, वायु सेना चयन बोर्ड के कमांडेंटों, उम्मीदवारों को सेना चयन बोर्ड/ वायुसेना चयन बोर्ड से प्रस्थान के पूर्व रेल/सड़क द्वारा आवक यात्रा किराए की यात्रा तक वापसी यात्रा के किराए का भुगतान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

(छ) किसी भी एस.एस.बी. की परीक्षा की अवधि में सिविलियनों और साथ ही सेना के उम्मीदवारों को राशन के बदले में दैनिक–भत्ता या धन–राशि की स्वीकार्यता नहीं होगी इसलिए कि उम्मीदवारों को सरकारी खर्च पर भोजन एवं आवास दिया जाता है । जब यदि यह सुविधा नहीं दी जाती है, तो निर्धारित दरों पर पड़ाव के लिए दैनिक–भत्ते की स्वीकार्यता होगी।

6 घंटे तक	शून्य
6 घंटे से अधिक किन्तु 12 घंटे से अधिक नहीं	70%
12 घंटे से अधिक	पूरा दैनिक–भत्ता
स्थानीय उम्मीदवारों को कोई दैनिक–भत्ता नहीं दिया जाएगा।	

(ii) सैनिक उम्मीदवार : परीक्षा, साक्षात्कार और/या डाक्टरी परीक्षा के लिए बुलाए गए सैनिक उम्मीदवारों को अस्थायी ड्यूटी पर समझा जाएगा और वे इन विनियमों में अपने रैंक संबंधी नियमों के अनुसार यात्रा करेंगे।

(ब) रक्षा अकादमी, खड़कवासला, अफसर प्रशिक्षण स्कूल, चेन्नई/गया भारतीय सेना अकादमी देहरादून और नौसेना अकादमी, कोची में दाखिले के लिए चुने गए उम्मीदवारों को नीचे दिए अनुसार, सवारी–भत्ता दिया जाएगा :

(i) सिविलियन उम्मीदवारों को दूसरी श्रेणी का वारंट जारी किया जाएगा, लेकिन यदि यह समय रहते हुए संभव नहीं हो पाता है तो वे अपने खर्चे 'पर' दूसरी श्रेणी में यात्रा करेंगे और गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर, दूसरी श्रेणी के किराए का दावा करेंगे ।

(ii) सैनिक उम्मीदवार रेल वारंट पर यात्रा करेंगे और उन्हें संबंधित नियमों के अधीन राशन आदि के बदले नकद भत्ता दिया जाएगा ।

(4) निम्नलिखित व्यक्तियों को साक्षात्कार/स्वास्थ्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें नियम के खण्ड (3) में दी गई सीमा तक यात्रा–भत्ता स्वीकार्य होगाः

(क) सेना सेवा बोर्ड द्वारा स्थायी/ नियमित कमीशन के लिए बुलाए गए इंजीनियरी स्नातक और कृषि स्नातक ।

(ख) सेना चिकित्सा कोर में नियमित कमीशन दिए जाने के लिए चिकित्सा स्नातक।

(ग) सेना दंत चिकित्सा कोर में नियमित कमीशन के लिए दंत चिकित्सा स्नातक ।

(घ) अश्व और पशु चिकित्सा कोर में स्थायी/नियमित कमीशन के लिए पशु–चिकित्सा स्नातक ।

(ङ) सेना में नियमित कमीशन दिए जाने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की सेना विंग की वरिष्ठ डिवीजन के कैडेट ।

(च) भारतीय नौसेना के विशेष भर्ती कैडेट राष्ट्रीय कैडेट कोर के नौसेना विंग की वरिष्ठ डिवीजन के कैडेट और डफरिन कैडेट ।

(छ) सिविलियन उम्मीदवार, जिनको भारतीय नौसेना की शिक्षा ब्रांच में भर्ती के लिए बुलाया गया हो ।

(ज) वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार ।

(झ) सेना परिचर्या सेवा में नियमित कमीशन के लिए उम्मीदवार ।

192–अ. भूतपूर्व जूनियर कमीशन अफसर और नौसेना एवं वायु सेना में उनके समकक्ष अफसरों को जब उप–महानिदेशक रक्षा सुरक्षा कोर द्वारा रक्षा सुरक्षा कोर में जूनियर कमीशन अफसरों के रूप में चयन हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो वे निम्नलिखित रियायतों के हकदार होंगे :

(क) भारतीय सीमाओं के अन्दर मुफ्त वापसी द्वितीय श्रेणी रेलवे वारंट; और

(ख) समकक्ष रैंक के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य दिल्ली में प्रवास के लिए दैनिक–भत्ता हकदारी का हिसाब सेवा–निवृत्ति से तुरन्त पूर्व उनके वेतन/रैंक के अनुसार लगाया जाएगा।

193. रंगरूटों, अयोद्धियों और अयोद्धियों ।नामांकित। को सवारी–भत्ता.

(क) रंगरूटों, योद्धियों और अयोद्धियों (नामांकित), वायु सैनिकों का जो स्थानीय रूप से भर्ती नहीं किया जा सकता, रेल/सड़क/समुद्र द्वारा निःशुल्क सवारी करने का हक होगा, यह सवारी–भत्ता भर्ती दल से मिलने के स्थान से निकटतम भर्ती या चिकित्सा केन्द्र तक और उसके पश्चात यूनिट/कोर/डिपो केन्द्र या प्रशिक्षण स्थापना तक के लिए दिया जाएगा । सड़क द्वारा सवारी उस स्थिति में दी जाती है जबकि सड़क से निकटतम रेल केन्द्र तक आने–जाने की दूरी 5 कि0 मी0 से अधिक हो । अयोद्धि (नामांकित), जब यूनिट/ स्टेशन में नहीं बुलाए जा पाते और ब्रिगेडियर/सब एरिया कमांडर के आदेशों से किसी अन्य स्टेशन पर उनसे संपर्क किया जाता है तो उन्हें भेंट के स्थान से रेजीमेंट मुख्यालय तक, का रेल यात्रा के लिए सवारी–भत्ता दिया जाएगा ।

(ख) ऐसे रंगरूट, जो कमांडिंग अफसर के अनुरोध पर यूनिट/ स्थापना के मुख्यालय में उपस्थित होते हैं या जिले के सिविल अफसर द्वारा हस्ताक्षर करवा कर इस आशय का प्रमाण–पत्र पेश करते हैं कि भर्ती होने के संबंध में मुख्यालय में आने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है यदि उन्हें अंतिम रूप से चुन लिया जाता है तो उन्हें वास्तविक यात्रा–व्यय की वापसी की जाएगी।

(ग) जब कभी किसी भर्ती चिकित्सा अफसर को, रंगरूट की अयोग्यता या अयोग्यताओं के प्रकार के संबंध में उचित शंका होती है और वह रंगरूट को सेना/वायु सेना में नामांकित करने के लिए रंगरूट की उपयुक्तता की जांच और उसके संबंध में राय देने के लिए विशेषज्ञ के पास भेजता है तो उस रंगरूट को वारंट पर रेल द्वारा या सड़क द्वारा सवारी–भत्ता दिया जाएगा। यह सवारी उस निकटतम सेना अस्पताल जाने और वहां से भर्ती के स्थान पर जहां पर विशेषज्ञ उपलब्ध हो वापिस आने के लिए दी जाएगी जहां इस प्रकार का विशेषज्ञ उपलब्ध हो।

(घ) वायु सैनिक के रूप में भर्ती किए जाने के लिए, साक्षात्कार और स्वास्थ्य परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार निम्नलिखित यात्रा–भत्तों के हकदार होंगे :

(i) भारत में अपने निवास के स्थान से साक्षात्कार के स्थान और वहां से वापसी के लिए दूसरी श्रेणी का रेल भाड़ा, यदि रेल उस स्थान तक न जाती हो तो वास्तविक बस भाड़ा स्वीकार्य होगा।

(ii) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के समय यदि कोई उम्मीदवार अपने स्थायी निवास से दूर हो तो उसे वास्तव में की गई यात्रा के लिए भत्ता स्वीकार्य होगा परन्तु यह यात्रा–भत्ता भारत में उसके स्थायी निवास से साक्षात्कार के स्थान तक की दूरी से अधिक की दूरी के लिए नहीं दिया जाएगा।

(ङ) एकदम अयोग्य उम्मीदवारों को छोड़कर खण्ड (क) में उल्लिखित उम्मीदवार जिन्हें भर्ती दल या भर्ती करने वाले द्वारा भर्ती किया जाता है और अन्त में भर्ती अफसर या कमांडिंग अफसर द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, सवारी के पात्र होते हैं। यह सवारी भर्ती दल से भेंट के स्थान तक या उनके घर तक यदि वे कहीं से भर्ती दल के स्थान पर गए हों, या अन्य किसी स्थान से दी जा सकती है, बशर्ते राज्य को इस पर कोई अतिरिक्त व्यय न करना पड़ता हो। सड़क द्वारा यात्रा करने पर अस्वीकृत रंगरूटों को वापसी यात्रा के समय लागू दैनिक दर पर निर्वाह–भत्ता दिया जाएगा । फरलों या छुट्टी पर गए व्यक्तियों/रिजर्व वाले लोगों, पेंशन प्राप्त, या सेवा मुक्त सैनिकों/ नौसैनिक द्वारा लाए गए अस्वीकृत रंगरूटों को तब तक कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनको चिकित्सा आधार पर अस्वीकृत नहीं कर दिया गया हो।

टिप्पणी: उपर इस्तेमाल किए गए "रंगरूटों" शब्द में (बॉयज) भी शामिल हैं।

194. जूनियर कमीशन अफसर के रैंक में सीधे कमीशन के लिए उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों को यात्रा–भत्ता.

कोई व्यक्ति, जिसे जूनियर कमीशन अफसर के रैंक में सीधे कमीशन के लिए उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है ओर सीधे कमीशन के लिए उसके नामांकन के संबंध में आदेश दिया जाता है तो वह अपने घर से उस स्थान तक दूसरी श्रेणी के रेल भाड़े का हकदार होता है, जहां उसकी यूनिट स्थित हो। निर्धारित दरों पर सड़क मील–भत्ता स्वीकार्य है सड़क द्वारा यात्राओं के लिए, यदि स्थान रेल द्वारा संयोजित नहीं हैं।

195. सिगनल कोर के बालक (बॉयज) को सवारी–भत्ता.

सिगनल प्रशिक्षण केन्द्र में भर्ती होने वाले (बॉयज) को रेल/सड़क द्वारा वारंट पर और आवश्यकता पड़ने पर समुद्र द्वारा अपने घर से केन्द्र तक और यदि वे अयोग्य पाए गए हों तो वहां से वापसी के लिए निःशुल्क सवारी दी जाती है ।

196. साक्षात्कार/चयन के लिए बुलाए जाने पर आयुद्ध (आर्डनेंस) फैक्टरी के कार्मिकों को सवारी–भत्ता.

आयुद्ध (आर्डनेंस) फैक्टरी के कार्मिकों को उस समय दूसरी श्रेणी का रेल भाड़ा दिया जाता है जब उन्हें आर्डनेंस फैक्टरी में नियुक्ति के लिए बाह्य के उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है ओर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।

197. रक्षा उत्पादन/निरीक्षण और अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक/ तकनीकी पदों के लिए कार्मिकों को सवारी–भत्ता.

रक्षा उत्पादन/निरीक्षण संगठन और अनुसंधान और विकास संगठन/ महानिदेशक आर्डनेंस फैक्टरी संगठन के अधीन स्थापना/प्रयोगशाला में वैज्ञानिक/ तकनीकी पदों पर नियुक्ति के संबंध में साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को उनके सामान्य निवास से साक्षात्कार स्थान तक और वहां से वापसी के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल का किराया दिया जाएगा । जब यात्रा के समय लागू रेल नियमों के अधीन रेल टिकट रियायती भाड़े पर उपलब्ध हो रहा होगा तो वापसी टिकट की लागत की वास्तविक लागत की ही प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

टिप्पणी: उम्मीदवारों को यात्रा–भत्ते का संवितरण संगठन के अध्यक्ष द्वारा ली गई पेशगी से किया जाएगा। उम्मीदवारों को अदा किए जाने वाले यात्रा–भत्ते के समायोजन के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवश्यक बिल के समर्थन में साक्षात्कार पत्र की प्रतिलिपियां और उम्मीदवारों के निम्नलिखित प्रमाण–पत्र लगे होने चाहिए :

(i) मैंने ..... श्रेणी में ..... से ..... तक बहिर्यात्रा वास्तव में की है और यह वचन देता हूं कि मैं अपने निवास स्थान अर्थात् ..... के लिए उस श्रेणी में वापसी यात्रा करूंगा, जिसके लिए मुझे भुगतान किया गया है ।

(ii) उस यात्रा के लिए, यह जिसके लिए भुगतान किया गया है अन्य किसी स्रोत्र से इस प्रकार का कोई भत्ता न तो लिया गया है और न लिया ही जाएगा ।

198. समूह "ग" पदों के लिए साक्षात्कार/ लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अशक्त भूतपूर्व सैनिकों को यात्रा–भत्ता.

(i) अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों और अशक्त भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' के उन विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के संबंध में

साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है जिसकी भर्ती विभाग द्वारा सीधे या रोजगार कार्यालय के जरिए (अर्थात् सं0 लो0 से0 आ0 से भिन्न जरिए) से की जाती है तो भर्ती प्राधिकारी इस प्रकार के उम्मीदवारों को रेल की दूसरी श्रेणी का, किराया दे सकता है । यह किराया उनके सामान्य निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से या जहां से उन्होंने वास्तव में यात्रा की है उस स्थान से जो भी अपेक्षाकृत निकट हो, साक्षात्कार के स्थान तक और उसी स्थान तक की वापसी यात्रा के लिए दिया जाता है, परन्तु शर्त यह है कि दोनों रेल यात्राओं की अलग–अलग दूरी अस्सी किलोमीटर से अधिक हो/लेकिन सीट/शयनिका को रिजर्व कराने के लिए खर्च किए गए किसी अतिरिक्त प्रभार की, यदि कोई हो, उम्मीदवार को प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी ।

(ii) जहां तक रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच की सड़क यात्रा का संबंध है, वहां पर भर्ती अधिकारी द्वारा नियम 61 में दिए अनुसार इस प्रकार के उम्मीदवारों को उसी ग्रेड के सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य वास्तविक बस भाड़ा या सड़क–भत्ता जो भी अपेक्षाकृत कम हो, दिया जा सकता है ।

(iii) जहां तक इस प्रकार के उम्मीदवारों द्वारा मुख्य भूमि और द्वीप में समूह "ग" में भर्ती के संबंध में साक्षात्कार/परीक्षा में शामिल होने के लिए संघ शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह से की गई समुद्री यात्रा के लिए यात्रा–भत्ते का संबंध है, सबसे निम्न श्रेणी द्वारा ।जिसमें आहार प्रभार शामिल नहीं है, समुद्री यात्रा की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते प्रत्येक मार्ग से समुद्री दूरी 30 कि0मी0 से अधिक हो ।

टिप्पणी: लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा–भत्ता स्वीकार्य होगा । परन्तु शर्त यह है कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार जो यदि आवश्यक हो तो एक ही स्टेशन पर और एक ही दिन या उसके आसपास आयोजित होने चाहिए ताकि उम्मीदवार चयन के स्थान से आने–जाने की केवल एक यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता प्राप्त कर सके । 'उम्मीदवार' शब्दावली में वे उम्मीदवार शामिल नहीं हैं जो पहले से ही केन्द्र राज्य सरकार की सेवा में कार्य कर रहे हों । तदनुसार, यह रियायत उन उम्मीदवारों को स्वीकार्य नहीं होगी।

199. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए सिविलियन सरकारी कर्मचारी को यात्रा–भत्ता.

(i) मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा उन पदों पर, जो विज्ञापित न किए गए हों और जिनका संबंध सं0लो0से0आ0 से नहीं है। नियुक्ति के संबंध में साक्षात्कार के लिए बुलाए गए सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान और वापसी यात्रा के लिए इस प्रकार यात्रा–भत्ता दिया जाए जैसा कि अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा के संबंध में स्वीकार्य होता है । लेकिन पड़ाव के दिनों के लिए दैनिक–भत्ता नहीं दिया जाएगा।

उन व्यक्तियों को कोई यात्रा–भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए जिन्होंने साक्षात्कार के लिए स्वयं आवेदन पत्र भेजा हो ।

(ii) सैनिक इंजीनियरी सेवा के सिविलियन को जिनको सैनिक इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए उनके चयन के संबंध में साक्षात्कार के लिए संचलन का आदेश दिया जाता है, अस्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा–भत्ता दिया जाएगा परंतु पड़ाव के दिनों के लिए दैनिक–भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(iii) जब उन्हें थलसेना, नौसेना और वायु सेना में स्थायी अल्पकालीन सेवा या स्थायी कमीशन के लिए उनके चयन के संबंध में साक्षात्कार और मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाता है तो उस समय अस्थायी ड्यूटी मान पर यात्रा–भत्ता और रूकने की अवधि के लिए दैनिक–भत्ता स्वीकार्य होगा।

199–अ. सिविलियन उम्मीदवारों को दैनिक–भत्ता

सिविलियन उम्मीदवारों को सशस्त्र सेना में, कमीशन हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, जब भी निःशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं, दैनिक–भत्ते का भुगतान निर्धारित एकसमान दर पर किया जाएगा ।

200–अ. सेवा–निवृत्ति /कार्यमुक्ति /आरक्षिति में स्थानांतरण / सेवा–मुक्ति पर सैनिक कार्मिकों की हकदारी.

(क) सेना कार्मिकों को उनकी सेवा– निवृत्ति, आरक्षित में स्थानांतरण/कार्यमुक्ति/स्थापना में कटौती/सेवा से अशक्तता पर, सवारी, पैकिंग–भत्ता, निजी वाहन का परिवहन और मील–भत्ते की हकदारी है, आखिरी ड्यूटी स्टेशन से, जो उस क्षेत्र के अंतर्गत या बाह्य स्थित है, जहां फील्ड सेवा रियायत स्वीकार्य हैं गृह–नगर तक या उस स्थान तक जहां वे और उनके परिवारों को स्थायी रूप से व्यवस्थापित होना है जबकि यह उनके घोषित गृह–नगर से अन्यथा भी हो । सामासिक स्थानान्तरण अनुदान, अंतिम आहरित एक माह के मूल वेतन के बराबर, की स्वीकार्यता है उन रक्षा कार्मिकों के मामले में जो सेवा–निवृत्ति पर उनके ड्यूटी से 20 कि0मी0 की दूरी या अधिक पर, अंतिम ड्यूटी स्टेशन (नों) के अलावा स्थित स्थानों पर व्यवस्थापित होना चाहते हैं। स्थानान्तरण प्रासंगिक और सड़क मील–दूरी, घर और रेलवे स्टेशन / बस स्टैंड, इत्यादि के मध्य यात्राओं के लिए, वर्तमान में

स्वीकार्य है, को भी सामासिक स्थानान्तरण अनुदान में सम्मिलित माना जाएगा और अलग से स्वीकार्यता नहीं होगी।

सेवारत सेना कार्मिकों के मामले में, जो सेवा–निवृत्ति पर आखिरी ड्यूटी स्टेशन पर ही या 20 कि0 मी0 से कम की दूरी के भीतर, व्यवस्थापित होते हैं, को सी.टी.जी. (सामासिक स्थानांतरण अनुदान) के एक–तिहाई का भुगतान किया जा सकता है, इस शर्त पर कि वास्तव में घर का बदला जाना अंतर्निहित है ।

टिप्पणी 1: सेना कार्मिकों को उनकी सेवा–निवृत्ति पर वाहन के परिवहन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, इस आवश्यकता पर बिना जोर दिए कि उनके सेवाकाल के दौरान, आखिरी ड्यूटी स्थान पर, उनके कब्जे में वाहन, लोकहित के तहत होना चाहिए था ।

टिप्पणी 2: सेवा–निवृत्ति के समय, सेना के अधिकारियों और अधिकारी से निम्न स्तर के कार्मिकों व उनके परिवार के सदस्यों को उनके गृह–नगर या उस स्थान पर जहां वे और उनके परिवार स्थायी तौर पर व्यवस्थापित हो जाना चाहते हैं, यात्रा करेंगे, जबकि वह घोषित गृह–नगर से अन्यथा भी हो।

टिप्पणी 3: अधिकारियों और उनके परिवारों के सदस्य नकद यात्रा–भत्ता आधार पर यात्रा कर सकते हैं ।

टिप्पणी 4: तीनों सेवाओं के सेवा–निवृत्ति होने वाले अध्यक्षों को सेवा निवृत्ति के बाद मुख्यालय में कार्यभार सौंपने के बाद मुख्यालय (दिल्ली) से अपने गृह–नगर या भारत में चुने हुए निवास स्थान के समीप हवाई अड्डे तक और हवाई अड्डे से गृह नगर/भूमि मार्ग द्वारा चुने गए निवास स्थान तक अपने परिवार तथा वायुयान में अनुमत्य सामान सहित भारतीय वायुसेना के वायुयान में एक ओर का निःशुल्क हवाई यात्रा का लाभ उठाने का विकल्प होगा । व्यक्ति अपने जोखिम पर भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा यात्रा करेंगे और विमान में जाने से पूर्व चयन अध्यक्षता/क्षतिपूर्ति बंध–पत्र के सामान्य फार्म पर हस्ताक्षर करेंगे । सामान के परिवहन को छोड़कर जिसमें से भारतीय वायुसेना द्वारा ले जाई गई यात्रा घटा दी जाएगी, तीनों अध्यक्षों की सेवा निवृत्ति पर इन नियमों या किसी सरकारी आदेश के अंतर्गत अन्य सभी हकदारी अपरिवर्तित रहेंगी ।

(ख) अवैतनिक कमीशन धारक जूनियर कमीशन अफसर या उनके समतुल्य और साथ ही साथ अफसर रैंक के नीचे के कार्मिकों को, जिन्हें सेवा निवृत्ति विमुक्त/सेवा मुक्त होने के पूर्व दस्तावेजों के पूरा करने के संबंध में डिपो/रिकार्ड केन्द्र/भारतीय नौसेना पोत में भेजा जाता है, ऐसे स्थान तक की यात्रा के लिए स्थायी ड्यूटी के समान यात्रा–भत्ता दिया जाएगा । इस प्रकार के स्थानों पर अपने पड़ाव की अवधि में वे उन्हीं सुविधाओं के हकदार होंगे जो कि उन्हें अस्थायी ड्यूटी के दौरान स्वीकार्य होती है । अस्थायी ड्यूटी स्टेशन पर विराम के लिए दैनिक–भत्ता निम्नलिखित रूप में होगा :

(क)	यदि भोजन एवं निवास निःशुल्क प्रदान किया जाता है	नियम 114–ए में विहित दैनिक–भत्ते के 25% के बराबर धनराशि
(ख)	जब भोजन एवं निवास निःशुल्क प्रदान नहीं किया जाता है	नियम 114–ए में विहित दैनिक–भत्ते के 50% के बराबर धनराशि राशन की धनराशि

इन स्थानों से उनकी स्वयं की यात्रा और अंतिम ड्यूटी स्टेशन/चुने हुए निवास स्थान में अपने घर/चुने हुए निवास स्थान तक अपने परिवारों की यात्रा के लिए और निजी सामान, यात्रा दैनिक–भत्ता/स्थानांतरण अनुदान/नकद–भत्ता और गैर–सरकारी सवारी के परिवहन के संबंध में उसी रियायत के हकदार होंगे जैसे कि स्थायी ड्यूटी संचलन के समय होते हैं । स्थानांतरण अनुदान/ नकद–भत्ता अंतिम ड्यूटी स्टेशन से चुने हुए निवास स्थान/घर तक समस्त संचलन के संबंध में केवल एक बार स्वीकार्य होगा ।

टिप्पणी: गोरखा सैनिकों और नौसैनिकों के परिवारों के लिए अंतिम ड्यूटी स्टेशन से रेजीमेंट केन्द्र/डिपो से होते हुए नेपाल में उनके घर तक के लिए सवारी दी जाए और तब भी जब कि वे परिवार के मुखिया के साथ रेजीमेंट से होते हुए यात्रा कर रहे हों ।

200–ब. सेवा निवृत्ति पर उन सेना कार्मिकों के लिए यात्रा–भत्ता जो अंतिम ड्यूटी स्टेशन पर स्थायी रूप से बसना चाहते हों.

सेवा निवृत्ति पर अंतिम ड्यूटी स्टेशन पर स्थाई रूप से बसने की इच्छा प्रकट करने वाले सभी रैंक के सेवा कार्मिकों को नीचे बताए अनुसार यात्रा–भत्ता अनुमत्य होगा बशर्ते कि इसमें निवास स्थान में परिवर्तन अंतर्भावित हो :

(क) वाहन :

(i) स्वयं : स्वयं के लिए परिवहन की वास्तविक लागत किन्तु जो इस विनियमावली के नियम 61 के अधीन ग्राह्य सड़क–मील भत्ते से अधिक नहीं होगा ।

(ii) परिवार :परिवार इस विनियमावली के नियम 61 में निर्धारित दरों पर एक मील–भत्ता ~~यदि सेना कार्मिक के साथ जो सदस्य जा~~

रहे हों और एक और मील–भत्ता यदि उनके साथ से अधिक सदस्य जा रहे हों ।

(ख) व्यक्तिगत सामान : परिवहन की वास्तविक लागत जो इस विनियमावली के नियम 61–क के अधीन ग्राह्य धनराशि से अधिक नहीं होगी ।

(ग) वाहन का परिवहन : परिवहन निर्देशक द्वारा कार के लिए टैक्सी तथा स्कूटर/मोटर साईकिल के लिए ऑटोरिक्शा हेतु निर्धारित दर पर भत्ते की स्वीकार्यता होगी । जहां इस भत्ते का दावा किया जाता है, वहां सेना कार्मिकों को स्वयं के लिए कोई मील–भत्ता ग्राह्य नहीं होगा । यदि परिवार भी इस वाहन द्वारा यात्रा करता है तो वे भी मील–भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

(घ) सामासिक स्थानांतरण अनुदान : उन अधिकारियों को जो सेवा–निवृत्ति पर आखिरी ड्यूटी स्टेशन पर ही या 20 कि0 मी0 से कम की दूरी के भीतर व्यवस्थापित होने की इच्छा रखते हैं, उनको सी.टी.जी. ।सामासिक स्थानांतरण अनुदान। के एक–तिहाई का भुगतान किया जा सकता है, इस शर्त पर कि वास्तव में घर का बदला जाना अंतर्निहित है ।

टिप्पणी 1: इस आदेश के उद्देश्य के लिए "ड्यूटी का अंतिम स्टेशन" शब्दों से यह अर्थ लगाया जाना होगा कि नामित नगर पालिका आदि के संलग्न क्षेत्र के रूप में उपनगरीय नगर पालिकाओं आदि सूचित क्षेत्रों अथवा छावनियों समेत नगर पालिका अथवा नगर निगम के अधिकार क्षेत्रों में पड़ने वाला वह क्षेत्र जहां सेवा कार्मिक सेवा निवृत्ति से ठीक पहले तैनात था ।

टिप्पणी 2: इन विनियमों के नियम 200–अ में समाविष्ट, उपर दिए यात्रा–भत्ते की स्वीकार्यता, सेवा–निवृत्ति पर यात्रा–भत्ते को प्रदान करने की अन्य शर्तों पर भी होगी।

201. केन्द्रीय सरकार के अधीन पुनःनियोजित सैनिक कार्मिकों को यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते की रियायत.

कोई सेना अफसर/जूनियर कमीशन अफसर, अन्य रैंक/नौसैनिक/वायुसैनिक जो उस समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पुनःनियोजित किए जाते हैं, तो उसे नियम 200 के अधीन वह रियायत दी जा सकती है, जिसका लाभ उसके द्वारा पुनःनियोजित होने की अवधि की समाप्ति के एक वर्ष के अंदर उठाया जाता है ।

202. सेवा अफसरों द्वारा यात्रा–भत्ते का दावा प्रस्तुत करना.

सेवा अफसर और उनके परिवारों के यात्रा–भत्ते के दावे उसी तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे जैसे कि स्थायी ड्यूटी संचलन के मामले में किए जाते हैं । उन अफसरों के दावों पर जो स्वयं अपने नियंत्रक अफसर हैं, उनके आसन्न उच्चतर प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।

203. उन अधिवासी व्यक्तियों की हकदारी जो कि सेवा निवृत्ति के बाद स्थायी रूप से भारत से बाहर निवास करना चाहते हों.

ऐसे व्यक्तियों को, जो भारत से बाहर अन्यत्र किसी देश का वासी है या जो सेवा निवृत्ति के बाद भारत से बाहर स्थायी रूप से निवास करना चाहता हो, नियम 200–क के अधीन, यह रियायत स्वीकार्य होगी । यह रियायत उस व्यक्ति स्वयं और उसके परिवार के सदस्यों को आरोहण पत्तन के निकटतम रेलवे स्टेशन तक या हवाई अड्डे तक और असबाब के मामले में प्रेषण पत्तन तक दी जाएगी ।

204. सेवा निवृत्ति के समय का ग्रहणाधिकार.

सेवा निवृत्ति के समय की हकदारी का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा सेवा निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है । नियम 16 में दिए गए सवारी का ग्रहणाधिकार सेना कार्मिकों के संचलन पर लागू होगा । उनके परिवारों के सदस्यों व असबाब, सेना कार्मिक के जाने से पहले जा सकते हैं , दो माह से अधिक पहले नहीं या उसके जाने के एक साल के भीतर जा सकते हैं , दो माह के समय की गणना उस तारीख से होगी जब सेना कार्मिक अधिवर्षिता / सेवा–निवृत्त होता है, जबकि एक साल के समय की गणना उस तारीख से होगी जब व्यक्ति स्वयं प्रस्थान करता है । इस समय सीमा को परिशिष्ट XI में वर्णित सक्षम प्राधिकारी द्वारा, व्यक्तिगत मामलों में विशेष परिस्थितियों के कारण बढ़ाया भी जा सकता है।

205. रिक्त.

206. पुनःनियोजित/पुनःनामांकित सेवा से विमुक्त (रिलीज) होने पर यात्रा– भत्ता.

पुनःनियोजित सेवा से विमुक्त (रिलीज) होने पर पुनःनियोजित/पुनःनामांकित सेना कार्मिक, निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे ।

(क) सेवा–निवृत्त नियमित अफसरः पुनःनियोजित सेवा से रिलीज होने पर, अफसर और उनके परिवार भारत में निवास के चुने हुए स्थान तक अपने घर की दूरी के बराबर की दूरी के लिए मुफ्त परिवहन के हकदार होंगे।

निजी सामान का परिवहन, सी टी जी (सामासिक स्थानांतरण अनुदान) और वाहन के परिवहन के प्रभार को स्वीकार्यता नहीं दी जाएगी, अपवाद में 225 कि0 ग्रा0 असबाब जैसा कि प्रथम नियुक्ति में यात्रा के लिए होता है ।

टिप्पणीः यदि एक अधिकारी को पुनर्नियोजित किया जाता है उसकी सेवा–निवृत्ति की तारीख के 6 माह के भीतर और उसने नियम 200–अ के तहत सेवा–निवृत्ति पर मिलने वाले यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते को प्राप्त नहीं किया है, तो उसे सेवा–निवृत्ति पर यात्रा–भत्ते / दैनिक–भत्ते को उसके पुनर्नियोजन के एक साल की समाप्ति के भीतर लेने की अनुमति दी जा सकती है ।

(ख) अफसर रैंक से नीचे के सेना कार्मिक और उनके परिवार : पुनःनियोजन/पुनःनामांकन की अवधि के पूरा होने पर निवास के चुने हुए स्थान/उनके घर तक के संबंध में सवारी स्वीकार्य है ।

207–अ. सेवा–समाप्ति पर सेना परिचर्या सेवा के अफसरों को यात्रा–भत्ता.

सेवा समाप्त होने पर प्रत्येक परिचर्या अफसर का भारत में निवास के चुने हुए स्थान तक की यात्रा के लिए सवारी का प्रकार / श्रेणी का हकदार है । पर भारत में निवास के चुने हुए स्थान के लिए आई.ए. एफ.टी.–1733 पर माल गाड़ी 300 किलो ग्राम तक के निजी सामान के लिए भी भत्ता स्वीकार्य होगा ।

207–ब. सेवा–निवृत्ति पर एम.एन.एस. (सैनिक परिचर्या सेवा) अधिकारियों को यात्रा–भत्ता.

वाहन	जैसा स्थायी कार्यार्थ यात्राओं पर स्वीकार्य ।
सामासिक स्थानांतरण अनुदान (सी.टी.जी.)	–तदैव–
निजी सामान का परिवहन	–तदैव–
निजी वाहन का परिवहन	–तदैव–

टिप्पणी 1: कोई दैनिक–भत्ता, यात्रा में बिताए समय पर स्वीकार नहीं है ।

टिप्पणी 2: एम.एन.एस (सैनिक परिचर्या सेवा) (स्थानीय) अधिकारियों को सेवा–निवृत्ति पर यात्रा–भत्ते की हकदारी प्राप्त नहीं है ।

208. सेवा निवृत्ति होने पर सिविलियनों को यात्रा–भत्ता.

(1) रक्षा सिविलियनों को, जो सेवा–निवृत्ति पेंशन पर या अधिवर्षिता पर या अशक्तता या क्षतिपूर्ति पर या अंशदायी भविष्य निधि लाभ पर सेवा–निवृत्त हो रहे हों, को यात्रा–भत्ता दिया जाएगा , अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अंतिम ड्यूटी स्टेशन से गृह नगर या उस स्थान के लिए, जहां वे और उनका परिवार स्थायी रूप से व्यवस्थापित होते हैं, जबकि वह घोषित गृह–नगर से अन्यथा भी हो ।

उपर दिए हुए के अतिरिक्त, इन विनियमों के नियम 76 के खंड 'ग' में निर्धारित मान व दर के समान ही उनको सी टी जी (सामासिक स्थानांतरण अनुदान) और निजी सामान के ढुलाई की हकदारियां भी प्राप्त होंगी । वाहन के परिवहन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति आखिरी ड्यूटी स्टेशन से गृह–नगर या उस स्थान तक के लिए जहां वे और उनका परिवार स्थायी रूप से व्यवस्थापित होते हैं, जबकि वह घोषित गृह–नगर से अन्यथा भी हो, स्वीकार्य है।

सिविलियनों के संदर्भ में, जो सेवा–निवृत्ति पर आखिरी ड्यूटी स्टेशन पर ही या 20 कि0 मी0 से कम की दूरी पर व्यवस्थापित होते जाते हैं, को सामासिक स्थानांतरण अनुदान के एक–तिहाई का भुगतान किया जा सकता है, इस शर्त पर कि, घर को बदला जाना वास्तव में अंतर्निहित है।

(2) इस रियायत का लाभ इसके हकदार सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा निवृत्ति या स्वीकृत छुट्टी के दौरान या सेवा निवृत्ति की तारीख के एक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय उठाया जा सकता है । सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी के जाने के एक वर्ष के भीतर या उसके जाने के अधिक–से–अधिक दो महीने पहले चला जाता है, इसको उस कर्मचारी के साथ गया हुआ समझा जाएगा । दो महीनें की समयावधि की गणना उस तारीख से होगी जिससे सेना कार्मिक अधिवर्षिता/सेवा–निवृत्त हुआ जबकि एक वर्ष की समयावधि की गणना उस तारीख से होगी जिससे व्यक्ति स्वयं प्रस्थान करता है।

परिवार के सदस्यों के संचलन के लिए उपर उल्लिखित समय सीमा उनके निजी सामान और गैर–सरकारी सवारी के मामले में भी लागू होगी। लेकिन ये सीमाएं नियम 2 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अलग–अलग मामलों में विशेष परिस्थितियों के कारण बढ़ाई भी जा सकती हैं।

(3) इस नियम के अधीन यह भी रियायत ग्राह्य होगी:

(i) स्थायीवत् कर्मचारियों ; और

(ii) अस्थायी कर्मचारियों को भी दी जाएगी, जो अधिक वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होते हैं या जो अशक्तता के कारण सेवा से हटा दिए जाते हैं या जिनकी बिना वैकल्पिक नियोजन दिए सेवा से छंटनी कर दी जाती है, परन्तु शर्त यह है कि सेवा निवृत्त/अशक्तता/छटनी के समय उन्होंने केन्द्रीय सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की कुल सेवा की हो ।

(4) ऐसे व्यक्ति को जो भारत से भिन्न किसी देश का अधिवासी हो या जो सेवा निवृत्ति के बाद स्थायी रूप से भारत से बाहर बसना चाहता हो, यह रियायत आरोहण पत्तन के निकटतम रेलवे स्टेशन तक के लिए स्वीकार्य होगी। हवाई यात्रा करने वाले व्यक्तियों के मामले में इस नियम के अधीन रेल/सड़क द्वारा यात्रा–भत्ते

की यह रियायत व्यक्ति और उसके परिवार के लिए, जहाज पर चढ़ने के हवाई पत्तन तक उनके निजी सामान के मामले में प्रेषण तक के लिए स्वीकार्य होगी ।

(5) जहां कोई व्यक्ति सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर रहते या अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख के एक वर्ष के अंदर केन्द्रीय सरकार के अधीन पुनःनियोजित किया जाता है, तो उसे पुनःनियोजन की समाप्ति के एक वर्ष के अन्तर्गत इस नियम के अधीन स्वीकार्य रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है ।

(6) एक सरकारी कर्मचारी को सेवा–निवृत्ति पर पूर्ण रूप में, यात्रा–भत्ता रियायत की पात्रता है, इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने गृह–नगर का या भारत में किसी भी जगह के लिए, छुट्टी यात्रा रियायत ।एल टी सी।, सेवा–निवृत्ति की तारीख के एक साल के भीतर के पहले या सेवा–निवृत्ति पूर्व छुट्टी के प्रारंभ या सेवा–निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान, छुट्टी या सेवांत छुट्टी को मना किया गया हो, प्राप्त किया है ।

(7) स्वीकार्य यात्रा–भत्ते के दावे को उसी प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे कि स्थानांतरण यात्रा–भत्ते के दावे को प्रस्तुत किया जाता है । इसे विधिवत् पूरा भरा जाएगा और उसके साथ वही प्रमाण–पत्र लगाने होंगे, जो स्थानांतरण यात्रा–भत्ते के दावे के संबंध में अपेक्षित होते हैं, लेकिन उन अफसरों के दावों पर उनके आसन्न उच्चतर प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे, जो अफसर सेवा निवृत्ति से पूर्व स्वयं अपने नियंत्रण अफसर रहे हों ।

(8) इस नियम के उपबंध उन औद्योगिक कार्मिकों पर भी लागू होंगे, जिनका भुगतान रक्षा सेवा प्राक्कलन से किया जाएगा ।

(9) यह नियम निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगाः

(क) संविदा के आधार पर काम में लगाए गए सिविलियन और वे व्यक्ति, जो सरकार की सेवा में पूर्ण–कालीन आधार पर नहीं हैं ।

(ख) सिविलियन, जिनका भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है।

(ग) जो सेवा निवृत्ति पर यात्रा रियायत के किसी अन्य तरीके के हकदार हैं ।

(घ) जो त्याग–पत्र देकर सेवा छोड़ देते हैं या जिनको पदच्युत किया जाता है या जिनको सेवा से हटा दिया जाता है। और

(ङ) दण्ड के रूप में जिन्हे अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किया जाता है ।

209. पदच्युत या सेवा से हटाए जाने पर सेना अफसरों को सवारी–भत्ता.

(i) जब थल सेनाध्यक्ष/नौसेना अध्यक्ष/ वायु सेनाध्यक्ष को यह पूर्ण निश्चय हो जाता है कि पदच्युत या सेवा से हटाया गया अफसर अथवा जिसे सेवा से हटाए जाने की स्थिति से बचने के लिए त्याग–पत्र देने या सेवा निवृत्त होने की अनुमति दी जाती, वह अपनी और या अपने परिवार की सवारी के लिए भुगतान करने में असमर्थ है तो वह अपने विवेक पर व्यक्ति के घर के निकटतम रेलवे स्टेशन तक के लिए निःशुल्क सवारी को प्राधिकृत कर सकता है। असबाब की यात्रा केवल उतनी ही होनी चाहिए, जितनी रेल द्वारा निःशुल्क ले जाई जा सके ।

(ii) रेल की उसी श्रेणी का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसके संबंध में प्रत्येक मामले में थल सेनाध्यक्ष/नौसेना अध्यक्ष/वायु सेना अध्यक्ष द्वारा आदेश दिए जाएं ।

टिप्पणीः इस नियम के अधीन थल सेनाध्यक्ष/नौसेना अध्यक्ष/वायु सेनाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों को निम्नलिखित अफसरों को प्रत्यायोजित किया जाता हैः

(क) थलसेना अफसरों के लिएः जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ, कमान।

(ख) वायु सेना अफसरों के लिए :

(i) वायुसेना मुख्यालय का वायु अफसर प्रशासन।

(ii) अपनी–अपनी कमानों के वायु अफसर कमांडिंग–इन–चीफ ।

(ग) नौसेना अफसरों के लिए :

(i) नौसेना मुख्यालय में कार्मिक अध्यक्ष।

(ii) फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन– चीफ, नौसेना कमान ।

(iii) फ्लैग अफसर कमांडिंग, बेड़े/ क्षेत्र।

शक्तियां वैयक्तिक हैं और इनको और आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाना चाहिए ।

210. सेवा से पदच्युत किए जाने पर अफसर रैंक से नीचे के सेना कार्मिकों को सवारी–भत्ता.

यदि किसी सैनिक/नौसैनिक/वायु सैनिक को उस समय सेवा से पदच्युत किया जाता है, जब वह उस राज्य से बाहर हो, जहां उसे भर्ती किया गया था, तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति के घर के निकटतम रेलवे स्टेशन तक की सवारी स्वीकार्य होती है । पदच्युत किए जाने पर ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को समुद्री यात्रा के प्रत्येक हिस्से के लिए सवारी–भत्ता दिया जाएगा, बशर्ते वह भारत के अधिवासी हों और उन्होंने उस स्टेशन तक सरकारी व्यय पर सवारी की हो, जहां परिवार का मुखिया सेवा में था । यह उपबंध (बॉयज) पर लागू नहीं होगा।

211. कृत्रिम अंग और साधित्रों की पूर्ति आदि के लिए अस्पताल की यात्रा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को सवारी–भत्ता.

(i) पदच्युत सेना का कार्मिक अपने घर के निकटतम सेना अस्पताल के अफसर कमांडिंग के प्राधिकार पर रेल या सड़क द्वारा वारंट पर

सवारी के हकदार होंगे । पहले यह सवारी उनके घर से उस सेना अस्पताल तक के लिए दी जाती है जहां ये स्वयं पहले रिपोर्ट करते हैं और उसके पश्चात अंग केन्द्र, पूना या अन्य स्टेशन जहां उन्हें बाद में उपचार के लिए भेजा जा सकता है, तक के लिए दी जाती है । यह सवारी कृत्रिम अंग और अन्य उपकरणों की पूर्ति, मरम्मत और नवीकरण और आगे की शल्य चिकित्सा के संबंध में की गई वापसी यात्रा के लिए भी दी जाती है ।

(ii) जब परिचरों को भेजना आवश्यक समझा जाता है तो उनको बहिर और वापसी यात्रा के लिए वारंट दिए जाएंगे।

(iii) रेल की श्रेणी और प्रकार ।सोने और बैठने की जगह। और यात्री गाड़ी या डाक गाड़ी का निर्णय सशस्त्र सेना अस्पताल के अफसर कमांडिंग, जिससे डिपो/केन्द्र/यूनिट चिकित्सा के मामले में संबद्ध है, उनके घर के निकटतम सशस्त्र सेना चिकित्सा अस्पताल के अफसर कमांडिंग/ पोत/स्थापना (नौसैनिकों के मामले में) के प्रधान चिकित्सा अफसर/वरिष्ठ चिकित्सा अफसर/सशस्त्र सेना कृत्रिम अंग केन्द्र, पूना के अफसर कमांडिंग के विवेक पर दिया जाएगा। रेल गाड़ी की श्रेणी का निर्धारण करने में उस रेल विशेष में प्रचलित स्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें अंग–भंग (व्यक्ति) को यात्रा करनी है । इन शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा और हमेशा इनका प्रयोग यात्रा करने से पूर्व किया जाएगा। कार्योत्तर प्राधिकार स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) जहां सड़क यात्रा के लिए वारंट जारी नहीं किए जा सकते हैं, वहां सेवा मुक्त सेना कार्मिकों को 6 पैसे प्रति कि0 मी0 का भत्ता दिया जाए । लेकिन उन सेवा मुक्त गोरखाओं को जो पैदल चलने में असमर्थ हो, नेपाल में की जाने वाली यात्राओं के लिए निर्धारित दर पर मील–भत्ता दिया जाएगा ।

(v) यदि किसी सेवा मुक्त कमीशन अफसर के लिए यह आवश्यक हो कि वह अपने घर से कृत्रिम अंग केन्द्र, पूना या भारत में किसी अन्य स्टेशन तक कृत्रिम अंग या उपकरण की मरम्मत करवाने या हटवाने के लिए जाए तो उसके वास्तविक यात्रा व्यय को स्वीकार किया जाए परन्तु शर्त यह है कि उसके घर के निकटतम सेना अस्पताल का अफसर कमांडिंग यह प्रमाणित करे कि इस स्टेशन की यात्रा उस कार्य को समुचित रूप से किए जाने के लिए आवश्यक थी ।

212. चिकित्सा बोर्ड के दस्तावेजों के उपलब्ध न होने पर या खो जाने पर अशक्तता पेंशन के दावों को निपटान करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को सवारी–भत्ता.

प्रत्येक सैनिक/नौसैनिक/वायु सैनिक या अयोधी (नामांकित) जो अशक्य होने के बाद सेना के योग्य नहीं पाया गया हो और जिसके पूर्ववर्ती चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही उपलब्ध नहीं होती है, और इस कारण जिसको पुनः जांच की तारीख को प्रवर्तमान अशक्तता के निर्धारण की संभाव्य मात्रा, जो अशक्तता की तारीख को प्रवर्तमान रहे हों, नियम 155 के अधीन स्वीकार्य सीमा तक अपने घर से चिकित्सा बोर्ड, स्टेशन और वापसी यात्रा के संबंध में निःशुल्क सवारी के हकदार होंगे ।

213. सतत उपस्थिति–भत्ते के लिए अपनी पात्रता के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के संबंध में चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख बुलाए गए भूतपूर्व सैनिकों को सवारी–भत्ता.

सतत उपस्थिति के लिए अपनी पात्रता के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के संबंध में चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख बुलाए गए भूतपूर्व सैनिक निःशुल्क सवारी–भत्ते के हकदार होंगे। यह सवारी उनके निवास स्थान से उस स्टेशन और वापसी यात्रा के लिए दी जाएगी, जहां चिकित्सा बोर्ड का आयोजन किया जाता है । यह सवारी उस श्रेणी में दी जाती है जिसके वे उस समय हकदार थे जब वे सेवा में हो ।

214. सेवा के कारण पैदा हुई या बढ़ी हुई समझी गई अशक्तताओं के उपचार के लिए सेना अस्पताल में दाखिल भूतपूर्व सैनिकों को सवारी–भत्ता.

अशक्त भूतपूर्व सैनिक, जिनको सेवा के कारण पैदा हुई या बढ़ी हुई समझी गई अशक्तता के उपचार के लिए सेना अस्पताल में दाखिल किया जाता है और जिनको अशक्तता पेंशन मिलती हो, अपने घर से निकटतम सेना अस्पताल और उस अस्पताल से अपने घर तक निःशुल्क सवारी के हकदार होंगें । निःशुल्क सवारी उस समय भी स्वीकार्य होगी, जबकि चिकित्सा उपचार को जारी रखने के लिए एक सेना अस्पताल से दूसरे सेना अस्पताल में स्थानांतरण किया जाता है । रेल द्वारा की जाने वाली यात्रा के संबंध में हुएं समुचित श्रेणी का रेल वारंट जारी किया जाएगा, जिसके वे सेना में रहते हुए अपने रैंक के अनुसार हकदार थे । यह वारंट उस सेना अस्पताल के अफसर कमांडिंग द्वारा जारी किया जाएगा, जहां से उनका स्थानांतरण किया जाता है ।

सेवा मुक्त होने से पूर्व के रैंक के अनुसार सवारी की लागत अस्पताल में पहुंचने के बाद और वहां से प्रस्थान करते समय, अस्पताल के अफसर कमांडिंग द्वारा अदा की जाएगी ।

टिप्पणीः उपर्युक्त रियायतें भूतपूर्व रियायती फौजों के कार्मिकों को भी दी जाएंगी परन्तु शर्त यह है कि वे भारत सरकार की सेवा में रहते हुए पैदा हुई समझी गई उस अशक्तता के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किए गए हों जिसके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन से अशक्तता पेंशन अदा की जाती है ।

215. अशक्त सैनिक कार्मिकों के परिचरों को सवारी–भत्ता.

(i) अशक्तता पेंशन भोगी जिन्हें अस्थायी पेंशन को जारी रखने के प्रयोजन के लिए बोर्ड में पुनः उपस्थित होना होता है, लेकिन जिसके संबंध में यह दावा किया जाता है कि वह अत्यंत बीमार होने के कारण निकटतम सेना अस्पताल में नहीं आ सकता है, उसे अपने दावे के समर्थन में पंजीकृत चिकित्सा या सिविल चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । जो व्यक्ति ऐसे प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे उनके मामलों पर नीचे (क) से (ग) तक के विकल्पों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी:

(क) यदि अशक्त पेंशन भोगी की स्थिति ऐसी हो कि उसके घर से निकटतम अस्पताल तक की यात्रा करने पर उसकी अशक्तता बढ़ सकती हो या उसका जीवन संकट में पड़ सकता हो तो सेना अस्पताल के मामले में संबंधित एरिया के सहायक निदेशक चिकित्सा सेवा और नौसेना/ वायुसेना अस्पताल के मामले में वरिष्ठ प्रशासन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से पेंशन भोगी के निवास स्थान पर पेंशन भोगी की स्वास्थ्य परीक्षा करने के लिए अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा एक चिकित्सा अधिकारी भेजा जाएगा।

(ख) जहां अशक्त पेंशन भोगी की स्थिति ऐसी हो कि वह यात्रा कर सकता है लेकिन यात्रा के दौरान उसे एक चिकित्सा परिचर की सतत उपस्थिति आवश्यक हो तो संबंधित अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा परिचर भेजा जाएगा। इस प्रकार के मामलों में भी सेना अस्पताल के मामले से संबंधित एरिया सहायक निदेशक, चिकित्सा सेवा और नौसेना/वायुसेना अस्पताल के मामले में वरिष्ठ प्राधिकारी की अनुमति ली जाएगी।

(ग) ऐसे मामले में जहां कोई अशक्त पेंशन भोगी यात्रा कर सकता हो परंतु वह गैर–चिकित्सा अनुरक्षी की सतत उपस्थिति चाहता हो तो संबंधित अस्पताल के कमांडिंग अफसर द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारियों के परामर्श से पेंशन भोगी को अस्पताल में लाने के लिए निकटतम सेना/वायु सेना यूनिट/नौसेना यूनिट/नौसेना स्थापना से एक अनुरक्षी भेजने की व्यवस्था की जाएगी। निकटतम सड़क रेल पर्यन्त ऐम्बुलेंस कार द्वारा पेंशन भोगी के परिवहन की व्यवस्था सेना अस्पताल के कमान अफसर द्वारा की जाएगी ।

(ii) जब कोई अशक्त पेंशन भोगी, जिसे पुनः सर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है, इतना बीमार हो कि अकेले यात्रा नहीं कर सकता हो और अपनी इच्छा से गैर–सरकारी अनुरक्षी की सहायता से सेना अस्पताल में बोर्ड के सम्मुख उपस्थित हुआ हो तो गैर–सरकारी अनुरक्षी को यात्रा के संबंध में अधिकतम उस श्रेणी के लिए अदा किए गए वास्तविक भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका पेंशन भोगी स्वयं भी हकदार है, परन्तु शर्त यह है कि चिकित्सा बोर्ड इस प्रकार के अनुरक्षी की आवश्यकता को प्रमाणित करे ।

(iii) जहां उपर खण्ड (i) और (ii) में उल्लिखित तरीकों में से किसी को भी किसी कारण अपनाया नहीं जा सकता हो, वहां ऐसे मामलों को आवश्यक अनुदेशों के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजें ।

216. सेना अफसरों, जिनमें सेवा के दौरान मरे सेना परिचर्या सेवा के वे अफसर भी शामिल हैं, के परिवारों की यात्रा–भत्ते की हकदारी.

शांति या फील्ड स्टेशन में मारे गए अफसरों के परिवार, जिनमें सेना परिचर्या सेवा के अफसरों और युद्ध में मारे गए अफसरों के परिवार भी शामिल हैं, निम्नलिखित के हकदार होंगे :

(i) (क) परिवार की सवारी, निजी सामान का परिवहन, वाहन का परिवहन और सी टी जी (सामासिक स्थानांतरण अनुदान) की स्वीकार्यता होगी, जैसा स्थायी कार्यार्थ में होती है।

(ख) यदि अफसर का परिवार सामान्य आवास स्थान में स्थायी निवास स्थान से भिन्न स्थान पर स्थायी रूप से बसना चाहता हो तो इन्हें अंतिम मुख्यालय से ऐसे चुने हुए स्थान तक न्यूनतम मार्ग द्वारा यात्रा व्यय दिया जा सकता है।

यदि परिवार का कोई सदस्य मृत अफसर के अंतिम मुख्यालय से भिन्न स्थान से चुने हुए आवास स्थान के लिए प्रस्थान करता हो या अंतिम मुख्यालय से चुने हुए आवास स्थान से भिन्न स्थान के लिए प्रस्थान करता हो तो दावा किया गया यात्रा व्यय इस राशि तक सीमित कर दिया जाएगा जो यदि वह सदस्य, अफसर के मुख्यालय से चुने हुए आवास स्थान के लिए यात्रा करता तो, जो कुछ उसे ग्राह्य हुआ होता।

(ii) जिस अफसर का परिवार नहीं हो, उसके मामले में फिलहाल हकदारी के असबाब को वारंट पर निकटतम संबंधी के स्थायी निवास या किसी

अन्य स्टेशन, जहां निकटतम संबंधी निवास कर रहा हो, सवारी दी जा सकती है बशर्ते कि इससे राज्य का कोई अतिरिक्त व्यय न हो, किसी अफसर के परिवार और असबाब की सवारी के लिए ग्रहणाधिकार अवधि अफसर की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष तक होगी ।

(iii) अनुदेश को पाठ योजना पर होने के कारण अपने मुआयना स्टेशन से अनुपस्थित रहने के समय या अन्य ड्यूटी सौंपे जाने पर अपने यूनिट या स्थापना से अलग रहने के समय किसी अफसर की मृत्यु होने के मामले में उपर (i) में दिए अनुसार असबाब का परिवहन स्वीकार्य होता है । इस प्रकार के मामलों में अस्थायी ड्यूटी स्टेशन और स्थायी मुख्यालय स्टेशन से ले जाए गए सामान की कुल मात्रा अफसर की हकदारी की उस मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे स्थायी ड्यूटी के मामले में होती है।

(iv) पुनःनियोजित सेवा के दौरान पुनःनियोजित अफसर की मृत्यु पर उसका परिवार, नियम 64 के अनुसार भारत में चुने हुए स्थान तक के लिए अपने घर की दूरी के बराबर की दूरी के लिए, सवारी यात्रा के लिए दैनिक–भत्ते और सामान के परिवहन प्रभार का हकदार होगा ।

(v) मृत रक्षा सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को परंपरागत सामाजिक संस्कार करने के लिए, यात्रा–भत्ता (बिना विराम–भत्ता और प्रासंगिक) को अतिशीघ्र तरीके से, जिसमें शामिल है जाने और वापसी आने की हवाई यात्रा के लिए, की स्वीकार्यता होगी।

217. अफसर रैंक से नीचे के सैनिक कार्मिकों को जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुई, के परिवारों की यात्रा–भत्ते की हकदारी.

(क) जिस यूनिट/फार्मेशन/स्थापना के कार्मिकों के लिए फील्ड सेवा रियायत स्वीकार्य नहीं होती है, उसकी सेवा में रहते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर नीचे दिए अनुसार सवारी और असबाब का परिवहन उस स्थिति में स्वीकार्य होगा जब परिवार का मुखिया प्राधिकृत रूप से वैवाहिक स्थापना में दर्ज रहा हो।

(i) परिवार को अपने मुखिया के अंतिम ड्यूटी स्टेशन से निवास के चुने हुए स्थान के लिए वारंट पर सवारी ।

(ii) वारंट पर असबाब को ले जाने के लिए, नियम 70 में निर्धारित मापकम पर, आखिरी ड्यूटी स्टेशन से उनके घरों/विधवा के अभिप्रेत रहने की जगह भारत में या किसी अन्य स्टेशन तक, जहां विधवा रह रही हो इस समय पर, बशर्ते राज्य को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ा है ।

(iii) सामासिक स्थानांतरण अनुदान और निजी वाहन का परिवहन जैसा स्थायी कार्यार्थ पर होता है ।

(iv) यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब अनुदेशीय पाठ्यकम या अन्य ड्यूटी पर सामान का परिवहन जैसा उपर (i) में है , की स्वीकार्यता होगी। ऐसे मामलों में अस्थायी और स्थायी ड्यूटी स्टेशन से सूचित की गई सामान की कुल मात्रा को सामान के हकदार मान से अधिक नहीं होना चाहिए।

(v) मृत रक्षा सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को परंपरागत सामाजिक संस्कार करने के लिए, यात्रा–भत्ता (बिना विराम–भत्ता और प्रासंगिक) को अतिशीघ्र तरीके से, जिसमें शामिल है जाने और वापसी आने की हवाई यात्रा के लिए, की स्वीकार्यता होगी ।

(ख) जिस यूनिट/फार्मेशन/स्थापना के कार्मिकों को फील्ड सेवा रियायत स्वीकार्य होती है, उसकी सेवा में रहते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर या युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर, परिवार के लिए सवारी और सामान उस स्थिति में नीचे दिए अनुसार स्वीकार्य होगा, जब पुराने शांति ड्यूटी स्टेशन पर परिवार का मुखिया प्राधिकृत वैवाहिक स्थापना में दर्ज रहा हो :

(i) पुराने शांति ड्यूटी स्टेशन/जहाज के अड्डे/निवास के चुने हुए स्थान/अपने घर/ परिवार के अलग निवास से भारत के अंतर्गत चुने हुए स्थान तक के लिए परिवार को वारंट पर सवारी ।

(ii) परिवार के मुखिया द्वारा अंतिम ड्यूटी स्टेशन पर छोड़े गए और पुराने शांति ड्यूटी स्टेशन/निवास के चुने हुए स्थान/अपने घर/परिवार के अलग निवास पर छोड़े गए असबाब का भारत में अपनी इच्छा के स्थान तक वारंट पर परिवहन ले जाए गए असबाब की कुल मात्रा नियम 70 के अधीन हकदारी की मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(iii) ऐसे मामलों में, जहां वह व्यक्ति पुराने शांति ड्यूटी स्टेशन पर प्राधिकृत रूप से विवाहित स्थापना में दर्ज नहीं था, तो उसके द्वारा अंतिम ड्यूटी स्टेशन और/या निवास के चुने हुए स्थान/अपने घर पर

छोड़े गए सामान को उपर खंड (क) के उल्लिखित वारंट पर निकटतम संबंधी के पास भेज दिया जाएगा ।

(iv) सामासिक स्थानांतरण अनुदान और निजी वाहन का परिवहन जैसा स्थायी कार्यार्थ पर होता है ।

(ग) उन अफसर रैंक से निम्न सेना कार्मिकों, जिनकी मृत्यु पुनर्नियोजन/ पुनर्नामांकित के दौरान होती है, उनके परिवारों को घर तक सीमित उनके निवास के चुने हुए स्थान तक के लिए सवारी का हक होगा ।

टिप्पणी 1: सेवा के दौरान मरे किसी व्यक्ति के परिवार और असबाब परिवहन के ग्रहणाधिकार अवधि उस व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष तक होगी।

टिप्पणी 2: यदि परिवार का कोई सदस्य मृत सेवा कार्मिक के मुख्यालय से भिन्न स्थान से चुने हुए निवास स्थान के लिए प्रस्थान करता हो या अंतिम मुख्यालय से चुने हुए निवास स्थान से भिन्न स्थान के लिए प्रस्थान करता हो तो दावा किया गया यात्रा व्यय उस राशि तक सीमित कर दिया जाएगा जो यदि वह सदस्य सेना कार्मिक के मुख्यालय से चुने हुए निवास स्थान के लिए यात्रा करता तो जो कुछ उसे ग्राह्य हुआ होता।

217–अ. भारत और विदेश में सरहद / नियंत्रण रेखा (एल.सी.) / प्रति–क्रांतिकारी हमला (सी.आई) में वीरगति को प्राप्त रक्षा सेवा कार्मिकों

(क) मृत शरीरों का परिरक्षण

मृत शरीर का लेपन कर कफन पेटी में रखा जाएगा परिवहन के प्रयोजन से । लेपन की लागत को वास्तविक व्यय तक सीमित किया जाएगा जैसा सरकारी अस्पताल द्वारा प्रभार लिया जाता है और उस कफन पेटी का कम से कमतर, मितोपभोग मानक के आधार पर लिया जाएगा ।

(ख) मृत शरीरों का परिवहन

मृत शरीर को उपलब्ध तेज रफ्तार प्रकार द्वारा, केवल एक व्यक्ति के साथ, जो चाहे परिवार का एक सदस्य हो या परिवार द्वारा नामित व्यक्ति या घटना स्थल से एक यूनिट का प्रतिनिधि, जैसा भी प्रकरण हो, उसके गृह–नगर या एस.पी.आर. या अंतिम संस्कार के स्थान तक ले जाया जाएगा । उस मामले में जहां मृत्यु अगम्य क्षेत्रों में हुई जहां यात्रा समय 12 घंटे से अधिक आपेक्षित है, तब शरीर को सेना हेलिकॉप्टर द्वारा निष्क्रमित कर निकटतम अस्पताल तक लेपन के प्रयोजन हेतु ले जाया जाएगा और तत्पश्चात् शीघ्रतम प्रकार द्वारा निकटतम हवाई अड्डा / हवाई क्षेत्र को परिवहन होगा जहां से शरीर को व्यावसायिक उड़ानों/वार्ताहर उड़ानों द्वारा गृह–नगर / एस.पी.आर. / अंतिम संस्कार के स्थान तक ले जाया जाएगा । जहां हवाई परिवहन गृह–नगर/ एस.पी.आर. / अंतिम संस्कार के स्थान तक संभव नहीं है, शरीर को निकटतम हवाई अड्डा/ हवाई क्षेत्र तक ले जाया जाएगा और तत्पश्चात् रेल/ सड़क/स्टीमर द्वारा और सम्पूर्ण परिवहन की लागत को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) परिचर की यात्रा–भत्ते की हकदारियां

यात्रा–भत्ता (बिना विराम–भत्ते और प्रासंगिकों) की स्वीकार्यता होगी, परिवार के एक सदस्य / परिवार द्वारा नामित व्यक्ति, हवाई / स्टीमर / रेल /सड़क द्वारा यात्रा के निष्पादन के लिए मृत्यु स्थान तक पहुंचने के लिए / नामोछ्दिष्ट स्थान के लिए, जिससे वह मृतक के मृत शरीर के साथ जा सके । इसे इन नियमों के अधीन, अफसर की मृत्यु या गुजर जाने के बाद, उपलब्ध मृतक के परिवारों के सदस्यों की हकदारियों के बदलें में समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे परिवार के एक सदस्य / परिवार द्वारा नामित व्यक्ति को (बिना विराम–भत्ता और प्रासंगिकों) हवाई / रेल / स्टीमर / सड़क द्वारा यात्रा के लिए जहां से वह ऐसी यात्रा शुरू करता है, मृत्यु के स्थान तक, की भी हकदारी होगी ।

संबंधित यूनिट / विरचना का कमांडिंग अफसर लेपन, कफन पेटी और मृत शरीर के परिवहन एक परिचर के साथ, की कुल लागत को, कमशः यूनिट/विरचना द्वारा धारित आई. एवं एम. अनुदान से संस्वीकृत करने को सशक्त होगा ।

218. सिविलियन सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो, के परिवारों को यात्रा–भत्ते की हकदारी.

(क) सेवा के दौरान मरे सिविलियनों के परिवार के सदस्य, सिविलियन के अंतिम स्थायी ड्यूटी स्टेशन से उसके सामान्य निवास स्थान तक/उस स्थान तक जहां परिवार स्थायी रूप से बस जाना चाहता हो, न्यूनतम मार्ग द्वारा यात्रा व्यय के लिए हकदार होंगे बशर्ते यात्रा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाती है ।

(ख) (i) किराए की हकदारी के अतिरिक्त, परिवार को निजी सामान के परिवहन, सी टी जी (सामासिक स्थानांतरण अनुदान) , निजी वाहन के परिवहन की भी हकदारी होगी, जैसा स्थायी कार्यार्थ पर स्वीकार्य है ।

(ii) सेवा के दौरान मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को मूल निवास स्थान अथवा चुने हुए निवास स्थान तक जो कि मूल स्थान तक व्यय से सीमित किया जाएगा, सवारी के परिवहन के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति स्थानांतरण के समय स्वीकार्य होगी बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी के लिए उसके अंतिम सेवा स्थान पर सवारी का रखना लोकहित में अपेक्षित रहा हो ।

(ग) यदि परिवार को कोई सदस्य मृत सिविलियन के मुख्यालय से भिन्न स्थान से चुने हुए निवास स्थान के लिए प्रस्थान करता हो या अंतिम मुख्यालय से चुने हुए निवास स्थान से भिन्न स्थान के लिए प्रस्थान करता हो तो, दावा किया गया यात्रा व्यय उस राशि तक सीमित किया जाएगा जो यदि वह सदस्य सिविलियन के मुख्यालय से चुने हुए निवास स्थान के लिए यात्रा करता तो जो कुछ उसे ग्राह्य हुआ होता।

(घ) रक्षा सिविलियन और उनके परिवार के सदस्यों को (जो आश्रित हैं और सरकारी कर्मचारी के साथ रह रह हैं) थलसेना / नौसेना के तहत विभिन्न एककों / स्थापनाओं और उनकी संबद्ध स्थापनाओं में कार्यरत हैं, मृत शवों को ले जाने के लिए, सिविल / सैनिक अस्पताल/ पुलिस मुर्दाघर से कार्य के स्थान तक / घर/ शवदाह घाट / कब्रिस्तान ।जो घर के समीप हो। जब कभी आवश्यक हो, निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी ।

टिप्पणी 1: इस नियम के उपबंध औद्योगिक कार्मिकों पर भी लागू होंगे । लेकिन वे किसी अन्य नियम या आदेश के अधीन इसी प्रकार की यात्रा रियायत के हकदार नहीं होंगे ।

टिप्पणी 2: उपर्युक्त नियम निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे :

(i) संविदा के आधार पर काम पर लगे सिविलियन और वे व्यक्ति जो सरकार अधीन पूर्णकालिक नियोजन में न हों ।

(ii) वे सिविलियन जिनका भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है ।

(iii) सेवा निवृत्त सिविलियन, जिन्हें पुनःनियोजित किया जाता है ।

(ङ) उपर खंड (ख) और (ग) के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को स्वीकार्य यात्रा–भत्ते की धनराशि नीचे दी गई पूर्वत्ता–कम में दी जाएगी :

(i) यदि मृतक सरकारी कर्मचारी पुरूष हो तो उसकी जीवित विधवा या एक से अधिक जीवित विधवा हो तो उनमें से सबसे बड़ी विधवा । अवयस्क न होने पर या यदि मृतक महिला अफसर थी, तो उसका पति ।

(ii) मृतक सरकारी कर्मचारी की सबसे बड़ी जीवित (आश्रित) संतान परंतु यह तब जबकि वह वयस्क हो गयी हो ।

(iii) कार्यालय अध्यक्ष की राय में ऐसा कोई भी व्यक्ति, अव्यस्क के पक्ष में जिसने बाद में किए गए किसी दावे के संबंध में सरकार को क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हुए ऐसा बंध–पत्र भरा हो, जिसमें दो जमानतियों के विधिवत् हस्ताक्षर हों, भुगतान करने के योग्य हैं । परंतु इस प्रकार के बंध–पत्र की उस समय कोई आवश्यकता नहीं होगी जबकि वैध संरक्षक को भुगतान किया जा रहा हो।

मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति को की गई अदायगियों के मामले में उनका समर्थन ऐसे बंध–पत्र द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे कि परिशिष्ट VIII में दिया गया है । इस बंध–पत्र को भरने पर उस कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए या जाना चाहिए, जिसके अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी अंतिम समय काम कर रहा था । इस बंध–पत्र को भरने पर उन दो जमानतियों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए, जो स्थायी सरकारी कर्मचारी हो, और जिनका पद (स्थायी या स्थानापन्न हैसियत से) मृतक सरकारी कर्मचारी के पद के बराबर हो या उससे उच्च हो । इस बंध–पत्र की अदायगी की तारीख के बाद सात वर्ष तक सुरक्षित रखना चाहिए, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी स्वयं अपना नियंत्रण अफसर नहीं था तो इस रियायत के लिए दावे पर उसके नियंत्रण अफसर द्वारा प्रति–हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यदि वह स्वयं अपना नियंत्रण अफसर था तो इस दावे पर उसके आसन्न उच्च प्राधिकारी द्वारा प्रति–हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।

218–अ. रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान किए जाने वाले सिविलियन के या सेवा कार्मिक के मृत शरीर को ले जाना :

(क) यदि भारत में स्थित स्थायी मुख्यालय में रहते हुए मृत्यु हो : यदि मृतक का परिवार, मृतक के

शरीर को उसके स्थायी निवास स्थान पर ले जाना चाहता है तो इसकी व्यवस्था उन्हीं को करनी होगी और उन्हें संबंधित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सेवा निवृत्ति पर देय यात्रा–भत्ते की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(ख) यदि दौरा करते समय मृत्यु होः यदि मृतक की मृत्यु भारत में या विदेश में दौरा करते समय हो जाए तो मृतक के शरीर को वायुयान द्वारा किसी वाणिज्यिक उड़ान से, परिवार की इच्छानुसार मुख्यालय पर या स्थायी निवास स्थान पर ले जाया जा सकता है । इस प्रकार के मामलों में होने वाला व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । मृतक के परिवार को शव संलेपन एवं कफन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संलेपन व्यय और कफन की लागत न्यूनतम ओर सादगी के मानखंड के आधार पर होनी चाहिए।

(ग) मृत रक्षा सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को परंपरागत सामाजिक संस्कार करने के लिए, यात्रा–भत्ता (बिना विराम–भत्ता और प्रासंगिक) को अतिशीघ्र तरीके से, जिसमें शामिल है जाने और वापसी आने की हवाई यात्रा के लिए स्वीकार्यता होगी।

(घ) रक्षा सिविलियन और उनके परिवार के सदस्यों को (जो आश्रित हैं और सरकारी कर्मचारी के साथ रह रह हैं) थलसेना / नौसेना के तहत विभिन्न एककों / स्थापनाओं और उनकी संबद्ध स्थापनाओं में कार्यरत हैं, मृत शवों को ले जाने के लिए, सिविल / सैनिक अस्पताल / पुलिस मुर्दाघर से कार्य के स्थान तक / घर / शवदाह घाट / कब्रिस्तान (जो घर के समीप हो) जब कभी आवश्यक हो, निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी ।

(ङ) परिशिष्ट । में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों, एक गैर–सरकारी सेना कार्मिक/ सिविलियन के लिए हवाई यात्रा को संस्वीकृत कर सकते हैं, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान पाने वाले मृतक सेना कार्मिक / सिविलियन के मृत शरीर के साथ जाने के लिए, मृत्यु के स्थान से अंतिम संस्कार के स्थान या उसके गृह–नगर तक उस मामले में जहां कोई परिवार का सदस्य उपलब्ध नहीं है मृतक कार्मिक के मृत शरीर के साथ जाने के लिए, इस अनुबंध के साथ कि व्यक्ति द्वारा वापसी यात्रा को हकदार श्रेणी में रेल / सड़क / स्टीमर द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

218–ब. गणमान्य व्यक्तियों आदि के शवों को लाने–ले जाने हेतु परिवार के किसी सदस्य को जो शव के साथ जा रहा है यात्रा–भत्ते की हकदारी।

मृतक गणमान्य व्यक्तियों अर्थात् कैबिनेट मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यसभा के उप–सभापति, लोक सभा के उपाध्यक्ष, उप–मंत्रियों, संसद सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों की चाहे उनकी मृत्यु मुख्यालयों में हुई हो या दौरे के स्थान पर हुई हो, मृत्यु के स्थान से उनके अंतिम संस्कार के स्थान तक हवाई जहाज/स्टीमर/रेल/सड़क द्वारा उनके परिवार के एक सदस्य द्वारा उनके शव के साथ की गई यात्राओं का यात्रा–भत्ता (विराम–भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय को छोड़कर) सरकार वहन करेगी। इसे संबंधित यात्रा–भत्ता नियम के अधीन मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु के या पद त्याग के बाद उपलब्ध परिलब्धियों में समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे परिवार के एक सदस्य को हवाई जहाज / स्टीमर / रेल/ सड़क द्वारा ऐसी यात्रा शुरू करने के स्थान से मृत्यु होने के स्थान तक की गई यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता (विराम–भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय को छोड़कर) अनुज्ञेय होगा।

उपर्युक्त प्रावधान रखना सेवा कार्मिकों पर भी लागू होंगे ।

219. लापता घोषित/युद्ध बंदी सैनिक कार्मिकों/सिविलियनों के परिवारों को यात्रा–भत्ता की हकदारी।

नियम 216, 217 और 218 के उपबंध उन यूनिटों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामले में समान रूप से लागू होंगे जिन यूनिटों के कार्मिक, फील्ड सेवा रियायत प्राप्त करते हैं और लापता घोषित किए जाते हैं या युद्ध बन्दी बना लिए जाते हैं ।

220. रिक्त ।

अध्याय छः

स्थायी यात्रा/सवारी भत्ता

221. स्थायी यात्रा–भत्ता

ऐसे किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा स्थायी मासिक यात्रा–भत्ता दिया जा सकता है, जिसे अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ती हो । इस प्रकार का भत्ता उस व्यक्ति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत यात्रा के लिए सभी प्रकार के अन्य यात्रा–भत्तों के बदले दिया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन वर्ष भर लिया जाता है, चाहे वह व्यक्ति अपने स्थायी स्टेशन से बाहर हो या न हो ।

222. सवारी–भत्ता

(1) जब उन व्यक्तियों को मासिक सवारी–भत्ता दिया जा सकता है, जिन्हें अपने मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ती हो । इस भत्ते पर निम्नलिखित दरें और शर्तें लागू होंगी :

(क) सवारी–भत्ते की मासिक दरें:

पदीय कर्तव्य पर औसतन मासिक यात्रा	वाहन–भत्ता	
	स्वयं के मोटर कार द्वारा यात्राएं (₹ में)	अन्य प्रकार के वाहन द्वारा यात्राएं (₹ में)
(1)	(2)	(3)
201––300 कि0मी0	1120 प्रति माह	370 प्रति माह
301––450 कि0मी0	1680 प्रति माह	480 प्रति माह
451—600 कि0मी0	2070 प्रति माह	640 प्रति माह
601––800 कि0मी0	2430 प्रति माह	750 प्रति माह
800 कि0मी0 से उपर	3000 प्रति माह	850 प्रति माह

टिप्पणी 1: यह सवारी–भत्ता, सारणी के कॉलम (2) में दिए निर्धारित दरों पर, उन अधिकारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जिनका वेतन ₹ 19,530/– प्रति माह से कम है।

टिप्पणी 2: जब भी परिशोधित वेतन संरचना पर देय मंहगाई–भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंचता है, इन दरों पर 25 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी हो जाएगी ।

टिप्पणी 3: इन आदेशों को 01 सितम्बर 2008 से प्रभावी माना जाएगा ।

(ख) सवारी–भत्ते की मंजूरी की शर्तें:

(i) ड्यूटी पर औसत मासिक यात्रा 200 कि0मी0 से अधिक होनी चाहिए।

टिप्पणी: निवास–स्थान और कार्य के सामान्य स्थान के बीच की यात्रा सरकारी ड्यूटी पर की गई यात्रा नहीं मानी जाएगी।

(ii) पैदल या साइकिल से की गई यात्राएं इस भत्ते की सीमा से अलग होंगी ।

(iii) उपर्युक्त उप–खंड (क) की सारणी के कॉलम 2 में विहित भत्ता उन अधिकारियों को देय नहीं होगा जिनका संशोधित वेतनमान में वेतन 19,530 ₹ प्रतिमास से कम है ।

(ग) (i) उपर खंड (क) के नीचे की सारणी के कालम (2) में दी गई दरों पर भत्ता इस शर्त पर लिया जा सकेगा जब व्यक्ति के पास मोटर कार हो ओर वह चालू स्थिति में हो और वह उसका उपयोग उन सभी सरकारी यात्राओं के लिए कर रहा हो जिनके लिए यह भत्ता मंजूर किया जाता है।

(ii) वे अधिकारी, जिन्हें इस नियम के अधीन सवारी–भत्ता मंजूर किया जाता है, मुख्यालय पर कार्य के सामान्य निवास से 16 कि0मी0 तक की यात्रा के लिए किसी अन्य यात्रा भत्ते अर्थात् दैनिक या मील–भत्ते के हकदार नहीं होंगे। 16 कि0 मी0 से बाद की यात्रा के लिए यह यात्रा–भत्ता नीचे दिए अनुसार स्वीकार्य होगा :

(अ) यदि अपनी सवारी से भिन्न सवारी द्वारा यात्रा की जाए तो इन नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा–भत्ता पूरा लिया जा सकता है।

(ब) यदि अधिकारी या तो रेल/ स्टीमर/ हवाई जहाज समेत अथवा अन्यथा सड़क से अपनी सवारी में यात्रा करता है तो इन नियमों के अधीन उसको स्वीकार्य यात्रा–भत्ते के लिए वह अपनी इच्छा से अपने सवारी–भत्ते के स्थान पर प्रतिदिन 1/30 की दर से खर्चा ले सकता है।

(घ) लॉग–बुक रखना : इस नियम के अधीन भत्ते के आरंभिक निर्धारण के लिए भत्ते

का दावा करने वाला व्यक्ति, भत्ते की स्वीकृति के लिए अर्हक ड्यूटी पर यात्राओं के लिए कम से कम चार महीने की अवधि के लिए लॉग–बुक रखेगा । नियंत्रण अधिकारी इस अवधि के दौरान जितनी बार संभव हो सके, लॉग–बुक की जांच करेगा। मंजूर करने वाला प्राधिकारी चाहे तो इसके लिए अधिक की अवधि भी निर्धारित कर सकता है। लॉग–बुक में निम्नलिखित विवरण होगा :

(i) लॉग–बुक में केवल सरकारी ड्यूटी पर प्रतिदिन की गई यात्रा की दूरी ही शामिल की जाएगी । मुख्यालय में कार्य के स्थान के 16 कि0मी0 के अंदर की यात्रा, उस व्यक्ति के स्थानीय अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत आएगी ।

(ii) जिस स्थान का दौरा किया जाए उस स्थान का नाम तथा दूरी और प्रत्येक दौरे का प्रयोजन ।

(iii) रखी गई/इस्तेमाल की गई सवारी की तारीख ।

(ङ) सवारी–भत्ते की मंजूरी के लिए सामान्य शर्तें :

(i) लॉग–बुक के आंकड़ों के सक्षम प्राधिकारी इस बात की तसल्ली करेगा कि उस व्यक्ति की यात्रा के औसत मासिक दूरी से वह सवारी–भत्ते का हकदार होता है या नहीं । इसके बाद वह किसी भी ऐसी तारीख से (लॉग–बुक रखने की तारीख से पहले नहीं) समुचित दर पर यह भत्ता मंजूर कर सकता है, जिस तारीख से उसकी राय में भत्ता दिया जाना उचित हो ।

(ii) किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के लिए, जिनकी ड्यूटी में मोटर कार रखना आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से लॉग–बुक रखने की शर्त हो हटाया जा सकता है । इस प्रकार के सभी मामलों में यह भत्ता उपर उपखंड (क) के नीचे की सारणी के कालम 2 में निर्धारित निम्नतम दरों पर ही स्वीकार्य होगा। उच्चतर दरों पर भत्ते के किसी दावे के लिए यह जरूरी होगा कि उपर निर्धारित की गई अवधि के अनुसार लॉग–बुक रखी जाए।

(iii) एक बार जब इन उपबंधों के अनुसार भत्ता निर्धारित कर दिया जाएगा तब प्रतिमास भत्ता लेने के प्रयोजन के लिए उस अधिकारी के लिए तब तक लॉग–बुक रखना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि नियंत्रण अधिकारी उससे लॉग–बुक रखने के लिए न कहे । मंजूरी के दौरान या भत्ता तब तक लिया जा सकता है जब तक कि नियंत्रण अधिकारी इस बात से संतुष्ट रहे कि उस व्यक्ति की ड्यूटी के प्रकार तथा उसके दौरों की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे उस भत्ते का प्रत्याहरण किया जा सके या इसमें कटौती की जा सके । नियंत्रण अधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में दिया जाएगा ।

(iv) इस समय सरकारी कर्मचारियों को यह भत्ता, व्यक्तिगत रूप से मंजूर किया जाता है । फलस्वरूप, हर बार जब पदधारी बदल जाता है तब उसके उत्तराधिकारी के लिए नई मंजूरी जारी करनी होती है । इसके बाद नियंत्रण अधिकारी नियंत्रण यात्रा (नीचे देखें) के आधार पर विशिष्ट पदों के लिए सवारी–भत्ता निर्धारित करेगा और इस पदों पर नियुक्त अधिकारी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए इस भत्ते को तब तक लेते रहेंगे जब तक किसी सवारी का तरीका भिन्न न हो जाए । जहां एक ही वर्ग में बहुत से पद हों, वहां उन पदों का, जिनके लिए यह भत्ता हो, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और इस प्रकार के प्रत्येक पद के लिए दर का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(v) पद के सरकारी कार्य के लिए उपयुक्त प्रतिमास की औसत मील–दूरी का निर्धारण करने के लिए मंजूर करने वाले प्राधिकारी को लॉग–बुक की जांच करनी चाहिए और उसके आधार पर सवारी–भत्ते की दर निर्धारित करनी चाहिए । सवारी–भत्ता देने के लिए यह मंजूरी एक बार में दो वर्ष के लिए जारी की जानी चाहिए और भत्ते की प्रारंभिक मंजूरी के लिए निर्धारित कार्यविधि के अनुसार ऐसी प्रत्येक अवधि के अंत में इसे जारी रखने के लिए समीक्षा की जानी चाहिए ।

किसी मास के भत्ते का हकदार बनने के लिए एक महीने में विनिर्दिष्ट न्यूनतम

दूरी की यात्रा की कोई शर्त सवारी–भत्ता मंजूर करने वाले आदेश में शामिल करना आवश्यक नहीं होगा।

(vi) राजपत्रित अधिकारियों के मामले में नियंत्रण अधिकारी को चाहिए कि जब उस पद का कार्यभार बदल जाए जिससे भत्ता संबद्ध हो तो वह इस आशय की सूचना लेखापरीक्षा अधिकारी/ भुगतान प्राधिकारी को भेज दे कि नए पदधारी के पास सवारी (उसका विवरण दे) है या नहीं है; ताकि लेखापरीक्षा अधिकारी भुगतान प्राधिकारी नए पदधारी के लिए भत्ते को समुचित दर पर प्राधिकृत कर सके ।

(2) जनरल अधिकारी कमांडिंग–इन– चीफ कमान, सह थलसेना अध्यक्ष/ उप–वायुसेना अध्यक्ष/ एडजुटेंट जनरल/क्वार्टर मास्टर जनरल/सैनिक सचिव/प्रमुख इंजीनियर/ महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा/ महानिदेशक, रक्षा लेखा/ स्टेशन एडजुटेंट/ महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर/निदेशक, जनसंपर्क रक्षा/ महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, महानिदेशालय ऑपरेशन लोजिस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक मूवमेंट तथा रक्षा मुख्यालय की शाखाओं के अन्य अध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष और महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी, फ्लैग अफसर, कमांडिंग–इन–चीफ, नौसेना कमान, फ्लैग अफसर, कमांडिंग बेड़ा/एरिया, नौसेना के मामले में नौसेना मुख्यालय के शाखा अध्यक्ष और वायु अफसर, कमांडिंग–इन–चीफ कमान, वायुसेना के मामले में वायुसेना मुख्यालय के शाखा अध्यक्ष अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के संबंध में इस नियम के अधीन, कार–भत्ता मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

अधिकारियों (सेना और सिविलियन) के लिए सवारी–भत्ता उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा इसी प्रकार मंजूर किया जाएगा । अधिकारियों से भिन्न व्यक्तियों को सवारी–भत्ता (कार–भत्ते से भिन्न) सेना के संबद्ध सेवा विभाग के स्थानीय अध्यक्ष या कमांडर निर्माण इंजीनियर, जैसा भी मामला हो, द्वारा संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक के परामर्श से मंजूर किया जाएगा।

टिप्पणी 1: इस नियम के उपबंध, केवल शांति क्षेत्र में सेवारत अधिकारियों और सिविलियनों पर ही लागू होंगे । साथ ही ये उपबंध संकिया क्षेत्र में सेवारत उन कार्मिकों पर भी लागू होंगे जिन पर फील्ड सेवा रियायतें लागू न होती हों ।

टिप्पणी 2: सवारी–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा:

(i) यदि रक्षा मंत्रायल घोषित करे कि व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों की श्रेणी का वेतन इस प्रकार निर्धारित किया गया है ताकि व्यक्ति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रेल या स्टीमर द्वारा की जाने वाली यात्रा से भिन्न सभी यात्राओं की लागत की प्रतिपूर्ति हो सके, और

(ii) जिनको सरकारी परिवहन दिए गए हों।

टिप्पणी 3: यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपर पैरा 2 में दिए गए प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों का इस्तेमाल उचित रूप से किया गया है, उपर उल्लिखित प्राधिकरी जारी की गई मंजूरियों का अर्ध–वार्षिक विवरण रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे, ताकि रक्षा मंत्रालय उन मामलों की समीक्षा कर सके ।

(3) कतिपय नियुक्तियों के लिए विशेष रूप से मंजूर की गई सवारी–भत्ते की सूची, परिशिष्ट-IX में दी गई है ।

(4) इस नियम के अधीन दिया जाने वाला सवारी–भत्ता निम्नलिखित अवधियों के दौरान स्वीकार नहीं होगा :

(i) कार्यारंभ समय तथा छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर) और दूसरे स्टेशन में काम करते हुए उस व्यक्ति की एक बार में 15 दिन से अधिक दिनों की अनुपस्थिति।

(ii) छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर) के आगे या पीछे जोड़े गए छुट्टी के दिन, कार्यारंभ समय और दूसरे स्टेशन में उस व्यक्ति की एक बार में 15 दिन से अधिक दिनों तक अनुपस्थिति।

(iii) एक बार में 15 दिन से अधिक की कोई अवधि, जिसके दौरान उपर उपखंड (1) (क) के नीचे की सारणी के कालम 2 में दिए गए भत्ते को प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति मोटर कार न रखता हो या उसके द्वारा रखी गई मोटर कार खराब को या किसी अन्य कारण से वह सरकारी यात्रा के लिए उसका इस्तेमाल न करे ।

223. सवारी–भत्ता—अक्सर यात्रा

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ कमान (सेना मुख्यालय के अधीन आने वाले अनुदेश स्कूल के मामले में महानिदेशाल ऑपरेशन लोजिस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक मूवमेंट) उस अफसर के लिए, जिसे अपने मुख्यालय से किसी भी दिशा में आठ कि0 मी0 की दूरी के अंदर या कैन्ट एरिया के अंदर, जो भी अपेक्षाकृत अधिक हो, ड्यूटी पर हमेशा यात्रा करनी पड़ती हो, सवारी–भत्ता मंजूर कर सकता है :

(क) यह यात्रा सामान्यतः प्रत्येक कार्य–दिवस को आठ कि0मी0 से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें अधिकारी के निवास स्थान से उसके कार्य–स्थान तक की यात्रा और वापसी यात्रा शामिल नहीं होगी ।

(ख) यह भत्ता उस अधिकारी को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए जिसके लिए सरकारी वाहन उपलब्ध हो ।

(ग) यह भत्ता आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य छुट्टी के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा और इस पर नियम 222 के उपबंध लागू होंगे।

(घ) यह भत्ता उस अधिकारी को स्वीकार्य नहीं होगा जिस पर नियम 225, लागू होते हों।

(ड़) भत्ते की लागत को पूरा करने के लिए जो वार्षिक आबंटन किया गया है, उससे अधिक भुगतान किसी प्रकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणीः इस नियम के उपबंध भारतीय नौसेना और वायुसेना पर भी लागू होंगे, शक्तियों का इस्तेमाल निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगाः

नौसेना :

(क) नौसेना अध्यक्ष	उन अधिकारियों के मामले में जो सीधे नौसेना मुख्यालय के अधीन स्थापनाओं में कार्य करते हों।
(ख) (i) फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ	उनके अधीन कार्य करने वाले नौसेना कमान अधिकारियों के मामले में।
(ii) फ्लैग अफसर कमांडिंग बेड़ा/एरिया	उनके अधीन कार्य करने वाले नौसेना कमान अधिकारियों के मामले में।

वायुसेना :

(क) वायुसेना अफसर कमांडिग–इन–चीफ कमान	उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंध में।
(ख) वायुसेना अफसर प्रशासन	सीधे वायु सेना मुख्यालय के अधीन आने वाली यूनिटों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंध में।

224. राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी अधिकारियों को 8 कि0 मी0 मी परिधि के अंदर सरकारी ड्यूटी पर यात्रा करने पर भाड़ा प्रभारः

(i) जहां स्टाफ कार उपलब्ध न हो या कोई यात्रा–भत्ता स्वीकार्य न हो वहां मुख्यालय से 8 कि0मी0 की परिधि के अंदर सरकारी ड्यूटी पर राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा टैक्सी या अन्य सवारी के लिए अदा किए गए वास्तविक भाड़े की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी :––

(क) सरकारी ड्यूटी पर जिस स्थान का दौरा किया गया हो वह स्थान संबंधित सरकारी कर्मचारी के कार्यालय से सबसे छोटे मार्ग से 1.6 कि0मी0 से कम न हो;

(ख) यदि एक से अधिक अधिकारियों को ड्यूटी पर स्थान विशेष को प्रस्थान करना पड़े, तो जहां तक संभव हो, उन्हें टैक्सी या अन्य सवारी में साथ–साथ यात्रा करनी चाहिए; और

(ग) नियंत्रण अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई यात्रा के लिए स्टाफ कार प्रदान नहीं की जा सकी ।

टिप्पणी 1: अधिकारियों को टैक्सी या अन्य सवारी के प्रभारों की प्रतिपूर्ति मंजूर करने की शक्ति नियम 2 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों में निहित होगी ।

ये प्राधिकारी अपने लिए भी टैक्सी और अन्य प्रभारों की प्रतिपूर्ति की मंजूरी दे सकते हैं।

टिप्पणी 2: उपरिलिखित शर्त के अध्याधीन राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को प्रतिपूर्ति की जाने वाले किराए की टैक्सी या किराए की अन्य सवारी की कुल रकम किसी भी माह में 300 रूपये से अधिक नहीं होगी।

(ii) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सायं 8 बजे तथा प्रातः 6 बजे के मध्य ड्यूटी पर बुलाया जाता है या सायं 8 बजे के बाद कार्यालय में रोक लिया जाता है और उसे सायं 8 बजे तथा प्रातः 6 बजे के मध्य घर वापस जाना होता है जब साधारण सवारी उपलब्ध नहीं होती है, तब उसे टैक्सी या किसी अन्य सवारी के वास्तविक भाड़े की प्रतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते कि उसने कार्यालय में लंबे समय तक रोके जाने के लिए कोई निजी पारिश्रमिक प्राप्त न किया हो और उसके पास अपनी सवारी नहीं है या वह सवारी का इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है और इस शर्त के अध्याधीन कि राजपत्रित अधिकारियों के मामले में विभागाध्यक्षों से तथा अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में कार्यालयाध्यक्षों से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हो कि अधिकारी को सायं 8 बजे लोक सेवा के हित में बुलाया गया/रोका गया था ।

225. वाहन–भत्ता ग्रुप ख, और ग के उन व्यक्तियों (औद्योगिक और गैर–औद्योगिक) को सवारी–भत्ता, जिनके लिए 8 कि0 मी0 की परिधि के अंदर या बाह्य स्टेशन पर ड्यूटी पर बहुत अधिक यात्रा करना आवश्यक हो :

(क) विभिन्न विभागों और सेवाओं के ग्रुप ख, और ग (औद्योगिक और गैर– औद्योगिक) के व्यक्तियों

को जिनकी ड्यूटी में अपने स्थायी स्टेशन से किसी भी दिशा में 8 कि0मी0 की परिधि के अंदर या बाह्य स्टेशन पर बहुत अधिक यात्रा करनी पड़े, उन अवधियों के लिए जिनके दौरान वास्तव में ड्यूटी की गई हो, विभाग या सेवा के स्थानीय प्रधान द्वारा निम्न प्रकार का सवारी–भत्ता मंजूर किया जा सकता है, बशर्ते कि दैनिक–भत्ता न लिया गया हो ।

साइकिल–भत्ता : साइकिल–भत्ता विभाग या सेवा के स्थानीय अध्यक्ष द्वारा 60 ₹ प्रतिमाह की दर से मंजूर किया जा सकता है बशर्ते कि वे इस बात से संतुष्ट हों कि किसी पद को सौंपी गई ड्यूटी करने के लिए मुख्यालय में या उसके नजदीक काफी दौरे करने पड़ते हैं और इस प्रयोजन के लिए साइकिल रखनी जरूरी है। भत्ता निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार किया जाए:

(i) संबंधित कर्मचारी सरकारी काम पर की गई यात्रा के लिए अपनी साइकिल रखता है और उसका इस्तेमाल करता है।

(ii) साइकिल–भत्ता लेने वाले सरकारी कर्मचारी का यात्रा–भत्ता (अर्थात् दैनिक और मील–दूरी भत्ता) निम्न प्रकार से विनियमित होगा :

ड्यूटी के सामान्य स्थान से 8 कि0मी0 की परिधि के अंदर की यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता	कुछ नहीं
ड्यूटी के सामान्य स्थान से 8 कि0मी0 की परिधि से अधिक लेकिन 16 कि0मी0 तक की दूरी की यात्रा के लिए :	
(i) यदि स्थल स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर पड़ता है ।	यात्रा–भत्ता—कुछ नहीं
(ii) यदि स्थल स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर पड़ता है । साइकिल के अलावा अन्यथा की गई हो	— सामान्य नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा–भत्ता बशर्ते कि यात्रा
ड्यूटी के सामान्य स्थान से 16 कि0मी0 की परिधि से अधिक की यात्रा के लिए	–– सामान्य नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा–भत्ता

(iii) यह भत्ता कार्यारंभ काल, छुट्टी और अस्थायी स्थानांतरण के दौरान या छुट्टी के शुरू में और छुट्टी के बाद के अवकाश के दिनों के दौरान और कार्यारंभ काल के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा ।

(iv) जब सरकारी कर्मचारी एक समय में एक महीने से अधिक अवधि के लिए, जब वह साइकिल– भत्ता ले रहा हो, साइकिल नहीं रखता है या उसकी साइकिल खराब रहती है या किसी अन्य कारण से सरकारी काम के लिए की जाने वाली यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है तो उस अवधि के लिए साइकिल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

टिप्पणी: इन नियमों के अधीन मंजूरी दाता प्राधिकारी द्वारा साइकिल–भत्ता एक बार में दो वर्ष तक की अवधि के लिए ही मंजूर किया जाएगा और प्रत्येक अवधि के खत्म होने से काफी पहले इसे चालू रखने के लिए इसे संशोधित किया जाएगा। मंजूरी दाता प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए, जब कभी आवश्यक हो, भत्ता मंजूर करते समय सरकारी कर्मचारी के स्थानीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख करेगा । उन्हें अपने नियंत्रणाधीन के इन पदों का पुनरीक्षण भी करना चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि किन पदों के लिए साइकिल–भत्ता मंजूर किया जाना चाहिए । उसके बाद भत्ता पदों को ध्यान में रखकर मंजूर किया जाना चाहिए, न कि उसके संबंधित पदधारी को ध्यान में रखकर ।

मोटर साइकिल या अन्य सवारी।	सड़क–मील भत्ते की लागू दरों के अनुसार।
सार्वजनिक वाहन जैसे मोटर, बस, ट्राम, कार आदि।	हकदार श्रेणी में हुआ वास्तविक व्यय।

टिप्पणी 1: जब भी परिशोधित वेतन संरचना पर देय मंहगाई–भत्ता 50 प्रतिशत के उपर बढ़ता है, इस भत्ते की दरों पर 25 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी हो जाएगी ।

टिप्पणी 2: यह भत्ता मोटर साइकिल या अन्य वाहन के संदर्भ में , जैसा उपर दिया गया है, व्यक्तियों को देय होगा जो पदकम वेतन ₹ 4200/– से ₹ 4800/– को आहरित करते हैं ।

(ख) एक दिन में 8 कि0मी0 से कम दूरी की यात्रा के लिए सामान्यतः कोई यात्रा–भत्ता नहीं दिया जाएगा । द्वितीय श्रेणी के व्यक्तियों को, जो एक दिन में सामान्यतः 16 कि0मी0 से कम की यात्रा करते हैं, लेकिन जिनके पास मोटर साइकिल या अन्य सवारी है, उतना ही सवारी–भत्ता दिया जाएगा, जितना कि पैडल साइकिल के लिए या पैडल साइकिल के न होने पर सार्वजनिक वाहन के उपलब्ध होने पर उनके लिए दिया जाता है। सक्षम वित्तीय प्राधिकारी विशेष मामलों में और ऐसे कारणों से, जिनको दर्ज किया जाना चाहिए, उपर्युक्त दर्ज न्यूनतम मील दूरी की सीमाओं में छूट दे सकता है ।

(ग) जहां मासिक आधार पर निर्धारित भत्ता देना आवश्यक हो, वहां संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक

से परामर्श करके उसकी धन–राशि निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार की मंजूरी की समीक्षा छह माह में एक बार और अन्य अवसरों पर आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम वित्तीय प्राधिकारी या सेना इंजीनियरी सेवा स्थापनाओं के मामलें में कमांडर वर्क्स आई.ए.एफ.टी.–1718, के पीछे दिए गए, आदेशों के अनुसार करेगा।

(घ) जब सरकारी पैडल साइकिल या अन्य सवारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी के लिए दी जाए और इस प्रकार की सवारी मुहैया की जाए या उसका इस्तेमाल किया जाए तो कोई सवारी–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।

(ङ) जिस व्यक्ति को कार्यालय या पोत के संबद्ध ड्यूटी पर कभी–कभी यात्रा करनी पड़ती हो और जिसे भाड़े पर सवारी लेनी पड़ती हो तो उसे कार्यालय के प्रभारी अधिकारी या पोत के कमांडिंग अफसर के प्राधिकार से कार्यालय–भत्ते या कार्यालय आकस्मिक अनुदान से वास्तविक व्यय की वसूली की अनुमति दी जा सकती है ।

(च) एक अराजपत्रित या ग्रुप 'सी' सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर यात्रा करता है, जो कार्यालय से संबंधित नहीं है और उसे भाड़े पर सवारी लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे वास्तविक व्यय को वसूल करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विशेष मामले के रूप में वित्त विनियमावली भाग I के 1983 संस्करण के नियम 61 के द्वारा उसमें निहित शक्तियों के अधीन संस्वीकृति दी जाती है।

(छ) जब किसी अराजपत्रित के सरकारी कर्मचारी को उसके कार्यालय से कुछ दूरी पर ड्यूटी पर भेजा जाता है या ड्यूटी के सामान्य घंटों के बाहर किसी राजपत्रित अधिकारी के विशेष आदेश से कार्यालय में बुलाया जाता है तो इसमें होने वाले खर्चे की सरकार द्वारा अदायगी की जाएगी और उसे आकस्मिक निधि में प्रभारित किया जाएगा । शर्त यह है कि :

(1) कार्यालयाध्यक्ष प्रमाणित करे कि वास्तविक रूप से किया गया व्यय अपरिहार्य था और इस्तेमाल की गई सवारी प्रभारों के अनुसूचित मान के अंदर है ।

(2) संबंधित सरकारी कर्मचारी यात्रा के सामान्य नियमों के अधीन यात्रा–भत्ता लेने का हकदार नहीं होगा और उसे कोई प्रतिपूरक छुट्टी नहीं दी जाएगी और वह उस ड्यूटी को करने के लिए ऐसा कोई विशेष पारिश्रमिक अन्यथा न तो प्राप्त करता और न ही प्राप्त करेगा, जिसके लिए यात्रा आवश्यक थी।

226. रिक्त.

227. रिक्त.

228. रिक्त.

229. रिक्त.

230. रिक्त.

230–अ. अंधे और शारीरिक रूप से विकलांग रक्षा कार्मिकों को सवारी–भत्ते की मंजूरी :

(i) सभी सशस्त्र सेना कार्मिकों को जो नियमित स्थापना द्वारा वहित हैं, जो अंधे हों या हड्डियों की विकलांगता, निचले अग्रांग की निःशक्तता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग हों, को वाहन–भत्ते की सामान्य दरों से दुगने की हकदारी होगी, जैसा नियम 230–बी में निर्धारित, जो कि किसी भी स्थिति में 1000 ₹ प्रति माह से कम नहीं होगा, उस पर जोड़ते हुए, मंहगाई–भत्ते की स्वीकृत दर को नियम 230–बी में दी शर्तों पर और नीचे दी गई अन्य शर्तों पर :

(क) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी सवारी–भत्ते का हकदार होगा यदि उपर या नीचे के अंगों में से किसी में उसकी स्थायी आंशिक अशक्तता कम से कम 40% हो या उपर तथा नीचे के दोनों अंगों की उसकी स्थायी आंशिक अशक्तता 50% हो ;

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को सवारी–भत्ता मिलिटरी अस्पताल के हड्डी विज्ञान के विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर स्वीकार्य होगा ;

(ग) कर्मचारी के अंधा होने की स्थिति में भत्ता मिलिटरी अस्पताल के नेत्र–विज्ञान के विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर स्वीकार्य होगा;

(घ) यह भत्ता छुट्टी (अपवाद आकस्मिक छुट्टी), कार्यग्रहण अवधि या निलंबन के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा ।

टिप्पणी 1: अशक्तता का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, हड्डी विज्ञान शल्य–चिकित्सकों की अमेरीकन अकादमी, अमेरीका द्वारा तैयार की गई और उनकी ओर से भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर द्वारा प्रकाशित स्थायी शारीरिक क्षति के मूल्यांकन हेतु हड्डी शल्य–चिकित्सा विषयक नियम–पुस्तक में दिए गए मानक लागू होंगे ।

टिप्पणी 2: इन विनियमों के परिशिष्ट 1 में वर्णित सक्षम प्राधिकारी इस नियम के संबंध में सवारी–भत्ता मंजूर करने के लिए प्राधिकृत है । उपर्युक्त चिकित्सा प्राधिकारियों को उसकी सिफारिश प्राप्त करने के लिए भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे। सवारी–भत्ता उस तारीख से मंजूर किया जाएगा जिस तारीख को संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिशें इन अधिकारियों को प्राप्त होती हैं ।

टिप्पणी 3: जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकलांग कर्मचारियों को उपर्युक्त भत्ते की मंजूरी के लिए किसी ऐसे अस्पताल के चिकित्सकों की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए कहा जाए जो उनके मुख्यालय से बाहर के स्टेशन पर स्थित हों तो उन्हें यात्रा की अवधि और रूकने के समय के लिए कोई दैनिक–भत्ता दिए बिना दौरे पर की गई यात्रा के लिए न्यूनतम यात्रा–भत्ते की शर्त के अधीन वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए, तथापि यात्रा और अस्पताल में बिताए गए समय को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा।

टिप्पणी 4: केन्द्र सरकार/संघ क्षेत्रों के अस्पतालों द्वारा विकलांग कर्मचारियों से उस स्थिति में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जब उन्हें सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त भत्ते की मंजूरी के संबंध में ऐसे अस्पतालों की सिफारिशों के लिए भेजा जाए । तथापि राज्य सरकार के अस्पतालों द्वारा लिए गए शुल्क, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति संबंधित कर्मचारियों को की जाएगी।

टिप्पणी 5: उन कार्मिकों के मामलों में जो, पूर्व–परिशोधित वेतनमान पर वेतन आहरित करना जारी रखते हैं, तब 01–01–2006 को पद पर कार्यरत तदनुसार पदकम वेतन / तदनुसार वेतनमान, भत्ते का निर्धारण करेगा।

230–ब. सेना अधिकारियों और अफसर रैंक से कनिष्ठ कार्मिकों (पी0बी0ओ0आर0) को परिवहन–भत्ता प्रदान करना.

(क) सेना अधिकारियों और अफसर रैंक से कनिष्ठ कार्मिकों को निम्नलिखित दरों पर परिवहन–भत्ता दिया जाएगा :

परिवहन–भत्ते की मासिक दरें (₹ में)

सेना कार्मिकों द्वारा आहरित पदकम वेतन	ए–1 एवं ए श्रेणी शहर	अन्य स्थानों
₹ 5400/– से उपर । पदकम वेतन	3200 मंहगाई–भत्ता	1600 मंहगाई–भत्ता
(i) पदकम वेतन ₹ 4200/–, ₹ 4600/– एवं ₹ 4800/–		
(ii) उनको जो आहरित करते हैं पदकम वेतन ₹ 4200/– से नीचे परन्तु आहरित करते हैं वेतन ₹ 7440/– वेतन बैंड के बराबर एव उपर ।	1600 मंहगाई–भत्ता	800 मंहगाई–भत्ता
पदकम वेतन ₹ 4200/– से कम और वेतन ₹ 7400/– वेतन बैंड से नीचे।	600 मंहगाई–भत्ता	400 मंहगाई–भत्ता

टिप्पणी: तेरह शहरों को ए–1 / ए श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है , जो नीचे दिए गए हैं:

अहमदाबाद (श0इ0), बंगलौर (श0इ0), चेन्नई (श0इ0), दिल्ली (श0इ0), बृहत मुंबई (श0इ0), हैदराबाद (श0इ0), जयपुर (श0इ0), कानपुर (श0इ0), कोलकाता (श0इ0), लखनउ (श0इ0), नागपुर (श0इ0), पुणे (श0इ0) और सूरत (श0इ0)

(ख) परिवहन–भत्ता दिया जाने के लिए शर्तें:

(i) यह भत्ता उन व्यक्तियों को ग्राह्य नहीं होगा जिनको सरकारी वाहन की सुविधा प्रदान की जाती है ।

(ii) पदकम वेतन ₹ 10000/– और ₹ 12000/– आहरित करने वाले सेना अधिकारियों को, जिनको घर और कार्यालय के मध्य नियमित यात्रा करने के लिए स्टाफ कार सुविधा के इस्तेमाल की हकदारी है, विद्यमान आदेशों के अनुसार, उनके पास विकल्प होगा, चाहे वे अपने लिए विद्यमान सुविधा को लें या ₹ 7000/– प्रति माह की दर से वाहन–भत्ते के भुगतान पर मंहगाई–भत्ते को जोड़ते हुए, से बदल सकते हैं । उस मामले में यदि वे पश्चात् के लिए विकल्प देते हैं, उनको वाहन–भत्ते का भुगतान किया जाएगा, इस शर्त पर कि, विद्यमान स्टाफ कार की सुविधा घर से कार्यालय के मध्य को वापस लिया जाएगा, उस तारीख से जिससे वे भत्ते के विकल्प को देते हैं । उस मामले में यदि वे पूर्व के लिए विकल्प देते हैं, तब भत्ते की स्वीकार्यता उनको नहीं होगी और उनके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे कोई भी भुगतान करें घर से कार्यालय के मध्य स्टाफ कार की सुविधा के लिए ।

(iii) यह भत्ता, पूरे कैलेंडर मास (सों) में ड्यूटि से अनुपस्थित रहने के दौरान, छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरा, इत्यादि के कारण, ग्राहय नहीं होगा । लेकिन, वाहन–भत्ता उन ऐसे प्रशिक्षण काल के दौरान जिसे ड्यूटि माना जाता है, प्रदान किया जा सकता है, यदि प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के लिए संस्थान द्वारा कोई वाहन सुविधा /दैनिक–भत्ता/ मंहगाई–भत्ता नहीं दिया गया है ।

अध्याय सात

सेना प्रशुल्क और पशुओं एवं भण्डारों का परिवहन

231. वारंट, साख–पत्रों और मांग–पत्रों की अभिरक्षा और उन्हें जारी करना

(क) (i) जब सवारी स्वीकार्य हो तो परिशिष्ट–X में उल्लिखित व्यक्तियों को कथित सीमा तक वारंट, मार्ग व्यय, मांग–पत्र और साख–पत्रों को जारी करने की शक्ति दी जाती है और जारी किए गए फार्मों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए वे जिम्मेदार होते हैं । वारंटों, मांग–पत्रों और साख–पत्रों की चोरी या कपटपूर्ण प्रयोग से राज्य को जो नुकसान होगा, उनका व्यय उन व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा, जो इस प्रकार प्रयुक्त फार्मों की सुरक्षित अभिरक्षा के जिम्मेदार होंगे । उनके स्टेशनों से छुट्टी या ड्यूटी पर, उनकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान वे अगले वरिष्ठ अधिकारी या अधीनस्थ को, उनकी स्वयं की जिम्मेदारी पर उनके लिए, वारंटों, मार्ग–व्यय, मांग–पत्रों और साख–पत्रों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे सकता है । वह वरिष्ठ अधिकारी या अधीनस्थ जिसे इस प्रकार अनुमति दी गई वह वाउचरों पर कृते ''..... .... को अनुपस्थित।'' लिखकर हस्ताक्षर करेगा।

(ii) किसी प्राधिकृत शैक्षिक या प्रशिक्षण स्थापना का कमांडेंट/कमांडिंग अफसर, अपने स्टाफ के किसी एक या एक से अधिक अफसरों को रेल वारंट और साख–पत्रों पर हस्ताक्षर करने के अपने स्वीकार्य प्राधिकार को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(iii) उपर उल्लिखित प्राधिकारियों को उन व्यक्तियों के परिवारों और असबाब के बारे में वारंट जारी करने की शक्ति मिली होती है जो उन विनियमों के अधीन सवारी के हकदार हों ।

(iv) यदि किसी वारंट, मांग–पत्र या साख–पत्र को किसी विशेष सेवा या अभियान के लिए जारी किया जाए तो तदनुसार लाल स्याही से इस फार्म पर पृष्ठांकन किया जाएगा ।

(v) जब रेल वारंट और सेना साख–पत्र डाक द्वारा प्रेषित किए जाएं, तब उन्हें केवल रजिस्ट्री लिफाफे में ही भेजा जाना चाहिए ।

(vi) साथ में न ले जाए जाने वाले असबाब से संबंधित वारंट को स्पष्ट रूप से लाल स्याही से शीर्ष पर पृष्ठांकित किया जाएगा, और उसके साथ वारंट नं0 .... तारीख ..... भी हो जाएगी ।

(ख) रेल और सड़क फार्मों की सुरक्षा और लेखांकन में अपनाई जाने वाली कार्यविधि समय–समय पर जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों में दी गई है ।

टिप्पणीः कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अफसर, स्थायी तौर पर रिक्त रेलवे वारंट और सेना साख–पत्र अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए प्राधिकृत हैं।

232. अदायगी का तरीका

वारंट द्वारा न मांगी गई रक्षा यातायात की सभी प्राधिकृत अदायगियां, साख–पत्रों द्वारा की जाएगी ।

टिप्पणीः घाट–शुल्क और भंडारण पुनः तौलने, चढ़ाने–उतारने के प्रभार, जब रक्षा प्राधिकारियों के अनुरोध पर ऐसा किया जाए, और सीमा शुल्क देय प्राधिकृत प्रभार है । बीमा प्रभार प्राधिकृत प्रभार नहीं है । अतः रक्षा सेवा विनियमों में दी गई शर्तों को छोड़कर रक्षा यातायात का बीमा नहीं किया जाना चाहिए ।

233. रेल वारंट पर व्यक्तियों की यात्रा को बुक करना

(i) वारंट में उस वास्तविक मार्ग और यात्रा की श्रेणी दर्ज की जाएगी जिससे व्यक्तियों को यात्रा करनी है ।

(ii) वारंट पर बुक किए गए व्यक्तियों के साथ जाने वाला असबाब और माल का केवल वास्तविक वजन, जो प्राधिकृत वजन से अधिक नहीं हो, वारंट में दर्ज किया जाएगा ।

(iii) जब घटी दरों पर वापसी टिकट मिल सकें तब इस रियायत का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए, विशेष रूप से उस समय जब इसका संबंध टैरिफ दर यात्रियों से हो । ऐसे मामले में केवल एक ही वारंट जारी किया जाना चाहिए और उस पर ''को और .....वापस'' लिख देना चाहिए । इस वारंट के पीछे एक टिप्पणी लिखकर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसमें उस अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए वापसी टिकट जारी किया जाए।

234. रक्षा सामान और असबाब का परिवहन

रेल से ले जाया जाने वाला सभी रक्षा सामान, असबाब, आदि जिसमें कोयला, विस्फोटक और अन्य खतरनाक सामान शामिल है, (सेना टैरिफ में उल्लिखित सामान को छोड़कर), सरकार के जोखिम पर ले जाया जाता है । अतः इस प्रकार के परेषण के लिए जोखिम–टिप्पणी भरने की जरूरत नहीं है ।

235. माल और पार्सलों को पुनः बुक करना

जब प्रेषिती के अनुदेशों से प्रेषित माल को किसी अन्य स्टेशन पर पुनः बुक किया जाए तो प्रेषित माल को पुनः बुक करने वाला कार्यालय, पुनः बुक करने के समय देय अदायगियों को अदा करेगा क्योंकि उससे आगे के प्रेषण को लेन–देन की पूर्णतः नई कार्रवाई माना जाएगा।

236. सरकारी सवारी, घोड़ों, माल ढोने वाले खच्चरों का सड़क द्वारा परिवहन

सरकारी सवारी घोड़ों और माल ढोने वाले खच्चरों को नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक सड़क द्वारा ले जाने की व्यवस्था की जा सकती है :

(क) माल ढोने वाले खच्चरों के लिए: मशीन से चलने वाली सरकारी गाड़ी जब इस प्रकार की गाड़ी राज्य के हित में आवश्यक समझी जाए ।

(ख) माल ढोने वाले खच्चरों और सरकारी सवारी घोड़ों के लिए : सभी अवसरों पर गोहाटी और शिलांग के बीच किराए का यांत्रिक परिवहन।

237. साख–पत्र

(i) साख–पत्र आई.ए.एफ.टी. 1711 का इस्तेमाल केवल उस माल के प्रेषण के लिए किया जाना है, जो प्रेषण के समय रक्षा मंत्रालय की संपत्ति हो और जिसके ढुलाई प्रभार रक्षा सेवा प्राक्कलन के नामे डाले जाने हों । प्रेषित माल के साथ साख–पत्रों को रेल प्राधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए, इस प्रकार प्रेषित माल "भाड़ा देय" के आधार पर नहीं भेजा जा सकता ।

(ii) रेलवे को देय घाट–शुल्क और विलंब शुल्क के मामले में एक अलग साख–पत्र जारी किया जाएगा।

238. असबाब की छूट

(i) यदि यात्रा रेल से वारंट पर की जाती है तो असबाब का 40 कि0ग्रा0 का सामान भार, जिसमें बिस्तर भी शामिल हैं, रेल विभाग द्वारा निःशुल्क ले जाने दिया जाएगा।

(ii) नेपाल के अधिवासी गोरखा सैनिक/ नौसैनिक/वायु सैनिक और भूटान के राष्ट्रीय सैनिक/नौसैनिक/ वायु सैनिक उस समय असबाब को वारंट पर रेल से ले जाने के हकदार होंगे जब वे सेना की छुट्टी नियमावली में दिए गए नियमों के अनुसार दूसरे वर्ष में जमा छुट्टी पर अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हों। असबाब का बिस्तर सहित अधिकतम भार 60 कि0ग्रा0 होगा जिसमें रेल की छूट की सीमा भी शामिल होगी ।

239. सरकारी सामान का प्रेषण

सभी प्रामाणिक सरकारी सामान के सरकारी सेवा के लिए भेजे जाने के लिए परिवहन स्वीकार्य होगा ।

240. हवाई जहाज द्वारा सामान का प्रेषण

(क) (i) सेना भण्डार : जिस सेना के सामान का, चिकित्सा आधार पर या संकियात्मक कारण से तत्काल संचलन आवश्यक हो, उसे इंडियन एअरलाइंस की अनुसूचित सेवाओ द्वारा भारतीय सीमाओं के अंदर हवाई जहाज द्वारा भेजा जा सकता है । इस प्रकार के प्रेषण को ब्रिगेडियर या उससे उपर के रैंक के अफसर द्वारा ही प्राधिकृत किया जाएगा ।

अन्य सभी मामलों में, भारतीय सीमाओं में हवाई जहाज द्वारा माल के प्रेषण के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी । यदि पूर्व मंजूरी लेने का समय न हो, तो कार्योत्तर मंजूरी लेने के लिए, सामान भेजने के साथ एक रिपोर्ट सेना मुख्यालय की संबंधित शाखा को प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) भारत से बाहर सामान के प्रेषण के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी "तत्काल संकिया" की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेश से हवाई जहाज से उपस्कर/सामान मंगवाने के लिए आर्डनेंस का मास्टर जनरल प्राधिकृत है । शर्त यह होगी कि एक बार में हवाई भाड़े की कुल लागत 10,000 ₹ से अधिक न हो । सभी बुकिंग एअर इंडिया के जरिए की जाएगी और जहां तक संभव हो, सामान को एअर इंडिया के जरिए मंगाया जाएगा ।

(iii) हवाई जहाज द्वारा प्रेषण के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि समय–समय पर प्रशासनिक आदेशों मे निर्धारित की जाएगी ।

(ख) (i) नौसेना भण्डार : चिकित्सा आधार पर या संकियात्मक कारण से यदि नौसेना सामान का तत्काल संचरण आवश्यक हो तो उसे भारतीय सीमाओं के अंदर और भारतीय समुद्री सीमा से बाहर के भारतीय नौसेना पोतों में इस्तेमाल के लिए बाहर के गंतव्य स्थान हो एअर इंडिया/इंडियन एअरलाइंस से भेजा जा सकता है । एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस की सेवाएं उपलब्ध न होने पर उसका प्रेषण चुनी हुई सेवाओं द्वारा भी किया जा सकता है । इस प्रकार के प्रेषण केवल निम्नलिखित नियुक्तियों वाले कैप्टन (भारतीय नौसेना) या उससे उपर के रैंक के अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जा सकते हैं :

दिल्ली	नौसेना अध्यक्ष या उनकी ओर से कमोडोर के रैंक का कोई अधिकारी ।
मुम्बई कोची विशाखापत्तनम	फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ, नौसेना कमान, फ्लैग अफसर कमांडिंग बेड़ा/ एरिया।

(ii) हवाई जहाज द्वारा प्रेषण के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि समय–समय पर प्रशासनिक आदेशों में निर्धारित की जाएगी ।

(ग) वायु सेना उपकरण : जिसकी तत्काल आवश्यकता है उसको हवाई जहाज से भेजा जा सकता है, निम्नलिखित मामलों में :

(i) ए ओ जी उपकरण ।

(ii) जब सरकार की पूर्व मंजूरी से वायु सेना मुख्यालय ने निर्देश दिया हो या व्यवस्था की हो ।

(iii) आपातस्थिति में जब हवाई परिवहन का सहारा प्रेषक यूनिट के कमांडिंग अफसर के विवेक पर या प्रेषिती यूनिट के अनुरोध पर लिया जाए । बशर्ते कि इससे होने वाला अतिरिक्त व्यय प्रेषक या प्रेषिती यूनिट की, जैसी भी मामला हो, वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत हो।

जहां कहीं संभव हो इस प्रयोजन के लिए सेना वायुयान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए । जहां यह सुविधा उपलब्ध न हो, वहां इन उपस्करों का प्रेषण एअर इंडिया/इंडियन एअर लाइंस द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में प्रशासनिक आदेशों में दी गई कार्यविधि अपनाई जाएगी ।

241. सरकारी/रेजीमेंट और मेस का सामान

संचलन के समय यूनिट/फार्मेशन के अधीन सरकारी/ रेजीमेंट/मेस के सभी प्रामाणिक सामान के लिए परिवहन स्वीकार्य होगा ।

टिप्पणी: कैंटीन चलाने वाले यूनिट/ फार्मेशन द्वारा रखा गया कैंटीन का सामान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए रेजीमेंट का प्रामाणिक सामान माना जाएगा।

242. बैंड उपस्कर के लिए परिवहन

(क) जब कोर/रेजीमेंटी सेंटर के बैंड अपनी संबद्ध यूनिटों का दौरा करें, तो उनके साथ जाने वाले बैंड उपस्कर के परिवहन की अनुमति निम्नलिखित मानों तक दी जाएगी :

पाइप और ड्रम (पाइप बैंड)	375 कि0 ग्रा0
बैंड (पीतल का बैंड)	750 कि0 ग्रा0

(ख) जब वायु सेना के संगीतकार सरकारी औपचारिक समारोहों के संबंध में ड्यूटी पर संचलन करें तो वे अपने सामान्य असबाब की हकदारी के अतिरिक्त वारंट पर अपने साथ बैंड उपस्कर को ले जाने के भी हकदार होंगे, यह उपस्कर प्रति व्यक्ति तीस किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ।

243. वायु सेना के रेल–व्यापार परिक्षकी मंडल द्वारा छपे प्रश्न–पत्रों का परिवहन.

व्यापार परीक्षाओं के लिए, डिब्बों को ले जाना जिनमें प्रश्न–पत्र हैं, सरकारी प्रेसों से जो अवस्थित हैं दिल्ली, नासिक, शिमला और कोलकाता में वायु सेना के व्यापार परिक्षकी मंडलों तक जो अवस्थित हैं कानपुर, हैदराबाद, चण्डीगढ़ और गुवाहाटी में और व्यापार परिक्षकी मंडलों के मध्य भी, को स्वीकृत किया जाएगा वारंट पदों द्वारा, वारंट पपत्र सं आई.ए.एफ.टी. 1707 (दल वारंट) के साथ, जैसा प्राधिकृत है अस्थाई ड्यूटि पर, सामान के लिए ।

अध्याय आठ

विदेश के लिए और विदेश से यात्राओं के लिए हकदारियां

244. अनुमोदित मार्ग

(क) भारत से विदेश और विदेश से भारत, तथा विदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए अनुमोदित मार्ग समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ।

(ख) विदेश में सेवारत किसी व्यक्ति को यदि अपने तैनाती स्थान से अन्य स्थान के लिए यात्रा करनी हो और यदि उस यात्रा के लिए सरकार द्वार कोई अनुमोदित मार्ग निर्धारित न किया गया हो तो जिस देश में व्यक्ति तैनात हो, उस देश में स्थित मिशन/कार्यालय का प्रधान, उस मार्ग को लिखित रूप में निर्धारित करेगा, जो उस व्यक्ति को अपनाना होगा ।

(ग) यदि कोई व्यक्ति अथवा उसके परिवार का सदस्य अथवा भारतीय नौकर अपनी इच्छा से अपनी हकदारी के अनुमोदित मार्ग/श्रेणी/साधन से अतिरिक्त दूसरे मार्ग/श्रेणी/साधन से यात्रा करता है तो उसका यात्रा–भत्ता उतने भत्ते तक ही सीमित होगा जितना उसे अनुमोदित मार्ग/श्रेणी की पात्रता तथा साधन द्वारा यात्रा करने पर अनुमेय होता ।

245. हवाई जहाज द्वारा यात्रा की श्रेणी

(i) तीनों सेनाओं के सभी प्रमुख/उप प्रमुख/आर्मी कमाण्डर और समकक्ष/डीजीएएफएमएस	प्रथम दर्जा
(ii) ऊपर दिए (i) को छोड़कर, ₹ 10,000 से ज्यादा ग्रेड पे लेने वाले अफसर	बिजनिस क्लब दर्जा
(iii) ₹ 5400/– से ₹ 9000/– ग्रेड पे लेने वाले अफसर	किफायती दर्जा

(क) जिन देशों में प्रोपेलर और जेट दोनों सेवाएं उपलब्ध हों वहां सामान्यतः यात्रा प्रोपेलर वायु सेवा द्वारा की जाएगी । किन्तु यदि प्रोपेलर सेवा से यात्रा करने के मार्ग उपलब्ध न हो तो मिशन के प्रमुख की लिखित अनुमति लेकर जेट सेवा द्वारा यात्रा की जा सकती है ।

(ख) वाशिंगटन स्थित मिशन का प्रमुख ऐसी स्थिति में मानक (प्रथम श्रेणी) श्रेणी से विमान यात्रा प्राधिकृत कर सकता है जब "पर्यटक श्रेणी" की यात्रा करने पर रास्ते में जबरन रूकना पड़े जिसके कारण होटल आवास पर खर्च करना पड़े और दैनिक–भत्ते आदि का भुगतान भी करना पड़े जब कि मानक श्रेणी से यात्रा करने का खर्च होटल आवास पर आने वाले खर्च तथा दैनिक–भत्ते के भुगतान सहित "पर्यटक श्रेणी" से की जाने वाली यात्रा की कुल लागत से कम हो । जिन मामलों में मिशन का प्रमुख अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके किसी अधिकारी को "मानक श्रेणी" द्वारा यात्रा करने की अनुमति दें उनमें वह संबंधित अधिकारी के यात्रा–भत्ते के बिल के साथ एक नोट संलग्न करेगा जिसमें दोनों प्रकार की यात्राओं के खर्च का विवरण दिया गया हो।

टिप्पणीः वायुसेना की उड़ान शाखा के उन अधिकारियों को, जिन्हे अपने साथ उड़ान किट ले जानी होती है, हवाई कम्पनियां द्वारा सामान निःशुल्क ले जाने की छूट के अतिरिक्त 20 किलो वजन का अतिरिक्त सामान ले जाने की अनुमति दी जाए ।

246. हवाई यात्रा के लिए अनुमोदित तरीका

1. (क) जहां कहीं भी स्वीकार्य हो, सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारी और उनके घरेलू नौकर, भारत से विदेश और विदेश से भारत स्थानांतरण होने पर तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों/कार्यालयों के बीच यात्रा करने के लिए उन सेक्टरों में एअर इंडिया के विमानों द्वारा यात्रा करेंगे जहां एअर इंडिया की सीधी सेवाएं उपलब्ध हों ।

(ख) उन सभी देशों में स्थित स्टेशनों पर और उन स्टेशनों से नियुक्ति/स्थानांतरण होने पर और उन सभी स्टेशनों के बीच हवाई यात्रा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए जिनमें एअर इंडिया की सेवाएं प्रदान की जाती हों। एअर इंडिया सेवा स्थल से उस देश में अपने कार्य स्थान पर आने और जाने के लिए उपलब्ध सबसे सस्ते (रेल/सड़क/हवाई) परिवहन द्वारा यात्रा की जानी चाहिए।

(ग) जिन देशों में एअर इंडिया की सेवाएं प्रदान की जाती हों उन देशों में स्थित मिशन/कार्यालयों में या वहां से स्थानांतरण/नियुक्ति होने पर उस निकटस्थ केन्द्र तक हवाई यात्रा अनिवार्य कर दी जाए, जहां तक एअर इंडिया की सेवाए उपलब्ध हों और शेष यात्रा, रेल/सड़क/समुद्र/हवाई, इनमें जो भी सस्ती व सहज उपलब्ध हो, द्वारा की

जाए। ऐसे मामलों में हवाई व उनसे संबद्ध यात्राएं इस ढंग से बुक की जाएंगी कि मध्यवर्ती स्थलों पर जबरन रूकने की अवधि 24 घंटे से अधिक न हो ।

टिप्पणीः यात्रा टिकटें (किफायती श्रेणी की) केवल एअर इंडिया द्वारा हीं बुक की जाएंगी।

2. विदेशों में स्थित मिशन/कार्यालयों के बीच हवाई यात्रा विमान द्वारा की जाएगी बशर्ते कि दोनों मिशन/कार्यालय, एअर इंडिया की हवाई सेवाओं से जुड़े हुए हों (न कि विदेशी हवाई सेवाओं से) ऐसे मामलों में यात्रा का खर्च भारतीय रिजर्व बैंक के ड्राफ्ट द्वारा भारतीय मुद्रा में अदा किया जाएगा ।

3. जिन मामलों में एअर इंडिया द्वारा अनिवार्य हवाई यात्रा निर्धारित की गई हो वहां अधिकारी किसी भिन्न मार्ग अथवा यातायात के किसी भिन्न साधन द्वारा इस शर्त पर यात्रा कर सकता है कि यात्रा–भत्ता, कार्य ग्रहण समय, यात्रा समय और उन पर मिलने वाले भत्तों संबंधी उसके दावे तथा उसे दी जाने वाली विदेशी मुद्रा के संबंध में सरकार की देयता उसी राशि तक सीमित होगी जो कि संबंधित अधिकारी द्वारा अनुमोदित एअर इंडिया मार्ग द्वारा यात्रा करने पर उसे स्वीकार्य होती। जिन मामलों में भिन्न मार्गों अथवा साधनों का प्रयोग किया गया हो, वहां अनुमोदित मार्गों द्वारा संभावित यात्रा समय अवधि तथा वास्तव में अपनाए गए मार्ग की अवधि के बीच के अंतर को भारत में देय अवकाश के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि इसके लिए पहले से आवेदन किया गया हो तथा यह मंजूर किया गया हो । ऐसे मामलों में अवकाश वेतन केवल भारतीय मुद्रा में ही देय होगा ।

247. यात्रा पर जाने का प्राधिकार

जिन कर्मचारियों को विदेश स्थित भारतीय राजदूतावास मिशन से वापस भारत बुला लिया जाए अथवा नियुक्ति का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने पर किसी दूसरे मिशन में स्थानांतरित कर दिया जाए अथवा उन मिशनों में प्राधिकृत रिक्ति को भरने के लिए भारत से तैनात किया जाए तो भारत में वापस तैनात किए गए वायु सेना के जे0 सी0 ओ0/अन्य रैंकों या उनके समकक्ष अधिकारियों के मामले में थल सेना मुख्यालय अथवा वायु सेना मुख्यालय की शाखाओं अथवा रिकार्ड अधिकारियों द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों/प्रस्थान आदेशों को की गई यात्राओं के लिए प्राधिकार माना जाएगा। नाविकों के मामले में नौसेना मुख्यालय द्वारा जारी सी0 एंड डब्ल्यू सूची/दैनिक सूची अथवा नौसेना बैरक के कैप्टन द्वारा जारी डी0 ओ0 डी0 को इस तरह की यात्रा के लिए प्राधिकार माना जाएगा। अन्य मामलों मं सरकारी आदेश लेने आवश्यक होंगे।

248. स्थायी ड्यूटी के लिए भारत स्थित समुद्री मार्ग/हवाई अड्डे पर और वहां से विदेशी स्टेशनों के रास्ते यात्रा करने के लिए हकदारियां

भारतीय सीमाओं के अंदर की जाने वाली यात्राएं अध्याय दो में दिए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होंगी। किन्तु सामान का वजन नियम 259 के अन्तर्गत निर्धारित मात्रा तक सीमित होगा।

विदेशी स्टेशनों से और वहां के लिए यात्राएं

249. रेल/सड़क तथा समुद्री मार्ग से यात्रा

कर्मचारी और उनके परिवार के पात्र सदस्यों को कर्मचारी के पुराने तैनाती स्थान से नए तैनाती स्थान तक अनुमोदित मार्ग से उपयुक्त श्रेणी और स्तर की रेल/सड़क तथा समुद्री मार्ग (भोजन सहित) के यात्रा खर्च स्वीकार्य होंगे । परिवार के लिए यात्रा खर्च की स्वीकृति पर समय–समय पर जारी किए गए नियम लागू होंगे । चतुर्थ ग्रेड के कार्मिक केवल अपने लिए यात्रा–खर्च के हकदार होंगे। विदेश स्थित ड्यूटी स्थान के लिए उनके परिवार को यात्रा खर्च अनुज्ञेय नहीं होंगे । परिवार के सदस्य इन विनियमों के संगत नियमों के संगत नियमों के अंतर्गत केवल भारतीय सीमाओं के भीतर सवारी के पात्र होंगे ।

कर्मचारी सामान्यतः अपने साथ रहने वाले परिवार के उन सदस्यों, जो कि पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हों, के लिए सवारी का पात्र होगा, लेकिन यदि कर्मचारी की यात्रा के समय परिवार के सदस्य स्वास्थ्य अथवा शिक्षा के कारणों से उनके साथ न रह रहे हों, तो उन्हें गंतव्य स्थान के लिए सवारी अनुज्ञेय होगी, बशर्ते कि यात्रा खर्च, उस लागत से अधिक न हो, जो परिवार के इन सदस्यों को कर्मचारी के साथ यात्रा करने पर स्वीकार्य होते।

स्पष्टीकरणः परिवार के सदस्यों के यात्रा खर्च यात्रा की उसी श्रेणी के संदर्भ में परिकलित किए जाएंगे जिस श्रेणी से उन्होंने यात्रा की हो। इस प्रकार के लिए कर्मचारी के परिवार का जो एक सदस्य प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का हकदार हो उसे निम्न श्रेणी से अधिक लंबी दूरी की यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारी द्वारा अदा किया गया वास्तविक किराया ही स्वीकार्य होगा जो उसके द्वारा की गई यात्रा की श्रेणी के किराए की धनराशि से सीमित होगा।

टिप्पणी 1: भारत से बाहर रेल यात्रा करने के लिए, कमीशन प्राप्त अधिकारी रेल कंपनी द्वारा लगाए गए अनिवार्य आरक्षण प्रभार सहित रेल के प्रथम श्रेणी के वास्तविक किराए के हकदार होंगे। यदि रेल द्वारा रात्री 10 बजे के बाद अथवा सुबह 7 बजे से पहले 5 घंटे की यात्रा की गई हो तो किराए में स्लीपिंग बर्थ अथवा उसी श्रेणी का स्लीपिंग बर्थ सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित अन्य प्रभार भी शामिल होंगे।

टिप्पणी 2: यदि कोई अधिकारी अपनी निजी कार से यात्रा करे तो वह स्वयं के लिए और अपने परिवार के अन्य सदस्यों, जो उसके साथ कार द्वारा यात्रा कर रहे हों, के लिए अनुमोदित मार्ग से उपयुक्त श्रेणी और ग्रेड का किराया प्राप्त कर सकता है और यदि कोई नौकर उसके साथ कार द्वारा यात्रा करे तो उसके लिए अनुमोदित मार्ग से सामान्यतः स्वीकार्य किराया ले सकता है ।

टिप्पणी 3: यदि कोई अधिकारी विधुर हो तो वह सरकार के विशेष आदेशों से अपनी बहन अथवा नजदीकी संबंधी को, अपने बच्चों की देखभाल के लिए अथवा परिचारिका के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी खर्चे पर अपने परिवार के सदस्य के रूप में अपने साथ ले जा सकता है । वह ऐसा तभी कर सकता है जब उसके कर्तव्यों के सही निष्पादन के लिए इसे आवश्यक समझा जाए, किन्तु शर्त यह है कि वह अधिकारी नियम 256 के अंतर्गत नर्स अथवा मास्टरानी के लिए प्रथम श्रेणी की यात्रा खर्च का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 4: जे0 सी0 ओ0/एन0 सी0 ओ0 तथा नौसेना और वायु सेना में उनके समकक्ष अधिकारियों के परिवार के यात्रा खर्च की हकदारी इस शर्त के अधीन होगी कि विदेश में परिवार के लिए आवास उपलब्ध हो ।

टिप्पणी 5: जिन मामलों में किसी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य कर्मचारी के स्थानान्तरण के समय उसके सामान्य स्टेशन से भिन्न किसी अन्य स्थान पर रह रहा हो, उनमें इस नियम के अंतर्गत सरकार परिवार के सदस्य के लिए चिकित्सा अथवा शैक्षणिक कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों के आधार पर भी किराया दे सकती है बशर्ते कि ऐसे निवास के लिए सरकार से पूर्व अनुमति ली गई हो।

टिप्पणी 6: यदि किसी अधिकारी को विदेश स्थित मिशन से वापस आने पर भारतीय नौसेना के जहाज पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो अधिकारी को जिस जहाज पर तैनात किया गया हो उस जहाज के मूल बंदरगाह को उसके सभी प्रकार के भत्तों के लिए अधिकारी का नया तैनाती स्टेशन माना जाएगा।

250. हवाई जहाज द्वारा यात्रा

(क) यदि यह प्रश्न उठे कि क्या हवाई जहाज द्वारा कोई यात्रा विशेष अनुमोदित मार्ग द्वारा की जाने वाली यात्रा से सस्ती पड़ती है तो दोनों यात्राओं की तुलना करने के लिए विमान द्वारा यात्रा की लागत तथा अनुमोदित मार्ग से की गई यात्रा की लागत निम्नलिखित ढंग से परिकलित की जाएगी:

(i) यदि कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को वही यात्रा सड़क मार्ग द्वारा न करनी हो तो हवाई जहाज से यात्रा की लागत में निम्नलिखित को सम्मिलित माना जाएगा:

(1) संबद्ध व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के लिए हकदारी की श्रेणी के विमान किराए की लागत, तथा

(2) हवाई जहाज द्वारा ले जाने वाले स्वीकार्य सामान के लिए विमान भाड़े के रूप में ढलाई लागत, तथा

(3) वास्तव में ले जाए गए माल की भूमार्ग से ढलाई लागत अथवा कर्मचारी की हकदारी का 75% जो भी कम हो।

(ii) यदि कर्मचारी द्वारा स्वयं और/अथवा उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों को हवाई जहाज द्वारा यात्रा करनी हो और अन्य सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्यों को सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करनी हो तथा सामान सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे सदस्यों के साथ निःशुल्क ले जाया जाना हो, हवाई यात्रा की लागत में केवल उपरोक्त खण्ड (i) के (1) और (2) भाग ही सम्मिलित होंगे; और

(iii) अनुमोदित मार्ग से यात्रा की लागत में अनुमोदित मार्ग से पात्रता अनुसार टिकटों की लागत तथा आवास की लागत और ड्यूटी पर विराम को छोड़कर अन्य अनुसूचित विरामों के लिए देय दैनिक–भत्ते शामिल होंगे।

(iv) यदि विशिष्ट परिस्थितियों में सड़क मार्ग से की जाने वाली यात्रा में मजबूरन ठहराव अथवा मजबूरन या आपात विराम करना पड़े तो यात्रा टिकट बुक करने वाला, मिशन/कार्यालय (पोस्ट) को प्रधान खण्ड (iii) के अंतर्गत परिकलित सड़क मार्ग के यात्रा खर्च ऐसे निर्दिष्ट विराम के संबंध में शामिल आवास और दैनिक–भत्ते का उपर्युक्त खर्च भी शामिल कर लेगा।

(ख) यदि खण्ड (i) अथवा (ii) के अंतर्गत परिकलित हवाई यात्रा की लागत खण्ड (iv) में वर्णित वृद्धि को छोड़ने के लिए पूर्व उपखंड (iii) के अंतर्गत परिकलित लागत से कम हो तो कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य अथवा भारतीय नौकर अपनी इच्छा पर सड़क मार्ग के बजाए हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं।

(ग) यदि हवाई यात्रा लागत उपखण्ड (क) के खंड (i) और (iv) के अंतर्गत परिकलित लागत सड़क मार्ग द्वारा यात्रा से कम हो तो मिशन/कार्यालय का प्रधान जिसे कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा टिकट बुक करानी होती है, कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों को हवाई मार्ग से यात्रा के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(घ) लोकहित को ध्यान में रखकर सरकार किसी कर्मचारी और/या उसके परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों को उपयुक्त श्रेणी में हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

(ङ) यदि लोकहित में अथवा सेवा की अपरिहार्यता के कारण किसी कर्मचारी के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा करना आवश्यक हो तो सरकार इस तथ्य के बावजूद कि इस प्रकार की यात्रा का अनुमोदित मार्ग पूर्णतः अथवा अंशतः सड़क मार्ग से है, किसी कर्मचारी को हवाई जहाज से यात्रा करने का निर्देश दे सकती है। इसी तरह, सरकार उस कर्मचारी के परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों को भी हवाई जहाह से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है । लेकिन सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उस कर्मचारी को हवाई जहाज द्वारा तथा उसके परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों को सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने का निर्देश दे।

250–अ. रक्षा सेवाओं में अनुमानों से भुगतान पाने वाले रक्षा सेवा कार्मिकों और असैनिक कर्मचारियों के संबंध में विदेशी–मुद्रा संरक्षण (यात्रा कर)

(i) रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान पाने वाले जिन सैनिक/असैनिक कार्मिकों को संघ अथवा राज्यों के कार्यों के संबंध में विदेश में तैनाती/प्रतिनियुक्ति पर जाते समय लोकहित में विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी पड़ती है, वे अपने यात्रा दावों के निपटान के समय रसीदें प्रस्तुत करने पर अपने संबंधित विभागों/विदेशी मिशन से इस मद पर 15% की दर से अदा किए गए यात्रा कर की प्रतिपूर्ति का दावा करने के हकदार होंगे। किन्तु ऐसे कार्मिक कर पर किए जाने वाले व्यय के लिए सामान्य यात्रा–भत्ते के एक भाग के रूप में अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं । इस व्यय को रक्षा सेवा अनुमानों के उसी शीर्ष के नामे डाला जाएगा जिसमें यात्रा के खर्चों का हिसाब– किताब दर्ज किया जाता है।

(ii) निजी तौर से विदेशी मुद्रा लेने के लिए भुगतान किए गए कर पर कोई प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

(iii) निम्नलिखित मामलों में सैनिक/असैनिक कार्मिकों को उक्त कर की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी :

(1) जहां स्वीकार्य हो, विदेश में स्थानांतरण के समय सेवा मुख्यालयों या मंत्रालय के संबंधित कार्मिक अनुभाग द्वारा जारी की गई विदेशी मुद्रा निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार अथवा मंजूरी में विनिर्दिष्ट सीमा तक निर्मुक्त करना :–

(क) प्रासंगिक व्यय (विवाहित के लिए 2500/– ₹ और अविवाहित के लिए 1500/– ₹)।

(ख) स्थानांतरण अनुदान।

(ग) बसने के लिए दो महीने के वेतन के बराबर राशि।

(घ) आधा परिधान–भत्ता।

(2) विनिमय सुविधा विदेश में मिशनों पोस्टों मे तैनात भारत सरकार के अफसरों के द्वारा कार की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा मे विनिमय की उच्चतम सीमा ₹ 2.20 लाख है। इसके अलावा एक अफसर विनिमेय मुद्रा में मोटर कार अग्रिम राशि ले सकता है। यदि वह मोटर कार अग्रिम नहीं लेता है, परिवर्तन सुविधा ₹ 2.20 लाख तक ही सीमित रहेगी।

(3) विदेश में दौरे/अस्थायी ड्यूटी/प्रतिनियुक्ति पर जाते समय किसी कर्मचारी द्वारा आहरित नकद भत्ता ।

251. परिवार/नौकर/सामान ले जाने पर ग्रहणाधिकार

(क) यदि कर्मचारी के परिवार के हकदार सदस्य अथवा भारतीय नौकर उसकी तैनाती वाले स्थान पर उसके कार्यभार संभालने की तारीख से 6 महीने के अंदर उसके साथ मिल जाएं तो उन्हे यात्रा टिकट तथा अन्य यात्रा–भत्ते स्वीकार्य होंगे।

किन्तु इसके साथ यह व्यवस्था भी है कि यदि सरकार इस बारे में आश्वस्त हो कि हकदार व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य कुछ कारणों से, जो कर्मचारी अथवा परिवार के सदस्यों के नियंत्रण के बाहर हैं, यात्रा नहीं कर सकते तो सरकार निर्धारित 6 महीने की अवधि को आवश्यकतानुसर बढ़ा सकती है लेकिन यह अवधि कुल मिलाकर 12 महीने से अधिक नहीं होगी । इस प्रावधान के अंतर्गत सरकार द्वारा बढ़ाई गई समय अवधि के बाद कर्मचारी इस अनुमति का हकदार नहीं रहेगा कि उसका अगला स्थानांतरण होने पर उसे परिवार के हकदार सदस्यों अथवा भारतीय नौकर को उससे पहले प्रस्थान करने दिया जाए । ऐसी अनुमति तभी दी जा सकती है जबकि परिवार के पात्र सदस्य अथवा भारतीय नौकर कम–से–कम दो वर्ष के लिए उसके साथ रहे हों ।

(ख) यदि कर्मचारी के स्थानांतरण से ठीक पूर्व उसका बच्चा किसी मान्यता–प्राप्त शिक्षा संस्थान में पढ़ रहा हो तो खण्ड (क) में निर्धारित 6 माह की अवधि 12 महीनों तक बढ़ा दी जाएगी।

(ग) यदि कर्मचारी को किसी ऐसे वर्गीकृत स्टेशन पर तैनात किया जाए जहां परिवार को साथ ले जाने की अनुमति न हो और नियमानुसार कर्मचारी को ऐसे स्टेशन पर परिवार के सदस्यों को साथ ले जाने की अनुमति न दी जाए तथा बाद में उस स्टेशन को ऐसे स्टेशन का दर्जा मिल जाए जहां परिवार साथ रख सकते हों, तो कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्यों के लिए यात्रा टिकट और अन्य यात्रा–भत्ते स्वीकार्य होंगे तथा उपखंड (क) में उल्लिखित 6 महीने की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस

दिन से कर्मचारी को यह सूचित किया जाए कि वह उक्त स्टेशन में अपना परिवार साथ रख सकता है अथवा उस तारीख से जिस तारीख को ऐसा स्टेशन पारिवारिक स्टेशन के रूप में घोषित किए जाने की अधिसूचना प्राप्त हुई हो, इनमें से जो भी पहले हो।

इसके साथ यह व्यवस्था भी है कि यदि परिवार के कर्मचारी के पास पहुंच जाने के बाद कर्मचारी की वहां कम–से–कम एक वर्ष के लिए ठहरने की संभावना न हो तो कर्मचारी के परिवार को उसके पास जाने के लिए यात्रा–भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

252. परिवार अथवा नौकर की यात्रा खर्च के लिए हकदारी

(क) यदि कर्मचारी को स्थानांतरण आदेश प्राप्त हुआ हो तो अपनी संभावित यात्रा में अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों अथवा भारतीय नौकर अथवा नौकरों के लिए अपने अगले तैनाती वाले स्टेशन तक यात्रा करने की अनुमति लेने के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है ।

(ख) मिशन पोस्ट का प्रमुख नियम (क) में दी गई अनुमति दे सकता है यदि परिवार के सदस्य और या भारतीय नौकर व्यक्ति के पिछले तैनाती स्थल पर उसके साथ कम से कम एक वर्ष रहें हों और यदि स्टेशन पर कार्यकाल दो वर्ष की अवधि का था और अन्यथा दो वर्ष के लिए वहां रहता।

(ग) मिशन पोस्ट का प्रमुख नियम (ख) में दी गई अनुमति दे सकता है यदि परिवार के सदस्य और या भारतीय नौकर व्यक्ति के पिछले तैनाती स्थल पर उसके साथ कम से कम एक वर्ष रहें हों और यदि स्टेशन पर कार्यकाल दो वर्ष की अवधि का था और अन्यथा दो वर्ष के लिये वह वहॉ रहता।

(1) व्यक्ति द्वारा कार्यभार छोड़ने पर या घर जाने की छुट्टी लेने पर भारत की यात्रा से छः महीने पहले।

(2) व्यक्ति द्वारा किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए कार्यभार छोड़ने से तीन महीने पहले।

(घ) यदि ऊपर दिये गए नियम ख के अनुसार मिशन या पोस्ट के प्रमुख ने मंजूरी दे दी हो तो व्यक्ति के परिवार के सदस्य और या भारतीय नौकर व्यक्ति से पहले यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वे यात्रा नीचे दी अवधि से पहले शुरू नहीं कर सकते हैं:–

(ड़) यदि अधिकारी के परिवार के किसी सदस्य अथवा भारतीय नौकर ने अधिकार की अपनी यात्रा की प्रत्याशा में उपर खंड (ख) के अनुसार सरकार की पूर्व– स्वीकृति से यात्रा की हो और अधिकारी को सरकारी आदेश से खंड (ग) में निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उसके पूर्व तैनाती स्टेशन पर रोक लिया जाए तो सरकार इस अवधि को अधिकतम 12 माह तक बढ़ा सकती है ।

(च) यदि विदेशों में कार्यरत कर्मचारी ने अपने बच्चे को भारत में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में शिक्षा के लिए भेज दिया हो और बच्चे के भारत वापस लौटने के एक वर्ष के अंदर ही यदि अधिकारी भारत में किसी पद का कार्यभार ग्रहण कर लेता है तो अधिकारी बच्चे द्वारा की गई विदेश से शिक्षा संस्थान के स्टेशन तक की गई यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता प्राप्त कर सकता है किन्तु यात्रा–भत्ते की अधिकतम राशि उतनी ही होगी जो बच्चे के कर्मचारी के साथ यात्रा करने पर स्वीकार्य होती ।

टिप्पणी: उपरोक्त प्रकार के मामालों में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती बशर्ते कि अधिकारी या तो भारत वापस आ जाए अथवा 12 माह की निर्धारित अवधि के भीतर अपने नए पद का कार्यभार संभाल ले, परन्तु कुछ मामलों में आकस्मिक कारणों से कर्मचारी 12 मास की निर्धारित अवधि में भारत वापस नहीं आ पाता या अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाता, ऐसे मामलों में यह अधिकारी के अपने हित में होगा कि वह उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपने स्थानांतरण की प्रत्याशा में शिक्षा के लिए अपने बच्चे को भारत भेजने के लिए रक्षा मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ले ।

(छ) स्थानांनतरण यात्रा–व्यय, साथ ही, ए.एम.ए. सुविधाओं की अनुमति है एकल पूर्णतःआश्रित माता–पिता को, उस सेना कार्मिक या सिविलियन के, जिसे रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान होता है, जो विदेशी मिशनों में सेवारत हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

(i) एकल माता–पिता, जिसका केवल एक बच्चा है, जो विदेशी मिशन में सेवारत है और वह उस पर पूर्णतः आश्रित है; या

(ii) एकल माता–पिता, जिसके अन्य बच्चे है, जिनमें से कोई भी भारत में नही रहता है और जिनके साथ ऐसे माता–पिता नहीं रह सकते है, उसके बच्चे भी विदेश तैनाती के दौरान जो सावा में हैं; या

(iii) एकल माता–पिता, जिसके अन्य बच्चे है, जो भारत में रह रहे हैं, परन्तु जिनके साथ ऐसे माता–पिता आश्रित रूप में नहीं रहे हैं, परन्तु उस बच्चे के साथ रहे हैं जो सेना कार्मिक या सिविलियन हैं, जिसे रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगता किया जाता है, विदेशी मिशनों मे तैनाती से पहले, उसके भारत में निवास के दौरान। इसे नियंत्रण अधिकारिशें द्वारा सत्यपान के अधीन या सेना कार्मिक के सी.जी.एच.एस. कार्ड, राशन कार्ड और पहचान पत्र के संदर्भ में होना चाहिए।

(iv) इस शब्द "पूर्णतः आश्रित" का उसी समान अभिप्राय लिया जाएगा, जैसा नियम 2 में परिवार की परिभाषा में दिया गया है।

(v) कोई अन्य सुविधा/रियायत सामान्यतः परिवार के सदस्य को स्वीकार्य नहीं होगी, जैसे कि एस.एल.एफ., आवास, असबाब, इत्यादि ऐसे एकल माता–पिता को स्वीकार्य होगी।

(vi) ऐसे एकल आश्रित माता–पिता की पात्रता केवल किफायती श्रेणी में यात्रा करने की होगी।

253. कर्मचारी के तैनाती वाले स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर या वहां से यात्रा

(क) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण होने पर कर्मचारी अपने बच्चे (जो पूर्णतः कर्मचारी पर आश्रित हो तथा उसके साथ रहते हों) के लिए अपने तैनाती स्टेशन से भारत में उस स्टेशन तक के लिए यात्रा–भत्ता लेने का हकदार है जहां उसके बच्चे को कर्मचारी के पूर्व तैनाती स्टेशन से नए तैनाती स्टेशन तक कर्मचारी के साथ यात्रा करने पर स्वीकार्य होता और बशर्ते कि बच्चा, कर्मचारी द्वारा नए तैनाती स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक साल के भीतर यात्रा पूरी कर ले।

टिप्पणीः नियम 252 (ङ) के नीचे दी गई टिप्पणी के प्रावधान उपरोक्त मामलों पर भी लागू होते हैं।

(ख) यदि कर्मचारी का बच्चा पूर्णतः कर्मचारी पर आश्रित हो और शिक्षा–पाठ्यकम को पूरा करने के उद्देश्य से भारत या विदेश में किसी अन्य स्टेशन पर अलग रहा हो तथा कर्मचारी का एक स्टेशन से किसी दूसरी स्टेशन पर स्थानांतरण हो गया हो, तो कर्मचारी अपने बच्चे के लिए उस स्थान (जहां बच्चा पढ़ रहा हो) से उस स्टेशन तक (जहां कर्मचारी का स्थानांतरण होना हो) का यात्रा–भत्ता लेने का हकदार होगा बशर्ते कि बच्चे द्वारा यात्रा, कर्मचारी के नए पद का कार्यभार संभालने की तारीख से एक साल के भीतर यात्रा पूरी कर ले ।

(ग) यदि किसी कर्मचारी के परिवार का हकदार सदस्य, जो पूरी तरह उस पर आश्रित हो तथा उसके साथ रह रहा हो, अस्वस्थता के कारण कर्मचारी के तैनाती स्टेशन तक यात्रा तो नहीं करता अपितु इसकी बजाए अधिकारी के तैनाती स्टेशन के अनुमोदित मार्ग के बीच पड़ने वाले स्टेशन तक यात्रा करना चाहता हो तो रक्षा मंत्रालय निम्नलिखित शर्तों पर ऐसे बीच के स्टेशनों तक यात्रा–भत्ता देने की अनुमति प्रदान कर सकता है :–

(i) इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन–पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया हो ।

(ii) इस प्रकार की यात्रा कर्मचारी द्वारा अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 6 माह के भीतर की गई हो।

(घ) यदि अधिकारी को भारत से विदेश में स्थानांतरण कर दिया जाए और वह अपने साथ अपने परिवार न ले जाना चाहे तो वह उसके बदले अपने परिवार के पात्र सदस्यों के लिए भारत में अपने गृह नगर तक यात्रा–भत्ता प्राप्त कर सकता है परन्तु यह भत्ता उस यात्रा–भत्ते की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगा जो उनके अधिकारी के साथ उसके अगले तैनाती स्टेशन तक यात्रा करने के लिए स्वीकार्य होता । किन्तु परिवार के ऐसे सदस्य कर्मचारी के साथ पुनःसम्मिलित होने के लिए दोबारा यात्रा–भत्ता पाने के लिए तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि कर्मचारी का स्थानांतरण तीसरे स्टेशन पर न हो जाए।

254. विदेशों में जाने तथा वहां से आने के लिए प्रासंगिक खर्चे

(क) भारत से बाहर पदों पर या पदों से कर्मचारियों का स्थानांतरण होने पर कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा भारतीय नौकरों की यात्रा तथा सरकारी खर्चे पर उनके निजी सामान को लाने ले जाने के लिए निम्नलिखित प्रभारों की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी । इनमें विदेशों में से किसी पद से किसी ऐसे अन्य पद पर या भारत से बाहर उनकी प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण अथवा प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण के पश्चात भारत वापस आना भी शामिल है।

(i) अनिवार्य प्रभार

निम्नलिखित मदों पर किया गया वास्तविक व्यय :

(1) अवतरण बंदरगाह अथवा हवाई अड्डा, व्यक्ति कर अथवा चुंगी ।

(2) गोदी प्रभार ।

(3) पोर्ट ट्रस्ट प्रभार और घाट भाड़ा लेकिन विलंब शुल्क तथा भंडारण प्रभार को छोड़कर।

(4) जहाज और तट के बीच की नौका का किराया।

(5) यात्रा के साधन के प्रयोग पर लगाया गया सड़क और पुल कर, फाटक शुल्क प्रभार अथवा अन्य अनिवार्य कर।

(6) भारत से बाहर की गई यात्रा के लिए अनिवार्य आरक्षण शुल्क।

(7) चुंगी प्रभार।

(8) विदेशी यात्रा कर।

टिप्पणी 1: कर्मचारी द्वारा उक्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए दावों के साथ वास्तविक वाउचर अथवा अदाता की रसीदें प्रस्तुत करनी होंगी।

(ii) प्रासंगिक प्रभार

निम्नलिखित पदों पर किए गए वास्तविक खर्च की उस सीमा तक प्रतिपूर्ति जहां तक नियंत्रक अधिकारी (इसमें वह अधिकारी भी शामिल हैं जो स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी हो) यह प्रमाणित कर दे कि किया गया खर्च अनिवार्य और उचित था :

(1) अवतरण बंदरगाह अथवा हवाई अड्डा, व्यक्ति कर अथवा चुंगी।

(2) स्थानांतरण भाड़ा अथवा अन्य सड़क परिवहन प्रभार ।

(3) सामान चढ़ाने और उतारने अथवा उपलब्ध कराई गई परिवहन, अभिरक्षण बुकिंग सीमा शुल्क की अनुमति लेने । लेकिन भंडारन और विलंब–शुल्क को छोड़कर, सीमा शुल्क बंध–पत्र के निष्पादन और सामान के परिवहन के लिए अनिवार्य अन्य सेवाओं के लिए ट्रैवल एजेंटों द्वारा वसूल किए गए प्रभार।

(4) यात्रा के मध्यवर्ती स्थान से आगे की यात्रा के टिकटों की बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंटों द्वारा टेलीग्राम अथवा टेलीफोन के लिए वसूल किए गए प्रभार।

टिप्पणी 1: यदि मिशन या पोस्ट के द्वारा यात्रा के बीच में किसी स्थान से जाने की यात्रा के लिए टेलिग्राम या टेलिफोन खर्च किया गया है, ऐसा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। किन्तु, यदि यात्रा बुकिंग के लिए व्यक्ति स्वयं टेलिग्राम या दूरभाष पर खर्च करता है, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

टिप्पणी 2: उपरोक्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारी द्वारा किए गए दावे के समर्थन में ट्रैवल एजेंट को किए गए भुगतान के संबंध में वास्तविक बिल और रसीदें तथा वास्तविक वाउचर और रसीदें प्रस्तुत की जाएंगी। उस स्थिति में ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा जब नियंत्रक अधिकारी को इस बात का विश्वास हो कि खर्च की गई राशि के लिए रसीद प्राप्त करना संभव नहीं था और कर्मचारी यह प्रमाणित कर दे कि मांगी गई राशि वास्तव में अदा की गई थी ।

टिप्पणी 3: उपखंड (ii) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति दावे केवल भारत में बंदरगाह व हवाई अड्डे से चढ़ने व उतरने के लिए किए गए खर्चों और विदेश में की गई सामान की ढुलाई के लिए ही किए जा सकते हैं, जिनमें कर्मचारी के निवास स्थान से, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, हवाई अड्डा या उक्त सड़क मार्ग के बीच किए गए खर्चे भी सम्मिलित होंगे ।

टिप्पणी 4: स्थानांतरण के समय कर्मचारी द्वारा पैकिंग के लिए दिए गए प्रभारों की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है और ऐसे खर्चे कर्मचारी को स्वयं वहन करने होंगे । कुछ मामलों में सामान आदि संभालने वाले एजेंट पैकिंग संबंधी कार्य भी करते हैं और हो सकता है कि बिल में पैकिंग संबंधी प्रभार अलग से न दिखाए गए हों, बल्कि वे संभलाई प्रभारों में ही शामिल हों । चूंकि नियमों के अंतर्गत केवल संभलाई प्रभारों पर किए गए खर्चों की ही प्रतिपूर्ति की जाती है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए इस मद में एजेंट द्वारा वसूल की गई राशि में किसी भी हालत में पैकिंग प्रभार शामिल नहीं किए गए हैं । फिर भी, प्राग, मास्को, बेलग्रड, बीजिंग तथा वार्सा, जहां राज्य द्वारा नियुक्त एजेंट से पैकिंग करवाना अनिवार्य है, से भारत में वापस तैनात होने वाले सेना अताशे और उनके स्टाफ के कर्मचारियों को पैकिंग सामग्री की लागत सहित पैकिंग प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, ऐसे प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले अधिकारी को अपने दावों के समर्थन में आवश्यक वाउचर प्रस्तुत करने होंगे।

टिप्पणी 5: यह छुट्टी के लिए यात्रा के दौरान आकस्मिक खर्चे एअरलाइन द्वारा निःशुल्क स्वीकार्य सामान की कुली या ठेले द्वारा जैसे कि ढुलाई विदेश में की गई यात्रा के हिस्से के लिए दी जा सकती है, विदेश में यात्रा के लिए अफसर, उसके परिवार के सदस्य और भारतीय नौकर के विदेश में यात्रा के लिए प्रासंगिक प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाती है।

टिप्पणी 6: आकस्मिक यात्राओं के दौरान प्रासंगिक प्रभार ऊपर दिए नियमों के अनुसार स्वीकार्य होते हैं। गृह छुट्टी भाड़ा आपातकालीन यात्रा तबादले के साथ गृह अवकाश के दौरान विदेश यात्रा के लिये निम्नानुसार प्रभार दिया जाएगाः–

(क) विदेश में तैनाती स्टेशन पर भारिक की मजदूरी, टैक्सी भाड़ा।

(ख) विदेश में स्टेशन पर किसी अचानक निर्धारित ठहराव के दौरान भारिक की मजदूरी, टैक्सी भाड़ा।

(ग) भारत में यात्रा के लिए कोई प्रासंगिक प्रभार नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी 7: भारत में निजी सामान के परिवहन के लिए नामंजूर प्रभार। खर्च की निम्नलिखित मदों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है:–

(क) रेलवे विविध व्यय।

(ख) मापन शुल्क।

(ग) तुलाई शुल्क।

(घ) निर्यात कर।

(च) मार्किंग प्रभार।

(छ) गारंटी पत्र की प्रति।

(ज) स्टैंप।

(झ) डाक और हवाई डाक प्रभार।

(iii) मुम्बई व दिल्ली में सामान की निकासी के लिए संभलाई एजेंटों के विभिन्न प्रभारों की प्रतिपूर्ति

मुंबई और दिल्ली में सामान की निकासी के लिए संभलाई एजेंटों के विभिन्न प्रभारों की अधिकतम सीमा नीचे दिए अनुसार होगी । यह संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने प्रासंगिक व्यय निर्धारित सीमा से अधिक न करें। अधिकतक सीमा संभलाई एजेंटों की प्रचलित दरों को ध्यान में रख कर निर्धारित की गई है।

(क) यदि सामान की निकासी मुंबई में की जाती है:

	2800	1400	700
(i) पोर्ट ट्रस्ट प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(ii) शिपर डिस्अफिंग प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(iii) केन प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(iv) अनुरक्षक शुल्क	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(v) डॉक्स और चैकप्वाइंट में परिवहन	₹1150	₹770	₹670
(vi) सीमा शुल्क जॉच की सुविधा के लिए सामान को खोजना, बन्द करना और सील करना।	₹860	₹770	₹580
(vii) डॉक्स और चैक प्वाइंट के अंदर भारित की मजदूरी	₹1060	₹960	₹670
(viii) एजेंसी और हेंडलिंग प्रभार	₹4990	₹4030	₹2880

(ख) यदि सीमा शुल्क बंध–पत्र के अंतर्गत सामान दिल्ली लाया जाता है :

(क) मुंबई में प्रभार

(i) पोर्ट ट्रस्ट प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(ii) शिपर डिस्अफिंग प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(iii) केन प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(iv) अनुरक्षक शुल्क	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(v) डॉक्स और चैकप्वाइंट में परिवहन	₹1150	₹770	₹670
(vi) वास्तविक डॉक्स और चैक प्वाइंट में भारित की मजदूरी	₹1060	₹960	₹670
(vii) डॉक्स चैक प्वाइंट से मुंबई रेलवे स्टेशन तक परिवहन या ट्क में सामान लादने या उतारने का प्रभार	₹1440	₹1340	₹1060
(viii) एजेंसी और हेंडलिंग प्रभार	₹4800	₹3840	₹2690

(ख) दिल्ली में प्रभार

(i) रेलवे स्टेशन/ट्रक डिपो में सामान लादने उतारने का प्रभार	₹960	₹770	₹670
(ii) रेलवे स्टेशन/ट्रक डिपो से कस्टम हाउस तक परिवहन	₹1060	₹960	₹860
(iii) सुविधा के लिए सामान को खोलना, बन्द करना और सील करने पर प्रभार (सीमा शुल्क की जॉच)	₹860	₹770	₹580
(iv) केन प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(v) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षक शुल्क इत्यादि प्रभार।	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(vi) कस्टम हाउस से निवास तक परिवहन	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(vii) एजेंसी प्रभार	₹1920	₹1340	₹960

(ग) सामान की सीधे बुकिंग और इनलेंड कन्टेनर डिपो, दिल्ली में निकासी की शुल्क दरें:

(i) शिपिंग कम्पनी द्वारा कन्टेनर के लिए इनलैंड ढुलाई प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(ii) डिस्टफिंग प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(iii) केन प्रभार	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
(iv) डिपो में भारिक की मजदूरी	₹960	₹770	₹580
(v) सीमा शुल्क जॉच की सुविधा के लिए सामान का खोजने, बन्द करने और सील करने का प्रभार	₹770	₹670	₹580
(vi) एजेंसी प्रभार	₹3840	₹3360	₹2400

टिप्पणी 1: यदि एक अफसर हैंडलिंग एजेंट की सेवाएं नहीं लेता है और सामान की निकासी का प्रबंध स्वयं करता है। उसके द्वारा पोर्टर या कुली पर किया गया व्यय भारित की मजदूरी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और न कि ट्रेवल एजेंट के आनलाडिंग प्रभार के रूप में।

टिप्पणी 2: वास्तविकता के आधार पर प्रतिपूर्ति किए जाने वाले प्रभार के साथ रशीद लगानी चाहिए।

टिप्पणी 3: शैक्षणिक उपकर सहित मौजूदा सेवा कर स्वीकार्य है।

टिप्पणी 4: हैडक्वार्टर से विदेशी मिशन में तबादला होने पर हैंडलिंग एजेंसी प्रभार तथा हवाई जहाज द्वारा सामान के परिवहन का खर्च भी दिया जायेगा।

(iv) वीजा शुल्क की प्रतिपूर्ति: यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों अथवा भारतीय नौकर को ऐसी यात्रा जिसके लिए यात्रा–भत्ता स्वीकार्य हो, के दौरान किसी ऐसे देश के बीच से अथवा देश में यात्रा करनी पड़े जिसके लिए उनके पास निःशुल्क अथवा शासकीय अथवा राजनयिक वीजा उपलब्ध न हो, तो उन मामलों में खर्च किए गए वास्तविक वीजा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

टिप्पणी 1: वीजा शुल्क पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा यात्रा–भत्ते के साथ में ही किया जा सकता है । यह दावा वास्तविक रसीद प्रस्तुत करने पर अथवा कर्मचारी द्वारा खर्च के संबंध में दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा जिसे नियंत्रक अधिकारी द्वारा उस कर्मचारी के पासपोर्ट के संदर्भ में सत्यापित किया जाता है जिसके लिए वीजा प्राप्त किया गया था ।

टिप्पणी 2: विदेश में जाने वाले अफसर का यह दायित्व बनता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके पास ट्रॉजिट वीजा सहित सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। ट्रॉजिट वीजा न होने पर किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।

(v) ट्रॉजिट के दौरान निजी सामान का बीमा: रेल, सड़क, वायु मार्ग अथवा स्टीमर से यात्रा करते समय निजी सामान का सामान्य जोखिमों के लिए बीमा प्रभार जिनमें अग्नि, चोरी अथवा उठाईगिरी और सेंधमारी भी शामिल है । ऐसा बीमा कर्मचारी के निवास स्थान से प्रस्थान करने की तारीख से अथवा उसके पूर्व मुख्यालय के भंडारण स्थान से कर्मचारी के आवास पर अथवा भंडारण के स्थान अथवा कर्मचारी के मुख्यालय में होटल उसकी सुपुर्दगी तक लागू होगा, बशर्ते कि बीमाकृत संपत्ति का मूल्य निर्धारित राशि से अधिक नहीं :

(i) 10,000 या इससे ज्यादा ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी	₹ 1,87,500/–
(ii) 7600 ₹ से 9000 ₹ ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी	₹ 1,50,000/–
(iii) 5400 ₹ से 6600 ₹ ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी	₹ 1,31,250/–
(iv) 4200 ₹ से 4800 ₹ ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी	₹ 75,000/–
(v) 4200 ₹ से कम ग्रेड पे लेने वाले अधिकारी	₹ 63,750/–

टिप्पणी 1: जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण के लिए एक वर्ष से कम समय के लिए विदेश गए हों, उनका प्रथम श्रेणी में यात्रा के लिए ₹ 5000/– की बीमाकश्त संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि अन्य को ₹ 2000/– मूल्य के बराबर बीमा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, किन्तु शर्त यह है कि इस उद्देश्य के लिए विदेशीं मुद्रा नहीं दी जाएगी ।

टिप्पणी 2: उपरोक्त उपखंड (v) के अनुसार बीमें पर किए गए वास्तविक खर्चे की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:—

(1) यदि बीमाकश्त संपत्ति का मूल्य उपरोक्त उपखंड (v) में दी गई अधिकतम सीमा से ज्यादा हो तो केवल उतनी ही राशि, जितनी कि निर्धारित राशि की संपत्ति पर खर्च करनी पड़ती, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(2) यदि किसी अधिकारी ने अपने निजी सामान का प्रश्नगत यात्रा के लिए पारगमन जोखिम सहित अन्य जोखिमों के लिए पहले से बीमा करा लिया हो तो उस अधिकारी को वास्तव में अदा किए गए प्रीमियम के उतने हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी जितना पारगमन अवधि बीमा कुल बीमा अवधि का भाग हो या बीमें के उस भाग के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी जो निजी सामान का प्रश्नगत यात्रा के लिए विशेष तौर पर बीमा कराने के लिए अदा करना पड़ता, इनमें से जो भी कम हो, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा वही होगी जो उपर उपखंड (1) में निर्धारित की गई है।

(3) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कर्मचारी की होगी कि उसका सामान सही ढंग से पैक किया गया है और पेटी में उचित ढंग से रखा गया है और बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों और विनिर्देशनों का अनुपालन किया गया है ताकि बीमा न्यूनतम संभव दरों पर कराया जा सके ।

(4) यदि साधारण बीमे की सुविधा उपलब्ध न हो तो कर्मचारी, स्थानांतरण आदेश के अधीन अपने सामान के लिए युद्ध अथवा अन्य असाधारण जोखिमों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आवश्यक बीमा किस्त का भुगतान करके सामान का बीमा कराने के लिए अनुमति मांगते हुए सरकार से आवेदन कर सकता है ।

(vi) भंडारण प्रभारः नियम 259 तथा उपरोक्त खंड (v) में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार सामान के भंडारण, निक्षेप, अथवा सुरक्षित अभिरक्षा पर और भंडारण के दौरान बीमे पर किया गया वास्तविक खर्च।

(1) यदि, पारगमन के दौरान कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के नियत विराम के दौरान मध्यवर्ती विराम स्थल पर अथवा अनियत विराम की अवधि, जिसके लिए दैनिक–भत्ता स्वीकार्य हो, के दौरान अथवा सामान के लिए सामान्य परिवहन उपलब्ध न होने के कारण सामान का भंडारण करना पड़े भले ही कर्मचारी और/अथवा उसके परिवार के सदस्यों के लिए आगे की यात्रा संभव हो ।

(2) यदि, यात्रा शुरू करने से पहले, कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य को प्रस्थान स्टेशन पर मजबूरन विराम करना पड़े तथा कर्मचारी अथवा कर्मचारी के परिवार के सदस्य का होटल में ठहरना अनिवार्य अथवा आवश्यक हो ।

(3) यदि, विदेश स्थित स्टेशन पर पहली बार पहुंचने पर अथवा उस स्टेशन पर अपनी तैनाती अवधि के दौरान कर्मचारी को आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में होटल में मजबूरन ठहरना पड़े ।

(4) यदि, किसी कर्मचारी के विदेश में एक स्टेशन से अन्य दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण आदेश हो चुके हो तथा उस कर्मचारी को गृह छुट्टी की स्वीकृति मिल चुकी हों और उसे अपने सामान को पिछले तैनाती स्टेशन से सीधे नए तैनाती वाले स्टेशन पर भिजवाना हो।

(5) यदि, किसी कर्मचारी का विदेश स्थित स्टेशन से स्थानांतरण होने वाला हो और उसे सक्षम अधिकारी से अपने अगले तैनाती स्टेशन की कोई सूचना प्राप्त न हुई हो तो उसे उसके पुराने ड्यूटी स्टेशन से प्रस्थान करने की अवधि के लिए उस तारीख तक भंडारण प्रभार स्वीकार्य होंगे, जिस तारीख को उसने अगले तैनाती स्टेशन की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अथवा निजी सामान अपने पुराने तैनाती स्टेशन से अपने अगले तैनाती स्टेशन पर वास्तव में प्रेषित किया हो ।

टिप्पणी 1: उपरोक्त उपखंड (क) (vi) के प्रावधानों के अधीन निजी सामान का भंडारण उस मिशन के अथवा पोस्ट के लिखित पूर्व प्राधिकार से किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में भंडारण स्थान आता हो अथवा भारत में स्थित स्टेशन के नियंत्रण अधिकारी द्वारा पूर्व प्राधिकार से ही किया जाएगा ।

टिप्पणी 2: मिशन/कार्यालय अथवा नियंत्रण अधिकारी निजी सामान का भंडारण प्राधिकृत करते समय यथासंभव सबसे सस्ती व्यवस्था पर विचार करेगा और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को निदेश दिए जाएंगे कि वह अपने सामान का भंडारण अपने अंतिम तैनाती स्टेशन पर अथवा अगले स्टेशन पर अथवा किसी मध्यवर्ती स्टेशन पर अथवा किसी ऐसे स्थान पर करे जहां सरकार को कम से कम खर्चा देना पड़ता हो।

टिप्पणी 3: उपरोक्त उप–धारा (क) (v) के प्रावधानों के अधीन भंडारण प्रभारों की प्रतिपूर्ति तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक मिशन/कार्यालय को मुखिया अथवा नियंत्रण अधिकारी यह प्रमाणित न करे कि :

(1) भंडारण उनके द्वारा प्राधिकृत किया गया था ।

(2) जिस सामान के लिए भंडारण प्रभार का दावा किया गया है उसका भंडारण निःशुल्क

या उस होटल में जहां कर्मचारी ठहरा हुआ है या अथवा सरकारी मिशन/ कार्यालय के अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्यालय के परिसर सहित किसी अन्य भवन में इससे अधिक सस्ती दरों पर नहीं किया जा सकता था, और

(3) भंडारण प्रश्नगत स्टेशन पर उपलब्ध सभी से सस्ती दरों पर किया गया था और यह उचित है ।

(4) निजी सामान पर विलम्ब शुल्क देय नहीं है, किन्तु कुछ ऐसे मामले जिसमें देरी अफसर के नियंत्रण से बाहर थी, मंत्रालय ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति के दावे की अनुमति दे सकता है। मिशन पोस्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफसर के स्टेशन पर पहुंचने के तुरंत बाद, स्थानीय विदेशी कार्यालय से छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। निजी सामान पर दिए गए विलम्ब शुल्क को प्रतिपूर्ति के किसी अनुरोध पर आमतौर पर सरकार कोई विचार नहीं करती है।

(vii) (i) पैकिंग प्रभार : रक्षा सेवाओं के अनुमानों से भुगतान पाने वाले रक्षा सेवाओं के कार्मिकों तथा असैनिक कार्मिकों को विदेश में और विदेश से स्थानांतरण होने पर नीचे बताए अनुसार पैकिंग प्रभार स्वीकार्य होंगे :

(क) किसी मिशन से भारत में अथवा किसी अन्य मिशन में स्थानांतरण होने पर पैकिंग खर्चे स्वीकार्य होंगे, अनुमोदित पैनल में सम्मिलित पैकरों द्वारा की गई पैकिंग पर किए गए खर्चे सरकार वहन करेगी । स्थानांतरण अनुदान/ व्यवधान–भत्ता अलग से स्वीकार्य नहीं होगा । खर्चों का भुगतान सीधे पैकरों को मिशन द्वारा किया जाएगा।

(ख) भारत से विदेश स्थित किसी मिशन/ कार्यालय में स्थानांतरण होने पर स्वीकार्य होगें।

(ग) मिशन/कार्यालय के अध्यक्षों को पैकरों की नामिका में नाम बदलने और नामिका में दर्ज फर्मों के पैकिंग खर्चों वर्तमान दरों में 25% तक संशोधन करने का अधिकार होगा लेकिन दरों में इससे अधिक दरों के लिए संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा जाना जारी रहेगा । किन्तु पैकरों की फर्मों की प्रारंभिक नामिका पहले की तरह विदेश स्थित मिशनों/कार्यालयों द्वारा मंत्रालय को अनुमोदन से ही बनाई जाएगी। इस संबंध में मिशनों/कार्यालयों द्वारा जारी की गई मंजूरी सेना मुख्यालय/सेना परिवहन निदेशालय नई दिल्ली तथा लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जानी चाहिए।

(ii) विदेश मंत्रालय द्वारा समय समय पर पैकर्स के पैनल की स्वीकृति सूची प्रकाशित की जाती है।

(iii) उन देशों के मामलों में, जिनके संबंध में पैकटों की अनुमोदित नामिकाएं अंतिम रूप से तय नहीं की गई हैं, उपरोक्त (i) (क) के अंतर्गत आने वाली यात्राओं के लिए इन विनियमों के नियम 254 और 258 के अंतर्गत वर्तमान पद्धति पहले की तरह अपनाई जाती रहेगी ।

(ख) भारत में आरोहण अथवा अवरोहण हवाई अड्डे पर तथा विदेश में किसी अन्य स्थान पर जहां से कोई कर्मचारी अपनी यात्रा आरंभ करे अथवा समाप्त करे अथवा विराम करे, कर्मचारी स्वयं अपने लिए तथा अपने परिवार तथा अपने नौकर के लिए परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा :

(i) अपने निवास अथवा होटल से रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, घाट (जेटी) अथवा पोतघाट तक अथवा सड़क परिवहन सेवा के प्रारंभिक स्थान तक;

(ii) यात्रा के एक चरण के अंतिम स्थान से यात्रा के किसी अन्य चरण के प्रारंभिक स्थान तक ;

(iii) यात्रा के अंतिम स्थान से अथवा यात्रा के चरण से उसके होटल अथवा दोनों गन्तव्यों के निवास स्थान तक और जिन स्थानों पर दैनिक–भत्ता आहरित किया जाए उनके प्रत्येक मध्यवर्ती विराम स्थलों पर।

टिप्पणीः इस उपखंड के अंतर्गत प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

(1) यदि सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से कोई निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया गया हो तो प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

(2) यदि हवाई कंपनी हवाई अड्डे और एअर टर्मिनल के बीच मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराती हो तो कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य हवाई कंपनी द्वारा एअर टर्मिनल के लिए उपलब्ध कारई गई मुफ्त परिवहन

सेवा का लाभ उठाएगी और इस उपखंड के अंतर्गत प्रतिपूर्ति केवल एअर टर्मिनल से ही स्वीकार्य होगी ।

(3) उपरोक्त खर्चे की राशि कर्मचारी की यात्रा के भारत में की जाने वाली यात्रा के हिस्से के लिए इन नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य राशि तक सीमित होगी और भारत से बाहर यात्रा के दौरान किया गया ऐसा खर्च तभी देय होगा जब नियंत्रण अधिकारी प्रमाणित करे कि अमुक खर्चे उचित और अनिवार्य हैं।

(ग) यदि किसी यात्रा के लिए अनुमोदित मार्ग में हवाई यात्रा भी करनी पड़े चाहे वह पूरी यात्रा हो अथवा उसका कोई भाग अथवा यदि कर्मचारी को लोकहित में या सेवा की आवश्यकता के कारण हवाई यात्रा करने के निर्देश दिए जाएं या वह किफायत की वजह से हवाई यात्रा करें तोः

(i) किसी इंटरनेशनल एअरलाइंस द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय एअरलाइन्स की नियत उड़ानद्वारा यात्रा करने वाले किसी यात्री को स्वतः दी जाने वाली बीमा सुविधा से अधिक विशेष बीमा सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी;

(ii) सामान्यतः भारत में कार्यरत किसी कर्मचारी को, भारत में स्वीकार्य हवाई यात्रा,जो न तो भारत के बाहर शुरू होती हो और न ही खत्म होती हो, के लिए सरकार द्वारा जितना बीमा उपलब्ध कराया जाता है उसके अतिरिक्त कोई विशेष बीमा स्वीकार्य नहीं होगा ;

(iii) भारत के बाहर अनियत उड़ान से यात्रा करने के दौरान मौजूदा बीमा योजना पर अपेक्षित अतिरिक्त बीमा किस्त का जो भुगतान कर्मचारी द्वारा किया जाए, कर्मचारी को उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी । लेकिन बीमा सुरक्षा सीमा ₹ 1,60,000 अथवा कर्मचारी द्वारा विदेश में अपने पद पर आहरित उसके मासिक वेतन के 48 गुणा अथवा भारत में समकक्ष पद पर स्वीकार्य बीमा राशि, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होगी। लेकिन यदि बीमा कंपनी एक अतिरिक्त बीमा किस्त का भुगतान करने पर भी जोखिम स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो उड़ान के दौरान सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ली गई नई बीमा पालिसी की लागत के बराबर की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(घ) सरकारी खर्चे पर ले जाए जाने वाले प्राधिकृत सामान की यात्रा और जिस पर उपर्युक्त प्रासंगिक खर्चे जो

(i) एक वर्ष अथवा उससे कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण पर जा रहे कर्मचारियों

(ii) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण पर भेजे गए विमान द्वारा यात्रा करने वाले कर्मचारियों से स्वीकार्य होते हैं, पुनः सरकारी आदेशों में निर्धारित किए जाएंगे जिनमें सरकार ने प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण की मंजूरी दी हो ।

टिप्पणीः एक वर्ष या इससे कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण के मामले में सामान पर प्रासंगिक प्रभार के लिए विदेशी मुद्रा अलग से जारी नहीं की जाएगी ।

(ङ) हकदारी वाले सामान (साथ जाने वाले और साथ न जाने वाले) को भारत में संबंधित पत्तनों पर आरोहण प्राधिकारियों द्वारा सरकारी खर्चे पर चढ़ाने और उतारने की अनुमति है। इस मामले में, केवल ऐसे खर्चे जो उपर (क) में बताए गए हैं और जो सामान्यतः शुरू में व्यक्ति द्वारा स्वयं खर्च किए जाते हैं अर्थात् ढुलाई शुल्क, पत्तन/घाट तथा बीमा प्रभारों को प्रतिपूर्ति की जाएगी । भारत में पत्तनों पर ट्रेवल एजेंटों द्वारा सामान चढ़ाने व उतारने के मामलों में खंड (क) से (घ) तक में स्वीकार्य सीमा तक प्रासंगिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति पूर्ववत की जाती रहेगी ।

पासपोर्ट और वीजा के लिए अपेक्षित फोटो की लागत कर्मचारी को स्वयं वहन करनी होगी। लेकिन ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें स्थानांतरण अनुदान प्राप्त न हुआ हो तथा जिन्हें अपनी ड्यूटी (स्थायी या अस्थायी) पर यात्रा करने के लिए पासपोर्ट और वीजा के लिए, भारत से विदेश जाने अथवा विदेश से भारत आने, विदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा किसी अन्य देश से दूसरे देश आने अथवा जाने के लिए, फोटो की आवश्यकता हो तो उन पर निम्नलिखित व्यवस्था लागू होगीः

(i) जहां सरकार की ओर से फोटो खिंचवाने की सुविधा मौजूद और उपलब्ध है वहां फोटो निःशुल्क जारी की जाएगी;

(ii) जहां सरकार की ओर से फोटो खिंचवाने की सुविधाएं मौजूद न हों और उपलब्ध नहीं हैं वहां फोटो की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

255. विदेश जाने वाले सैनिक कार्मिकों और उनके परिवारों की डाक्टरी जांच के लिए सवारी खर्च

सैनिक कार्मिकों और उनके परिवारों को सवारी खर्च केवल तभी स्वीकार होगा जबकि ड्यूटी स्टेशन पर अपेक्षित सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें, तैनाती/प्रतिनियुक्ति/ अस्थायी ड्यूटी पर विदेश जाते समय अपेक्षित डाक्टरी परीक्षा कराने और चेचक का टीका लगाने तथा टाइफाइड का टीका लगवाने के संबंध में प्रमाण–पत्र करने के लिए दूसरे स्टेशन पर जाना पड़े।

टिप्पणी: कर्मचारी के साथ जाने वाले परिवार के सदस्यों को यह रियायत तभी स्वीकार्य होगी जब उन्हें प्रतिनियुक्ति/अस्थायी ड्यूटी इत्यादि पर लागू नियमों के अंतर्गत सरकारी खर्चे पर कर्मचारी के साथ जाने की अनुमति हो।

256. रेल तथा सड़क द्वारा यात्रा करने वाले भारतीय नौकरों की यात्रा संबंधी हकदारी

(क) रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने वाला भारतीय नौकर निम्नलिखित का हकदार होगा :

(i) यदि व ऐसे बच्चे के साथ जा रह हो जिसकी आयु अभी पांच साल से कम हो तो वह उसी श्रेणी में स्थान का हकदार होगा जिससे वह बच्चा यात्रा कार रहा हो लेकिन यदि निम्न श्रेणी के भाड़े में अनुपूरक राशि के भुगतान पर उस श्रेणी में शयन स्थान उपलब्ध हो तो केवल निम्न श्रेणी का भाड़ा और अनुपूरक राशि की स्वीकार्य होंगे । यह उपखंड अफसर के केवल एक नौकर पर और भारत से बाहर की गई यात्राओं पर ही लागू होगा ;

(ii) अफसर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ जाने पर जिस रेलगाड़ी से वे यात्रा कर रहे हों उसकी निम्न श्रेणी के स्थान का ;

लेकिन शर्त यह है कि सरकार को पूर्व स्वीकृति लिए बिना यह उपखंड लागू नहीं होगा यदि अफसर और उसका परिवार ऐसी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हों जिसमें प्रथम श्रेणी के सिवाय अन्य स्थान उपलब्ध न हो;

(iii) स्वतंत्र रूप से यात्रा करने पर प्रस्थान की जगह से गन्तव्य स्थान को जोड़ने वाली सबसे सस्ती रेलगाड़ी के सबसे निचली श्रेणी का किराया ।

(ख) जब नौकर सड़क द्वारा यात्रा कर रहा हो :

(i) यदि वह अफसर अथवा उसके परिवार के सदस्य के साथ उस वाहन में जाए जिसके लिए अफसर को सड़क–मील भत्ता स्वीकार्य हो, तो नौकर को अलग से अतिरिक्त किराया स्वीकार्य नहीं होगा ;

(ii) अन्यथा, नौकर उस मार्ग पर उपलब्ध सबसे सार्वजनिक परिवहन के किराए का हकदार होगा ।

(ग) जब एक भारतीय सरकारी अफसर का भारतीय नौकर हवाई जहाज द्वारा यात्रा करता है तो उसकी हवाई जहाज द्वारा यात्रा की हकदारी इकोनोमी क्लास से होती है।

257. विदेश स्थित मिशनों में कार्यरत अफसरों के निजी सेवकों को स्वदेश वापसी

(1) जब किसी अफसर को किसी ऐसे स्थान पर तैनात किया जाए जहां वह एक भारतीय नौकर रखने का हकदार हो अथवा जब प्रत्येक स्थान के संबंध में, उस स्थान के लिए विदेशी–भत्ता नियत करने की स्वीकृति में शामिल किए गए विशिष्ट उपबन्धों के अनुसार भारतीय नौकर के बदले एक पूर्णकालिक नौकर रखने का प्रावधान हो और वह उस स्थान पर भारतीय नौकर को पहले ही ला चुका हो और बाद में उसे भारतीय नौकर को मजबूरन वापस भारत भेजना पड़े तो वह मिशन अथवा कार्यालय के प्रधान को इस आशय का आवेदन कर सकता है ।

(2) यदि मिशन या कार्यालय के इस बात की पूरी तसल्ली हो जाए कि अफसर के भारतीय नौकर के कदाचार के कारण ऐसी कार्रवाई आवश्यक है तो वे निम्नलिखित शर्तों पर उसकी स्वदेश वापसी अधिकृत कर सकता है :

(क) यदि नौकर भारत से विदेश रवाना होने की तारीख से उस अफसर की सेवा में कम–से–कम 18 मास तक लगातार रहा हो तो निम्नलिखित खंड (ग) और (च) के प्रावधानों के अनुसार स्वदेश वापसी की पूरी लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी;

(ख) यदि वह घरेलू नौकर भारत छोड़ने की तारीख से लेकर 18 मास की न्यूनतम अवधि तक लगातार अफसर की सेवा में न रहा हो तो ऐसे नौकर की स्वदेश वापसी

की लागत का 10 प्रतिशत जो ऐसे प्रत्येक नौकर के लिए कम–से–कम ₹ 50 होगा, राशि अफसर खर्च वहन करेगा और शेष लागत भारत सरकार वहन करेगी ;

टिप्पणी: यदि एक अफसर चरित्र सत्यापन और पूर्ववृत्त पूरा होने से पहले ही अपने नौकर को विदेश ले जाता है, इसमे उसका अपना जोखिम होता है और देश प्रत्यावर्तन के लिए चरित्र सत्यापन आवश्यक होने पर, वह अफसर के खर्च से किया जाएगा।

(ग) स्वदेश वापस भेजे जाने वाले नौकर को अफसर के तैनाती के स्थान से लेकर भारत में अवरोहण के पत्तन या प्रवेश करने के प्रथम स्थल तक रेल, सड़क या समुद्री अथवा प्राधिकृत वायु मार्ग से अधिकृत श्रेणी का सीधा टिकट या टिकट दी जाएगी। वह मजबूरन पड़ावों पर लागू किसी भी रियायत का हकदार नहीं होगा । जहां कहीं संभव हो घरेलू नौकर को दी जाने वाली टिकट पर यह पृष्ठांकन कर लिया जाए कि किसी भी प्रकार की स्वीकार्य धन वापसी केवल उसी मिशन या कार्यालय को की जाएगी जिसने टिकट के लिए भुगतान किया हो ;

(घ) अफसर के तैनाती स्थान से पोतारोहण के पोर्ट तक या भारत में प्रथम प्रवेश स्थान तक यात्रा के दौरान नौकर के पारिश्रमिक का भुगतान, नियोक्ता तथा नौकर के बीच आपसी सहमति से किया जाएगा और इस मामले में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। परन्तु अफसर को भारतीय नौकर के नौकरी छोड़ने के बाद की तारीख से उसके पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, चाहे उसने स्थानीय नौकर रखा हो या नहीं।

(ङ) इस पैरा के प्रावधानों के अन्तर्गत देश–प्रत्यावर्तन किए गए एक भारतीय नौकर के बदले में जिस तारीख से अफसर द्वारा एक स्थानीय नौकर नियुक्त किया जाता है उसे एक पूर्ण कालीन स्थानीय नौकर की नियुक्ति के आधार पर अधिकृत विदेशी भत्ता दिया जाएगा, किन्तु यदि किसी स्टेशन पर विशेष अफसर को भारतीय नौकर के बदले में सिर्फ अंशकालीन नौकर प्रदान किया जाता है तो भारतीय नौकर की जगह पर केवल अंशकालीन नौकर को रखा जाएगा।

(च) यदि आर्थिक आधार पर सरकार, एक अफसर को देश–प्रत्यावर्तित नौकर के बदले में दूसरा नौकर रखने की अनुमति नही देती है, जब तक उसका गृह अवकाश सहित या के बिना विदेश में अन्य पोस्ट पर तबादला नही होता है तो उसे सरकारी खर्च पर अन्य भारतीय नौकर को रखने की हकदारी नही होगी। ऐसा अधिकारी, देश–प्रत्यावर्तित किए गए भारतीय नौकर के बदले में अपने खर्च पर अन्य भारतीय नौकर को बुला सकता है। अफसर का विदेश में अन्य पोस्ट पर तबादला होने पर ही नए भारतीय नौकर को सरकारी खर्च पर यात्रा करने के लिये अधिकृत किया जाता है बशर्ते कि यदि अफसर का भारत में तबादला होता है तो नए नौकर का यात्रा खर्च स्वयं अफसर द्वारा वहन किया जाएगा।

टिप्पणी: ऊपर दिए गए उप पैरा की शर्तों के अनुसार देश–प्रत्यावर्तित भारतीय नौकर के बदले में यदि अफसर द्वारा अपने खर्च पर अन्य भारतीय नौकर बुलाया जाता है या नीचे दिए गए पैरा (4) के अनुसार दिवंगत भारतीय नौकर के बदले में अन्य भारतीय नौकर को बुलाया जाता है तो देश–प्रत्यावर्तित दिवंगत भारतीय नौकर को मिलने वाली ए एम ए की सुविधाएं उसे भी मिलती रहेंगी।

(3) यदि मिशन/पोस्ट प्रमुख को यह संतुष्टि हो जाती है कि गम्भीर बीमारी या मानसिक/शारीरिक अपंगता होने के कारण ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो वह भारतीय घरेलू नौकर के भारत प्रत्यावर्तन की स्वीकृति दे सकता है। ऊपर दिये गए नियम 2(ग) में निर्धारित शर्तों के अनुसार नौकर के भारत प्रत्यावर्तन की लागत पर अफसर द्वारा किए गए पूर्ण खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यदि स्थानीय नौकर के बदले में भारतीय नौकर सस्ता हो तो अफसर देश प्रत्यावर्तित किये गये भारतीय नौकर के बदले में सरकारी खर्च पर अन्य भारतीय नौकर रखने के लिये अधिकृत है। किन्तु, यदि अफसर को सरकारी खर्च पर भारत से नौकर रखने की हकदारी नहीं है तो विदेश में अन्य स्टेशन पर उसका सीधे तबादला होने पर चाहे वह गृह अवकाश पर जाता है या नही, भारत से नया नौकर रखने के लिये अधिकृत होगा।

टिप्पणी: शारीरिक अपंगता में ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें घरेलू परेशानी या अन्य परिस्थिति के कारण नौकर गहरी मानसिक चिन्ता में रहता है जिससे वह अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं निभा सकता है।

(4) विदेश में दिवंगत भारतीय नौकर के बदले में अन्य नौकर : एक अफसर के भारतीय नौकर के विदेश में दिवंगत हो जाने पर यदि स्थानीय नौकर की नियुक्ति की तुलना में भारतीय नौकर की नियुक्ति सस्ती हो तो वह दिवंगत नौकर के बदले में सरकारी खर्च पर अन्य भारतीय नौकर रखने के लिए अधिकृत होता है। किन्तु यदि अफसर अन्य भारतीय नौकर रखने के लिए अधिकृत नहीं है, तब अफसर का अन्य पोस्ट पर विदेश में दोबारा सीधे तबादला होने पर चाहे वह गृह अवकाश पर जाता है या नहीं वह सरकारी खर्च पर भारतीय नौकर रखने के लिए अधिकृत है।

टिप्पणीः निजी नौकर का परिवार किसी भी परिस्थिति में यात्रा खर्च का हकदार नहीं होगा।

258. सैन्य कार्मिकों को अपने परिवार के साथ विदेश में स्थायी तैनाती या प्रतिनियुक्ति या भारत से बाहर या अन्य एक्स इंडिया स्टेशन से वापिस भारत आने के लिए निम्नलिखित प्रकार से संयुक्त तबादला ग्रांट दिया जाएगा :

सैन्य कार्मिक	संयुक्त तबादला अनुदान
एम एन एस अफसर, मिड शिपमेन और ऑनरेरी कमीशन्ड अफसरों सहित 5400 रू या इससे ज्यादा ग्रेड पे लेने वाले अफसर	पे बैन्ड में, जीपी, एम एस पी और एन पी ए जहाँ लागू हो सहित एक महीने का वेतन
जे सी ओ, अन्य रैंक, एन सी (ई) और उनके समकक्ष	जी पी, एम एस पी, ग्रुप एक्स पे और वर्गीकरण भत्ते सहित पे बैन्ड में एक महीने तक का वेतन

संयुक्त तबादला अनुदान लेते वक्त अन्य खर्च जैसे निवास स्थान से रेलवे स्टेशन बस स्टैंड एयर पोर्ट तक स्वयं और परिवार के निजी सामान को ले जाने तथा वापस लाने के लिए वाहन खर्च नही दिया जाएगा। अलग से पैकिंग प्रभार भी देय नहीं होगा। इन्हें संयुक्त तबादला अनुदान में शामिल नहीं किया जाएगा।

विदेश में मिशन/पोस्ट में सेवारत एक अफसर अपने विवेक से या तो पैकर्स पैनल की सेवाएं या संयुक्त तबादला अनुदान का आहरण कर सकता है।

टिप्पणी : एक गैर–सैनिक सरकारी सेवक का मामला इस संबंध में जारी किए सरकारी आदेशों से विनियमित किया जाएगा।

259. निजी सामान की ढुलाई

जब कोई कर्मचारी सरकारी खर्चे पर यात्रा कर रहा हो तो उसके निजी सामान की ढुलाई खर्च निम्नलिखित अधिकतम सीमा तक स्वीकार्य होगा :

(क) एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति शिक्षण पाठ्यक्रम पर विदेश जाने वाले सैनिक अफसरों की सामान संबंधी हकदारी :

एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/शिक्षण पाठ्यक्रम पर भारत से बाहर जाने वाले अफसर नीचे बताई गई मात्रा में, जिसमें हवाई कंपनियों द्वारा निःशुल्क छूट भी शामिल है, हवाई जहाज द्वारा सामान ले जाने के हकदार होंगे । जहां कहीं स्वीकार्य हो, निःशुल्क छूट से अधिक सामान साथ न जाने वाले हवाई सामान के रूप में रियायत दरों पर भेजा जाएगा अन्यथा पूरी दरों पर भेजा जाएगा ।

(क) मेजर जनरल और उससे ऊपर अफसरो के लिएः	
(i) 14 दिन तक की अवधि के लिए	30 किग्रा
(ii) 15 दिनों से एक वर्ष की अवधि के लिए	45 किग्रा
(ख) अन्य अफसरः	
(i) 14 दिन की अवधि के लिए	26 किग्रा*
(ii) 15 दिन से 89 दिनों के बीच की अवधि के लिए	36 किग्रा
(iii) 90 दिन से 1 वर्ष की अवधि के लिए	45 किग्रा

*26 कि0 ग्रा0 के भाड़े के मामले में 30 कि0 ग्र0 का भाड़ा और हवाई कंपनी द्वारा अनुमत निःशुल्क छूट सहित 30 कि0 ग्रा0 का भाड़ा एक सामान है अन्यथा सामान का मानदंड 26 कि0 ग्र0 ही है ।

जो अफसर तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/शिक्षण पाठ्यक्रम पर भारत से विदेश जा रहे हो वे सरकारी खर्चे पर प्राधिकृत मात्रा में अपना सामान अपने चुने हुए निवास स्थान पर (अफसर द्वारा विदेश ले जाई गई सामान की मात्रा को घटाकर) ले जा सकते हैं बशर्ते कि अफसर के परिवार ने उसके पुराने तैनाती वाले स्टेशन पर पारिवारिक आवास अपने पास न रखा हो और अफसर का परिवार स्थायी स्थानान्तरण पर यात्रा के लिए हकदारी के

अनुसार वास्तव में चुनींदा निवास स्थान पर चला गया हो और विदेश में उनका शिक्षण पाठ्यक्रम/प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद विदेश से उनकी पुनः भारत में तैनाती होने पर चुनींदा निवास स्थान से भारत में नए ड्यूटी स्टेशन पर चला गया हो ।

जो अफसर 12 महीने से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/शिक्षण पाठ्यक्रम पर भारत से विदेश जा रहे हो, वे स्थायी स्थानांतरण वाली यात्रा की तरह अपने चुनींदा निवास स्थान तक और विदेशाों में अपना शिक्षण पाठ्यक्रम/प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने के बाद भारत में पुनः तैनाती होने पर चुनींदा निवास स्थान से नए तैनाती स्थान तक प्राधिकृत मात्रा में अपना सामान (अफसर द्वारा अपने साथ ले जाए गए सामान को घटाकर) सरकारी खर्चे पर ले जा सकता है।

(ख) (i) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/शिक्षण पाठ्यक्रम पर विदेश जाने वाले सैनिक अफसरों को सामान ले जाने की हकदारी :

एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/शिक्षण पाठ्यक्रम पर भारत से बाहर जाने वाले अफसर नीचे बताई गई मात्रा में सामान ले जाने के हकदार होंगे:—

(क) हवाई जहाज द्वारा

(i) हवाई जहाज द्वारा यात्रा करते वक्त व्यस्क 100 किग्रा और प्रत्येक बच्चा 50 किग्रा जो कि प्रत्येक परिवार के लिए अधिकतम 350 किग्रा है।

(ii) प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण कोर्स पर रूस जाने वाले सैन्य कार्मिकों के सामान के लिए वाहन सुविधा।

एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति अनुदेषण कोर्स पर रूस जाने वाले सैन्य कार्मिक एयर कम्पनी द्वारा दी जाने वाली छूट की सुविधा सहित 80 किग्रा सामान ले जाने के लिए अधिकृत होंगे।

(क) भारत से मास्को तक और वापस आना	रियायती दर पर साथ में न ले जाने वाला एयर कार्गो
(ख) मास्को से प्रतिनियुक्ति साथ ले जाने वाला सामान	स्थल तक और वापस आना

(iii) प्रतिनियुक्ति पर हवाई जहाज द्वारा विदेश जाने वाले नौसेना में एविएशन ब्रांच के अफसरों को एयर कम्पनी द्वारा मुफ्त ले जाने वाले सामान के अतिरिक्त 20 किग्रा सामान ले जाने की अनुमति होगी।

(ख) समुद्र मार्ग द्वारा

(i) परिवार के साथ जाते वक्त	बहिर्यात्रा के लिए 940 किग्रा और वापसी यात्रा के लिए 1300 किग्रा
(ii) परिवार न होने पर या परिवार के बिना जाने पर	बहिर्यात्रा के लिए 630 किग्रा और वापसी यात्रा के लिए 870 किग्रा

भारतीय माल वाहक जहाजों द्वारा साथ न ले जाए जाने वाले सामान के रूप में समुद्री मार्ग द्वारा भेजे जाने वाले सामान की कुल मात्रा में एअर इंडिया द्वारा ले जाने वाले अनुमेय सामान की मात्रा शामिल है और इस पर यथास्थिति 940/630 कि0 ग्रा0 अथवा 1300/870 कि0 ग्रा0 की लागत के बराबर की अधिकतम सीमा लागू है ।

(ग) यदि अफसर चाहें तो वे उपर्युक्त उप पैरा (क) और (ख) के अंतर्गत दी गई रियायतों की बजाय निम्नलिखित सीमा तक हवाई मार्ग द्वारा अपना सारा सामान एक ही खेप में विमान द्वारा ले जा सकते हैं। यह सामान साथ न ले जाए जा रहे सामान के रूप में होगा और इसमें हवाई कंपनी द्वारा प्रति टिकट 20 कि0 ग्रा0 साथ ले जाने वाला वजन भी शामिल होगा ।

(i) परिवार सहित जाते वक्त	बहिर्यात्रा के लिए 376 किग्रा और वापसी यात्रा के लिए 520 किग्रा
(ii) परिवार न होने या परिवार के बिना जाते वक्त	बहिर्यात्रा के लिए 252 किग्रा और वापसी यात्रा के लिए 348 किग्रा

टिप्पणीः सारा सामान एक खेप में एअर इंडिया के माध्यम से बुक कराया जाएगा । जिन क्षेत्रों में एअर इंडिया की उड़ान की सेवा उपलब्ध न हो वहां विदेशी एअर लाइंस द्वारा कार्गो दरों पर सामान ले जाने के लिए सामान एअर इंडिया के माध्यम से बुक कराया जाएगा।

(ख) (ii) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/शिक्षण पाठ्यक्रम पर विदेश जाने वाले सैनिक कार्मिकों को सामान–भत्ता :

एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/शिक्षण पाठ्यक्रम पर विदेश जाने वाले जूनियर कमीशन अफसरों अथवा/और नौसेना/वायुसेना के समकक्ष पदों के

अफसरों/अन्य रैकों को हवाई जहाज/समुद्री जहाज से निम्नलिखित सीमा तक नीचे बताए अनुसार सामान ले जाने की अनुमति होगी :—

(क) अगर पूरा लगेज हवाई जहाज से भेज दिया जाता है	
(i) जब परिवार के साथ जा रहा हो	जाने के लिए 188 किग्रा और वापसी के लिए 250 किग्रा
(ii) जब अकेले जा रहा हो	जाने के लिए 126 किग्रा और वापसी में 174 किग्रा
टिप्पणी: सामान की उपरोक्त हकदारी में एअर इंडिया द्वारा स्वीकार्य निःशुल्क छूट शामिल है ।	
(ख) अगर लगेज अंशतः समुद्री मार्ग से और अंशतः हवाई जहाज से भेज दिया जाता है तोः	
(i) जब परिवार के साथ जा रहा हो	जाने के लिए 470 किग्रा और वापसी में 650 किग्रा
(ii) जब अकेले जा रहा हो	जाने के लिए 315 किग्रा और वापसी में 435 किग्रा

टिप्पणी 1: जूनियर कमीशन अफसर/अथवा (नौसेना/वायुसेना के समकक्ष रैंक पदों के अनुसार) एअर इंडिया के अनिवार्य आदेशों के अनुसार हवाई जहाज द्वारा अपना सामान ले जाने के हकदार होंगे तथा समुद्र मार्ग से भेजने जाने वाले कुल सामान में एअर इंडिया द्वारा स्वीकार्य सामान की मात्रा शामिल है ।

टिप्पणी 2: समुद्री मार्ग तथा हवाई मार्ग द्वारा भेजे गए सामान पर यथास्थिति 470/315 अथवा 650/435 कि0 ग्रा0 की अधिकतम सीमा लागू होगी।

उपरोक्त नियम 259 (ख) (ii) (क) के अंतर्गत भेजे गए सामान के मामले में पूरा सामान एअर इंडिया के माध्यम से एक ही बार में बुक कराया जाना चाहिए । सामान की ढुलाई के लिए एअर इंडिया की सेवाओ का उपयोग किया जाएगा । वहां विदेशी हवाई कंपनियों द्वारा सामान ले जाने के लिए सामान कार्गो दरों पर एअर इंडिया के माध्यम से बुक कराया जाएगा ।

(ग) स्थायी ड्यूटी यात्राओं पर भारत और विदेश स्थित राजनयिक मिशनों के बीच और अन्य देशों की बीच निजी सामान के लिए निःशुल्क ढुलाई की मात्रा :

(क) जब कोई कर्मचारी स्थानांतरण होने पर किसी अन्य पद पर अथवा प्रथम नियुक्ति पर भारत से बाहर किसी पद पर जा रहा हो अथवा जब किसी कर्मचारी की भारत से बाहर सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए तो सामान ले जाने की लागत जिसमें कैरियर्स द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क छूट लिफ्ट वेन भार पैकिंग सामग्री आदि भी सम्मिलित होगी । नीचे बताई गई अधिकतम सीमा तक, मालगाड़ी/सड़क/समुद्र/हवाई मार्ग से स्वीकार्य होगी ।

(i) रेल/सड़क/समुद्र मार्ग से :

रैंक	किग्रा
कमीशन्ड प्राप्त अफसर	2800
अन्य दोनो सेवाओं में जेसीओ और उनके समतुल्य	1400
एनसीओ या अन्य रैंक और अन्य दोनों सेवाओं में उनके समतुल्य	1400

(ii) हवाई जहाज से :

एअर इंडिया से यात्रा करते समय 100 कि0 ग्रा0 प्रति वयस्क और 50 कि0 ग्रा0 प्रति अवयस्क के हिसाब से किन्तु प्रति परिवार अधिकतम सीमा 350 कि0 ग्रा0 है । सैनिक अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों अथवा उनके समकक्ष अन्य रैंकों के लिए एअर इंडिया के अलावा अन्य एअर लाइनों से सामान भेजने की हकदारी कमशः नीचे दिए गए उपखंड (x) तथा उसके नीचे दी गई टिप्पणी में निर्धारित की गई है ।

(iii) यदि कर्मचारी चाहे तो वह उपरोक्त नियम के पैरा (ग), (क) (i) और (ii) के अंतर्गत दी जाने वाली रियायत लेने के बजाए निम्नलिखित सीमा तक अपना पूरा सामान साथ न ले जाए जाने वाले सामान के रूप में विमान द्वारा ले जा सकता है जिसमें एअर कंपनी द्वारा दी जाने वाली प्रति टिकट 20 कि0 ग्रा0 की छूट तथा अनिवार्य आदेशों के अधीन स्वीकार्य सामान भी शामिल है जिसे साथ ले जाए जाने वाले सामान के रूप में ले जाया जा सकता है ।

रैंक	किग्रा
अफसर	1120
जेसीओ और उनके समतुल्य	560
एनसीओ या अन्य रैंक और उनके समतुल्य	560

टिप्पणी 1: पूरा सामान एअर इंडिया के माध्यम से एक बार में बुक कराया जाना चाहिए। सामान की ढुलाई के लिए एअर इंडिया की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए । जिन क्षेत्रों में एअर इंडिया की सेवाएं उपलब्ध न हो, वहां विदेशी एअर लाइंस द्वारा कार्गो दरों पर सामान ले जाने के लिए सामान एअर इंडिया के माध्यम से बुक कराया जाना चाहिए । यदि निजी सामान की ढुलाई नियम 259 (ग) की टिप्पणी 3 के पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार दो खेपों में की जाती है, तो सामान

की संभलाई के तथा अन्य खर्चे केवल एक खेप के लिए ही स्वीकार्य होंगे और दूसरी खेप के लिए नहीं ।

टिप्पणी 2: ये नियम चालकों, सुरक्षा कर्मचारियों आदि कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

(iv) कर्मचारी का नौकर जो कर्मचारी के साथ अथवा परिवार सदस्य के साथ यात्रा न करके अकेले यात्रा कर रहा हो उसे प्रश्नगत परिवहन उपक्रम के नियमों के अधीन स्वीकार्य निःशुल्क रियायत अथवा 75 कि0 ग्रा0 अथवा 12 घनफुट इनमें से जो भी अधिक हो, की छूट मिलेगी ।

टिप्पणी 1: इस नियम में निर्धारित सभी सीमाएं वाहक द्वारा दी जाने वाले निःशुल्क छूट सहित होंगी।

टिप्पणी 2: इस खंड के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा को लागू करने के उद्देश्य से सामान का कुल भार गिना जाएगा, जिसमें पैकिंग सामग्री, केट, डूप पात्र और लिफ्ट केन, यदि कोई हो, का भार भी शामिल होगा।

टिप्पणी 3: "निजी सामान" का आशय कर्मचारी, उसके परिवार के सदस्य अथवा उसके भारतीय नौकर की चीजों से है जो उस स्टेशन पर जहां उसे तैनात या स्थानांतरित किया जाना हो व उपयोग में लाएगी।

सरकार किसी कर्मचारी के पास या उसके स्थानांतरण के समय जो सामान उसके पास है अथवा रास्ते में खरीदा गया हो, जिनमें वे वस्तुएं भी शामिल हैं, जिनके लिए रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन पर आर्डर दिए गए हों, और जो 6 महीने के अंदर कर्मचारी के तैनाती वाले स्टेशन पर पहुंच गई हों, उसकी ढुलाई की लागत भी वहन करेगी ।

टिप्पणी 4: मोटर साईकल, मोटर बाईसिकिल या स्कूटर को छोड़कर यांत्रिक रूप से चलने वाला वाहन या जहाज निजी सामान का भाग नहीं माना जाएगा भले ही इनकी भार इस नियम में निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर हो ।

टिप्पणी 5: कर्मचारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में इस बात की अनुमति नहीं है वह अपने सामान में ऐसी कोई चीज शामिल करें जो उसकी न हो और किसी को वितरित या भेंट की जानी हो :—

(क) (i) यदि ऐसी वस्तुएं किसी परिवहन कंपनी द्वारा निःशुल्क छूट के भाग के रूप में न ले जाई जा सकती हों और उसके लिए समुद्र, रेल, सड़क अथवा हवाई मार्ग से भाड़ा प्रभार देना पड़े अथवा इसके शामिल करने पर सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़े ; अथवा

(ii) यदि ऐसी वस्तुओं को ले जाने से किसी कानून अथवा विनियमों अथवा किन्ही राजनयिक नीतियों या प्रथाओं का उल्लंघन होता हो अथवा किन्हीं राजनयिक विशेषाधिकारों का अतिकमण होता हो ।

(ख) (i) सामान्यतः निजी सामान की ढुलाई यथोप्रयुक्त; मालगाड़ी, स्टीमर, सड़क अथवा हवाई मार्ग से की जाएगी लेकिन यदि परिवहन के एक से अधिक साधन उपलब्ध हों तो सामान्यतः परिवहन के सबसे सस्ते साधन का प्रयोग किया जाएगाः

परंतु इसके साथ यह व्यवस्था भी है कि साधनों से भिन्न किसी अन्य साधन का प्रयोग करता है तो उसे इसमें शामिल की उसी सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी जो उसे उपर्युक्त खंड (क) में निर्धारित सीमाओं के अधीन, नीचे बताए गए साधनों अथवा तरीकों का इस्तेमाल करने पर स्वीकार्य होता ।

(ii) यदि किसी कर्मचारी का भार में किसी पद से स्थानांतरण हो जाता है तो उसे रेल द्वारा सामान पत्तन तक ले जाना पड़ता है जहां से उसे कोई जहाज विशेष पकड़ना हो और ऐसा व्यक्ति अपना कार्यभार सौंपने के बाद छुट्टी पर नहीं जाता तो वह अपना निजी सामान अपने ड्यूटी स्टेशन से पत्तन तक एक्सप्रेस माल गाड़ी से भेज सकता है ।

(iii) यदि कोई कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य समुद्र मार्ग से यात्रा करता है तो उसका निजी सामान भी उनके साथ उसी जहाज में जाएगा जिसमें वे यात्रा कर रहे हों। यह सुनिश्चित करना कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित जहाजरानी कंपनी द्वारा निजी सामान पर दी जाने वाली निःशुल्क छूट का जहां तक निजी सामान के स्वरूप के अनुसार अनुमेय हो, पूरा–पूरा लाभ उठाया जाए और इस संबंध में जहाजरानी कंपनी अथवा एजेंट द्वारा पैकिंग, पैकिटों के आकार–प्रकार और आकृति, भार और माप तथा सामान को समय रहते छुड़ाने के बारे में दी गई शर्तों का पूरा–पूरा पालन करें ।

(iv) टिप्पणी के उपखंड (क) (1) और उपर्युक्त खंड (क) में निर्धारित सीमाओं के अधीन, कर्मचारी निम्नलिखित प्रतिपूर्ति का हकदार होगा :—

(1) जहाजरानी कंपनी द्वारा दी गई निःशुल्क छूट की मात्रा से अधिक माल पर प्रदत्त वास्तविक भाड़ा प्रभार ; और

(2) निजी सामान के उक्त भाग पर लगे वास्तविक भाड़ा प्रभार, जिस पर जहाजरानी कंपनी

के विनियमों के अधीन भाड़ा अलग से देय हो चाहे ऐसे विनियमों के अधीन निःशुल्क छूट स्वीकार्य हो ।

(v) यदि कोई कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य समुद्री मार्ग से यात्रा करता है लेकिन वह अपने पूरे सामान या सामान के कुछ भाग को उस जहाज में, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो, साथ न ले जाए तो कर्मचारी को सामान के उस भाग के भाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी जिसे संबंधित जहाज रानी द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क छूट के अंतर्गत बिना भाड़े के साथ ले जाया जा सकता था ।

(vi) यदि किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य से यह कहा जाए अथवा उसे इस बात की अनुमति दी जाए कि वह समुद्र मार्ग से न जा कर किसी अन्य साधन द्वारा यात्रा करे ओर अनुमोदित मार्ग से सामान की ढुलाई में समुद्री मार्ग सम्मिलित हो तथा कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को या भारतीय नौकर को भी कर्मचारी के गंतव्य स्थान पर ही जाना हो तो :—

(1) स्वीकार्य निःशुल्क छूट की मात्रा तक का सामान उसी जहाज से ले जाया जाएगा जिससे कर्मचारी के परिवार का सदस्य अथवा उसका नौकर यात्रा कर रहा हो और यथावश्यक संशोधनों के साथ सदस्य उपखंड (iii) और (iv) के उपबंध लागू होंगे ।

(2) निःशुल्क छूट से अधिक सामान का शेष भाग अथवा उपर्युक्त खंड (1) लागू होने पर संपूर्ण सामान प्रश्नगत मार्ग से साथ न ले जाए जाने वाले सामान के रूप में, ऐसे सामान के लिए लागू सबसे सस्ती दरों पर ले जाया जा सकता है ।

परंतु यदि सरकार आवश्यक या वांछनीय समझे तो सामान की ढुलाई सबसे सस्ते मार्ग के अतिरिक्त किसी दूसरे मार्ग से प्राधिकृत कर सकती है ।

(vii) रेल द्वारा निजी सामान की ढुलाई की लागत की प्रतिपूर्ति मालगाड़ी द्वारा वास्तव में ले जाए गए सामान की मांग पर लागू होगी, किन्तु अधिक सीमा वहीं होगी जो उपर्युक्त खंड (क) में निर्धारित की गई है ।

(viii) यदि कर्मचारी अपने निजी सामान की ढुलाई यात्री गाड़ी अथवा मालगाड़ी से सबसे सस्ती भाड़े की दरों की बजाय अन्य दरों पर करता है तो वह वास्तव में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा किन्तु प्रतिपूर्ति राशि की अधिकतम सीमा उतनी होगी जितनी कि उपर्युक्त खंड (क) के अधीन स्वीकार्य निजी सामान का अधिकतम मात्रा मालगाड़ी द्वारा ले जाए जाने पर देय होती, लेकिन यदि ढुलाई भारतीय रेल की द्रुत परिवहन योजना के अंतर्गत की गई हो तो कर्मचारी को उस पर लगे अधिभार की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।

(ix) यदि मालगाड़ी द्वारा निजी सामान के परिवहन के बाद उसका समुद्री जहाज अथवा हवाई जहाज में लादना हो और यदि वह प्राधिकारी जिसने कर्मचारी के लिए प्रश्नगत जहाज अथवा हवाई जहाज से यात्रा टिकट बुक कराई हो, इस बारे में आश्वस्त हो कि :

(1) ऐसे कारणों से, जो कि कर्मचारी नियंत्रण से बाहर थे, निजी सामान इससे पूर्व नहीं भेजा जा सका था ;

(2) सामान को मालगाड़ी से भेजे जाने पर उसे जहाज या हवाई जहाज पर लादने के लिए पर्याप्त समय नहीं है । यदि ऐसा अधिकारी यह न समझता कि सरकार के वित्तीय हित में कर्मचारी की यात्रा को आस्थगित करके जहाज अथवा इवाई जहाज से नए सिरे से यात्रा टिकट बुक कराई जाए, तो उसे द्रुत मालगाड़ी या यात्रा गाड़ी से अपना निजी सामान बुक कराने के लिए प्राधिकृत कर दिया जाए तो वह उपर्युक्त खंड (क) के अधीन अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक द्रुत मालगाड़ी या यात्रा गाड़ी द्वारा अपने निजी सामान की ढुलाई की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा ।

(x) किसी अफसर या उसके परिवार के सदस्य को हवाई यात्रा के लिए प्राधिकृत किया गया हो तो वह अफसर और उसके परिवार का हर व्यस्क सदस्य, उपखंड (xi) के अधीन हवाई जहाज द्वारा स्वीकार्य निःशुल्क छूट सहित 45 कि॰ग्रा॰ निजी सामान और 12 साल से कम आयु के हर बच्चे को निःशुल्क हवाई जहाज से ले जाने का हकदार होगा ।

टिप्पणी 1: जूनियर कमीशन्ड अफसर/अन्य रैंकों, और उनके समकक्ष अफसरों के मामले में हवाई कंपनी द्वारा स्वयं के लिए दी जाने वाली निःशुल्क छूट से 9 कि॰ ग्रा॰ अधिक परंतु स्वयं और परिवार के हर पात्र सदस्य के

लिए प्रति व्यस्क सामान की 45 कि॰ ग्रा॰ मात्रा (हवाई कंपनी द्वारा दी गई निःशुल्क छूट सरित) सरकारी लागत पर उन स्टेशनों तक ले जाई जा सकती है जहां वेतन और भत्ते नियमावली के अधीन कर्मचारियों को मौसम की अत्याधिक ठंड के कारण अतिरिक्त परिधान भत्ते प्राप्त करने का हक हो ।

टिप्पणी 2: हवाई कंपनी द्वारा दी गइ निःशुल्क छूट से उपर के सामान को मालवाहक विमान द्वारा भेजा जाना चाहिए ।

(xi) उपखंड (क) के अनुसार विमान द्वारा ले जाए जाने वाले निजी सामान की मात्रा, निःशुल्क छूट सहित, व्यक्ति की कुल निजी सामान का हिस्सा मानी जाएगी ।

(xii) यदि भार से बाहर रहते हुए निजी सामान को सड़क मार्ग से ढोना पड़े तो कर्मचारी सबसे सस्ती दर पर और इस कार्य के लिए वास्तव में उपलब्ध सड़क ढुलाई के सबसे सस्ते साधन द्वारा ऐसी ढुलाई पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

टिप्पणी 1: यदि कोई व्यक्ति अपने निजी सामान को मालगाड़ी के बजाए यात्री गाड़ी से ले जाता है तो वह उस सीमा तक ढुलाई की वास्तवकि लागत प्राप्त कर सकता है जो कि उसे उस स्थिति में स्वीकार्य होती जबकि वह अधिकतम किलोग्राम वजन मालगाड़ी से ले जाता। जो व्यक्ति अपना निजी सामान निर्धारित सीमा के अधीन विमान द्वारा ले जाता है वह किए गए वास्तविक खर्चे उस सीमा तक प्राप्त कर सकता है जो उसे उस दशा में स्वीकार्य होता जब वह सामान की उतनी ही मात्रा सामान्य नियमों के अधीन यथास्थिति यात्री गाड़ी (उसी सीमित मात्रा तक जो उसे उस दशा में स्वीकार्य होती जबकि वह मालगाड़ी से अधिकतम कि॰ ग्रा॰ वजन ले गया होता) सड़क मार्ग अथवा स्टीमर से, ले गया होता ।

टिप्पणी 2: कर्मचारी, अधिकतम स्वीकार्य वजन (कि॰ ग्रा॰) के अधीन, थल मार्ग से निजी सामान की ढुलाई की वास्तविक लागत प्राप्त कर सकता है जो उस पुराने स्थान से उस नए स्थान तक की गई हो जो उसके पुराने स्टेशन से भिन्न हो, (उदाहरण के लिए उस स्थान से जहां वह रास्ते में खरीदा गया हो या पिछले स्थानांतरण के समय उसे पीछे छोड़ दिया गया हो) अथवा उसके पुराने स्थान से किसी ऐसी जगह हो उसके नए स्थान से भिन्न हो।

परंतु आहरित की गई कुल राशि, इस निजी सामान की ढुलाई सहित, उस स्वीकार्य राशि से अधिक न हो जो पुराने स्थान से नए स्थान तक सीधे मालगाड़ी या स्टीमर से अधिकतम स्वीकार्य सामान की ढुलाई करने पर खर्च होती ।

(xiii) भारत में किसी पद से भारत से बाहर किसी पद पर स्थानांतरित होने पर ऐसा कर्मचारी विदेश में अपने कार्यकाल के दौरान उतनी यात्रा में अपने निजी सामान जिसे वह अपने साथ विदेश न ले जा रहा हो, सरकारी खर्चे पर अपने गृह नगर/चुनींदा निवास स्थान पर भंडारण के लिए ले जा सकता है । बशर्ते कि ऐसे सामान की मात्रा संशोधित नियमों के अंतर्गत भारत में स्वीकार्य घरेलु सामान ले जाने की हकदारी तथा उपरोक्त अनुसार सामान की अनुमेय मात्रा के बीच के अंतर से अधिक न हो ।

(xiv) ऐसे कर्मचारी भारत में वापस स्थानांतरित होने पर विदेश में अपने कार्यकाल के दौरान भारत में भंडारित अपने उस सामान को उपर खंड (xiii) में निर्धारित सीमा के अधीन, अपने गृह नगर/चुनींदा निवास स्थान से भारत में अपने नए ड्यूटी स्टेशन तक सरकारी खर्चे पर ले जा सकता है ।

(xv) ऐसे अधिक सामान की गृह नगर/चुनींदा निवास स्थान से/तक ढुलाई का काम कर्मचारी के भारत से विदेश जाने/वापस भारत आने की तारीख से छः महीने की अवधि के अंदर पूरा हो जाना चाहिए ।

259—अ. असैनिक कर्मचारियों के लिए विमान द्वारा ले जाए जाने वाले सामान की मात्रा

(i) रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारी जो विमान द्वारा यात्रा करने के लिए प्राधिकृत हों और जो एक वर्ष तक के लिए प्रतिनियुक्ति/शिक्षण पाठ्यक्रम पर विदेश जा रहे हों, के एअर कंपनियों द्वारा की जाने वाली निःशुल्क छूट के अतिरिक्त, निम्नलिखित मात्रा में विमान द्वारा सामान ले जाने के हकदार होंगे:

अधिकारी की श्रेणी	प्रतिनियुक्ति की अवधि	अतिरिक्त निजी सामान की अनुमति
सभी अधिकारी	दो सप्ताह तक	5 किग्रा
	दो सप्ताह से अधिक	प्रत्येक मामले के अनुसार सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार द्वारा 5 कि॰ ग्रा॰ से अधिक परन्तु अधिकतम 10 कि॰ ग्रा॰ तक की अनुमति दी जाएगी।

(ii) एक वर्ष से अधिक अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम/प्रतिनियुक्ति की यात्राओं के लिए तथा स्थायी ड्यूटी पर विदेश स्थित राजनयिक मिशनों से

नियुक्ति होने पर सामान की मात्रा प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगी ।

260. निजी कार की ढुलाई–सेना के अफसर

(1) प्रथम ग्रेड कमीशन अफसर को स्थानांतरण अथवा सेवांत यात्रा पर निजी कार की ढुलाई लागत स्वीकार्य होगी ।

(2) जिस स्टेशन पर किसी अफसर की ड्यूटी प्रभावी ढंग से निर्वहन के लिए कार अपेक्षित हो तो कार की ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी :–

(i) उस कार के लिए जो अगले स्टेशन पर तैनाती के समय अफसर के पास हो।

(ii) यदि अफसर के पास पिछले स्टेशन पर कार न रही हों तो उस कार के लिए जिसे वह तैनाती वाले अगले स्टेशन पर प्रयोग के लिए खरीदे । ऐसे मामले में ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति खरीद स्थल अथवा कार के निर्माण स्थल से लेकर तैनाती के स्थान तक की जाएगी । यह राशि ढुलाई की उस धनराशि तक सीमित होगी जो कार को पुराने स्टेशन से तैनाती वाले स्टेशन तक ले जाने में लगती ।

(iii) यदि किसी अफसर का मुख्यालय से किसी पड़ोसी देश अर्थात् अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, बर्मा, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका स्थित मिशन/कार्यालय में स्थानांतरित हो जाता है तो कार खरीदने अथवा उसके निर्माण स्थल से तैनाती वाले स्टेशन तक अफसर को कार की ढुलाई पर आने वाली वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(3) (i) उपर्युक्त खंड (1) के मामले में ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति तभी स्वीकार्य होगी जब कार को ड्यूटी वाले तैनाती स्टेशन पर अफसर द्वारा उस स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करने से छः महीने के अंदर भेज दिया जाए तथा उपर्युक्त खंड (i) के मामले में यदि विदेश में तैनाती के अगले स्टेशन पर कार्यभार संभालने से छः माह के अंदर कार के लिए आंशिक अथवा पूरा भुगतान कर दिया हो । असाधारण परिस्थितियों में छः माह की उपर्युक्त सीमा अवधि रक्षा मंत्रालय द्वारा वित प्रभाग के परामर्श से एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

(ii) कार की ढुलाई पर हुए वास्तविक खर्च के प्रमाण स्वरूप अफसर को लदान बिल निमार्णकर्ता का बीजक प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कार स्थानीय विकेता के माध्यम से खरीदी गई हो तो ऐसे मामले में अफसर हो विकेता का बीजक प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें निमार्ण स्थान से कार की ढुलाई के रूप में वसूल की गई धनराशि का विवरण दिया गया हो । अफसर का दावा निर्माण करने वाले देश में भारतीय मिशन के माध्यम से प्राप्त ढुलाई खर्चों के प्राक्कलन तक सीमित होगा।

(iii) कार खरीदने के लिए मोटर कार अग्रिम की स्वीकृति के लिए और कार के ढुलाई खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अफसर को कार्यालय अध्यक्ष से अनिवार्यतः प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(iv) ढुलाई लागत केवल उस कार के संबंध में ही स्वीकार्य होगी जिसकी लंबाई छः मीटर से अधिक न हो ।

(4) यदि किसी अफसर को प्रारंभ से ही विदेश स्थित किसी स्थान पर पूरी अवधि से कम अवधि के लिए तैनात किया जाए तो वह उस स्थान पर खरीदी गई कार की ढुलाई लागत प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(5) (i) यदि कोई अफसर प्रथम किन्हीं दो स्थानों के बीच अपनी कार की ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार हो और पैरा 4 की व्यवस्था के अतिरिक्त उसके पास ऐसी कार हो जो सरकार की राय में कार की आयु, दशा और विदेश में उस स्थान की सड़कों की हालत देखते हुए, जहां उसको स्थानांतरित किया जा रहा हो, वहां प्रयोग में जाए जाने के लिए उपयुक्त न हो तो सरकार (अर्थात् मंत्रालय) उस समय लागू स्थानीय विनियमों के अनुसार, उस कार को अफसर की विदेश में तैनाती के पिछले स्टेशन पर बेचने के लिए और नई कार खरीदने के लिए तथा अफसर की विदेश में नए तैनाती स्थान तक नई कार की ढुलाई के लिए प्राधिकृत कर सकती है । इसके बाद अफसर उस स्थान से जहां नई कार खरीदी गई हो अथवा उसके निर्माण स्थल से अपनी तैनाती के अगले स्थान तक नई कार की ढुलाई की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा किन्तु इस प्रतिपूर्ति की राशि उतनी ही होगी जितनी की उसे उस स्थिति में स्वीकार्य होती, जब उसने अपने पुरानी कार की अपने पिछले स्थान से अपने नए तैनाती स्थान तक ढुलाई की होती । लेकिन इस पैरा के अधीन प्रतिपूर्ति तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि नई कार के लिए अफसर द्वारा विदेश में नए स्थान पर कार्यभार संभालने से 6 माह के अंदर आंशिक अथवा पूरा भुगतान न कर दिया गया हो । असाधारण परिस्थितियों में रक्षा मंत्रालय (वित्त) के परामर्श से उपर्युक्त समय–सीमा में एक वर्ष तक की ढील दी जा सकती है ।

(ii) इस पैरे के उपबंधों के अंतर्गत अपनी नई कार की ढुलाई लागत का दावा करने के लिए अधिकारी को पुरानी कार बेचने के लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी और इससे सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अधीन अथवा आचरण नियमावली के प्रावधानों के अधीन अधिकारी द्वारा वाहन की बिक्री प्राधिकृत कराने के लिए मंत्रालय अथवा विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधि को दी गई शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iii) रिकंडीशंड और सेकंड हैन्ड या निजी कार को प्राप्त करने की परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी। हालांकि, ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति केवल कार की खरीद के स्थान से तैनाती के स्टेशन तक ले जाने की लागत (यानि रिकंडीशंड) सेकंड हैन्ड कार के परिवहन पर अफसर द्वारा किए गए वास्तविक खर्च तक ही सीमित होगी। स्थानीय डीलरों से ऐसी कारों की खरीद के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं स्वीकार्य होगी।

(6) कार के परिवहन प्रभार की प्रतिपूर्ति केवल उसी सीमा तक की जाएगी जो यदि कार को समुद्री मार्ग द्वारा अनुमोदित मार्ग से अथवा उसके किसी भाग से सबसे सस्ते दर से अनबॉक्स करके भेजा गया होता, उस स्थिति में देय होती। किसी कार को बॉक्स करने का खर्च और उस पर किया गया अतिरिक्त खर्च जैसे बीमा आदि का वहन भी अफसर द्वारा किया जाएगा। हालांकि, जहॉ पर शिपिंग कम्पनियॉ कार को अनबॉक्स स्थिति में स्वीकार नहीं करती वहॉ कार को कन्टेनर में भेजा जा सकता है, बशर्ते कि शिपिंग कम्पनी यह प्रमाण पत्र दे कि वह कार को अनबॉक्स स्थिति में स्वीकार नहीं करती।

(7) यदि निजी कार की ढुलाई अनुमोदित मार्ग से रेल द्वारा की जाए तो अफसर ढुलाई का वास्तविक लागत अथवा यात्रा गाड़ी से बिना बक्साबंद कार की ढुलाई के लिए उपलब्ध सबसे सस्ती दर के भाड़े, इनमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा ।

(8) यदि कोई अफसर अपनी कार को बक्साबंद कराता है और उसकी ढुलाई मालगाड़ी द्वारा करता है तो वह मालगाड़ी से वास्तविक भाड़े का और इसके साथ ही अपने निवास स्थान से रेलवे स्टेशन तक आरोहण और अवरोहण स्थानों के मध्य स्थानांतरण के मध्यवर्ती स्थान पर और गंतव्य स्थान पर अवरोहण स्थल से अपने निवास स्थान तक बक्साबंद कार की ढुलाई लागत का हकदार होगा, लेकिन यह राशि हमेशा उस राशि तक सीमित रहेगी, जो कार को बिना बक्साबंद यात्री गाड़ी से भेजने पर खर्च होती ।

(9) सड़क मार्ग द्वारा कार की ढुलाई पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

भत्ते की दरें

ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम	रेल या पोत से जुड़े स्थानों के बीच	रेल या पोत से नहीं जुड़े स्थानों के बीच
(1)	(2)	(3)
(i) जब कार को लाकर ले जाया जाए	पैसेंजर ट्रेन अथवा पोत द्वारा ट्रांसपोर्टेशन पर व्यय पॉच ₹ प्रति किमी तक सीमित	5 ₹ प्रति किमी
(ii) जब कार को ट्रक पर लोड करके भेजा जाए	वास्तविक व्यय जोकि रेल या पोत के भाड़े में से जो भी कम हो, तक सीमित होगा	उत्पादक के एजेंट द्वारा ट्रांसपोर्ट की जा रही कार पर होने वाले वास्तविक व्यय

टिप्पणी 1: यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता सम्बन्धित परिवहन निदेशक द्वारा अधिसूचित भत्ते के समान ही होगा।

टिप्पणी 2: जब कार को सड़क मार्ग से चलाकर ले जाया जाए तो सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्य जो उस कार में यात्रा करें, किसी मील–भत्ते अथवा रेल/हवाई जहाज के किराए के हकदार नहीं होंगे ।

(10) कार परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति में उपर्युक्त पैराग्राफों के अंतर्गत स्वीकार्य भाड़े या मील–दरों के अतिरिक्त ऐसे वास्तविक प्रासंगिक खर्च भी शामिल होगे जैसे कि घाट प्रभार, नदी शुल्क, गोदी शुल्क, लदान और उतराई प्रभार, पत्तन प्रभार या राहदारी या कोई अन्य अनिवार्य शुल्क तथा प्रभार ।

(11) रेल या जहाज द्वारा पारगमन के दौरान अफसर कार के बीमे की लागत का भी हकदार होगा ।

(12) यदि कार की बीमा, पॉलिसी पर, जिसके लिए अफसर पहले ही भुगतान कर चुका हो, अतिरिक्त बीमा किस्त अदा करने में समुद्री बीमा हो सकता हो, तो अफसर को उसी अतिरिक्त बीमा किस्त की अदायगी की जाएगी जो उपयुक्त पैरा 11 के अंतर्गत स्वीकार्य राशि की सीमा तक खर्च करनी पड़े ।

(13) यदि सरकार को यह विश्वास हो कि सामान्य रूप से समुद्री बीमा पॉलिसी नहीं की जा सकती तो वह अफसर को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकती है। वह अपनी निजी कार का अतिरिक्त जोखिमों के लिए भी बीमा करा लें। जिस अफसर को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया जाए उसे जोखिमों के लिए कराए गए बीमे में खर्च हुई अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(14) यदि कोई अफसर सरकारी खर्चे पर अपनी कार किसी स्टेशन पर ले गया हो और उसे ढुलाई की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति कर दी गई हो और जिस स्टेशन पर कार ले जाई गई हो उस स्टेशन पर अफसर के आने के बाद एक वर्ष के अंदर उसे उक्त कार को बेचने की अनुमति दे दी जाए तो कार को उस स्टेशन तक ले जाने के लिए जो भी राशि उसने ली हो वह पूरी की पूरी सरकार को वापस कर देगा ।

(15) यदि सामान्य रूप से पैरा 14 लागू होता है और दुर्घटना या किसी अन्य कारण से कार में बहुत बड़ी खराबी आ जाए और सरकार को इस बात की तसल्ली हो कि अधिकारी को कार के उस स्टेशन पर पहुंचने और बिक्री की राशि प्राप्त करने की तारीख तक एक वर्ष की समाप्ति तक उक्त कार को अपने पास रखने या इस्तेमाल करते रहने के लिए कहना उचित नही होगा तो सरकार पैरा 14 लागू होने से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दे सकती है ।

(16) (i) यदि अधिकारी अपनी निजी कार सरकार के खर्च पर स्टेशन तक या भारत में लाता है और इसकी ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है, तथा उसके बाद वह उस स्टेशन पर कार बेचता है या बेचना चाहता है और सरकार को इस बात की तसल्ली हो कि अधिकारी उस कीमत से काफी अधिक कीमत प्राप्त करना चाहता है या कर सकता है जो उसने कार और इसके उपसाधनों के लिए अदा की थी तो सरकार उसे कार बेचने की अनुमति प्रदान करने की शर्त के रूप में उस स्टेशन तक कार को लाने की लागत के लिए अधिकारी द्वारा ली गई पूरी या कुछ राशि वापस करने के लिए कह सकती है।

(ii) ऊपर पैरा 16(i) में अधिक लाभ को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए लागत के 25 प्रतिशत को उचित लाभ के रूप में लिया जाएगा, इस प्रयोजन के लिए कार की लागत निम्नलिखित रूप से परिकलित की जाएगी :

(क) सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी नई कार को भारत में आयात करने के लिए देय सीमा शुल्क को कार की लागत में जोड़कर भारत में कार की बिक्री पर लाभ का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) लाभ का परिकलन करते समय कार के परिवहन की लागत की राशि जिसकी प्रतिपूर्ति अफसर को पहले ही की जा चुकी है, छोड दी जाएगी या घटा दी जाएगी।

अफसर को 25 प्रतिशत से अधिक लाभ में से परिवहन प्रभार की लागत की आंशिक अथवा कुल राशि वापस लौटानी होगी।

(iii) कार की बिक्री के लिए सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी भले ही अधिकारी किसी अन्य आदेश/नियम के अधीन कार बेचने के लिए पात्र हो ।

(17) उपर्युक्त पैराग्राफों के सभी उपबंधों के अधीन अधिकारी अपनी कार न्यूनतम किराए वाले सीधे मार्ग से अलग रास्ते से तैनाती के स्टेशन तक ला सकता है, परंतु सरकार का व्यय उस अनुमेय व्यय तक सीमित होगा जिससे कार तैनाती के स्टेशन तक न्यूनतम किराए वाले रास्ते से ले जाई जाती ।

261. विदेश से अनुदेश पाठ्यक्रम/ड्यूटी से लौटने पर मोटर वाहन की ढुलाई

(क) प्रथम ग्रेड का अधिकारी विदेश की ड्यूटी/अनुदेश पाठ्यक्रम से लौटने पर भारत में पुराने ड्यूटी वाले स्टेशन पर छोड़ी हुई अपनी निजी कार/मोटर साइकल भारत में पुराने स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक सरकारी खर्च पर ले जाने के लिए हकदार होगा, बशर्ते कि नियम 67/76 में दी गई शर्तें अन्यथा पूरी होती हों।

(ख) यदि अधिकारी अपनी निजी कार/मोटर साइकल अपने खर्च पर परिवार के चुनींदा निवास स्थान

तक और विदेश से अधिकारी की वापसी पर वहां से अपने नए ड्यूटी स्टेशन तक लाता है तो ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति उपर्युक्त खंड (क) के अंतर्गत स्वीकार्य प्रतिपूर्ति तक सीमित होगी।

(ग) जो अधिकारी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनुदेश पाठ्यकम/प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण पर भारत से बाहर गया हो और लौटने पर उसे पुरानी ड्यूटी वाले स्टेशन से भिन्न स्टेशन पर तैनात कर दिया जाए, वह अपने स्वयं के खर्च पर विदेश से लाए गए प्राधिकृत वाहन को उतरने के पोर्ट से नई ड्यूटी वाले स्टेशन तक सरकारी खर्च पर ले जाने का हकदार होगा । किन्तु यह राशि पहले ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक की ढुलाई लागत तक सीमित होगी । बशर्ते कि अधिकारी ने विदेश जाने से अपने पुराने मुख्यालय में कार रखी हो । पिछले खंड में दी गई रियायतें अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य नहीं होंगी ।

(घ) जहाजों/पनडुब्बियों पर कार्यरत अविवाहित अफसर ऐसे अवसरों पर मोटर वाहन को जहाज/पनडुब्बियों के मूल पोर्ट से घर/चुनींदा निवास स्थान तक और वहां से जहाज/पनडुब्बी के मूल पोर्ट तक ले जा सकते हैं जब उनका जहाज/पनडुब्बी दीर्घ कालिक मरम्मत/अनुरक्षण के लिए विदेशी पत्तनों पर भेजा जा रहा हो ।

यदि अधिकारी का भारत में किसी अन्य स्टेशन पर स्थानांतरण हो जाता है, जबकि जहाज/पनडुब्बी बहुत दूर विदेशी पोर्ट पर हो तो वाहन की ढुलाई लागत गृह नगर/चुनिंदा निवास स्थान से अगले ड्यूटी स्टेशन तक स्वीकार्य होगी । उपर्युक्त रियायत इस शर्त पर होगी कि वाहन को ले जाना सामान्य फार्मों के द्वारा अधिसूचित किया गया हो और भारत से बाहर ड्यूटी तीन माह से अधिक की हो ।

टिप्पणी: मोटरकार/मोटर साइकल को ले जाने के लिए अधिकार अवधि अफसर के विदेश से लौटने पर नई ड्यूटी वाले स्टेशन पर उसकी नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए ।

262. तैनाती के अतिरिक्त, भारत से बाहर ड्यूटी पर जाने वाले अधिकारियों के परिवार को ले जाना

(क) जब अफसर तैनाती से अतिरिक्त ड्यूटी पर भारत से बाहर जा रहा हो, तो भारत के अधिवासी अफसर के परिवार के सदस्य उसे निःशुल्क यात्रा टिकट का हकदार बनाने वाली परिस्थितियों में निःशुल्क यात्रा टिकट के हकदार होंगे बशर्ते कि:

(1) विदेश में ड्यूटी की अवधि 12 माह से अधिक हो; और

(2) अफसर के साथ उसका परिवार भी आठ महीने से अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर ठहरें ।

परिवार के सदस्य अफसर के भारत से जाने के बाद छः माह के भीतर जा सकते हैं या उसके भारत से जाने या भारत में आने की यात्रा से एक माह पहले जा सकते हैं । ये समय सीमाएं सरकारी आदेशों के अधीन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग मामलों में बढ़ाई जा सकती है ।

यदि भारत से बाहर ड्यूटी की अवधि की प्रारंभ से एक वर्ष से अधिक होने की संभावना न हो लेकिन संबंधित अधिकारी अपने परिवार को साथ ले जाए और यदि अवधि बाद में बढ़ा दी जाए और यह 12 मास से अधिक हो जाए, तो अधिकारी अपने परिवार के लिए यात्रा खर्च का भी दावा करने का हकदार होगा, बशर्ते कि अधिकारी के साथ परिवार बाद में बढ़ाई गई तारीख से गिनकर आठ महीने से अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर रहा हो।

(ख) अनुदेश पाठ्यकम या प्रतिनियुक्ति पर 12 माह से अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर जाने वाले और विदेश में कार्य के स्थान पर अपने परिवार के लिए निःशुल्क यात्रा के हकदार अधिकारी को निम्नलिखित के लिए विकल्प होगा:—

(1) पूरे परिवार को विदेश ले जाए या पूरे परिवार को भारत में चुनिंदा निवास स्थान पर भेज दें; या

(2) परिवार के, कुछ सदस्यों को विदेश ले जाए और परिवार के उन सदस्यों में से कुछ को, जिन्हें भारत में छोड दिया गया हो भारत में चुनिंदा निवास स्थान पर भेज दें । इसी प्रकार की यात्रा रियायत इन्ही शर्तों के अधीन अधिकारी के विदेश से लौटने पर उससे पुनः जा मिलने के लिए परिवार की वापसी यात्रा के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

इस खंड के उपबंध डी जी डी एफ के संगठन पर लागू नहीं है ।

टिप्पणी 1: ड्यूटी की अवधि अधिकारी के भारत में कार्यभार छोड़ने की तारीख से प्रति नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर भारत में कार्य भार ग्रहण करने की तारीख तक गिनी जाएगी। यात्रा में अनावश्यक रूप से विलंब नहीं किया जाएगा या यात्रा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी ।

टिप्पणी 2: जिस जहाज में भारत नौसेना का अधिकारी कार्य कर रहा हो, यदि वह भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर हो तो अधिकारी को भारत से बाहर ड्यूटी पर माना जाएगा।

टिप्पणी 3: परिवार के भारत से बाहर ठहरने के लिए आठ महीने की अवधि नीचे बताए अनुसार गिनी जाएगी :

(i) यदि परिवार के सदस्य भारत से बाहर प्रस्थान करने की यात्रा अधिकारी से पहले या उसके साथ करें और भारत तक वापसी यात्रा में उसके साथ या बाद में आएं तो अधिकारी द्वारा भारत में कार्यभार छोड़ने की तारीख से उसके भारत में लौटने पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक ।

(ii) यदि परिवार के सदस्य जाने और वापस आने की यात्रा अधिकारी से पहले करते हैं तो अधिकारी द्वारा भारत में अपने पद का कार्यभार छोड़ने की तारीख से उसके भारत में लौटने पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक।

(iii) यदि परिवार के सदस्य जाने की यात्रा अधिकारी के बाद करते हैं और वापसी यात्रा में उसके साथ या बाद में आते हैं तो परिवार के सदस्यों की उस देश में जाने की यात्रा प्रारंभ करने की तारीख से, जिसमें अधिकारी प्रतिनियुक्ति हो, भारत में लौटने पर अधिकारी द्वारा ड्यूटी प्रारंभ करने की तारीख तक ।

(iv) यदि परिवार के सदस्य जाने की यात्रा अधिकारी के बाद करते हैं और वापसी यात्रा में उससे पहले आ जाते हैं तो परिवार के सदस्यों के जाने की यात्रा शुरू करने की तारीख से भारत में परिवार के सदस्यों की वापसी यात्रा के समापन की तारीख तक ।

(v) यदि परिवार के सदस्य जाने की यात्रा अधिकारी के साथ करते हैं और वापसी यात्रा के उससे पहले आ जाते हैं, तो भारत में अधिकारी द्वारा प्रभार छोड़ने की तारीख से परिवार की वापसी यात्रा की समाप्ति की तारीख तक ।

टिप्पणी 4: गिनी जाने वाली यात्रा की अवधि वास्तव में अपनाए गए मार्ग या अनुमोदित मार्ग, जो भी कम हो, से सीधे यात्रा के लिए वास्तव में लगा समय होगा ।

टिप्पणी 5: कार्यभार सौंपने के बाद अधिकारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि यदि कोई हो, और स्वैच्छिक विरामों की अवधि आठ महीने की अवधि की गणना में नहीं गिनी जाएगी ।

टिप्पणी 6: विदेश में प्रतिनियुक्ति/अनुदेश पाठ्यकम पर गए अधिकारियों को निजी कारणों से छुट्टी प्रदान करना निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में अधिकारी और उसके परिवार की भारत लौटने की यात्रा के हक पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा :

(i) यदि विदेश में प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण से पहले, के दौरान या इसकी समाप्ति पर निजी कारणों से भारत से बाहर की गई/की जाने वाली ड्यूटी की वास्तविक अवधि (भारत से प्रतिनियुक्ति वाले देश तक जाने और आने के पारगमन समय तथा मजबूरन विराम, यदि कोई हो, या 14 दिन, जो भी कम हो, को छोड़कर) के 50 प्रतिशत से अधिक छुट्टी मंजूर की गई हो।

(ii) यदि छुट्टी चिकित्सा आधार या विदेश में प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण से पहले के दौरान या इसकी समाप्ति पर यात्रा के लिए अपरिहार्य प्रतीक्षा के कारण मजबूरन विराम की अवधि लाभप्रद रूप से बिताने के लिए ली गई हो ।

(iii) यदि आकस्मिक या वार्षिक छुट्टी विदेश में पाठ्यकम व्यवधान की मान्य अवधियों के साथ ली गई हो ।

स्पष्टीकरण: इस टिप्पणी में उल्लिखित सभी मामलों में आने और जाने की यात्राओं के लिए यात्रा–भत्ता और पारगमन समय मुख्यालयों के और आवक यात्राओं के संदर्भ में स्वीकार्य होगा ।

(ग) तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम अवधि के लिए अनुदेश पाठ्यकम या प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर जाने वाला अधिकारी भारत में चुनिंदा निवास–स्थान तक परिवार के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि उसने पुरानी ड्यूटी वाले स्टेशन पर आवास एक माह से अधिक अवधि के लिए न रखा हो । किसी भी अवस्था में अधिकारी के परिवार के सदस्य विदेश जाने के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा के हकदार नहीं होंगे। इसी प्रकार की यात्रा रियायत इन्ही शर्तों के अधीन अधिकारी के विदेश से लौटने पर उससे पुनः मिलने के लिए परिवार के सदस्यों की वापसी यात्रा के लिए स्वीकार्य होंगी ।

इस खंड के प्रावधान डी जी ओ एफ संगठन पर लागू नहीं होंगे ।

अस्थायी ड्यूटी यात्राएं

263. सामान्य

अपनी ड्यूटी के क्षेत्र में आने वाले देशों में अपनी अस्थायी ड्यूटी यात्राओं पर विदेश में राजनयिक मिशनों में तैनात सैनिक कार्मिकों को स्वीकार्य यात्रा–भत्ता, दैनिक–भत्ता, होटल आवास प्रभार और प्रासंगिक प्रभार इसके बाद के नियमों में दिए गए हैं ।

टिप्पणी 1: 'अनुमोदित मार्ग' से तात्पर्य प्रश्नगत विशेष यात्रा के लिए अनुमोदित मार्ग से है और ऐसे मामलों में जहां दो स्टेशनों के बीच यात्राओं के लिए मानक मार्ग हो, वहां ऐसा मार्ग ही अनुमोदित मार्ग होगा । ऐसा व्यक्ति जो

अनुमोदित मार्ग से भिन्न मार्ग से यात्राएं करता है। उदाहरणार्थ अनुमोदित मार्ग रेल द्वारा होने पर रेल या अपनी स्वयं की कार से यात्रा करना । वह अनुमोदित मार्ग से यात्रा के लिए देय राशि से अधिक राशि का दावा करने का हकदार नहीं होगा। दूसरी ओर यदि जिस मार्ग से वह यात्रा करता है उसका किराया वह अनुमोदित मार्ग से कम हो तो वह किए गए वास्तविक खर्च से अधिक खर्च मांगने का हकदार नहीं होगा ।

टिप्पणी 2: 'ड्यूटी पर यात्रा' में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, चर्चाओं, परामर्शों में भाग लेने के लिए की जाने वाली प्राधिकृत मात्रा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी खर्च पर प्राधिकृत की गई यात्रा शामिल है ।

टिप्पणी 3: इन नियमों प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे बताए अनुसार होंगे :

(क) मिशनों के अध्यक्षों को उन दोनों देशों में सर्विस अताशे/सहायकों की ड्यूटी की यात्राएं प्राधिकृत करने का अधिकार होगा जिनमें वे तैनात तथा प्रत्यायित किए जाते है। इसी प्रकार सर्विस अताशे/सलाहकार अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों की मात्रा भी प्राधिकृत करेंगे । ऐसे देश के दौरे के मामले में, जिसमें सर्विस अताशे/सलाहकार प्रत्याशित किए गए हों, यदि मिशन का अथवा उस देश से अलग देश का हो जहां सर्विस अताशे/सलाहकार तैनात हों तो उस देश के सर्विस अताशे/सलाहकारों और उसके कर्मचारी के दौरे के लिए पूर्वानुमोदन उस देश में मिशन के अध्यक्ष से प्राप्त किया जाएगा ।

(ख) संबंधित मिशनों के अध्यक्ष सर्विस अताशे/सलाहकारों के संबंध में उनके यात्रा–भत्ते दावों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के प्रयोजन से नियंत्रण अधिकारी भी होंगे और सर्विस अताशे/अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी होंगे ।

(ग) समवर्ती प्रत्यायन वाले देश के भीतर सर्विस अताशे/सलाहकार और उनके कर्मचारियों द्वारा की गई यात्राओं के लिए यात्रा–भत्ता दावों की यथातथ्यता पहले उन देशों के मिशन अध्यक्षों, द्वारा प्रमाणित जिनकी यात्रा की गई हो । यदि प्रत्यायन वाले देश (शों) में मिशन की कोई अध्यक्ष न हो तो यात्रा–भत्ता दावों पर उपर (ख) में बताए अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

264. रेल/जहाज/विमान द्वारा यात्रा

1. रेल द्वारा यात्रा

रेल द्वारा सरकार कर्मचारी विदेशों में रेल यात्रा करने के लिए उपयुक्त श्रेणी के वास्तविक भाड़ों और मुख्यालयों से दूर बताई गई प्रत्येक रात्रि के लिए निर्धारित दरों पर अतिरिक्त रूप से दैनिक–भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

सैन्य अताशे या सलाहकार के स्टाफ के रूप में कार्यरत ₹ 4200 से लेकर ₹ 4800 तक का ग्रेड वेतन पाने वाले सैन्य कार्मिकों की छः घंटे से अधिक की रात्रि यात्रा के लिए स्लीपर अकोमोडेशन (जहां पर द्वितीय श्रेणी किराए के साथ अतिरिक्त राशि देकर स्लीपर अकोमोडेशन उपलब्ध हो) की स्वीकृति देने के लिए एच ओ एम शक्ति प्रदत्त होता है। जिन देशों में रेलवे की द्वितीय श्रेणी यात्रा में किसी प्रकार का स्लीपिंग अकोमोडेशन नहीं दिया जाता और जब सरकार द्वारा पहले से ही (छः घण्टे से अधिक की रात्रि यात्रा के दौरान) कार्मिक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ रहने की अनुमति दी गई हो तो एच ओ एम से प्राप्त विशेष प्राधिकार पत्र पर उन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि इसमें स्लीपिंग अकोमोडेशन उपलब्ध हो। एच ओ एम से एक प्रमाण पत्र लिया जाएगा या टी ए बिलों पर इस आशय का प्रमाण दिया जाएगा कि दावा किए खर्च वास्तव में हुए हैं। यह रियायत उन देशों में नहीं दी जाएगी जहॉ पर द्वितीय श्रेणी में स्लीपिंग अकोमोडेशन है लेकिन आरक्षण के लिए आवेदन न करने या किसी अन्य कारण से इसका लाभ नही उठाया गया है।

2. जहाज द्वारा यात्रा

जहाज द्वारा यात्रा करने पर सामान्य नियम लागू होंगे ।

3. विमान द्वारा यात्रा

(क) विदेश में राजनयिक मिशनों में कार्यरत सर्विस अताशे/सलाहकारों को ड्यूटी पर विमान से यात्रा करने की अनुमति है, बशर्ते कि विमान से यात्रा करना उनकी हकदारी की श्रेणी में स्थल मार्ग से यात्रा करना अपेक्षाकृत सस्ता हो। विमान से यात्राएं संबंधित मिशन के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन करने से की जाएंगी ।

वायुयान से यात्रा के प्रयोजन के लिए ग्रेडों को वर्गीकरण पर नियम 245 लागू होगा ।

(ख) मिशन/पोस्ट का अध्यक्ष जिसे कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा बुक करानी होती है, यदि विमान द्वारा यात्रा करना स्थल–मार्ग से यात्रा करने की अपेक्षा सस्ता पड़ता हो तो कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को विमान से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

टिप्पणी 1: अमेरिका में भारत का राजदूत अपने विवेकानुसार वाशिंगटन में सर्विस अताशे तथा अपने स्टाफ को अमेरिका में ड्यूटी पर अमेरीका से कनाडा के साथ–साथ अमेरिका से मेक्सिको तक और वापसी यात्राएं विमान द्वारा करने की मंजूरी दे सकता है ।

टिप्पणी 2: कनाडा में भारत का आयोग अपने विवेक से सर्विस सलाहकार और उसके अधीन काम कर रहे अपने कर्मचारियों के लिए (कनाडा) के भीतर ड्यूटी पर विमान से यात्राएं करने की मंजूरी दे सकता है ।

टिप्पणी 3: दौरे पर की यात्राओं के लिए यदि तैनाती देश से बाहर विमान द्वारा यात्रा की जा रही हो तो प्रति वयस्क टिकट के साथ 45 कि0 ग्रा0 (हवाई कंपनियों द्वारा अनुमत निःशुल्क छूट को मिलाकर) तक के निजी सामान की ढुलाई स्वीकार्य होगी । परंतु शर्त यह होगी कि निःशुल्क छूट से अधिक वजन का सामान माल के रूप में ले जाया जाएगा । मांगे जाने वाले प्रासंगिक प्रभार केवल ऐसे अनिवार्य प्रभार होंगे जो कर्मचारी पर लगाए गए हों ।

4. प्रासंगिक खर्चे

जहां तक प्रासंगिक खर्चों का संबंध है, यात्रा के लिए प्रासंगिक केवल आवश्यक खर्चे (जैसे टैक्सी भाड़ा, सामान के पंजीकरण के लिए शुल्क, कुली की मजदूरी) और जिन्हें खर्च करना हो कर्मचारी द्वारा वह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर किए गए जिन खर्चों का यात्रा से कोई संबंध न हो उनकी प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी ।

स्वीकार्य सामान्य प्रासंगिक प्रभारों के अतिरिक्त स्थान शयनयान का जिसमें रेलवे में स्थान भी शामिल है, के आरक्षण के संबंध में यात्रा एजेंसियों द्वारा वसूल किए गए टेलीग्राम और टेलीफोन संबंधी खर्चे सप्लाई और अन्य सभी एजेंसी सर्विस प्रभारों तथा शुल्कों की प्रतिपूर्ति रेल द्वारा विदेश में की गई यात्राओं के लिए दी जाएगी बशर्ते कि नियंत्रण अधिकारी इन्हें आवश्यक और उचित समझता हो । परंतु कर्मचारियों द्वारा स्वयं वहन किए गए टेलीग्राम और टेलीफोन प्रभारों की प्रतिपूर्ति प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर दी गई विशिष्ट मंजूरी के अलावा नहीं की जाएगी।

समान के रजिस्ट्रीकरण और ढुलाई के लिए टैक्सी प्रभारों का भुगतान, दौरे की यात्रा के प्रासंगिक प्रभारों की तरह स्वीकार्य है, अर्थात् जब कर्मचारी स्थायी मुख्यालय से दौरे पर जाने वाले स्थानों तक और मुख्यालय आने की यात्रा करता है । यात्रा के प्रासंगिक टैक्सी प्रभारों में केवल, बंदरगाहों से विराम स्थल पर निवास तक और वापसी यात्रा के प्रभार शामिल हैं । टैक्सी प्रभारों से तात्पर्य उन प्रभारों से नहीं है जो प्रारंभिक यात्रा पूरी करने के बाद विराम स्थल पर वहन किए गए हों । ऐसे टैक्सी प्रभार जो प्रारंभिक यात्रा या आठ किलोमीटर के घेरे में यात्राएं पूरी करने के बाद विराम स्थल पर वास्तव में वहन किए जाएं तथा जो नियंत्रण अधिकारी द्वारा आवश्यक और उचित समझे वे दैनिक–भत्ते के अतिरिक्त देय होंगे । रेलवे स्टेशन/एअर कंपनी के नगर बुकिंग कार्यालय (एयरपोर्ट केवल तभी जब एअर कंपनी द्वारा अपने नगर कार्यालय से रिपोर्ट तक निःशुल्क परिवहन तक निःशुल्क परिवहन प्रदान न किया जाता है) से वहां तक, डाक तक/वहां से केवल ड्यूटी के स्थान के वास्तविक सवारी खर्चे स्वीकार्य होंगे। यदि रेलवे स्टेशन/कंपनी के कार्यालय/एयरपोर्ट डाक से/वहां तक निवास के स्थान तक/वहां से कर्मचारी द्वारा मांगे गए वास्तविक खर्चे कार्यालय से/वहां तक से कम हो तो पूर्वोक्त खर्चे की अनुमति दी जाएगी और इस आशय का प्रमाण–पत्र यात्रा–भत्ता बिल में दर्ज किया जाए ।

सरकारी दौरों पर विदेश जाने वाले अधिकारियों को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर यात्रा के देश में एअरपोर्ट से होटल और होटल से एअरपोर्ट की यात्राएं करने के लिए वहन किए गए वास्तविक टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी कि उसने/उन्होंने उक्त यात्रा (ओं) के लिए भारतीय मिशन द्वारा प्रदान की जाने वाली कार सुविधा प्राप्त नहीं की ।

265. सड़क मार्ग से यात्रा करना

(क) सड़क मार्ग से भारत से बाहर यात्राओं के मामले में अदा किए गए वास्तविक भाड़े स्वीकार्य होंगे।

(ख) कर्मचारी सड़क मार्ग से यात्रा कर सकता है, यदि :—

(1) कर्मचारी सड़क मार्ग से यात्रा करना अनुमोदित मार्ग का हिस्सा हो ; या

(2) उसे लोकहित में सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए उसी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो जो यात्रा करने की मंजूरी देने के लिए स्वयं सक्षम प्राधिकारी हो ।

(ग) यदि पूर्ववर्ती खंड (1) के अनुसार कर्मचारी द्वारा सड़क मार्ग से की जाने वाली यात्रा के किसी भाग में नियमित रूप से सुस्थापित ऐसी रोड सर्विस या टैक्सी सर्विस हो, जिसमें प्रत्येक यात्री से खर्चा लिया जाता है तो कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य इस प्रकार की स्थापित प्रत्येक रोड या टैक्सी सर्विस में एक सीट के लिए उसी प्रकार हकदार होंगे जैसे वे रेल से यात्रा करने पर होते हैं ।

(घ) यदि खंड (ग) में बताए गए प्रकार की कोई नियमित रूप से स्थापित रोड या टैक्सी सर्विस न हो या कर्मचारी को सड़क मार्ग से यात्रा करने के दौरान बीच के स्टेशनों पर कोई ड्यूटी करनी पड़ती हो तो कर्मचारी सरकारी या निजी मोटर कार द्वारा या सवारी के अन्य ऐसे साधन से यात्रा कर सकता है जो नियंत्रण अधिकारी द्वारा या यात्रा की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जाएं ।

(ङ) यदि कोई अफसर एक ऐसी यात्रा करता है जिसके लिए सड़क मील भत्ता अन्यथा देय है, वहाँ एक अफसर द्वारा सरकारी खर्च पर एक कार रखने पर उसे मील दूरी भत्ता देय नहीं है। यदि सरकारी कार खराब होने के कारण अफसर सरकारी कार का प्रयोग करने में असमर्थ है और हैडक्वाटर से बाहर सरकारी ड्यूटी पर जाने के लिए निजी कार का प्रयोग करता है, वह निर्धारित सड़क मील भत्ते की दर से 3/4 प्रभार का दावा या भ्रमण पर जाते हुए सरकारी कार चालक को डी ए की राशि कम करके दिए जाने वाले संपूर्ण प्रभार में से जो भी ज्यादा हो उसका दावा कर सकता है। उनकी सरकारी कार का सरकारी चालक और मिशन पोस्ट में नियुक्त अन्य सरकारी चालक उपलब्ध न होने पर ऐसा अफसर अपनी निजी कार का प्रयोग कर सकता है, ऐसे मामले में वह अपने ग्रेड पे के अनुसार निर्धारित सड़क मील दूरी भत्ते के 3/4 भाग प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकृत है।

(च) यदि कर्मचारी के परिवार के एक या अधिक सदस्य उसकी कार में उसके साथ यात्रा करते हैं तो उनके लिए अतिरिक्त सड़क मील–दूरी भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ) विभिन्न देशों में सरकारी ड्यूटी पर अपनी कार से जाने वाले ₹ 5400 और इससे ज्यादा ग्रेड पे पाने वाले अफसरों को सड़क मील दूरी भत्ता निर्धारित दर से तथा ₹ 4200 से ₹ 4800 ग्रेड पे पाने वाले अफसर को इन दरों का 75 प्रतिशत निम्नलिखित प्रकार से दिया जाएगाः–

(i) सड़क मील–दूरी भत्ता मुख्यालय से 16 कि॰ मी॰ के घेरे के भीतर की यात्राओं और/या स्टाफ कार में की गई यात्राओं के लिए स्वीकार्य नहीं होता ।

(ii) यदि अधिकारी अपने मुख्यालय से 16 कि॰ मी॰ के घेरे के बाहर सड़क मार्ग से यात्रा करता है तो मील–दूरी भत्ता मुख्यालय से ड्यूटी के स्थान/स्थानों तक और वापसी यात्रा के दौरान वास्तव में तय किए गए किलोमीटर की संख्या पर निर्धारित दरों पर परिकलित किया जाएगा ।

(iii) यदि दो या अधिक अधिकारियों को सड़क मार्ग से लगभग एक ही गंतव्य स्थान की, एक ही समय पर यात्रा करनी हो और यात्रा सुस्थापित रोड या टैक्सी सर्विस से भिन्न किसी अन्य साधन द्वारा की जानी हो तो अधिकारी सामान्यतया एक ही मोटर वाहन में साथ–साथ यात्रा करेंगे और केवल एक अधिकारी निर्धारित सड़क मील–भत्ता आहरित करेगा और इसके अतिरिक्त वाहन में लाए गए प्रत्येक ऐसे अधिकारी के लिए निर्धारित दर से भत्ता प्राप्त करेगा जिके लिए अन्यथा सरकार अलग–अलग किराया देना पड़ता । साथ आने वाले अधिकारी केवल इन नियमों के उपबंधों के अधीन स्वीकार्य दैनिक–भत्ता प्राप्त करेंगे ।

परंतु सरकार या मिशन/पोस्ट के अध्यक्ष के विचार से ऐसा करना लोकहित में हो तो वह अधिकारियों को अलग मोटर वाहनों से अलग–अलग जाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

(iv) मील–दूरी भत्ता रूपयों, अमेरिका और कनाडा को छोड़कर जहां यह कमशः अमेरिका और कनाडा की डालरों के रूप में निर्धारित है, में प्राप्त किया जाना चाहिए और अधिकारी को वर्तमान सरकारी विनिमय दर पर स्थानीय मुद्रा में भुगतान किया जाना चाहिए । मील–दूरी भत्ते पर कोई विनिमय संबंधी मुआवजा स्वीकार्य नहीं होगा ।

(v) यदि अधिकारी द्वारा अपनी निजी कार में की गई यात्रा में विभिन्न देशों की यात्राएं शामिल हों तो सड़क मील–दूरी भत्ता

निर्धारित दरों और प्रत्येक देश में तय की गई दूरी के अनुसार अलग–अलग परिकलित किया जाना चाहिए न कि केवल उस देश के लिए निर्धारित दरों के अनुसार जिसमें अधिकारी का स्थायी मुख्यालय स्थित हो।

टिप्पणी 1: विभिन्न देशों में स्वीकार्य मील–दूरी भत्ते की दरें समय–समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों में निर्धारित दरों के अनुसार होंगी।

टिप्पणी 2: अवधि के दौरान कुल मील–दूरी के परिकलन के प्रयोजन के लिए वर्ष, कैलंडर वर्ष है अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसंबर ।

टिप्पणी 3: जहां भी "ड्यूटी" पर भ्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें मुख्यालय से दूर दौरे पर की गई निम्नलिखित यात्राएं शामिल हैं:–

(i) बाहरी स्थान पर मुख्यालय से ड्यूटी के स्थानों तक और वहां से सभी वापसी यात्राएं । इसमें बाहरी स्थान पर होटल या निवास से सरकारी मुख्यालय तक और वहां से आने की यात्राएं शामिल नहीं होंगी। दूसरे शब्दों में, इसमें बाहरी स्थान पर होटल या निवास से मिशन या चांसरी के कार्यालय तक की यात्राएं शामिल नहीं होंगी, चाहे इनमें शामिल दूरी कुछ भी हो क्योंकि ऐसे मामलों में मिशन/चांसरी का कार्यालय अस्थायी मुख्यालय माना जाएगा परंतु यदि बाहरी स्टेशन पर सरकारी मुख्यालय न होने के कारण निवास स्थान को ही अस्थायी मुख्यालय माना गया हो तो सरकारी ड्यूटी पर उसके निवास स्थान से ड्यूटी पर जिन स्थानों को यात्राएं की गई हों उन्हे ड्यूटी पर की गई यात्राएं माना जाएगा ।

(ii) रेलवे स्टेशन/डाक/एअर कंपनी के नगर बुकिंग कार्यालय एअरपोर्ट अन्य किसी भी सार्वजनिक परिवहन के स्टैण्ड/ स्टेशन से/तक, दौरे/ स्थानांतरण के स्थान से आगमन/प्रस्थान पर होस्टल निवास तक/वहां से यात्रा भी ड्यूटी पर की गई यात्रा के रूप में मानी जाएगी ।

टिप्पणी 4: अधिकारी की पत्नी को सरकार द्वारा उसके पति के साथ यात्रा करने के लिए प्राधिकृत करने पर और यदि अधिकारी अन्य प्रकार का दैनिक–भत्ता प्राप्त कर रहा हो तो उसकी पत्नी किसी भी मील–दूरी भत्ते के लिए हकदार नहीं होगी ।

टिप्पणी 5: यदि सरकारी ड्यूटी संबंधी यात्रा के लिए कार का इस्तेमाल किया जाता है तो संबंधित अधिकारी किसी सवारी खर्चे का दावा करने का हकदार नहीं होगा और यदि सरकारी कार निजी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाती है तो अधिकारी को कार संहिता में निर्धारित दरों के अनुसार स्टाफ कार के इस्तेमाल के लिए भुगतान करना होगा ।

टिप्पणी 6: सरकारी ड्यूटी पर स्थानीय यात्राएं हमेशा स्टाफ कार में की जाएं । मिशन का अध्यक्ष/प्रथम सचिव, और जिन मिशनों में कोई प्रथम सचिव न हो, उनमें द्वितीय या तृतीय सचिव, जो चांसरी का प्रभारी हो, अपने विवेकानुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में पूर्णतः सरकारी प्रयोजनों के लिए टैक्सी या सवारी का कोई अन्य उपयुक्त साधन पर किराए पर लेने की अनुमति देगा ।

(1) यदि मिशन में कोई स्टाफ न हो ।

(2) यदि स्टाफ कार (रों) की मरम्मत की जा रही हो या अन्य सरकारी ड्यूटी पर दूर होने के कारण उपलब्ध न हो ।

(3) यदि स्टाफ कार मिशन के अध्यक्ष के लिए रखी गई हो, और

(4) यदि यात्रा स्थगित न की जा सकती हो और लोकहित में सार्वजनिक परिवहन में भी न की जा सकती हो ।

मिशन का अध्यक्ष/प्रथम सचिव ओर जिन मिशनों में प्रथम सचिव न हो उनमें द्वितीय या तृतीय सचिव, जो टैक्सी किराए पर लिए जाने के लिए सहमत हो को प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करना चाहिए कि उपर्युक्त (1) से (4) में से एक शर्त पूरी होती है । प्रत्येक मामले में यात्रा का प्रयोजन, तय की गई मील दूरी और समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए टैक्सी किराए पर ली थी । खर्चे आकस्मिक खर्च में डेबिट किए जाएंगे ।

(ज) यदि अधिकारी की निजी कार सरकारी यात्राओं के लिए इस्तेमाल की जाती है तो अधिकारी निर्धारित दर से मील दूरी भत्ते का हकदार होगा, बशर्ते कि यात्रा मुख्यालय से 16 किलोमीटर के घेरे से बाहर की गई हो । मील–दूरी भत्ता मुख्यालय से ड्यूटी के स्थान/स्थानों तक और वहां से वापसी यात्रा के दौरान वास्तव में तय किए गए किलोमीटर की संख्या के अनुसार परिकलित किया जाएगा। कार और मोटर साइकलों के लिए स्वीकार मील–दूरी भत्ता निर्धारिति दर पर स्वीकार है । तदनुसार यदि अधिकारी सरकारी ड्यूटी पर निजी कार से सड़क मार्ग से यात्रा करता है और मील–दूरी भत्ते का दावा करता है तो इस आशय का प्रमाण–पत्र यात्रा–भत्ता दावे के साथ लगाया जाए कि यात्रा लोक सेवा के हित में निजी कार से की गई है । रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच दौरे पर अपनी निजी कार से सरकारी यात्रा करने वाले अधिकारी के मामले में जहां यात्रा का सामान्य साधन रेल हो, सड़क मील–दूरी की राशि दो स्थानों के बीच रेल भाड़े की राशि तक सीमित होगी। यदि सड़क मार्ग से यात्रा लोकहित में की जाए तो मिशन का अध्यक्ष इस सीमा में ढील दे सकता है । इस प्रकार अपनी स्वयं की कार में ड्यूटी पर यात्रा करने वाला अधिकारी निर्धारित दर

पर सड़क मील–दूरी भत्ता प्राप्त कर सकता है यदि मिशन का अध्यक्ष यह प्रमाणित कर दे कि निजी कार से यात्रा करना लोकहित में है और तदनुसार यात्रा उसके द्वारा सत्यापित कर दी जाए तथा सार्वजनिक परिवहन के बजाए निजी कार से यात्रा करने वाले अधिकारी द्वारा पूरे किए जाने वाले लोकहित का स्वरूप लिखित में दर्ज भी कर दे ।

जिन मामलों में अधिकार की ड्यूटी पर निजी कार में की गई यात्राएं लोक सेवा के हित में मानी जाएंगी उनकी निदर्शी, न कि परिपूर्ण सूची दी गई है । मिशन का अध्यक्ष ऐसे सभी मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है जिनमें वह प्रत्येक मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है जिनमें वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और गुण धर्म दोषों पर विचार करने के बाद यह समझे कि अधिकारी द्वारा अपनी निजी कार से की गई यात्रा लोक सेवा के हित में है । किन्तु ऐसे मामलों में यदि लेखा परीक्षा दल यह मानता हो कि रियायत का दुरूपयोग किया गया है तो उसे लेखा परीक्षा दल की तसल्ली करनी होगी।

(1) सुरक्षा की गोपनियता के कारण की गई यात्रा ।

(2) गोपनीय और गुप्त दस्तावेजों की अभिरक्षा में अधिकारी द्वारा की गई यात्रा ।

(3) अल्प सूचना पर की गई यात्रा, यदि अधिकारी अनुमोदित साधनों और मार्ग से यात्रा करता तो उसके लिए विनिर्दिष्ट स्थान पर पहुंचना संभव नहीं होता ।

(ण) अधिकारी को दिया जाने वाला मील–दूरी भत्ता में ड्यूटी पर यात्रा के दौरान कार के प्रयोग की लागत भी शामिल मानी जाती है ।

(ट) (i) वास्तविक भाड़े के अतिरिक्त सामान्य प्रासंगिक प्रभार, जो रेल द्वारा यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति योग्य होते हैं, सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के संबंध में भी स्वीकार्य होंगे ।

(ii) सड़क मील–दूरी भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को अधिकतम सीमा तक मार्ग कर/नौघाट/ पार्किंग के लिए वास्तविक खर्चे और गैरेज में रखने के लिए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी जो प्रमाण–पत्र या वाउचर, जहां भी लागू हो, द्वारा सम्मिलित होने चाहिए।

(ठ) टैक्सी, बस से की गई यात्रा या किराए पर काम में ली जाने वाली लॉरी के मामले में अधिकारी के वास्तविक भाड़े (ड़ों) की प्रतिपूर्ति की जाएगी चूंकि पूरी टैक्सी किराए पर लेने की लागत बस में या किराए पर चलने वाली लॉरी में सीट लेने की लागत से काफी अधिक होती है, इसलिए पूरी टैक्सी का इस्तेमाल कम–से–कम किया जाना चाहिए । केवल ऐसे मामलों में पूरी टैक्सी ली जा सकती है, जिनमें सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन द्वारा विनिर्दिष्ट यात्रा करना संभव न हो, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी यह मानती हो कि यात्रा लोकहित में टैक्सी से की जानी चाहिए । सामान्य नियम के तौर पर ग्रेड II और नीचे के प्राधिकारियों को पूरी टैक्सी किराए पर लेने की अनुमति नही दी जानी चाहिए ।

टिप्पणीः अधिकारी अपने पदीय तथा प्रतिनिधानात्मक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए आमतौर पर कार रखते हैं । तदनुसार उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी कार्यों के लिए अपनी कार का उचित प्रयोग करें चाहे कार सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम से खरीदी गई हो या निजी स्त्रोतों से । ये व्यवस्था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है क्योंकि उन्हें कुछ रियायतें भी दी जाती हैं । उदाहरणार्थ, स्थानांतरण के समय कार के ढुलाई प्रभार, विदेशों में नौकरी करने पर अतिरिक्त कार बीमा, विदेशों से भारत में कारें आयात करने पर सीमा शुल्क की प्रतिपूर्ति। इन्हें ध्यान में रखते हुए मील–दूरी भत्ता या टैक्सी प्रभारों के लिए दावे नीचे बताए अनुसार विनियमित किए जाएं :—

(1) अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह मिशन के अध्यक्ष के विवेकानुसार 16 किलोमीटर के घेरे के भीतर सभी सरकारी यात्राओं के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करें। परंतु यदि मिशन के अध्यक्ष के विचार से कार खराब होने पर या स्थानिक स्थितियों को देखते हुए अधिकारी अपनी कार इस्तेमाल न कर सकता हो तो स्टाफ कार का इस्तेमाल किया जा सकता है । यदि स्टाफ कार भी उपलब्ध न हो तो इस संबंध में टैक्सी किराए पर ली जा सकती है। यदि लोकहित को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल न किया जा सकता हो तो अधिकारी द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों की इस संबंध में निर्धारित शर्तों के अधीन भारत सरकार के प्रतिनिधियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(2) 16 किलोमीटर के घेरे से बाहर की यात्राओं के लिए अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कारों का इस्तेमाल करें, जैसा कि पहले ही उपर बताया जा चुका है, और वे यथा निर्धारित मील–दूरी भत्ता प्राप्त करें।

यदि मिशन का अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि निजी कार से यात्रा करना लोकहित

में है और उपर्युक्त (ख) के उपबंधों को ध्यान में रखकर सार्वजनिक परिवहन की बजाए निजी कार में यात्रा करने वाले अधिकारी द्वारा पूरे किए गए लोकहित के स्वरूप को लिखित में दर्ज कर दे तो अपनी स्वयं की कार में ड्यूटी पर यात्रा करने वाला अधिकारी निर्धारित दरों पर मील–दूरी भत्ता प्राप्त कर सकता है ।

(3) यदि प्रतिनिधानात्मक अधिकारी, मिशन के अध्यक्ष के अनुमोदन से लोक सेवा के हित में अपनी कार द्वारा बाहरी स्थानों की यात्रा सड़क मार्ग से करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो और अधिकारी बाहरी स्थान पर सरकारी ड्यूटी पर यात्राओं के लिए अपनी स्वयं की कार का इस्तेमाल करता है तो ऐसी सरकारी यात्राओं के लिए मुख्यालय से बाहरी स्थान तक जाने और आने की यात्रा के लिए मील–दूरी भत्ते के अतिरिक्त निर्धारित दरों पर मील–दूरी भत्ते का दावा किया जा सकता, परंतु यदि अधिकारी अपनी स्वयं की इच्छा से बाहरी स्थान पर अपनी निजी कार का इस्तेमाल नहीं करता तो उसके द्वारा यदि टैक्सी खर्च किया गया हो तो वह उसकी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा । परंतु यदि बाहरी स्थान पर कार खराब हो जाती है तो ड्यूटी की गई यात्राओं के लिए वास्तव में किए टैक्सी खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते कि मिशन का अध्यक्ष उसके दावे के औचित्य के बारे में अपनी तसल्ली कर ले । टैक्सी प्रभारों की केवल उस स्थिति में प्रतिपूर्ति की जा सकती है जब अधिकारी की कार खराब हो और वह भी तब जबकि उसने वास्तव में टैक्सी प्रभार दिया हो।

(4) जहां तक गैर–प्रतिनिधिक अधिकारियों का संबंध है, उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कार रखें क्योंकि कार की ढुलाई के संबंध में प्रतिनिधिक अधिकारियों को मिलने वाली रियायतें, सीमा शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति संबंधी सुविधाएं उन्हें प्रदान नहीं की जाती। वे विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधि की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची–I की मद संख्या 7 में दी गई शर्तों के अनुसार मुख्यालय से 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर की गई यात्राओं के लिए टैक्सी प्रभारों का दावा कर सकते हैं। उनके द्वारा मुख्यालय से 16 किलोमीटर की परिधि से बाहर की गई यात्राओं और बाह्य स्टेशन के लिए की गई यात्रा के लिए भी ग्रेड पे 4200 से 4800 के गैर–प्रतिनिधिक कर्मचारी, निर्धारित दरों के 75 मील–दूरी भत्ते का दावा कर सकते हैं। जब ऐसे अधिकारियों को मिशन के प्रमुख के अनुमोदन से लोकहित में सड़क द्वारा यात्रा किए जाने के लिए बाह्य केन्द्र में सरकारी यात्राओं दोनों के लिए निर्धारित दरों पर मील–भत्ता लेने के हकदार होते हैं।

(ङ) यदि मील–दूरी भत्ता की निर्धारित दरें स्लैब प्रणाली पर आधारित हों तो हर बार यात्रा दावा प्रस्तुत करने पर यात्रा–भत्ता बिल में कलैंडर वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा तय की गई मील–दूरी का अद्यतन जोड़ बताया जाना चाहिए ताकि लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित कर सके कि प्रभारित दरें ठीक हैं ।

(ढ़) जो अधिकारी ड्यूटी पर सरकारी या गैर–सरकारी कारों से यात्राएं करें और यदि यात्राएं 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की हों तो उन्हें मार्ग में मध्यवर्ती स्टेशन पर यात्रा भंग करने की अनुमति दी जा सकती है और वे ऐसे विरामों के लिए दैनिक–भत्ते का दावा कर सकते हैं ।

266. सरकारी रिकार्ड की ढुलाई

जब कभी कर्मचारियों को सरकारी ड्यूटी पर अपने दौरों के साथ रिकार्ड ले जाना पड़े और वह रिकार्ड यात्रा टिकट के साथ अनुमेय निःशुल्क सामान के साथ न ले जाया जा सकता हो तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से अलग से बुक किया जाना चाहिए और उसकी पावती ली जानी चाहिए । ऐसे मामलों में खर्च को आकस्मिक व्यय में डेबिट किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों के यात्रा–भत्ता बिलों के माध्यम से इस राशि का दावा नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पणीः सरकारी रिकार्ड को अलग से तुलवाना संभव है और संबंधित विमान/परिवहन कंपनियों से निजी सामान और सरकारी रिकार्ड के रूप में अतिरिक्त सामान के लिए दो रसीदें ली जा सकती हैं । इसलिए सरकारी दौरे पर जब कर्मचारी द्वारा सरकारी रिकार्ड ले जाया जाए तो उसे सरकारी रिकार्ड के कारण हुए अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय अपने अतिरिक्त सामान, यदि कोई हो, के साथ ले जाए गए सरकारी रिकार्ड के भार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । इस प्रमाण–पत्र से नियंत्रण अधिकारी को इन सरकारी दस्तावेजों को ले जाने के संबंध में सरकारी निधि से देय प्रभारों की अदायगी की जांच करने के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त होगी ।

267. विशिष्ट आगंतुकों/ प्रतिनिधियों/ स्थानांतरण पर आने/जाने वाले स्टाफ सदस्यों की अगुवाई/विदाई के लिए सवारी/यात्रा–भत्ता

(क) संबंधित देश में पहुंचने वाले/वहां से प्रस्थान करने वाले विशिष्ट अतिथियों/प्रतिनिधियों के लाने और छोड़ने के लिए टैक्सी भाड़े पर किए गए खर्च या सार्वजनिक परिवहन द्वारा सवारी भाड़ा तथा यात्रा–भत्ते को लोकहित में किए गए खर्च समझा जाए बशर्ते कि प्रतिनिधि मंडल सरकारी हो या सरकार द्वारा प्रायोजित हो । जहां तक संभव हो ऐसे मौकों पर टैक्सी किराए पर लेने के बजाए स्टाफ कार उपलब्ध की जानी चाहिए ।

(ख) स्थानांतरण पर आने या जाने वाले अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों के लिए संबंधित मिशन का एक स्टाफ सदस्य मुख्यालय के समीपस्थ रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे/बंदरगाह पर उनसे मिलने के लिए तैनात किया जाए और आमतौर पर ऐसी यात्रा स्टाफ कार से ही की जाए। स्टाफ कार भत्ता या वास्तविक खर्च दिया जाएगा। ऐसे दावे के समर्थन में इस आशय का एक प्रमाण–पत्र लगाया जाए कि इस प्रयोजन के लिए मिशन के किसी अन्य सदस्य ने मील–दूरी भत्ता या वास्तविक सवारी खर्च नहीं लिया गया है ।

268. दैनिक–भत्ता (नकद भत्ता)

दैनिक–भत्ते का आशय उस भत्ते से है जिसे ड्यूटी पर पूरे दिन का उसके किसी माप के लिए मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर प्राधिकृत विराम दिया जाता है । नियमों के अंतर्गत अनुमेय यात्रा–भत्ते के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी ऐसी स्थितियों में दैनिक–भत्तों को आहरित कर सकता है जिनसे वह यात्रा–भत्ता आहरित करने का हकदार बनता हो ।

दिन के किसी भाग के लिए दैनिक–भत्ता निम्न प्रकार से अनुमेय होगा :––

(क) 6 घंटे तक	—	शून्य
(ख) 6 घंटे से 12 घंटे	—	50 प्रतिशत
(ग) 12 घंटे से अधिक	—	पूरा

लेकिन, अफसरों द्वारा उनके तैनाती देश के अंतर्गत, किए गए दौरों के लिए या विदेश में तैनात अफसरों द्वारा, एक मिशन से दूसरे मिशन को दौरों के लिए, प्रत्येक दौरे के लिए, दैनिक–भत्ते को इस प्रकार विनियमित किया जाएगाः

पहले सात दिनों के लिए	दैनिक–भत्ता पूरा स्वीकार्य
अगले सात दिनों के लिए	पूरा स्वीकार्य दैनिक भत्ता का 75%
बाद के अतिरिक्त दिनों के लिए	पूरा स्वीकार्य दैनिक भत्ता का 50%

भारत में तैनात अफसरों द्वारा, भारत से एक या अधिक विदेशी देशों को दौरों के लिए, प्रत्येक दौरे के लिए दैनिक–भत्ते को इस प्रकार विनियमित किया जाएगाः

पहले चौदह दिनों के लिए	दैनिक–भत्ता पूरा स्वीकार्य
अगले चौदह दिनों के लिए	पूरा स्वीकार्य दैनिक भत्ता का 75%
बाद के अतिरिक्त दिनों के लिए	पूरा स्वीकार्य दैनिक भत्ता का 60%

दैनिक–भत्ते को, उपर्युक्त जैसा विनियमित किया जाएगा और 30 दिनों से अधिक, दौरों/अस्थायी ड्यूटी के मामलों में, रैंक विदेश–भत्ते तक सीमित किया जाएगा। किसी विशेष स्टेशन पर केवल पड़ाव के आधार पर दिनों की संख्या की गणना की जाएगी।

(i) 5400 रु और ज्यादा ग्रेड पे पाने वाले अफसरों/ कार्मिकों के लिए	पूरी दर से
(ii) 2400 रु से 4800 रु और ज्यादा ग्रेड पे पाने वाले अफसरों/ कार्मिकों के लिए	निर्धारित दर का 75 प्रतिशत
(iii) 2400 रु से कम ग्रेड पे पाने वाले	निर्धारित दर का 33 प्रतिशत

विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कार्मिकों के निर्धारित दैनिक–भत्ते दरों में, सरकारी यात्राओं के लिए परिवहन लागत का कोई हिस्सा शामिल नहीं है । तदनुसार ड्यूटी पर की गई जिन यात्राओं को नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक और उचित समझा जाए उनके लिए अधिकारियों/कार्मिकों को किराए पर ली गई टैक्सी या वाहन के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधित्व की मंजूरी देने वाले आदेश में निधियों का पर्याप्त प्रावधान किया गया हो ।

जहां तक आवास का संबंध है, उसके लिए होटल किरायों की कोई मौद्रिक अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है किंतु इसके बजाए विश्व के सभी बड़े शहरों के होटलों की एक सूची तैयार कर ली गई है । अधिकारी को अनुमोदित सूची में दिए गए होटल में आवास की व्यवस्था करनी होती है और वह होटल के कमरे के वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है (जिसमें सेवा प्रभार, कर और अन्य प्रभार भी शामिल हैं) जिन शहरों में होटल के किराए के लिए अनुमोदित सूची निर्धारित नहीं की गई है उनमें उस देश की राजधानी वाले शहर में उस श्रेणी विशेष के अधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम दर ही होटल आवास किराए पर लेने की अधिकतम सीमा होगी । जिन मामलों में

अधिकारी आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं या जहां पर उसे केवल निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया गया हो उन मामलों में उसे उसके ग्रेड में निर्धारित दर पर दैनिक–भत्ता दिया जाएगा।

गैर–प्रतिनिधिक यात्राएं जैसे प्रशिक्षण पाठ्यकम या संगोष्ठियों पर विदेश जाने वाले अधिकारियों की होटल संबंधी हकदारिता उनकी सामान्य हकदारिता से एक श्रेणी कम होगी।

जिन मामलों में किसी अधिकारी को सरकारी अतिथि माना गया हो या उसे आवास तथा परिवहन दोनों निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हों, उनमें उसे दैनिक–भत्ते की 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि दी जाएगी ।

दैनिक–भत्ते के अलावा टिप के लिए किसी अतिरिक्त की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

जिन मामलों में, होटल को खर्चों में नाश्ता खर्च भी शामिल हो, उन मामलों में 10% (दस प्रतिशत) दैनिक–भत्ता दिया जाएगा ।

उन देशों के मामले में, जहां स्थानीय मुद्रा को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है तो अमेरीकन डालरों में निर्धारित दैनिक–भत्ते की समतुल्य रकम का, उस संबंधित देश के लिए, स्थानीय मुद्रा में भुगतान किया जा सकता है। यह स्थानीय मुद्रा के समतुल्य को रुपये के माध्यम से निकाला जा सकता है, मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गयी विनिमय की सरकारी दरों का प्रयोग करते हुए। उन मिशनों के मामले में, जहां स्थानीय मुद्रा को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो संबंधित देश के लिए निर्धारित दैनिक–भत्ते को, स्थानीय कानूनों, विनियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन, अमेरिकन डालरों में भुगतान किया जा सकता है। दैनिक–भत्ते (डी.ए) का भुगतान अमेरीकन डालरों में किया जा सकता है, यदि वह अफसर जो दैनिक–भत्ता आहरित कर रहा है, ऐसा चाहता है।

(क) रेल द्वारा यात्रा के लिए दैनिक–भत्ता/नकद भत्ता :

(i) भारत से बाहर रेल द्वारा की गई यात्रा, जिसमें किराए में भोजन खर्च शामिल न हो, के मामले में दैनिक–भत्ता निम्न प्रकार से दिया जाएगा :—

(1) स्वयं या उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य, जो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, जिसमें परिचारिका के रूप में रिश्तेदार शामिल हैं, को नकद भत्ता निर्धारित दर पर दिया जाएगा ।

(2) उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य जिसकी आयु 12 वर्ष से कम हो किंतु 12 महीने से अधिक हो, को उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखत दर की 3/4 राशि दी जाएगी; और

(3) 12 महीने या इससे कम आयु के बच्चे को उपर्युक्त मद (1) में बताई गई दैनिक/नकद भत्ते की दर की आधी राशि दी जाएगी ।

(ii) उपर्युक्त मद सं0 (1) में बताया गया दैनिक–भत्ता उन सैनिक कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों या भारतीय नौकर को तभी दिया जाएगा जब कि वह/वे रात्रि रेल में बिताएं ।

(iii) यदि कोई अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति अपने मुख्यालय से रेल द्वारा यात्रा करता है और वापस रेल से आता है तो वह निम्न प्रकार से दैनिक–भत्ते का हकदार होगा :

(1) यदि मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति 6 घंटे से कम की हो तो वह दैनिक–भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति 6 घंटे से अधिक किंतु 12 घंटे से कम हो तो वह सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नकद भत्ते की 50% राशि का हकदार होगा।

(3) यदि मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति 12 घंटे से अधिक हो तो वह पूरे नकद भत्ते का हकदार होगा।

(ख) हवाई जहाज या स्टीमर द्वारा यात्रा के दौरान दैनिक–भत्ता :

(i) यदि किराए में यात्रा की अवधि के लिए भोजन खर्च भी शामिल है तो किसी अधिकारी/कार्मिक या उसके परिवार के किसी सदस्य को हवाई जहाज/स्टीमर की यात्रा अवधि में कोई दैनिक–भत्ता/नकद भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

(ii) यदि कोई जहाज/स्टीमर द्वारा यात्रा के किराए में भोजन खर्च शामिल न हो तो अधिकारी/कार्मिक रेल द्वारा की गई यात्रा के अनुसार दैनिक–भत्ता ले सकता है ।

(ग) सड़क मार्ग द्वारा यात्रा के दौरान दैनिक–भत्ता:

(i) यदि अधिकरी/कार्मिक स्थानांतरण पर जा रहा हो और वह रेल या स्टीमर से न जुड़े हुए स्थानों के बीच अपनी या अन्य गैर–सरकारी वाहन से या लोकहित में, तो उसे स्वयं के हित और उसके परिवार के लिए सड़क द्वारा पारगमन अवधि के लिए दैनिक–भत्ता दिया जाएगा और 400 किलोमीटर के बाद रात्रि विराम केवल उस स्थिति में स्वीकार्य होगा जब मील–दूरी भत्ता एक ही व्यक्ति के लिए स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए पूरा मील–दूरी भत्ता आहरित करने की स्थिति में उसे कोई दैनिक–भत्ता नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामले में रेल द्वारा की गई यात्रा के लिए दैनिक–भत्ते उपबंध लागू होंगे जैसा उपर इस नियम में बताया गया है ।

(ii) जिन मामलों में अधिकारी/कार्मिक, लोकहित के अलावा अपनी इच्छा से रेल या स्टीमर से न जुड़े हुए स्थानों के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करें उनमें सड़क यात्रा के लिए अनुमेय दैनिक–भत्ता उतने दैनिक–भत्ते तक सीमित होगा जो उसे यथास्थिति रेल या स्टीमर द्वारा यात्रा करने पर स्वीकार्य होगा।

(iii) यदि दौरे पर कोई अधिकारी/कार्मिक अपने मुख्यालय से 16 किलोमीटर की परिधि से बाहर यात्रा करता है लेकिन रात्रि अपने मुख्यालय से बाहर व्यतीत नहीं करता और विभिन्न स्थान या स्थानों पर जाता है तो वह उपर्युक्त खंड (क) (iii) में बताए अनुसार दैनिक–भत्ते का हकदार होगा ।

(iv) यदि कोई अधिकारी/कार्मिक अपने मुख्यालय से 16 किलोमीटर की परिधि से दूर के स्टेशन या स्टेशनों के दौरे पर जाता है और एक या एक से अधिक रात्रि बाहर के स्टेशन पर व्यतीत करता है और तत्पश्चात वह बाहर के स्टेशन पर दिन का कुछ भाग भी व्यतीत करता है तो वह केन्द्र के बाहर बिताई गई रात/रातों के लिए यथास्थिति निर्धारित या खंडित दर पर दैनिक–भत्ते के अतिरिक्त, बाहर के स्टेशन पर बिताए गए दिन के उस भाग के लिए भी उपखंड (iii) में स्वीकार्य दैनिक–भत्ते का हकदार होगा बशर्ते कि ऐसा दैनिक–भत्ता केवल उस स्टेशन में बिताए गए दिन के किसी भाग के लिए दिया जा रहा हो जिसकी उसने मुख्यालय से दूर अंत में यात्रा की हो।

(v) यदि कोई अधिकारी/कार्मिक अपने मुख्यालय से 16 कि॰मी॰ की परिधि से बाहर के स्टेशन/स्टेशनों के दौरे पर जाता है और वह रेल/हवाई जहाज/समुद्री जहाज द्वारा पारगमन में रात्रि/रात्रियां व्यतीत करता है और उसके बाद वह बाहर के स्टेशन पर भी दिन का कुछ भाग व्यतीत करता है तो वह यथास्थिति खंड (क) या (ख) के उपबंधों के अंतर्गत स्वीकार्य दैनिक पर बिताए गए दिन के किसी भाग के लिए भी उपखंड (iii) के अनुसार दैनिक–भत्ते का हकदार होगा बशर्ते कि यह दैनिक–भत्ता केवल उस स्टेशन में बिताए गए दिन के किसी भाग के लिए दिया जा रहा हो जिसकी उसने मुख्यालय से अंत में यात्रा की हो ।

टिप्पणी 1: उपर दिए अनुसार दिन के किसी भाग के दैनिक–भत्ते की स्वीकार्यता के प्रयोजन के लिए, अधिकारी की बाहर के स्टेशन पर ठहरने की अवधि, उसके हवाई जहाज/स्टीमर/रेल से उतरने के समय से प्रारंभ हो कर वापसी यात्रा के लिए उसके जहाज/स्टीमर/रेल पर चढ़ने के समय पर समाप्त मानी जाएगी । जिन मामलों में दिन के किसी भाग के दैनिक–भत्ते का दावा बाहर के स्टेशन में रात्रि विश्राम के साथ–साथ किया गया हो, उनमें उपर दिए गए अनुसार दैनिक–भत्ता, बाहर के स्टेशन पर पहुंचने के समय से पहले 24 घंटों के आधार पर परिकलित किया जाएगा और उसके पश्चात् दिन के किसी भाग, यदि कोई हो, के लिए स्वीकार्य दैनिक–भत्ता परिकलित किया जाएगा तथा अधिकारी/कार्मिक को उसकी अदायगी की जाएगी ।

टिप्पणी 2: विदेश में बाहर के स्टेशन पर अस्थायी ड्यूटी कर रहे कार्मिक मुख्यालय से बाहर व्यतीत की गई प्रत्येक रात्रि के लिए दैनिक–भत्ते के हकदार होंगे, सामान्यतया रात्रि का आशय पूरी रात से है अर्थात् सूर्यास्त से सूर्योदय तक के बीच की अवधि। बाहरी स्टेशन पर ठहरने का समय कर्मचारी के पहुंचने से प्रारंभ होता है और स्टेशन छोड़ने के समय समाप्त हो जाता है । विराम के लिए दैनिक–भत्ता निम्न प्रकार से विनिमित किया जाएगा :—

(कक)	जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है पूरी रात की ठहराव के लिए	होटल बिल प्रस्तुत करने पर पूरा दैनिक भत्ता
(खख)	रात के किसी अंश के लिए जहॉ होटल प्रभार पूरी रात का लेते हैं	होटल बिल प्रस्तुत करने पर पूरा दैनिक भत्ता
(गग)	रात्रि के अंश के ठहराव के लिए जहॉ होटल में आनुपातिक रूप से कम प्रभार लिया जाता है।	होटल बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक खर्च की राशि जो पूरे दैनिक भत्ते से ज्यादा न हो।

(घ) विदेशों में दैनिक भत्ता (नकद भत्ता):

भारत सरकार की मंजूरी से यदि एक अफसर के साथ उसकी पत्नी भी विदेश में ड्यूटी पर जाते वक्त उसके साथ जाती है तो अफसर की पत्नी को भी पूर्ण दर से नकद भत्ता देय होगा।

268–अ. सेवा अधिकारियों/कार्मिकों के विदेश स्थित मिशन/पोस्ट में प्रथम आगमन पर उन्हें होटल में ठहरने के लिए नकद–भत्ते की अदायगी

(i) यदि विशेष मामलों में एक सैन्य अफसर/कार्मिक को होटल में ठहराना पड़ता है तब मंत्रालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों के अंतर्गत उसे निम्नलिखित प्रकार से दैनिक भत्ता/नकद भत्ता देय होगा:—

(क) होटल में शुरूआती 21 दिनों के ठहराव के लिए:—

(i) स्वीकृत दैनिक भत्ते की राशि विदेशी भत्ते की राशि की दोगुनी तक दी जाएगी।

(ii) होटल प्रभार में नाश्ते का प्रभार सम्मिलित करने पर दैनिक भत्ते में 10 प्रतिशत कटौती करके या विदेशी भत्ते का दोगुना, जो भी कम हो, देय होगा।

(iii) होटल आवास में आंशिक रसोई की सुविधा होने पर, दैनिक भत्ते में 25 प्रतिशत कटौती या विदेशी भत्ते का दोगुना जो भी कम हो, अफसर उसके लिए अधिकृत है।

(iv) जब पति और पत्नी की एक ही मिशन में तैनाती की जाती है, पति और पत्नी दोनों में से जिसका दैनिक भत्ता (स्वयं और बच्चों के लिए) या दोगुना विदेशी भत्ता कम हो, उसका भुगतान होगा और अन्य के लिए सिर्फ विदेशी भत्ता देय होगा।

(v) मिशन/पोस्ट में कार्यकाल या तबादला होने पर यदि अफसर को होटल में रूकना पड़ता है तो उपर्युक्त प्रावधान लागू होंगे।

(ख) 21 दिन से ज्यादा अवधि के लिए:

(i) यदि अफसर और उसका परिवार 21 दिन से ज्यादा होटल में ठहरना जारी रखते हैं तो सिर्फ सामान्य विदेशी भत्ता देय होगा।

(ii) भारमुक्त होने वाला अफसर या भारमुक्त अफसर जब तैयारी अवधि लेने के दौरान तैनाती स्टेशन पर होटल में ठहरने के लिए (प्रथम आगमन या प्रस्थान के दौरान) मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य नहीं है। दैनिक भत्ते का भुगतान ऊपरलिखित आधार पर किया जाएगा।

(iii) जब अधिकृत नौकर की मजूरी को मिलाकर भी अफसर को दी जाने वाली दैनिक भत्ते की राशि उसे अधिकृत सामान्य विदेशी भत्ते की राशि (जैसे कि, स्लैब कटौती करने पर कुल विदेशी भत्ता) से कम होने पर, वह सामान्य विदेशी भत्ता पाने के लिए अधिकृत है।

(iv) एक अफसर के प्रथम आगमन पर विदेश में होटल में ठहराव के दौरान उसके अधिकृत दैनिक भत्ते की गणना करते वक्त, दोगुने विदेशी भत्ते की राशि में से नौकर की मजदूरी के घटक को कम नहीं किया जाएगा। विदेशी भत्ते में से स्लैब कटौती नहीं की जाएगी। यह प्रतिबंधित दैनिक भत्ता सिर्फ अफसर को देय है और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को नहीं। उसे विदेशी भत्ते वाली मुद्रा में ही भुगतान करें। विनिमय की दर संवितरण वेतनमान के समान होगी।

(v) यदि अफसर की तैनाती ऐसे देश में होती है जहॉ मिशन/पोस्ट प्रथम बार शुरू किया गया है या कुछ समय बन्द करने के बाद मिशन/पोस्ट को खोल दिया जाता है, वे मंत्रालय की पूर्व संस्वीकृति से होटल में ठहर सकते हैं। उचित आवास की कमी होने पर यदि होटल में ठहरना आवश्यक हो तो वे दैनिक भत्ता या विदेशी भत्ता जो भी कम हो 60 दिनों तक पाने के लिए अधिकृत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्रालय की मंजूरी से अफसर 60 दिनों से ज्यादा भी होटल में ठहर सकते है परन्तु 60 दिनों के बाद उन्हें सिर्फ सामान्य विदेशी भत्ता देय होगा।

269. मार्ग में विरामों के दौरान दैनिक–भत्ता

(क) अनुसूचित विराम

(i) अनुसूचित विराम का आशय है :

(1) ऐसा विराम जिसे कर्मचारी या उसके परिवार को कोई सदस्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से स्थानांतरण पर यात्रा के दौरान या उस जगह पर सरकारी ड्यूटी देने के लिए किसी भी स्टेशन पर करता है; या

(2) परिवहन संगठन की नियमित सेवा में स्थानांतरण के मध्यवर्ती स्टेशन पर कोई विराम, जिसकी व्यवस्था उस मार्ग पर सभी यात्रियों के लिए की जाती है।

(ii) यदि स्थानांतरण होने पर कर्मचारी के साथ उसके परिवार का एक या एक से अधिक सदस्य यात्रा करें और कर्मचारी को रक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी ड्यूटी के निष्पादन के लिए उसकी तैनाती के स्टेशन तक मार्ग में पड़ने वाले किसी स्टेशन पर अनुसूचित विराम के लिए प्राधिकृत किया गया हो तो इस बात का निर्णय मंत्रालय करेगा कि उसका परिवार उस स्टेशन पर रूकेगा या उसकी तैनाती वाले स्टेशन के लिए सीधा प्रस्थान करेगा ।

(iii) यदि कर्मचारी को यात्रा के दौरान, सरकारी ड्यूटी के निष्पादन के लिए किसी स्टेशन पर अनुसूचित विराम करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो तो ऐसे कर्मचारी के भारतीय नौकर या नौकरों को, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, अनुसूचित विराम करने के लिए प्राधिकृत नहीं माना जाएगाः

(1) यदि कर्मचारी के परिवार को उसके साथ विराम करना आवश्यक हो और यदि उसके साथ 5 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा हो तो एक भारतीय नौकर भी उस स्टेशन पर अनुसूचित विराम कर सकता है बशर्ते कि वह विधुर न हो और उसे परिचारिका के रूप में किसी रिश्तेदार को साथ ले जाने की अनुमति न दी गई हो ;

(2) यदि रक्षा मंत्रालय लिखित रूप में बताए गए कारणों से संतुष्ट हो और कर्मचारी को अनुसूचित विराम या उसके किसी भाग की अवधि में उसके साथ नौकर का रहना आवश्यक समझे तथा इसके लिए उसे विशेष रूप से प्राधिकृत कर दे ।

(iv) अनुसूचित विराम की किसी भी अवधि के लिए कर्मचारी स्वयं, अपने परिवार के किसी सदस्य या प्राधिकृत भारतीय नौकर या यात्रा करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति के लिए निर्धारित दरों पर दैनिक–भत्ता पाने का हकदार होगा ।

(v) जब एक अफसर एक्स इंडिया लीव एक बीच के स्टेशन पर बिताता है, वह ऐसी छुट्टी के साथ निर्धारित ठहराव को पहले से ही जोड़ सकता है। ऊपर दिए गए उप पैरा (iv) के अन्तर्गत, ऐसे मामलों में वह अफसर, भारित की मजदूरी, आवास और दैनिक भत्ता पाने के लिए अधिकृत है। सिर्फ होटल से एयरपोर्ट तक जाने के लिए टैक्सी/वाहन प्रभार भाड़े की लागत के समान देय होगी। (आवास से एयरपोर्ट पर वापिस आने के लिए टैक्सी/वाहन प्रभार देय होंगे, परन्तु यह प्रभार पैनल होटल से एयरपोर्ट पर जाने के लिए खर्च राशि से अधिक न हो)।

टिप्पणीः यदि स्थानांतरण होने पर कर्मचारी अपनी कार से यात्रा करता है और उसके परिवार का एक सदस्य या नौकर भी उस कार से यात्रा करता है तो यात्रा के लिए स्वीकार्य दैनिक–भत्ता उस राशि तक सीमित होगा, जो उसे अनुमोदित मार्ग द्वारा यात्रा करने पर दी जाती ।

(ख) गैर–कानूनी विराम

(i) गैर–कानूनी विराम का आशय है :

(1) यात्रा के दौरान ऐसा विराम, जिसे कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य या भारतीय नौकर को आगे के संपर्क मार्ग की वाहन यात्रा आरंभ करने के स्टेशन या उपलब्ध न होने के कारण गंतव्य स्टेशन को छोड़कर, मध्यवर्ती स्टेशन पर अनिवार्य रूप से करना पड़े ;

(2) विदेशी स्टेशन से स्थानांतरण आदेशों के अंतर्गत जब कर्मचारी और या उसके परिवार के सदस्यों और/या भारतीय नौकरों को ऐसा विराम अनिवार्य रूप से कुछ अवधि के लिए करना पड़े, जिसमें स्थानांतरण पर तैयारी समय के लिए स्वीकार्य 6 दिनों की अवधि भी शामिल है, किंतु इसमें अतिव्याप्ति वाली अवधि या स्थानांतरण को कार्य रूप देने के लिए वाहन के अभाव या अनुपलब्धता के कारण अन्य अस्थायी ड्यूटी शामिल नहीं है ।

(3) यात्रा के दौरान ऐसा विराम, जिसे कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य या भारतीय नौकर को इन आदेशों के अनुसार भारत से बाहर के मध्यवर्ती स्टेशन में बीमारी के कारण करना पड़ता हो जो कि यात्रा के दौरान अचानक/ उत्पन्न हुई हो ।

(4) यात्रा के दौरान ऐसा विराम, जिसे कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य या भारतीय नौकर को, कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों या परिवहन के लिए जिम्मेदार संगठन द्वारा उत्पन्न हुए असामान्य कारणों से किसी भी स्टेशन पर करना पड़े, जिसमें यात्रा आरंभ करने या इसके समाप्त होने के स्टेशन भी शामिल हैं ।

(ii) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अलावा उपर्युक्त (i)(1) के पैरा (2) में बताए गए विराम को गैर–अनुसूचित विराम नहीं समझा जाना चाहिए । यदि स्थानांतरण अधीन कर्मचारी स्थानांतरण आदेश प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक कराने के लिए कार्रवाई नहीं करता या मौजूदा आदेशों के अनुरूप कर्मचारी या उसके परिवार का सदस्य या भारतीय नौकर अपनी गलती के कारण वाहन या उसके लिए बुक स्थान विशेष का उपयोग नहीं कर पाते ।

(iii) यदि कर्मचारी सरकारी वाहन से यात्रा कर रहा हो और यात्रा के दौरान वह खराब हो

जाए तो उसे यथाशीघ्र उपलब्ध कम खर्चीले वाहन से यात्रा करनी होगी । ऐसे वाहन के उपलब्ध न होने तक की विराम अवधि को गैर–अनुसूचित माना जाएगा।

(iv) यदि कर्मचारी अपनी कार या किसी अन्य गैर–सरकारी कार या सरकारी कार का इस्तेमाल ऐसी यात्रा के लिए कर रहा हो, जिसके लिए उसे लोकहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और वह कार खराब हो जाए तो वह कुछ अवधि, जो कार की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथावश्यक हो, तक विराम कर सकता है और उसके बाद वह यथा उपलब्ध कम खर्चीले वाहन से अपनी यात्रा करेगा । कार को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने संबंधी व्यवस्था करने के लिए विराम की अवधि को गैर–अनुसूचित विराम माना जाएगा।

(v) जिन मामलों में कर्मचारी के पहुंचने की प्रत्याशित तारीख के उचित समय के भीतर स्थानांतरण के मध्यवर्ती स्टेशन से यात्रा–टिकट उपलब्ध न हो, उन मामलों में आगे की यात्रा–टिकट बुक करने के लिए जिम्मेवार प्राधिकारी यथाशीर्घ निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित करेगा :

(1) मिशन/पोस्ट का प्रमुख, जहां से कर्मचारी को स्थानांतरण के आदेश मिले हों ; अथवा

(2) सक्षम प्राधिकारी, यदि कर्मचारी को भारतीय पोस्ट से स्थानांतरण आदेश मिले हों।

(vi) उपर्युक्त खंड (v) में दी गई सूचना प्राप्त होने पर मिशन/पोस्ट का प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय करेगा कि क्या कर्मचारी की यात्रा को आस्थगित कर दिया जाए या उसे मध्यवर्ती विराम के स्टेशन तक जाने की अनुमति दी जाए भले ही इसमें गैर–अनुसूचित विराम का खर्च भी शामिल होगा । बाद वाली स्थिति में मिशन पोस्ट का प्रमुख कर्मचारी को गैर–अनुसूचित विराम का एक प्रमाण–पत्र जारी करेगा ।

(vii) यदि यात्रा आरंभ करने के स्टेशन से वाहन उपलब्ध हो किन्तु मध्यवर्ती स्टेशन से आगे के संपर्क मार्ग के लिए वाहन उपलब्ध न हो और उपर्युक्त खंड (v) के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी संबंधित मिशन/पोस्ट प्रमुख यह निर्णय करे कि कर्मचारी को यात्रा आरंभ नहीं करनी चाहिए तो उसके विराम की अवधि, पहले नाम की पोस्ट पर गैर–अनुसूचित विराम की अवधि के रूप में मानी जाएगी । यदि उसका एवजी पहले ही पहुंच गया हो और उसने अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया हो ।

टिप्पणीः यदि कर्मचारी इन आदेशों में बताई गई शर्तों के अनुसार विराम करता है तो मिशन/पोस्ट प्रमुख तदनुसार उसे एक प्रमाण–पत्र देगा जिसे उसके यात्रा–भत्ता बिल के साथ लगाया जाएगा।

(viii) यदि आगे के संपर्क मार्ग वाहन उपलब्ध न होने या तैयारी समय के 6 पूरे दिन मिलने के बाद जिसका कि कर्मचारी स्थानांतरण पर हकदार होता है, मिलने के कारण गैर–अनुसूचित विराम की अवधि बढ़ने की संभावना हो तो सक्षम प्राधिकारी मिशन/पोस्ट का प्रमुख उसे ऐसे पदीय कार्य करने के आदेश देगा जिन्हे वह निर्दिष्ट करे ।

(ग) अस्वस्थता हॉल्टः

(i) अस्वस्थता हॉल्ट का अर्थ है ऐसा हॉल्ट जो किसी अफसर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा उसके किसी भारतीय नौकर को स्थानांतरण पर विदेश में किसी पोस्ट से कार्यभार त्यागने पर यात्रा प्रारंभ करने के स्टेशन पर अथवा भारत के बाहर बीच के किसी स्टेशन पर यात्रा के दौरान बीमारी के कारण लेना पड़े।

(ii) यदि यात्रा प्रारंभ करने से पहले कर्मचारी या उसके परिवार का सदस्य या भारतीय नौकर किसी बीमारी या रोग से पीड़ित हो तो कर्मचारी को यात्रा प्रारंभ करने के स्टेशन पर चिकित्सा अधिकारी को इस तथ्य की जानकारी देनी या दिलानी चाहिए और वह स्वयं यात्रा आरंभ नहीं करेगा या अपने परिवार के सदस्य या भारतीय नौकर को इसकी अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि बीमारी के कारण यात्रा के दौरान विराम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यदि कोई चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध न हो तो कर्मचारी को इन तथ्यों की जानकारी सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी और उसे उन अनुदेशों का अनुपालन करना होगा जो उनके द्वारा संबंधित कर्मचारी को यात्रा आरंभ करने के संबंध में दिए जाएं।

(iii) यदि कोई कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य मध्यवर्ती स्टेशन पर बीमार पड़ जाता है और बीमारी केवल यात्रा के दौरान ही उत्पन्न होती है तथा ऐसे मध्यवर्ती स्टेशन पर यदि चिकित्सा परिचर यह प्रमाणित करता है कि रोगी अपने स्वास्थ्य को गंभीर हानि या खतरे में डाले बगैर यात्रा जारी नहीं रख सकता है तो वह ऐसे मध्यवर्ती स्टेशन पर उतनी अवधि के लिए विराम कर सकता है जितनी अवधि सक्षम प्राधिकारी की राय में उसके उस हद तक स्वस्थ होने के लिए आवश्यक हो कि वह यात्रा पुनः आरंभ कर सके ।

(iv) यदि ऊपर खंड (iii) में अपेक्षित के अनुसार बीच के स्टेशन पर कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचर नहीं है तो अधिकारी उस स्टेशन पर अथवा अपने परिवार के सदस्य की जांच किसी जाने–माने डॉक्टर से करवाएंगे और अपना प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी को भेजेंगे। प्राधिकारी उस समय यह निर्णय लेंगे कि क्या और किस सीमा तक किन शर्तों के अधीन अधिकारी के हॉल्ट को अस्वस्थता हॉल्ट माना जा सकता है।

(v) यदि बीमारी के कारण विराम की अवधि 10 दिन से अधिक होने की संभावना हो तो मिशन/पोस्ट के प्रमुख, जिसके प्रभाराधीन विराम का स्टेशन आता हो, या मिशन या पोस्ट का प्रमुख न होने पर कर्मचारी स्वयं सक्षम प्राधिकारी को उन व्यक्तियों के बारे में, जिन्हें अनिवार्य रूप से विराम करना हो, ब्यौरा देते हुए तार से परिस्थितियों की जानकारी देगा । तब सक्षम प्राधिकारी या निर्णय करेगा कि क्या वास्तविक रूप से बीमार व्यक्ति या व्यक्तियों के अलावा, परिवार के किसी अन्य सदस्य या सदस्यों को भी विराम करना चाहिए या नहीं या वह उपर्युक्त आदेश जारी करेगा ।

(vi) यदि कर्मचारी का कोई भारतीय नौकर किसी मध्यवर्ती स्टेशन पर बीमार पड़ जाए और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि वह अपने स्वास्थ्य को गंभीर खतरे या जोखिम में डाले बगैर यात्रा जारी नहीं रख सकता या यात्रा पुनः आरंभ नहीं कर सकता है, तो वह ऐसे मध्यवर्ती स्टेशन पर उतनी अवधि के लिए विराम कर सकता है जितनी अवधि यात्रा पुनः आरंभ करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी की राय में उसके स्वस्थ होने के लिए आवश्यक हो ।

(vii) कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के विराम के लिए भारतीय नौकर की बीमारी को अधार नहीं माना जाएगा ।

(घ) आपातकालीन हॉल्टः

(i) आपातकालीन हॉल्ट का अर्थ ऐसे हॉल्ट से है जो किसी अधिकारी अथवा परिवार के किसी सदस्य अथवा भारतीय नौकर को यात्रा के दौरान, यात्रा के प्रारंभन अथवा समापन के स्टेशन सहित किसी भी स्टेशन पर ऐसे असामान्य कारणों से लेना पड़ता है जो ऐसी परिस्थितियों के कारण है जो परिवहन के लिए जिम्मेदार अफसर अथवा संगठन के नियंत्रण से बाहर हैं।

(ii) यदि कोई व्यक्ति अथवा उसके परिवार को कोई सदस्य ऊपर उप खंड (i) (4) में दी गई परिस्थितियों के तहत् हॉल्ट लेता है अथवा हॉल्ट का प्रस्ताव रखता है तो अधिकारी इस बात की जानकारी, जिस मिशन/पोस्ट के प्रमुख के अधिकार क्षेत्र में हॉल्ट वाला स्टेशन आता है उसके अथवा जहॉ पर कोई मिशन या पोस्ट का नहीं है वहॉ सक्षम प्राधिकारी को जल्दी से जल्दी हॉल्ट अथवा प्रस्तावित हॉल्ट के लिए जिम्मेवार परिस्थितियों के बारे में सूचना देगा। तब सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेंगे कि इस हॉल्ट को इस नियम के संदर्भ में किस हद तक और किन स्थितियों में हॉल्ट की किस अवधि या अंश का आपातकालीन हॉल्ट माना जाए।

(च) गैर–अधिसूचित हॉल्ट की अवधि के दौरान यदि कोई अधिकारी स्थानांतरण पर यात्रा करेगा तो उसे उसके भारतीय नौकरों के लिए निर्धारित दरों पर मानक वेतन की प्रतिपूर्ति की हकदारी, उसके द्वारा त्यागे पद के अनुसार स्वीकार्य या देय होगी।

(छ) नियम 268 के प्रावधानों के अनुसार मार्ग में आने वाले गैर–अधिसूचित हॉल्ट के स्थानों और विदेशी राष्ट्रों में रेल या सड़क द्वारा पारगमन के दौरान निर्धारित दरों पर दैनिक भत्ता देय होगा। दैनिक भत्ते की दर जिन देशों को पार किया गया है, उनके लिए समय–समय पर सेवा अताशे या सलाहकारों के लिए यथा अधिसूचित अनुसार होगी।

(ज) सरकारी खर्चे पर यात्रा करते समय बीच के स्टेशनों पर गैर–अधिसूचित हॉल्ट की अवधि के दौरान अधिकारी के निजी नौकर (नौकरों) के लिए दैनिक या नकद भत्ता देय होगा बशर्ते कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी यह प्रमाणित करे कि ऐसे हॉल्ट यात्रा में आगे जाने के लिए परिवहन की अनुपलब्धता के कारण दिए गए दैनिक भत्ते की दर और स्वीकार्यता या देयता

की शर्तें जिस देश में हॉल्ट लेने के लिए बाध्य होना पड़ा हो वहॉ पर ₹ 2400 ग्रेड़ वेतन से कम वेतन का आहरण करने वाले कार्मिकों के लिए समय–समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।

(झ) गैर–अनुसूचित विरामों के दौरान परिलब्धियां :

(i) बीमारी के कारण हुए विराम को छोड़कर इस नियम के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले किसी भी गैर–अनुसूचित विराम को ड्यूटी की अवधि माना जाएगा । कर्मचारी के स्वीकार्य कार्यभार ग्रहण समय को, ऐसे स्वीकृत गैर–अनुसूचित विराम की अवधि तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा, ऐसे बढ़ाए गए कार्यभार ग्रहण समय की अवधि के दौरान कर्मचारी, नियमों में यथा निर्धारित कार्यभार समय की परिलब्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(ii) इस नियम के उपबंधों के अंतर्गत यदि कर्मचारी अपनी या अपने परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण विराम करता है तो बीमारी की वजह से हुई विराम अवधि को ड्यूटी की अवधि नहीं माना जाएगा । बल्कि उसे देय किस्म की छुट्टी के रूप में माना जाएगा और मजबूर किया जाएगा । ऐसे मामले में वह अपने लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन के अतिरिक्त निम्नलिखित का भी हकदार होगा :

(1) हॉल्ट के पहले 28 दिन के लिए, इस नियम के तहत उस या उसके परिवार के सदस्य या प्राधिकृत भारतीय नौकर को देय दैनिक भत्ता।

(2) पहले 28 दिनों से अधिक अवधियों के लिए, कर्मचारी सरकार को इसकी सूचना देगा और सरकार अपने विवेकानुसार कर्मचारी को यथोचित वित्तीय सहायता मंजूर कर सकती है ।

(iii) यदि कोई कर्मचारी स्वयं यात्रा न कर रहा हो और उसके परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य को सरकारी खर्च से यात्रा के दौरान बीमार पड़ने के कारण विराम करना पड़े, तो परिवार के सदस्य या भारतीय नौकर या यदि भारतीय नौकर अकेले ही सरकारी खर्च से यात्रा कर रहा हो और उसे बीमारी के कारण विराम करना पड़े तो उसे दैनिक–भत्ता या सरकारी खर्च पर होटल आवास इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी: यदि किराए में भोजन का खर्च शामिल हो तो हवाई जहाज, स्टीमर या रेल/सड़क द्वारा यात्रा करने की अवधि में कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य या भारतीय नौकर को कोई दैनिक–भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

270. जहाज पर चढ़ने/उतरने के बंदरगाह पर रूकने की अवधि के दौरान दैनिक–भत्ते की हकदारी

विदेश में ड्यूटी पर जाते हुए अथवा वापस आते समय जहाज पर चढ़ने/उतरने के बंदरगाह पर रूकने की अवधि के लिए, नियम–115 के उपबंध भी लागू होंगे।

270–अ. विदेश में भारतीय राजनयिक मिशनों में तैनात सेना कार्मिकों के अपने परिवार के साथ बन्दरगाह या हवाई अड्डे में बाध्यकारी पड़ाव के दौरान वास्तविक लोजिंग व्यय की प्रतिपूर्ति

जेसीओ या एनसीओ और नौसेना या वायुसेना के समतुल्य रैंको को विदेश में भारतीय राजनयिक मिशनों की तैनाती पर अपने परिवार के साथ भारत से जाने और आने के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और नई दिल्ली में उनकी बाध्यकारी रूकावट के लिए समय–समय पर जारी सरकारी आदेशों में विहित सीमाओं के अन्दर वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

271. इंग्लैण्ड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सैनिक कर्मियों को छुट्टी यात्रा रियायत

इंग्लैंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सैनिक कार्मिकों को, अपनी छुट्टी के साथ निम्नलिखित यात्रा रियायतें प्राप्त होंगी । यदि संबंधित प्रशिक्षण संस्थान का प्रधान/नौसेना सलाहकार, लंदन, यह प्रमाणित कर दे कि :

(i) छुट्टी यात्रा की आवश्यकता है ; और

(ii) गंतव्य उचित है ।

तो एक कैलेंडर वर्ष में आने–जाने के लिए अधिकतम 325 किमी की दूरी के लिए, प्रत्येक टर्मिनल तक प्रत्येक मार्ग पर, अधिकतम तीन बार की यात्राओं के लिए रेलवे वारंट ।

टिप्पणी 1: नियम में निर्धारित प्रमाण–पत्र, थलसेना, नौसेना और वायु सेना कर्मचारियों के संबंध में, कमशः थलसेना सलाहकार, नौसेना सलाहकार और वायु सेना सलाहकार, लंदन द्वारा अवकाश अवधि (प्रशिक्षण काल में अवकाश) के संबंध में प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान से प्राप्त सूचना के प्राधिकार पर प्रदान किया जाएगा ।

टिप्पणी 2: यदि प्रशिक्षण अवधि कैलेंडर वर्ष के कुछ भाग के लिए हो और छुट्टी भारत लौटने पर ली जाए, तो भारत में छुट्टी यात्रा रियायत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

271–अ. विदेशों में राजनयिक मिशनों/पोस्टों पर तैनात सेना कर्मियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत

(क) विदेशों में भारतीय मिशनों और पोस्टों में तैनात सेना कर्मचारियों को अपने खर्च पर भारत में छुट्टी पर जाने और वहां से वापस आने की स्थिति में अपने लिए तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए भारत में जहाज पर चढ़ने/उतरने के बंदरगाह से/तक भारतीय सीमाओं के भीतर यात्रा रियायत दी जाएगी ।

(ख) यह रियायत उस वर्ष में स्वीकार्य नहीं होगी, जिसमें नियम–272 (घ) टी॰आर॰ (1976 संस्करण) के अंतर्गत "आपात यात्रा रियायत" प्राप्त की जा चुकी है ।

272. विदेशों में मिशनों/पोस्टों में कार्य कर रहे सेना कर्मचारियों और रक्षा सेवा आकलनों से भुगतान प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों को छुट्टी पर घर जाने का यात्रा खर्च/ आपातकालीन छुट्टी यात्रा खर्च ।

1. विदेश में मिशनों/पोस्टों में कार्य कर रहे रक्षा कर्मचारी और रक्षा सेवा आकलनों से भुगतान प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारी विदेश में मिशन/पोस्टों पर नियुक्ति के दौरान, छुट्टी पर एक बार घर जाने–आने के किराए के हकदार होंगे । विदेश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर भी, वे छुट्टी पर घर जाने के किराए के हकदार होंगे।

2. छुट्टी पर घर जाने के किरायों का उपयोग निम्न प्रकार से होगा :

(क) कोई भी कर्मचारी और उसके परिवार के सभी हकदार सदस्य, विदेश में उसकी नियुक्ति के दौरान एक बार भारत आ और जा सकते हैं ।

(ख) कोई भी कर्मचारी विदेश में अपने पद पर पूरा एक वर्ष कार्य करने के बाद स्वयं और अपने परिवार के हकदार सदस्यों के लिए छुट्टी पर घर जाने के लिए किराया प्राप्त कर सकता है । एक वर्ष की अवधि की सीमा में, प्रशासनिक अत्यावश्यता के कारण, तीन महीने की ढील दी जा सकती है, जिसे सिफारिशकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए संबंधित सेना मुख्यालय को, भेजने से पहले, लिखित में दर्ज किया जाएगा ।

(ग) कर्मचारी की यात्रा, छुट्टी मिलने की शर्त पर होगी, परंतु विदेश में तैनात व्यक्ति के साथ, कम–से–कम छः महीने तक रह चुके उसके परिवार के सदस्य किसी भी समय अकेले या उस व्यक्ति के साथ यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि वह अपने जाने की यात्रा के छः महीनों के भीतर, वापसी की यात्रा भी पूरी कर ले । निवास की छः माह की अवधि में रक्षा मंत्रालय (वित्त) की अनुमति से रक्षा मंत्रालय द्वारा छूट दी जा सकती है ।

(घ) यदि किसी व्यक्ति के परिवार का कोई हकदार सदस्य, उसकी नियुक्ति के स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर रह रहा हो तो वह उस स्थान से भारत आने और जाने के लिए गृह अवकाश किराए का हकदार होगा, परंतु यह किराया, अधिकारी को नियुक्ति के स्थान से भारत आने और जाने के लिए स्वीकार्य किराए तक सीमित होगा।

(ङ) आश्रित पुत्र/पुत्रियां, जिनकी भारत आने के बाद नौकरी लग जाए या शादी हो जाए, या जिन्हें भारत आने के बाद, अध्ययन के लिए यही रूकना हो, वे विदेश से भारत आने के लिए यात्रा के एक तरफ के गृह अवकाश किराए के हकदार होंगे, बशर्ते कि वे विदेश में नियुक्त कर्मचारी के साथ, कम–से–कम छः माह तक रहे हों । निवास की छः माह की अवधि में, रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति प्राप्त करने के बाद, रक्षा मंत्रालय द्वारा ढील दी जा सकती है ।

(च) भारत से विदेश में नियुक्ति के स्थान पर जाने वाले, नव–विवाहित पति/पत्नियां या भारत में रहने वाले आश्रित पुत्र/पुत्रियां, भारत से नियुक्ति के स्थान तक जाने के लिए, एक तरफ के गृह अवकाश किराए के हकदार होंगे ।

(छ) कोई भारतीय घरेलू नौकर जिसका भारत से विदेश में मिशन/पोस्ट तक का किराया सरकार द्वारा वहन किया गया हो, वह गृह अवकाश पर भारत आने के लिए तभी हकदार होगा, जब उस व्यक्ति का जिसके यहां वह नियुक्त है, विदेश में किसी और स्थान पर स्थानांतरण हो जाए।

(ज) कोई भी कर्मचारी विदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने स्थानांतरण के समय, गृह अवकाश किराए का हकदार होगा बशर्ते कि उसने पिछला गृह अवकाश किराया, कम–से–कम 12 महीने पहले प्राप्त किया हो । पिछला गृह अवकाश किराया

प्राप्त करने के बाद बारह महीनों के निवास की शर्त में रक्षा मंत्रालय (वित्त) की अनुमति प्राप्त करने के बाद, रक्षा मंत्रालय द्वारा ढील दी जा सकती है ।

(झ) विदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने के समय, अवकाश किराया न लिए जाने पर यह व्ययगत हो जाएगा । परंतु यदि किसी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृह अवकाश किराया प्राप्त किए बिना, अपनी नियुक्ति के स्थान से सीधे अगले स्थान पर जाने के लिए निर्देश दिया गया हो, वह विदेश में नए पदभार ग्रहण करने के बाद सलाहकार/अताशे द्वारा यह प्रमाण–पत्र दिए जाने पर कि कार्य संबंधी आवश्यकताओं के कारण अधिकारी विदेश में पिछली नियुक्ति के स्थान से स्थानांतरण के समय सामान्य तरीके से गृह अवकाश किराया नहीं ले पाया था, गृह अवकाश किराए का लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होगा ।

(ञ) यदि कोई कर्मचारी गृह अवकाश किराए के दौरान भारत से बाहर किसी स्थान के लिए छुट्टी लेना चाहे, तो उसे गृह अवकाश के लिए मंजूर किए गए कुल दिनों के एक तिहाई (1/3) से अधिक दिनों के लिए, भारत से बाहर छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी गृह अवकाश किराए के दौरान गैर–अनुमोदित मार्ग द्वारा यात्रा करता है तो यात्रा की लागत अनुमोदित मार्ग तक सीमित होगी और यदि किराया अधिक बनता हो तो वह संबंधित व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा ।

(ट) सेवा कार्मिक तथा सिविलियन पदाधिकारियों के भारत स्थित घरेलू सहायकों का अवकाश किराया मिशन या विदेशी पोस्ट में रक्षा सेवा प्राक्कलन से चुकाया जाता है

अब यह निश्चित किया जा चुका है कि भारतीय मिशन या विदेशी पोस्ट पर नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के भारत स्थित घरेलू सहायकों को मिडटर्म घरेलू किराया प्राप्त होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें सरकार की देयता भ्रमण क्लास एयर फेयर के 75 प्रतिशत तक सीमित हो। इस सुविधा का उपयोग ऊपरलिखित दूसरे नियमों की व्यवस्थाओं के अधीन ही होगा।

3. गृह अवकाश किराए पर यात्रा कर रहा कोई व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य अनुमोदित मार्ग द्वारा और हकदारी की श्रेणी में विदेश में नियुक्ति के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक किराए के लिए हकदार होगा । गृह नगर या निवास के चुनिंदा स्थानों पर जाने की यात्रा, यथास्थिति इन विनियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत स्वीकार्य होगी ।

टिप्पणीः जो कर्मचारी भारत में छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करना चाहते हों, वे छुट्टी यात्रा रियायत पर अपनी यात्रा भारत में उतरने पर मार्ग में पहले हवाई अड्डे या नई दिल्ली इनमें से जो भी नजदीक हो, से प्रारंभ करेंगे ।

4. यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य अनुमोदित मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से यात्रा करता है, तो उसकी हकदारी अनुमोदित मार्ग द्वारा यात्रा की लागत तक सीमित होगी । यात्रा विनियम के नियम–246 की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें हवाई यात्रा एअर इंडिया द्वारा अनिवार्य कर दी गई है । यदि कोई व्यक्ति गृह अवकाश के दौरान गैर–अनुमोदित मार्ग से यात्रा करना चाहता है तो मिशन एअर इंडिया के माध्यम से उसकी टिकट बुक कराने की व्यवस्था करेगा । मिशन का दायित्व, एअर इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट द्वारा अनुमोदित मार्ग के किराए का भुगतान करने तक सीमित है । अतिरिक्त किराए की राशि और/या विदेशी मुद्रा यदि कोई हो संबंधित व्यक्ति द्वारा वहन की जाएगी। गृह अवकाश यात्राओं के दौरान हवाई टिकट को पूर्ण किराए से भ्रमण किराए में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है ।

5. गृह अवकाश किराए पर यात्रा कर रहा कोई कर्मचारी या परिवार का सदस्य सरकार के खर्च पर अधिक सामान ले जाने का हकदार नहीं होगा । परंतु वह, भारिक का शुल्क या सामान छुड़वाने, परिवहन जैसे अनिवार्य और आकस्मिक खर्चों का हकदार होगा/ होगी । व्यक्ति पारगमन में मजबूरन विराम सहित यात्रा समय का भी हकदार होगा।

6. गृह अवकाश किराए का लेखा संबंधित मुख्यालय द्वारा रखा जाएगा । किसी व्यक्ति की विदेश में नियुक्ति के दौरान यदि गृह अवकाश किराए या उसके किसी भाग का लाभ नहीं उठाया जाता तो वह व्ययगत हो जाएगा ।

7. (i) रक्षा सेवा अधिकारी/जे॰सी॰ओ॰ और ओ0आर0 और नौसेना और वायु सेना के समकक्ष श्रेणी के अधिकारी और रक्षा सेवा आकलन से भुगतान प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारी, सामान्य गृह अवकाश किराए के अतिरिक्त, अपने कैरियर के दौरान तब एक एकल आपातकालीन/किराए के हकदार होंगे, यदि वह या उनके परिवार का कोई सदस्य निजी या पारिवारिक आकस्मिक संकट के कारण तत्काल भारत जाना चाहते हों । आपात मामलों में, संबंधित व्यक्ति से

निम्नलिखित वचन–पत्र प्राप्त करने के बाद और अन्य शर्तें पूरी होने पर, मंत्रालय की मंजूरी की प्रत्याशा में आपात यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को मिशन के अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

"मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने खाते से यह आपात किराया प्राप्त कर रहा हूं । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यदि बाद में यह पता चलता है कि मेरे द्वारा की गई यह घोषणा सही नहीं थी, तो मैं अब मांगा जा रहा पूरा यात्रा खर्च वापस कर दूंगा ।"

"पारिवारिक आकस्मिक संकट" में नजदीकी रिश्तेदारों की गंभीर बीमारी शामिल है। आपातकालीन यात्रा के संबंध में औपचारिक मंजूरी जारी करने के लिए ऐसे रिश्तेदार की गंभीर बीमारी के बारे में चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है ।

(ii) यदि कोई अधिकारी या उसके परिवार का कोई सदस्य घरेलू अवकाश किराये या आपातकाल यात्रा पर जाता है तो वह विदेश में नियुक्ति के स्थान से भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक स्वीकृत क्लास से यात्रा करने का हकदार होगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसके मूल स्थान के नजदीक या दिल्ली में होना चाहिए। भारत में अब अन्तर्राष्ट्रीय हवाई जहाजों के उतरने वाले ऐसे हवाई अड्डे भी शामिल हैं जिनमें सीमा शुल्क भुगतान की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे :— अमृतसर, वाराणसी, अहमदाबाद, पटना, कोझीकोड़, हैदराबाद, तिरूचिरापल्ली। ये हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और तिरूवनंतपुरम के अतिरिक्त हैं। अतः अमृतसर, वाराणसी, अहमदाबाद, पटना, कोझीकोड़, हैदराबाद और तिरूचिरापल्ली तक की हवाई यात्रा की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अंतर्गत मानी जाएगी, घरेलू उड़ानों के अन्तर्गत नहीं।

(क) सैन्य कार्मिक नियम 177 और 184 के अनुसार भारत में मूल निवास और वापसी का रास्ता या किसी दूसरे स्थान का प्रत्येक मार्ग बिना दूरी के मान्य होगा।

(ख) सिविलियन कार्मिक चार वर्षों की समयावधि में भारत में होम टाउन या किसी दूसरे स्थान पर जाना या वापसी नियम 190 के अनुसार मान्य होगी।

(iii) यदि किसी कर्मचारी और/या उसके पति/पत्नी द्वारा आपातकालीन यात्रा की जाती है, तो वह पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को साथ ले जा सकता है/सकती है।

8. विदेश स्थित मिशनों में सेना अताशे/सलाहकार के कार्यालय में तैनात संबंधित व्यक्ति गृह अवकाश यात्रा का लाभ उठाने के लिए संबंधित सेना मुख्यालय को निर्धारित प्रोफार्मा पर, तीन प्रतियों में अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगे और वे इस गृह अवकाश यात्रा का लाभ संबंधित सेना मुख्यालयों से अनुमोदन मिलने के बाद उठाएंगे। परंतु आपातकालीन मामाले में, मिशनों के अध्यक्ष बाद में इन्हें संबंधित सेना मुख्यालयों द्वारा विनियमित किए जाने की शर्त पर गृह अवकाश यात्रा प्राधिकृत कर सकते हैं।

9. यदि भारतीय मूल के दुभाषिये को उसी मिशन या पोस्ट में जनहित में तीन वर्षों के सामान्य कार्यकाल से अधिक रोका जाता है, तो वह एक अतिरिक्त घरेलू अवकाश किराये सेट का हकदार होगा। जो ऐसा उसी मिशन या पोस्ट में रहते हुए प्रत्येक तीन वर्षों के कार्यकाल की अवधि के लिए लागू होगा। इस प्रकार का पहला अतिरिक्त घरेलू अवकाश किराए का सेट उसी मिशन या पोस्ट पर चौथे वर्ष की समाप्ति पर देय होगा, बशर्ते कि यह प्रमाणित किया गया हो कि घरेलू अवकाश से वापसी के बाद दुभाषिया उसी मिशन या पोस्ट में कम से कम एक वर्ष तक रहेगा। अतिरिक्त घरेलू अवकाश किराया कमशः सातवें वर्ष, दसवें वर्ष, तेरहवें वर्ष की समाप्ति पर देय होगा एवं इस प्रकार आगे भी यह अवकाश उसी मिशन या पोस्ट में रहते हुए ऊपर उल्लिखित प्रमाणीकरण के अनुसार ही देय होगा।

अनुबंध I

(नियम–272, खंड–8 देखें)

गृह अवकाश किराए/आपात यात्रा के लिए आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम : .....
2. इस समय किस पद पर कार्य कर रहा है : .....
3. वर्तमान स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि : .....
4. किसी प्रकार की और कितनी छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है : .....
5. तारीख, जिससे छुट्टी की आवश्यकता है : .....
6. किस प्रयोजन के लिए छुट्टी की आवश्यकता है : .....
7. स्थान, जहां आवेदक भारत/विदेश में अपनी छुट्टियां व्यतीत करना चाहता है और छुट्टी के दौरान पता : .....
8. बाहर नियुक्ति के स्थान से पिछली छुट्टी पर कब गए थे और क्या उस समय सरकारी कर्मचारी और परिवार का किराया सरकार द्वारा दिया गया था : .....
9. गृह अवकाश किराया प्राप्त करने का प्रयोजन : .....
10. (i) यदि आपात यात्रा के लिए आवेदन किया है तो क्या 1–1–81 के बाद कोई आपात यात्रा किराया प्राप्त किया गया है और यदि हां, तो प्राप्त करने की तारीख दी जाए : .....

    (ii) यदि गृह अवकाश किराए के लिए आवेदन किया गया है, तो गृह अवकाश किराया प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्यों का विवरण नीचे दिया जाए :– : .....

नाम	लिंग	आयु	आवेदक के साथ संबंध	वर्तमान स्थान पर आगमन की तारीख
1.				
2.				
3.				

11. क्या परिवार के सभी हकदार सदस्य कर्मचारी के साथ हैं । यदि नहीं, तो उन सदस्यों का विवरण और जानकारी जिनके लिए किराए की आवश्यकता है : . . . . . .

(मैं आगामी अवकाश के दौरान, यात्रा विनियम (2014 संस्करण) में यथा स्वीकार्य अपने लिए छुट्टी रियायत प्राप्त करना चाहता हूं/नहीं करना चाहता हूं ।)

तारीख :

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

आवेदक को देय छुट्टी का प्रकार और यात्रा

(यह कॉलम संबंधित मिशन द्वारा हुई लेखे के संदर्भ में, यदि उनके पास उपलब्ध हो, भरा जाएगा)

273. चिकित्सा आधार पर परिवार के सदस्यों का यात्रा खर्च

यदि विदेश में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य, जो उसकी नियुक्ति के स्थान पर उसके साथ रह रहा हो, गंभीर रूप से बीमार हो तथा उसे उपचार के लिए चिकित्सा आधार पर कहीं और से जाना आवश्यक हो तो सरकार अपने विवेकानुसार बीमार व्यक्ति और (जहां आवश्यक हो) बीमार व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे एक अन्य व्यक्ति के आने–जाने का किराया अदा कर सकती है । यह किराया सरकारी कर्मचारी के तैनाती स्थान से उस स्थान तक दिया जाएगा जहां बीमार व्यक्ति डाक्टरी सलाह पर जाए ।

टिप्पणीः चूंकि परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा–भत्ता प्रदान करने की अनुमति सरकार के विवेक पर दी जाएगी, इसलिए इस नियम के उपबंधों को लागू करने से पहले भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । परंतु अत्यधिक आपातकाल या जल्दी के मामले में, मिशनों/पोस्टों के अध्यक्ष सरकार द्वारा यथा समय विनियमित किए जाने की शर्त पर अपने अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को रियायत प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं । किसी भी मामले में यात्रा–भत्ते का भुगतान सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी जारी करने के बाद ही किया जाएगा ।

274. उन सैनिक अधिकारियों को यात्रा खर्च, जिन्हें विदेश में छुट्टी अवकाश के दौरान चिकित्सा बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने के आदेश दिए जाएं

उन सैनिक अधिकारी को यात्रा खर्च दिया जाएगा, जिसे विदेश में, जब वह वहां अवकाश पर हो, चिकित्सा बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा गया हो ।

275. विदेश में शादी करने वाले सेना कर्मचारियों के परिवारों को यात्रा खर्च

(क) एक वर्ष से अधिक के लिए प्रति–नियुक्ति/नियुक्ति के दौरान, शादी करने वाला सेना अधिकारी अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर जब भारत वापस आएगा, तो वह अपने साथ आ रहे परिवार के लिए मुफ्त यात्रा व्यय का हकदार होगा, बशर्ते कि परिवार भारत यात्रा की अवधि सहित एक वर्ष की अवधि से अधिक समय तक अधिकारी के साथ रहा हो ।

(ख) भारतीय राजनयिक मिशन में कार्य करते समय विदेश में शादी करने वाला सैनिक/नौसैनिक/वायुसैनिक जब अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भारत आएगा, तो वह अपने साथ आ रहे परिवार के यात्रा व्यय के लिए हकदार होगा, बशर्ते कि परिवार सैनिक/नौसैनिक/वायु सैनिक के साथ विदेश में, भारत की यात्रा की अवधि सहित, आठ महीने से अधिक समय तक रहा हो।

(ग) उपरोक्त रियायत दिए जाने से, संबंधित परिवारों को, भविष्य में उस देश के लिए, जहां से वे आए हों या किसी अन्य देश के लिए किराए का दावा करने का कोई हक नहीं मिल जाता है, यह हक उन्हें तभी प्राप्त होता है जब परिस्थितियां उन्हें सामान्य नियमों के अंतर्गत ऐसे किराए के लिए हकदार बना दें ।

टिप्पणीः परिवार के मुखिया से अलग जाने वाले परिवारों को शेष सामान सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ले जाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि कर्मचारी द्वारा और परिवार द्वारा ले जाए गए सामान तथा डिपों में ले जाए गए सामान की कुल मात्रा अधिकतम हकदारी से अधिक न हो ।

276. बच्चों के लिए अवकाश यात्रा किराया

(क) विदेश में भारतीय राजनयिक मिशनों (दूतावासों और हाई कमीशनों) में कार्यरत सैनिक कर्मचारियों और ग्रुप "डी" के अतिरिक्त, रक्षा सेवा आकलन से भुगतान प्राप्त कर रहे भारत स्थित सिविल कर्मचारियों के उन बच्चें को जो शिक्षा के उद्देश्य के भारत में रह गए हों और भारत में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, किसी अवकाश के दौरान वर्ष में एक बार अपने माता–पिता के पास जाने के लिए बच्चों के लिए अवकाश किराया दिया जाएगा । यह रियायत उस एक बच्चे के संबंध में प्राप्त की जा सकती है जो विदेश में उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य देश में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो और ऐसे मामले में, यह रियायत भारत में पढ़ रहे केवल एक और बच्चे के लिए प्राप्त की जा सकती है ।

टिप्पणी 1: किसी शैक्षणिक संस्था में पढाई का कोर्स (या वर्ष) पूरा होने के बीच के समय में या किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में नए कोर्स (या वर्ष) के आरंभ में इन नियमों के उद्देश्य के लिए संस्थानों द्वारा छुट्टियों की व्यवस्था की जाएगी।

टिप्पणी 2: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और अन्य रक्षा अकादमियॉ किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान की तरह छुट्टियों के विषय पर विचार–विमर्श नहीं करेंगी और इन संस्थाओं में पढ़ने वाले अधिकारियों के बच्चे इस योजना के अन्तर्गत इस सुविधा के हकदार नहीं होंगे।

टिप्पणी 3: बच्चे के लिए छुट्टियों के दौरान यात्रा सुविधा योजना उन बच्चों के लिए है जो किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में रह रहे हैं। परन्तु ऐसे बच्चे जो भारत में रहते हुए पत्राचार से पढ़ाई कर रहे हैं, वे इस योजना सी एच पी की सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

(ख) (i) यह रियायत सबसे सस्ती उपलब्ध श्रेणी द्वारा भारत में बच्चे में पढ़ने के स्थान से सबसे पास के हवाई अड्डे से विदेश में पोस्ट तक आने–जाने के हवाई किराए की लागत के भुगतान तक सीमित होगी । विदेश में पढ़ रहे बच्चे के संबंध में आने–जाने का हवाई जहाज का किराया उसके अध्ययन स्थल से अधिकारी की नियुक्ति के स्थान तक होगा । यह किराया अधिकारी की भारत में पिछली नियुक्ति के स्थान से निकटतम हवाई अड्डे से विदेश में पोस्ट तक, सबसे सस्ती श्रेणी के आने–जाने हवाई किराए तक सीमित होगा ।

टिप्पणी: ऊपर प्रयोग किए गए सस्ती क्लास का अर्थ इकॉनमी क्लास नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध पर्यटन किराए अथवा कंशेस्नल हवाई टिकट से है, जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र पर जाने के लिए विद्यार्थी यात्रियों को एयर इंडिया द्वारा दिए जाते हैं।

(ii) वर्ष में केवल एक बार 6 से 22 वर्ष के आयु के अधिकतम दो बच्चों को यह सुविधा दी जा सकती है। 12 महीने की अवधि की अंतिम तिथि के एक महीने के बाद तक बच्चों को यह सुविधा दी जा सकती है बशर्ते कि मिशन का मुखिया इस बात की मंजूरी दे दे। 12 महीनों की इस अवधि में अधिकारी के आगमन से लेकर विदेश में तैनाती तक के समय को जोड़ा जाएगा।

(iii) यह रियायत उन मामलों में स्वीकार्य नहीं होगी जहां बच्चा विदेश में पढ़ रहा हो और कर्मचारी का स्थानांतरण या नियुक्ति भारत में हो जाए ।

(iv) यदि विदेश में नियुक्ति का स्थान भारत या विदेश में बच्चे के शिक्षा के स्थान से वायुयान सुविधा द्वारा सीधे न जुड़ा हुआ हो तो उसके वापसी किराए की लागत वायु मार्ग द्वारा (सबसे सस्ती श्रेणी), समुद्र द्वारा (निम्न श्रेणी) और सड़क द्वारा (उचित श्रेणीं में स्वीकार्य होगी)।

(v) अन्य कोई भी आकस्मिक शुल्क देय नहीं होंगे।

टिप्पणी 1: विदेशी यात्रा वाले दिन बच्चे की आयु न्यूनतम छः वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए।

टिप्पणी 2: विदेश यात्रा कर की प्रतिपूर्ति चिल्ड्रन हॉलीडे पैकेज में कर दी जाएगी।

(vi) ऐसे मामले जिनमें पति–पत्नी दोनो अधिकारी हों, फिर चाहे उनकी नियुक्ति एक ही स्थान पर हुई हो अथवा अलग–अलग जगहों पर, भारत में पढ़ाई कर रहे उनके बच्चे हर ब्लॉक वर्ष में एक बार ही सी एच पी (चिल्ड्रन हॉलीडे पैकेज) के हकदार होंगे। हालांकि, ऐसे मामले में जब पति–पत्नी दोनों अधिकारियों की नियुक्ति अलग–अलग स्थानों पर हो तो बच्चों को सी एच पी किस स्थान के लिए उपलब्ध कराया जाए यह निर्णय अधिकारी लेंगे। सी एच पी अनुदान देने वाला मिशन किसी विशेष ब्लॉक वर्ष के लिए सी एच पी की सूचना उस जगह भेजेगा जहॉ बच्चे के अभिभावकों में से किसी भी एक की नियुक्ति हुई है। हालांकि, यदि अभिभावकों (माता–पिता) में से किसी एक की भी नियुक्ति भारत में हुई है तो उनके बच्चे सी एच पी सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

(ग) उपरोक्त रियायतें निम्नलिखित शर्तें और निबंधनों के अनुसार दी जाएंगी :

(i) जहां किसी व्यक्ति ने उपरोक्त खंड (ख) (ii) में यथा परिभाषित बारह माह की एक या अधिक अवधियां पूरी कर ली हों और जिसे विदेश में किसी अन्य पोस्ट पर स्थानांतरण के आदेश प्राप्त हो गए हों, वह सामान्य रूप से रियायत प्राप्त कर सकता है और बारह माह की अवधि विदेश में उसकी पोस्ट से अवकाश और स्थानांतरण या सीधे स्थानांतरण द्वारा नई पोस्ट पर नियुक्ति की तारीख से प्रारंभ न होकर, पहले की तरह मानी जाती रहेगी ।

(ii) जहां किसी व्यक्ति ने उपरोक्त खंड (ख) (ii) में यथा परिभाषित एक या अधिक बारह माह की अवधियां पूरी कर ली हों और या तो उसे भारत में किसी पोस्ट पर स्थानांतरण के लिए आदेश प्राप्त हो गए हों या उसकी अगली नियुक्ति के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ हो तो वह चालू बारह माह की अवधि के पूरा होने जैसी किसी शर्त के बिना अपने लिए रियायत प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि पिछले बारह माह का ब्लॉक पूरा होने के बाद, उसकी विदेश स्थित स्टेशन पर कम–से–कम नौ माह तक रहने की संभावना है ।

(iii) विदेश में एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर स्थानांतरण या नियुक्ति होने पर, यदि कोई बच्चा कर्मचारी के साथ जाता है, या स्थानांतरण पर यात्रा–भत्ता प्रदान करने संबंधी नियमों की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य अवधि के भीतर बाद में उसके पास चला जाता है और उस बाद में वह भारत वापस

आ जाता है या उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे देश में भेज दिया जाता है, तो यथा स्थिति व्यक्ति की नियुक्ति स्थान से भारत या अन्य देश के लिए किराया बच्चों के लिए अवकाश किराया योजना के अधीन स्वीकार्य नहीं होगा और न ही बच्चा उपरोक्त खंड (ख) (ii) में यथा परिभाषित बारह माह की अवधि में जिसमें वह भारत वापस आ जाता है या किसी अन्य देश में भेजा जाता है, अवकाश किराया प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा । परंतु, वह बाद की बारह माह की अवधि में अवकाश किराया प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(iv) यदि स्थानांतरण के समय यात्रा–भत्ते पर लागू नियमों की शर्तों के अनुसार या उसमें छूट देकर सरकार द्वारा किसी बच्चे की भारत या किसी अन्य देश के लिए वापसी यात्रा की लागत अदा की गई हो तो बच्चा अवकाश किराए का हकदार केवल तभी होगा जब जिस स्थान से बच्चा भारत वापस गया हो या किसी अन्य देश में भेजा गया हो, उस स्थान पर व्यक्ति का कार्यकाल सरकार द्वारा कम–से–कम एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए या विदेश में उसका स्थानांतरण अन्य पोस्ट पर हो जाए । बाद की स्थिति में उपर खंड (ख) (ii) में यथा परिभाषित, बारह माह की अवधि के लिए, जिसके दौरान बच्चा सरकार के खर्च पर भारत वापस गया हो, अवकाश किराया स्वीकार्य नहीं होगा ।

टिप्पणीः सी एच पी तब से मान्य होता है जिस अगले ब्लॉक वर्ष में बच्चा सरकार के खर्चे पर स्थानांतरण यात्रा भत्ते पर भारत लौटता है अथवा उस एक तरफा होम फेयर लीव मिलता है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लागू होती हैं:—

(क) मिशन द्वारा यह बात प्रमाणित हो जानी चाहिए कि नियुक्ति वाले देश में बच्चा स्वाभाविक कारणों में (विशेष रूप से वर्णित) आगे पढ़ाई नहीं कर सकता।

(ख) सम्बन्धित पहले ब्लॉक वर्ष में बच्चे को सीएचपी की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, उदाहरण के लिए यदि किसी मिशन पर 01.07.2011 को किसी अधिकारी की नियुक्ति होती है और नियुक्ति के तुरंत बाद वह बच्चे को वापस भेज देता है तो ब्लॉक वर्ष में 01.07.2011 से 30.06.2012 तक सीएचपी का लाभ बच्चे को नहीं दिया जाएगा।

(ग) सरकार के खर्चे पर अगले ब्लॉक वर्ष में बच्चे को आगे के लिए सीएचपी फेयर देने का मामला प्रचलित नियमों के अनुसार होना चाहिए और:

(घ) बच्चों के होमलीव के पैसे की हकदारी रोक ली जाती है।

(vi (क) यदि बच्चे के माता–पिता में से कोई भी एक भारत में रहता है तो यह पैसेज मान्य नहीं होता है।

(ख) माता–पिता को भारत का निवासी नहीं समझा जाता यदि वह माता–पिता कम से कम छः महीनों से लगातार उस ब्लॉक वर्ष में जिसमें सीएचपी की मांग की गई है उसमें अधिकारी के साथ नियुक्ति वाले स्थान पर रहते हैं।

टिप्पणीः यदि सरकारी कर्मचारी कानूनी रूप से अथवा अपनी या अपने पत्नी या पति से अलग होते हैं तो वह सरकार के विशेष आदेशों के अधीन होंगे।

(vi) नियम 253 की शर्तों के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्थानांतरित होकर विदेश में नियुक्त होता है और नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर वह बच्चे के स्थानांतरण यात्रा भत्ते की मांग करता है या इसका दावा करना चाहता है अथवा इसमें छूट चाहता है तो उस वर्ष में बच्चा हॉलीडे पैकेज का हकदार नहीं होगा।

(घ) (i) यदि विदेश में मिशन/पोस्ट में कार्यरत किसी व्यक्ति के छः से बाईस वर्ष की आयु के दो से अधिक बच्चे भारत में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसके पास यह विकल्प होगा कि वह दो बच्चों के, विदेश में अपने माता–पिता के पास आने के बदले में अपनी पत्नी को अवकाश के दौरान उनके पास रहने के लिए भारत भेज दे, बशर्ते कि वह व्यक्ति इन आदेशों की शर्तों के अनुसार, उस समय अपने दो बच्चों के संबंध में बच्चों के लिए अवकाश किराया प्राप्त करने का हकदार हो ।

(ii) यदि इस विकल्प का प्रयोग किया जाए तो कर्मचारी की पत्नी, विदेश स्थित पोस्ट से भारत में उतरने के प्रथम पत्तन तक, उपलब्ध सबसे सस्ती श्रेणी के वापस विमान किराए की लागत का भुगतान प्राप्त करने की हकदार होगी, बशर्ते कि वह अवकाश प्रारंभ होने के तीस सप्ताह से पहले भारत न आई हो और अवकाश समाप्त होने के बाद तीन सप्ताह के भीतर भारत से लौट जाए। परंतु, जहां विदेश में नियुक्ति का स्थान वायु मार्ग द्वारा न जुड़ा हो और यात्रा या उसका कुछ भाग रेल या समुद्री मार्ग द्वारा पूरा करना हो तो वह थल यात्रा के लिए उचित श्रेणी द्वारा भत्ते की हकदार होगी और समुद्री यात्रा के विषय में, बच्चों का अवकाश प्रारंभ होने से पहले भारत पहुंचने वाले अंतिम संबंधित जहाज से और वापसी यात्रा के लिए अवकाश समाप्त होने के बाद भारत से जाने वाले प्रथम उपलब्ध जहाज से, उचित श्रेणी द्वारा यात्रा किराए की हकदार होगी । जहां समुद्री यात्रा

भी शामिल हो, वहां संबंधित जहाजों के समय का विवरण देते हुए, सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी ।

(iii) यह रियायत व्यक्ति की पत्नी के अतिरिक्त, अन्य किसी रिश्तेदार के लिए स्वीकार्य नहीं होगी । यह तब भी स्वीकार्य नहीं होगी, जब भारत में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे, अनुमेय आयु–वर्ग के बच्चों की संख्या कम–से–कम तीन न हो ।

(ङ) इस नियम के विषय क्षेत्र के भीतर, भारत के बाहर प्रारंभ होने वाली यात्रा के संबंध में, मिशनों/पोस्टों के अध्यक्ष यथास्थिति बच्चे/बच्चों या पत्नी यात्रा टिकटों का प्रबंध सेवा मुख्यालय द्वारा किया जाएगा और इनका भुगतान भारत में किया जाएगा । मिशनों/पोस्टों के अध्यक्षों द्वारा प्रबंधित यात्राओं के संबंध में, जब कभी भी किराए का भुगतान भारत में किया जाए, तो संबंधित राशि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट द्वारा भारत को अंतरित की जाएगी । इस नियम के अंतर्गत प्राप्त किए गए यात्रा किराए के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा अनुदेशों के अनुबंध "ख" के अनुसार यात्रा समापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसके साथ मिशनों/पोस्टों के अध्यक्षों से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी लगाया जाएगा कि सभी निर्धारित आवश्यकताएं और शर्तें पूरी कर ली गई हैं ।

(च) विदेशों में नियुक्त व्यक्तियों के बच्चों/पत्नियों द्वारा प्राप्त किए गए अवकाश किराए का उचित रिकार्ड के लिए निम्नलिखित कार्य–विधि अपनाई जाएगी :–

(i) जब कभी कोई व्यक्ति इन अनुदेशों के अंतर्गत बच्चों/पत्नी की यात्रा के लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत करे तो उसक अनुबंध "क" में दिए गए फार्म के अनुसार छः प्रतियों में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने होंगे । नियंत्रण अधिकरी फार्म में आवश्यक प्रमाण–पत्र दर्ज करने के बाद, तीन प्रतियां वेतन लेखाओं की लेखा–परीक्षा करने वाले संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रक को भेजेगा और एक प्रति सर्विस मुख्यालय को भेजी जाएगी। रक्षा लेखा नियंत्रक एक प्रति अपने पास रख लेगा और एक प्रति यात्रा किराए की हकदारी की पुष्टि करते हुए संबंधित मिशन अध्यक्ष को भेज देगा जिसके प्राप्त होने के बाद ही यात्रा की व्यवस्था की जाएगी । तीसरी प्रति नौवहन/वायु बिलों का भुगतान करने वाले नियंत्रक को पृष्ठांकित की जाएगी, जिसे नौवहन/वायु यात्रा के बिलों का भुगतान करने से पहले इसे देख लेना चाहिए । सर्विस मुख्यालय, अपने द्वारा प्रबंधित यात्राओं के संबंध में संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भी सूचित करेगा, जो तदनुसार संबंधित व्यक्तियों को सूचित करेगा ।

(ii) फॉर्म की शेष दो प्रतियों का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा :

मूल फॉर्म संबंधित मिशन में रखा जाएगा और इसे लेखा परीक्षा संवीक्षा के प्रयोजन के लिए समायोजन यात्रा समापन प्रमाण–पत्र के साथ लगाया जाएगा । छठी प्रति मिशन में रखी जाएगी जिसे संबंधित व्यक्ति का स्थानांतरण होने पर उसकी नियुक्ति के अगले स्थान को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: यह संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह सर्विस मुख्यालय इत्यादि को पहले से उस तारीख की सूचना दे जब बच्चों को अवकाश यात्रा की आवश्यकता होगी और उन पर वीजा प्राप्त करने के लिए, उन्हें पासपोर्ट भी भेजें । उन्हे यह पुष्टि भी संप्रेषित की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र सभी तरह से पूर्ण हैं ।

नियम 276 के लिए अनुबन्ध "क"

"बच्चों के लिए अवकाश यात्रा योजना के अन्तर्गत की जाने वाली प्रस्तावित यात्राओं का रिकार्ड"

(1) व्यक्ति का नाम :

(2) पदनाम :

(3) नियुक्ति का स्थान :

(4) क्या व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी भी है ? :

(5) तारीख, जब कर्मचारी भारत में पोस्ट से स्थानांतरण पर विदेशी पोस्ट पर पहुंचा था :

(6) अवकाश यात्राओं के प्रयोजन के लिए चालू बारह माह की अवधि का प्रारंभ और अंत :

तारीख	माह	साल	नाम	जन्म की तारीख	तारीख, जब से भारत में है
प्रारंभ :					
अंत :					

(7) भारत से अवकाश यात्रा किराए का लाभ उठाने वाले बच्चों का विवरण :

(क) भारत में पीछे छोड़े गए बच्चे :

1

2

3

(ख) बच्चे जो कर्मचारी के खर्च पर शिक्षा के लिए भारत लौटे :

1

2

(ग) बच्चे जो सरकार की लागत पर भारत वापस गए :

1

2

(8) दूसरे देश से अवकाश यात्रा का लाभ उठाने वाले बच्चे का विवरण :

नाम	जन्म तिथि	अंतिम स्थानांतरण यात्रा–भत्ते का दावा करने के बाद स्थान पर वापस आने की तारीख

(9) ऊपर (8) वर्णित बच्चों का ब्यौरा जिन्होंने अवकाश यात्रा ली है
1. भारत में जाने की तिथि
2. भारत में आने की तिथि

(10) उन संस्थाओं के नाम और स्थान, जहां (7) और (8) में उल्लिखित बच्चे, अवकाश यात्रा का लाभ प्राप्त करने से पूर्व अध्ययन कर रहे थे : :

1

2

(11) उन संस्थाओं के नाम और स्थान, जहां (7) और (8) में उल्लिखित बच्चों ने अवकाश यात्रा का लाभ प्राप्त करने के बाद प्रवेश किया : :

1

2

(12) क्या यात्रा लाभ उपरोक्त (7) में उल्लिखित बच्चों द्वारा या यदि (7) में अनुमेय आयु–वर्ग के बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो तो पत्नी द्वारा प्राप्त किया गया? :

(13) की गई यात्राओं के दौरान लिए गए अवकाश का विवरण :

(14) यदि यात्रा खर्च का लाभ कर्मचारी की पत्नी द्वारा प्राप्त किया गया है तो उसकी भारत में ठहरने की अवधि : आगमन की तारीख

प्रस्थान की तारीख

(15) सरकार के खर्च पर की गई यात्राओं के मामलें में किस स्थान से/कहां तक और किस प्रकार से यात्रा की गई : से

तक

वायु मार्ग

समुद्र मार्ग

रेल मार्ग

आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि उपर दिए गए विवरण सही हैं । यदि बाद में यह पता चलता है कि की गई यात्राएं स्वीकार्य नहीं थीं, तो मुझे इनमें शामिल पूरी लागत लौटानी होगी ।

(आवेदक के हस्ताक्षार)

नियंत्रण अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

जांच की गई और सही पाया गया । की जाने वाली यात्राएं, इस विषय पर, समय– समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार स्वीकार्य हैं ।

(नियंत्रण अधिकारी)

नियम 276 के लिए अनुबन्ध "ख"

"बच्चों की अवकाश यात्रा" योजना के अन्तर्गत यात्रा समापन प्रमाण–पत्र

सेवा में,

रक्षा लेखा नियंत्रक (अधिकारी) — पुणे

रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) — मुम्बई

रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) — देहरादून

रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य) — चेन्नई/मेरठ

प्रमाणित किया जाता है कि _____ में _____ तारीख _____ के पत्र _____

के अंतर्गत सर्विस मुख्यालय/भारतीय राजनयिक मिशन अध्यक्ष द्वारा प्रबंधित विमान/जहाज/ रेल द्वारा निम्नलिखित यात्राएं मेरे बच्चे/बच्चों/मेरी पत्नी (जिनके नाम, आयु तथा अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं) द्वारा वास्तव में की गई हैं ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

277. विदेश में कार्य करने के दौरान सेना अधिकारी की मृत्यु होने पर परिवार के सामान और नौकर का यात्रा खर्च यदि किसी सैनिक अधिकारी की

(1) जब वह विदेश में किसी पद पर नियुक्त हो या जब वह ऐसी किसी पोस्ट से अस्थायी ड्यूटी पर गया हो ; या

(2) जब वह विदेश में पद का कार्यभार छोड़ने के बाद, भारत से बाहर अवकाश पर हो ;

(3) जब स्थानांतरण होने पर, विदेश में यात्रा पर हो, मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार, भारतीय नौकर, यदि कोई हो, अधिकारी के सामान और निजी कार के लिए परिवहन व्यय निम्नानुसार स्वीकार्य होगा :

(क) परिवार और भारतीय नौकर, यदि कोई हो, के निम्नलिखित शर्तों के अनुसार विदेश में ड्यूटी स्थान से भारत में उनके घरों तक यात्रा व्यय उसी स्तर पर स्वीकार्य होगा, जितना कि परिवार के मुखिया के जीवित रहने पर उसका स्थायी ड्यूटी पर भारत स्थानांतरण होने पर होता ।

(i) परिवार के सदस्यों और भारतीय नौकरों की भारत के लिए यात्रा, अधिकारी की मृत्यु की तारीख के छः महीनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए । परंतु विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे उस बच्चे के लिए, जिसके लिए शिक्षा–भत्ता स्वीकार्य होना जारी रहता है, छः महीनों की अवधि, शैक्षिक वर्ष के अंत तक और भारत यात्रा के लिए उचित यात्रा समय तक बढ़ा दी जाएगी ;

(ii) यदि अपवादात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अवधि को बढ़ा नहीं देती तो अधिकारी की कार और निजी सामान की भारत के लिए ढुलाई उसकी मृत्यु के छः महीनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

(ख) यदि किसी अधिकारी की मृत्यु विदेश में अस्थायी ड्यूटी के स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर, जहां वह भारत से बाहर अवकाश व्यतीत कर रहा हो, तो उसके मृत्यु के स्थान से, विदेश में उसकी नियुक्ति के स्थान तक उसका पार्थिव शरीर और निजी सामान को ले जाने की उचित लागत स्वीकार्य होगी ।

(ग) यदि किसी अधिकारी की मृत्यु के समय उसका परिवार, मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर हो या वहां पर होने कारण घर/निवास के चुनिंदा स्थान से भिन्न किसी और स्थान पर चला गया हो तो ऐसा सदस्य रेल/सड़क या स्टीमर द्वारा की गई यात्रा के लिए वास्तविक किराया, सड़क यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए सड़क–मील भत्ता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि इसमें कोई अतिरिक्त खर्च शामिल न हो और पत्नी उस स्थान से, जहां अधिकारी की मृत्यु हुई हो, उस स्थान तक व्यक्तिगत सामान की ढुलाई की लागत के लिए वास्तविक किराया प्राप्त कर सकती है, बशर्ते कि मांगे गए खर्चे की राशि कुल यात्रा–भत्ते और व्यक्तिगत सामान की ढुलाई की लागत उस निर्धारित सीमा तक हो जो उस स्थिति में स्वीकार्य होती, यदि सदस्य ने विदेश में अधिकारी के मुख्यालय से बिना किसी अतिरिक्त व्यय के, अपने घर/निवास के चुनिंदा स्थान तक की यात्रा की होती ।

(घ) यदि परिवार अधिकारी के साथ रह रहा था और सरकार के व्यय पर वापस आता है तो वे नियम 258 में दी गई दरों पर स्थानांतरण अनुदान और पैकिंग–भत्ते के हकदार होंगे।

(ङ) मिशन/पोस्ट का अध्यक्ष, जिसके अधीन दिवंगत अधिकारी कार्य कर रहा था, सामान और यदि स्वीकार्य हो तो उसकी व्यक्तिगत कार को भारत भेजने और यात्रा की व्यवस्था कर सकता है और वह वहां आवश्यक हो, यात्रा खर्च पूरा करने के लिए मृतक की पत्नी या परिवार में किसी व्यस्क सदस्य को अग्रिम दे सकता है, जिसका समायोजन मृतक अधिकारी को देय भत्तों या मांगों के शेष में से किया जा सकता है ।

(च) यदि मृतक अधिकारी की पत्नी न हो या पत्नी से तलाक हो गया हो, या यदि उसकी पत्नी अधिकारी की नियुक्ति के स्थान पर न रह रही हो और परिवार के अन्य निवासी सदस्य नाबालिग हों या मिशन/पोस्ट के अध्यक्ष के विचार से धन प्राप्त करने और खर्च करने लायक न हों, तो मिशन/पोस्ट का अध्यक्ष एक माह का वेतन अग्रिम के रूप में ले सकता है और उसे ऐसे सदस्यों की यात्रा और मृतक अधिकारी की कार और अन्य निजी सामान को भारत भेजने के लिए खर्च कर सकता है ।

(छ) यदि सरकार इस बारे में आश्वस्त हो कि धार्मिक प्रथाओं या अन्य कारणों से जैसे स्थानीय कानून और रिवाज के कारण जिस देश में अधिकारी की मृत्यु हुई है वहां

उसका अंतिम संस्कार करना संभव नहीं है तो वे उसके पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए अपने मतानुसार यथोचित व्यय की मंजूरी दे सकती है और सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट सहायकों को पार्थिव शरीर के साथ भारत आने और विदेश में वापस लौटने की अनुमति दे सकती है । परंतु यदि विदेश में अंतिम संस्कार करना सुविधाजनक और व्यवहार्य हो और यह भारत में अंतिम संस्कार करने की अपेक्षा सस्ता भी हो, तो सरकार इसके लिए अनुमति दे सकती है।

278. विदेश में कार्य कर रहे सैनिक कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार और सामान का परिवहन खर्च

उन सैनिक कर्मचारियों के मामले में भी नियम 277 के उपबंध लागू होंगे, जिनकी मृत्यु विदेश में कार्य करने के दौरान हो जाए परंतु वे कार की ढुलाई के हकदार नहीं होंगे।

279. विदेश में कार्य करने के दौरान मरने वाले सिविल कर्मचारियों के सामान और परिवार का यात्रा व्यय

विदेश में कार्य करने के दौरान स्वर्गवास होने वाले सिविल कर्मचारियों के मामले में भी नियम 277 के उपबंध लागू होंगे ।

परिशिष्ट —I
(क) सक्षम प्राधिकारी
(संदर्भ हेतु नियम 2)

1. सेना के अध्यक्षों।
2. तीनों सेनाओं के सभी सह–अध्यक्षों ।
3. सेना मुख्यालय/एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय पर उप–अध्यक्षों ।
4. सेना मुख्यालय/एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय पर सभी प्रधान स्टाफ अधिकारियों ।
5. सी.आई.एस.सी., एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ।
6. कमांडर–इन–चीफ, अंडमान और निकोबार कमान ।
7. कमांडर–इन–चीफ, युद्धनीतिक बल कमान ।
8. कमानों के, जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ ।

टिप्पणी 1: सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां जो जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ में निहित हैं या जो ब्रिगेड , सब–एरिया, स्वतंत्र सब–एरिया या एरिया कमांडर द्वारा प्रयुक्त की जा सकती हैं, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट नियमों के प्रावध ाानों के अधीन , उन प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाएगा, सभी कार्मिकों के संबंध में, शामिल करते हुए निम्नतर विरचनाओं के कार्मिकों को, जो प्रत्यक्ष रूप में उनसे प्रशासित नहीं होते, परन्तु उनके प्रशासनिक क्षेत्र में सेवारत हैं और स्थानीय प्रशासन और अनुशासन की दृष्टि से उनके अधीन हैं, जैसे उनके एम.ई.एस. और ए.ओ.सी. इत्यादि । रक्षा मंत्रालय (थलसेना) के एकीकृत मुख्यालय में सेवारत तीनों सेनाओं के कार्मिकों के मामलों में, तथापि, संस्वीकृति कमशः उनके मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होगी ।

टिप्पणी 2: यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता को विनियमित करने के प्रयोजन हेतु अपनी कमान के अधीन कार्मिकों के संबंध में, डिवीजिनल कमांडर को एरिया कमांडर की शक्तियां विहित हैं ।

9. नौसेना कमानों के, फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ ।
10. कमानों के, एयर अफसर कमांडिंग–इन–चीफ ।
11. कोर कमांडर और एरिया कमांडर ।
12. फ्लैग अफसर कमांडिंग बेड़ा/क्षेत्र ।
13. सेना मुख्यालयों पर कमशः निदेशालयों के सभी महानिदेशक, स्वयं और सभी अधीनस्थ अफसरों के विषय में।
14. निम्नलिखित संगठनों/स्थापनाओं/सेवाओं के महानिदेशक :
    (क) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं ।
    (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर ।
    (ग) महानिदेशक पुनर्वास, शामिल करते हुए भारतीय सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के बोर्ड के कार्यालय को ।
    (घ) रक्षा संपदा ।
    (ङ) आयुद्ध निर्माणी ।
    (च) गुणवत्ता आश्वासन ।
15. थलसेना/वायुसेना/नौसेना और अंतः सेवा संगठनों की सभी श्रेणी 'क' संगठनों के कमांडेंट ।
16. सेना मुख्यालयों पर अतिरिक्त महानिदेशक जो प्रमुख है। सेवाओं/शाखाओं के और सीधे प्रधान स्टाफ अफसरों को रिपोर्ट करते हैं ।

17. सेना मुख्यालयों पर उप–महानिदेशक जो प्रमुख हैं, सेवाओं/शाखाओं के और सीधे प्रधान स्टाफ अफसरों को रिपोर्ट करते हैं ।

18. जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ या क्षेत्रों के कमांडर, सहायक भर्ती और अतिरिक्त सहायक भर्ती अधिकारियों की भर्ती के विषय में ।

19. सहायक और अतिरिक्त सहायक भर्ती अधिकारियों के विषय में भर्ती अधिकारी, यदि और जब उल्लेखित दो में से दूसरे की उपस्थिति भर्ती अधिकारी के मुख्यालय में अपेक्षित है ।

20. निम्नलिखित संगठनों/स्थापनाओं के निदेशक, कमशः उनके अंतर्गत नियंत्रित कार्मिकों के लिए :

    (क) मानकीकरण ।

    (ख) तकनीकी विकास और उत्पादन (वायुसेना) ।

    (ग) रक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान संस्थान ।

    (घ) रक्षा विज्ञान संगठन ।

    (ड़) अनुसंधान एवं विकास ।

21. रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार ।

22. रक्षा मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव ।

23. मुख्य प्रशासान अधिकारी, संयुक्त सचिव । इसके अतिरिक्त भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, सभी अंतःसेवा संगठनों के लिए, जिनका इस परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है, के अलावा ।

24. राष्ट्रपति के सैनिक सचिव, सेना अफसरों के विषय में, उल्लेखित दो में से दूसरे के स्टाफ और राष्ट्रपति के अंगरक्षक कार्मिकों के लिए ।

25. मंत्रीमंडलीय सचिवालय (सैनिक) के उप–सचिव, स्वयं के संचलन और उन सेना अफसरों के जो मंत्रीमंडलीय सचिवालय में कार्यरत हैं ।

26. कार्यकम अधिकारी (एम एंड बी), अफसरों और स्टाफ के विषय में

जो उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत हैं ।

(ख) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी

1. डी.जी.एम.एस (थलसेना/ नौसेना/वायुसेना)	—	एक कमान से दूसरे कमान तक संचलनों के लिए और नियम 156, 157 और 160 के अधीन संचलनों के लिए ।

टिप्पणीः उपर्युक्त में रियायत करते हुए, ए.डी.एम.एस., मुख्यालय बिहार और ओडिसा (स्वतंत्र) सब–एरिया , सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी होगा, हकदार रोगियों को, सेक्शन अस्पताल, बालासोर से कमान अस्पताल, कोलकाता तक के संचलन की संस्वीकृति के लिए ।

2. चिकित्सा कमानों के एम.जी.	—	एक क्षेत्र या स्वतंत्र सब–एरिया से दूसरे तक उसी कमान के अंतर्गत और नियम 157 और 160 के अधीन संचलनों के लिए।
3. एम.जी. चिकित्सा/ब्रिगेडियर चिकित्सा	—	एक क्षेत्र या एक स्वतंत्र सब–एरिया के अंतर्गत संचलनों के लिए।
4. एम.जी. चिकित्सा/ब्रिगेडियर चिकित्सा/कर्नल चिकित्सा	—	मानसिक बीमारी के मामलों में मानसिक अस्पताल के संचलनों के लिए ।
5. अस्पताल (या प्राधिकृत चिकित्सा परिचर जहां कोई सैनिक अस्पताल नहीं है।	—	प्रत्यालर्क उपचार के लिए समीपस्थ पास्तूर संस्थान या समीपस्थ सैनिक प्रत्यालर्क उपचार केन्द्र के लिए, रोगियों के संचलनों के लिए,नियम 160 के अधीन संचलनों के लिए, और नियम 157 के अधीन विशेषज्ञ और दंत उपचार के लिए, रोगियों के संचलनों के लिए।
6. प्राधिकृत चिकित्सा परिचर	—	नियम 157 के अंतर्गत, एक स्टेशन से जहां कोई सैनिक अस्पताल स्थित नहीं है, उस अस्पताल तक जहां अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं, संचलनों के लिए ।

7. प्रधान चिकित्सा अफसर, केन्द्रीय चिकित्सा अफसर जहाजों/स्थापनाओं (या प्राधिकृत चिकित्सा परिचर जहां कोई सैनिक अस्पताल स्थित न हो)	—	नियम 156 और 157 के अधीन, रोगियों के संचलनों के लिए, अस्पताल तक, जहां अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हों, नियम 157 अधीन विशेषज्ञ के और दंत उपचार के लिए और नियम 160 में।
8. प्रधान चिकित्सा अधिकारी, कमान	—	नियम 160 के अधीन, वायुसेना कार्मिकों के संचलनों के लिए जो सैनिक अस्पताल में रोगी न हो और नियम 157 के अधीन कमशः अपनी कमान के अंतर्गत, संचलनों के लिए ।
9. एस.एम.ओ./एम.ओ. वायुसेना स्टेशन/ यूनिट	—	नियम 157 के अधीन, केवल दंत उपचार के लिए, एकक वायुसेना कार्मिकों के संचलनों के लिए ।

परिशिष्ट — II

नियंत्रक अधिकारी

(संदर्भ हेतु नियम 6)

मद सं0	से आवेदन	नियंत्रक अफसर
1	2	3
1.	सेना मुख्यालय/एकीकृत रक्षा स्टाफ पर सभी कार्मिक (सैनिक और सिविलियन)	शाखाओं के प्रमुख
2.	सेना मुख्यालय पर सह–अध्यक्षों के सचिवालय के कार्मिक	थलसेना/नौसेना/वायुसेना स्टाफ के सह–अध्यक्षों
3.	थलसेना/नौसेना/वायुसेना/अंडमान एवं निकोबार/युद्धनीतिक बल के कमान मुख्यालयों पर सभी कार्मिक (सैनिक और सिविलियन)	शाखाओं के प्रमुख
4.	क्षेत्र, सब एरिया या ब्रिगेड मुख्यालयों पर अफसर	जी.ओ.सी. क्षेत्र सब एरिया और ब्रिगेड का कमांडर
5.	कमांडर, डिवीजन तोपखाना ब्रिगेड, कमांडर, स्वतंत्र तोपखाना ब्रिगेड के अधीन कार्यरत अफसर	कमांडर, डिवीजन तोपखाना ब्रिगेड या कमांडर, स्वतंत्र तोपखाना ब्रिगेड, जैसा भी मामला हो
6.	प्रशिक्षण के लिए, तोपखाना स्कूल, देवलाली और तटीय स्कंध मुम्बई के मध्य, अधिकारियों (अनुदेशकों और विद्यार्थियों) के संचलनों के लिए	तोपखाना स्कूल का कमांडेंट
7.	स्टाफ अधिकारी, उनके अलावा जो कमान, क्षेत्र, सब–एरिया या ब्रिगेड मुख्यालयों पर और विभागों और सेवाएं जो समरूप स्थित हैं के अधिकारी	जनरल अफसर कमांडिंग क्षेत्र (सब–एरिया या ब्रिगेड कमांडर। एक क्षेत्र, सब एरिया या ब्रिगेड कमांडर, घोषणा कर सकता है, जब आवश्यक हो, क्षेत्र, सब–एरिया या ब्रिगेड में आदेशों की, उन अधिकारियों के मामलों में जो मुख्यालय से दूर कार्यरत है, क्या प्राधिकारी नियंत्रक अधिकारी होगा, प्रत्येक या एक विशेष श्रेणी के लिए, या यदि वह उचित समझता है, सी.डी.ए. की सहमति से किसी एक विशेष अधिकारी को अपना स्वयं का नियंत्रक अधिकारी होने की घोषणा कर सकता है, जब ऐसा करना, अत्यंत आवश्यक हो जाए।)
8.	रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर के रिमाउंट और पशु चिकित्सा अफसर, अपवाद हैं, जो कमान मुख्यालयों में हैं	अतिरिक्त महानिदेशक , रिमाउंट और पशु चिकित्सा
9.	सैन्य फार्म कोर के अफसर, अपवाद हैं जो कमान मुख्यालयों में हैं	सैन्य फार्म के उप–महानिदेशक
10.	एककों के अफसर और अधीनस्थ और अन्य जो सीधे स्टेशन कमांडर के प्रशासन के अधीन हैं	स्टेशन कमांडर
11.	सेवाओं और विभागों के व्यक्तियों, जो ओ.सी. के अलावा अफसर के प्रशासन के अधीन हैं	सेवाओं या विभागों के स्थानीय कार्यपालक प्रमुख, इस अधिकारिता के अंतर्गत, यात्राओं के निष्पादन के लिए । यदि ऐसा स्थानीय कार्यपालक प्रमुख एक राजपत्रित अधिकारी नहीं है, तब आवेदन, समीपस्थ स्टेशन पर सेवाओं या विभागों के अगले उच्च कार्यपालक प्रमुख को भेजा जाएगा
12.	सर्वेक्षण ग्रुप की एककों के कार्मिक	उप–महानिदेशक कार्य (सर्वेक्षण), सेना मुख्यालय

1	2	3
13.	जज एडवोकेट जनरल विभाग के अफसरों और अधीनस्थों जो कमानों में कार्यरत हैं, अपवाद हैं, कमान मुख्यालय पर डी.जे.ए.जी.। कमान मुख्यालय पर डी.जे.ए.जी.	संबंधित कमान के डी.जे.ए.जी.। कमान के जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ जहां कार्यरत हैं
14.	अतिरिक्त महानिदेशक तकनीकी परीक्षा के अधीन कार्यरत अधिकारी एवं अन्य स्थापनाएं	अतिरिक्त महानिदेशक , तकनीकी परीक्षा
15.	नौसेना के सभी कार्मिक (सैनिक और सिविलियन) अपवाद हैं जिनका उल्लेख है मद संख्या 1, 2, 3, और 16 में	बेड़ों/क्षेत्रों के कमांडिंग फ्लैग अफसर, नौसेना गोदीवाड़ा का एडमिरल अधीक्षक, स्थापनाओं के कमांडिंग अफसर , नौसेना परियोजनाओं के महानिदेशक और जहाजों के कमांडिंग अफसर , कमांडर और उससे उपर के रैंक के ।
16.	नौसेना मुख्यालय के अराजपत्रित स्टाफ	सिविलियन स्टाफ अधिकारी, स्थापना, नौसेना मुख्यालय
17.	वायुसेना स्टेशन / स्व–लेखाकरण एककों के अफसर कमांडिंग के अधीन अधिकारियों और अधीनस्थों	अफसर कमांडिंग, भारतीय वायुसेना स्टेशन/स्व लेखाकरण एकक
18.	कमशः उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्मिक	(क) सचिव और संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय (ख) थलसेना अध्यक्ष (ग) मुख्य प्रशासन अधिकारी एवं संयुक्त सचिव (घ) उप–महानिदेशक, रक्षा सुरक्षा कोर (ङ) महानिदेशक, रक्षा सम्पदा और छावनी (च) महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (छ) निदेशक, तकनीकी विकास एवं उत्पादन (वायु) (ज) सी.आई.एस.सी., एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय

टिप्पणीः इसके अतिरिक्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और संयुक्त सचिव, उपर्युक्त (घ), (ङ), (च) और (छ) और इस परिशिष्ट की मद संख्या 19, 20 और 25 में उल्लिखित संगठनों को छोड़कर, सभी अंतर्सेवा संगठनों के संबंध में इन शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

19.	मंत्रीमंडलीय सचिवालय के साथ कार्यरत सैनिक अफसर	मंत्रीमंडलीय सचिवालय के उप सचिव (सैनिक)
20.	रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के सिविलियन स्टाफ और सैनिक कार्मिक	निदेशक, रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान , रक्षा विज्ञान संगठन
21.	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सहालकार के स्टाफ	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार
22.	आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के स्टाफ के सदस्य, रेल और सड़क द्वारा निष्पादित यात्राओं के संबंध में	आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष

1	2	3
23.	महानिदेशक आयुध निर्माणी के अधिकारी और फैक्टिरियों के प्रभारी अफसर	महानिदेशक, आयुध निर्माणी
24.	फैक्टिरियों के अफसर (प्रभारी अफसरों को छोड़कर) और अधीनस्थ	फैक्टिरियों के प्रभारी अफसर
25.	भारत के अंतर्गत, अस्थायी ड्यूटी संचलनों के लिए, आयुध फैक्टिरी मंडल के सदस्य,	आयुध फैक्टिरी मंडल के अपने सदस्य
26.	मुख्यालयों पर प्रभागों के अंतर्गत अधिकारी, केन्द्रीय प्रबन्धक/ प्रभारी अफसर/फैक्टिरियों के अस्थायी प्रभारी अफसर, अपने ग्रुप में, भारत के अंतर्गत, अस्थायी ड्यूटी संचलनों के लिए	आयुध निर्माणी मंडल से संबंधित सदस्य
27.	भर्ती संगठनों के अफसर	भर्ती अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में केन्द्र में उपस्थित भर्ती कर्मचारियों का वरिष्ठ अधिकारी
28.	राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय में कार्यरत रक्षा सेवाओं के कार्मिक (सैनिक और सिविलियन)	राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक
29.	अस्थायी ड्यूटी संचलनों, कमशः अपने अधिकारिता के अंतर्गत, राष्ट्रीय कैडेट कोर एककों में कार्यरत , अपने नियंत्रण के अधीन , सेना के कार्मिकों के लिए	कमांडर, राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालयों के लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे उपर रैंक के
30.	राष्ट्रीय कैडेट कोर में, राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशकों (संबंधित राज्य) के नियंत्रण के अधीन कार्यरत रक्षा सेवाओं के कार्मिक (सैनिक और सिविलियन)	निदेशक , राष्ट्रीय कैडेट कोर (संबंधित राज्य)
31.	प्रादेशिक सेना के स्थायी नियमित कर्मचारी	कमाडैंट
32.	पेंशन अपील अधिकरण के सदस्य और स्थापनाएं	पेंशन अपील अधिकरण के सभापति
33.	सेनाओं के अताची / सलाहकार	भारत के राजदूत / उच्चायुक्त
34.	सेना अताचियों / सलाहकारों के स्टाफ	संबंधित सेना अताची/सलाहकार
35.	पुनर्स्थापना निदेशालय में अधीनस्थ कर्मचारी, शामिल हैं, भारतीय सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों के कार्यालय	महानिदेशक की शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाएगा
36.	प्रशिक्षण संकिया और केन्द्र , प्रशिक्षण केन्द्र और डिपों में कार्यरत अधिकारियों और सभी कार्मिक	कमांडेंट/इन स्थापनाओं के कमांडिंग अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे उपर रैंक के
37.	महानिदेशालय, गुणता आश्वासन मुख्यालय पर निदेशक	महानिदेशक, गुणता आश्वासन

1	2	3
38.	महानिदेशालय, गुणता आश्वासन मुख्यालय पर अन्य अधिकारी	संबंधित निदेशक, महानिदेशालय गुणता आश्वासन मुख्यालय
39.	कार्यकम अफसर (एम.एण्ड.बी.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत अधिकारी और स्टाफ	कार्यकम अधिकारी (एम.एण्ड.बी.)
40.	थलसेना/नौसेना/वायुसेना/अंतर्सेवा संगठनों की श्रेणी 'ए' स्थापनाओं में कार्यरत सभी कार्मिक (सैनिक और सिविलियन)	कमांडेंट
41.	पैदल सेना स्कूल, महोव और कनिष्ठ लीडर स्कंध, बेलगाम के मध्य और इसका उल्टा, अधिकारियों के संचलनों के लिए	पैदल सेना स्कूल, महोव के कमांडेंट
42.	अतिरिक्त महानिदेशलय संचलन, के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एककों में कार्यरत अधिकारी और स्टाफ	अतिरिक्त महानिदेशक संचलन

परिशिष्ट — III

ड्यूटी पर संचलन आदेशों के लिए सशक्त प्राधिकारी

(संदर्भ के लिए नियम 4)

1. जब तक सामान्य अनुप्रयोग के मौजूद आदेश द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो , भारतीय सीमाओं के भीतर, ड्यूटी पर संचलनों, विनियमों द्वारा प्राधिकृत को नीचे दिए अनुसार संस्वीकृति दी जाएगी :–

मद सं0	संचलन	कार्मिकों एवं संचलनों के प्रकार	प्राधिकारी
	1	2	3
1.	कमान (थलसेना) से बाह्य संचलन, जहां व्यक्ति कार्यरत हो सकता है	सभी संचलनों के लिए, नीचे दिए विवरण और मद संख्या 3 से 6 तक को छोड़कर	सेना मुख्यालय (संबंधित शाखा)
		अपवाद :	
		(i) कमीशन प्राप्त अधिकारी , जो रेजीमेंट के सम्मेलनों में भाग लेते हैं	जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ, कमान
		(ii) प्रादेशिक सेना से या को स्थानान्तरित नियमित सेना एकको के अधिकारियों और प्रशिक्षण / रेजीमेंटल केन्दों से या को , स्थानान्तरित संकिया एककों के अधिकारियों	जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ, कमान
		(iii) सैन्य दल निकाय बीस से कम संख्या में, उदाहरणार्थ, पहाड़ी डिपों या बाह्य स्टेशन टुकड़ियों को और से व्यक्तियों, शैक्षिक पाठ्यकम को और से प्रशिक्षण स्टाफ, विद्यार्थी, भगोड़ों के लिए खोजी दल, बंदियों के लिए अनुरक्षी, इत्यादि	यूनिट का कमांडर
		(iv) कमीशन प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर, प्रशिक्षण/ रेजीमेंटल केन्द्रों या डिपों और संकिया एककों के मध्य कार्मिकों के संचलन, सेना के लिए विनियमों के पैरा 223 द्वारा समावेशित, को छोड़कर	रेजीमेंटल प्रशिक्षण केन्द्रों या डिपों के संबंधित कमांडेंट
		(v) रक्षा सुरक्षा केन्द्र (डी.एस.सी.) कार्मिकों के संचलनों (कमीशन प्राप्त अफसरों को छोड़कर) कमान के बाहर, डी.एस.सी. केन्द्रों और संकिया एककों के मध्य, सेना के लिए विनियमों के पैरा 223 द्वारा समावेशित को छोड़कर	डी.एस.सी. केन्द्र का कमांडेंट
		(vi) उप–सैन्य सचिव और कमानों के सहायक सैन्य सचिव के संचलनों, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में चयन बोर्ड बैठक के संबंध में	जी.ओ.सी.–इन–चीफ, कमान
		(vii) कमानों के मुख्यालयों के अधिकारियों के संचलनों, क्षेत्रीय नियंत्रकों के रक्षा लेखा के कार्यालयों और तकनीकी परीक्षकों के कार्यालयों में संपर्क हेतु आगमन	जी.ओ.सी.–इन–चीफ, कमान

1	2	3
	(viii) ओ.एल. निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के संचलनों	डी.जी.ओ.एल. एण्ड एस.एम.
	(ix) संचलन निदेशालय और अतिरिक्त महानिदेशक संचलन (ए.डी.जी.) के नियंत्रण के अधीन एककों में संचलन कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के संचलनों	अतिरिक्त महानिदेशक, सामरिक संचलन
	(x) मुख्यालय , सेना प्रशिक्षण कमान के (आरट्रैक) के अधिकारियों के , मुख्यालय आरट्रैक के अधीन विरचना मुख्यालयों/श्रेणी 'ए' स्थापनाओं के लिए संचलनों	जी.ओ.सी.–इन–चीफ, आरट्रैक
2. कमान, क्षेत्र, स्वतंत्र सब एरिया, सब एरिया या ब्रिगेड के अंतर्गत संचलन	सभी संचलनों के लिए, अपवाद है, जिनका नीचे विवरण है और मद संख्या 3 से 6 तक	(i) जी.ओ.सी.–इन–चीफ कमान, जी.ओ.सी. क्षेत्र, स्वतंत्र सब एरिया, सब एरिया या ब्रिगेड कमांडर जैसा भी मामला हो , जब तक विशिष्ट आदेश सेना मुख्यालय द्वारा जारी न किए गए हो , उदाहरणार्थ , सेना आदेश में , नियुक्तियों और पदोन्नतियों इत्यादि के मामले में , सेना मुख्यालय (संबंधित शाखा) श्रेणी 'ए' स्थापना के कमांडेंटों के संचलनों के संबंध में , प्राधिकारी होगी । (ii) प्रभागीय तोपखाना ब्रिगेड का कमांडर , स्वतंत्र तोपखाना ब्रिगेड का कमांडर और मिसाइल ब्रिगेड का कमांडर कमशः उनके कमान के अीन कार्यरत अधिकारियों के संबंध में
	अपवाद :	
	(क) छोटी सैन्य दल पार्टियों के लिए, जैसा कि मद 1 में, अपवाद है (iii), शामिल है, एकक क्षेत्र के अंतर्गत एकक से संलग्न चिकित्सा अधिकारी	यूनिट कमांडर
	(ख) कार्मिकों के अस्थायी ड्यूटी संचलनों के लिए (कमीशन प्राप्त अफसरों को छोड़कर) रेजीमेंटल/प्रशिक्षण केन्द्रों, एककों और डिपों के, एक कमान के अंतर्गत	रेजीमेंटल प्रशिक्षण केन्द्रों या एककों या डिपों के संबंधित कमांडेंट
	(ग) एक कमान के अंतर्गत, डी.एस.सी. केन्द्र के कार्मिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर) के अस्थायी ड्यूटी संचलनों के लिए	डी.एस.सी. केन्द्र के कमांडेंट

1	2	3
2अ. अनुशासनिक मामलों से संबंधित अस्थायी ड्यूटी संचलनों	(क) अंतः–कमान संचलनों	
	(i) अधिकारियों	ए.जी. शाखा
	(ii) जे.सी.ओ. / ओ.आर.	कमान मुख्यालय की 'ए' शाखा
	(ख) कमान के अंतर्गत	
3. कोर, विभागों इत्यादि के कार्मिकों के संचलनों हेतु	(I) सैन्य इंजीनियरी सेवा (एम.ई.एस):	
	(अ) एम.ई.एस. से स्थानान्तरण व उनमें तैनातियां	
	(i) सैनिक अफसरों	सैन्य सचिव
	(ii) सिविलियन अफसरों	इंजीनियर–इन–चीफ
	(ब) कमानों के मध्य संचलन (स्थायी और अस्थायी)	
	(i) सैन्य अफसरों	सैन्य सचिव, स्थायी ड्यूटी संचलनों के लिए और ई.इन.सी., अस्थायी ड्यूटी संचलनों के लिए
	(ii) सिविलियन अफसरों	इंजीनियर–इन–चीफ
	(iii) जे.सी.ओ. / ओ.आर.	संबंधित इंजीनियर ग्रुप के कमांडेंट
	(iv) अन्य सभी व्यक्तियों	इंजीनियर–इन–चीफ
	(स) स्थायी संचलनों (उपर दिए 'क' और 'ख' को छोड़कर)	
	(क) एक कमान के अंतर्गत सी.डब्लू.ई. क्षेत्र के मध्य	
	(i) सैन्य अफसरों	सैनिक सचिव
	(ii) सिविलियन अफसरों	इंजीनियर–इन–चीफ
	(ख) एम.ई.एस. प्रभागों के मध्य सी.डब्लू.ई. क्षेत्र के सिविलियन अधिकारी के अंतर्गत	
	(i) सैन्य अफसरों	प्रमुख अभियंता
	(ii) सिविलियन अधीनस्थ	प्रमुख–कार्य–अभियंता
	(ग) एम.ई.एस. प्रभागों के अंतर्गत — सभी व्यक्तियों	गैरीसन अभियंता
	(द) अस्थायी संचलनों	
	(क) कमानों के मध्य, जैसा उपर (ख) में है	
	(ख) (i) सी.डब्लू.ई. के मध्य एक कमान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों	प्रमुख अभियंता
	(ii) सिविलियनों / एम.ई.एस. अधिकारियों / अधीनस्थों के अस्थायी संचलनों के लिए, उनके अधिकारिता के अधीन कार्यरत, स्थापनाओं के मामलों में और अनुशासनिक मामलों के संबंध में	प्रमुख अभियंता

1	2	3
	(ग) एम.ई.एस. प्रभागों के मध्य, सी.डब्लू.ई. क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों	सी.डब्ल्यू.ई.
	(घ) एम.ई.एस. प्रभागों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों	गैरीसन अभियंता
	(ङ) कंकीनाड़ा और कनचारापारा के मध्य, ई.एस.डी.(एम.) के अधीन सभी व्यक्तियों	अफसर कमांडिंग,ई.एस.डी.
(II)	सेना सेवा कोर	
	(क) स्थायी ड्यूटी संचलनों	
	(क) कमीशन प्राप्त अफसरों के सभी संचलनों	सैन्य सचिव
	(ख) अन्य सभी कार्मिकों (शामिल हैं प्रशिक्षित सैनिक)	संबंधित कोर की शाखाओं के अभिलेख का, अफसर प्रभारी,
	(ख) अस्थायी ड्यूटी संचलनों	
	(क) अंतः कमान	
	(i) अधिकारियों	डी.जी.एस.टी.
	(ii) अन्य सभी कार्मिकों	संबंधित कोर की शाखाओं के अभिलेख का, अफसर प्रभारी,
	(ख) एक कमान के अंतर्गत, एक क्षेत्र या स्वतंत्र सब एरिया से दूसरे तक — उनकी कमान के अंतर्गत सभी कार्मिकों	एम.जी. ए.एस.सी., कमान
	(ग) एक क्षेत्र या स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत — उनके क्षेत्र या स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत सभी कार्मिकों	ब्रिगेडियर , ए.एस.सी.
	(घ) एक परिवहन एकक के अंतर्गत, उसी क्षेत्र में — सभी कार्मिकों	एकक का अफसर कमांडिंग
	(ङ) एक परिवहन एकक के अंतर्गत, परन्तु एक क्षेत्र या में स्वतंत्र सब से दूसरे तक — सभी कार्मिकों	क्षेत्र का ब्रिगेडियर , ए.एस.सी. जिसमें एकक का मुख्यालय स्थित
	(च) प्रशिक्षित चालकों की प्रथम तैनाती के एककों को	ए.एस.सी. केन्द्र का कमांडेंट
	(छ) थोक निरीक्षणें और प्रेषण ड्यूटियों के लिए अफसरों और कार्मिकों की, अधिकारिता क्षेत्रों के अंतर्गत/कमशः संयुक्त खाद्य प्रयोगशालाओं की जिम्मेदारी पर (सी.एफ.एल.)	संबंधित सी.एफ.एल. का कमांडिंग अफसर
(III)	(अ) रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर	
	(क) कमीशन प्राप्त अफसरों	
	(i) स्थायी संचलनों	सैन्य सचिव

1	2	3
	(ii) कमान के मध्य अस्थायी संचलनों	अतिरिक्त डी.जी. आर.वी.एस.
	(iii) कमान के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	संबंधित आर.वी.एस. कमान का ब्रिगेडियर/ निदेशक
	(iv) कोर / क्षेत्र / प्रभाग या स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	संबंधित कोर/क्षेत्र/प्रभाग या स्वतंत्र सब एरिया के निदेशकों/डी.डी.आर.वी. एस/ए.डी.आर.वी.एस.
	(ख) अन्य कार्मिकों	
	(i) स्थायी संचलनों	आर.वी.एस. अभिलेख प्रभारी अफसर
	(ii) कमान के मध्य अस्थायी संचलनों	आर.वी.एस. अभिलेख प्रभारी अफसर
	(iii) कमान के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	संबंधित आर.वी.एस.कमान का ब्रिगेडियर/ निदेशक
	(iv) कोर/क्षेत्र/प्रभाग या स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	संबंधित कोर/क्षेत्र/प्रभाग या स्वतंत्र सब एरिया के निदेशकों/डी.डी.आर. वी.एस./ए.डी.आर.वी.एस.
	(v) रिमांउट विरचना की प्रादेशिक अधिकारिता के अंतर्गत किसी भी स्थान के लिए अस्थायी/स्थायी ड्यूटी पर संचलनों	रिमांउट विरचनाओं के कमशः स्थानीय कार्यपालक प्रमुख
	(vi) रिमांउट के कार्मिकों, जिनको पशु संचालन के लिए भेजा जाता है	स्थानीय कार्यपालक प्रमुख
(III) (ब)	सैनिक फार्म कोर	
	(क) कमीशन प्राप्त अफसरों	
	(i) स्थायी संचलनों	सैन्य सचिव
	(ii) कमान के मध्य अस्थायी संचलनों	डी.डी.जी. एम.एफ.
	(iii) कमान के अंतर्गत संचलनों	कमान का निदेशक
	(iv) क्षेत्र और स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत अस्थायी ड्यूटी संचलनों	कमान का निदेशक
	सिविलियन अफसरों और प्रबंधकों	
	(i) कमान के अंतर्गत सभी संचलनों, अस्थायी संचलनों को छोड़कर	डी.डी.जी. एम.एफ.
	(ii) कमान, एक क्षेत्र और स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	कमान का निदेशक
	(ब) अन्य कार्मिकों	
	(i) ग्रुप 'ग' कार्मिकों के सभी स्थायी संचलनों	सैनिक फार्म अभिलेख के प्रभारी अफसर

1	2	3
	(ii) ग्रुप 'ग' कार्मिकों के, कमान के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	अफसर इंचार्ज मिलिट्री फार्म रिकार्ड
	(iii) ग्रुप 'ग' कार्मिकों के, कमान के अंतर्गत स्थायी संचलनों	कमान का निदेशक
	(iv) कमान के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	कमान का निदेशक
	(v) एक क्षेत्र और स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	कमान का निदेशक
(IV)	सेना चिकित्सा कोर	
	(क) अधिकारियों (ए.एम.सी./ए.डी. कोर/ एम.एन.एस.	
	(i) स्थायी संचलनों	डी.जी.एम.एस. (सेना),
	(ii) कमान से बाह्य के अस्थायी संचलनों	डी.जी.एम.एस. (सेना) ए.एम.सी. केन्द्र और स्कूल, लखनउ का कमांडेंट
	(iii) कमानों के अंतर्गत अस्थायी संचलनों के संबंध में	
	(1) चिकित्सा आवरण का प्रावधान	चिकित्सा कमान का एम.जी.
	(2) यात्रा के लिए अयोग्य एक अपंग रोगी को देखने के लिए या बहुत से रोगियों को देखने के लिए, जिनको उपचार की आवश्यकता है, विशेषज्ञों को बुलाने के लिए	चिकित्सा कमान का एम.जी.
	(iv) क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत अस्थायी संचलनों के संबंध में	
	(1) चिकित्सा आवरण का प्रावधान	क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया का एम.जी. चिकित्सा/ ब्रिगेडियर चिकित्सा/ कर्नल चिकित्सा
	(2) यात्रा के लिए अयोग्य अपंग रोगी को देखने के लिए या बहुत से रोगियों को देखने के लिए जिनको उपचार की आवश्यकता है विशेषज्ञों को बुलाने के लिए	क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया का एम.जी. चिकित्सा/ ब्रिगेडियर चिकित्सा/ कर्नल चिकित्सा
	(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर./एन.सी.(ई.) (ए.एम.सी./ए.डी. कोर)	
	(i) सभी संचलनों	ए.एम.सी. अभिलेख का प्रभारी अफसर
	(ii) कमान के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	चिकित्सा कमान के एम.जी.
	(iii) क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया का एम.जी. चिकित्सा/ ब्रिगेडियर चिकित्सा/ कर्नल चिकित्सा

1	2	3
	(ग) जे.सी.ओ (एस.एम.एस.) और संचालक (एस.एम.एस.)	
	(i) सभी संचलनों	डी.जी.एम.सी. (सेना)
	(ii) कमान के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	चिकित्सा कमान का एम.जी.
	(iii) क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया का एम.जी. चिकित्सा/ब्रिगेडियर चिकित्सा/कर्नल चिकित्सा
	(घ) सिविलियनों	
	(i) ग्रुप 'बी' — सभी संचलनों	डी.जी.एम.सी. (सेना)
	(ii) ग्रुप 'सी'	
	(1) सभी संचलनों	डी.जी.एम.सी. (सेना)
	(2) कमान के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	चिकित्सा कमान का एम.जी.
	(3) क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया का एम.जी. चिकित्सा/ब्रिगेडियर चिकित्सा/कर्नल चिकित्सा
(V)	ए.ओ.सी., ई.एम.ई., डी.जी.क्यू.ए. स्थापनाओं और आयुध निर्माणी	
	(i) ए.ओ.सी.	
	(अ) स्थायी ड्यूटी संचलनों (कमानों के बाह्य या अंतर्गत)	
	(क) अधिकारियों	सैन्य सचिव
	(ख) ओ.सी. सिविलियन/ सी.एल.ओ./सी.ए.एस.ओ./ एल.ओ.ओ.	डी.जी.ओ.एस.
	(ग) जे.सी.ओ./ओ.आर. और ए.ओ.सी. अभिलेख द्वारा प्रशासित सिविलियन	ए.ओ.सी. अभिलेख का प्रभारी अफसर
	(ब) अस्थायी ड्यूटी संचलनों, शामिल हैं दौरों और निरीक्षणों	
	(क) कमानों से बाह्य	
	(i) अधिकारियों	
	(1) विरचना मुख्यालयों में कार्यरत	डी.जी.ओ.एस.
	(2) आयुध अनुष्ठानों/एककों में कार्यरत	डी.जी.ओ.एस.
	(3) मुख्य डिपो और बहिर्वर्ती उप–डिपो के मध्य संचलनों	एम.जी. ए.ओ.सी.

1	2	3
	(ii) जे.सी.ओ./ओ.आर. और सिविलियनों, ए.ओ.सी. अभिलेख द्वारा प्रशासित, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में कार्यरत को छोड़कर	ए.ओ.सी. अभिलेख का प्रभारी अफसर
	(ख) कमानों के अंतर्गत	
	(i) अधिकारियों	(i) कमानों के जी.ओ.सी.–इन–चीफ, क्षेत्र के जी. ओ. सी./ सब एरिया के ब्रिगेड कमांडर क्रमशः उनकी अधिकारिता के अधीन
		(ii) कमानों के एम.जी. ए.ओ. सी. निम्नलिखित संचलनों के लिए :
		(1) विशेष आयुध ड्यूटियों के निष्पादन के लिए, जैसे माल की पड़ताल, भण्डारों की पहचान के लिए
		(2) पूर्व–पाठ्यक्रम विभागीय प्रशिक्षण के लिए संलग्न करना
		(3) विभागीय प्रकृति की जांच मंडल, जांच अदालत में उपस्थित होने के लिए
		(4) विभागीय सम्मेलनों में उपस्थिति के लिए जो आवर्ती प्रकृति की न हों
		(5) संपर्क आगमन पर
		(6) सिविलियन कार्मिकों के अनुशासनिक मामलों के संबंध में
	(ii) जे.सी.ओ./ओ.आर0 और सिविलियनों जो ए.ओ.सी. अभिलेख द्वारा प्रशासित/ एम.जी. ए.ओ.सी. द्वारा स्थानीय नियंत्रित	एम.जी. ए.ओ.सी.
	(ग) अधिकारियों, जे.सी.ओ./ ओ.आर. और ए.ओ.सी. के सिविलियन कार्मिकों , जो रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय पर कार्यरत और ए.एफ.एच.क्यू. संवर्ग के सिविलियन स्टाफ जो ओ.एस. निदेशालय में कार्यरत हैं	डी.जी. ओ.एस.

टिप्पणीः आयुध अधिष्ठानों की एककों / स्थापनाओं के अफसर कमांडिंग को , प्राधिकार है , अफसरों को छोड़कर , ए.ओ. सी. कार्मिकों को , जो उनके अधीन कार्यरत है , मुख्य स्थापना से बहिर्वर्ती उप–डिपो / स्कंध या विलग्न अनुभागों में , उनके अपने अधीन या इसका उल्टा , स्थायी और साथ ही अस्थायी ड्यूटी पर तैनात करने का।

1	2	3
	(ii) ई.एम.ई.	
	(अ) स्थायी संचलनों	
	बाह्य और कमान के अंतर्गत	
	(क) अधिकारियों	सैन्य सचिव
	(ख) राजपत्रित सिविलियन स्टाफ	डी.जी. ई.एम.ई.
	(ग) जे.सी.ओ./ओ.आर./एन.सी.(ई.) और अराजपत्रित सिविलियन स्टाफ जो ई.एम.ई. अभिलेख के अफसर प्रभारी द्वारा प्रशासित है	अफसर प्रभारी, ई.एम.ई. अभिलेख ।ओ,सी.,ई.एम.ई एककों के लेकिन अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों के संचलनों को टुकड़ियों / मुख्यालयों के मध्य प्राधिकृत करने को सशक्त हैं।
	(घ) सिविलियन औद्योगिक कार्मिकों और ग्रुप 'ग' के अनौद्योगिक कार्मिकों	
	(i) कमान के भीतर/तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई.	तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. के कमांडर/कमान मुख्यालयों के एम.जी. ई.एम.ई.
	(ii) कमान से बाह्य/तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई.	डी.जी. ई.एम.ई.
	(ब) अस्थायी संचलनों (निरीक्षण ड्यूटी और दौरों को छोड़कर)	
	(क) बाह्य क्षेत्र/कमान की अधिकारिता के/मुख्यालय तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई.	
	(i) सभी अधिकारियों	डी.जी. ई.एम.ई.
	(ii) राजपत्रित सिविलियन स्टाफ	डी.जी. ई.एम.ई.
	(iii) जे.सी.ओ./ओ.आर./ एन.सी.(ई.) और अराजपत्रित सिविलियन स्टाफ जो ई.एम.ई. अभिलेख प्रभारी द्वारा प्रशासित हैं	ई.एम.ई. अभिलेख का अफसर प्रभारी) ई.एम.ई. एककों के अफसर कमांडिंग लेकिन संचलनों को प्राधिकृत करने के लिए अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों के, टुकड़ियों/ मुख्यालयों के मध्य) सशक्त हैं,
	(iv) सिविलियन औद्योगिक कार्मिकों और ग्रुप 'डी' अनौद्योगिक कार्मिकों	डी.जी. ई.एम.ई.
	(ख) सिविलियन फैक्टिरियों/फार्मों/ अधिष्ठानों में आगमन के लिए, दोनों सार्वजनिक और गैर–सरकारी क्षेत्रकों में संचलनों के लिए	
	(i) सभी अधिकारियों	डी.जी. ई.एम.ई.

1	2	3
	(ग) क्षेत्र/टी.पी. कोर/ई.एम.ई. कोर बटालियन के अंतर्गत जो कमान/कोर/क्षेत्र/प्रभाग/उप–क्षेत्र की अधिकारिता में हों	
	(i) राजपत्रित अधिकारियों/सिविलियनों	(I) विभागीय प्रमुख, कमान मुख्यालय/कोर/क्षेत्र/टी.पी. कोर/ई.एम.ई कोर बटालियन/प्रभाग/ उप–क्षेत्र (केवल उसी प्रकार के संचलनों के लिए, इस परिशिष्ट, के पैरा 1 के मद 3, टिप्पणी के नीचे खंड 'डी' में उल्लिखित) पर
		(II) जी.ओ.सी,–इन–कमान/कोर के जी.ओ.सी./क्षेत्र/प्रभाग/उप–क्षेत्र अन्य सभी प्रकार के संचलनों के लिए जो उपर (I) के अंतर्गत न शामिल हों
	(ii) जे.सी.ओ./ओ.आर./एन.सी.(ई.) और ई.एम.ई. के अराजपत्रित सिविलियन स्टाफ (अनौद्योगिक और औद्योगिक)	विभागीय प्रमुख, कमान मुख्यालयों/कोर/क्षेत्र/प्रभाग/उप–क्षेत्र, (ई.एम.ई. एककों के अफसर प्रभारी सशक्त हैं, अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों के संचलनों को प्राधिकृत करने के लिए, विलग्न अनुभागों और उनके एककों के मुख्यांग के मध्य)
	(घ) तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. की अधिकारिता के अंतर्गत	
	(i) तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. का कमांडर	डी.जी. ई.एम.ई.
	(ii) अन्य अधिकारियों/राजपत्रित सिविलियन स्टाफ	कमांडर तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई.
	(iii) जे.सी.ओ./ओ.आर./एन.सी.(ई.) और ई.एम.ई. अराजपत्रित सिविलियनों (अनौद्योगिक और औद्योगिक)	तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. के कमांडर/कमांडेंट और सशक्त हैं, संचलनों को प्राधिकृत करने के लिए, अपने अधीन कार्मिकों के, उनकी एककों के मुख्यांग और विलग्न अनुभागों के मध्य (टी.एस.ओ.), जो तकनीकी नियंत्रण में हैं, तकनीकी ग्रुप

1	2	3
		ई.एम.ई. के विलग्न समूह के, भी सशक्त हैं, कार्मिकों के संचलनों के लिए, उनकी विलग्न समूहों के अंतर्गत
	(स) निरीक्षण ड्यूटी और दौरे	
	(क) कमानों और तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. की अधिकारिता से बाह्य	
	(i) अधिकारियों/राजपत्रित सिविलियन स्टाफ	डी.जी. ई.एम.ई.
	(ii) जे.सी.ओ./ओ.आर./ एन.सी.(ई.) और ई.एम.ई. के अराजपत्रित सिविलियन स्टाफ जो ई.एम.ई. अभिलेख द्वारा प्रशासित हैं, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में कार्यरत को छोड़कर	ई.एम.ई. अभिलेख के प्रभारी अफसर
	(iii) जे.सी.ओ./ओ.आर./ एन.सी.(ई) और रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय पर कार्यरत ई.एम.ई. के अराजपत्रित सिविलियन स्टाफ और ए.एफ.एच.क्यू. संवर्ग के सिविलियन स्टाफ जो ई.एम.ई. निदेशालय में कार्यरत हैं	डी. जी. ई.एम.ई.
	(iv) सिविलियन औद्योगिक कार्मिक	डी.जी. ई.एम.ई.
	(ख) क्षेत्र के अंतर्गत/कमान की अधिकारिता में/कोर/क्षेत्र/प्रभाग/उप–क्षेत्र/तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई.	
	(I) कार्मिकों, तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. से संबंधित को छोड़कर	
	(i) विभागीय प्रमुख, कमान मुख्यालयों/कोर/क्षेत्र/प्रभाग/उप–क्षेत्रों पर	कमान के जी.सी.ओ. –इन–चीफ/जी.ओ.सी. कोर/क्षेत्र/प्रभाग/उप–क्षेत्र
	(ii) अन्य अधिकारियों/ कमान मुख्यालयों पर राजपत्रित सिविलियन स्टाफ/कोर/क्षेत्रों/ प्रभाग/उप–क्षेत्र या ई.एम.ई. एककों/ स्थापनाओं में कार्यरत	(अ) विभागीय प्रमुख, विभागीय ड्यूटियों के संबंध में, कमशः मुख्यालयों पर
	(iii) जे.सी.ओ./ओ.आर./ एन.सी.(ई.) और अराजपत्रित सिविलियन स्टाफ (औद्योगिक और अनौद्योगिक)	(ब) कमशः मुख्यालयों पर, प्राधिकारियों विभागीय प्रमुख, कमशः कमान मुख्यालयों/कोर/क्षेत्र/ प्रभाग/उप–क्षेत्र पर

1	2	3
	(II) तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. के अधीन और उसमें कार्यरत कार्मिक, टुकड़ियों को छोड़कर	
	(i) तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. का कमांडर	डी.जी. ई.एम.ई.
	(ii) अन्य अधिकारियों, सिविलियन स्टाफ (राजपत्रित और अराजपत्रित) औद्योगिक अनौद्योगिक और जे.सी.ओ./ओ.आर./ एन.सी.(ई.)	तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. का कमांडर(टी.सी.ओ.I, टुकड़ियोंके समूह जो तकनीकीग्रुप ई.एम.ई. के नियंत्रण में हैं, को भी सशक्तता है, कार्मिकों संचलनों के लिए, टुकड़ियों के समूह के अंतर्गत तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. की अधिकारिता में
	(क) तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई. की अधिकारिता का विस्तार होगा, सभी सेना बेस कार्यशालाओं, वाहन डिपो कार्यशालाओं ई.एम.ई, उपस्कर डिपो कार्यशालाओं और तकनीकी ग्रुप ई.एम.ई की टुकड़ियों पर	
	(ख) एम.जी. ई.एम.ई. ई.एम.ई. की सभी एककों, कमशः उनकी कमानों में, जिनका उल्लेख उप–पैरा (क) में उपर किया है को छोड़कर	
(iii)	महानिदेशालय गुणता आश्वासन के सैनिक कार्मिक	
	(अ) स्थायी संचलनों	
	(क) सेना अधिकारियों	
	(i) महानिदेशालय गुणता आश्वासन में या से बाहर — सभी अधिकारियों	सैन्य सचिव
	(ii) महानिदेशालय गुणता आश्वासन के अंतर्गत — सभी अधिकारियों	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(ख) अन्य कार्मिक	संबंधित ए.डी.जी.क्यू.ए.
	(ब) अस्थायी संचलनों	
	(क) अधिकारियों	
	(i) निदेशकों	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(ii) निदेशालयों के अन्य अधिकारियों	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(iii) डी.जी.क्यू.ए. की स्थापनाओं के प्रमुख	स्थापनाओं के प्रमुख

1	2	3
	(iv) महानिदेशालय गुणता आश्वासन के अन्य अधिकारियों, जिनका (iv) के नीचे में उल्लेख है को छोड़कर:	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(1) मुख्यालयों बाह्य, स्कंधों, विलग्नताओं, बाह्य स्टेशनों और निरीक्षण ड्यूटी स्टेशनों, व्यापार उत्पादन मात्रा निरीक्षण और अनुरक्षी ड्यूटी को छोड़कर	स्थापनाओं के प्रमुख
	(2) मुख्यालयों बाह्य, स्कंधों, विलग्नताओं, बाह्य स्टेशन और निरीक्षण ड्यूटी स्टेशनों पर व्यापार उत्पादन मात्रा निरीक्षण और अनुरक्षी ड्यूटी के लिए और मुख्यालयों के अंतर्गत, स्कंधों, विलग्नताओं बाह्य स्टेशनों और निरीक्षण ड्यूटी स्टेशनों पर	स्थापनाओं के प्रमुख
	(v) अधिकारियों जो सेवा नियोजित हैं, गुणता आश्वासन नियंत्रकों हैं, (सामान्य भण्डारों), कानपुर, गुणता आश्वासन नियंत्रकों (वस्त्र और कपड़ा), कानपुर, गुणता आश्वासन नियंत्रकों (सामग्री), कानपुर, और हवाई वितरण उपस्कर की प्रमुख गुणता, आगरा छावनी, को जब बाह्य स्टेशन जाना आपेक्षित होता है, उत्पादन/विकास/भण्डारों की अधिप्राप्ति के संबंध में, जिसके लिए वे ए.एच.एम.पी. होते हैं और उससे संबंधित परीक्षण/बैठकों में भाग लेने के लिए भी	स्थापनाओं के प्रमुख दौरों के संबंध में, स्टाफ
	(ख) अन्य कार्मिक	
	(1) व्यक्तियों के अस्थायी ड्यूटी संचलनों जो स्थापनाओं में सेवा नियोजित हैं, जिनका उल्लेख नीचे (2) और (3) के अलावा है	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(2) एक व्यक्ति का एक स्थापना से दूसरी तक संचलन	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(3) व्यक्तियों का संचलन, स्थानीय सैनिक क्षेत्र से बाहर स्टेशनों को	संबंधित डी.जी. क्यू.ए.
	(ग) सेना अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और संचलनों 'तदर्थ' अनुदेश पाठ्यक्रम पर, सरकार, अर्ध–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित, बशर्ते राज्य को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं पड़ता है, अपवाद यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ते पर	महानिदेशक, गुणता आश्वासन
	(vi) सिविलियन कार्मिक जो सेवा नियोजित हैं संगठनों में, प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन :	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (आयुध)	
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (वाहन)	

1	2	3
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (संचार)	
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (राडार और प्रणाली)	
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (अभियांत्रिकी उपस्कर)	
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (धातु एवं विस्फोटक)	
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (नौसेना)	
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (युद्धपोत परियोजना)	
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (समाघात वाहन)	
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (नीति, योजना एवं प्रशिक्षण)	
	अतिरिक्त महानिदेशालय गुणता आश्वायन (डी.आई.क्यू.ए. बंगलौर)	
(vi)	सिविलियन कार्मिक जो सेवा नियोजित हैं संगठनों में, प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन :	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(अ) स्थायी संचलनों	
	(क) सिविलियन राजपत्रित अधिकारी	स्थापनाओं के प्रमुख
	(ख) अराजपत्रित सिविलियन कार्मिक, औद्योगिक कार्मिकों के अलावा	स्थापनाओं के प्रमुख
	मुख्यालयों के बाहर और अंतर्गत, स्कंधों और विलग्नताओं के मध्य	
	(ग) औद्योगिक कार्मिकों, स्थापनाओं के बाहर के	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	मुख्य स्थापनाओं और बहिर्वर्ती डिपों/ विलग्नताओं के मध्य	
	(ब) अस्थायी संचलनों	
	(क) सिविलियन राजपत्रित अधिकारी	
	(i) स्थापनाओं के प्रमुख	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(ii) अन्य अधिकारियों, जिनका नीचे उल्लेख है को छोड़कर	स्थापनाओं के प्रमुख
	(1) मुख्यालयों के बाह्य, स्कंधों और विलग्नताओं, नीचे दिए (3) के अधीन शामिल मामलों को छोड़कर	स्थापनाओं के प्रमुख

1	2	3
	(2) मुख्यालयों के अंतर्गत, स्कंधों और विलग्नताएं मुख्यालयों के बाह्य, स्कंधों विलग्नताओं और बाह्य स्टेशनों, व्यवसाय प्रतिष्ठानों परिक्षेत्रों पर व्यवसाय, उत्पादन मात्रा निरीक्षण के लिए और अन्य निरीक्षण स्थलों पर और अन्य निरीक्षण ड्यूटियों के लिए	स्थापनाओं के प्रमुख
	(ii) अधिकारियों जो सेवा नियोजित हैं, में: गुणता आश्वासन (सामान्य भण्डार) कानपुर, के नियंत्रकाधीन , गुणता आश्वासन (वस्त्र एवं कपड़ा) कानपुर, के नियंत्रकाधीन, गुणता आश्वासन (सामग्री) के नियंत्रकाधीन और आगरा छावनी के गुणता प्रमुख हवाई वितरण उपस्कर को, जब बाह्य स्टेशन जाना आपेक्षित होता है, उत्पादन/विकास/ भण्डारों की अधिप्राप्ति के संबंध में, जिसके लिए वे ए.एच.एस.पी. होते हैं और उससे संबंधित परीक्षण/बैठकों में भी भाग लेने के लिए	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(ख) अराजपत्रित सिविलियन कार्मिक, औद्योगिक कार्मिकों के अलावा	
	(i) नीचे (ii) में जिनका उल्लेख है उनके अलावा	
	(1) मुख्यालयों के बाह्य, संबंधित स्कंधों और विलग्नताओं, नीचे दिए (3) के अंतर्गत अधीन उल्लिखित के मामलों को छोड़कर	स्थापनाओं के प्रमुख
	(2) मुख्यालयों के अंतर्गत स्कंधों और विलग्नताएं	स्थापनाओं के प्रमुख
	(3) मुख्यालयों के बाह्य, स्कंधों विलग्नताओं और बाह्य स्टेशनों, व्यवसाय प्रतिष्ठानों परिक्षेत्रों पर व्यवसाय, उत्पादन मात्रा निरीक्षण के लिए और अन्य निरीक्षण स्थलों पर और अनुरक्षी/ वार्ताहर ड्यूटियों के लिए	स्थापनाओं के प्रमुख
	(ii) सिविलियन कार्मिक जो सेवा नियोजित हैं, में : गुणता आश्वासन (सामान्य भण्डार) कानपुर, के नियंत्रकाधीन , गुणता आश्वासन (वस्त्र एवं कपड़ा) कानपुर, के नियंत्रकाधीन गुणता आश्वासन (सामग्री) के नियंत्रकाधीन और आगरा छावनी के गुणता प्रमुख हवाई वितरण उपस्कर को , जब बाह्य स्टेशन जाना आपेक्षित होता है , उत्पादन/विकास/ भण्डारों की अधिप्राप्ति के संबंध में, जिसके लिए वे ए.एच.एस.पी. होते हैं और उससे संबंधित परीक्षण/बैठकों में भी भाग लेने के लिए	संबंधित ए.डी.जी. क्यू.ए.
	(ग) औद्योगिक कार्मिक	
स्थापनाओं के बाह्य , मुख्य स्थापनाओं और बहिर्वर्ती डिपों/विलग्नताओं के मध्य		स्थापनाओं के प्रमुख, जिनके अधीन वे कार्यरत हैं
(स)	प्रतिनियुक्ति और संचलनों, सिविलियन अधिकारियों का और अराजपत्रित स्टाफ	महानिदेशक, गुणता आश्वासन

1	2	3
	जो 'तदर्थ' अनुदेश पाठ्यकम पर, सरकार/अर्ध–सरकारी संगठनों द्वारा आयाजित हों पर, बशर्ते राज्य को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं पड़ता है, यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता को छोड़कर	
	(iii) सिविलियन कार्मिक जो सेवा नियोजित हैं, मुख्यालय महानिदेशक गुणता आश्वासन पर अस्थायी संचलनों	
	(क) ए.डी.जी. क्यू.ए.	
	(ख) राजपत्रित सिविलियन अधिकारियों	महानिदेशक, गुणता आश्वासन
	(ग) अराजपत्रित सिविलियन अधिकारियों	संबंधित ए.डी.जी. निदेशक (प्रशासन)
	(iv) मुख्यालय रक्षा उत्पादन संगठनों में सेवा नियोजित सिविलियन कार्मिक अस्थायी संचलनों	
	(क) राजपत्रित सिविलियन अधिकारियों	संबंधित निदेशक
	(ख) अराजपत्रित सिविलियन कार्मिकों	उप–निदेशक (प्रशासन)
	(v) महानिदेश आयुध निर्माणी के अधीन कार्यरत व्यक्तियों	
	1 (क) नीचे (ख) और (ग) में जिनका उल्लेख है, उनको छोड़कर स्थायी संचलनों	महानिदेशक, आयुध निर्माणी
	1 (ख) स्थायी संचलनों, उन ग्रुप 'ग' व्यक्तियों का, अनौद्योगिक स्थापना पर, जिनके संबंध में प्रथम नियुक्ति की शक्तियों को, महाप्रबंधकों/अफसर प्रभारी आयुध निर्माणी को प्रत्यायोजित किया गया है	महाप्रबंधक/अफसर प्रभारी
	1 (ग) ग्रुप 'घ' स्थापनाओं की फैक्ट्रियों और औद्योगिक कर्मचारियों के मध्य स्थानांतरण	महाप्रबंधक/अफसर प्रभारी स्थापनाओं के, महाप्रबंधकों इत्यादि संबंधित के मध्य (आपसी परामर्श और सहमति के बाद)
	2 अस्थायी ड्यूटी संचलनों	
	(i) राजपत्रित अधिकारियों और अन्य फैक्टिरी कार्मिकों के भारत में किसी भी गन्तव्य पर	महाप्रबंधक/अफसर प्रभारी आयुध और आयुध उपस्कर फैक्टिरियों के
	(ii) डी.जी.ओ.एफ.एस. मुख्यालय और आयुध निर्माणियों इत्यादि पर कार्यरत कमीशन प्राप्त अफसर	डी.जी.ओ.एफ.
(VI)	सेना शिक्षा कोर	
	(क) अधिकारियों	

1	2	3
	(i) स्थायी संचलनों	सेना सचिव
	(ii) कमान के बाह्य अस्थायी संचलनों	डी.सी.ओ.ए.एस.
	(iii) ए.सी.ई. प्रशिक्षण कालेज और केन्द्रों के कमांडेंटों और सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य और ए.सी.ई. प्रशिक्षण कालेज और केन्द्रों और सैनिक स्कूलों पर, अन्य अधिकारियों	डी.सी.ओ.ए.एस.
	(iv) कमान के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	जी.ओ.सी.–इन–कमान
	(v) विरचना के अंतर्गत अस्थायी संचलनों , जैसा कि , मुख्य विरचना से विलग्नताओं तक और एककों को उस विरचना के अधीन और विपर्येण	विरचना कमांडर
	(ख) अन्य कार्मिकों	
	(i) कमान के बाह्य स्थायी / अस्थायी संचलनों	अभिलेख के अफसर प्रभारी
	(ii) कमान के अंतर्गत स्थायी संचलनों	अभिलेख के अफसर प्रभारी
	(iii) कमान के अंतर्गत अस्थायी संचलनों	जी.ओ.सी.–इन–कमान
	(iv) विरचना के अंतर्गत अस्थायी संचलनों जैसा कि, मुख्य विरचना से विलग्नताओं तक और विरचना के अधीन एककों तक और विपर्येण	एकक/विरचना का अफसर कमांडिंग
(VII)	अतिरिक्त महानिदेशक, तकनीकी परीक्षा (रक्षा)	
	अतिरिक्त महानिदेशक तकनीकी परीक्षा और व्यक्तियों जो सीधे उसके अधीन सेवा नियोजित हैं	अतिरिक्त महा–निदेशक तकनीकी परीक्षा
	(i) नीचे दिए (ii) के अलावा संचलनों	न्यायधीश महाधिवक्ता
	(ii) कमान के अंतर्गत संचलनों के संबंध में उप–न्यायधीश महाधिवक्ता के अधीन कार्यरत कार्मिकों के अस्थायी ड्यूटी संचलनों	कमान का उप–न्यायधीश महाधिवक्ता
(IX)	सेना सुरक्षा कोर	
	(अ) स्थायी ड्यूटी संचलनों (कमान के बाह्य या अंतर्गत)	
	(क) अधिकारियों	सेना सचिव
	(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. और सिलिवियनों जो डी.एस.सी. अभिलेख द्वारा प्रशासित	डी.एस.सी.अभिलेख के अफसर प्रभारी
	(ब) अस्थायी ड्यूटी संचलनों (दौरों और निरीक्षणों को शामिल करते हुए)	

1	2	3
	(क) कमान के बाह्य	
	(i) अधिकारियों	डी.डी.जी. डी.एस.सी.
	(ii) जे.सी.ओ./ओ.आर. और सिविलियनों जो डी.एस.सी. अभिलेख द्वारा प्रशासित	डी.एस.सी. अभिलेख के अफसर प्रभारी
	(ख) कमान के अंतर्गत	
	(i) अधिकारियों	
	(1) निदेशक डी.एस.सी. , कमानों के मुख्यालय	जी.ओ.सी.–इन–सी कमान, कमशः अपनी अधिकारिता के अंतर्गत
	(2) उप–निदेशक डी.एस.सी. ,	कमान मुख्यालय पर निदेशक डी.एस.सी.
	(3) केन्द्र और अभिलेखों के अधिकारियों	जी.ओ.सी.–इन–सी कमान, जी.ओ.सी. क्षेत्र/उप–क्षेत्र
	(ii) जे.सी.ओ./ओ.आर. और सिविलियनों जो डी.एस.सी. अभिलेखों द्वारा प्रशासित	कमान मुख्यालय के निदेशक, कमशः अपनी अधिकारिता के अंतर्गत
	(iii) अपने एककों के संबंध में, कमान के अंतर्गत अस्थायी ड्यूटी पर कमीशन प्राप्त अफसरों के अलावा डी.एस.सी.कार्मिकों का संचलन	डी.एच.क्यू. सुरक्षा सैन्य दल, अफसर प्रभारी
	(ग) रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में कार्यरत, अधिकारियों, जे.सी.ओ./ओ.आर. और डी.एस.सी. के सिविलियन कार्मिक और डी.एस.सी. निदेशालय में कार्यरत ए.एफ.एच.क्यू. संवर्ग का सिविलियन स्टाफ	डी.डी.जी. डी.एस.सी.
(X)	सिगनल	
	(अ) स्थायी संचलनों	
	(i) अधिकारियों	सेना सचिव
	(ii) राजपत्रित सिविलियन स्टाफ	सिगनल अफसर–प्रमुख, सेना मुख्यालय
	(iii) सभी अन्य कार्मिक	अभिलेख के अफसर प्रभारी
	(ब) अस्थायी ड्यूटी संचलनों (निरीक्षण ड्यूटी पर के अलावा)	
	(क) अंतःकमान संचलनों	
	(i) अधिकारियों	रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय के सिगनल अफसर प्रमुख
	(ii) राजपत्रित सिविलियन स्टाफ	–– वैसा ही ––
	(iii) सभी अन्य कार्मिक	सिगनल अभिलेखों के अफसर प्रभारी
	(ख) कमान के अंतर्गत	

1	2	3
	(i) अधिकारियों	कमान के प्रमुख सिगनल अफसर
	(ii) राजपत्रित सिविलियन स्टाफ	–– वैसा ही ––
	(iii) सभी अन्य कार्मिक	अभिलेखों के अफसर प्रभारी
(XI)	पायोनियर कोर अफसर	
	(i) अस्थायी संचलनों, कमीशन प्राप्त अधिकारियों के (शामिल हैं जो ई.आर.ई. पर)	
	(कक) कमान के अंतर्गत	पायोनियर कमान के निदेशक
	(कख) कमान के बाह्य	उप–महानिदेशक पायोनियर कोर
	(ii) कमीशन प्राप्त अफसरों के स्थायी संचलनों	सैन्य सचिव
	(iii) अन्य कार्मिक	ओ.आई.सी. अभिलेख पायोनियर कोर के निदेशक पायोनियर
(XII)	सेना डाक कोर	
	(1) स्थायी संचलनों	
	(क) अधिकारियों	सेना सचिव
	(ख) जे.सी.ओ. , डब्लू.ओ. , ओ.आर. और एन.सी.ओ.	ए.पी.एस. अभिलेख कार्यालय का अफसर प्रभारी
	(ग) अराजपत्रित सिविलियन कार्मिक	एडजुटेंट जनरल
	(2) अस्थायी संचलनों	
	(क) कमानों के बाह्य	
	(i) सभी अधिकारियों	अतिरिक्त महानिदेशक ए.पी.एस.
	(ii) जे.सी.ओ. , डब्लू.ओ. , ओ.आर. और एन.सी.ओ.	ए.पी.एस. अभिलेख कार्यालय का अफसर प्रभारी
	(ii) अराजपत्रित सिविलियन कार्मिक	एडजुटेंट जनरल
	(ख) क्षेत्र के अंतर्गत/कमानों/ कोरों/ क्षेत्र/प्रभागों की अधिकारिता	
	(i) अधिकारियों	(i) कमान मुख्यालयों/ कोरों/क्षेत्रों पर विभागीय प्रमुख (केवल उन प्रकार के संचलनों के लिए जो नीचे उल्लिखित हैं)
		(ii) जे.सी.ओ.–इन–सी कमान, जी.ओ.सी. कोर/

1	2	3
		प्रभाग/क्षेत्र/उप–क्षेत्र/ब्रिगेडों के कमांडर, सभी अन्य प्रकार के संचलनों के लिए जो उपर (i) द्वारा समावेशित न हों
	(ii) जे.सी.ओ. , डब्लू.ओ. , ओ.आर. और एन.सी.ओ.	(i) कमान मुख्यालयों/ कोरों/क्षेत्रों/प्रभागों के विभागीय प्रमुख
	(iii) अराजपत्रित सिविलियन कार्मिक	(ii) कमांडिंग अफसर, कोर/संचार अंचल/हवाई विरचना/सीमा सड़क/ असम राईफल डाक एककों, अपनी विभागीय अधिकारिता के अंतर्गत

ए.पी.एस. अधिकारियों के जिन अस्थायी ड्यूटी संचलनों के प्रकारों का आदेश किया जा सकता है , मद (2) (ख) (i) के हवाले से , कमान मुख्यालयों और कोरों के विभागीय प्रमुखों द्वारा , को नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है :

1. डाक एककों और एफ.पी.ओ. का तकनीकी निरीक्षण ।
2. विभागीय सम्मेलनों / चर्चाओं जो आवर्ती प्रकृति की न हों ।
3. डाक संचार तारों पर पर्यवेक्षण और डाक व्यवस्था और ए.पी.ओ. लेखों की जांच करना ।

3. कोर, विभागों इत्यादि के कार्मिकों के संचलनों उनमें तैनातियां	(XII)	सेना डाक कोरः (2) अस्थायी संचलनों (ख) क्षेत्र के अंतर्गत/कमानों/ कोरों/क्षेत्र/प्रभागों की अधिकारिता	

ए.पी.एस. अधिकारियों के जिन अस्थायी ड्यूटी संचलनों के प्रकारों का आदेश किया जा सकता है , मद (2) (ख) (i) के हवाले से, कमान मुख्यालयों और कोरों के विभागीय प्रमुखों द्वारा, को नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है :

4. विभागीय संपरीक्षण और परीक्षाओं को जो कोर की विशेषता हैं, संचालित करना ।
5. डाक संबंधी शिकायतों या घाटा या दुर्घटना और अन्य असामान्य घटना के कारण डाक को नुकसान की तफतीश करना।
6. विभागीय प्रकृति की संपर्क भेंट को :
   (i) तकनीकी मामलों पर चर्चा को उच्च मुख्यालयों को ,
   (ii) डाक और तार कार्यालयों और उनकी स्थापनाओं को , और
   (iii) सेना और वायुसेना विरचनाओं और एककों को ।
7. जांच अदालतों में हाजिर रहना ।
8. रिक्तियों को भरना, अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हुई, स्थायी पदधारी की, वार्षिक छुट्टी या लम्बे समय के लिए, जैसे अस्पताल में दाखिल, पाठ्यक्रम या अन्यथा के कारण।

1	2		3
3. कोर, विभागों इत्यादि के कार्मिकों के संचलनों उनमें तैनातियां	(XIII)	सभी सेनाओं के रेजीमेंटः (i) अधिकारियों (ii) जे.सी.ओ. और ओ.आर.	सैन्य सचिव कमान के अंतर्गत और बाह्य रेजीमेंटों के कमशः अभिलेख के अफसर प्रभारी
	(XIV)	एम.एस. मामलों से संबंधित , सभी स्थायी संचलनों और ड्यूटी संचलनों	
		सभी सेना अफसरों , ए.एम.सी., ए.डी.सी. और एम.एन.एस. को छोड़कर	एम.एस. शाखा, सेना मुख्यालय

टिप्पणीः अस्थायी ड्यूटी संचलनों के प्रकारों , कमानों / कोरों / क्षेत्र / प्रभाग / स्वतंत्र सब एरिया / उप–क्षेत्र/ ब्रिगेड के अंतर्गत , अधिकारियों के , जैसा नीचे विनिर्दिष्ट है , को केवल , जी.ओ.सी.–इन–सी कमान / जी.ओ.सी. कोर / क्षेत्र / प्रभाग / स्वतंत्र उप–क्षेत्र / उप–क्षेत्र , ब्रिगेड कमांडर द्वारा कमशः उनके अधिकारिता के अंतर्गत , संस्वीकृत किया जाएगा ।

(क) तोपखाना

(1) एककों / विरचनाओं के तकनीकी निरीक्षण के संबंध में संचलनों ।

(2) तोपखाना कार्मिकों के प्रशिक्षण , उदाहरणार्थ , पाठ्यक्रम , अनुदेशीय ड्यूटियां , प्रदर्शनों , तोपखाना, अभ्यासों और परीक्षणों के संबंध में संचलनों ।

(3) विभागीय सम्मेलनों जो आवर्ती प्रकृति के न हों , के संबंध में संचलनों ।

(4) तोपखाना कार्मिकों के वर्गीकरण और तकनीकी व्यापार परीक्षण बोर्ड के संबंध में संचलनों ।

(5) प्रचालन स्थान के आवीक्षण / आयोजना के संबंध में संचलनों ।

(6) थलसेना / वायुसेना / नौसेना स्थापनाओं में (विभागीय प्रकृति की) संपर्क भेंट के संबंध में संचलनों ।

(7) कोरों के विशिष्ट विषयों में पदोन्नति परीक्षा देने के लिए संचलनों ।

(ख) ए.ई.सी.

(1) परीक्षाओं और संपरीक्षणों के संबंध में संचलनों ।

(2) शैक्षणिक रूचि के स्थलों को आयोजित भेंटों के संबंध में संचलनों ।

(3) संपर्क भेंटों के संबंध में संचलनों ।

(4) शैक्षिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए संचलनों ।

(ख) ए.ई.सी.

(5) शैक्षिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए संचलनों ।

(6) शैक्षिक सामग्री को संग्रहण के लिए संचलनों ।

(7) शैक्षिक प्रशिक्षण के मामले से संबद्ध के संबंध में संचलनों ।

(ग) ए.एस.सी.

(1) संलग्नता / संपर्क भेट , आसन्न उच्च मुख्यालयों को और एककों के लिए , रेजीमेंट / कमान के साथ संचलनों ।

(2) अधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए संचलनों, जो पाठ्यक्रमों पर जा रहे हों।

(3) ब्रिगेडियर ए.एस.सी. , एम.जी.ए.एस.सी. की ओर से अनुदेशों के संबंध में संचलनों।

(4) विभागीय जांच / जांच अदालतों के संबंध में संचलनों ।

(5) सलाह देने के संबंध में संचलनों , किसी विशेषज्ञ एककों पर या पूर्णतः तकनीकी प्रकृति की उदाहरणार्थ , तकनीकी पाठ्यक्रम चलाए जाने के लिए या एक विभागीय अभ्यास, प्रदर्शनों , परीक्षणों और अन्य सदृश प्रकार।

(6) विभागीय सम्मेलनों या चर्चाओं में भाग लेने के लिए संचलनों ।

(7) किसी विशेष ए.एस.सी. समारोहों जैसा कि, भण्डारों का प्रेषण या प्राप्ति के लिए संचलनों ।

(8) किसी पूर्णतः विभागीय व्यवसाय परीक्षणों या अन्य ऐसी परीक्षाओं के लिए, ए.एस.सी कार्मिकों के चयन के लिए, संचलनों ।

(9) किसी भी स्टेशन पर , विरचना के क्षेत्र के अंतर्गत जिसको वह अधिकारी संबंधित है , स्थानीय क्रय के संबंध में संचलनों ।

(10) तकनीकी निरीक्षण के संबंध में एककों के संचलनों और पूर्व–पाठ्यक्रम विभागीय प्रशिक्षणों के संबंध में संचलनों ।

(11) खेल–कूद गतिविधियों के संबंध में संचलनों ।

(12) कोर दिन / पुनःमिलन के संबंध में संचलनों ।

(घ) ई.एम.ई.

(1) पाठ्यक्रमों के लिए जाने वाले अधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए संचलनों।

(2) अधिकारियों को भार–मुक्त करने को संचलनों , जो संयुक्त छुट्टी पर जा रहे हैं न कि विशेषाधिकार/ वार्षिक छुट्टी पर जब कोई प्रतिस्थापन का प्रावधान नहीं दिया जा सकता है ।

(3) एककों की अतिरिक्त मरम्मत प्रतिबद्धता की भरपाई के लिए संचलनों ।

(4) दूसरे एकाके से संपर्क, मरम्मत अनुसूची या कार्यशाला मरम्मत प्रविधि के लिए संचलनों ।

(5) उपस्कर निरीक्षण के लिए संचलनों ।

(6) दोषों (त्रुटियों) के अन्वेषण के लिए संचलनों ।

(7) छोटे तकनीकी संवर्ग पाठ्यक्रम चलाने के लिए और कार्मिकों के व्यापार–परीक्षा करने के लिए संचलनों ।

(8) कार्यशाला सामग्री (सभी प्रकार की) और अतिरिक्त असंभारित मदों को खरीदने के लिए संचलनों ।

(9) उपस्कर को अनुपयोगी घोषित करने के प्रयोजन या इस जैसे सदृश कारणों के लिए तकनीकी मंडल के सदस्य जैसे, संचलनों ।

(10) तकनीकी/प्रशासकीय/प्रशिक्षण विषयों पर चर्चाओं के लिए संचलनों ।

(ङ) अभियंता

निर्माण कार्य या अन्य विभागीय विषयों के संबंध में संचलनों ।

(च) न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग

(1) सेना न्यायालय ड्यूटियों से संबंधित संचलनों ।

(2) कानूनी पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए संचलनों ।

(3) विरचना कमांडरों से कानूनी मुश्किलों के लिए चर्चाओं के लिए , विरचना मुख्यालयों में गमन के लिए संचलनों ।

(4) भारत के संघ के खिलाफ दाखिल दीवानी मामलों से संबंधित संचलनों ।

(छ) चिकित्सा

(1) एस.एच.ओ. के अधिकारियों के , एककों के कैम्पों और फैक्टरियों के दौरे के लिए संचलनों।

(2) कार्मिकों के प्रशिक्षण से संबंधित संचलनों , अर्थात् , अनुदेशीय ड्यूटियों और प्रदर्शनों , संपर्क दौरों को चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए संचलनों ।

(3) संचलनों , परीक्षाओं और अनुदेशीय पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए, लघु अवधि के , अस्पतालों में, चिकित्सा विषयों में जैसे बेहोशी, शल्य चिकित्सा, बी.सी.जी. टीकाकरण, इत्यादि , जैसा विरचनाओं के विभागीय प्रमुखों द्वारा उचित समझा जाए ।

(4) विभागीय सम्मेलनों / चर्चाओं में भाग लेने के लिए संचलनों ।

(5) तकनीकी प्रशासनीय और प्रशिक्षण मामलों पर , चर्चा करने के लिए, उच्च मुख्यालयों को संलग्नता/ संपर्क दौरे के लिए संचलनों ।

(6) तकनीकी भण्डारों के प्रयोजनों के लिए संचलनों ।

(7) चिकित्सा सुरक्षा / छुट्टी एवजी के प्रयोजनों से संबंधित सभी संचलनों ।

(8) अशक्त रोगी जो यात्रा के अयोग्य हैं , को देखने के लिए या कुछ रोगियों को देखने के लिए जिनको इलाज की आवश्यकता है , विशेषज्ञों के संचलनों ।

(ज) सैनिक फार्म

(1) स्थायी पदधारियों , जो वार्षिक छुट्टी / लम्बी छुट्टी / फर्लोह पर हैं , की अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए संचलनों ।

(2) बीमारी / चोटों के कारण , अस्पताल में भर्ती , जिसकी अवधि दो सप्ताह या उससे अधिक हो, स्थायी पदधारियों की अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए संचलनों ।

(3) दो सप्ताह या उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रम पर स्थायी पदधारियों की अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए संचलनों ।

(4) सैनिक फार्मों पर फार्मों के भण्डारों को अनुपयोगी घोषित करने के संबंध में संचलनों ।

(5) सैनिक फार्मों पर आकस्मिक जाचों के संबंध में संचलनों ।

(6) अनुरक्षी प्रयोजनों के लिए संचलनों ।

(7) अभिलेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए संचलनों ।

(8) डिपो के लेखों की जांच–पड़ताल करने के लिए संचलनों ।

(9) जांच अदालतों से संबंधित संचलनों ।

(10) संपर्क दौरों से संबंधित संचलनों ।

टिप्पणी: अस्थायी संचलनों को प्रदान करने / छोड़ने से संबंधित , जो कार्यकारी / अस्थायी रैंकों के हैं , उनका आदेश डी.डी.जी. एम.एफ. द्वारा नहीं दिया जाएगा ।

(झ) आयुध

(1) विशेष आयुध ड्यूटियों , जैसे माल की पड़ताल , भण्डारों की शिनाख्त इत्यादि के निष्पादन के लिए अधिकारियों के संचलनों ।

(2) पूर्व पाठ्यक्रम विभागीय प्रशिक्षण के लिए संलग्नक के लिए अधिकारियों के संचलनों ।

(3) विभागीय प्रकृति की जांच मंडल / जांच अदालत में भाग लेने के लिए , अधिकारियों के संचलनों ।

(3) विभागीय सम्मेलनों में , जो आवर्ती प्रकृति की न हों , शरीक होने के लिए अधिकारियों के संचलनों।

(5) संपर्क भेटों के लिए अधिकारियों के संचलनों ।

(6) सिविलियन कार्मिकों के , अुनशासनिक मामलों के संबंध में अधिकारियों के संचलनों ।

(ट) रिमाउंट पशु चिकित्सा कोर

(1) स्थायी पदधारी की अस्थायी अनुपस्थिति , वार्षिक / लम्बी छुट्टी / फलों पर होने के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए संचलनों ।

(2) बीमारी / चोटों के कारण , अस्पताल में भर्ती होने से , जिनकी अवधि दो सप्ताह या उससे उपर है , स्थायी पदधारियों की अस्थायी अनुपस्थिति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए संचलनों।

(3) दो सप्ताह या उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रम पर स्थायी पदधारियों के अस्थायी अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए संचलनों ।

(4) छूत रोग और संक्रामक रोगों के भड़कने के संबंध में अतिरिक्त पशु चिकित्सा आवरण देने के लिए संचलनों ।

(5) पशु धारित एककों को पशु चिकित्सा आवरण की व्यवस्था करना , जब तक आर.वी.सी के अफसर प्रभारी द्वारा स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती , के लिए संचलनों।

(6) अनुरक्षी प्रयोजनों के लिए संचलनों ।

(7) अभिलेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए संचलनों ।

(8) संपर्क भेंट / तकनीकी चर्चाओं के लिए संचलनों ।

(9) कार्मिकों के प्रशिक्षण से संबंधित संचलनों , अर्थात् , अनुदेशीय ड्यूटियों , प्रदर्शनों, चिकित्सा / पशु चिकित्सा संस्थानों में संपर्क दौरों और अग्रिम प्रशिक्षण और प्रदर्शनों में , संगोष्ठियों और पशु चिकित्सा औषधियों की कार्यशालाओं और संबद्ध विषयों में भाग लेने के संबंध में संचलनों ।

(10) विभागीय परीक्षाओं और अनुदेशीय लघु अवधि के पाठ्यक्रमों , पशु चिकित्सा एककों / अनुसंधान संस्थाओं पर , पशु चिकित्सा विषयों में और विभागीय सम्मेलनों , से संबंधित संचलनों ।

(11) घुड़सवारी प्रशिक्षण और कियाकलापों से संबंधित संचलनों ।

टिप्पणी: अस्थायी संचलनों को प्रदान करने / कार्यकारी / अस्थायी रैकों को छोड़ने से संबंधित संचलनों का ए.डी.एस. आर. वी.एस. द्वारा आदेश नहीं दिया जाएगा ।

(ठ) सिगनल

(1) एककों और सिगनल संस्थापनों के , तकनीकी निरीक्षण से संबंधित संचलनों ।

(2) सिगनल कार्मिकों को प्रशिक्षण से संबंधित संचलनों , उदाहरणार्थ , पाठ्यकम , अनुदेशीय ड्यूटियां, प्रदर्शनों, सिगनल अभ्यास और परीक्षणों से संबंधित संचलनों ।

(3) सिगनल एककों के कमांडिंग अफसरों के सम्मेलनों से संबंधित संचलनों ।

(4) रेजिमेंटल सिगनलों और तकनीकी व्यापार परीक्षण मंडलों के वर्गीकरण से संबंधित संचलनों ।

(5) सिगनल उपस्कर / भण्डारों / वाहनों के रख–रखाव , परीक्षण , संग्रहण और अनुरक्षण से संबंधित संचलनों ।

(6) सिगलन संचारों के लिए , योजना , आवीक्षण व उनकी स्थापना और देख–रेख से संबंधित संचलनों।

(7) संपर्क दौरों से संबंधित संचलनों , दौरों को शामिल करते हुए :

(क) पी एवं टी विभाग के कार्यालयों , संस्थापनाओं और उनकी स्थापनाओं में ।

(ख) थलसेना / नौसेना / वायुसेना की संस्थापनाओं में ।

(8) कोरों के विशेष विषयों में पदोन्नति परीक्षाओं को लेने के लिए संचलनों ।

(ड) आसूचना स्टाफ और एककों

(1) सिविल आसूचना अभिकरणों के साथ संपर्क के लिए संचलनों ।

(2) परिप्रश्न ड्यूटियों के लिए संचलनों ।

(3) विशेष अन्वेषणों में शामिल करते हुए आकस्मिक जाचों के लिए संचलनों ।

(4) संकिया स्थलों का क्षेत्र परिचायन के लिए संचलनों ।

(5) विशेष आवीक्षणों के लिए संचलनों ।

(6) विभागीय सम्मेलनों / चर्चाओं के लिए संचलनों ।

(7) संपर्क दौरों के लिए संचलनों ।

(8) अनुदेशीय ड्यूटियों और प्रदर्शनों को शामिल करते हुए , प्रशिक्षण , पाठ्यक्रमों , संवर्ग अभ्यासों से संबंधित संचलनों ।

(9) वर्गीकृत दस्तावेजों / हवाई फोटोओं को ले जाने के लिए संचलनों ।

(ढ) सैनिक पुलिस की कोर

अस्थायी ड्यूटी संचलनों के प्रकारों को , कमान के अंतर्गत , जैसा नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है , विभागीय प्रमुखों द्वारा संस्वीकृत किया जा सकेगा :

(1) तकनीकी निरीक्षणों से संबंधित संचलनों ।

(2) सी.पी.एम. कार्मिकों के प्रशिक्षणों, उदाहरणार्थ लघु पाठ्यकमों, अनुदेशीय ड्यूटियों, सी.पी.एम. अभ्यासों से संबंधित संचलनों ।

(3) वर्गीकरण और तकनीकी व्यापार परीक्षण मंडलों से संबंधित संचलनों ।

(4) अन्य एकाकों / विरचनाओं के साथ संपर्क भेटों के लिए संचलनों ।

(5) विभागीय मामलों पर, नौसेना और वायुसेना के साथ संपर्क भेंटों के लिए संचलनों।

(6) विभागीय समन्वय , सम्मेलनों / चर्चाओं में शामिल होने के लिए संचलनों ।

(7) जब स्थायी पदधारी छुट्टी पर या पाठ्यकम पर होता है तब अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए संचलनों ।

(8) विरचनाओं के प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान अतिरिक्त प्रोवो आवरण की व्यवस्था के लिए संचलनों।

(9) मंडलों / विभागीय प्रकृति की जांच अदालतों में शामिल होने के लिए संचलनों ।

(10) दो सप्ताह या उससे अधिक अवधि की बीमारियों/चोटों के कारण अस्पताल में दाखिल होने के कारण, स्थायी पदधारियों की अस्थायी अनुपस्थिति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए संचलनों ।

(11) अभिलेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए संचलनों ।

(ण) प्रादेशिक सेना

कमानों के अंतर्गत , अस्थायी ड्यूटी संचलनों के प्रकारों को , जैसा नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है , कमान / मुख्यालयों के विभागीय प्रमुखों द्वारा संस्वीकृत किया जा सकेगा :

(1) राज्य सलाहकर समिति के संबंध में संचलनों ।

(2) टी.ए. कार्मिकों के प्रशिक्षण , उदाहरणार्थ , पाठ्यकमों , संवर्गों के प्रदर्शनों , अभ्यासों और परीक्षणों के संबंध में संचलनों ।

(3) संकिया स्थलों के आवीक्षण और आयोजना के संबंध में संचलनों ।

(4) भर्ती के संबंध में संचलनों ।

(5) पूर्व–पाठ्यकम विभागीय प्रशिक्षणों के लिए संलग्न होने के लिए संचलनों ।

(6) सभी अन्य टी.ए. मामलों के संबंध में संचलनों ।

(त) श्रेणी 'क' स्थापनाएं

सेना की श्रेणी 'ए' स्थापनाओं के कमांडेंटों को प्राधिकार है , अंतःमान अस्थायी ड्यूटी संचलनों को , संस्वीकृत करने का , अफसर और स्टाफ , उनके अधीन कार्यरत , शामिल करते हुए अफसरों को जो उनकी स्थापनाओं से संलग्न एककों में हैं , व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट होने के पश्चात् , कि संचलन अपरिहार्य है ।

टिप्पणी 1: निम्नलिखित प्रकारों के अस्थायी ड्यूटी संचलनों को , स्थापनाओं / प्रयोगशालाओं के प्रमुखों , आर. एवं डी. संस्थाओं (जहां वे निदेशकों के रैंक पर हैं , ग्रेड 1 और ग्रेड 2) द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है, उनके अधीन कार्यरत अफसरों और अधीनस्थों के विषय में :

(1) वैज्ञानिक / तकनीकी विषयों पर चर्चाओं के लिए मुख्यालयों या अन्य स्थापनाओं/ प्रयोगशालाओं को संचलनों ।

(2) सरकार द्वारा मंजूर , अंतःविभागीय सम्मेलनों , सभाओं , परिसंवाद , संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों के संबंध में संचलनों ।

(3) विभागीय पूछताछ , अनुशासनिक कार्यवाही के अन्य मामलों की जांच अदालतों के संबंध में संचलनों।

(4) निरीक्षण या उपस्करों / वाहनों के रख–रखाव परीक्षणों या भण्डारों / उपस्करों / वाहनों को खरीदने के संबंध में संचलनों ।

(5) भण्डारों / प्रतिदर्शों / उपस्करों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनुरक्षण के लिए संचलनों।

टिप्पणी 2: उपर दिए टिप्पण 1 में उल्लिखित संचलनों के प्रकारों के संबंध में उनके अधीन कार्यरत अफसरों और स्टाफ के अस्थायी ड्यूटी संचलनों के आदेश के लिए नियम 4 (i) के अधीन , अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं की स्थापनाओं / प्रयोगशालाओं के प्रमुख निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेंगे :

(1) एन.एस.टी.एल. विशाखापत्तनम ।

(2) डी.ई.एस.आई.डी.ओ.सी. ।

(3) डी.आई.एफ.आर. ।

(4) एस.एण्ड ए.एस.ई. मनाली ।

संचलन		कार्मिक और संचलनों के प्रकार	प्राधिकारी
1		2	3
4. भारतीय नौसेना के कार्मिकों (सैनिक और सिविलियन) के संचलन	(i)	सैनिक अफसरों	
		(क) स्थायी संचलनों	नौसेना स्टाफ का प्रमुख
		(ख) अस्थायी संचलनों	

1	2	3
	(क) नौसेना मुख्यालयों पर और नौसेना मुख्यालयों के तत्काल नियंत्रण के अधीन स्थापनाओं पर अधिकारियों	नौसेना स्टाफ का प्रमुख, पी.एस.ओ. और ए.पी.एस. ओ.
	(ख) उपर (क) के संदर्भ में दिए गए अधिकारियों को छोड़कर	फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन – चीफ नौसेना कमानों के, बेड़ों/क्षेत्रों के कमांडिंग फ्लैग अफसर , फ्लैग अफसर (रियर एडमिरल) रक्षा सलाहकार समूह (ओ.एन. जी.सी.) मुम्बई, डी.जी.एन. पी. और नौसेना अफसर प्रभारी (एन.ओ.आई.सी.), कमांडर और उपर रैंक के सर्वेक्षण जहाजों के कमांडिंग अफसरों,––को केवल सर्वेक्षण दलों के लिए अफसरों की तैनाती के लिए
(ii)	सिविलियनों (राजपत्रित/अराजपत्रित)	
	(क) सिविलियनों (राजपत्रित) के स्थायी संचलनों	नौसेना स्टाफ का प्रमुख,
	(ख) सिविलियनों (अराजपत्रित) के स्थायी संचलनों	
	(क) अंतःकमान/अंतः सेवाओं	नौसेना स्टाफ का प्रमुख,
	(ख) सभी श्रेणियों (नौसेना मुख्यालयों द्वारा केन्द्रीय रूप से नियंत्रित।	
	(ग) उपर (क) और (ख) में जिनका संदर्भ दिया गया है को छोड़कर, सभी श्रेणियां, जिनमें एक नौसेना स्थापना से दूसरे में स्थानान्तरण अंतर्निहित है, उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत	नौसेना कमानों के फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ बेड़ों/क्षेत्रों के फ्लैग अफसर कमांडिंग नौसेना गोदीवाड़ा के एडमिरल अधीक्षक जी.एन.पी. के निदेशकों
	(ग) अस्थायी संचलनों	
	(क) नौसेना मुख्यालयों के तत्काल नियंत्रण के अधीन स्थापनाओं और नौसेना मुख्यालयों पर व्यक्तियों के संचलनों	नौसेना स्टाफ का प्रमुख,

1	2	3
	(ख) उपर (क) में जिनका संदर्भ दिया गया है, को छोड़कर, व्यक्तियों के संचलनों	नौसेना कमानों के फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ बेड़ों/क्षेत्रों के फ्लैग अफसर कमांडिंग नौसेना गोदीवाड़ा के एडमिरल अधीक्षक जल सर्वेक्षण प्रमुख, देहरादून रक्षा सलाहकार समूह के फ्लैग अफसर (रियर एडमिरल) जी.एन.पी. के निदेशकों
	(iii) नौसैनिक	
	(क) स्थायी संचलनों	नौसैनिक ब्यूरों मुम्बई के कमोडोर
	(ख) अस्थायी संचलनों	नौसेना मुख्यालयों पर पी.एस.ओ. और ए.पी.एस.ओ. नौसेना कमानों के फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ, बेड़ों/क्षेत्रों के फ्लैग अफसर कमांडिंग,एन.ओ. आई.सी.एस. (नौसेना अफसर प्रभारी), जहाजों के अफसर कमांडिंग और स्थापनाओं के कमोडोर रैंक के और उससे उपर
5. वायुसेना के कार्मिकों के संचलनों (सैनिक और सिविलियनों)	(अ) स्थायी संचलनों	वायुसेना कमान के प्रमुख
	(ब) अस्थायी संचलनों	

1	2	3
	(क) (i) रक्षा मंत्रालय (वायुसेना) के एकीकृत मुख्यालयों या उनके द्वारा, सीधे नियंत्रण में एककों में कार्यरत कार्मिकों	वायुसेना कमान के प्रमुख
	(क) (ii) रक्षा मंत्रालय (वायुसेना) के एकीकृत मुख्यालयों की शाखाओं या रक्षा मंत्रालय (वायुसेना) के एकीकृत मुख्यालय के सीधे नियंत्रण में विरचनाओं में कार्यरत कार्मिकों (सैनिक और सिविलियनों)	वायुसेना मुख्यालयों पर प्रधान स्टाफ अफसरों
	उनके अधीन कार्यरत, वायुसैनिक और सिविलियनों जो तत्समान हैसियत के हैं	वायुसेना मुख्यालयों के निदेशक
	(ख) कमान मुख्यालयों पर उनके द्वारा नियंत्रण में एककों पर कार्यरत कार्मिकों	
	(i) जैसा नीचे दिए (ii) के अपवाद में, भारतीय सीमाओं के अंतर्गत सभी संचलनों के लिए	कमानों के वायुसेना अफसर कमांडिंग–इन–चीफ
	उनके अधीन कार्यरत वायुसैनिक और सिविलियनों जो तत्सम हैसियत के हैं	स्वलेखा एककों के अफसर कमांडिंग (विंग कमांडर रैंक से कम के न हों।
	(ii) एककों के मध्य, समान विंग/ स्टेशनों के नियंत्रण के अधीन संचलनों के लिए	विंग/स्टेशन के अफसर कमांडिंग
टिप्पणीः इस परिशिष्ट में खंड (I) (iii) के पैरा 1 में दिए गए उपबंध वायुसेना की तरफ भी अनुप्रयोज्य होंगे ।		
6. विविध या फुटकर या प्रकीर्ण	(i-अ) उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्मिकों के संबंध में ड्यूटी पर सभी संचलनों	(क) थलसेना स्टाफ के प्रमुख (ख) रक्षा मंत्रालय के सचिवों और संयुक्त सचिवों (ग) मुख्य प्रशासन अधिकारी और संयुक्त सचिव (घ) (i) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक (घ) (ii) उनकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के अंतर्गत ए.टी.ई.ओ. और एच.एस. एक्स किरण विद्युत मिस्त्री के अस्थाई ड्यूटी संचलनों को संस्वीकृत करने को ए. एफ.एम. एस.डी. के अफसर कमांडिंग प्राधिकारी होंगें, जैसा नीचे विस्तृत किया गया है:

1	2	3
		(1) ए.एफ.एम. एस.डी. लखनऊ के अफसर कमांडिंग केन्द्रीय और पूर्वी कमानों में एककों के लिए
		(2) ए.एफ.एम. एस.डी. दिल्ली छावनी के अफसर कमांडिंग — उत्तरी और पश्चिमी कमानों में एककों के लिए
		(3) ए.एफ.एम. एस.डी. पुणे के अफसर कमांडिंग — दक्षिणी कमानों एककों के लिए
		(ङ) निदेशक, सैनिक विनियम प्रपत्रों, रक्षा मंत्रालय
		(च) रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार
		(छ) निदेशक, तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु)
		(ज) महानिदेशक, रक्षा संपदा
		(झ) मानकीकरण के निदेशक
		(ट) कार्यकम अधिकारी

टिप्पणी: जिनका नीचे उल्लेख किया गया है उप–मदों (iii) और (iii-अ) उनको छोड़कर , मुख्य प्रशासन अधिकारी एवं संयुक्त सचिव , अपनी शक्तियों के अतिरिक्त , अंतःसेवाओं संगठनों के प्रमुखों की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

6. विविध या फुटकर या प्रकीर्ण	(i-ब)	(क)	अपने ब्यूरों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में अस्थायी ड्यूटी पर संचलनों	निदेशक, जे.सी.बी.
		(ख)	कार्यकम अधिकारी (एम.एण्ड बी.) के संबंध में अस्थायी ड्यूटी पर संचलनों	अतिरिक्त सचिव, (आर.एण्ड डी.)
	(ii)		मंत्रीमंडलीय सचिवालय के साथ कार्यरत सैनिक अधिकारियों के संचलनों	मंत्रीमंडलीय सचिवालय के उप–सचिव (सैनिक) (अपने संचलनों के संबंध में, वह इन शक्तियों का प्रयोग भी करेगा ।

1	2	3
	(iii) रक्षा संस्थान का मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के सिविलियन स्टाफ और सैनिक कार्मिकों के अस्थायी ड्यूटी संचलनों	निदेशक, रक्षा संस्थान का मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा विज्ञान संगठन
	(iii-अ) महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रशिक्षण स्थापनाओं में कार्यरत रक्षा सेवाओं के कार्मिकों (सैनिक और सिविलियनों) और राष्ट्रीय कैडेट कोर/ एककों/ग्रुप मुख्यालयों/निदेशालयों में कार्यरत कार्मिकों के अंतःनिदेशालय अस्थायी ड्यूटी संचलनों	महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर
	(iii-ब) (क) अस्थायी ड्यूटी संचलनों, कमशः निदेशालयों के अंतर्गत , रक्षा सेवाओं के कार्मिकों (सैनिकों और सिविलियनों) जो राष्ट्रीय कैडेट कोर में कार्यरत, उप–महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कमान के अधीन व संबंधित निदेशालयों के	उप–महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालयों के
	(ख) अस्थायी ड्यूटी संचलनों, (एक बार में 90 दिन से अधिक नहीं) एन.सी.सी. निदेशालय जम्मू एवं काश्मीर राज्य के अधिकारियों और स्टाफ को, कम से कम हद तक आवश्यक , श्रीनगर से जम्मू तक, जब राज्य सरकार जम्मू से प्रकार्य करती है, नवम्बर से मार्च महीनों के दौरान	उप–महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर जे. एण्ड के. राज्य
	(ग) उनके नियंत्रण के अधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की एककों में कार्यरत सेना कार्मिकों के कमशः उनके अधिकारिता के अंतर्गत अस्थायी ड्यूटी संचलनों	कमांडर, राष्ट्रीय कैडेट कोर, ग्रुप मुख्यालयों
	(घ) एन.सी.सी. एककों के, अफसर कमांडिंग, जो अपने स्वयं की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं , नियमित रक्षा सेवाओं के कार्मिकों जो सेवा नियोजित हैं अनुदेशक स्टाफ पर, के अस्थायी ड्यूटी संचलनों	अफसर कमांडिंग, राष्ट्रीय कैडेट कोर एकको के
	(iv) अभियंता कोर की एककों के मध्य, चाहे विलग्न हों या मुख्यालयों, पर संचलनों	संबंधित अभियंता कोरों के समूह का कमांडेट
	(v) कमीशन प्राप्त अफसरों के सिगनल कोर की एककों के मध्य संचलनों को छोड़कर	कमांडेंट , सिगनल प्रशिक्षण केन्द्र
	(vi) तोपखाना के कार्मिकों के पदोन्नति के परिणाम स्वरूप संचलनों	तोपखाना डिपो और अभिलेख के कमांडेंट

1		2	3
(vii)	(क)	सभी स्थायी संचलनों , भर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत और बाह्य के लिए :	
		(1) थलसेना अफसरों	सैन्य सचिव
		(2) भर्ती चिकित्सा अधिकारियों	डी.जी.एम.एस.
		(3) नौसेना अधिकारियों	नौसेना स्टाफ के प्रमुख
	(ख)	सभी स्थायी संचलनों , भर्ती इलाके के अंतर्गत और बाह्य और जे.सी.ओ. और सिविलियन अतिरिक्त सहायक भर्ती अधिकारियों के भर्ती क्षेत्रों से बाह्य अस्थायी संचलनों	संयुक्त निदेशक, भर्ती
	(ग)	ओ.आर. और सिविलियनों (सिविलियन अतिरिक्त सहायक भर्ती अधिकारियों को छोड़कर) के भर्ती क्षेत्रों के बाह्य, सभी स्थायी और अस्थायी संचलनों ,	संयुक्त निदेशक, भर्ती
	(घ)	आर.ओ. के भर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत सभी अस्थायी संचलनों	संयुक्त निदेशक, भर्ती
	(ङ)	भर्ती अधिकारियों, उप–भर्ती अधिकारियों और सहायक भर्ती क्षेत्रों से बाह्य सभी अस्थायी संचलनों	ए.डी.जी. भर्ती
	(च)	ओ.आर. और सिविलियनों (सिविलियन अतिरिक्त सहायक भर्ती अधिकारियों को छोड़कर) भर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत सभी स्थायी संचलनों	भर्ती अधिकारी
	(छ)	भर्ती अधिकारियों, उप–आंचलिक भर्ती अधिकारियों, भर्ती चिकित्सा अधिकारियों, सहायक भर्ती अधिकारियों , जे.सी.ओ./ ओ.आर. , सिविलियनों के भर्ती अंचलों के अंतर्गत सभी अस्थायी संचलनों	आंचलिक भर्ती अधिकारियों
(viii)		वायुसेना विरचनाओं की परिसीमाओं के अंतर्गत, वायु फार्मेशन सिगनल एककों के व्यक्तियों के संचलनों	वायुसेना विरचना का कमांडर, जिसको एकक संक्रियात्मक रूप से उत्तरदायी है
(ix)	(क)	पोतारोहण कमांडेंट और अफसर कमांडिंग, संचलन नियंत्रण समूहों और संचलन नियंत्रण क्षेत्रों (स्वतंत्र), पोतारोहण कमांडेंटों के अधीन सेवानियोजित स्टाफ। संचलन नियंत्रण समूह के अफसर कमांडिंग और संचलन नियंत्रण क्षेत्रों (स्वतंत्र) उनकी यात्राओं के संबंध में, इन प्राधिकारियों की अधिकारिता से बाह्य	अतिरिक्त महानिदेशक संचलन

1	2	3
	(ख) पोतारोहण कमांडिंग और संचलन नियंत्रण समूहों/संचलन नियंत्रण क्षेत्रों (स्वतंत्र) के अफसर कमांडिंग की अधिकारिता के अंतर्गत, संचलन नियंत्रण स्टाफ की यात्राओं के संबंध में	पोतारोहण कमांडेंट या संचलन नियंत्रण समूह/ संचलन नियंत्रण क्षेत्रों (स्वतंत्र) के अफसर कमांडिंग, जैसा भी मामला हो
(x)	रक्षा मंत्रालय, सी.एम.ओ. निदेशालय और सी.एम.ओ. एककों के कार्मिकों के अस्थायी ड्यूटी संचलनों :	
	(क) थलसेना कमांडेंटों के अधिकारिता के अंतर्गत संचलनों :	
	दिल्ली प्रदेश को छोड़कर किसी भी थलसेना कमान में सी.एम.ओ. एककों के सभी कार्मिकों के संचलनों	सभापति, (सी.आर.सी. एस.सी.) दिल्ली प्रदेश
	(ख) दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत संचलनों:	
	दिल्ली प्रदेश में सी.एम.ओ. एककों के सभी कार्मिकों के संचलनों	सभापति, (सी.आर.सी. एस.सी.), दिल्ली प्रदेश
	(क) थलसेना कमांडेंटों की अधिकारिता से बाह्य संचलनों :	
	सी.एम.ओ. निदेशालय के सभी कार्मिकों के संचलनों (निदेशक, सी.एम.ओ और सभापति सी.आर.सी.एस.सी और सी.एम.ओ. एककों के, अपवाद हैं)	निदेशक , सी.एम.ओ.
(xi)	कार्मिकों के अस्थायी ड्यूटी संचलनों (सैनिक और सिविलियन) उनकी कमान के अधीन सेवायोजित	(क) सी.आई.एस.सी., एकीकृत मुख्यालय
		(ख) अण्डमान एवं निकोबार कमान के कमांडर–इन–चीफ
		(ग) युद्धनीतिक बल कमान के कमांडर–इन–चीफ
(xii)	अंतःसेवाओं श्रेणी 'ए' स्थापनाओं के सभी स्टाफ और विद्यार्थियों के अस्थायी ड्यूटी संचलनों	अंतःसेवाओं श्रेणी 'ए' स्थापनाओं के कमांडेंट

टिप्पणियां :

1. यह नियम , उपर दिए गए , लागू नहीं होते , संचलनों पर , थलसेना के लिए विनियमों के पैरा 223 के अधीन आदेश दिए गए , और न ही वे , किसी भी प्रकार से , सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों की शक्तियों पर प्रभाव ही डालते हैं , जिनका संदर्भ दिया गया हे विभिन्न नियमों में चिकित्सा आधार पर संचलनों के लिए , इन विनियमों में उदाहरणार्थ नियम 157 ।
2. एक संचलन आदेश पर हस्ताक्षर स्टाफ द्वारा या अन्य अफसर द्वारा भी किए जा सकते हैं , उस प्राधिकारी के लिए जिसका उपर संदर्भ दिया गया है , परन्तु जिम्मेदारी बाद वाले में निहित रहेगी ।
3. जब एक संचलन को उच्च प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाता है , जिसे वास्तव में संबंधित निम्नतर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के अधीन पालन किया जाता है , पहले द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ को बाद वाले द्वारा दिए गए आदेशों में उद्धृत किया जाएगा , लेखा प्राधिकारियों की सूचना के लिए ।
4. सैन्य दलों के शरीरों को ले जाने के संदर्भ में नियम डी.एस.आर. में समाविष्ट हैं । उपर दिए गए , पैरा 1 , मद 1, अपवाद (iii), को भी देखें ।

5. उन मामलों में , जहां एक एकक एक कमान में सेवारत है की एक टुकड़ी है , और गोरखा बटालियनों के मामले में, एक प्रशिक्षण कम्पनी , दूसरी कमान में स्थित , जी.ओ.सी. क्षेत्र के , उप–क्षेत्रों के , स्वतंत्र उप–क्षेत्र के या ब्रिगेड कमांडर , जिनके क्षेत्र में , उस एकक का मुख्यालय स्थित है , एकक के ओ.सी. के संचलन को संस्वीकृत कर सकते हैं, (या उसके स्थान पर एडजुटेंट या क्वार्टर मास्टर या एम.टी. एककों के मामले में कार्यशाला अफसर) जब भी आवश्यकता हो , टुकड़ी के निरीक्षण के संबंध में । कमान में टुकड़ी में बदलाव के संबंध में अफसरों के संचलनों और अफसरों और कार्मिकों के अन्य संचलनों , मुख्यालय से और तक और एककों की टुकड़ियों से और तक , को समान रूप से संस्वीकृत किया जाएगा ।

6. यह प्राधिकारी तोपखाना ब्रिगेड के कमांडर का संचलन को संस्वीकृत करने में सक्षम है , विलग्नता के निरीक्षण करने के लिए , एसी प्रयोजन के लिए , जब भी आवश्यकता हो , उसके बदले में , एक एडजुटेंट के संचलन को संस्वीकृत कर सकता है ।

7. उनके घरों को अग्रसर , सेवा–मुक्ति पर , प्राधिकार के अधीन , सैनिकों , वायुसैनिकों और अयोधी नामांकित के संचलनों । स्थानान्तरण करना आरक्षित पर या पेंशन भेजना , इत्यादि का एकक / स्थापनाओं के कमांडरों के प्राधिकार के अधीन पालन किया जाएगा ।

8. अनुदेश के स्कूलों को सैनिकों के संचलनों के लिए कोई अलग संस्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी , जिसके लिए, रिक्तियों को कमानों और क्षेत्रों द्वारा आबंटित किया जा चुका है । वारंटों पर , ऐसे आदेशों का संदर्भ, आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा ।

परिशिष्ट — IV

अधिकारियों जिनको उनके यात्रा–भत्ते के दावों को नियंत्रण अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत करने की अनुमति है

(संदर्भ नियम 7)

1. सेना प्रमुखों।
2. तीनों सेनाओं के सभी सह प्रमुखों।
3. सी.आई.एस.सी., मुख्यालय आई.डी.एस.।
4. सेना मुख्यालय/मुख्यालय ए0र0स्ट0/अंतःसेवाएं संगठनों के उपप्रमुख।
5. सेना मुख्यालय/अंतः सेवाएं संगठनों के सभी प्रधान स्टाफ अधिकारी।
6. कमांडर–इन–चीफ, अंडमान एवं निकोबार कमान।
7. कमांडर–इन–चीफ, युद्धनीति सेना कमान।
8. जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ, कमान।
9. कमान मुख्यालयों के स्टाफ के चीफ।
10. कोर कमांडर व एरिया कमांडर।
11. डिवीजन कमांडर/सब–एरिया कमांडर।
12. ब्रिगेड कमांडर।
13. फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ, नौसेना कमान।
14. फ्लैग अफसर कमांडिंग बेड़ा/क्षेत्र।
15. एडमिरल अधीक्षक, नौसेना गोदीवाड़ा
16. नौसेना प्रभारी अफसर
17. कोमोडोर रैंक के अफसर जो नौसेना मुख्यालय में प्रधान निदेशक हैं।
18. फ्लैग अफसर गोवा
19. फ्लैग अफसर नौसेना
20. फ्लैग अफसर समुद्री प्रशिक्षण
21. फ्लैग अफसर पनडुब्बी
22. महानिदेशक नौसेना प्रोजेक्ट
23. कमानों के, वायुसेना अधिकारी कमांडिंग–इन–चीफ।
24. कमान मुख्यालयों के, वरिष्ठ वायुसेना स्टाफ अफसर और वरिष्ठ वायुसेना और प्रशासनिक स्टाफ अधिकारी।
25. वायुसेना स्टेशन के अफसर कमांडिग विंग कमांडर जिनका स्थानीय वरिष्ठ अधिकारी न हो।
26. सेना मुख्यालयों के क्रमशः निदेशालयों के सभी महानिदेशक।
27. निम्नलिखित संस्थाओं/सेवाओं के महानिदेशक
    क. सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं
    ख. राष्ट्रीय कैडेट कोर
    ग. महानिदेश पुनर्वास जिसमें भारतीय सैनिक, नाविक और एयरमैन बोर्ड शामिल है।

घ. रक्षा सम्पदा।

ङ. आयुध फैक्ट्री

च. गुणत्ता आश्वासन

28. भर्ती अधिकारी।

29. प्रशिक्षण स्थापनाओं के कमांडेंट, जो ब्रिगेडियर/कमोडोर/एयर कमोडोर रैंक के या उससे उपर।

30. उप–सचिव (सैनिक), मंत्रीमंडल सचिवालय।

31. रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार।

32. अध्यक्ष, पेंशन अपील अधिकरण।

33. उप–महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर (संबंधित राज्य)।

34. मुख्य नियंत्रक और उप–मुख्य नियंत्रक, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास संगठन।

35. निदेशक ग्रेड–I और ग्रेड–II, अनुसंधान एवं विकास/संगठनों/प्रयोगशालाओं के प्रमुख।

36. निदेशक, तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु)।

37. निदेशक, मानकीकरण।

38. कार्यकम अधिकारी (एम एंड बी)।

39. सीओएएस, वीसीओएएस, शाखाओं के प्रमुख और जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ या अन्य दोनों सेनाओं के समकक्ष, जब दौरा/स्थानांतरण और एल.टी.सी. (छुट्टी यात्रा रियायत) पर यात्रा करते हैं, जब वे वारंट पर यात्रा करने में असमर्थ होते हैं, इन विनियमों के नियमों 7, 47, 67, 119 और 117 के अधीन, वारंट के मूल्य की प्रतिपूर्ति की संस्वीकृति के लिए, स्वयं अपने नियंत्रण अफसर के रूप में कार्य करेंगे।

40. मेजर जनरल/रीयर एडमिरल/एअर वाइस एडमिरल/एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारियों और इनसे उपर को, उनकी नियुक्तियों और तैनातियों पर विचार किए बिना, अपने यात्रा–भत्ते/दैनिक–भत्ते के दावों को बिना प्रतिहस्ताक्षर के प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है । लेकिन, उनको अपने स्वयं के संचलन को संस्वीकृत करने का प्राधिकार नहीं है।

परिशिष्ट V

प्रतिभू बंधपत्र का प्रपत्र

(नियम–21 (च) देखें)

इस विलेख द्वारा सब लोगों को यह ज्ञात हो कि इन (1)[1] ——————————————————————————————————————— । जिसे इसमें इसके पश्चात् "बाध्यताधारी" कहा गया है। और (2)[2] ——————————————————— । जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभू" कहा गया है।, भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) के प्रति ₹[3] ——————————————— के लिए निर्णय करते हैं और पूर्णतः और दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं और उक्त राशि का ठीक और वास्तविक भुगतान किए जाने के लिए इसे संयुक्त रूप से और अलग–अलग अपने आपको, अपने–अपने उत्तराधिकारियों को, निष्पादकों को, प्रशासकों को, वैध प्रतिनिधियों को आबद्ध तथा समनुदेशित करते हैं।

अतः सरकार ने बाध्यताधारी को स्वर्गीय[4] ————————————————————————— । जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवार कहा गया है। के परिवार के यात्रा–व्यय के अग्रिम के रूप में ——————————————————————————— ———[5] तक की उनकी यात्रा के लिए और ——————————————————— ——————— स्वर्गीय[5] ——————————————————— के निजी सामान के परिवहन के लिए ₹ ———————————————————** की राशि (इसके द्वारा बाध्यताधारी जिसकी पावती स्वीकार करता है) प्रदान की है।

अब उपर्युक्त लिखित बंध–पत्र की शर्त यह है कि यदि कथित बाध्यताधारी पूर्वोक्त अग्रिम के समुचित व्यय के बारे में परिवार द्वारा ——————————————————————————————— (!!) तक की गई यात्रा की समाप्ति के एक मास के अंतर्गत, बशर्ते कि परिवार एक समूह में यात्रा करता हो या जब परिवार एक से अधिक समूह में यात्रा करता हो, तो अंतिम समूह की यात्रा की समाप्ति के मास के अंतर्गत अथवा इस अग्रिम की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् छः मास की अवधि के समाप्त हो जाने के एक मास के अंतर्गत, इनमें से जो भी पहले हो, सरकार के समाधानप्रद हिसाब दे देता है, तो उपर्युक्त लिखित बंध–पत्र शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगा अन्यथा यह बंध–पत्र पूर्णतः प्रवृत्त और आधार रहेगा और यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि :

(क) भारत के राष्ट्रपति अथवा किसी अधिकारी द्वारा बाध्यताधारी के प्रति किया गया कोई अनुग्रह, स्थगन या समय का विस्तार चाहे यह प्रतिभू की जानकारी या उसकी सम्मति से या उनके बिना किया गया हो, कथित प्रतिभू उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, वैध प्रतिनिधियों को किसी भी रूप में निर्मुक्त नहीं करता है और उपर्युक्त लिखित बंध–पत्र के अधीन उसके या उनके दायित्व को समनुदेशित करता है।

(ख) बंध–पत्र पर स्टाम्प–शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा।

उपर्युक्त नाम वाले बाध्यताधारी द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए और बंध–पत्र सौंपा गयाः

1. ....
2. ....

उपर्युक्त नाम वाले प्रतिभू द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए और बंध–पत्र सौंपा गयाः

1. ....
2. ....

निम्नलिखित की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत

1. ....
2. ....

1. इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको अग्रिम प्रदान किया गया हो ।
2. इसमें प्रतिभू का नाम लिखें।

3. यहां दिए गए अग्रिम की राशि लिखें।
4. यहां मृतक सरकारी कर्मचारी का नाम लिखें।
5. यहां सरकारी कर्मचारी के उस सामान्य निवास का उल्लेख करें जहां की यात्रा नियमों के अधीन स्वीकार्य हो।

परिशिष्ट VI

हवाई यात्रा की संस्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी

(नियम–62 देखें)

शुद्धि–पर्ची सं0 262/VII/90 द्वारा हटा दिया गया

परिशिष्ट VII

परिचरों के संचलनों की संस्तुति और संस्वीकृति के लिए चिकित्सा प्राधिकारी

(संदर्भ हेतु नियम 158)

क्र. सं.	व्यक्ति का विवरण जो साथ जाएगा	संस्तुति प्राधिकारी	संस्वीकृति प्राधिकारी
1.	सैनिक अफसर, शामिल हैं एम.एन.एस. के अधिकारी। एक रोगी कमीशन अधिकारी या सैनिक परिचर्या सेवा का परिचर्या अफसर ।	अस्पताल का कमांडिंग अफसर (या वहां जहां कोई सैनिक अस्पताल न हो प्राधिकृत चिकित्सा परिचर)	एम.जी. चिकित्सा / मुख्य चिकित्सा अफसर/प्रधान चिकित्सा अफसर, कमान मुख्यालयों में, कमशः थल, जल, वायुसेना कार्मिकों के कमान के अंतर्गत संचलनों के लिए और कमान से बाहर के संचलनों के लिए डी.जी.एम.एस. (थल/जल/वायुसेना)
2.	अफसर रैंक से नीचे के सैनिक कार्मिक :		
	(क) एक मानसिक रोग या एक अशक्त के मामले में, जो अपने घर/दूसरे स्टेशन विशेषज्ञ से परामर्श या अशक्तता बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए जा रहा हो।	— यथोपरि —	अस्पताल का कमांडिंग अफसर / प्रधान चिकित्सा अफसर (जहाज/स्थापना) और वरिष्ठ चिकित्सा अफसर/चिकित्सा अफसर वायुसेना स्टेशन पर (या प्राधिकृत चिकित्सा परिचर वहां जहां कोई भी सैनिक अस्पताल न हो)।
	(ख) एक व्यक्ति, नियम 158 के उपबंधों के अधीन स्थानांतरित हुआ ।	— यथोपरि —	— यथोपरि —

टिप्पणीः (क) अत्यावश्यक मामलों में, जहां समय अनुमति नहीं देता है कि संचलन से पहले संस्वीकृति की प्राप्ति की जाए, स्थानीय प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग करेंगे।

(ख) संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी के लिए, विशेषतया नियुक्त परिचर के स्थान पर एक संबंधी/नौकर के लिए सवारी की संस्वीकृति देना, अनुमत्य है।

(ग) सामान्यतः, परिचरों के लिए वापसी सवारी अनुमत्य है, यदि बहिर्गामी यात्रा को सार्वजनिक व्यय पर प्राधिकृत किया गया है।

(घ) जहां कहीं संभव हो, विशेषतया नियुक्त परिचरों के स्थान पर छुट्टी जा रहे , जवानों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों या अयोधी (नामांकित) और अयोधी (अनामांकित) की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट VIII

क्षतिपूर्ति का पपत्र

(नियम–218 देखें)

इस विलेख द्वारा सब लोगों को यह ज्ञात हो कि इस (1) ———— (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बाध्यताधारी" कहा गया है) और (2) ———— और (3) ———— (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभू" कहा गया है), भारत के राष्ट्पति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) के प्रति ₹ ———— के लिए निर्णय करते हैं और पूर्णतः और दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं और उक्त राशि का ठीक और वास्तविक भुगतान किए जाने के लिए हम संयुक्त रूप से अलग–अलग अपने आपको, अपने–अपने उत्तराधिकारियों को निष्पादकों को, प्रशासकों को, वैध प्रतिनिधियों को आबद्ध तथा समनुदेशित करते हैं।

अतः सरकार ने बाध्यताधारी को, दो प्रतिभुओं सहित इस बंध–पत्र के निष्पादन के प्रतिफल में, स्वर्गीय ———— (जिसको इसमें इसके पश्चात् "परिवार" कहा गया है) के परिवार के यात्रा–व्यय के रूप में ———— से ———— तक की उनकी यात्रा के लिए और स्वर्गीय ———— के निजी सामान के ———— से ———— तक के परिवहन के लिए ₹ ———— की राशि (इसके द्वारा बाध्यताधारी जिसकी पावती स्वीकार करता है) प्रदान की है।

अब उपर्युक्त लिखित बंध–पत्र की शर्त यह है कि यदि यह प्रकट होता है कि ₹ ———— की कथित राशि बाध्यताधारी द्वारा मृतक के परिवार को नहीं दी गई है और/अथवा यहां इसके पश्चात् मृतकों के परिवार की ओर से अपनी यात्रा के लिए और मृतक के निजी सामान के परिवहन के लिए अथवा अपनी और किसी यात्रा के लिए व्यय का कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो और कथित घटनाओं में किसी के होने पर, यह बंध–पत्र पूर्णतः प्रवृत्त और आधार रहेगा अन्यथा यह शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगा।

परन्तु यह और कि एतद्द्वारा यह भी करार किया जाता है कि :—

(क) भारत के राष्ट्रपति अथवा किसी अधिकारी द्वारा बाध्यताधारी के प्रति किया गया कोई अनुग्रह, स्थगन या समय का विस्तार, चाहे वह प्रतिभू की जानकारी या उनके बिना किया गया हो, कथित प्रतिभू, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादनों, प्रशासकों, वैध प्रतिनिधियों को किसी भी रूप में निर्मुक्त नहीं करता है और उपर्युक्त लिखित बंध–पत्र के अधीन उनके दायित्व को समनुदेशित करता है

(ख) इस बंध–पत्र पर स्टाम्प–शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा।

बाध्यताधारी के हस्ताक्षर

उपर्युक्त नाम वाले बाध्यताधारी द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए और सौंपा गयाः

1. .....

2. .....

प्रतिभू (1) के हस्ताक्षर

उपर्युक्त नाम वाले प्रतिभू (1) द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए और सौंपा गया :

1. .....

2. .....

प्रतिभू (2) के हस्ताक्षर

उपर्युक्त नाम वाले प्रतिभू (2) द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए और सौंपा गयाः

1. .....

2. .....

निम्नलिखित की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत :

1. .....

2. .....

(बंध–पत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

साक्षियों के हस्ताक्षर और पते :––

1.

2.

परिशिष्ट IX

सवारी भत्ता

(संदर्भ हेतु नियम 222)

हटा दिया गया

परिशिष्ट X

रेल और रोड वारंट, मांग और सैनिक जमा–पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

(संदर्भ हेतु नियम 231)

मद सं.	हस्ताक्षर और जारी करने वाला प्राधिकारी	किस सीमा तक मामला प्राधिकृत
	(क) समुद्र द्वारा	
1.	डी.सी.ओ.ए.एस., ए.जी., डी.जी.ओ.एल. और एम.जी.ओ.	
2.	जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ कमान, जी.ओ.सी. क्षेत्र, स्वतंत्र सब एरिया, सब एरिया, ब्रिगेड कमांडर, पोतारोहण पत्तनों के अफसर कमांडिंग और पोतारोहण कमांडेंट	कार्मिकों और पशुओं के लिए
3.	वायुसेना प्रमुख	कार्मिकों के लिए
4.	भर्ती संगठनों के अधिकारी	अपने स्वयं के लिए, भर्ती दलों, रंगरूटों के लिए
5.	विभागों या कोर के प्रशासनिक या कार्यपालक (कार्यकारिणी) अधिकारी	भण्डारों के लिए, जो रवानगी के समय रक्षा सेवाओं की संपत्ति हैं
6.	बेस संभारिकी अधिकारी	कार्मिकों भण्डारों और पशुओं के लिए
	(ख) रेल व सड़क द्वारा	
7.	एक स्टाफ अधिकारी या स्थापना अधिकारी/सेना मुख्यालय का सहायक स्थापना अधिकारी या निम्नतर विरचनाओं/एककों/स्थापनाओं का एक स्टेशन स्टाफ आधिकारी, एक पोतारोहण कमांडेंट, वायुसेना मुख्यालय पर एक स्टाफ अधिकारी, स्थापना अनुभाग सेना मुख्यालय पर एक प्रभारी पर्यवेक्षक अधिकारी/वायुसेना मुख्यालय पर (सैनिक या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी)	अपने स्वयं के लिए,कार्मिकों, पशुओं और भण्डारों के लिए
8.	सेना सूची में अधिसूचित, प्राधिकृत शैक्षिक, प्रशिक्षण या अन्य स्थापनाओं के कमांडेंट।	अपने स्वयं के लिए, स्टाफ और विद्यार्थियों, स्थापनाओं, पशुओं और भण्डारों के लिए
9.	राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के कमांडेट।	कार्मिकों, पशुओं और अंगरक्षकोंके भण्डारों के लिए
10.	विरचनाओं के मुख्यालयों से संलग्न प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, सेना अस्पतालों के अफसर कमांडिंग।	विभागीय ड्यूटी पर जाने वाले चिकित्सा कार्मिकों, अधिकारियों व अन्य रैंकों के लिए, जिनको अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जैसे ड्यूटी के लिए स्वस्थ हों या आगे चिकित्सा बोर्ड में अपेक्षित उपस्थिति के लिए, बीमार स्थानान्तरणों, परिचरों और रोगियों के साथ रहने को भेजे गए अनुरक्षकों के लिए और कार्मिकों, पशुओं और भण्डारों के लिए टिप्पणी : एक सैनिक अस्पताल का अफसर कमांडिंग, चाहे तो, अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर, अगले वरिष्ठ

	अधिकारी या ए.एम.सी. के एक अधीनस्थ को वारंटों और जमा–पत्रों पर हस्ताक्षर की अनुमति दे सकता है।
11. चिकित्सा भण्डार डिपो के अफसर कमांडिंग	कार्मिकों, और भण्डारों के लिए टिप्पणी :सशस्त्र सेना का केवल एक कमीशन प्राप्त अधिकारी को ही वारंटों पर हस्ताक्षर और इस मद के अधीन मांगों को पेश करने की अनुमति है।
12. प्रादेशिक सेना एककों के एडजुटेंट।	एककों के अनुदेशात्मक स्टाफ के अन्य रैंको के लिए जो निरीक्षण ड्यूटी या अन्य बाह्य स्टेशन ड्यूटी पर रेजीमेंट आदेश द्वारा प्राधिकृत यात्रा या अन्य वर्णित सैनिक ड्यूटी पर जी.ओ.सी. क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया/सब एरिया के प्राधिकार से या ब्रिगेड कमांडर के प्राधिकार से, प्रादेशिक सेना के सदस्यों की प्राधिकृत यात्राओं के लिए और भण्डारों के लिए, जब इनको पूर्ति करने वाले डिपों पर वापस किया जा रहा हो ।
13. विभागों या सेवाओं के प्रशासनिक या कार्यपालक अधिकारयों, साथ ही विभागों या सेवाओं के सेना अधीनस्थ या एम.ई. एस. के मामले में सिविलियनों जब स्वतंत्र रूप से कार्यभार हो बाह्य स्टेशनों का।	उनके आदेशों के अधीन कार्मिकों के लिए, जब विभागीय ड्यूटी पर जा रहे हैं और पशुओं एवं भण्डारों के लिए एम.ई.एस. के सिविलियनों के मामले में केवल भण्डारों के लिए । आयुध और वस्त्र डिपों के मामले में, आयुध प्रभारी अफसर, जमा–पत्र पर हस्ताक्षर के कार्य को, अपने या अवर या निर्गम शाखा के ग्रुप प्रभारी अफसर को प्रत्यायोजित कर सकता है । आयुध और वस्त्र निर्माणी के मामलों में, अधीक्षक या अन्य प्रभारी अधिकारी, जमा–पत्र पर हस्ताक्षर के कार्य को एक राजपत्रित अधिकारी या निर्माणी के कमीशन प्राप्त अधिकारी को या अराजपत्रित अधिकारी को जो सहायक कार्य प्रबंधक स्थानापन्न है या कार्यभार–भत्ते पर सहायक कार्य प्रबंधक का कार्य कर रहा है, प्रत्यायोजित कर सकता है। टिप्पणी :एक स्थापना के विभाग का कार्यकारी प्रमुख अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए वारंट को जारी कर सकता है।
14. छावनी विभागों के अधिकारियों।	उन भण्डारों के लिए, जो प्रेषण के समय भारत सरकार की रक्षा सेवाओं की सम्पत्ति हैं
15. संचलन नियंत्रण स्टाफ के अधिकारियों ।	कार्मिकों, पशुओं और भण्डारों के लिए
16. एककों या टुकड़ियों के कमांडिंग अफसर और भारतीय नौसेना जहाजों और स्थापनाओं के कमांडिंग अफसर।	अपने स्वयं के लिए और उनकी कमान के अधीन कार्मिकों और भण्डारों के लिए । उनको वाहन और दल के लिए वारंट के संबंध में, जैसा भी प्रकरण हो, पर हस्ताक्षर या उसे जारी करने का प्राधिकार भी है
17. वायुसेना के प्राधिकृत एककों के कमांडिंग अफसर।	अपने स्वयं के लिए और उनकी कमान के अधीन कार्मिकों और भण्डारों के लिए । उनको वाहन और दल के लिए वारंट के संबंध में, जैसा भी प्रकरण हो, पर हस्ताक्षर या उसे जारी करने का प्राधिकार भी है। टिप्पणी :एक यूनिट का कमांडिंग अफसर अपने विवेकानुसार, अपने वैयक्तिक प्राधिकार को, किसी एक या अधिक, अपने रेजिमेंट के अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है ।
	एक सेना चिकित्सा भण्डार का कमांडिंग अफसर अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर, अपने भण्डारों के अधीक्षकों को प्राधिकृत कर सकता है, जब बाह्य स्टेशनों में उप–भण्डारों पर तैनात हों, कि वे सैनिक जमा–पत्र पर हस्ताक्षर या उसे जारी कर सकते हैं ।

1	2	3
18.	एकक का कमांडिंग अफसर जो कि स्टेशन का कमांडिंग अफसर है जहां कोई स्टाफ अफसर मौजूद नहीं है ।	कार्मिकों, पशुओं और भण्डारों के लिए
19.	अधीनस्थ प्रभारी :	
	सैनिक फार्मों चारा बेलिंग डिपुओं ।	अपने स्वयं के लिए और फार्म भण्डारों, फार्म उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, पशुओं और चारा प्रेषण करने वाले अधीनस्थों के लिए।
20.	पश्चिमी नेपाल भर्ती डिपो, कुनराघाट का नायब सुबेदार क्लर्क ।	केवल कार्मिकों के लिए प्राधिकृत, 01 अप्रैल और 01 अक्टूबर के मध्य समय के लिए ।
21.	मरकेन्टाईल समुद्र विभाग, चेन्नई के प्रधान अधिकारी ।	उन भण्डारों के लिए, जो प्रेषण के समय भारत सरकार की रक्षा सेवाओं की सम्पत्ति हैं
22.	एक बाह्य पोस्ट पर प्रभारी , ए.एस.सी. भण्डार रक्षक ।	उन भण्डारों के लिए, जो प्रेषण के समय भारत सरकार की रक्षा सेवाओं की सम्पत्ति हैं
23.	एक कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अफसर।	को प्राधिकर है हस्ताक्षर का – आई.ए.एफ.टी.– 1707, आई.ए.एफ.टी.–1711, आई.ए.एफ.टी.– 1712, आई.ए.एफ.टी.–1709, आई.ए.एफ.टी.– 1752 और आई.ए.एफ.टी.–1720 पर जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् नियुक्त किए जाते हैं (जी.सी.ओ./क्षेत्र/स्वतंत्र सब एरिया/सब एरिया या ब्रिगेड कमांडर) कि वे कमीशन प्राप्त अधिकारी के स्थान पर कार्य करें ।
24.	शास्त्रकारों के सहायक निरीक्षक ।	वीक्षकों के लिए, (अतिरिक्त स्थायी परिशिल्पी) और सरकारी भण्डारों के लिए जो दौरे पर उनके साथ जा रहे हों ।
25.	नौसेना प्रमुख ।	कार्मिकों और भण्डारों के लिए ।
26.	फ्लैग अफसरों कमांडिंग–इन–चीफ , नौसेना कमान फ्लैग अफसरों कमांडिंग–इन–चीफ , फ्लीट/क्षेत्रों एडमिरल अधीक्षकों, नौसेना गोदीवाड़ा प्रमुख जलराशि, देहरादून नौसेना प्रभारी अफसरों जहाजों/स्थापनाओं के कमांडिंग अफसरों नौसेना आयुध संभारिकी अफसरों बेस संभारिकी अफसरों स्वतंत्र नौसेना एककों/संगठनों के प्रभारी अफसर	— कार्मिकों और भण्डारों के लिए
27.	डी.एन. ए.आई., नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली वरिष्ठ नौसेना भण्डार अफसरों, मुम्बई नौसेना भण्डार अफसर, कोची उप–नौसेना भण्डार अफसर, विशाखापत्तनम नौसेना आयुध के वरिष्ठ निरीक्षकों मुम्बई और कोलकाता और नौसेना आयुध के निरीक्षकी अफसरों, विशाखापत्तनम, कोची, जबलपुर , कानपुर और किरकी बेस के खाद्य व्यवस्था अफसर पर्यवेक्षक अफसर (स्थापना), नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली उप–आयुध संभारिकी अफसर, अलवयी नौसेना आयुध निरीक्षकी अफसर, दिल्ली	— केवल भण्डारों के लिए

1	2	3
	प्रभारी अफसर, सी.ई.डी. विशाखापत्तनम बेस संभारिकी अफसर	भण्डारों के मांग– पत्रीकरण व जारी करने के लिए और सभी यात्रा प्रपत्रों के लेखाकरण के लिए।

टिप्पणी : एस.एन.एस.ओ. मुम्बई, एन.एस.ओ. कोची, डी.एन.एस.ओ. विशाखापत्तनम, एन.ए.एस.ओ मुम्बई और विशाखापत्तनम, उनके विवेकानुसार उनके वैयक्तिक प्राधिकार को, किसी भी एक या अधिक को, उनके डी.एन.एस.ओ./ए.एन.एस.ओ. और डी.ए.एस.ओ. को, जैसा आवश्यक को, उनकी ड्यूटी के उचित निर्वाह के लिए प्रत्यायोजित कर सकते हैं ।

28.	ए.ओ.सी.–इन–चीफ कमान और भारतीय वायुसेना स्टेशन के कमांडिंग अफसर/स्कंध मुख्यालय	अपने लिए, कार्मिकों और उपस्कर के लिए

टिप्पणी : एक ए.ओ.सी.–इन–चीफ कमान का कमांडिंग अफसर भारतीय वायुसेना स्टेशन/स्कंध मुख्यालय, अपने विवेकानुसार अपनी वैयक्तिक प्राधिकार को एक या अधिक, अपने सेना अफसरों को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

29.	कमांडेंटों/वायुसेना अकादमी/प्रशिक्षण संस्थानों के कमांडिंग अफसरों	अपने स्वयं के लिए, स्टाफ और विद्यार्थियों, स्थापनाओं, पशुओं और भण्डारों के लिए
30.	भर्ती संगठनों के अधिकारी	अपने स्वयं के लिए और आदेशों के अधीन सभी संचलनों के लिए

टिप्पणी : एक ए.ओ.सी.–इन–चीफ कमान का कमांडिंग अफसर भारतीय वायुसेना स्टेशन/स्कंध मुख्यालय, अपने विवेकानुसार अपनी वैयक्तिक प्राधिकार को एक या अधिक, अपने सेना अफसरों को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

31.	राष्ट्रपति के सैनिक सचिव	बैंड के कार्मिकों और भण्डारों के लिए
32.	राज्यों के राज्यपालों के ए.डी.सी.	बैंड के कार्मिकों और भण्डारों के लिए वारंट और सैनिक जमा–पत्रों की लागत को संबंधित राज्य सरकारों से घटाया जाएगा
33.	राष्ट्रीय कैडेट कोर एककों के प्रवर प्रभाग के कमांडिंग अफसर। एन.सी.सी. के ग्रुप कमांडेंट	अपने स्वयं के लिए और अन्य नियमित कार्मिकों के लिए जो एन.सी.सी. के साथ सेवानियोजित
34.	उप–महानियंत्रक रक्षा लेखा, रक्षा लेखा के सहायक महानियंत्रक	महानियंत्रक रक्षा लेखा के आदेशों के अधीन विभागी कार्य पर संचलित कार्मिकों के लिए और अभिलेख और भण्डारों के प्रेषण के लिए
35.	रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि), मेरठ	सरकारी भण्डारों और अभिलेख के प्रेषण के लिए
36.	रक्षा लेखा नियंत्रक	रक्षा लेखा विभागों के कार्मिकों और भण्डारों के लिए

टिप्पणी : एक रक्षा लेखा नियंत्रक, अपने विवेकानुसार, अपने कार्यालय के किसी राजपत्रित अधिकारी को जमा–पत्र जारी करने के लिए, प्राधिकृत कर सकता है ।

37.	रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी	अपने स्वयं के लिए और उनके अधीनस्थों के लिए जो पेंशन ड्यूटी पर जा रहे हैं
38.	लेखन सामग्री के उप–नियंत्रक, प्रपत्र व मुद्रणालय के प्रबंधक, भारत सरकार के केन्द्रीय प्रकाशन शाखा के प्रबंधक, भारत सरकार के मुद्रणालयों के प्रबंधकों, मुहरों के नियंत्रकों और गणितीय यंत्र कार्यालय कोलकाता के अधीक्षक	उन भण्डारों के लिए जो प्रेषण के समय रक्षा सेवाओं की संपत्ति हैं

1	2	3
39.	निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	सीरा–रोधी और टीकों के लिए (प्रोपेलैक्टिक टीके को शामिल न करते हुए) जो प्रेषण के समय, रक्षा सेवाओं की संपत्ति हैं
टिप्पणी :	निदेशक, अपनी वैयक्तिक प्राधिकार को किसी एक या अधिक अधिकारियों को, अपनी अधीन कार्यरत को सैनिक जमा–पत्रों पर हस्ताक्षर करने को प्राधिकृत कर सकता है ।	
40.	असम राइफल के महानिदेशक और असम राइफल एककों के कमांडिंग अफसर	असम राइफल के साथ प्रति–नियुक्त सेना कार्मिकों को रेलवे वारंटों और रियायती वाउचरों के जारी करने के लिए
41.	सेना और वायु अताची और भारत, नेपाल के राजदूतावासों के सहायक सेना और वायु अताची/अभिलेख अधिकारी	नेपाल अधिवास के भारतीय सेना के पेंशन प्राप्त गोरखा जब वे पुनःसर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थिति हेतु प्रस्थान करते हैं और सेवारत सैनिकों, समाघाती लिपिकों को जो सेना और वायु अताची की स्थापनाओं पर विहित हैं, को रेलवे वारंट देना
टिप्पणी :	जब कभी पेंशन प्राप्त नेपाल के सेना गोरखा को रेलवे वारंट जारी किया जाता है, पुनःसर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड के लिए बुलाए जाने के लिए, तो निम्नलिखित विवरण को जारी करने वाले कार्यालय द्वारा अग्रेषित किया जाएगा, सेना अस्पताल के कमांडिंग अफसर को जहां पेंशन प्राप्त का चिकित्सा बोर्ड हो रहा है, रेलवे वारंट के दो बार जारी होने को परिवर्जन करने के लिए:	
	(क) रेजीमेंटल संख्या, पेंशनर का रैंक और नाम	
	(ख) रेलवे वारंट संख्या और तारीख	
	(ग) स्टेशन से और स्टेशन तक, जैसा रेलवे वारंट में सूचित है	
	(ग) केवल सड़क द्वारा	
42.	ए.एस.सी. अधीनस्थ जिनके प्रभार में विश्राम कैम्प हैं, जब आवश्यक समझते हैं, जी.ओ.सी. क्षेत्र, स्वतंत्र सब एरिया, सब एरिया या ब्रिगेड कमांडर द्वारा	सैनिक स्टेशनों के मध्य सड़क द्वारा कार्मिकों के संचलनों के लिए

1	2	3

परिशिष्ट XI

प्राधिकारी जो सवारी के धारणाधिकार को बढ़ाने की संस्वीकृति दे सकते हैं

(संदर्भ हेतु नियम 16)

क0 सं0	सेना मुख्यालयों को प्रत्यायोजित शक्तियां	अनुमोदनी प्राधिकारी	प्रमाणीकरणी प्राधिकारी
1.	पूर्ण शक्तियां, अंतर्निहित समय का विचार किए बिना, जो लगता है, स्थायी स्थानांतरण पर परिवार और असबाब के परिवहन के धारणाधिकार पर ।	थलसेना — डी.जी.ओ.एल. नौसेना — सी.ओ.पी. वायुसेना — ए.ओ.पी./ए.ओ.ए. सशस्त्र — डी.जी. सेना ए.एफ.एम.एस. चिकित्सा सेवा	संयुक्त निदेशक/ उप–निदेशक / सहायक निदेशक / जी.एस.ओ. 1 / जी.एस.ओ 2
2.	पूर्ण शक्तियां, अंतर्निहित समय का विचार किए बिना, जो लगता है, निजी वाहन के परिवहन के लिए ।	थलसेना — डी.जी.ओ.एल. नौसेना — सी.ओ.पी. वायुसेना — ए.ओ.पी./ए.ओ.ए. सशस्त्र — डी.जी. सेना ए.एफ.एम.एस. चिकित्सा सेवा	संयुक्त निदेशक/ उप–निदेशक / सहायक निदेशक / जी.एस.ओ. 1 / जी.एस.ओ 2
3.	पूर्ण शक्तियां, अंतर्निहित समय का विचार किए बिना, जो लगता है, सरकारी कर्मचारी के सेवा निवृत्ति पर/सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा रियायतों के धारणाधिकार पर ।	थलसेना — डी.जी.ओ.एल. नौसेना — सी.ओ.पी. वायुसेना — ए.ओ.पी./ए.ओ.ए. सशस्त्र — डी.जी. सेना ए.एफ.एम.एस. चिकित्सा सेवा	संयुक्त निदेशक/ उप–निदेशक / सहायक निदेशक / जी.एस.ओ. 1 / जी.एस.ओ 2

टिप्पणी : इन वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सेना मुख्यालय द्वारा किया जाएगा, रक्षा मंत्रालय (वित्त) से परामर्श करके, जो एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यकारी है।